October to December 2021
E-Journal
Volume I, Issue XXXVI

RNI No. – MPHIN/2013/60638
ISSN 2320-8767, E-ISSN 2394-3793
Impact Factor - 6.780 (2020)

Naveen Shodh Sansar

(An International Refereed/ Peer Review Research Journal)

नवीन शोध संसार

Editor - Ashish Narayan Sharma

Office Add. "Shree Shyam Bhawan", 795, Vikas Nagar Extension 14/2, **NEEMUCH** (M.P.) 458441, (INDIA)
Mob. 09617239102, **Email** : nssresearchjournal@gmail.com, **Website** www.nssresearchjournal.com

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
October to December 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVI

Index/अनुक्रमणिका

01. Index/ अनुक्रमणिका 02
02. Regional Editor Board / Editorial Advisory Board 07/08
03. Referee Board 09
04. Spokesperson 11
05. Photochemical Smog (Dr. Malti Dubey (Rawat)) 13
06. Studies on 'Refractive Index' and 'Density' of Organo Phosphorus Pesticides in Water 15
(Arvin Panwar, Umendra Kumar, Manisha)
07. Antimicrobial-Antifungal Activity & Phytoconstituents of Maidenhair Fern –A Review 18
(Sabahat Anjum Qureshi)
08. Green Marketing: An Important Tool for Growth in Manufacturing Industries (Dr. Rupesh Pallav) ... 21
09. Covid-19: Employment Crisis (Dr. Praveen Ojha) 24
10. Ultrasonic Velocity Measurements of Organo Phosphorus Pesticides in Water 27
(Arvin Panwar, Umendra Kumar, Manisha)
11. Correlative Analysis of Long Term Cosmic Ray Intensity Variation in Relation with Various 31
Geomagnetic Indices and Solar Parameters (Uma Pandey, Mahendra Singh, Pankaj K. Shrivastava)
12. Role of ICT in Indian Higher Education System: Challenges and Opportunities Ahead 35
(Dr. Vibha Nigam)
13. Artificial Intelligence and Higher Education : Incontext of India (Dr. Abha Saini) 38
14. Impact of Transcendental Meditation on Anxiety Among Students 41
(Mahesh Prasad, Dr. Laxmi Narayan Josih)
15. Inverstigation Emotional and Social Intellingce Between High and Low Achiver 43
Sports Participaton Male Playres of Bihar State (Soni Kumari, Dr. Yuvraj Srivastava)
16. Economic Offences in India and Need of Criminal Corporate Liability (Geet Krishn Vyas) 45
17. Effect of Practicing Transcendental Meditation on Students' Stress 50
(Mahesh Prasad, Dr. Laxmi Narayan Josih)
18. गोदना की परम्परा (प्रो. नवरतन साव, डॉ. बसंत नाग) 52
19. हिन्दी भाषा की उत्परत्ति (डॉ. राजू हमीरसिंह देसाई) 54
20. 1857 से पूर्व भारतीय रियासितों की स्थिति - एक अध्ययन (डॉ. शालिनी गुप्ता) 57
21. भारतीय परिवार का सामाजिक-सांस्कृतिक परिवेश (नीता मौर्या) 61
22. कबीर दास की सामाजिक चेतना (डॉ. सरोज बाला श्याम) 63
23. गुना जिले के सहरिया जनजाति के जीविकोपार्जन का समाजशास्त्रीय अध्ययन (डॉ. विजय सिंह) 65
24. जलसंरक्षण: आर्थिक विकास की अहम कड़ी (डॉ. असलम खॉन) 67
25. पोषण से भरपूर भारतीय थाली: एक विश्लेषण सागर शहर के संदर्भ में (डॉ. आराधना श्रीवास) 70
26. साहित्य और पर्यावरण की चिंताएं (डॉ. सविता वशिष्ठ) 73

27. गोविन्द मिश्र के उपन्यासों में राजनैतिक बोध (दमयंती मरांडी) 75
28. कोविड-19 के संदर्भ मे योग और शाकाहार जीवन का आधार (डॉ. रंजु गुप्ता) 78
29. माडिया जनजाति की विलुप्त होती प्रथाओं का अध्ययन दंतेवाड़ा जिले के सन्दर्भ में 80
(डॉ. किरण नुरुटी, पिंकी शर्मा)
30. विदेशों में भारतीय कला का स्थान (डॉ. निशा गुप्ता) 83
31. नक्सलियों के आत्मसमर्पण का कारण समर्पण के पश्चात की समस्याएं (डॉ. किरण नुरुटी, पूनम वासम) 85
32. 21 नेतृत्व की अवधारणा (डॉ. श्रीकान्त दुबे) 89
33. सह शिक्षा विद्यालयों एवं एकल शिक्षा विद्यालयों में अध्ययनरत माध्यमिक स्तर की छात्राओं के व्यक्तित्व..... 91
का तुलनात्मक अध्ययन (भोपाल शहर के विशेष संदर्भ में) (डॉ. अनामिका सरकार, सोनाली माटी)
34. शासकीय तथा अशासकीय विद्यालयों के शिक्षकों में शैक्षणिक अभियोग्यता का अध्ययन (रीवा जिला के विशेष.... 94
संदर्भ में) (डॉ. आभा गोयल, साजदा बी)
35. भारत के आर्थिक विकास में महिला सहभागिता का अध्ययन (मध्यप्रदेश राज्य के विशेष संदर्भ में) 98
(डॉ. मीना कीर)
36. भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास स्तंभ एवं प्रमुख चुनौतियां (डॉ. योगेश खण्डेलवाल)..... 100
37. वृद्धजनों की समस्या एवं परिवर्तनशील स्थिति (रीवा जिले के विशेष संदर्भ में) 102
(डॉ. आभा गोयल, संदीपा पाण्डेय)
38. नई शिक्षा नीति के सन्दर्भ में विद्यार्थियों की जागरूकता : एक अध्ययन (डॉ. नीलम सिंह, डॉ. रंजू गुप्ता)..... 106
39. ग्रामीण विकास में दुग्ध सहकारी संस्थाओं का योगदान (डॉ. गौरव विद्यार्थी)..... 108
40. प्रधानमन्त्री फसल बीमा योजना का किसानो पर प्रभाव (बलवान सिंह राजपूत, डॉ. प्रभुदयाल ज्ञानानी) 110
41. भाषा को समझने में साहित्य की भूमिका (डॉ. रोशनलाल अहिरवार)..... 112
42. शासकीय व अशासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत किशोरावस्था के विद्यार्थियो में आक्रामकता के स्तर 114
का तुलनात्मक अध्ययन (डॉ. अनामिका सरकार, वंदना श्रीवास्तव)
43. अनुपूरक आहार समय मे प्रारंभ न करना कुपोषण के प्रमुख कारण का अध्ययन (डॉ. आभा गोयल, रेशमा सेन)..... 117
44. कोरोना महामारी का पर्यटन उद्योग पर प्रभाव और चुनौतियाँ (रीमा शिन्दे, डॉ. प्रभुदयाल ज्ञानानी)..... 121
45. सिंचाई से खाद्यान्न फसलों के उत्पादन में परिवर्तन का तुलनात्मक अध्ययन -झुंझुनूं जिले के संदर्भ में 123
(सुमन कुमार, डॉ. पूर्णिमा सिंह)
46. मानवाधिकार : एक राष्ट्रवादी स्वप्न (हिमांशी पंजाबी) 127
47. कोरोना की दूसरी लहर की स्थिति का अध्ययन ग्वालियर जिले के वार्ड क्रमांक-21 के सन्दर्भ में 129
(डॉ. लारेन्स कुमार बौद्ध)
48. नागार्जुन और गोपिनाथ महान्ति के उपन्यास में सामाजिक चेतना एक तुलनात्मक अध्ययन (मनोज कुमार पटेल) 131
49. कार्यस्थल पर तनाव प्रबंधन (डॉ. आलोक कुमार यादव) 134
50. लोक संहित्य एक संक्षिप्त परिचय (डॉ. सुनीता यादव)..... 138
51. मानव जीवन में अन्तर्वैयक्तिक सम्बन्धों की भूमिका (डॉ. लारेन्स कुमार बौद्ध)..... 140
52. नर्मदा क्षिप्रा लिंक परियोजना से मालवा का विकास (डॉ. के. आर. कुमेकर) 142

53. परम कल्याणकारी हैं ईशोपनिषद् की शिक्षाएँ (डॉ. विनोद कुमार शर्मा) 144
54. पश्चिमी निमाड़ का स्वतंत्रता का समर -भीमा नायक के संदर्भ मेर (डॉ. अनिल पाटीदार) 147
55. स्त्री के संघर्षों में शिक्षा की भूमिका (डॉ. गौरव विद्यार्थी) 149
56. कामकाजी महिलायें और उनकी दोहरी भूमिका (श्रीमती संगीता बामने) 151
57. स्वाधीनता की वाणी - 'हिंदी' (डॉ. तृष्णा शुक्ला) 154
58. नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति - 2020 : एक विश्लेषणात्मक विवेचन (डॉ. प्रमोद पंडित) 158
59. संवेगात्मक रूप से अशांत बालक हेतु उपचार और शैक्षिक प्रावधान (डॉ. वर्षा तिवारी) 161
60. मध्यप्रदेश में दुग्ध सहकारिता का विकास एवं दुग्ध संघ की प्रगति का विवरण (डॉ. गौरव विद्यार्थी) 164
61. महिला सशक्तिकरण एवं पंचायती राज्य (डॉ. मनीषा आमटे) 166
62. भारत की 200 वर्षों की गुलामी के लिए मीर जाफर का योगदान (प्लासी के युद्ध के संदर्भ में) 168
(डॉ. आकाश ताहिर)
63. भारत में खाद्य सुरक्षा (डॉ. सुषमा सैनी) 171
64. भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की भूमिका (डॉ. विनोद राय) 175
65. भील जनजतीय समाज में वधू-मूल्य से जुडी पंरम्परा (डॉ. मनीषा आमटे) 177
66. राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर - असम राज्य के विशेष संदर्भ मे (डॉ. जयप्रकाश व्यास) 179
67. थारू जनजाति का सामाजिक एवं सांस्कृतिक अध्ययन (कामिनी राना) 182
68. पशुपालन व्यवसाय नव उद्यमियों के लिए स्वरोजगार का एक बेहतर विकल्प : एक अध्ययन 184
(सन्नी यादव, डॉ. केशव मणि शर्मा)
69. बाल अपचारिता संविधिक एवं न्यायिक दृष्टिकोण (डॉ. ज़ाकिर खाँन) 187
70. साइबर आंतकवाद विशेष संदर्भ- डाटा हैकिंग एण्ड ब्लैकमेल कारण एवं निवारण (डॉ. अश्विन लोया) 190
71. देश के आर्थिक विकास में ऑटोमोबाइल उद्योग का योगदान -एक समीक्षात्मक अध्ययन 193
(गोरधन जाट, डॉ. केशव मणि शर्मा)
72. Long Journey for Little Feet: Forcibly Displaced Young Migrants and Refugees 198
(Dr. Anukriti Mishra)
73. A Study of Personal loan Product of State Bank of India (Amreen Khan, Dr. Bhoj Raj Nalwaya) 201
74. Yoga: An Ancient Approach for Health and Well-Being (Sachin Verma) 203
75. How to Make Consumers More Protective Through the Consumer Protection Act, 2019 206
(Dr. Ashish Rawal)
76. Effects of Multimedia on teaching learning: A Review (Dr. Sapna Mishra) 209
77. Bio-based Fiber Reinforced Polymer Composites: Ecofriendly Materials 212
(Dr. Avinash Dube, Dr. Kumud Dubey)
78. Online Teaching-Learning:Challenges and Recommendations (Dr. Uma Shrivastava) 215
79. Study of Road Rage in Udaipur City, Rajasthan (Dr. Sabiha Khan, Dr. Rashmi Singh) 219
80. Analysis of Consumer Behavior and Marketing (Dr. Balmukund Baghel) 223
81. A Fixed Point Theorems For Probabilistic Densifying Mappings in Menger Spaces 226
(Dr. D.K. Sagar)

82. Advantages and Future of Digital Marketing (Dr. Balmukund Baghel) 228
83. Problems and Prospects of Tourism in Himachal Pradesh (A Case Study of Chamba District) ... 231
(Dr. Satish Soni)
84. Banking Frauds in India: An Analysis of Causes and Impact 238
(Dr. Nandini Sengupta, Navya Menon, Pranav Khandelwal)
85. Rise of Taliban and the State of Refugees (Garima Singh Parihar) 243

Regional Editor Board - International & National

1. Dr. Manisha Thakur - Fulton College, Arizona State University, America.
2. Mr. Ashok Kumar - Employbility Operations Manager, Action Training Centre Ltd. London, U.K.
3. Ass. Prof. Beciu Silviu - Vice Dean (Management) Agriculture & Rural Development, UASVM, Bucharest, Romania.
4. Mr. Khgendra Prasad Subedi - Senior Psychologist, Public Service Commission, Central Office, Anamnagar, Kathmandu, Nepal.
5. Prof. Dr. G.C. Khimesara - Former Principal, Govt. PG College, Mandsaur (M.P.) India
6. Prof. Dr. Pramod Kr. Raghav - Research Guide, Jyoti Vidhyapeeth Women University, Jaipur (Raj.) India
7. Prof. Dr. Anoop Vyas - Former Dean, Commerce, Devi Ahilya University, Indore (India) India
8. Prof. Dr. P.P. Pandey - Dean, Commerce, Avadesh Pratapsingh University, Rewa (M.P.) India
9. Prof. Dr. Sanjay Bhayani - HOD, Business Management Deptt., Saurashtra University, Rajkot (Guj.) India
10. Prof. Dr. Pratap Rao Kadam - HOD, Commerce, Govt. Girls PG College, Khandwa (M.P.) India
11. Prof. Dr. B.S. Jhare - Professor, Commerce Deptt., Shri Shivaji College, Akola (Mh.) India
12. Prof. Dr. Sanjay Khare - Prof., Sociology, Govt. Auto. Girls PG Excellence College, Sagar (M.P.) India
13. Prof. Dr. R.P. Upadhayay - Exam Controller, Govt. Kamlaraje Girls Auto. PG College, Gwalior (M.P.) India
14. Prof. Dr. Pradeep Kr. Sharma - Professor, Govt. Hamidia Arts & Commerce College, Bhopal (M.P.) India
15. Prof. Akhilesh Jadhav - Prof., Physics, Govt. J. Yoganandan Chattisgarh College, Raipur (C.G.) India
16. Prof. Dr. Kamal Jain - Prof., Commerce, Govt. PG College, Khargone (M.P.) India
17. Prof. Dr. D.L. Khadse - Prof., Commerce, Dhanvate National College, Nagpur (Maharastra) India
18. Prof. Dr.Vandna Jain - Prof., Hindi, Govt. Kalidas Girls College, Ujjain (M.P.) India
19. Prof. Dr. Hardayal Ahirwar - Prof.,Economics, Govt. PG College, Shahdol (M.P.) India
20. Prof. Dr. Sharda Trivedi - Retd. Professor, Home Science, Indore (M.P.) India
21. Prof. Dr. Usha Shrivastav - HOD, Hindi Deptt., Acharya Institute of Graduate Study, Soldevanali, Bengaluru (Karnataka) India
22. Prof. Dr. G. P. Dawre - Professor, Commerce, Govt. College, Badwah (M.P.) India
23. Prof. Dr. H.K. Chouarsiya - Prof., Botany, T.N.V. College, Bhagalpur (Bihar) India
24. Prof. Dr. Vivek Patel - Prof., Commerce, Govt. College, Kotma, Distt., Anooppur (M.P.) India
25. Prof. Dr. Dinesh Kr. Chaudhary - Prof., Commerce, Rajmata Sindhiya Govt. Girls College, Chhindwara (M.P.) India
26. Prof. Dr. P.K. Mishra - Prof., Zoological, Govt. PG College, Betul (M.P.) India
27. Prof. Dr. Jitendra K. Sharma - Prof., Commerce, Maharishi Dayanand Uni. Centre, Palwal (Haryana) India
28. Prof. Dr. R. K. Gautam - Prof., Govt. Manjkuwar Bai Arts & Commerce College, Jabalpur (M.P.) India
29. Prof. Dr. Gayatri Vajpai - Professor, Hindi, Govt. Maharaja Autonomus College, Chhattarpur (M.P.) India
30. Prof. Dr. Avinash Shendare - HOD, Pragati Arts & Commerce College, Dombivali, Mumbai (Mh.) India
31. Prof. Dr. J.C. Mehta - Fr. HOD, Research Centre, Commerce, Devi Ahilya Uni., Indore (M.P.) India
32. Prof. Dr. B.S. Makkad - HOD, Research Centre Commerce, Vikram University, Ujjain (M.P.) India
33. Prof. Dr. P.P. Mishra - HOD, Maths, Chattrasal Govt. PG College, Panna (M.P.) India
34. Prof. Dr. Sunil Kumar Sikarwar - Professor, Chemistry, Govt. PG College, Jhabua (M.P.) India
35. Prof. Dr. K.L. Sahu - Professor, History, Govt. PG College, Narsinghpur (M.P.) India
36. Prof. Dr. Malini Johnson - Professor, Botany, Govt. PG College, Mahu (M.P.) India
37. Prof. Dr. Ravi Gaur - Asso. Professor, Mathematics, Gujarat University, Ahmedabad (Gujarat) India
38. Prof. Dr. Vishal Purohit - M.L.B. Govt. Girls PG College, Kila Miadan, Indore (M.P.) India

Editorial Advisory Board, INDIA

1. Prof. Dr. Narendra Shrivastav - Scientist , ISRO, Bengaluru (Karnataka) India
2. Prof. Dr. Aditya Lunawat - Director, Swami Vivekanand Career Guidance deptt. M.P. Higher Education, M.P. Govt., Bhopal (M.P.) India
3. Prof. Dr. Sanjay Jain - O.S.D., Additional Director Office, Bhopal (M.P.) India
4. Prof. Dr S.K. Joshi - Former Principal, Govt. Arts & Science College, Ratlam (M.P.) India
5. Prof. Dr. J.P.N. Pandey - Fr. Principal, Govt. Auto.Girls P.G. Excellence College, Sagar (M.P.) India
6. Prof. Dr. Sumitra Waskel - Principal, Govt. Girls P.G. College, Moti Tabela, Indore (M.P.) India
7. Prof. Dr. P.R. Chandelkar - Principal, Govt. Girls P.G. College, Chhindwara (M.P.) India
8. Prof. Dr. Mangal Mishra - Principal, Shri Cloth Market, Girls Commerce College, Indore (M.P.) India
9. Prof. Dr. R.K. Bhatt - Former Principal, Govt. Girls College, Narsinghpur (M.P.) India
10. Prof. Dr. Ashok Verma - Former HOD, Commerce (Dean) Devi Ahilya University, Indore (M.P.) India
11. Prof. Dr. Rakesh Dhand - HOD, Student Welfare Deptt., Vikram University, Ujjain (M.P.) India
12. Prof. Dr. Anil Shivani - HOD, Commerce /Management, Govt. Hamidiya Arts And Commerce Degree College, Bhopal (M.P.) India
13. Prof. Dr. PadamSingh Patel - HOD, Commerce Deptt., Govt. College, Mahidpur (M.P.) India
14. Prof. Dr. Manju Dubey - HOD (Dean), Home Science Deptt. Jiwaji University, Gwalior (M.P.) India
15. Prof. Dr. A.K. Choudhary - Professor, Psychology, Govt. Meera Girls College, Udiapur (Raj.) India
16. Prof. Dr. T. M. Khan - Principal, Govt. College, Dhamnod, Distt. Dhar (M.P.) India
17. Prof. Dr. Pradeep Singh Rao - Principal, Govt. College, Sailana, Distt. Ratlam (M.P.) India
18. Prof. Dr. K.K. Shrivastava - Professor, Eco., Vijaya Raje Govt. Girls P.G. College, Gwalior (M.P.) India
19. Prof. Dr. Kanta Alawa - Professor, Pol. Sci., S.B.N.Govt. P.G. College, Badwani (M.P.) India
20. Prof. Dr. S.C. Jain - Professor, Commerce, Govt. P.G. College, Jhabua (M.P.) India
21. Prof. Dr. Kishan Yadav - Asso. Professor, Research Centre Bundelkhand College, Jhasi (U.P.) India
22. Prof. Dr. B.R. Nalwaya - Chairman,Commerce Deptt.,Vikram University, Ujjain (M.P.) India
23. Prof. Dr. Purshottam Gautam - Dean, Commerce Deptt.,Devi Ahilya University, Indore (M.P.) India
24. Prof. Dr. Natwarlal Gupta - HOD, Commerce Deptt.,Devi Ahilya University, Indore (M.P.) India
25. Prof. Dr. S.C. Mehta - Former, Professor/HOD, Govt. Bhagat Singh P.G. College, Jaora (M.P.) India
26. Prof. Dr. A. K. Pandey - HOD, Economics Deptt., Govt. Girls College, Satna (M.P.)

✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻

Referee Board

Maths	-	(1)	Prof. Dr. V.K. Gupta, Director Vedic Maths - Research Centre, Ujjain (M.P.)
Physics	-	(1)	Prof. Dr. R.C. Dixit, Govt. Holkar Science College, Indore (M.P.)
		(2)	Prof. Dr. Neeraj Dubey, Govt. Arts & Commerce College, Sagar (M.P.)
Computer Science	-	(1)	Prof. Dr. Umesh Kumar Singh, HOD, Computer Study Centre, Vikram University, Ujjain (M.P.)
Chemistry	-	(1)	Prof. Dr. Manmeet Kaur Makkad, Govt. Kalidas Girls College,Ujjain (M.P.)
Botany	-	(1)	Prof. Dr. Suchita Jain, Govt. Girls P.G. College, Kota (Raj.)
		(2)	Prof. Dr. Akhilesh Aayachi, Govt. Adarsh Science College, Jabalpur (M.P.)
Life Science	-	(1)	Prof. Dr. Manjulata Sharma, M.S.J. Govt. College, Bharatpur (Raj.)
	-	(2)	Prof. Dr. Amrita Khatri, Mata Jijabai Govt. Girls P.G. College, Moti Tabela, Indore (M.P.)
Statitics	-	(1)	Prof. Dr. Ramesh Pandya, Govt. Arts - Commerce College, Ratlam (M.P.)
Military Science	-	(1)	Prof. Dr. Kailash Tyagi, Govt. Motilal Science College, Bhopal (M.P.)
Biology	-	(1)	Dr. Kanchan Dhingara, Govt. M.H. Home Science College, Jabalpur (M.P.)
Geology	-	(1)	Prof. Dr. R.S. Raghuvanshi, Govt. Motilal Science College, Bhopal (M.P.)
		(2)	Prof. Dr. Suyesh Kumar, Govt. Adarsh College, Gwalior (M.P.)
Medical Science	-	(1)	Dr.H.G. Varudhkar, R.D. Gardi Medical College, Ujjain (M.P.)
Microbiology Sci.	-	(1)	Anurag D. Zaveri, Biocare Research (I) Pvt. Ltd., Ahmedabad (Gujarat)
			***** Commerce *****
Commerece	-	(1)	Prof. Dr. P.K. Jain, Govt. Hamidia College, Bhopal (M.P.)
		(2)	Prof. Dr. Shailendra Bharal, Govt. Kalidas Girls College, Ujjain (M.P.)
		(3)	Prof. Dr. Laxman Parwal, Govt. Commerce College, Ratlam (M.P.)
		(4)	Prof. Naresh Kumar, NSCBM Govt. College, Hamirpur (H.P.)
			***** Management *****
Management	-	(1)	Prof. Dr. Anand Tiwari, Govt. Autonomus PG Girls Excellence College, Sagar (M.P.)
Human Resources	-	(1)	Prof. Dr. Harwinder Soni, Pacific Business School, Udaipur (Raj.)
Business Administration	-	(1)	Prof. Dr. Kapildev Sharma, Govt. Girls P.G. College, Kota (Raj.)
			***** Law *****
Law	-	(1)	Prof. Dr. S.N. Sharma, Principal, Govt. Madhav Law College, Ujjain (M.P.)
		(2)	Prof. Dr. Narendra Kumar Jain, Principal, Shri Jawaharlal Nehru PG Law College, Mandsaur (M.P.)
		(3)	Prof. Lok Narayan Mishra, Govt. Law College, Rewa (M.P.)
		(4)	Dr. Bijay Kumar Yadav, Om Sterling Global University, Hisar (Haryana)
			***** Arts *****
Economics	-	(1)	Prof. Dr. P.C. Ranka, Sri Sitaram Jaju Govt. Girls P.G. College, Neemuch (M.P.)
		(2)	Prof. Dr. J.P. Mishra, Govt. Maharaja Autonomus College, Chhattarpur (M.P.)
		(3)	Prof. Dr. Anjana Jain, M.L.B. Govt. Girls P.G. College, Kila Maidan, Indore (M.P.)
		(4)	Prof. Rakesh Kumar Gupta, Dr. C.V. Raman University, Kota, Bilaspur (C.G.)
Political Science	-	(1)	Prof. Dr. Ravindra Sohoni, Govt. P.G. College, Mandsaur (M.P.)
		(2)	Prof. Dr. Anil Jain, Govt. Girls College, Ratlam (M.P.)
		(3)	Prof. Dr. Sulekha Mishra, Mankuwar Bai Govt. Arts & Commerce College, Jabalpur (M.P.)
Philosophy	-	(1)	Prof. Dr. Hemant Namdev, Govt. Madhav Arts, Commerce & Law College, Ujjain (M.P.)
Sociology	-	(1)	Prof. Dr. Uma Lavania, Govt. Girls College, Bina (M.P.)
		(2)	Prof. Dr. H.L. Phulvare, Govt. P.G. College, Dhar (M.P.)
		(3)	Prof. Dr. Indira Burman, Govt. Home Science College, Hoshangabad (M.P.)

Hindi	-	(1)	Prof. Dr. Vandana Agnihotri, Chairperson, Devi Ahilya University, Indore (M.P.)
		(2)	Prof. Dr. Kala Joshi , ABV Govt. Arts & Commerce College, Indore (M.P.)
		(3)	Prof. Dr. Chanda Talera Jain, M.J.B. Govt. Girls P.G. College, Indore (M.P.)
		(4)	Prof. Dr. Amit Shukla, Govt. Thakur Ranmatsingh College, Rewa (M.P.)
		(5)	Prof. Dr. Anchal Shrivastava, Dr. C.V. Raman University, Kota, Bilaspur (C.G.)
English	-	(1)	Prof. Dr. Ajay Bhargava, Govt. College, Badnagar (M.P.)
		(2)	Prof. Dr. Manjari Agnihotri, Govt. Girls College, Sehore (M.P.)
Sanskrit	-	(1)	Prof. Dr. Bhawana Srivastava, Govt. Autonomus Maharani Laxmibai Girls P.G. College, Bhopal (M.P.)
		(2)	Prof. Dr. Balkrishan Prajapati, Govt. P.G. College, Ganjbasauda, Distt. Vidisha (M.P.)
History	-	(1)	Prof. Dr. Naveen Gidiyan, Govt. Autonomus Girls P.G. Excellence College, Sagar (M.P.)
Geography	-	(1)	Prof. Dr. Rajendra Srivastava, Govt. College, Pipliya Mandi, Distt. Mandsaur (M.P.)
		(2)	Prof. Kajol Moitra, Dr. C.V. Raman University, Bilaspur (C.G.)
Psychology	-	(1)	Prof. Dr. Kamna Verma, Principal, Govt. Rajmata Sindhiya Girls P.G. College, Chhindwara (M.P.)
		(2)	Prof. Dr. Saroj Kothari, Govt. Maharani Laxmibai Girls P.G. College, Indore (M.P.)
Drawing	-	(1)	Prof. Dr. Alpana Upadhyay, Govt. Madhav Arts-Commerce-Law College. Ujjain (M.P.)
		(2)	Prof. Dr. Rekha Srivastava, Maharani Laxmibai Govt. Girls P.G. College, Bhopal (M.P.)
		(3)	Prof. Dr. Yatindera Mahobe, Govt. Girls College, Narsinghpur (M.P.)
Music/Dance	-	(1)	Prof. Dr. Bhawana Grover (Kathak),Swami Vivekanand Subharti University, Meerut (U.P.)
		(2)	Prof. Dr. Sripad Aronkar, Rajmata Sindhiya Govt. Girls College, Chhindwara (M.P.)
			***** Home Science *****
Diet/Nutrition	-	(1)	Prof.Dr. Pragati Desai, Govt. Maharani Laxmibai Girls P.G. College, Indore (M.P.)
Science		(2)	Prof. Madhu Goyal, Swami Keshavanand Home Science College, Bikaner (Raj.)
		(3)	Prof. Dr. Sandhya Verma, Govt. Arts & Commerce College, Raipur (Chhattisgarh)
Human	-	(1)	Prof. Dr. Meenakshi Mathur, HOD, Jainarayan Vyas University, Jodhpur (Raj.)
Development		(2)	Prof. Dr. Abha Tiwari, HOD, Research Centre, Rani Durgawati University, Jabalpur (M.P.)
Family Resource Management	-	(1)	Prof. Dr. Manju Sharma, Mata Jijabai Govt. Girls P.G. College, Moti Tabela, Indore (M.P.)
		(2)	Prof. Dr. Namrata Arora, Vansthali Vidhyapeeth (Raj.)
			***** Education *****
Education	-	(1)	Prof. Dr. Manorama Mathur, Mahindra College of Education, Bangluru (Karnataka)
		(2)	Prof. Dr. N.M.G. Mathur, Principal/Dean, Pacific EducationCollege, Udaipur (Raj.)
		(3)	Prof. Dr. Neena Aneja, Principal, A.S. College Of Education, Khanna (Punjab)
		(4)	Prof. Dr. Satish Gill, Shiv College of Education,Tigaon, Faridabad (Haryana)
		(5)	Prof. Dr. Mahesh Kumar Muchhal, Digambar Jain (P.G.) College, Baraut (U.P.)
			***** Architecture *****
Architecture	-	(1)	Prof. Kiran P. Shindey, Principal,School of Architecture,IPS Academy, Indore (M.P.)
			***** Physical Education *****
Physical Education	-	(1)	Prof. Dr. Joginder Singh, Physical Education, Pacific University, Udaipur (Raj.)
		(2)	Dr. Ramneek Jain, Associate Professor, Madhav University, Pindwara (Raj.)
		(3)	Dr. Seema Gurjar, Associate Professor, Pacific University, Udaipur (Raj.)
			***** Library Science *****
Library Science	-	(1)	Dr. Anil Sirothia, Govt. Maharaja College, Chhattarpur (M.P.)

Spokesperson's

1.	Prof. Dr. Davendra Rathore	-	Govt. P.G. College, Neemuch (M.P.)
2.	Prof. Smt. Vijaya Wadhwa	-	Govt. Girls P.G. College, Neemuch (M.P.)
3.	Dr. Surendra Shaktawat	-	Gyanodaya Institute of Management - Technology, Neemuch (M.P.)
4.	Prof. Dr. Devilal Ahir	-	Govt. College, Jawad, Distt. Neemuch (M.P.)
5.	Shri Ashish Dwivedi	-	Govt. College, Manasa, Distt. Neemuch (M.P.)
6.	Prof. Manoj Mahajan	-	Govt. College, Sonkach, Distt. Dewas (M.P.)
7.	Shri Umesh Sharma	-	Shree Sarvodaya Institute Of Professional Studies, Sarwaniya Maharaj, Jawad, Distt. Neemuch (M.P.)
8.	Prof. Dr. S.P. Panwar	-	Govt. P.G. College, Mandsaur (M.P.)
9.	Prof. Dr. Puralal Patidar	-	Govt. Girls College, Mandsaur (M.P.)
10.	Prof. Dr. Kshitij Purohit	-	Jain Arts, Commerce & Science College, Mandsaur (M.P.)
11.	Prof. Dr. N.K. Patidar	-	Govt. College, Pipliyamandi, Distt. Mandsaur (M.P.)
12.	Prof. Dr. Y.K. Mishra	-	Govt. Arts & Commerce College, Ratlam (M.P.)
13.	Prof. Dr. Suresh Kataria	-	Govt. Girls College, Ratlam (M.P.)
14.	Prof. Dr. Abhay Pathak	-	Govt. Commerce College, Ratlam (M.P.)
15.	Prof. Dr. Malsingh Chouhan	-	Govt. College, Sailana, Distt. Ratlam (M.P.)
16.	Prof. Dr. Gendalal Chouhan	-	Govt. Vikram College, Khachrod, Distt. Ujjain (M.P.)
17.	Prof. Dr. Prabhakar Mishra	-	Govt. College, Mahidpur, Distt. Ujjain (M.P.)
18.	Prof. Dr. Prakash Kumar Jain	-	Govt. Madhav Arts, Commerce & Law College, Ujjain (M.P.)
19.	Prof. Dr. Kamla Chauhan	-	Govt. Kalidas Girls College, Ujjain (M.P.)
20.	Prof. Abha Dixit	-	Govt. Girls P.G. College, Ujjain (M.P.)
21.	Prof. Dr. Pankaj Maheshwari	-	Govt. College, Tarana, Distt. Ujjain (M.P.)
22.	Prof. Dr. D.C. Rathi	-	Swami Vivekanand Career Gudiance Deptt., Higher Education Deptt., M.P. Govt., Indore (M.P.)
23.	Prof. Dr. Anita Gagrade	-	Govt. Holkar Science College, Indore (M.P.)
24.	Prof. Dr. Sanjay Pandit	-	Govt. M.J.B. Girls P.G. College, Moti Tabela, Indore (M.P.)
25.	Prof.Dr. Rambabu Gupta	-	Govt. Arts & Commerce College, Indore (M.P.)
26.	Prof. Dr. Anjana Saxena	-	Govt. Maharani Laxmibai Girls P.G. College, Indore (M.P.)
27.	Prof. Dr. Sonali Nargunde	-	Journalism & Mass Comm .Research Centre, D.A.V.V., Indore (M.P.)
28.	Prof. Dr. Bharti Joshi	-	Life Education Department, Devi Ahilya University, Indore (M.P.)
29.	Prof. Dr. M.D. Somani	-	Govt. M.J.B. Girls P.G. College, Moti Tabela, Indore (M.P.)
30.	Prof. Dr. Priti Bhatt	-	Govt. N.S.P. Science College, Indore (M.P.)
31.	Prof. Dr. Sanjay Prasad	-	Govt. College, Sanwer, Distt. Indore (M.P.)
32.	Prof. Dr. Meena Matkar	-	Suganidevi Girls College, Indore (M.P.)
33.	Prof. Dr. Mohan Waskel	-	Govt. College, Thandla Distt. Jhabua (M.P.)
34.	Prof. Dr. Nitin Sahariya	-	Govt. College, Kotma Distt. Anooppur (M.P.)
35.	Prof. Dr. Manju Rajoriya	-	Govt. Girls College, Dewas (M.P.)
36.	Prof. Dr. Shahjad Qureshi	-	Govt. New Arts & Science College, Mundi, Distt. Khandwa (M.P.)
37.	Prof. Dr. Shail Bala Sanghi	-	Maharani Lakshmibai Govt. Girls P.G. College, Bhopal (M.P.)
38.	Prof. Dr. Praveen Ojha	-	Shri Bhagwat Sahay Govt. P.G. College, Gwalior (M.P.)
39.	Prof. Dr. Omprakash Sharma	-	Govt. P.G. College, Sheopur (M.P.)
40.	Prof. Dr. S.K. Shrivastava	-	Govt. Vijayaraje Girls P.G. College, Gwalior (M.P.)
41.	Prof. Dr. Anoop Moghe	-	Govt. Kamlaraje Girls P.G. College, Gwalior (M.P.)
42.	Prof. Dr. Hemlata Chouhan	-	Govt. College, Badnagar (M.P.)
43.	Prof. Dr. Maheshchandra Gupta	-	Govt. P.G. College, Khargone (M.P.)
44.	Prof. Dr. Mangla Thakur	-	Govt. P.G. College, Badhwah, Distt. Khargone (M.P.)
45.	Prof. Dr. K.R. Kumhekar	-	Govt College, Sanawad, Distt. Khargone(M.P.)

46.	Prof. Dr. R.K. Yadav	-	Govt. Girls College, Khargone (M.P.)
47.	Prof. Dr. Asha Sakhi Gupta	-	Govt. P.G. College, Badwani (M.P.)
48.	Prof. Dr. Hemsingh Mandloi	-	Govt. P.G. College, Dhar (M.P.)
49.	Prof. Dr. Prabha Pandey	-	Govt. P.G. College, Mehar, Distt. Satna (M.P.)
50.	Prof. Dr. Rajesh Kumar	-	Govt. College, Amarpatan, Distt. Satna (M.P.)
51.	Prof. Dr. Ravendra singh Patel	-	Govt. P.G. College, Satna (M.P.)
52.	Prof. Dr. Manoharlal Gupta	-	Govt. P.G. College, Rajgarh, Biora (M.P.)
53.	Prof. Dr. Madhusudan Prakash	-	Govt. College, Ganjbasauda, Distt. Vidisha (M.P.)
54.	Prof. Dr. Yuwraj Shirvatava	-	Dr. C.V. Raman Univeristy, Bilaspur (C.G.)
55.	Prof. Dr. Sunil Vajpai	-	Govt. Tilak P.G. College, Katni (M.P.)
56.	Prof. Dr. B.S. Sisodiya	-	Govt. P.G. College, Dhar (M.P
57.	Prof. Dr. Shashi Prabha Jain	-	Govt. P.G. College, Agar-Malwa (M.P.)
58.	Prof. Dr. Niyaz Ansari	-	Govt. College, Sinhaval, Distt. Sidhi (M.P.)
59.	Prof. Dr. ArjunSingh Baghel	-	Govt. College, Harda (M.P.)
60.	Dr. Suresh Kumar Vimal	-	Govt. College, Bansadehi, Distt. Betul (M.P.)
61.	Prof. Dr. Amar Chand Jain	-	Govt. Arts & Commerce College, Sagar (M.P.)
62.	Prof. Dr. Rashmi Dubey	-	Govt. Autonomus Girls P.G. Excellence College, Sagar (M.P.)
63.	Prof. Dr. A.K. Jain	-	Govt. P.G. College, Bina, Distt. Sagar (M.P.)
64.	Prof. Dr. Sandhya Tikekar	-	Govt. Girls College, Bina, Distt. Sagar (M.P.)
65.	Prof. Dr. Rajiv Sharma	-	Govt. Narmada P.G. College, Hoshangabad (M.P.)
66.	Prof. Dr. Rashmi Srivastava	-	Govt. Home Science College, Hoshangabad (M.P.)
67.	Prof. Dr. Laxmikant Chandela	-	Govt. Autonomus P.G. College, Chhindwara (M.P.)
68.	Prof. Dr. Balram Singotiya	-	Govt. College, Saunsar, Distt. Chhindwara (M.P.)
69.	Prof. Dr. Vimmi Bahel	-	Govt. College, Kalapipal, Distt. Shajapur (M.P.)
70.	Prof. Aprajita Bhargava	-	R.D.Public School, Betul (M.P)
71.	Prof. Dr. Meenu Gajala Khan	-	Govt. College, Maksi, Distt. Shajapaur (M.P.)
72.	Prof. Dr. Pallavi Mishra	-	Govt. College, Mauganj Distt. Rewa (M.P.)
73.	Prof. Dr. N.P. Sharma	-	Govt. College, Datia (M.P.)
74.	Prof. Dr. Jaya Sharma	-	Govt. Girls College, Sehore (M.P.)
75.	Prof. Dr. Sunil Somwanshi	-	Govt. College, Nepanagar, Distt. Burhanpur (M.P.)
76.	Prof. Dr. Ishrat Khan	-	Govt. College, Raisen (M.P.)
77.	Prof. Dr. Kamlesh Singh Negi	-	Govt. P.G. College, Sehore (M.P.)
78.	Prof. Dr. Bhawana Thakur	-	Govt. College, Rehati, Distt. Sehore (M.P.)
79.	Prof. Dr. Keshavmani Sharma	-	Pandit Balkrishan Sharma New Govt. College, Shajapur (M.P.)
80.	Prof. Dr. Renu Rajesh	-	Govt. Nehru Leading College ,Ashok Nagar (M.P.)
81.	Prof. Dr. Avinash Dubey	-	Govt. P.G. College, Khandwa (M.P.)
82.	Prof. Dr. V.K. Dixit	-	Chhatrasal Govt. P.G. College, Panna (M.P.)
83.	Prof. Dr. Ram Awdesh Sharma	-	M.J.S. Govt. P.G. College, Bhind (M.P.)
84.	Prof. Dr. Manoj Kr. Agnihotri	-	Sarojini Naidu Govt. Girls P.G. College, Bhopal (M.P.)
85.	Prof. Dr. Sameer Kr. Shukla	-	Govt. Chandra Vijay College, Dhindori (M.P.)
86.	Prof. Dr. Anoop Parsai	-	Govt. J. Yoganand Chattisgarh P.G. College, Raipur (Chattisgarh)
87.	Prof. Dr. Anil Kumar Jain	-	Vardhaman Mahavir Open University, Kota (Rajasthan)
88.	Prof. Dr. Kavita Bhadiriya	-	Govt. Girls College, Barwani (M.P.)
89.	Prof. Dr. Archana Vishith	-	Govt. Rajrishi College, Alwar (Rajasthan)
90.	Prof. Dr. Kalpana Parikh	-	S.S.G. Parikh P.G. College, Udaipur (Rajasthan)
91.	Prof. Dr. Gajendra Siroha	-	Pacific University, Udaipur (Rajasthan)
92.	Prof. Dr. Krishna Pensia	-	Harish Anjana College, Chhotisadri, Distt. Pratapgarh (Rajasthan)
93.	Prof. Dr. Pradeep Singh	-	Central University Haryana, Mahendragarh (Haryana)
94.	Prof. Dr. Smriti Agarwal	-	Research Consultant, New Delhi

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
October to December 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVI

Photochemical Smog

Dr. Malti Dubey (Rawat) *

***Associate Professor (Chemistry) Govt. Auto. P.G., Girls College of Excellence, Sagar (M.P.) INDIA**

Abstract - A Photochemical smog is the chemical reaction of sunlight, nitrogen oxides and volatile organic compounds in the atmosphere, which leaves airborne particles called particular matter and ground level ozone. Smog is a problem in a continues to harm human health. Photochemical Smog is capable of inflicting irreversible damage on the lungs and heart. The severity of smog is often measured using automated optical instruments such as nephelometers. Photochemical smog depends on primary pollutants as well as the formation of secondary pollutants the developing smog is usually toxic to humans and can cause severe sickness, a shortened lif span or premature death. Everyone can do their part to reduce smog by changing a few behaviors, such as - drive less, Fuel up during the Cooler hours of the day night or early morning, Avoid products that release high levels of VOCs, Avoid gas – powered yard equipment, like lawn mowers. Reduction of ozone, aerosole and other secondary pollutants by controlling both HC and NO/subx/ would help control photochemical smog.
Keywords - Smog, Pollutants, Tropospheric Ozone, Volatile Organic Compounds (VOCs).

Introduction - Smoke fog or smog for short is a type of intense air pollution. The word “Smog” was coined in the early 20th and is concentration of the words smoke and to refer to smoky fog due to it opacity and odor. Photochemical Smog is a mixture of pollutants that are formed when nitrogen oxides and Volatile Organic Compounds (VOCs) react to sunlight, creating a brown haze above cities. If tends to occur more often in summer, because that is when we have the most sunlight.

A Photochemical smog is the Chemical reaction of sunlight, Nitrogen Oxides (NOx) and Volatile Organic compounds (VOCs) in the atmosphere, which leaves airborne particles and ground level ozone.

Photochemical smog has a number of negative effects on the environment and human beings. The chemicals contained within it, when combined with hydrocarbons, form molecules which cause eye irritation. The atmospheric radicals interfere with the nitrogen-cycle by stopping ground level ozone from being eliminated.

Causes of Photochemical Smog: this type of air pollution is formed though the reaction of solar radiation with airborne pollutants like Nitrogen Oxides and Volatile Organic Compounds. These compounds which are called primary pollutants are often introduced into the atmosphere through automobile emissions and industrial process. Ultraviolet light can split nitrogen dioxide into nitric oxide and monoatomic oxygen. This monoatomic oxygen can then react with oxygen gas toform ozone. Products like ozone, aldehydes and Peroxyacetylnitrates are called secondary pollutants. The mixture of these primary and secondary pollutants forms photochemical smog.

Both the primary and secondary pollutants in photochemical smog are highly reactive. These oxidizing compounds have been linked to a variety of negative health outcomes, ozone, for example is known to irritate the lungs.

Main components of Photochemical smog: The Main components of Photochemical smog are:

1. Nitrogen Oxides
2. Volatile Organic Compounds (VOCs)
3. Tropopheric Ozone
4. PAN (Peroxy acetyl nitrate)
5. Aldehydes

Chemical reaction of Photochemical smog: The following substances are identified in Photochemical smog:

1. Nitrogen dioxide (No2) from Vehicle exhast is Photolyzed by ultraviolet (UV) radiation from the sun and decomposes into nitrogen oxide (NO) and oxygen radical-

$NO + hv \rightarrow NO + O^*$ - (1)

2. The oxygen radical then reacts with an atmospheric oxygen molecule to create ozone (O_3)

$O^* + O_2 \rightarrow O_3$ - (2)

3. Under normal conditions, O_3 reacts with NO, to produce NO_2 and an oxygen molecule

$O_3 + NO \rightarrow O_2 + NO_2$ - (3)

This is a continual cycle that leads only to a temporary increasein net ozone production. To create photochemical smog on the scale observed in Los Angels, the process must include Volatile Organic Compounds (VOCs)

4. VOCs react with hydroxide in the atmosphere to create water and a reactive VOC molecule

$RH + OH^* \rightarrow R^* + H_2O$ - (4)

5. The reactive VOC can then bind with an oxygen molecule to create an oxidized VOC

$R^* + O_2 \rightarrow RO_2$ - (5)

6. The Oxidized VOC can now bind with the nitrogen oxide produced in the earlier set of equations to form nitrogen dioxide and a reactive VOC molecule

$RO_2 + NO \rightarrow RO^* \% + NO_2$ - (6)

In the second set of equations, it is apparent that nitrogen oxide produced in equation 1 is oxidized in equation 6 without destruction of any ozone. This means that in the presence of VOCs equation 3 is essentially eliminated leading to a large and rapid buildup in the photochemical smog in the lower atmosphere.

Health effects: Photochemical smog is capable of inflicting irreversible damage on the lungs and heart. Even short term exposure to photochemical smog tends to have ill effects on both the young and the elderly. It causes painful irritation of the respiratory system, reduced lung function and difficulty breathing. This is more evident which exercising or working outdoors. High levels of smog also trigger asthma attacks because the smog causes increased sensitivity to allergens, which are triggers for asthma.

Affected People: People with preexisting health problems are sensitive to Ozone. Children, the elderly and people with poor lung function carry a far greater risk of developing respiratory illness form photochemical smog than healthy adults.

Effects on Environment: Photochemical Smog has divesting effects on the environment. The collection of chemicals found in Photochemical smog causes problems for plants and animal life Ground level Ozone also can interfere with the growth and productivity, of Trees.

Inhibition of Photochemical Smog: Photochemical smog is caused by a free-radical chain mechanism which converts NO to NO_2. The NO_2 further reacts to produce ozone, nitric acid and peracylnitrates. This chain mechanism can be inhibited by suitable free radical scavengers. The chemistry and toxicology of one such free-radical scavenger diethylhydroxylamine has been effective, safe and practical for use in urban atmospheres to prevent photochemical formation.

Addition of only 3m torr of this compound to propylene – NO- O_2 mixture with a total pressure of 100 torr completely inhibits the oxidation of NO to NO_2 while addition of 2.5m torr results in 50% inhibition. Apparently inhibition results from radical abstraction of hydrogen

$(C_2H_5)_2NOH + OH \rightarrow H_2O + (C_2H_5)_2NO$

DEHA is a volatile liquid with mild odour. So far it has prove to be a non-toxic and non mutagenic.

Control of Photochemical Pollutants: Control of photochemical smog is to minimize the release of oxides of nitrogen and hydrocarbons to the atmosphere. Today the techniques like incineration, absorption, adsorption and condensation are devised to control hydrocarbon emissions form stationary sources.

By choosing renewable energy it helps in the reduction of emissions, and trims down the presence of smog.

The best way to reduce smog to take the lead in managing gaseous emissions from cars and industries.

The use of household products that have high levels of volatile organic compounds should be completely avoided.

Reduction in consumption means less production our material things and reduced use of resources and fossil fules that lead to less air an smog pollution.

References:-

1. B. Everett, G. Boyle, S. Peak and J. Ramage, “in Penalties: assessing the Environmental and health impacts of Energy use” in Energy systems and sustainability, 2 nded, Oxford, UK: Oxford, 2013, ch.13, PP. 543.
2. G. Tyler Miller, Jr and D. Hackett, “Photochemical and Industrial Smog” in Living in the Environment, 2nded. USA: Nelson, 2011, ch20, Sec3, PP. 465-471.
3. “Smog-causes” The Environment A Global challenge, Retrieved 25 oct. 2013.
4. D.V. Bates, G.M. Bell, C.D. Burnham, et al. short term effects of ozone on the lung. Journal of Applied Physiology. 32. 176-181 (1976).
5. Godish, thad. Air Quality. 4th ed. Florida : CRC Press LLC, 2004.
6. E.T. Wilkens. Air pollution and the London Fog of 1952. Journal of the Royal sanitary institute 74.1-22 (1956).

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
October to December 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVI

Studies on 'Refractive Index' and 'Density' of Organo Phosphorus Pesticides in Water

Arvin Panwar* **Umendra Kumar**** **Manisha*****

*Department of Chemistry, S.D. (P.G.) College, Muzaffarnagar (U.P.) INDIA
** Department of Chemistry, Janta Vedic College, Baraut, Baghpat (U.P.) INDIA
*** Department of Chemistry, D.A.V. (P.G.) College, Muzaffarnagar (U.P.) INDIA

Abstract - Density and Refractive index of organo phosphorus pesticides (Methamidophos, Acephate, Omethoate, Dichlorvos) in water have been determined at different temperatures (308 – 323 K). Refractive index and density data have been analysed using various equation and it has been concluded that solute-solvent interaction occurs in pesticide solution in water. The study of solute-solvent interaction in the present investigation is of great importance in biological chemistry, physical chemistry, environmental chemistry and geo-chemistry. It is used over a wide area means extremely in industries to make pesticides and pharmaceuticals and also used as an intermediate in the production of chemicals.

Introduction - Refractive index and density data has been used to study the solute-solvent interaction **[1-5]**. The present paper deals with the study of Refractive index and density of these pesticides in water in order to have better understanding of their solutions.

Experimental: The organo phosphorus pesticides (Methamidophos, Acephate, Omethoate, Dichlorvos) were obtained form Hindustan Insecticides Limited Gurgaon (Haryana), India. The conductivity water was prepared by distillation (alkaline $KMnO_4$).

Their purity was confirmed by melting point/boiling point measurements: Methamidophos (M.P-317.65K), Acephate (M.P-361.15-363.15K), Omethoate (M.P-380.15K) and Dichlorvos (B.P-507.15K). The refractive indices of liquids with and without organo phosphorus pesticide were measured by Abbe's refractometer at constant temperature (35± 0.05°C with ordinary light. The accuracy was found to be
± 0.0002.

The densities were measured by using dilatometer, made of pyrex glass having a reservoir volume of 15 cm^3. The measuring section was constructed of precisely bored graduated capillary. The dilatometer was calibrated using conductivity water and the accuracy ± 0.0002 g cm^{-3} of measurements was checked by using test solutions of known density.

Results And Discussion:

Refractive Index: The refractive index, *n* (Table 1) of pesticide solutions increases with increase in pesticide concentration. The plots of *n* versus *C* are linear (Fig. 1). The refractive index data have been analysed using Lorentz-Lorenz equation. The molar refraction of the solution [*R*] of molecules which do not interact with each other, is expressed by Lorentz-Lorenz equation :

$$[R] = \frac{n^2 - 1}{n^2 + 2} \cdot \frac{M_1X_1 + M_2X_2}{d}$$

Where n and d are the refractive index and density, respectively of the pesticides solutions. X_1 and X_2 are the mole fraction and M_1 and M_2 are the molecular weight of the solvent and the pesticide in the solution respectively. Molar refraction of the solution [R] is also expressed by an equation:

$$[R] = X_1[R]_1 + X_2[R]_2$$

where $[R]_1$ and $[R]_2$ are the molar refraction of the solvent and pesticide respectively. The values of $[R]_2$ (Table 1) have been calculated using refractive index and are found to vary too much with pesticide concentration showing pesticide-solvent interaction. The value of $[R]_2$ decreases too much with increase in pesticide concentration which shows greater pesticide-solvent interaction. It is observed that the values of $[R]_2$ increases in molecular weight of pesticide.

Table 1 (see in last page)

Density: The density, '*d*' (g cm^{-3}) of pesticide solutions increase with increase in concentration and decrease with increase in temperature. The results have been explained in terms of Roots equation [6]. The *d* vs. *C* plots are linear. The extrapolated values of density, do, are in close agreement with the experimental values of density of water at different temperatures. The densities increase with increase in molecular weight of pesticide.

The $(d - d_0)/C$ vs. $C^{1/2}$ (Fig. 2) are linear. The values of intercept, *A*, and slope, *B*, have been calculated from the intercepts and slopes of the linear plots. The value of constant, '*A*' **(Table 2)** decreases with increase in

temperature but increase with increase in molecular weight of pesticide. The constant, '*B*' **(Table, 2)** decrease with increase in temperature due to thermal effects and also increases with increase in molecular weight of pesticides. The values of ϕ_v increases with increase in pesticide concentration and temperature. Various factors such as solvation of amphiphilic solutes, nature of ionic head groups and length of non-polar of amphiphilic molecules contribute to ϕ_v values and may affect the volume differently and to a different extent. The change in apparent volume is governed by all these factors. The plots of ϕ_v vs. $C^{1/2}$**(fig. 3)** for these pesticides are linear. The limiting apparent molar volume's ϕ_V^0 and experimental slope S_v have been obtained from intercepts and slopes of linear plots. The temperature dependence of ϕ_V^0 (7) is given by $\phi_V^0 = a + bT + CT^2$, where '*T*' is temperature expressed in Kelvin and a,b,c are constants. The values of ϕ_V^0 **(Table 2)** are positive and increase with increase in temperature and increase with increase in molecular weight of pesticide. The values of S_v (Table 2) decrease with increase in temperature and increase with increase in molecular weight of pesticides. Density, Viscosity and Ultrasonic velocity studies of aqueous sodium-propionate and the binary mixtures at different temperature have been measured [8, 9]. Study of solute-solvent interaction of monochrotophos pesticide have been measured with aqueous organic solvents [10].

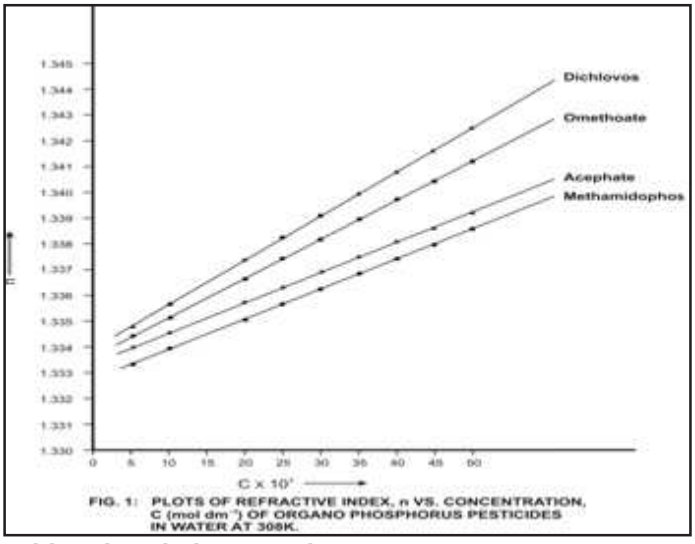

FIG. 1: PLOTS OF REFRACTIVE INDEX, n VS. CONCENTRATION, C (mol dm⁻³) OF ORGANO PHOSPHORUS PESTICIDES IN WATER AT 308K.

Table 2 (see in last page)

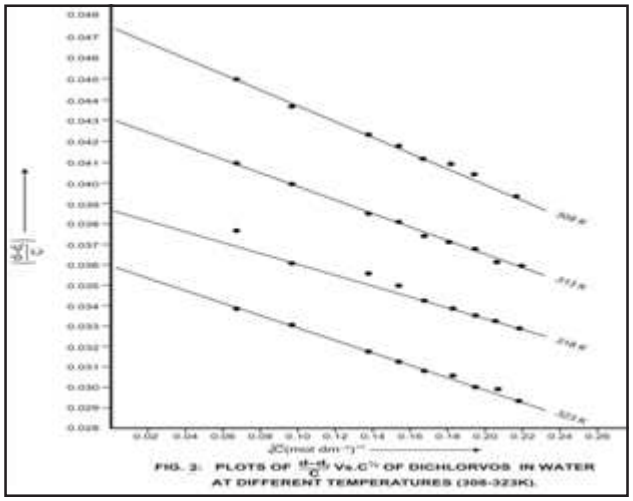

FIG. 3: PLOTS OF $(\phi_v - \phi_v^0)/C$ Vs. $C^{1/2}$ OF DICHLORVOS IN WATER AT DIFFERENT TEMPERATURES (308-323K).

Acknowledgement: The authors would like to thank to Principal, D.A.V. (P.G.) College, Muzaffarnagar for his help and support and also to the college authorities for providing laboratory facilites.

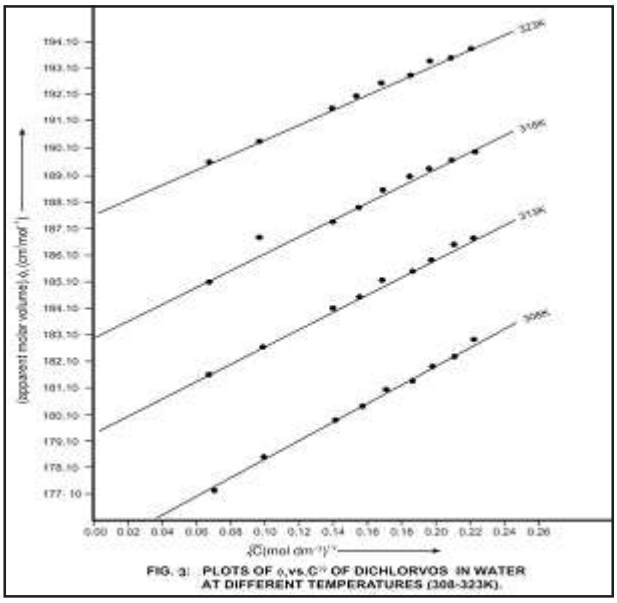

FIG. 3: PLOTS OF ϕ_v vs. $C^{1/2}$ OF DICHLORVOS IN WATER AT DIFFERENT TEMPERATURES (308-323K).

References:-

1. Gopal, R., Agarwal, O.K. and Kumar, R., Z-Physid Chemic, M.f. 84, 141 **(1973)**.
2. Blokhra, R.L. and Varins. P.C., J. Indian Chem. Soc., 54, 1129 **(1971)**.
3. Varma, R.P., Bhatnagar, B.B. and Singll, A., Revue-Roumaine De Chimic, 33, 3, 305-311 **(1980)**.
4. Kysilka, J.O. and Dahl, R.L., Eur. Pat. Appl. EP 116, 749, 29 Aug. (1984), U.S. Appl. 467, 943, 18 Feb. **(1983)**.
5. Bose, A.N. and Dixit, V.K., Kolloid-Z, 162,116 **(1959)**.

6. Root, W.C., J. Amer. Chem. Soc., (USA), 55, 850 **(1933)**.
7. Kant, So and Kumar K. : J. Indian Chem. Soc. 85, 1098 **(2008)**.
8. Patil, K.C. and Manusmare, Priyanka, Journal of Applicable chemistry, Vol. 8(3), PP 1385-1393, **(2019)**.
9. Venkatalakshmi, V. Gowrisankar, M. Venkateswarlu, P. and Reddy, K.S., International Journal of Physics and Research, Vol. 3, PP 33-44, **(2013)**.
10. Yadav, Reena, Chaudhary, H.S., Singh, Rahul, Pandita, Prarina, Asian Journal of Chemistry, Vol. 23(5), PP 2137-2140, **(2011)**.

Table 1: Refractive indices of organo phosphorus pesticides in waterat 308K

Conc. (mol dm^{-3})	Methamidophos		Acephate		Omethoate		Dichlorvos	
	n	$[R]_2$	n	$[R]_2$	n	$[R]_2$	n	$[R]_2$
0.005	1.3334	126.2831	1.3340	193.5577	1.3344	247.9604	1.3348	292.1341
0.010	1.3340	137.4189	1.3346	160.0834	1.3352	202.4310	1.3357	236.1862
0.020	1.3351	115.3051	1.3358	126.6689	1.3366	164.4424	1.3374	186.5610
0.025	1.3357	113.2360	1.3363	122.2542	1.3374	158.6608	1.3384	176.6858
0.030	1.3362	108.1491	1.3370	119.5133	1.3382	151.3246	1.3392	170.2138
0.035	1.3369	107.6233	1.3375	117.4926	1.3390	146.0856	1.3400	165.5841
0.040	1.3374	104.5488	1.3382	116.1806	1.3398	147.6954	1.3408	162.2094
0.045	1.3380	104.4331	1.3386	112.3077	1.3404	144.0449	1.3416	159.5792
0.050	1.3386	102.7386	1.3392	111.6067	1.3412	143.3519	1.3425	150.9047

Table 2 : The values of *A*, *B*, ϕ°_{v} and S_v from density data of organo phosphorus pesticides in water at different temperature (308-323 K).

Temp (K)	A (Intercept)	–B (Slop)	ϕ^{0}_{v} (Intercept)	$+S_V$ (Slope)
METHAMIDOPHOS				
308	0.0302	0.0240	111.72	21.96
313	0.0274	0.0203	114.52	20.72
318	0.0246	0.0173	116.82	19.89
323	0.0228	0.0153	119.76	17.82
ACEPHATE				
308	0.0392	0.0312	145.02	28.51
313	0.0356	0.0263	148.66	26.89
318	0.0319	0.0225	151.65	25.82
323	0.0296	0.0198	155.46	23.13
OMETHOATE				
308	0.0431	0.0341	159.16	31.29
313	0.0391	0.0289	163.16	29.52
318	0.0351	0.0247	166.43	28.34
323	0.0325	0.0218	170.62	25.39
DICHLORVOS				
308	0.0474	0.0376	175.00	34.41
313	0.0430	0.0318	179.40	32.46
318	0.0386	0.0272	183.00	31.16
323	0.0358	0.0240	187.60	27.92

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
October to December 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVI

Antimicrobial-Antifungal Activity & Phytoconstituents of Maidenhair Fern - A Review

Sabahat Anjum Qureshi *

* **Department of Chemistry, Government College, Chourai, Chhindwara (M.P.) INDIA**

Abstract - Maidenhair fern is an important endangered species which belongs to pteridaceae family. Due to presence of a lot of secondary metabolites it exerts medicinal properties such as Antidiabetic, Antipyreic, Analgesic, Hypoglycemic, Antimicrobial, Antifungal, Anti-inflammatory, Antioxidant, Antilithiastic, Neuro-pharmacological activity, Hypocholesterolemic, Anti obesity, Anti thyroidal, Antispasmodic, Antiasthmatic ,Anti-nociceptive , Antiproliferative and many other effects. The present review will highlight the antimicrobial properties and antimicrobial chemical constituents of Maidenhair fern.
Keywords- Adiantum capillus veneris., Antimicrobial and antifungal phytoconstituents,Chemical coctituents.

Introduction - Plants have been used since ancient times for the treatment of common and serious diseases[1,2]. Different parts of different plants have different medicinal properties such as antifungal ,antibacterial, antiviral ,antitumor, anticarcinogenic, antidepression, antioxidant and anti- inflammatory [1,3-8]. There are many plants whose medicinal properties have been studied extensively while various plants whose medicinal properties have not been studied much and studies are going on even today[1].

Maidenhair fern is the member of pteridaceae family[9]. It has long history of medicinal use . It is widely distributed plant all over the world[10] . It has been used as traditional medicine for treatment of various diseases in Iran[8]. It is also used as source of food materials. It's scientific name is *Adiantum capillus veneris*[10].

Common Names - It is commonly known as Hansraj, Pursha (Hindi), Hansaaraja (Ayurvedic), Maidenhair fern, Maria's fern, Our lady's hair(English), Frauenhaar (German), Adiant(Russian), Baldi rikara(Turkish), Shaar-ul-jin, Kuzburat-el bir (Arabic), Dumtuli (Kashmiri) ,Hanspadi (Gujrati) and Barsioshan, Kazbaratul ber (Unani) ,and Avenca (Portugese)[11-14].

Scientific classification - Kingdom: Plantae,Clade: Tracheophytes, Division: Pteridophyta ,Class: Pteridopsida Order:Pteridales , Family: Pteridaceae, Genus: *Adientum* , Species: *Adientum capillus veneris.*[11,13,15]

Climatic Conditions - The herb is commonly grown in warm tropical climates with high moisture content. It grows in shady and damp places. It is wooden herb blackish brown in colour .The plant has an aromatic fragrance. It has creeping rhizomes and double rowed, tender and glabrous fronds which can grow up to 50cm long[1,16].

Geographical Distribution - The native place of fern is America but the plant is geographically distributed in various regions such as Asia (India, China ,Iran, Japn, Malasia , Afghanistan, Myanmar, Nepal and Srilanka) Southern Europe ,Central to South America, Australia and Africa. In India fern is distributed in Western Ghats of Himalaya , Kashmir, Mussorie, Punjab, Bihar, South India, Maharashtra and Manipur[16].

Traditional Uses - The plant was one of the most common species for medicinal use as well as for nutritive purpous. It can be used as single medicine individually or in multi herbal formulations for the treatment of various diseases[9-11].

Adiantum species has been used in treatment of cough, cold (as expectorant) , hepatitis, cold fever, coryza, chest pain, piles, wounds, hydrophobia, headache, kidney disfunction ,antipyretic for children, pyrexia, liver and spleen tumers, cutaneous diseases, bronchial diseases and as purgative ,stimulant ,emollient, demulcent and as hair tonic, gastrointestinal disorders such as diarrhea, jaundice and abdominal cramps . It has been also used in removal of kidney stone and renal stone due to it's diuretic nature. The fern is also beneficial in treatment of alcohol toxicity and in treatment of diabetes mellitus. It has been also used to regulate menstruation cycle and dysmenorrheal and as cardio tonic and cardiac stimulant. In addition to this the dried fronds were used to make tea and to garnish sweet dishes[9-11].

Medicinal Parts - The medicinal parts of plant are dried fronds, dried herbs with rhizomes and roots[11,17].

Biologically Active Compounds - *Adiantum capillus veneris* contains a lot of alkaloids and biologically active compounds such as flavonoids, triterpenes, aoleananes, phenyl propanoids carbohydrates, carotenoids, and many

other chemicals of significant therapeutic properties[9,11]. Many terpenoids 21-hydroxy adiantone triterpenoid epoxide,Fern-9(11)-en-12-one, isoadiantone, isoglaucanone, hdoxyhopane, isoadiantol, hydroxyadiantone, olean-12-en-3-one, olean-18-en-3-one, fern-9(11)-ene, fern-9(11)-en-28-o, pteron-14-en-7a-ol,7-fernene were isolated from herb.

Four sulphate esters of hydroxycinnamic acid sugar derivatives were isolated from herb.

The leaves of herb was reported to contain flavonoids like rutin,quecetin, isoquercitrin, naringin, astragalin, populnin, kaempferol-3-sulphate[11].

Antimicrobial and Antifungal Phytoconstituents - Previous studies have reported that methanolic extract of plant was allowed to analyse via Gas chromatograpgy and Mass spectroscopy consequently different parts of *Adiantum capillus veneris* were reported to contain different antimicrobial compounds as 3,7,11,15-Tetramethyl-2-hexadecen-1-ol (Antibecterial), Acetic acid, 3,7,11,15-tetramethyl-hexadecyl ester (Antibecterial), Tetracontane (Antiviral (HIV), Antibecterial), Di-n-octyl phthalate (Antibecterial) , Docosane (Antimicrobial, Antibacterial), 1,2-Benzene dicarboxylic acid, butyloctyl ester, pthalic acid, butyloctyl ester (Antimicrobial, Antifungal) , Hexadecanoic acid, ethyl ester (Antibecterial, Antifungal) and 9-Octadecenoic acid (Antibecterial) [9].

Antimicrobial And Antifungal Activity - In vitro assessment of methanolic extract of plant by Hussein et al describes presence of antifungal phytoconstituents in maidenhair fern. Phytoconstituents present in methanolic extract were responsible for antifungal activity *against fungi such as Aspergillus niger, Aspergillus terreus, Aspergillus flavus* and many other[18].

In a research phenolic extract of plant gametphyte and sporophyte was assessed for antibacterial activity. The research describes more susceptible nature of Gram positive bacterial species such as *bacillus subtilis* towards phenolic extract of plant [16,19].

In other research antibacterial activity of methanolic extract of maidenhair fern was evaluated by disc diffusion method. Methanolic extract of plant displayed antibacterial activity against *Vibrio cholerae, Staphylococcus aureus, Proteus vulgaris, Escherichia coli, Salmonella* typhi and other multidrug resistant bacterial strains.[16,20].

In other research methanolic extract of leaves, stems and roots of different Adiantum species displayed potent antibacterial as well as antifungal properties[20].

In a research antibacterial activity of methanolic extract of aerial part of *Adiantum capillus veneris* has been proven against Bacillus, Eschirichia coli, staphylococcus, proteus, candida and Pseudomonas[11,21].

Previous studies has proven antiviral activity of ethanolic extract of maidenhair fern rhizome against Vesicular stomatitis[11,22].

In other research broad antibacterial activity of methanolic extract of *Adiantum capillus veneris* also proven against some strains of Gram positive bacteria such as staphylococcus aureus ,some Gram negative bacterial strains and against some fungal strains[11,23].

In a research antibacterial activity of aquous and alcoholic extracts of leaves of *Adiantum capillus veneris* has been proven against bacterial strains such as *Agrobacterium tumefaciens, Eschchirichia coli*, *Salmonella arizonae, Staphylococcus aureous* etc[11,24].

Contradictions - No side effects of herb are known with designated dose. But some studies show that it can lowered blood sugar level therefore people with diabetes mellitus should avoid intake of herb.The intake of maidenhair fern is also not suggested during pregnancy due to it's anti-implantation nature[11].

Conclusion - *Adiantum capillus veneris* is widely distributed herb with various bio active chemical constituents which are of therapeutic uses for a variety of diseases as well as for microbe infectious diseases. There is great scope for development of novel drugs from *Adiantum capillus veneris* for the treatment of human diseases due to it's effective nature.

References :-

1. Falah Saleh Mohammed, Mustafa Sevindic ,Celal Bal, Hasan Aakgul and zeliha Selamoglu (2019) Biological activities of *adiantum capillus-veneris* collected from duhok province (iraq) 28(2):128-142.
2. Devasagayam TPA,Tilak JC, Boloor KK, Sane KS, Ghaskadbi SS, Lele RD (2004). Review:Free radicals and antioxidants in human health. *Journal of the Association of Physicians of India* 52:794-804.
3. Talib W, Mahasneh A(2010). Antiproliferative activity of plant extracts used against cancer in traditional medicine. *Scientia Pharmaceutica* 78(1): 33-46.
4. Mostafa AA, Al-Askar AA, Almaary KS, Dawoud TM, Sholkamy EN, Bakri MM (2018).Antimicrobial activity of some plant extracts against bacterial strains causing food poisning disases*. Saudi Journal of Biological Sciences* 25(2): 361-36.
5. Tian Y, Puganen A, Alakomi HL, Uusituoa A, Saarela M, Yang B (2018). Antioxidative and antibacterial activitiesvof aqueous ethanol extracts of berries, leaves, and branches of berry plants. *Food Research International* 106: 291-303.
6. kiran K, Saleem F, Awan S, Ahmad S, Ahmad S, Malik A, Akhtar B, Raza M, Peerzada S, Sharif A (2018). Anti-inflammatory and Anticancer activity of Pteris certica whole plant extracts. Pakistan Veterinary Journal 38(3): 225-230.
7. Oliveira MSD, Gontijo SM, Teixeira KIR, Takahashi JA, Millan RDS, Segura MEC (2018). Chemical composition and antifungal and anticancer activities of extracts and essential oils of *Schinus terebinthifolius Raddi fruit. Revista Fitos*. Rio de janeiro 12(2): 135-146.

8. DehdalS, Hajimehdipoor H (2018). Medicinal properties of *Adiantum capillus veneris* Linn. In traditional medicine and modern phytotherapy: A review article. Iranian Journal of Public Health 47(2): 188.
9. Chhaya Singh, Neha Chauhan, Sushil KumarUpadhyay and Raj Singh (2020). Phytochemistry and Ethnopharmacological study of A*adiantum capillus-veneris* l. (maidenhair fern). Plant Archives 20(2): 3391-3398.
10. Saqlain Haider, Syed Nazreen, Mohammad Mahboob Alam, Amit Gupta, Hinna Hamid, Mohammad Sarwar Alam (2011). Anti-inflammatory and anti-nociceptive activities of ethanolic extract and its various fractions from *Adientum capillus veneris* Linn. Journal of Ethnopharmacology 138: 741-747.
11. Ali Esmail Al-Sanfi (2015). The chemical constituents and pharmacological effects of *Adiantum capillus-veneris*- a review. Asian Journal of Pharmaceutical Science & Technology 5:106-111.
12. Tropical plants database, Avenca, (*Adiantum capillus veneris*), http://www.rain-tree.com/avenca.htm#. U1Ea71WSzNM, 2013.
13. Ahmed A, Nasreen J, Abdul Wadud HI and Sayeda Hajra AB. Phytochemical and biological properties of *Adiantum capillus-veneris* Linn: An important drug of Unani system of medicine . ijcrr, 4(21), 2012,71-75.
14. Kirtikar KR and Basu BD. Indian medicinal plants with illustration. 2nd ed . Dehradun, International Book Distributors, 11,2003,3747-3749.
15. Natural resource conservation service, USA Dept. of Agriculture, www.usda.gov/java/namesearch, 2012.
16. Sahar Dehdari, Homa Hajimehdipoor (2018). Medicinal Properties of Adiantum capillus veneris Linn. In Traditional Medicine and Modern Phytotherapy:A Review Article. Iran J Public Health 47(2): 188-197.
17. Al-Snafi AE. Encyclopedia of the constituents and pharmacological effects of Iraqi medicinal plants. Thi qar University, 2013.
18. Md Nazim, Dr.Mohd Aslam, Shahid Shah Chaudhary 2018. Hansraj (*Adiantum capillus veneris*) : A Review. Journal of Drug Delivery and Therapeutics, 8(5-s):105-109.
19. Guha P, Mukhopadhyay R, Pal PK, Gupta K (2004). Antimicrobial activity of crude extracts and extracted phenols from gametophyte and sporophytic plant parts of *Adiantum capillus-veneris* L.Allelopath J, 1:57-66.
20. Medrar Hussain, Ahmad B, Rashid E et al (2004). In vitro antibacterial activity of methanol and water extracts of *Adiantum capillus-veneris* and tagetes patula against multidrug resistant bacterial strains. Pak J Bot, 46(1):363-68.
21. Mahmoud MJ Jawad AL, Hussain AM, Al-Omari M and Al-Naib A. In vitro antimicrobial activity of *Salsola rosmarinus* and *Adiantum capillus-veneris.* Int J of Crude Drug Research,27,1989,14-16.
22. Singh M, Singh N, Khare PB and Rawat AKS .Antimicrobial activity of some important adiantum species used traditionally in indigenous systems of medicine . J Ethnopharmacol ,115, 2008,327-329.
23. Husson GP, Vilagines R and Delaveau P. Research into the antiviral properties of some natural extracts. Ann Pharm Fr, 44, 1986, 41-48.
24. Pradeep P, Leena P and Bohra A. In vitro antibacterial activity of fronds (leaves) of some important pteridophytes. Journal of Microbiology and Antimicrobials, 2(2), 2010,19-22.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
October to December 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVI

Green Marketing: An Important Tool for Growth in Manufacturing Industries

Dr. Rupesh Pallav *

*Assistant Professor, Higher Education (M.P.) INDIA

Abstract - In the new era marketing, there are lots of innovations and advanced technology has been used. Few time ago no one even think to make healthy environment along with their business professions. But today's manufacturers owe the strength to demonstrate the green innovations for the sustainable development which allows them to adapt the green marketing in an environmentally responsible way. The present paper is an attempt to analyze the factors affecting the Green Marketing in the recent marketing trend. For this purpose, the research had conducted with the use of both primary and secondary database. In primary source the data was collected by the researcher own observation at different Manufacturing Industries. And the Secondary data was collected with the help of comprehensive literature available in the form of secondary data i.e. Magazines, Journals, e-journals, Websites, Books, and Newspapers etc. has been taken. After conducting a deep review of collected data, findings are presented to understand the importance of green marketing in recent marketing trend. A self-developed questionnaire is used as an instrument to collect the information and response. The study reveals certain important factors and innovations, which can be adapted by the manufacturers in their operations to turn themselves green.
Keywords- Green Marketing, Manufacturing Industries.

Introduction - As far as healthy environment is concern green marketing plays an important and vital role to make the environment green. This paper is exploratory research on Green Marketing for Manufacturing Industries. Many big industries during their manufacturing of product doesn't follow the appropriate way to manage their waste material and throw them in the open areas which heavily effects the environment. Reason being, that manufacturing industry is not only a large player in the Indian economy but also in the environmental crisis so it cannot afford to ignore this environmental crisis. The modern environmental movement successfully aware the peoples to realizing that our rivers, lakes, air and land are getting polluted. Everyone knows that natural resources are very important for our daily life. So, make them secure is our first priority and the manufacturer must follow the appropriate way to dissolve their waste material instead to throwing in rivers or open areas.

Evolution: Green marketing was coming into existence in the late 1980s and 1990s after the proceedings of the first workshop on Ecological marketing held in Austin, Texas (US), in 1975. According to **Peattie (2001)**, the evolution of green marketing has three phases:

First phase was termed as "Ecological" green marketing, which focuses on the environment problems and provide remedies for environmental problems.

Second phase was "Environmental" green marketing and the focus shifted on clean technology.

Third phase was "Sustainable" green marketing. It came into prominence in the late 1990s and early 2000.

Recent Scenario of Manufacturing Industries in India - The manufacturing industry of India is one of the largest sector in the Asia and if we talk about India itself it is the largest sector which contributes more for GDP and Indian Economy.

There are lots of manufacturing industries in India and their manufacturing of products creates lots of wastage. For which there should be proper channels to keep that wastage in such a way that can be reutilized in any of the work. Many manufacturing industries recycling their wastage due to which they never throw their wastage in the rivers and open areas. This is the best way to make the environment healthy. Now a days Government also ban the use of polyethene to promote the green marketing. Paper packs now use in large scale instead of polythene to maintain the green environment.

Research Objectives:

1. To analyse the importance of green marketing in manufacturing industries.
2. To identified the current scenario of manufacturing industries.

Review of Literature:

Dr. Shruti P Maheshwari (2014) examined in their study that the people are less aware about the global warming. Indian manufacturers have yet to find a market for green products. Consumers have low awareness because of the insufficient efforts made by the marketers. Overall, it is clear that the Indian market are responsible for the production of less environmental friendly products. This research founds that there is greater use of marketing brands to sell green products that are genuinely environmentally friendly.

Anirban Sarkar (2012) found in their study that manufacturers also have the responsibility to make their customers aware about the need and benefits of green environment. In green marketing, consumers are willing to pay more to maintain a cleaner and greener environment. Finally consumers and industrial marketer both have to maintain the greenery to make our country clean.

Jeevarathnam P. Govender et all (2016) described in their study that the respondents felt that green products were healthy and good for the environment. Global warming and pollution are some of the problems that have become an increasingly concerning issue internationally. Elements of the green marketing mix specifically green promotion, were found to raise awareness and encourage positive change in consumption behavior.

Ameet Sao (2014) examined that the global warming looming large, it is extremely important that green marketing becomes the norm rather than an exception. Recycling of paper, metals, plastics, etc. are very important to make our environmental safe. This should be done in a proper and systemized manner.

Dr. Rashad Yazdanifard (2014) found that green marketing and product development have been the best ways for making the environment healthy and clean. The industries believed that implementation of green marketing as a green supply chain, green packaging, green products design, and green promotion are beneficial to society and the environment. Go green is the best way to promote green marketing in the promotion.

Jain et al (2004) examined in their study that environmentalism has fast emerged as a worldwide phenomenon. Manufacturing firms too have risen to the occasion and have started responding to environmental challenges by practicing green marketing strategies. Green consumerism has played a catalytic role in ushering corporate environmentalism and making business firms green marketing oriented.

Roper (2001) indicated that all consumers believed that environmental protection and economic development can go hand in hand. But the actual behavior is crucial to market success and Consumer behavior toward green product purchasing has also been researched. This study has shown that approximately half of all US consumers select products based on some environmental criteria.

Research Methodology - Exploratory research has been conducted with the both primary and secondary database. For the primary source, data is collected by the researcher own observations by doing survey at different manufacturing industries. And the Secondary data is collected with the help of comprehensive literature available in the form of secondary data i.e., Magazines, Journals, e-journals, Websites, Books, and Newspapers etc. has been taken. The Opinion and views of the Marketers, Professionals, and experts on the subject were also obtained through personal interactions and telephonic interview.

Analyses and Findings - To find the current scenario of industries I visit some manufacturing industries to see the production system and maintenance of waste material. During survey, I supposed to know that how the manufacturing industries disposed their waste material. After done a successful survey I also found that how much green marketing is important for the growth of manufacturing industries.

Implications of study

Implications for Marketers: The study can be used by the marketers to create an image of eco friendly organization.

Implications for Managers: They can use the study for making policies and systems of industrial operations towards environment safety.

Implications for society: This study make realize the society for their social responsibility towards environment.

Implications for academicians: They can use it for further research.

Suggestions of the study:

1. Say no to plastic-based products.
2. Use of natural resources for packaging the products: Use of leaves instead of plastic pieces, jute and cloth bags instead of plastic carrying bags.
3. In Agricultural industries, use bio-fertilizers instead of chemical fertilizers and minimum use of pesticides.
4. Manufacturer should recycle wastes material of factory instead of throwing them in river or open areas.
5. Strict provisions to protect forests, protection of the rivers, lakes and seas from pollutions.
6. Global restrictions on production and use of harmful weapons, atomic tests, etc.

Conclusion: Environment safety is now becoming the matter of concern for every manufacturing industry. In manufacturing industry which manufactures the product, it becomes more important to turn them as green. Concept of green marketing concerns with protection of ecological environment. Modern manufacturing industries has created a lot of problems. Growth in marketing activities resulted into rapid economic growth, mass production with the use of advanced technology, use of unhealthy means of production create many problems. Many manufacturing industries are flooded with useful as well as useless products. These all factors have threatened welfare of people and ecological balance as well. As far as giant

factories are concern, they have become the main source of different pollutions. Production, consumption and disposal of many products affect environment adversely. So it is very necessary to maintain the way of production and their wastage.

References:-

1. Dr. Maheshwari Shruti P. (2014) "Awareness of Green Marketing and Its Influence on Buying Behavior of Consumers: Special Reference to Madhya Pradesh, India" : AIMA Journal of Management & Research, February 2014, Volume 8 Issue 1/4, ISSN 0974 – 497 Copy right© 2014 AJMR-AIMA
2. Sarkar Anirban (2012) "Green Marketing and Sustainable Development Challenges and Opportunities" : International Journal of Marketing, Financial Services & Management Research, Vol.1 Issue 9, September 2012, ISSN 2277 3622
3. Jeevarathnam P. Govender and Tushya L. Govender (2016) "The influence of green marketing on consumer purchase behavior"JOURNAL "Environmental Economics (open-access)
4. Sao Ameet (2014) "Research Paper on Green Marketing" IOSR Journal of Business and Management (IOSR-JBM) Volume 16, Issue 5. Ver. I (May. 2014), PP 52-57 www.iosrjournals.orgs and Management (IOSR-JBM)
5. Dr. Yazdanifard Rashad (2014) "The Concept of Green Marketing and Green Product Development on Consumer Buying Approach" Global Journal of Commerce and Management Perspective G.J.C.M.P., Vol.3(2):33-38, ISSN: 2319 – 7285
6. Jain, Sanjay K (2004) "Green Marketing: An Attitudinal and Behavioral Analysis of Indian Consumers" Global Business Review, Vol. 5, No. 2, 187-205 (2004)
7. Roper (2001) "Green Gauge Report"
8. https://www.thebalance.com/green-marketing-2948347
9. https://en.wikipedia.org/wiki/Green_marketing
10. http://www.marketing-schools.org/types-of-marketing/green-marketing.html

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
October to December 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVI

Covid-19: Employment Crisis

Dr. Praveen Ojha *

*Professor & Head (Commerce) B.L.P. Govt P.G. College, Mhow (M.P.) INDIA

Introduction - The Covid-19 epidemic in India and the latercountrywide lockdown from March 25 distorted the backdrop of the country's employment segment. Around 10.9 million jobs were lost in different sectors, 2020 was named the most awful-ever year for the job market in India. The pandemic in India has negatively impacted the employment statistics of India since early 2020. The first wave and its accompanyingrestraintprocedurestriggered large-scale job shortfalls, a suddenincrease in inequality and poverty, and arise in imbalance and starvation. Especiallysusceptible groups were short of a humanitarian disaster. Due to the lockdownonline grocery shopping and e-learning were rising but offline marketingwas as malls were closed. This resulted in job loss of about 200,000 retail workersaround departmental stores and fashionproducts between March and June 2020. The unemployment rate is 12.4%, urban 15.1% and rural 11.2% on 3rd June 2021.

What happened last year?

1. The harshcountrywide lockdown to control the infection had led to extensive devastation in 2020. The unemployment rate is growing up rapidly as many gig workers were declaredunemployed due to the lockdown.
2. This had affected gig workers as well as white-collar businesses, particularly in sectors like aviation, travel, tourism, and hospitality. Thoughseveralfirms had cut jobs, others decided to cut salary.
3. Household earningsdroppedsteeplybecause of jobs shortfalls thisresulted inserious demand crisis. Even asvarious jobs have been rebuilt even than India's employment level is high.
4. If the recovery of loss of jobs is not taken care than loss to the recovering economy could be salvaging, as many companyholdersare following strict Covid-19 protocols instead of complete lockdowns.

How the pandemic has affected the employment crises in India - Various state governments have been obliged to hold lockdown around April this year in variousways and programs to deal with the oncoming pandemic. Nearlyevery commercialbusiness, industrial groups, transport organizations, school colleges even government agenciesapart from emergency services were shut down. Mahesh Vyas, CEO of Centre for Monitoring Indian Economy (CMIE) said that income of 97% households have droppedasof the pandemic. The unemployment rate remains at 12.4%, urban 15.1% and rural 11.2% on 3rd June 2021. We stated that small cities and rural districts were not disturbed by pandemic. But through the 2nd wave, it has started affecting these areas resulting in unemployment situation. The manufacturing and engineering sectors areseverely affectedthrough the 2nd wave. The indicator of hiring has gone down from 132 to 60 in January-March 2021. While the automotive and FMCG segments in tier-2 cities have workedbadly, the employmentposition in IT, Outsource, E-commerce, Pharma and Health Care areas in metro and tier-1 cities have begunpresentingseveraldevelopments. According to Sri Aditya Mishra, CEO, CIEL,companies have the intention to employ in tier 2-3 cities, but they are not capableof hiring due to lockdown. The difference between the purpose of hiring and the factual hiring in these sectors is 50%."The CMIE filesrevealssignificantfalls in the LFPRs and employment levelsthatled to gender bias, particularly in the unorganizedareas. The reducedsource of employment, males are more prone to take the openings in the labormarketplace,"

The Covid hadexcessivelyaffected women and young workers. 47% ofladies have lost their jobs through the lockdown. Comparison to men, only 7% lost their jobs. Even thoughafter the lockdown, women's workforce participation rate (WPR) was virtuallyreestablished because the migration of women was opposed previously into employment.Yet, women's access into the marketthroughout these times has been described by lessincomesas of men. Many women enrolled as casual wage workers (43%) although men enrolled into self-employment (54%). Because of the self-employment mengot salaryalmost double of women, this implies an addedunequaleffect on women vis-a-vis men.

ILO's Policy Framework - In June 2019, the International Labor Organization (ILO) accepted the Centenary Declaration for the Future of Work with assistance from its

187 member Territories. The statementelements to follow relentlessvigor its ILO legal mandate for social justice by moreimproving its human centeredattitude to the work future. It termedasplacing workers' rights and wants, ambitions and rights of all citizens at the heart of economic, social, and environmental guidelines.

ILO's equitable response focus on four main areas:

1. Safeguardingemployees in the workplace
2. Encouraging economic and laborchallenge
3. Strengthening employment and wages
4. Using social conversation between government, workers, and employers to find results.

Affiliated to this policy strategy, ILO's India Country office expands its knowledge and assistance to constituents and associatesregardless of the lockdown.

1. Start and Improve Your Business (SIYB) program of the ILO is directing the livelihood business of the states such as Kerala. Youth and women, mainly in rural regions, are giventraining to begin business using the tools.
2. Business Continuity Planning (BCP) help to lessen the threat of market interruptionsand offered more than 30 MSMEs employed in the supply chain of e-retailers and corporate houses.
3. The ILO preparedAssistance to National Commission for Women (NCW) in the method of conscripting and announcing guidelines in respond to the crisis in a gender inequality. The guidelines have been combined with ministries and state governments for execution.
4. Ministry of Statistics and Program Implementation (MoSPI) has commenced a method of reforming the statistical methodinvolving transitioning data collection to a Computer-Assisted Telephonic Interview (CATI). World Bank and ILO are offering technical assistance to MoSPI.

Atmanirbhar Bharat Rozgar Yojana (ABRY) - Under the ABRY, around 16.5 lakhs receiverslisted themselves with the Scheme from October 1, 2020, and in thisaround 13.64 lakhs are new joiners with UAN (universal account number) produced on or after October 1, 2020, and around 2.86 lakhs are re-joiners who were condensed unemployed during this pandemic from March 1, 2020, to September 30, 2020, and rejoined from October 1, 2020, onwards.The specialistsstated that the government aims to build 50 lakhs to 60 lakh jobs out of the ABRY in two years, but it needed close observing and well-planned execution to accomplish the requiredaim.

Covid-relief policy - Covid-relief policy wants to accelerate women's return into work on an urgent basis. It is not unfair to speculate that variants of lockdowns and mobility movement restriction are going to be part of the routine life. Women are severely restricted by the limited transportation options. Where companies are opening and work is restarting, there must be a collaborative attempt in harmonization with public agencies and organizations to improve transport possibilities specifically for women. Apart from this it is important to focus on the gendered access to vaccinations that we are noticing from June 25,every 1,000 vaccinated men and only 856 vaccinated women.

Under Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana (PMGKY) - Under Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana (PMGKY), Government of India has donated both 12 % of employer's share and 12 % employee's share underneath Employees Provident Fund (EPF), total of 24% of the wage from March to August 2020, for the formations having up to 100 employees with 90 % of such workersreceiving less than Rs 15,000.Under this scheme, Rs 2,567.66 crore was credited in EPF accounts of 38.82 lakhs eligible workers.

Employee State Insurance Corporation (ESIC) - If amember of stafffalls under the Employees State Insurance Corporation, he/she can gain unemployment allowances under the Rajiv Gandhi Shramik Kalyan Yojana for 2 years even if the firmcloses down. The Employees State Insurance Corporation stated that if an employee dies to Covid-19 then the company will offer Rs 15,000 to their family members. If the worker is not capable to work due to infection, then ESIC will continue giving salary. It is also recommending other servicesinvolving free healthcare services to the workers and their family and partial salary. The state-run association said that workers or their families who are infected with the virus will be provided free medication in hospitals. "If the employee is treated in a private hospital, the entire sum of expenses will be refunded," ESIC assured. ESIC has 21 hospitals running in the country. In which 3,686 beds for covid patients are currently available. They have 229 ICU beds and 163 ventilators.

Is there recovery taking place? - Hiring has increased and appearsfavorable in the coming financial year. Small working has gotten mainstream recognition and severalbusinesses will now be making a hybrid model to balance working from home and office. There is a rise in the gig economy across all segments. In 2021, EdTech startups, e-commerce programs, electric flexibility and healthcare companies are said to be leading the hiring list.A survey by ManpowerGroup stated that almost 65 % of managersinformed that they will return to pre-Covid hiring levels within few months. The segmentsanticipated to operate the job market in the first quarter of 2021 include finance, insurance and real estate and the mining & construction sector. The number of job applicants even for segments that were most hit like retail, hospitality and travel has come along around 40%. The epidemicthen again demonstrated the gender inequality crisis with more women losing careers as compared to men. Additionally, women were gentler to return to jobs, and this has headed to increase the gender inequality. A huge part of India's labor forcegoes to informal regions which was touched in terms of job losses. Companies such as Ola, Uber, Swiggy, Zomato, Flipkart and Amazon are amongst the

bigperformers offering gig positions. Great Learning Co-Founder Hari Krishnan Nair stated, "Even though the preliminarydecline in the job market, there has been a massiveleap in the country's hiring styles in the past. The pandemicdigital shift generatedaenormousrequirement for skilled specialists in fields like Business Analytics, Data Science, Machine Learning, Artificial Intelligence, Cybersecurity, Digital Marketing, & Design Thinking. Segments like technology, BFSI, e-commerce, ed-tech, and logistics are employing fresh and top-rated tech genius for positions in developing technologies.

Conclusion - In summary, a thorough COVID-19 relief and recovery plan needs to be established that should consist of food and cash relief as well as workfare (such as employment guarantee) in addition to wage subsidies (women workers), special training plans and subsidizedtraineeships for freshers, and big investments in local infrastructure which enable women employees to enter the labor market.This will allow the Indian market to regainrapidly and effectively from this crisis.Nevertheless, measuresshould be carried to improveefficiency andproductivity living requirements for sustainable economic development by government and individuals.

References:-

1. Covid-19, Homeworking and the Law - The Essential Guide to Employment and GDPR- Forbes Solicitors
2. Dossier: Faces of the Pandemic : The Covid-19 Crisis in India- Marine Al Dahdah & Mathieu Ferry & Isabelle Guérin & Govindan Venkatasubramanian
3. Impact of covid-19, reforms, poor governance on labour rights in india' - Dr. k.r. shyamsundar
4. Impact of Covid-19 on Indian Economy: Compiled and edited book Paperback – 12 May 2021- Dr Rekha Jagannath Editor
5. Hindustan Times AUG 18, 2021
6. India today 12-Apr-2021
7. The times of India 09-Jun-2021
8. https://www.statista.com/statistics/1111487/corona virus-impact-on-unemployment-rate
9. http://smspup.ac.in
10. https://www.thehindubusinessline.com › article34628576
11. https://thewire.in › covid-19-india-impact-workers
12. https://www.oecd.org › employment › covid-19

HIRING INDEX ACROSS SECTORS IN INDIA

Industry*	Dec-19	Jan-20	Feb-20	Mar-20	Apr-20	May-20	Jun-20	Jul-20	Aug-20	Sep-20	Oct-20	Nov-20	Dec-20
IT-Software/Software Services	3,133	3,353	3,525	3089	1803	1472	1755	1749	1986	2375	2533	2779	3081
BPO/ITES/CRM/Transcription	2,120	2,279	2,259	2140	929	839	1244	1315	1527	1971	1878	1791	1819
Construction/Engineering/Cement	862	952	906	633	216	282	374	475	490	583	583	555	663
Auto/Auto Ancillary	1,151	1,276	1,330	915	265	327	580	661	771	994	985	820	1088
Banking/Financial Services/Broking	2,701	3,062	2,946	2465	993	858	1192	1378	1437	1910	1832	1772	2088
Oil and Gas/Power/Infrastructure/	712	820	830	543	334	249	300	347	313	408	386	332	431
Telcom/ISP	586	611	558	451	277	300	285	322	507	470	349	350	439
Insurance	1,147	1,552	1,306	936	633	476	637	659	795	1017	910	759	1100
Industrial Products/Heavy Machinery	1,127	1,133	1,099	772	272	351	546	695	773	1041	967	835	1036
Pharma/Biotech/Clinical Research	1,905	1,845	1,875	1448	1026	1125	1426	1316	1243	1794	1494	1477	1885
Hotels/Restaurants/Airlines/Travel	2,060	2,185	2,087	1047	221	207	430	407	417	616	818	738	826
FMCG/Foods/Beverage	1,832	2,001	2,118	1446	654	700	1103	1209	1227	1754	1591	1404	1701
Chemicals/PetroChemical/Plastic/	1,116	1,252	1,366	964	574	487	815	939	937	1439	1246	1018	1356
Education/Teaching/Training	3,945	4,630	4,608	3797	1785	1582	2711	2118	2312	3258	3234	2697	3279
IT-Hardware & Networking	1,125	1,179	1,231	1052	557	558	764	835	829	1354	1055	949	1050
Retailing	1,556	1,643	1,797	1135	399	308	545	532	813	935	1051	981	1084
Media/Dotcom/Entertainment	1,027	1,109	1,050	698	299	438	420	572	589	816	758	637	596
Medical/Healthcare/Hospital	5,186	5,448	5,938	4706	2133	4060	4499	4612	5279	5091	4866	5044	5736
Real Estate/Property	2,194	2,452	2,501	1640	420	594	947	1021	1364	1963	1983	1939	2068

Source: Naukri JobSpeak Index, December 2020.

Note: The Naukri JobSpeak is a monthly Index that calculates and records hiring activity based on the job listings on the Naukri website month on month. The job speak index includes jobs that might be for replacement hiring. July 2008 is taken to be the base with an index value of 1,000 and the subsequent monthly index is compared with the data for July 2008.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
October to December 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVI

Ultrasonic Velocity Measurements of Organo Phosphorus Pesticides in Water

Arvin Panwar* **Umendra Kumar**** **Manisha*****

*Department of Chemistry, S.D. (P.G.) College, Muzaffarnagar (U.P.) INDIA
** Department of Chemistry, Janta Vedic College, Baraut, Baghpat (U.P.) INDIA
*** Department of Chemistry, D.A.V. (P.G.) College, Muzaffarnagar (U.P.) INDIA

Abstract - Ultrasonic velocity of organo phosphorus pesticides in water has been measured at different temperature (308 - 323 K). Using these data adiabatic compressibility, apparent molar compressibility, molar sound velocity, molar soundcompressibility, specific acoustic impedance, relative association constant, salvation number and apparent molar volume have been evaluated. The effect of temperature on these parameters has also been studied. The sign and magnitude of these properties are evident for the nature of interactions between component molecules.

Introduction - Ultrasonic velocity measurement is a powerful tool to study the ion-solvent interaction [1-5]. Therefore, in the present investigation, the study of Ultrasonic velocity along with density of pesticide solution at different temperature (308-323K) has been undertaken. Adiabatic compressibility (β), apparent molar compressibility (ϕ_k), molar sound velocity (*R*), molar sound compressibility (*W*), specific acoustic impedance (*Z*), relative association constant (R_A), salvation number (*Sn*) and apparent molar volume (ϕ_v) will be calculated since they may give a clear insight in elucidating the pesticide-solvent interaction.

Experimental: The organophosphorus pesticides (Methamidophos, Acephate, Omethoate, Dichlorvos) were obtained from Hindustan Insecticides Limited Gurgaon (Haryana), India. Freshly prepared conductivity water was used.

The densities were measured by using dilatometer made of pyrex having a reservoir volume of 15 cm^3. The measuring section was constructed of precisely bored graduated capillary. The pyrex dilatometer was celebrated using conductivity water and the accuracy ± 0.0002 g cm^{-3} of measurements was checked by using test solution of known density.

The Ultrasonic velocity of pesticide solutions were measured using a single crystal ultrasonic interferometer (Model No. F-81, Mittal Enterprises, New Delhi, India) working at a fixed frequency of 2 MHz. Water from a thermostat maintained at the desired temperature and controlled up to ± 0.05°C was p assed through the jacket of the cell before the measurement was made.

The measured velocities have an uncertainly of ± 0.047% ms^{-1}.

Results And Discussion: Ultrasonic velocity, *u* (ms^{-1}) of organo phosphorus pesticides solution increase with increase in concentration and also increase with increase in temperature (fig-1). Plot of *u* vs. *C* are linear. The ultrasonic velocity also increases with increase in molecular weight of organo phosphorus pesticides.

The adiabatic compressibility, β, of solution is determined by using the relation :

$$\beta = \frac{1}{u^2 d} \qquad ...(1)$$

where *d* is the density of pesticides solution.

The adiabatic compressibility, β (Table 1) decrease with increase in concentration, and temperature indicating the decrease in ion-solvent interaction.

The ultrasonic velocity, *u* is related with pesticide concentration, '*C*' as :

$$u = u_0 + GC \qquad ...(2)$$

where μ_0 is the ultrasonic velocity, for zero pesticide concentration and '*G*' is Garnsey's constant [6]. The value of *G* are 3.08 × 10^2, 3.50 × 10^2, 3.77 × 10^2 and 4.00 × 10^2 respectively for methamidophos, acephate, omethoate, dichlorvos. There is no effect of temperature on the value of '*G*'. The value of u_0 (zero pesticide conc.) for methamidophos 1.524 ×10^3, 1.531 ×10^3, 1.538 ×10^3 and 1.545 ×10^3 at 308K, 313K, 318K and 323K respectively are in agreement with the experimental values of ultrasonic velocity in water. This shows that there is less ion-solvent interaction in low concentrations.

The molar sound velocity, *R* and molar sound compressibility, *W* have been calculated from:

$$R = \frac{M}{d} u^{1/3} \qquad ...(3)$$

$$W = \frac{M}{d}\beta^{-1/7} \quad ...(4)$$

where M is the average molecular weight of the solution calculated from the relation $M = X_1M_1 + X_2M_2$, where X_1 and X_2 are mole fractions of solute and solvent of molecular weights M_1 and M_2.

The value of R and W increase with increase in pesticide concentration and also increase with increase in temperature.

The intermolecular free length. L_f has been calculated by using the expression :

$$L_f = \sqrt{\frac{\beta}{k}} \quad ...(5)$$

where k is temperature dependent Jacobson constant [7]. L_f decrease with increase in concentration of pesticides and also with increase in temperature.

The relative association constant, R_A has been calculated from the relationship :

$$R_A = \frac{d}{d_0}\left(\frac{u_0}{u}\right)^{1/3} \quad ...(6)$$

The relative association constant is influenced by either breaking up of solvent molecules or by the solvation of ions on adding pesticide. R_A decrease with increase in concentration, molecular weight of pesticide and but is also unaffected with increase in temperature.

The specific acoustic impedance [8] Z, calculated as $Z = u.d$ increase with increase in pesticide concentration, temperature and molecular weight of pesticide. The increase in the value of Z with pesticide concentration can be explained on the basis of Lyophobic interaction between pesticide and solvent molecules which increase, the intermolecular distance leaving relatively wider gaps between molecules.

The solvation number [9], Sn has been calculated from the relationship :

$$Sn = \frac{n_1}{n_2}\left[1 - \frac{V\beta}{n_1V_1^0\beta^0}\right] \quad ...(7)$$

Table 1 & 2 (see in last page)

where n_1 and n_2 are the mole fraction of solvent and solute and V_1^0 is the molar volume of solvent respectively.

Sn (Table-1) decrease with increase in pesticide concentration and also with increase in temperature.

The apparent molar compressibility, ϕ_k has been calculated from the relationship

$$\phi_k = \frac{1000[\beta d_0 - \beta_0 d^0]}{dd^0} + \frac{\beta M}{d} \quad ...(8)$$

where M is the molecular weight of the pesticide.

The values of ϕ_k decrease with increase in pesticide concentration and temperature but increase with increase in molecular weight of pesticide.

The ϕ_k is related with concentration, C by the relationship :

$$\phi_k = \phi^\circ_k + S_kC^{1/2} \quad ...(9)$$

where ϕ°_k is the limiting apparent molar compressibility and S_k is experimental slope.

The plots of ϕ_k against $C^{1/2}$ (fig-2) are linear. The decrease with increase in temperature but increase with increase in molecular weight of pesticide. The values of S_k increase with increase in temperature and molecular weight of pesticide. (Table-2).

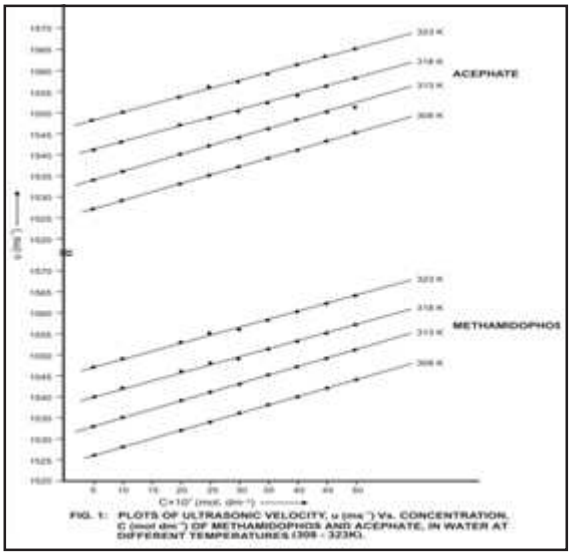

FIG. 1: PLOTS OF ULTRASONIC VELOCITY, u (ms⁻¹) Vs. CONCENTRATION, C (mol dm⁻³) OF METHAMIDOPHOS AND ACEPHATE, IN WATER AT DIFFERENT TEMPERATURES (308 - 323K).

The ultrasonic velocities and acoustic parameters of trifloxystrobin at various concentration in ethanol-water system have been also measured at 300K by using single crystal interferometer at a frequency of 3MHz [10]. By using velocity, density, viscosity and concentration data various acoustic parameters are calculated and the result are interpreted in terms of solvent-solute and solute-solute [10]. Measurement of ultrasonic velocity has been adequately employed in understanding the molecular interaction in pure binary liquid mixtures [11, 12, 13]. Ultrasonic velocity measurement data proves to be a very simple and convenient tool to determine various thermodynamic properties of pure liquid mixtures [14, 15]. Ultrasonic velocity is a unique tool for predicting and estimating various physico-chemical properties of pure liquid and pure binary liquid mixtures.

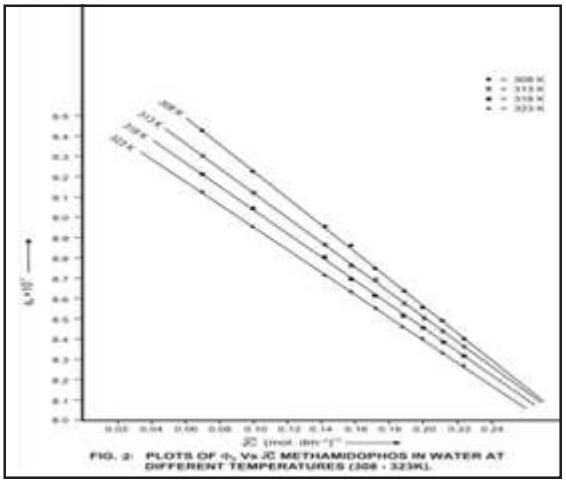

FIG. 2: PLOTS OF ϕ_v Vs $\sqrt{C}$ METHAMIDOPHOS IN WATER AT DIFFERENT TEMPERATURES (308 - 323K).

Acknowledgement : The authors would like to thank to Principal, D.A.V. (P.G.) College, Muzaffarnagar for his help and support and also to the college authorities for providing laboratory facilities.

References:-

1. Varma, R.P. and Kumar, S., Indian Journal of Pure and Applied Physics, Vol. 38, pp 96-100 **(2000)**.
2. Varma, R.P., Bhatnagar, B.B. and (Miss) Singh, A., J. Indian Chem. Soc., LXIV, pp. 603-605 **(1987)**.
3. Sharma, C., Gupta, S.P. and Pankaj, Acoustic lett., 10(A), **(1986)**.
4. Kumar, A., Colloids and Surfaces, 34, 38 **(1988-89)**.
5. Sams, P.J., Rassing, J.E. and Wyn, J.E., Chem BiolAppl. Relaxation Spect, 18, 163 **(1975)**.
6. Garnsey, R., Boe, R.J., Mohoney, R. and Litovitz, T.A., J. Chem. Phys., 50, 5222 **(1969)**.
7. Jacobson, B., Ada Chem. Scand, 6, 1485 **(1952)**.
8. Elpimer, L.E., Ultrasound Pysico-Chemical and Biological effects consultants Bureau **(1964)**.
9. Passynsky, A., Actaphysicochem (USSR) 8, 385(1938); J. Phys. Chem. (USSR) 11, 608 **(1938)**.
10. Yadav, S.N., Kanth, Bimal, Afsah, S.A., Journal of Applied Chemistry, Vol. 12, pp. 16-18 **(2019)**.
11. Ranjan, D., Harshavardhan, A., J. Energy chem. Eng, 1, p 2 **(2014)**.
12. Oswal, S.L., Panidiyan, V., Krishnakumar, B., Vasantharani, P., Thermochim Acta, 27, P 507 **(2010)**
13. Rao, Rama, G.V, Sarma, Viswantha, A., Krishna, Sivarama, J., Rambabu, C., Indian J. Pure Applied Physics, 43, P 345 **(2005)**.
14. Rahnam, M.V., Kavita, B.R., Reema, T. Sayed, Kumar, M.S.S., J. Mol. Liq 35, p-173 **(2012)**.
15. Sahin, M., E. Aryan ci, J. Chem., Thermodyn, 177, P-43 **(2011)**.

Table 2: Values of limiting compressibility (ϕ^o_k, m^2 mol^{-1}) an experimental slope, Sk for organo-phosphorus pesticides in water at different temperature (308-323K).

Temperature (K)	$\phi^o_k \times 10^{11}$	$-S_K \times 10^{11}$
METHAMIDOPHOS		
308	9.86	5.72
313	9.72	5.84
318	9.61	5.92
323	9.50	6.04
ACEPHATE		
308	9.88	6.12
313	9.70	6.38
318	9.62	6.49
323	9.51	6.78
OMETHOATE		
308	13.12	8.82
313	12.98	8.94
318	12.86	9.16
323	12.80	9.28
DICHLORVOS		
308	14.42	10.48
313	14.23	10.53
318	14.05	10.62
323	13.90	10.86

Table 1: Ultrasonic velocity and acoustic parameters of organo phosphorus pesticides in water at 308K.

Concentration (mol dm^{-3}) (C)	Ultrasonic velocity (u) (ms^{-1})	Adiabatic compressibility $\beta \times 10^{10}$ (m^2N^{-1})	Apparant molar compressibility $\phi_K \times 10^{11}$	Molar sound velocity ($R \times 10$) m^2/mol ($m/s)^{1/3}$	Molar sound compressibility ($W \times 10$) m^3/mol $(N/m^2)^{1/7}$	Associaltion constant R_A	Specific acoustic impedence $Z \times 10^{-6}$ (Kg m^{-2} s^{-2})	Solvation number (Sn)
METHAMIDOPHOS								
0.005	1526	4.286	9.423	2.088	3.948	9.9998	15.17	11085.55
0.010	1528	4.272	9.226	2.094	3.956	9.9973	15.20	5522.77
0.020	1532	4.264	8.952	2.096	3.963	9.9928	15.24	2761.38
0.025	1534	4.258	8.854	2.098	3.968	9.9897	15.26	2209.11
0.030	1536	4.245	8.742	2.105	3.972	9.9884	15.29	1838.34
0.035	1538	4.232	8.638	2.108	3.978	9.9865	15.31	1575.82
0.040	1540	4.224	8.552	2.111	3.982	9.9824	15.33	1380.66
0.045	1542	4.216	8.495	2.115	3.986	9.9812	15.36	1227.63
0.050	1544	4.205	8.403	2.118	3.992	9.9788	15.38	1104.51
ACEPHATE								
0.005	1527	4.283	9.475	2.086	3.946	9.9985	15.18	11085.21
0.010	1529	4.270	9.308	2.091	3.954	9.9971	15.21	5522.55
0.020	1533	4.262	9.056	2.093	3.961	9.9912	15.26	2761.28
0.025	1535	4.254	8.962	2.095	3.964	9.9888	15.28	2209.11
0.030	1537	4.241	8.876	2.102	3.970	9.9873	15.30	1840.85
0.035	1539	4.228	8.764	2.104	3.974	9.9856	15.33	1577.87
0.040	1541	4.221	8.702	2.109	3.978	9.9818	15.35	1380.63
0.045	1543	4.211	8.634	2.111	3.983	9.9809	15.37	1227.83
0.050	1545	4.198	8.568	2.115	3.989	9.9772	15.39	1104.51
OMETHOATE								
0.005	1528	4.278	12.724	2.082	3.944	9.9974	15.19	11085.18
0.010	1530	4.267	12.568	2.088	3.953	9.9968	15.22	5522.55
0.020	1534	4.259	12.367	2.091	3.959	9.9906	15.27	2761.29
0.025	1536	4.248	12.183	2.092	3.962	9.9879	15.30	2209.18
0.030	1538	4.239	11.924	2.099	3.968	9.9854	15.32	1840.85
0.035	1540	4.226	11.792	2.102	3.972	9.9842	15.35	1577.87
0.040	1542	4.214	11.628	2.104	3.976	9.9811	15.36	1380.63
0.045	1544	4.208	11.434	2.107	3.981	9.9802	15.39	1227.81
0.050	1546	4.189	11.376	2.112	3.984	9.9768	15.41	1104.51
DICHLORVOS								
0.005	1529	4.276	13.986	2.080	3.941	9.9968	15.20	11085.1
0.010	1531	4.262	13.769	2.084	3.947	9.9947	15.23	5522.55
0.020	1535	4.257	13.467	2.089	3.957	9.9892	15.28	2761.27
0.025	1537	4.243	13.362	2.090	3.960	9.9865	15.31	2209.12
0.030	1539	4.232	13.112	2.095	3.965	9.9843	15.33	1840.85
0.035	1541	4.220	12.864	2.099	3.970	9.9832	15.36	1577.87
0.040	1543	4.208	12.736	2.101	3.975	9.9806	15.39	1380.63
0.045	1545	4.194	12.523	2.103	3.979	9.9786	15.41	1227.83
0.050	1547	4.182	12.383	2.109	3.982	9.9734	15.44	1104.51

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
October to December 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVI

Correlative Analysis of Long Term Cosmic Ray Intensity Variation in Relation withVarious Geomagnetic Indices and Solar Parameters

Uma Pandey* **Mahendra Singh**** **Pankaj K. Shrivastava*****

*Department Of Physics, Govt. Colllege, Sanavad (M.P.) INDIA
** Department Of Physics, MVM, Bhopal (M.P.) INDIA
*** Department of Physics, Govt. Model Science College, Rewa (M.P.) INDIA

Abstract - In this paper we will study about the relation between Cosmic ray Intensity(CRI) variation withGeomagnetic Indices and Sunspot Number for solar cycle 22, 23 and 24.For this we have taken the data of cosmic ray intensity from various neutron Monitor stations Long-term cosmic rays modulation of different cut off rigidity stations (Moscow cut off rigidity 2.39 Gv, Kiel cut-off rigidity 2.36 Gv) have been associated with different solar parameters such as Sunspot numbers (Rz), Solar flux (>2800 MHz), Solar index ($A_{p)}$, Solar electro jet index (A_e), Interplanetary Magnetic field (B), Solar wind velocity (V) for the Solar cycles 22, 23& ascending phase of cycle 24 . A detail correlative study have been done by running cross correlation method. The cosmic ray intensity and geomagnetic parameters shows high and negative correlation among themselves.
Keywords- Cosmic –Rays; Solar Cycle; Solar activity, Sunspot number , Solar Wind velocity , Interplanetary Magnetic Field ,Solar Flux, Solar Index , Solar electro jet index.

Introduction - The modulation of cosmic ray intensity mostly depend upon the sun, which is source of major disturbances in the terrestrial upper atmosphere through its radioactive & corpuscular emissions. Cosmic ray intensity as observed on the earth surface, exhibit an approximate 11 year variation anti-correlated with solar activity (Webb et al 2003). The cosmic ray intensity monitored at neutron monitor energies is found varying with an eleven year cycle (Shrivastava, et al 1993; Singh et al. 1999; Shrivastava et al 2003) better representative of solar activity.

Akasofu et. al.(1985) Shrivastava (1998) and Shrivastava et. al.(2001) have made detailed studies of the correlated long term variation by considering a number of parameters representing the solar activity index. The long-term variations of galactic cosmic rays have been compared with the behaviour of different solar activity indices and heliospheric parameters several times(Belov et al. 2002 and references therein).The intensity of galactic cosmic rays varies inversely with sunspot numbers, having their maximum intensity at the minimum of the 11-year sunspot cycle (Forbush 1954, 1958). Galactic cosmic rays (GCR) in the energy range from several hundred Mev to tens of Gev are subject to heliospheric modulation which changes their intensity & spectrum during 11-year solar cycle. Since the drift modulation processes are charge/polarity dependent, the 22-year solar magnetic field cycle is visible in cosmic ray data, e.g. in the different shape of maxima of galactic cosmic ray intensity cycles. .In this paper we have made an attempt to derive the correlation between various solar indices and geomagnetic indices with Cosmic Ray Intensity for solar cycle22, 23 and 24.The solar cycle 22 have been started in the September 1986 and ended in the year 1996(May). The solar cycle 23 lasted in 12.6 years, beginning in May 1996 and ending in December 2008. The maximum smoothed sunspot number monthly number of sunspots averaged over a twelve-month period) observed during the solar cycle 23 was 120.8, and the minimum was 1.7. There were a total of 805 days with no sunspots during this cycle.

Method Of Analysis - In this paper we will find the correlation between Cosmic ray intensity and solar parameter sunspot number and various Geomagnetic indices for solar cycle22, 23 and 24(incomplete) .For this monthly mean values of sunspot number (Rz) are taken from the Solar Geophysical Data books. The pressure corrected monthly mean value of cosmic ray data of Kiel, (Cutoff Rigidity=2.36{GV) neutron monitor station have been taken for analysis.

Results And Discussion - Solar activity rises and falls with a period of about 11 years .The number of sunspots indicates the level of solar activity. The emissions of matter

and electromagnetic fields from the sun increases during high solar activity, making it harder for Galactic Cosmic Ray to reach the earth. Cosmic ray intensity is lower when solar activity is high and vice versa. The long term modulation of cosmic ray intensity has been studied by several scholars in relation with sunspot number, and a high negative correlation is found between them.

The correlation of cosmic ray intensity and different interplanetary & solar parameters are given in table :

Cosmic rays stations & interplanetary / solar parameters	Correlation (r)
Kiel / B	r = -0.79141
Kiel / Ap	r = -0.6595
Kiel / V	r = -0.39658
Kiel / Ae	r = -0.4884
Kiel / B.V	r = -0.77060
Kiel / Rz	r = -0.8693
Kiel / Solar flux	r = -0.8850

Finally, on the basis of our investigations, we have drawn a number of conclusions.

(I) Long-term profile of yearly sunspot number (Rz) with yearly cosmic ray intensity for the period 1986 to 2011 shows anti-correlation. Correlation coefficient correlation coefficient between CRI (Kiel) and Rz is r = -0.8693.Thus Rz and CRI is negatively correlated with each other.

(II) Long-term profile of cosmic ray intensity variation between geomagnetic indices Ap generally shows inverse correlation for the entire period of study (1986 to 2011).
Correlation coefficient between cosmic ray intensity(Kiel) with Ap is r = -0.6595.

(III) Long-term profile of cosmic ray intensity variation with solar wind velocity V(Km/sec) also shows inverse correlation for the entire period of study (1986 to 2011).
Correlation coefficient between cosmic ray intensity(Kiel) with V is r = -0.39658.

(IV) Long-term profile of cosmic ray intensity variation with solar electro-jet index (AE) also shows inverse correlation for the entire period of study (1986 to 2011).
Correlation coefficientbetween cosmic ray intensity(Kiel) with AE is r = -0.4884.

(V) Long-term profile of cosmic ray intensity variation with product of yearly solar wind velocity(V) and Interplanetary magnetic field (B) i.e. Geomagnetic electromagnetic (B*V) also shows inverse correlation for the entire period of study (1986 to 2011).
Correlation coefficient between cosmic ray intensity(Kiel) and B.V is r = -0.77060.

(VIII) Long-term profile of cosmic ray intensity variation with yearly Interplanetary magnetic field (B) also shows inverse correlation for the entire period of study (1986 to 2011).
Correlation coefficient between cosmic ray intensity(Kiel) and B is r = -0.79141.

(IX) Long-term profile of cosmic ray intensity variation with yearly Solar Flux also shows inverse correlation for the entire period of study (1986 to 2011).
Correlation coefficient between cosmic ray intensity(Kiel) and Solar Flux is r = -0.8850.

References:-

1. Lockwood,J.A.,1960,J Geophysics.Res, 65,19
2. Webber W.R. and Lockwood JA.,1988, Journal of Geophysical research,93 ,8735
3. Sharma,N.I.,29th International Cosmic ray Conference Pune ,2005,00, 101-104
4. Forbush, S.E. 1954, J. Geophys. Res.,59,525
5. Forbush,S.E. 1958, J. Geophys. Res.,63,651
6. Dorman I V & Dorman L I, 1967,JGeophys Res(USA), 72,1513
7. Jokipii,J.R.,Thomas, B.T. 1981,Astrophys.. J.,243,1115
8. Jokipii, J.R.,Levy, E.H.,Hubbard,W.B. 1977,Astrophys. J.,213,861
9. Nagashima K &MorishithaI,Proc of 16th ICRC, 1979,Tokyo,Japan,.3 ,325
10. Gupta Meera,Mishra,V.K.,Mishra A.P. June 2006,Indian Journal of Radio and space Physics, 35,167 [11] Solar Cycle 23 Wikipedia free encyclopedia

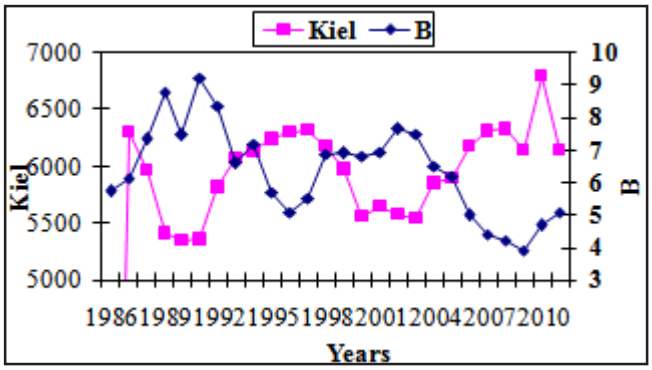

Fig 1.1:-Shows cross plot curve between yearly values of cosmic ray intensity (Kiel station) with interplanetary magnetic field B for the period 1986-2011.

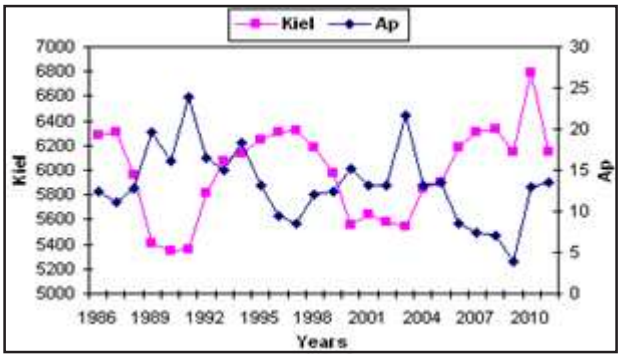

Fig 1.2 :- Shows cross plot curve between yearly values of cosmic ray intensity (Kiel station) with Ap for the period 1986-2011.

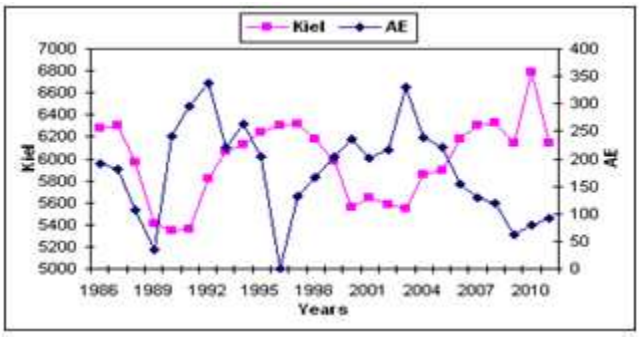

Fig 1.3:-Shows cross plot between yearly values of cosmic ray intensity (Kiel station) with solar electro-jet index (AE) for the period 1986-2011.

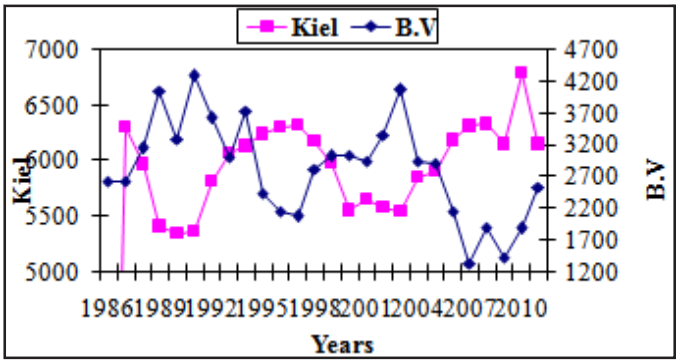

Fig 1.4:- Shows cross plot curve between yearly values of cosmic ray intensity (Kiel station) with B.V for the period 1986-2011.

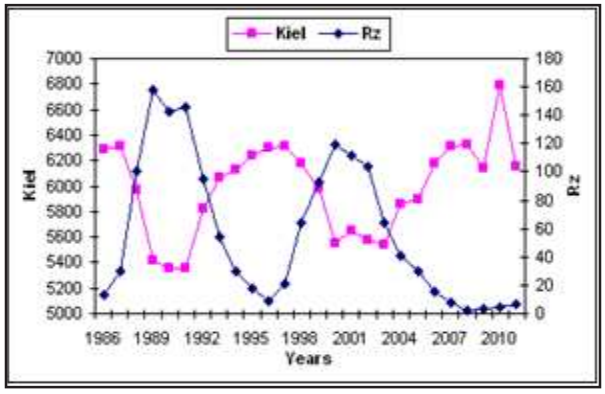

Fig 1.5:- Shows cross plot curve between yearly values of cosmic ray intensity (Kiel station) with Sunspot Number Rz for the period 1986-2011.

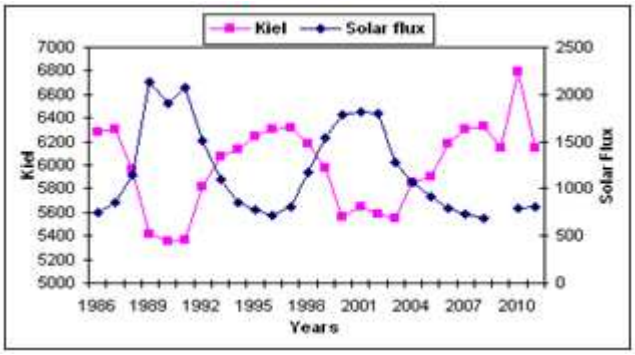

Fig 1.6:- Shows cross plot curve between yearly values of cosmic ray intensity (Kiel station) with Solar Flux for the period 1986-2011.

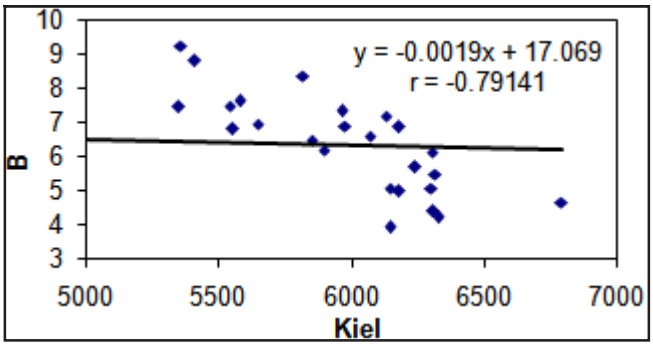

Fig:1.7:- Shows Correlation curve between yearly values of Inter planetary magnetic field(B) and Cosmic Ray Intensity(Kiel Neutron station) for the period 1986-2011.

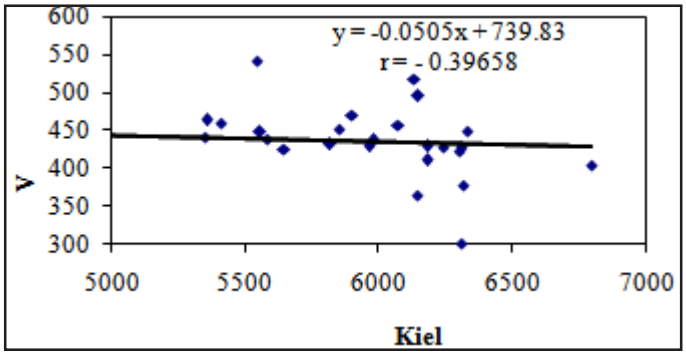

Fig:1.8 :-Shows Correlation curve between yearly values of Solar Wind Velocity(V) and Cosmic Ray Intensity(Kiel Neutron station) for the period 1986-2011.

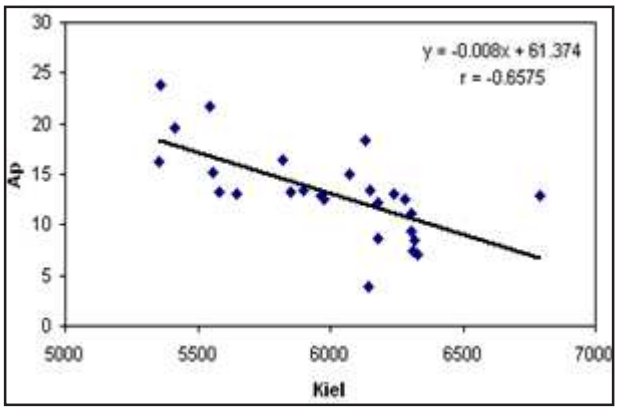

Fig:1.9 :- Shows Correlation curve between yearly values of Ap and Cosmic Ray Intensity(Kiel Neutron station) for the period 1986-2011.

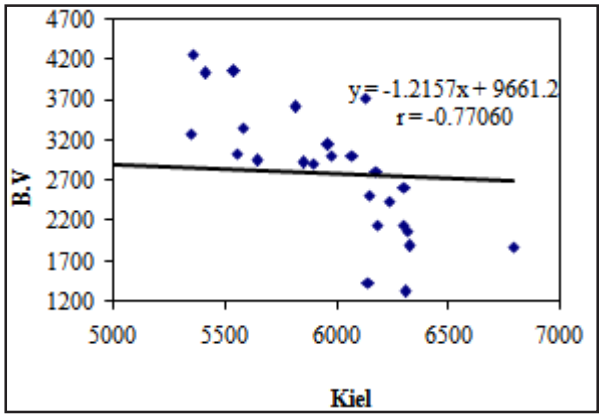

Fig:1.10 :- Shows Correlation curve between yearly values of B.V and Cosmic Ray Intensity(Kiel Neutron station) for the period 1986-2011.

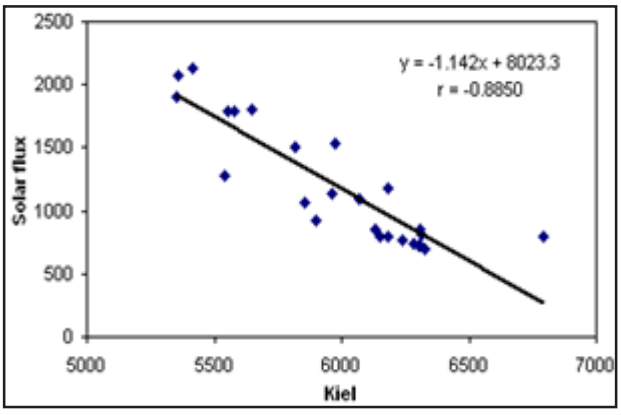

Fig:1.12:-Shows Correlation curve between yearly values of Solar Flux and Cosmic RayIntensity(Kiel Neutron station) for the period 1986-2011.

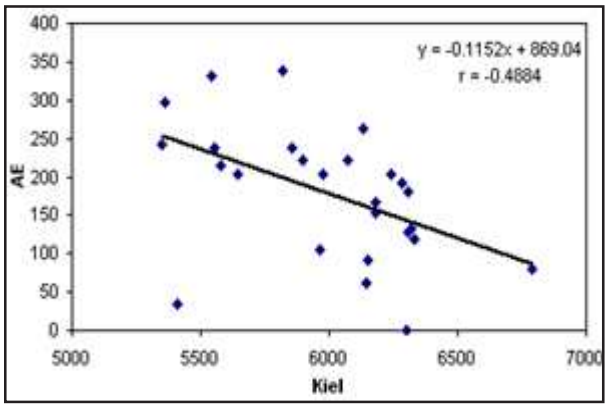

Fig:1.11:-Shows Correlation curve between yearly values of AE and Cosmic Ray Intensity(Kiel Neutron station) for the period 1986-2011.

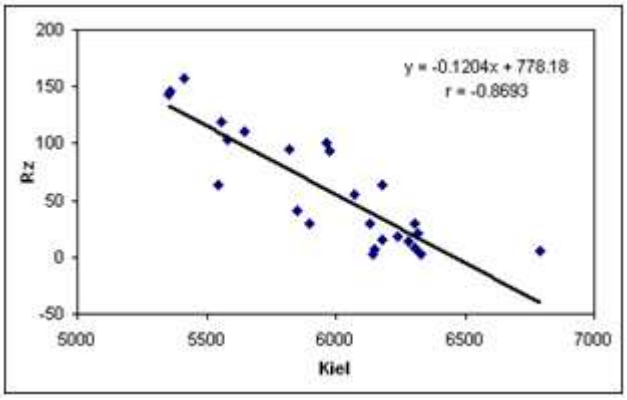

Fig:1.13:-Shows Correlation curve between yearly values of Sunspot number (Rz) and Cosmic Ray Intensity(Kiel Neutron station) for the period 1986-2011.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
October to December 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVI

Role of ICT in Indian Higher Education System: Challenges and Opportunities Ahead

Dr. Vibha Nigam*

***Professor (Economics) Mahakaushal Arts and Commerce Autonomous College, Jabalpur (M.P.) INDIA**

Abstract - This paper investigates the role of ICT in the higher education of India up until now and what scope it yields in the future. The scrutiny leads one to conclude that ICT has affected higher education and the related training in very diminutive ways till now. The event of COVID- 19 as a pandemic has now forced the government and education sector to focus on the underwhelming aspects of ICT. The major requirement is to focus on ICT as an engine of innovative developments rather than simply looking at its basic amenities. A nation like India whose potential is seen in its young population, education already faces several barriers in providing a substantial outlet. Thus, now more than ever ICT's exclusive aspects need to be discovered, adapted and implemented. The digital, economic and social divide in the economy prove to be holding this development back which demand critical revolutionary reforms rather than simple vague promises. With the world moving towards automation and becoming data based, ICT needs its growth if the higher education does not swear to be down the rumbles. A symbiotic relationship is in utter need between the ICT and higher education for the true potential to be unlocked.

Keywords- UGC, potential, education and development.

Introduction - Education is perceived as a tool for financial prosperity and advancement of humanity by creating attractive jobs and investment opportunities. Through the years, India has developed its educational sector through leaps and bounds at least in number. The need for higher education and ICT has been rising in a circumstance conscious world which demands adaptation of new skills and knowledge at a great pace. Indian society for a long time has viewed education as a means of social and economic mobility. This can be understood from the fact that there 76.75% students who pursued graduation in the year 2017- 18 (See figure 1). Through the years this number sure has only moved higher. With the government taking initiation in approaching ICT through University Grants Commission (UGC), All India Council of Technical Education (AICTE) and National Informatics Center (NIC). Even when the task of including ICT in higher education has been taken rigorously across the globe; its delivery remains a rather nightmare. While the quantitative revolution seems to have excel in numbers; the qualitative aspect is dawned upon.

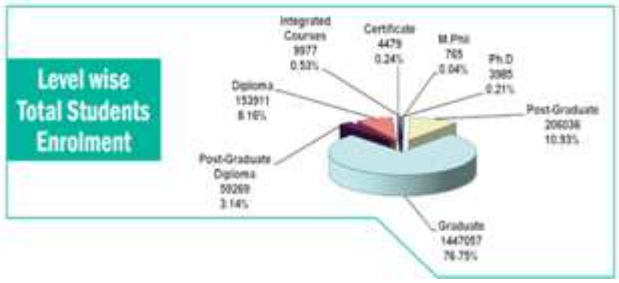

Figure 1 Source: UGC 2017-18

The contribution of ICT has occurred in India at a quick pace. It was elevated by the Eleventh Five Year Plan when the National Mission in Education was set up to use ICT for the training and education purposes better. The government of India now plans to use digitalization for making a low cost and low power consuming access device with sufficient bandwidth for educational purposes. While the success of ICT in higher education can be traced through the successful enrolment numbers of Indira Gandhi National Open University (IGNOU). The start of online certificate courses adds to the prowess od students who attempt at gaining different employable and marketing skills. An inter university facility has been set up by UGC in the form of Information and Library Network Center for sharing information among the educational and research-based institutions.

Development of ICT in the educational fields is multi-fold when one witnesses issues of equity, technology, effectiveness, teaching method, research and administration. A s a method to counter staff shortages that is seen in institutions; methods like EDUSAT are developed as knowledge repository of various disciplines. The replacement of manual record keeping by electronic means not only makes it less haphazard but duly finishes off the work efficiently and much faster. With the increase in number of research enrolment task becomes better by saving time, money and effort for research studies. It provides an incentive to the research students work for a

quality-based work which they might have sacrificed for looking up the resource portals.

The ever changing and demanding global scenario has made it a requirement for the higher education to make decisions at a much quicker pace while not compromising on the efficiency. The task at hand of the administration has been increased. The COIVD—19 compelled even the most traditional institutions to process, store and recover data electronically.

This process sure did not come with ultimate easement where the teachers previously accustomed to face-to-face interactions were now forced to move to online methos of teaching and evaluation. The issue did not only last on one end. If a stratum of society is left aloof we can find a substantial chunk suffering the cons of digital divide. Furthermore, even when certain teaching was imparted in these difficult times; the practice of online teaching and offline exam conduct is questionable and a matter of criticism. When education is seen as knowledge construction rather than knowledge acumination; ICT is then seen as a tool of knowledge construction over a mere transmission method.

The universities are now witnessed not only as institutions imparting education but also serving the goals of social development, economic growth and reducing the inter- state education disparity. While these goals are not looked at directly they do work indirectly for which higher education has and is playing critical role. The triplex model of government- colleges- industries try to address gender, class, income inequality and looks for the marginalised section for developmental purposes (See Figure 2). A better access to several education, job and investment opportunities in the form of ICT helps individuals to escape unemployment and poverty.

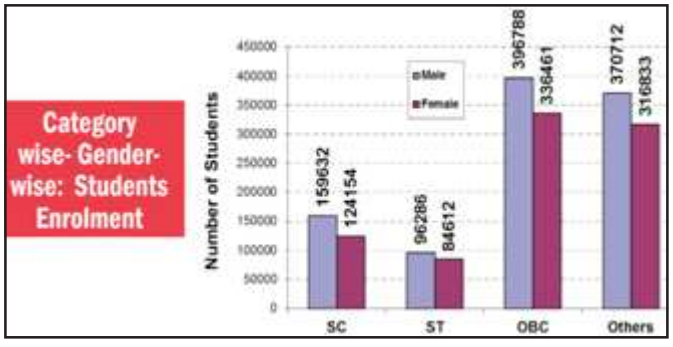

Figure 2 Source- UGC 2017-18

While the benefits of ICT when realised are immense; so are the challenges ahead. The presence of ICT in few of the top tier colleges cannot account for its lack in majority of institutions. Even when it is there in number the maintenance and updating of technology might be costly for various government run institution that presently lack even the basic amenities and sanitation. The ICT supported software, hardware, audio visuals and internet demand huge funds. Absence of these put the effectiveness and efficiency of technology to rumbles. The stake holders alone cannot provide for these funds. Even when ICT led technology is available; the guarantee of high-speed internet to run it is questionable.

Another issue visible while counting the barriers to ICT implementation is the lack of will of political leaders. The idea of allocating funds in this direction seems unattractive to the leaders who often make the gaudy promises while campaigning. Later on, they themselves serve a mockery to Indian educational system where unattainable targets are proposed with no concrete plan of action in hand. The shift in political paradigm and change of political faces lead to change in frequent policy measures and priorities which are proposed by different governments. If an integrated decision were to be made by the ruling and opposition parties while keeping the future of the country in mind; ICT would have bloomed in the earlier stages itself. While implementation and adoption of English seems a viable method for effective use of ICT. It also leas to be problem for a greater majority who has been acquainted to minimal English as educational language. It cannot be expected from them to suddenly learn and adapt to a foreign language. This lack of developmentally appropriate software is harsher in case of rural India.

The benefits of the few ICT oriented policies introduced by the government are usually directed to only certain sector while being alienated from the rest. Main reason for this can be seen in the form of corruption and overlapping of responsibilities of various departments who seem to be wanting to free ride over other shoulders. The cycle of accusations seems to be unending. This serves as the cause behind the mysterious major funds disappearing in the process and coming out as meagre changes. At times, none made. While this might seem to be a dramatic suggestion, teaching staff at even higher education seems less accepting of the ICT methods against their age-old used methods. The role of themselves, their students, engaging in conceptual change regarding their established beliefs seem to be depended on teachers belief. Even when certain teachers have a positive attitude towards this approach, the skill set required for the same seem to be difficult to achieve for them given that it requires proper training being provided. Integration of technology in the curriculum seems to be difficult; far is the method that should be adopted for its comprehension by the students. The heavy workload was reported as primary reason why the teachers were found not being immersed in much research work. With such conditions prevailing, its hard-to-find time to train themselves for he ICT and incorporating it. While some are reluctant, ithers seem to find it hard to find the right amount of time to use technology for educational purposes.

Since the challenges have been reported by this article, it becomes more significant to present the opportunities offered by the ICT. To the students it provides an increased

access, flexibility of content and delivery with combination of work and delivery. Since it has a learner centric approach there are new opportunities which students can be benefitted from. Even for the workforce it is a method of achieving high quality, cost effective professional development in the workplace by upgrading their productivity and employee skills. It increases the portability of training too while sharing of costs of training time among the employees. Through ICT government can increase the capacity and cost effectiveness of education and training systems. To reach target groups within limited timeframe through conventional methods seems unplausible; which becomes affordable and attainable with ICT. It is not a replacement but a value addition done to the current system and practices revolving around learning. It can also be used to connect the educational institutions and curricula to emerging information and innovation networks.

This paper broadly discussed the current and future potential of ICT in India and higher education specifically. It is to be realised that knowledge imparting is a process in itself that can be channelled through different sources and is not to be succumbed to just the traditional methods of education. A network between business, government and colleges needs to be strengthened for the ICT to bloom in its true potential. Even in the 21st century we face the similar hindrances of reluctance and corruption which seem unending . But they need to be put in place at least through concrete judicial checks and balances and regular interventions. With the occurrence of COVID-19 the implementation and need of ICT in higher education have increased more than ever.

References:-

1. Sarkar, S. (2012). The role of information and communication technology (ICT) in higher education for the 21st century. *Science*, *1*(1), 30-41.
2. Mondal, A., & Mete, J. (2012). ICT in higher education: opportunities and challenges. *Institutions*, *21*(60), 4.
3. Toro, U., & Joshi, M. (2012). ICT in higher education: Review of literature from the period 2004-2011. *International Journal of Innovation, Management and Technology*, *3*(1), 20-23.
4. Agrawal, A. K., & Mittal, G. K. (2018). The role of ICT in higher education for the 21st century: ICT as a change agent for education. *Multidisciplinary Higher Education, Research, Dynamics & Concepts: Opportunities & Challenges For Sustainable Development (ISBN 978-93-87662-12-4)*, *1*(1), 76-83.
5. Bala, M. (2018). Use of ICT in higher education. *Multidisciplinary Higher Education, Research, Dynamics & Concepts: Opportunities & Challenges For Sustainable Development (ISBN 978-93-87662-12-4)*, *1*(1), 368-376.
6. Krishnaveni, R., & Meenakumari, J. (2010). Usage of ICT for Information Administration in Higher education Institutions–A study. *International Journal of environmental science and development*, *1*(3), 282-286.
7. Mukhopadhyay, M., & Parhar, M. (2014). ICT in Indian higher education administration and management. In *ICT in Education in Global Context* (pp. 263-283). Springer, Berlin, Heidelberg.
8. Suryawanshi, K., & Narkhede, S. (2015). Green ICT for sustainable development: A higher education perspective. *Procedia computer science*, *70*, 701-707.

✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
October to December 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVI

Artificial Intelligence and Higher Education : Incontext of India

Dr. Abha Saini*

***Associate Professor & H.O.D (Political Science) JKPPG College, Muzaffarnagar (U.P.) INDIA**

Introduction - Keywords- Technology, higher education and artificial intelligence.

Introduction - Artificial intelligence has changed the concept of higher education. Whereas we generally use chalk and duster in the classroom but changing scenarios we have entered the age of technology in higher education. In the covid 19 pandemic era, our colleges and universities are offering artificial intelligence technology such as Smart class texting,text messages, immersive classroom, Google meet, zoom platform etc. It provides students with a better learning experience from the comfort of their homes. It is a demand of time that through artificial intelligence we would connect with international universities and colleges in the field of Higher Education in changing global scenarios.

India is an emerging economy in the world. To compete in the global market and pursue sustainable socio-economic growth and development in July 2015, the government launched the Skill India Mission in line with Prime Minister Narendra Modi's vision of India as "the world's human resource capital." Artificial intelligence has assumed a pivotal role on this front, with the government think tank, NITI Aayog underlining India's emergence as an "AI Garage ''as a strategy for leadership in Artificial intelligence. AI and data could contribute about US$500 billion to India's GDP by 2025, with AI poised to add a further US$957 billion to the country's GDP by 2035.India has the second largest education system. Through personalizedlearning adaptive tools, efficiently performing administrative tasks, customizing professional development courses it identified preparing a new generation to harness the globally.

Objectives- The objective of this paper is to create awareness about Artificial intelligence in highereducation. It analyzes the uses, misuses and challenges of artificial intelligence in Indian higher education. It describes the relevance of artificial intelligence in higher education in the Current Indian scenario.

Review of Literature and Research Methodology- J.Siekmann(1989) describes the impact of artificial intelligence in education. ShivaniVerma and PradeepTomar (2020) presents new dimensions of technology in the form of artificial intelligence. Jeremy Knox, YuchenWang, Michael Gallagher(2019)explain Artificial Intelligence and inclusive education is for everyone learning everything.They also explain its emerging practice, challenges and its future.

Research methodology has been used in this study as Observation in the Primary data. Books,journals, different websites and Newspapers have been used in secondary data.

Artificial Intelligence- In higher education artificial intelligence has come to take a new innovation. Artificial intelligence was started in the beginning of 1950 but it has caught an eye nowadays.

Artificial intelligence is the capacity of machine technology that understands and explores the human data and behaviors to solve their problems and act accordingly. Artificialintelligence can be seen in three types. First is artificial narrow intelligence as machine learning which specializes in one area and solves one problem. Second is Artificial General Intelligence as machine intelligence which refers to a computer that solves human problems. Third is artificial super intelligence which indicates Machine consciousness that is much smarter than best human brains in every field.

Actually, it is a way of making a type of computer or software or robot which thinks like a human brain and works in a similar way. Forexample, Google has become One of the largest players for a range of online services by using machine learning. The main objective of artificial intelligence is to make computer and machine systems to take ready for perform intellectual task such as problem-solving task making, decision making and understanding human communication. Currently artificial intelligence is used in security and surveillance retail shopping, sports manufacturing and production films etc. The best examples of artificial intelligence in our daily life are smartphone,smart cars smart home devices.

Uses of Artificial Intelligence in Indian Higher Education - AI revolution as a focus area for NITI Aayog.India's National Education Policy (NEP) 2020, released in July 2020, provides that all universities offer doctorate and masters programs in core areas such as machine learning and in multidisciplinary fields. The NEP also includes provisions

for setting up a National Educational Alliance for Technology "to enhance learning, assessment, planning and administration" at schools and higher education institutions.

In the field of Higher Education artificial intelligence provides knowledge acquisition technology and explores new fields. It increases the efficiency of teachers and students' interest. Artificialintelligence-based analysis is helpful in different research fields of Higher Education. Besides, it is capable of changing the needs of library process. In higher education artificial intelligence is used as plagiarism detecting software and appsto check spelling, grammar and chat board.

Artificial intelligence technologies help students not only write essays but also draft resumes and active software news sentence structure. Artificial intelligence Power Tools help students to take mock interviews and give them insights into their own characteristics to help them prepare for it.Many artificial intelligence applications and tools also help students to answer academic questions and to teach them. It also helps the teachers for classes and grade assignments. It also works as immersion class for learning and virtual assistants. They can evaluate easily and score of their students and also evaluate their personality traits.

Many colleges use artificial intelligence tools to make admissions and financial aid decisions. They also use it for the possibilities of college employment. Every student has its unique personality so with the help of artificial intelligence tools he or she can adapt the level of knowledge, speed of learning and desired goals according to their personalized approach. These tools can analyze students' weakness and their previous learning history and offer courses accordingly. It also helps students to find answers to their questions without spending more time. Teachers also spend their time searching for research questions and answers and researchproblems. It gives opportunities to teachers and students for a personalized and better learning experience.

Disadvantage and Challenges of Artificial Intelligence and Higher Education in India- If a class is in traditional form, students can ask any question related to lecture and discuss with the teachers. Students learn more if they observe. Actually, human connection between teacher and students plays a very important role in quality education but education based on AI tools and apps has its own limitations which include mainly time and quality material.

In India many villages have no internet connection and somewhere strong internet connection which is an online course necessity and thus fail to catch up with their virtual classes. Their weak monitors or required technical equipment or software for the Artificial learning education process in India then it makes it hard.

Although students are more tech savvy and thus able to manage computers well, online courses require a lot of time and intensive work. For those students who do not know very well about computer and online learning, time management issues are very big for them. Students often get bored with online training and digital education and this lack of engagements and motivation is one of the main challenges before artificial intelligence education.

Student and teachers should have some qualities to use for online learning process such as self-motivation, good organization and time management skills and they should also familiar to computer and internet. Not only this but also, they have internet skills such as familiarity with web browsers, an email program and web-based interaction such as email, discussion and chat rooms etc. but in India mostly they do not know how to operate it. Ignorance towards MS–word, Excel, PowerPoint and such related programs are major hindrances in the way of artificial intelligence higher education in India. It also requires the deep technical expertise. There are a limited number of available resources to provide AI tools and apps for conduct an online examination and digital assessment in India. It is also very expensive.

One disadvantage and challengeis related to human health. If students and teachers work more on through online learning they come in frustration and tension. Most students and teachers have problems with eyes and backbone and hand pain. As technology progresses and e-learning benefits from the advancements being made, learners can now engage more actively with professors or other students using tools such as video conferencing, social media, and discussion forums amongst others. More use of ICT components creates the problem of isolation.

In artificial intelligence systems data privacy and security is the main challenge nowadays. Cybercrime is increasing. The individual whether it is teacher or student or institutions has onlinerespect with the data privacy. Data protection in India is currently governed by the IT Act 2000.Due to changing nature of information make trouble, Online Personal data has been broken through hacking and fishing etc.

Conclusion- Higher-education reforms are underway in India to foster AI talent, for example, by widening the incorporation of AI as an academic discipline. NEP 2020 provides for the setting up of the National Research Foundation, which should help boost research in AI. A clear-cut action plan for rejuvenating higher-education institutions for the development of AI talent, whether in industry or academia, is necessary for systematic reforms. But AI is no easy path for either country or academia. institutional commitment to excellence, politically open environment and the motivation of individual researchers to unlock the potential of AI will, in the long run. Actually, Artificial intelligence is the new innovation in higher education. In the changing scenario the importance of artificial intelligence is due to low cost and present time relevance. Responsibility, privacy and data security is the most concerning subject in artificial intelligence systems. Artificial intelligence should be according to human and environmental needs then it will prove its relevance.

References:-

1. Jeremy Knox,Yuchen Wang,Michael Gallagher (2019), Artificial Intelligence and inclusive education, Springer,Singapore
2. J.Siekmann(1989),Lecture notes in artificial intelligence Springer-Verlag,New York.
3. Shivani Verma and Pradeep Tomar (2020),Impact of AI Technology on teaching learning and research in higher education, IGI global, New Delhi.
4. Yojana, Feb 2020,
5. https://www.thehindu.com/education/how-artificial-intelligence-is-transforming-the-future-of-higher-education/article34734697.ece, 05 JUNE 2021
6. https://thejournal.com/articles/2021/06/23/7-benefits-of-ai-in-education.aspx
7. https://www.orfonline.org/research/crossroads-of-artificial-intelligence/
8. https://www.financialexpress.com/brandwagon/why-india-is-indifferent-to-the-data-privacy-issue/2193807/

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
October to December 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVI

Impact of Transcendental Meditation on Anxiety Among Students

Mahesh Prasad* **Dr. Laxmi Narayan Josih****

*Research Scholar, Deptt. of Yogic Science, Uttarakhand Sanskrit University, Bahadrabad, Haridwar (Uttarakhand) INDIA
** Assistant Professor, Deptt. of Yogic Science,Uttarakhand Sanskrit University, Bahadrabad, Haridwar (Uttarakhand) INDIA

Abstract - Transcendental meditation is increasing in its popularity. People have now started using transcendental meditation on regular basis. It is also being observed in few schools but due to lack of awareness physical teachers and coaches are not giving due importance to provide the training of transcendental meditation. Whether this transcendental meditation is the all that significant in managing the anxiety of students; this research work was conducted in which experimentation was done on chosen students of Haridwar. There anxiety level before and after transcendental meditation was measured and compared to assess the impact of transcendental meditation on students' anxiety.
Keywords- Transcendental meditation, anxiety and students.

Introduction - Transcendental meditation is the meditation practice developed by Shri Mahesh Yogi. He made meditation so simple that it could be practiced on chair at any point of time. It can be used by the persons working in offices or the students who spend a lot of time sitting on chair in school.

It has also been observed that anxiety is rising significantly among students due to multiple reasons which includes examination pressure, result oriented study, comparison and materialism. How this anxiety can be controlled among students is very important to be known. In a pursuit to find solution of the problem of anxiety among students an effort was made through this experimental research.

Transcendental meditation enables person to see within oneself and introspect in a clear manner to understand oneself in a better position. Clarity of thoughts develop, person start understanding one's own desire and external environment with clarity and understanding the reality. (Mahrshi Mahesh Yogi, 1969)

Mindfulness evolves with transcendental meditation. Pure knowledge of conscience arises. Relaxed pathway of life is understood after practice of TM. (Alexander et al. 1990)

Anxiety is a disorder that is posing problem in developed nation like United States. 18% of its adult population is having higher anxiety. Efficiency reduces because of the disturbances caused by anxiety in behaviour, mood and functions of youth. It has devastating effect on the performance of youngsters. (Greenberg et al. 1999)

Meditation is an alternative mind body therapy. It influences heart beat, blood pressure, reflections, skin glow, cognitive ability of person, perception towards oneself and others. It is a tool that can mould a person considerably. (Dilwar Hussain and Braj Bhushan, 2010)

Meditation develops mindfulness yet it is not being observed regularly by the youth because of laxity and casual approach. It is a pleasant activity yet it requires some discipline to be observed and that it can only be evolved under supervision of a trainer. (Dobkin P. L., Irving J. A. and Amar S., 2012)

Research Methodology: Effect of using transcendental meditation on the anxiety of students was measured. 40 students of senior secondary level were chosen from 10 schools of Central Board of Secondary Education. They tested on Hamilton Anxiety Scale. Before giving any training their score was measured and noted down. These students were provided with transcendental meditation training for half an hour for 30 days. Anxiety was reexamined with Hamilton Anxiety Scale.

Research Tools: Hamilton Anxiety Scale was used to measure the anxiety level of senior secondary level students. For that purpose 14 questions related to different aspects of anxiety were asked and the students were supposed to give answer on 5 point scale ranging from 0 to 4. Higher score on this scale reflects high level of anxiety and lower score reflects low level of anxiety. Points score could be 56 from 0 to 56.

Hypothesis for the study: There is no significant effect of transcendental meditation on anxiety of school students.

Research Analysis and Hypothesis Testing- Anxiety scores before and after transcendental meditation training

was compared as shown in table 1. It reflects that anxiety score of all the students reduced after transcendental meditation which shows the importance transcendental meditation. Out of 56 points the average anxiety before the transcendental meditation was 33.50 that is 59.82% and after transcendental meditation the average anxiety score has come down to 28.23 points that is 50.41%. Thus there was a reduction of 9.41% due to transcendental meditation.

Table 1: Anxiety before and after transcendental meditation

S.	Before	After
1	16	14
2	18	15
3	19	15
4	19	16
5	21	18
6	21	17
7	21	17
8	22	17
9	22	19
10	24	20
11	24	21
12	25	20
13	28	23
14	28	23
15	28	24
16	29	25
17	32	25
18	32	26
19	32	26
20	34	28
21	34	28
22	36	28
23	36	31
24	37	32
25	38	32
26	40	34
27	40	34
28	42	35
29	42	35
30	42	36
31	43	38
32	44	38
33	44	39
34	46	37
35	46	40
36	46	40
37	47	41
38	47	40
39	47	42
40	48	40
Average anxiety	33.50	28.23

Paired T test was done to assess the significance of transcendental meditation on anxiety. T value 21.49 is more than table value 1.96, implies that there is significant effect of transcendental meditation on anxiety of school students.

Table 2: Paired T test

Anxiety	Mean Score	N	Std. Deviation	t	Sig.
Before transcendental meditation	33.50	40	10.07	21.49	0.000
After transcendental meditation	28.23	40	8.93		

Conclusion and Suggestion: There is significant impact of transcendental meditation on anxiety; it reduced significantly after practicing transcendental meditation. There was significant reduction in anxiety level of students. Students have examination related anxiety, time related anxiety, dressing related anxiety and friendship related anxiety so it is advisable to incorporate transcendental meditation in the curriculum of physical education. It should be practiced half an hour for at least 3 days in a week.

References:-

1. Maharishi (1969). Maharishi Mahesh Yogi on the Bhagavad Gita. *New York: Penguin*.
2. Alexander C., Davies J, et al. (1990). Growth of higher stages of consciousness: Maharishi vedic psychology of human development. Higher stages of human development: *Perspectives on adult growth, New York: Oxford University Press*. (pp. 259–341).
3. Greenberg PE, Sisitsky T, Kessler RC, et al. (1999) The economic burden of anxiety disorders in the 1990's. *Journal Clinical Psychiatry,* vol. 60, pp-472–535.
4. Dilwar Hussain and Braj Bhushan (2010) Psychology of Meditation and Health: Present Status and Future Directions, *International Journal of Psychology and Psychological Therapy,* vol.10(3), pp. 439-451.
5. Dobkin P. L., Irving J. A., and Amar S. (2012) For whom may participation in a mindfulness-based stress reduction program be contraindicated? *Mindfulness,* vol. 3(1), pp-44–50.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
October to December 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVI

Inverstigation Emotional and Social Intellingce Between High and Low Achiver Sports Participaton Male Playres of Bihar State

Soni Kumari* **Dr. Yuvraj Srivastava****

*M.Phil Scholar, Dr. C V Raman University, Kargi Road, Kota, Bilaspur (C.G.) INDIA
** Supervisor & Associate Professor, Dr. C V Raman University Kargi Road, Kota, Bilaspur (C.G.) INDIA

Abstract - In the present social intelligence of high and low achiever male sportsperson was compared 120 male sportsperson (age average 23.41 Y) who toll parts in state and national individuals and Group wise events as well as who came in sports persons. To fulfill the Individuals and Group wise sports were selected sampling low achiever male sportsperson method was used in the present study for selection of sports participants social intelligence of the selected subjects social intelligence scale presented by Chadha and Ganeshan (1986) was used. Variables that affects sports achievements of male participations.

Introduction - Social intelligence is the person's ability to understand and manage other people and to engage in adaptive social Interaction (Thomdike,1920) it is made of inter and personal intelligence ,Chadha and GAneshan (1986), Cratty(1981) states that "even a solitary work out may be accompanies by an unseen audience, a group of people residing psychologically and socially in the mind of the performer, audience the athlete knows stands ready to judge his/her performance at some future time harshly or with praise and kindness, Physical, psychological ,biological ,sociological and technical aspects are important aspects as far as performance enhancement and success in sports is concerned. In a highly competitive environment of modern sporting world , the psychological characteristics of a players is equally important for achieving success. It is believed that sports performance is dependent upon so many factors in which psychological preparations is one of the most important feature identified through various research which plays a major part in sporting success .

Research have been trying to identifying the factors that distinguish exceptional players from the ordinary performs and there have been numerous attempts to find out the traits and qualities that distinguish a champion from other players, but the findings on psychological , emotional and cognitive aspect of sports performance is far from complete especially interlinked aspects like social and emotional aspects. From the preceding descriptions it becomes amply declaration only the physical qualities like strength, endurance, and speed etc. are required to success in sports but the psychological attributes like personality, adjustment values.

The following factors to be closely associated with athletic performance CO-Operation , competition ,conflict, cohesion, GROUP Morale ,social facilitation/inhibition, Leadership, Adjustment, Values – operation – Derives from Latin word cooperate , co means together , operate means to work. Thus co-operation means working together for the attainment of some goal. Derived from Latin word competitor which means seek together. Competitions stand for striving for certain thing objects which is in shortage. Conflict to willfully resist someone from doing achieving some objects or goal e.g. players deliberating blocking / tracking in football .Cohesion Derived from Latin word cohaesus which means to stick together working in close consent for the team/group goal. Group dynamically study of change that take place in group/team life. Group Morale Mental condition that enable the team players to act enthusiastically and courageously Facilitation /Inhibition Refers to the change in the performance due to the others. Leadership – It refers to the guidance provided in sports by the coach captain, Managers etc. for taking vital decision during normal routine and situations. Values – Refers to the attitude,beliefs and norms of the team players while performing their daily routine competing against others.

So one can say that the psychological area is an upcoming dimension of athematic enslavers which need due scientific attention. In these days of highly competitive world in all aspects of life whether it is sports or any other further contribute to excellence. It is aspects of life whether it is sports or any other field can further contribute to

excellence. It is more so in the country like India , where the athletes come from vast diversities in social and culture milieu. Hence , the researcher decided to compare social and emotional intelligence of male sportspersons in the light of their sports achievements i.e. high and low achievers male sportspersons.

Hypothesis- It was hypothesized that high achievers male sportsperson will show more move magnitude of social intelligence as compared to low achievers male sportspersons.

Methodology- The following methodological steps were taken in in order to conduct the present study.

Selection of Subjects- To conduct the study 120 male sports persons (60 Male and 60 Female) age average 23.43 years who took parts in state and national level participantion in individuals and group events as well as who came in other sports participants events were chosen and grouped as high achievers male sportspersons. To fulfill the objectives of study 120 intercollege sportspersons who tool part in state and national level participation in individual and group events as who came in sports participants these events were chosen and grouped as high achievers male sports participation. To fulfill the objective of study 120 intercollegiate male sportsman purposive method was used in the presented study for selection of male sportspersons of Bihar state.

Procedure- The selected high and low achiever male sportsperson for the present study were subject to the aforementioned tool in a laboratory like condition. Response obtained on statements of social intelligence scale was sored off as per guidelines given in manual , after scoring social intelligence score between high and low achiever male sportsperson was compared with the help of independent sample t-test result in table1.

Result And Discussion- Investigation of social Intelligence between High and Low Achiever Male Sportsperson.

Statically Events reported in table, reveal non-significant difference in social intelligence of male sportsperson on the basis of their sports achievement calculation t=0.15 depicted in table indicate that social intelligence of high achiever male sportsperson (108.5) and low achievers sportsperson (108.68) not significantly with each other .Results showed that there exist statically non-significant difference in social intelligence of male sports person on the basis their sports achievement that is expected because entire sample comprise of male sportsperson taking part in participation in sports.

Conclusion- On the basis of results and associated discussion it was included social Intelligence of male sport person cannot be predicted their high or low of sports persons achievement.

References:-

1. Chadda,N.K. and UshaGaneshan(1986) Social Intelligence Scale National Psychological Corporation.
2. Costareli V and Stamou D (2009) Emotional Intelligence, Boy Image and Disorders Eating Attitude in Combat sport Athletes Journal of Exercise science & Fitness Vol. 7 Issue 2 pp 104-111.
3. Cratty B J (1973) Psychology in contemporary sports: Guidelines for coaches and athletes Englewood Cliff New JersyPrenice Hall Inc and athletes Englewood Cliffs. New Jersey: Prentice Hall Inc.
4. Crombie D and Noakes A (2009) Emotional intelligence score predict team sport performance in a national cricket competition International Journal of sports science Volume : 4 Issue 2, Pages :209-224.
5. Hassan M ,Singh A K and Singh J (2015) Achievement motivation of Indian field hockey players at different levels of competition Journal of physical Education Research Volume 2, Issue 1 pp. 71-81.
6. Narimani M Bashar poor S (2009) Comparison of attachment style and emotional intelligence between women and non-athletes women. Research journal of biological science 4(2) : 216-221.
7. Srivastava P, Venugopal R and Singh Y (2010) . A study of personality Dimensions in sports performance journal of exercise science and physiotherapy Vo;. 6 No 1 : 39-42.
8. Saini P and Shrivastava ,Y (2017) . A comparative study of social intelligence between high and low achievers male sportsperson , Journal of international journal of advance research (IJAR) Int J Adv Res.5(5). 2009-2011.

Groups	High Achiever Male Sportsperson		Low Achiever Male Sportsperson		Mean Diff	't'
	Mean	S.D.	Mean	S.D.		
Social Intelligence	108.5	6.99	10.68	7.83	-0.83	0.15(NS)

NS Not Significant

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
October to December 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVI

Economic Offences in India and Need of Criminal Corporate Liability

Geet Krishn Vyas*

* **Third-Year Law Student, NMIMS School of Law (Mh.) INDIA**

Abstract - The understanding of the concept of "Economic Offences" is very crucial for establishing liability of a corporation or a company. As these offences do not happen in a vacuum; and affect the core of society and individuals living in it. These offences also show one major problem in India: The lack of mechanism and codes for punishing body corporates or companies which provide means to do such harm to prestige of the country, economy and most importantly the people. Corporate Criminal Liability is something which India, does not have, at least explicitly. The country has many separate provisions in other codes. The need for such provisions is clear when one studies the scope of some major corporate crimes committed in the country.
Keywords- Corporate Criminal Liability and Economic Offence.

Introduction - The challenge of punishing was best distilled by English Jurist, Edward First Baron Thurlow, 'Did you ever expect a corporation to have a conscience, which has neither a soul to be damned nor a body which can be kicked[1]'. And why not, the brain behind every operation of a company or body corporate enjoys relative security, anonymity to the direct victims of the crime. The disconnect which the perpetrators of economic offences lay beyond a veil of security from guilt and many times the consequences from their crimes. The need for Criminal Liability for Corporate Crimes is nothing new.

Corporation, as defined by Black's Law Dictionary is 'An entity defined by law to act as a distinct single person from its shareholders; and has rights to issue stocks and exist indefinitely.[2]' Still, the Corporation acts by the will of its shareholders, at least is it supposed to be. But what if the corporation doesn't work accordingly to the will of the shareholder at the top, but it is working for personal gains of a few at the top brass.

Although financial offences are being done for many years like the bribes that were given during the Roman Republic to hush down legislations and make elections easier for an aspiring politician[3]; to arguably the very first wire fraud, The Blanc Twins and the chappe telegraph[4]. The Blanc twins were bankers and were held as one of the "brilliant financiers" of their age. They exploited the transmission of information between in Pairs and Bordeaux in 1834. The information which took five days to be communicated between the two cities was only transmitted within a few hours. The brothers started embedding secret messages into the transmission, which were perceived by the operators as errors. However, the secret messages were deciphered at the other end. Thus, these practises allowed the Blanc Twins to earn money through "very smart investments". And when the government caught up with the twins, they were simply banned.

The understanding of the concept has evolved many times. However, it can be also stated that the understanding of the concept was changed due to different paradigms and jurists who tried to understand it. As one understanding of the concept refers to the reverse pierce of the corporate veil as an attempt by shareholders, or the corporation itself, to pierce the corporate veil existing between the corporation and its shareholders[5]. Although there's nothing wrong with this understanding it constrains the scope and spirit of the concept by a lot. But this means that the owners and shareholders are to pierce the veil between them and the corporation.

Tools to determine Criminal Corporate Liability

1. The melding of personal identity with the Corporate: A unity of interest, ownership, and intention that separate personalities of the corporation and the individuals at the top of the chain of command melds together[6]. And the circumstance should be such that the existence of a separate entity of the corporate enables' fraud. A basic example would be an individual's questionable transfers of assets into an entity. The case of State v. Easton states that fraud is a necessary character for the application of this theory and that the defaulting shareholder should have utilized his or her significant control over the business to avoid personal responsibility or commit a fraud or crime[7].
2. The doctrine of Attribution– The doctrine of attribution implies that the criminal intent of the "alters ego" of the company/body corporate, i.e., the person or group of people

that guide the business of the company, would be imputed to the corporation. *Mens rea* is attributed to the company based on the alter ego of the company. If a shareholder has significant control over the business, it is stated that the organization is his or her alter ego. The claim for alter ego is upheld by using the criteria of "control" and "extent of ownership," but it's important to remember that significant ownership, not total ownership, is required, as stated in Trossman v. Philipsborn[8].

Analysis

Definition and understanding of Economic Offences.

There exists many a definition of Economic Offences, and these definitions include a broad spectrum of activities or non-activities included in such definitions. The definitions vary too much, one definition describes what all activities can be considered as economic offence/crime, which includes: Counterfeiting, fraud/forgery, undeclared employment and misuse of company assets[9]. The understanding used by Europol, rather than defining the phrase the Agency describes an itinerary of various types of frauds: benefits, EU subsidy, insurance, investment, loan and mortgage, mass-marketing, payment-order and procurement rigging[10].

One widely accepted definition is the one used by The American Intelligence Agency Federal Bureau of Investigation Agency (FBI), has a larger explanation of White-Collar Crimes:

I. Corporate Frauds: Falsification of financial information, Self-dealing by corporate insiders and Fraud involved in an otherwise legitimate hedge fund.
II. Money Laundering.
III. Securities and Commodities Fraud: Investment Fraud, Ponzi Schemes, Pyramid Schemes, Broker embezzlement and Market manipulation.

FBI's definition is considered a broader definition when compared to Europe's understanding. Many concepts like Ponzi Schemes and Pyramid Schemes, however at the same time the understanding is still fraud centric with a notable absence of social consequences of the same. These definitions although are very extensive, lack to include the sociological aspect and is highly fraud centric in its explanation. However, the India definition also include the social effect of such acts. In addition to that, an economic offence is described as[11]:

1. The motive of the act is greed or avarice and not hate or lust.
2. The background of the crime is non-emotional; there's no relation between the victim and the preparators.
3. The Victim is either the state or section of the public and in cases, the victim(s) is/are a person or a few people, the underlying element of the act was to harm the society.
4. The mode of operation is a fraud.
5. The act is usually deliberate and wilful.
6. Two-fold protection of:

a. Social Interest Presentation of:
i. Property, health or wealth of individual members, and national resources.
ii. And the general economic system as a whole from, exploitation or waste by groups or individuals.
b. Augmentation of the wealth of the country by enforcing laws about taxes and duties, foreign exchange and commerce and industries and like.

While the 47th Law Commission Report defines what are Socio-Economic Offences, the types and categories of Socio-Economic Offence were described in the 29th Law Commission Report[12]:

1. Offences calculated to prevent and or obstruct a country's economic (health) status.
2. Tax Evasion
3. Misuse of power by public servants vested upon them by law for making contracts, disposal of public property, issuing of licences, permits and other entities of similar nature.
4. Delivery by commercial, individuals and industrials not following agreed specifications in fulfilment of a contract with public authorities.
5. Black Marketing, Hoarding and Profiteering.
6. Adulteration of drugs and foodstuffs.
7. Misappropriation and theft of public funds and property.
8. Trafficking in licences and permits.

An easy comparison between three different understanding makes it clear that one of them is also centred upon the fact that such crimes effect people. Acts like Black Marketing, Hoarding and Profiteering sure do effect finances, but a major effect is one people. As such acts directly increase the price of essential commodities. Similarly, Misappropriation and theft of public funds and property endangers the people who are directly affected due to actions of civil servants.

Thus, definition attained from the composite of Law Commission's 47th Report and Report of the Committee on Prevention of Corruption, accommodates the societal impact of economic offences, and has identified diverse nature of crimes. However, at the same time, the definition unlike the other definitions mentioned has many specific conditions, the explanation fails to demonstrate whether an act should be fulfilling all the conditions mentioned or some of them.

The Indian laws alluding to Criminal Corporate Liability.

1. Section 305 (1) of the Code of Criminal Procedure, describes the procedure when a registered society or a corporation is accused. Defines corporation as an incorporated company or any other body corporate; and also includes as a society under the Societies Registration Act.[13]
2. Section 21(1) of the Transplantation of Human Organs Act 1994.

Every person who was in charge, when an offence was committed or was responsible for the conduct of the

business of the company. Shall be deemed to be liable and punished accordingly, provided that nothing contained in this section will be used against a person who can prove that he did not know the offence. Or, he had exercised all due diligence to prevent commission.[14]

3. The concept of Corporate Criminal Liability can be seen to be recognised under the Companies Act 2013 under: -

·Section 53 (3)-Prohibition on issues of shares at a discount: Every officer complicit in fault shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to **six months.**[15]

- Section 57-Punishment for personation of Shareholder: If a person impersonates to be an owner of any security, share warrant, security or interest in the company to receive money as an owner can be imprisoned for **one to three years** or fine up to five lakh rupees.[16]
- Section 58 (6)- Refusal for registration and appeal against refusal: If a person refuses the order of Tribunal (prescribed by the Act), he can be imprisoned for **one to three years** or fine up to five lakh rupees.[17]
- Section 182(4)- Prohibitions and restrictions regarding Political Contributions: If a company refuses to comply with any sub-section of Section 182, the company and each officer involved in the default can be fined up to five times the amount contributed; and officers mentioned earlier can be imprisoned up to **six months.**[18]
- Section 187(4)- Investments of the Company to be held in own name: If a company refuses to comply with any sub-section of Section 184, the company can be charged a fine between Rupees Twenty-Five Thousand and up to Twenty-Five Lakh; and all officers involved in the default can be fines between Rupees Twenty-Five Thousand and up to One Lakh and imprisonment up to **six months.**[19]
- Section 447- Punishment for fraud: Any person involved in the fraud can be imprisoned for a term at least of **term six months of and may extend up to ten years.**[20]

These provisions mentioned above are from various laws, and such provisions show that the legislature doesn't shy away from giving punishment for some white-collar crimes. So, why the law is hesitant to introduce the Criminal Liability? Section 447 of Companies Act has a term which may extend up to ten years.

Present Scenario

India and Criminal Corporate Liability - Although the Indian Legislature has been vastly reluctant to make laws explicit for Criminal Corporate Liability. The Indian courts have been hesitant to accept the concept that a company might be found responsible and punished since the two basic elements of *mens rea* and the ability to endure incarceration were not met. With the advent of Standard Chartered Bank v. Directorate of Enforcement[21] in 2005, the Supreme Court implied that the corporation can be prosecuted and punished for an offense on behalf of its owners with penalties.

In the case of Iridium India Telecom Ltd. v. Motorola Incorporation and Others[22], the courts decided that the company would be held liable for the criminal intent of the persons who are the corporations' alter-ego. In India, this philosophy is still in its infancy, growing at a slower rate. However, one great shift in court's stance can be observed in Sunil Bharti Mittal v. CBI[23], the Supreme Court made a deviation from its existing canon of construction and held that an individual who has perpetrated the commission of an offense on behalf of a company can be made accused, along with the company.

It is to be noted that above three scenarios are just symptoms of the major problem, and that problem is the frequency and the scale of defaults in the country, these incidents are therefore not cherry-picked but are the best way to see the bigger picture. And unfortunately, it's not the case that there were no such cases in the contemporary times of writing the paper. Yes, Bank Scam and Punjab National Bank Scam were two cases occurred in 2018 and 2019.

An alarming statistic is that 2,750 companies out of 5,651 companies registered in the Bombay Stock Exchange have vanished (As of 2004). The implications of these numbers are very simple: every second company in the BSE has raised capital from investors and ran away.[24]

Thus, knowingly or unknowingly shaking the trust of investors in an organisation with a rich history and legacy. And other companies in general. A graver situation is a fact that out of those 2750 companies as of 2014 only 229 companies were identified.[25]

COMPARITIVE STUDY

Evolution of Criminal Corporate Liability in the United States of America.

The development of Criminal Corporate Liability came as a natural reaction to rapid changes brought into the world by Industrialisation in Europe and its reaching to the USA. However, the first major change to the American understanding came in the landmark case of 1909, New York Central & Hudson River Railroad v. the U.S.[26], The New York Central & The Hudson River Railroad was held criminally liable for the unlawful conduct of its agent for payments of rebates to American Sugar Refining Company for transportation od sugar shipment from New York to Detroit. The major issue raised was whether The New York Central & The Hudson River Railroad be criminally liable for the unlawful acts of its agent working within the scope of authority conferred by the former. The Court Determined that the corporation could be and would be held liable for the conduct of its agent, while the latter is working within the scope of the duties assigned by the corporation to acquire profits for the corporation.

Skilling v. the United States[27], Mr Skilling the former CEO of Enron Corp, was convicted by a Texas Federal District Court for conspiracy, insider trading, making false representations to auditors and securities fraud. Skilling filed an appeal alleging that he was prosecuted by the state under

'an invalid theory of law' and the jury was biased. It was held that the publicity and any prejudice in society did not hold Skilling from getting a fair trial. Court also noted that the same jury acquitted him of nine counts.

SWITZERLAND: A corporation will be made liable, for any criminal offences committed during its commercial activities; if the offence cannot be specifically allocated to a specific individual within the officer[28] (Also called as 'secondary liability')

A corporation can be made criminally liable if it fails to prevent the commission of specific acts, including corruption both public and private sectors; funding of terrorist activities and money laundering. [29](Also called as 'primary liability')

FRANCE: Under the French Penal Code, Article 121-2, defines the concept of Criminal Liability. As the law requires three conditions to be fulfilled to impose criminal liability.

1. All Legal persons with the exception to the French State, are criminally liable for the acts committed on their behalf, by their organs or representatives.
2. The Criminal Liability of the act must lie with representatives or agents of the legal person.
3. The act committed must be for benefit to the Legal person, for criminal Lability to be imposed.[30]

Suggestions - The need for Criminal Liability for Corporate Crimes is nothing new. In the 47th Law Commission Report, it was noted that "Corporate Crimes are an important type of white-collar crimes committed. And it is a challenge to punish the entity as it lacks a 'mind' guilty of criminal intent also it has no physical body to give physical punishment to." To a great extent, the commission echoed Edward Baron. However, the legislature and executive have blindsided such suggestions time after time, in favor of creating an environment that gives much more leeway for corporates to run their essential and shady functioning. It leaves the judiciary with the exceptional and unenviable burden of pulling up for Legislature as well. Indian Legal framework has time and time again shown that it is willing to change, for better helping the citizens of the country. It was once done in civil law, and thus, we got the law of Absolute Liability in the Oleum Gas Leak Case. If reforms are to be made in Criminal Law, those should be made immediately.

Conclusion- The understanding of Economic Offences has come a long way, western schools of understanding the phrase have restricted themselves only to the market loss and a major emphasis on fraud which may have caused this fraud. An evolved understanding of the phrase can be seen in the Indian school of understanding, where the social impact of the loss and disturbance caused by the incidents was kept in mind. However, with the change in markets and securities markets taking a prominent role, the instances of malicious agents trying to cheat the system have also increased, and the prominence of the securities markets has caused a major shock to the economy and the numerous smaller and large investors in a market.

The Indian Penal Code has a distinct soul which it shares with the English Laws, at least some parts of. It is after all expected, it was first introduced by The British Administration. And it is certain to say that the laws were drafted for British convenience and to organise the most 'gentlemanly' loot which one company or crown can commission of one country. As most of the companies during that era were either owned by the Crown or any small enterprise if owned by the natives, was only possible after getting favours from the British. So, it was highly profitable or justified for the British to draft laws favouring the industries; and to have no liability on such enterprises for better functioning of such enterprises.

References :-

1. John Poynder, Literary extracts, (1844) Vol. 1, page 268. URL: https://archive.org/details/literaryextracts01poynuoft/page/268/mode/2up accessed at 09:04 AM on 23rd February 2021.
2. Henry Campbell Black, Black's Law Dictionary Ninth Edition, 391 (Bryan A. Garner) (2009)
3. Andrew Lintott, Electoral Bribery in the Roman Republic, The Journal of Roman Studies Vol. 80 (1990), page 15-16. URL: https://ezproxy.svkm.ac.in:2152/10.2307/300277 accessed at 09:04 AM on 23rd February 2021.
4. The Original Flash Boys, Payden & Rygel: Point of View, Spring 2015. Page 2. URL: https://www.payden.com/library/pov/Q12015c.pdf accessed at 09:04 AM on 23rd February 2021.
5. Fletcher, W "Cyclopedia of The Law of Private Corporations" § 41.70 (Rev. Perm. Ed. 1983 & Supp. 1988)
6. Sea-Land Services, Incorporated V. Pepper Source & Ors, 993 F.2d 1309 (7th Cir. 1993).
7. State v. Easton, 69 Wn.2d 965 (1966)
8. Trossman v. Philipsborn, No. 95 CH 3430.
9. Economic Offences and Crimes, The National Institute of Statistics and Economic Studies, URL: https://www.insee.fr/en/metadonnees/definition/c1114#:~:text= Economic%20and%20financial%20offences%20cover,as%20misuse%20of%20company%20assets) accessed at 09:04 AM on 23rd February 2021.
10. Current Threats, Economic Crime, Europol, URL: https://www.europol.europa.eu/crime-areas-and-trends/crime-areas/economic-crime accessed at 09:04 AM on 23rd February 2021.
11. Social and Economic Offences, page 4, The trial and punishment of Social and economic offences, Law Commission of India Forty-Seventh Report, Law Ministry of Government of India (1972).
12. Amendments to the Indian Penal Code, page(s) 53-54, Report of the Committee on Prevention of Corruption, (1964).
13. S 305(1), The Code of Criminal Procedure Code, 1974.

14. S 21(1), the Transplantation of Human Organs Act, 1994.
15. S. 53(3), The Companies Act, 2013.
16. S. 57, Ibid.
17. S. 58(6), Ibid.
18. S. 184(4), Ibid
19. S. 187(4), Ibid.
20. S. 447, Ibid.
21. Standard Chartered Bank v. Directorate of Enforcement, Appeal (civil) 1748 of 1999
22. Iridium India Telecom Ltd. v. Motorola Incorporation and Others, Criminal Appeal No.688 Of 2005
23. Sunil Bharti Mittal v. Central Bureau of Investigation ((2015) 4 SCC 609)
24. Dr. Minal H. Upadhyay, White-Collar Crime in India, International Journal of Research in Humanities and Social Sciences, Vol 2 Issue: 2 February 2014, Indian Scenario Page 5.
25. Ibid.
26. 212 U.S. 481
27. 561 US 358 (2010)
28. Article 102(1), The Swiss Criminal Code, 1942.
29. Ibid
30. Art. 121-2, French Penal Code, 1959.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
October to December 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVI

Effect of Practicing Transcendental Meditation on Students' Stress

Mahesh Prasad* Dr. Laxmi Narayan Josih**

***Research Scholar, Deptt. of Yogic Science, Uttarakhand Sanskrit University, Bahadrabad, Haridwar (Uttarakhand) INDIA**
**** Assistant Professor, Deptt. of Yogic Science,Uttarakhand Sanskrit University, Bahadrabad, Haridwar (Uttarakhand) INDIA**

Abstract - Yoga is always considered as lifestyle which can add tranquility to the life and make it blissful. People recognize and appreciate the effects of yoga but due to some habits or laxity they do not practice yoga. Meditation is one such yoga that can be performed by all age groups without any strenuous training. It is so simple even the sick person can also observe meditation. To understand the novel concept of transcendental meditation and its effect on school students stress level this research was done. Stress was measured on selected students with the uses of self structured questionnaire.
Keywords- Yoga, transcendental meditation, stress, school students.

Introduction - Meditation means concentration or focus on a single thought and trying to detach oneself from the worldly thoughts that disturbs mind regularly. This is an effort to provide rest to the mind. Efforts are also made in the later stage to attain the status of thoughtlessness. Transcendental meditation is a form of meditation which suggests that meditation can be performed even sitting on the chair through the practice of deep breathing. It is not necessary that the person must sit squatted and chant the mantras.

Meditation word originated from the Latin word meditari. It means to engage in contemplation or reflection. It is contemplating on a single thought generally the spiritual one. (Manocha R, 2000)

Meditation is the process of attaining mental peace through the stage of thoughtlessness and mental silence. It simply develops self focus and self awareness and not getting affected by the surroundings and remains stable without getting deviated from the distractions or circumstances. (Cardoso et al., 2004)

Meditation is self regulatory or voluntary control method in which the focus is on self through which the ability to focus and remain vigilant develops. Meditation helps in relaxing the mind, reduces the tension and develops positive attitude. (Walsh R and Shapiro SL, 2006)

There are different approaches of observing meditation. There is Vedic approach, Buddhist approach and Chinese approaches of meditation. All are quite different but have a common goal of developing self control and balance of mind. It is the effort initiated by the person for ones upliftment and it can be learnt through practice. (Travis and Shear J., 2010)

Meditation has multi outcomes. It is not certain and predictable for all the meditation practitioners. Intensity and the accuracy with which the meditation is done, is very important and the outcome of meditation hugely depends on it. It is really effective to do the meditation for reducing distress and enhancing well-being at large. (Goyal M., Singh S. and Sibinga et al., 2014)

Research Methodology: 40 school students who are having 10th and 12th board examination were selected purposefully from Haridwar and they were provided with practice of transcendental meditation for a month. Only the students who had score of above 75% in the previous examination were selected considering the fact that they will be serious about their studies and might be having some stress so it would be better to evaluate the effect of transcendental meditation on such selected students. A questionnaire was developed having 10 questions with five options to each as an answer 0 to 4 score was assigned to the options. As per the questionnaire the maximum stress score for the student could be 40 and the minimum could be zero. With the help of questionnaire stress score was measured before and after transcendental meditation practice of one month.

Hypothesis: There is no significant effect of practicing transcendental meditation on students' stress level.

Research Analysis and Hypothesis Testing: All the collected data through the questionnaire was tabulated as per the given table. We found that average stress of the board of examination appearing students before practicing transcendental meditation was 24.05 i.e. 60.13% and after

the transcendental meditation practice for a month their average stress level score come down to 19.50 i.e. 48.75%. This is really an appreciable reduction in the stress level.

Table 1: Stress before and after transcendental meditation

S.	Before	After
1	15	11
2	15	11
3	16	13
4	16	13
5	16	12
6	16	12
7	17	14
8	17	14
9	17	12
10	18	16
11	19	16
12	19	15
13	20	15
14	20	16
15	20	16
16	20	17
17	21	17
18	21	18
19	23	20
20	23	20
21	23	21
22	25	21
23	25	20
24	25	21
25	25	22
26	26	22
27	28	24
28	28	24
29	28	23
30	29	26
31	30	25
32	32	24
33	32	26
34	32	26
35	32	25
36	33	24
37	34	26
38	34	26
39	36	27
40	36	29
Average stress	24.05	19.5

As per paired T test the t value is 15.42 which is more than table value 1.96; reflecting that there is a significant effect of practicing transcendental meditation on students stress level. Stress level of students reduces significantly with the practice of transcendental meditation.

Table 2 Paired T test

Stress	Mean Score	N	Std. Deviation	t	Sig.
Before transcendental meditation	24.05	40	6.56	15.42	0.000
After transcendental meditation	19.50	40	5.30		

Conclusion and Suggestion: Research has revealed transcendental meditation is effective for the students especially for the students who are going to appear in board examination. They are more prone to stress related to the examination. After practice of transcendental meditation stress level not just maintained but reduced significantly with the practice of transcendental meditation so it is highly recommended to practice transcendental meditation. All the educational institutions must observe the transcendental meditation sessions for their students. It would certainly boost their mental health and they would certainly perform as per their potential not just in examination but in real life situations.

References:-

1. Manocha R (2000) Why meditation. *Australian Family Physician*, vol.29, pp-1135-8.
2. Cardoso R, De Souza E, Camano L, et al. (2004) Meditation in health: an operational definition. *Brain Research Protocols,* vol.14, pp-58-60.
3. Walsh R and Shapiro SL (2006) The meeting of meditative disciplines and Western psychology: a mutually enriching dialogue. *American Psychologist*, vol.61, pp. 227-39.
4. Travis FT and Shear J. (2010) Focused attention, open monitoring and automatic self-transcending: categories to organize meditations from Vedic, *Buddhist and Chinese traditions. Conscious Cogn;* vol.19, pp.1110–18.
5. Goyal M., Singh S. and Sibinga et al. (2014) Meditation programs for psychological stress and well-being: a systematic review and meta-analysis. *JAMA Internal Medicine,* vol. 174(3) pp-357–368.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
October to December 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVI

गोदना की परम्परा

प्रो. नवरतन साव* डॉ. बसंत नाग **

*** सहायक प्राध्यापक (हिन्दी) भा.प्र.देव शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कांकेर (छ.ग.) भारत**
**** सहायक प्राध्यापक (समाजशास्त्र) भा.प्र.देव शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कांकेर (छ.ग.) भारत**

शोध सारांश – मानव सभ्यता एवं संस्कृति के विकास के विभिन्न दौर में एक बात समान रूप से दृष्टव्य होता है, और वह है स्त्रियों में सौन्दर्य बोध की भावना। महिलाएं चाहे किसी भी दौर की हों या फिर किसी भी सामाजिक–आर्थिक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती हों, उनमें सजने–संवरने के प्रति मोह अवश्य होता है। इसी सजने–संवरने की कला का अप्रतिम नमूना गोदना है। एक ऐसी कला जिसकी लोकप्रियता प्राचीन काल से लेकर आज पर्यत अनवरत जारी है, भले ही उसके स्वरुप में प्रगति के विविध सोपान अवश्य प्रदर्शित होते हों लेकिन उसकी प्रसिद्धि बरकरार है।

गोदना के विभिन्न स्वरुप आज फैशन के साथ कदम ताल करते अनेक रूपों में दिखाई देते हैं लेकिन इसके मूल स्वरुप के प्रति लोगों का मोह अभी भी भंग नहीं हुआ है। गोदना जिसे महिलाओं का स्थायी आभूषण माना जाता है, एक समय में इसे मुक्ति का द्वार भी माना जाता था। वर्तमान समय में यह फैशन के रूप में खिलाड़ियों के साथ–साथ माडल्स, अभिनेता–अभिनेत्री व समाज के युवा वर्ग में एक जुनून की हद तक लोकप्रिय है। यह कला न केवल सौन्दर्य वृद्धि का परिचायक है अपितु 'टोटम' की अभिव्यक्ति, संबंधों के प्रति प्रतिबद्धता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से निदानात्मक रोग निवारक जैसे एक्यूपंक्चर, हार्मोनल संतुलन आदि के कारण भी समाज के सभी वर्गों में प्रचलित है।

प्रस्तावना – प्राचीन भारतीय ग्रामीण समाज में नारी की स्वाभाविक सौंदर्य वृद्धि की लालसा को विभिन्न रूपों में प्रदर्शित किया गया है। महिलाओं की यह स्वाभाविक वृत्ति उनकी भौतिक सुविधाओं, सांस्कृतिक विकास, आध्यात्मिक चेतना एवं पर्यावरण पर निर्भर करता है। भारत कृषि प्रधान देश है। यहां की अधिकतम जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। प्राचीन काल में महिलाएं अपने सौंदर्य में अभिवृद्धि करने की उत्कृष्ठ अभिवृत्ति ने 'जहां चाह–चहां राह' कीष्युक्ति को चरितार्थ किया है। शरीर के विभिन्न अंगों में गोदना गुदवाना सोने–चांदी के आभूषणों को न पाने की असमर्थता, आध्यात्मिकता की भावना, शरीर की अंलकृत करने की इच्छा ने गोदना की परम्परा का प्रार्दुभाव किया।

गोदना की कला का उद्गम **पोलिने** को माना जाता है। सत्या गुप्ता ने इस संदर्भ में लिखा है कि प्राचीन समय में बिना गुदा शरीर महिलाओं के लिए लज्जा का विषय था। जिस समुदाय में सोने के गहने पहनने की परम्परा नहीं थी, वहां पर गोदने की परम्परा थी। टोना–टोटका के रूप में गोदना का प्रचलन बढ़ा। गोदना के कई नाम हैं। कहीं–कहीं पर 'गासो' कही जाती है। गोदना गोदवाने में प्राकृतिक चिन्हों, टोटम (गण चिन्ह) का प्रयोग किया जाता है। कहीं सूर्य, चंद्र, तारे, देवी देवताओं का रूपायन किया जाता है तो कहीं पर सूर्य, चंद्र को अराध्य देवों के रुप में भी दर्शाया जाता है। उनके प्रति अपनी आस्था प्रदर्शित करने के लिए गोदना के रुप में रेखांकन किया जाता रहा है।

अत: आध्यात्मिक मान्यताओं से प्रेरित होकर अपने गण चिन्हों (टोटम) को शरीर में उकेरा जाता है। गुहा चित्रों के विशेषज्ञों की मान्यता है कि यह वस्तुत: सांकेतिक चित्रलिपि है, जिनके द्वारा विविध संदेशों को सम्प्रेषित किया जा सकता है। *गोदना को स्थायी आभूषण भी माना जाता है।* मनुष्य खाली हाथ आता है और खाली हाथ जाता है। आभूषण और साज–सज्जा के सभी लौकिक साधन व्यक्ति के मृत्यु के पश्चात यहीं रह जाते हैं। ऐसी स्थिति में गोदना अलग ही आभूषण है जो मृत्यु के पश्चात व्यक्ति के साथ जाता है।

गोदना के विषय में बैरियर एल्विन ने अपनी कृति *'मिथ्स ऑफ इंडिया'* में मिथक लिखा है कि एक बार भगवान शिव जी ने समस्त देवी–देवताओं को भोज पर आमंत्रित किया, जिनमें गोंड जाति के देवता भी सम्मिलित हुए। भोजन के पश्चात जब सभी देवता अपने–अपने घर जाने लगे तब गोड़ों के देवता भी अपनी पत्नी को लेने पहुंचे। परंतु देवियों की भीड़ में वे अपनी पत्नी को पहचान नहीं सके। भ्रमवश वे माता पार्वती के कंधे पर हाथ रख दिए और अपने साथ चलने को कहा। इस बात पर माता पार्वती नाराज हो गई। उन्हें क्रोध में देखकर देवों के देव महादेव ने समझाने का प्रयास किया, परंतु उनका क्रोध शांत नहीं हुआ।

सच्चाई जानने पर उनका उपहास किया गया। तब उन्होंने सोचा कि वे ऐसा कोई उपाय अवष्य करेगी जिससे अगली बार इस प्रकार की भूल न हो। फलत: इस दुविधा को हमेशा के लिए खत्म करने का उपाय भी सोच लिया। इस तरह प्रत्येक जाति को पृथक पहचान दिलाने के लिये कुछ आकृतियां एवं रूपायन निर्धारित कर देवियों के अंगों पर रूपांकित किया गया। इसके द्वारा उन्हें पृथक–पृथक पहचान मिल गई। यही गुदना का प्रथम एवं मूल स्वरूप है।

गोदना के बारे में उदयशंकर भट्ट ने धर्म युग में लिखा है कि नागपुर के आस–पास गोदना लोकप्रिय है। ब्रज संस्कृति में भी गोदना का विशेष महत्व है। जिसका चित्रण लोकगीतों में भी मिलता है–

बन गये कृष्ण सिल्हार,
कि लीला खुदवाय ले ओ प्यारी।।

सत्येन्द्र कुश कृष्णा बैराही ने लिखा है कि कुमाऊं की लोककला,

संस्कृति और परम्पराओं में भी किसी नुकीले औजार या कांटे से विविध प्रकार की आकृतियां उभारी जाती थी। श्री पी.एन. चोपड़ा ने *सोसाइटी एंड कुल्जर डयूरिंग* में गोदना का विवरण दिया है। वंदना अग्रवाल ने *रामायण* में नारी सौंदर्य में गोदना कला का उल्लेख किया है। उदयशंकर जी ने *बैगा बैसाखित* में गोदना का वर्णन किया है। बैरियर एल्विन ने *ट्राइब्स मिथ्स ऑफ उड़िसा* में स्त्री पुरूष में अंतर करने का माध्यम गोदना को बतलाया है।

अत: स्पष्ट है कि गोदना की प्रथा प्राचीन काल से विद्यमान है। शिक्षा के विकास और आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में गोदना की प्रथा **'टैटू'** के नाम से फैशन के रूप में आज भी विद्यमान है। युवा वर्गो में इसका क्रेज अधिक है। गोदना की परम्परा भारत में ही नहीं वरन विदेशों में भी प्रचलित है। अफ्रीका व आस्ट्रेलिया जैसे कई देशों में गोदना को साहस का प्रतीक माना जाता है। गोदना का संबंध स्वास्थ्य से भी है, जो लोग चलने-फिरने मे असमर्थ होते हैं उनके जांघ के आस-पास सुई के द्वारा गोदना गोदा जाता है तो वह एक्यूपंचर का काम करता है, जिससे कई बीमारियों से निजात पाया जा सकता है।

पहले बालोर का रस, बबूल के कांटे में डुबोकर गोदा जाता था। अब आधुनिक मशीनों का प्रयोग किया जाता है। पूर्व में देवार, भाट एवं ओझा जाति की महिलाओं के द्वारा यह कार्य किया जाता था। छत्तीसगढ़ में **रामनामी समुदाय** जिनकी संख्या 5 लाख से अधिक है जो अपने चेहरे सहित पूरे शरीर में राम नाम का गोदना गुदवा लेते हैं। ऐसा वे भक्ति और राम नाम के प्रति आस्था के कारण करते हैं। गोदना किसी व्यक्ति विशेष के प्रति प्रेम, स्वास्थ्य, आध्यत्मिकता तथा परम्परा का संवर्धन व संरक्षण का कार्य करती है। इसमें प्राचीन संस्कृति के हस्तांतरण एवं आधुनिकीकरण की प्रक्रिया का समिश्रण के तत्व सन्निहित हैं।

गोदना जन-जन में व्याप्त एक ऐसी लोक-कला है जो पारम्परिक और आधुनिक संस्कृति को जोड़ती है। गोदना की कला संवहन की ऐसी कड़ी है जो धर्म व आस्था से तो जुड़ा ही है, साथ ही साथ आधुनिकीकरण एवं परिवर्तित स्वरूप में मित्रता, व्यक्तित्व एवं मनोभावों को प्रदर्शित करने के लिए युवा वर्ग गोदना कला को अपनाए हुए है। अत: हम कह सकते हैं कि गोदना न केवल सौंदर्य बोध का परिचायक है बल्कि आत्म-अवलोकन व पारलौकिक रहस्य से परिपूर्ण अनुभूति का परिचायक भी है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. बैरियर एल्विन (1964) मिथ्स ऑफ इंडिया, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, न्यूयार्क।
2. लाला जगदलपुरी (1994) बस्तर: इतिहास एवं संस्कृति, प्रकाशक- मध्य प्रदेश हिंदी ग्रन्थ अकादमी। चतुर्थ संस्करण 2016, पृष्ठ 256 से 259।
3. उदय शंकर भट्ट (1991) गोदना की परंपरा, *धर्मयुग*।
4. अजय कुमार चतुर्वेदी (2019) छत्तीसगढ़ में गोदना प्रथा। https://www.sahapedia.org/chatataisagadha-maen-gaodanaa-parathaa-social-role-tattooing-chhattisgarh.
5. मध्यप्रदेश जनजातीय संग्रहालय (1991) आदिवासी लोककला, *चौमासा,* पृष्ठ 55, अंक 25.
6. आशारानी पटनायक (2020) परंपरागत गोदना प्रथा (अतीत से आज तक)। *अक्षरवार्ता इंटरनेशनल रिसर्च जरनल*।

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
October to December 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVI

हिन्दी भाषा की उत्पत्ति

डॉ. राजू हमीरसिंह देसाई *

*** सहायक प्राध्यापक (हिन्दी) शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, खरगोन (म.प्र.) भारत**

प्रस्तावना – का भाषा का संस्कृत, प्रेम चाहिए साँच।
काम जो आवै कामरी, का लै करी को कुआँच।।
– गोस्वामी तुलसीदास

किसी भी देश का साहित्य योग सापेक्ष होता है। अर्थात् उस युग में उस समाज की सांस्कृतिक, राजनीतिक,धार्मिक प्रवृत्तिया ,जैसी होती है वह उन्हीं को प्रतिबिंबित करता है, साथ ही युग को प्रेरित करने, उसे विकसित होने की प्रेरणा भी देता है। हिन्दी साहित्य का तथा भाषा का भी अतीत इन्हीं परिस्थितियों को प्रतिबिंबित करता है और विकास की गति को आगे बढ़ाता है। हिन्दी भाषा साहित्य के अभ्युदय का युग विक्रम की 10 वीं शताब्दी से माना जाता है। उस समय हिन्दी अपने पूर्व रूप अर्थात् अपभ्रंश ,डिंगल पिंगल आदि से मुक्त होकर अपना नवीन स्वरूप ग्रहण करने में लगी थी, तत्कालीन ग्रंथों तथा रासो ग्रंथों से इसकी पुष्टि होती है। उस युग में हमारा देश विदेशी आक्रमणों की चपेट में आ गया था और आक्रांता हमारी सभ्यता और संस्कृति हमारी धार्मिक परंपराओं और मान्यताओं पर भीषण प्रभाव डालने लगे थे जिससे एक नवीन युग धारा प्रवाहित होने लगी थी। हमारे हिन्दी शब्द और उसके साहित्य का विकास इन्हीं विविधाताओं के बीच जन्म ले रहा था। विदेशी आक्रांताओ की भाषा और साहित्य का प्रभाव भी उस युगीन साहित्य में स्वभावतरू पड़ रहा था। ये विदेशी आक्रांता प्राय: अरबी और फारसी के ज्ञाता थे। इन भाषाओं में 'स' वर्ण का उच्चारण 'ह' की तरह होता था। इसलिए देश की उत्तरी पश्चिमी सीमा से जुड़ी नदी सिंध को वह हिंद कहते थे। इसी आधार पर सिंध शब्द से हिंद बना और कालांतर में इस क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा भी हिन्दी की भाषा हिंद कही गई इस दृष्टि से हिन्दी शब्द का अर्थ हिंद में बोली जाने वाली सभी भाषाओं से होता है। यह भाषा अपने विकास की यात्रा में अनेक भाषाओं और स्थानीय बोलियों को ग्रहण करते हुए वर्तमान स्वरूप में हिन्दी कहलाई जिसके विकास का इतिहास एक दिलचस्प कहानी है। भाषा सुदूर अतीत में हिन्दी को भाषा के ही नाम से जाना जाता था जिसका प्रयोग बोलचाल की भाषा के लिए होता था। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी इसे भाषा का ही नाम दिया था। उपरोल्लेखित पद में भाषा नाम हिन्दी का ही द्योतक है। कबीरदास ने इस भाषा को बहते नीर के समान गतिशील माना है। 'संस्कृत है कूप जल भाषा बहता नीर' हिन्दी की उत्पत्ति संस्कृत से और संस्कृत देवभाषा मानी गई है। हिन्दी अब भी अपनी मूल भाषा संस्कृत से प्रेरणा ग्रहण करती है। इसीलिए इसकी लिपि को भी देवनागरी लिपि कहा जाता है। संस्कृत भाषा देश भर में व्याप्त थी और सभी प्रदेश के लोग उसे अपने – अपने ढंग से लिखते बोलते थे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के प्रारंभ में ही हिन्दी को भाषा के नाम से अभिहित किया –

'स्वांन्त: सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा–
भाषा निबंधमतिमंजुलमातनोति'

रीतिकाल में कवि केशवदास ने ब्रज भाषा में अपना काव्य – सृजन किया जो हिंदी की ही एक बोली है –

'भाषा बोलि न जानही, जिनके कुल के दास।
तिन भाषा कविता करी, लघुमति केशवदास।।'

शब्द कुंजी – हिन्दी अपने रूप अपभ्रंश – डिंगल – पिंगल आदि से मुक्त होकर अपना नवीन स्वरूप ग्रहण करने लगी थी। 'स' वर्ण का उच्चारण 'ह' की तरह होता था। सिन्ध को हिंद कहते थे। और सिंध शब्द से हिंद बना हिंद के अन्य स्वरूप हिन्दुई या हिन्दवी बना। अमीर खुसरो ने अपनी रचनाओं का सृजन इसी भाषा में किया और उसे हिन्दवी नाम दिया। कविवर जायसी, इंशाअल्ला खॉ ने भी अपनी रचनाओं में इसे 'हिन्दवी' कहा। हिंदुई या हिंदवी शब्द हिंदी के अर्थ में ही प्रयुक्त हो रहे थे। इसलिए हिन्दुई हिन्दवी शब्द से ही हिन्दी की उत्पत्ति मानी जाती है।

'स्वांन्त: सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा–
भाषा निबंधमतिमंजुलमातनोति'
–गोस्वामी तुलसीदास

गनीमत हैं कि, हिन्दी को पाणिनी कात्यायन या पंतजली नहीं मिले वरन् यह भी 'कूप जल' की तरह हो जाती। बहता नीर नहीं रहती। और यह बार–बार नित नयी चाल में नहीं ढल पाती। महा कवि भारतेन्दुजी ने कहा कि, 'हिन्दी नयी चाल' में ढल रही हैं। प्रसिद्ध संस्मरण लेखक एवं भाषाविद् कान्ति कुमार जैन लिखते हैं, हिन्दी पुन: नया रूप धारण करने जा रही हैं।

भाषा की पवित्रता या सुचिता को लेकर चिंता करने वाले लोग भाषा की उत्पचत्ति एवं उसके विकास से अनभिज्ञ हैं, या अनदेखा करते हैं। हिन्दी की विकास यात्रा उपलब्धत 'स्त्रोतों के अनुसार' विरोस समाज की यात्रा के साथ शुरू होती हैं। यह समाज भारोपीय भाषा का मूल प्रयोक्ता रहा हैं। इनके मूल स्थान के बारे में विभिन्न मत प्रचलित हैं। प्रथम मत इनका मूल स्थान 'भारत' में ही मानता हैं, दूसरा एशिया में ही कहीं नहीं बाहर मानता हैं। तृतीय मत इन्हें एशिया के किसी संधि स्थतल को मानता हैं। पर इतना सब स्वी कार करते हैं कि, दो शाखाए बनी एकस ईरान में और दूसरी भारत में, कुछ पहाड़ी क्षेत्रों में बसे उन्हें हदरद कहा गया। भारत में आर्यो द्वारा रचित ग्रन्थक ऋग्वेमद में ईरान की भाषा अवेस्ताम के बहुत से शब्द मिलते हैं। जो इन

जातियों की नजदीकी या सम्पर्क का प्रमाण हैं। ड़ॉ. वान ने भारेपीयी परिवार के दो वर्ग बनाये सतम् वर्ग और केन्तुजम यहाँ सतम् अवेस्ताप भाषा का शब्दे हैं। इसी वर्ग की एक शाखा भारत ईरानी हैं।

इसे हिन्दी ईरानी या आर्य भाषा भी कहते हैं। भारोपीय परिवार की यह शाखा बहुत महत्वपूर्ण हैं। इस परिवार को प्राचीनतम प्रमाणिक साहित्य शुद्ध अर्थो में इसी शाखा में मिलता है। इतना ही नहीं ऋग्वेद के समान शुद्ध साहित्य संसार की किसी भी भाषा में कदाचित नहीं मिलता है। ऋग्वेद की कुछ ऋचाए दो हजार ई.पू. तक लिखी जा चुकी थी, ऐसी कुछ विद्धानों की धारणा है, और 1500 ई.पू. तक तो इसका बहुत सा अंश लिखा जा चुका था। ईरानी में भी उस साहित्य की रचना हो रही थी, किंतु 323 ई.पू. में सिकंदर और 651 ई. में अरबी आक्रान्तारओं ने ईरानी के पुराने साहित्य को जला डाला। सातवीं सदी ई.पू. की इस पुस्तक की टिका या जेन्दस पलवी भाषा में लिखी गयी इसलिए इसे जेन्दावेस्ता भी कहते हैं। भारत और ईरान के लोग स्वयं को आर्य कहा करते थे। इसमें ईरानी (पारसी) जाति के यहाँ 'अवेस्ता' का वही महत्व था जो भारतीय जाति में वेद का। दोनों जातियाँ यज्ञ एवं देवताओं को मानने वाली थी, किंतु जरस्थुश्चर के बाद दोनों धार्मिक दृष्टि से अलग हो गए और फिर अवेस्ता एवं संस्कृत दूर-बहुत-दूर होती गयी।

भारत में प्रवेश करने वाले आर्यो के विभिन्न दलों की भाषाओ में कुछ न कुछ भिन्नता अवश्य थी, परंतु उनमें साहित्यिक भाषा का एक सर्वमान्य रूप विकसित हो गया था। इसी साहित्यिक भाषा में ऋग्वेद के सूंक्तों की रचना हुई। वैदिक संस्कृत काव्य भाषा होने के कारण तत्कालीन बोलचाल की भाषा से थोड़ी भिन्न दिखाई देती है, जबकि इनके बाद लिखे गए हैं ब्राम्हीण एवं उपनिषद् आदि का जो गद्य है, वह बोलचाल की भाषा के अधिक नजदीक है। सात सौ ई.पू. के बाद संस्कृत का विकसित रूप मिलने लगता है। इसे सूक्तों में भी देखा जा सकता है। यह संस्कृत पाणिनीय संस्कृत के काफी पास पहूँच गयी है। यद्यपि उसमें पाणिनीय संस्कृत की एकरूपता नहीं है। इसी काल के अंत में लगभग पॉचवी सदी में पाणिनी ने अपने व्याकरण में संस्कृत के उदिच्य. में प्रयुक्त रूप के अपेक्षाकृत अधिक परिनिष्ठित एवं पण्डितों में मान्य रूप को नियमबद्ध किया, जो सदा सर्वदा के लिए लौकिक या क्लौसिकल संस्कृत का सर्वमान्य आदर्श बन गया। पाणिनी की रचना के बाद बोलचाल की भाषा पाली प्राकृत, अपभ्रंश, आधुनिक भाषाओं के रूप में आज तक विकास करती आयी है।

आधुनिक काल में भारततेंदु तक पहुंचकर यह निज भाषा या मातृभाषा बन गई। हरिश्चंद्र जी जब लिखते हैं-

'निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल।
बिन निज भाषा ज्ञान के, मिटत न हिय को शूल।।'

तब वह हिंदी की ओर ही संकेत करते हैं हिन्दी के अन्य स्वरूप हिन्दुई या हिन्दवी - वर्तमान हिन्दी का नामकरण अपने पूर्व के कई स्वरूपों से निखर कर वर्तमान नाम और स्वरूप प्राप्त कर सकती है। जिस प्रकार सिंध शब्द से हिन्दी शब्द अपना नाम ग्रहण कर सका, ठीक वैसे ही हिंद से हिन्दी ने अपना नाम ग्रहण किया।

ग्रियर्सन जैसे कुछ विद्धानों का यह मानना है कि हिन्दी के विकास में एकमात्र भूमिका अंग्रेजों की रही चिंता का विषय है। ग्रियर्सन ने तो यहां तक कहा कि हिन्दुओं के पास कोई भाषा नहीं थी, जिससे वह गद्य में कुछ लिख पाते, ग्रियर्सन निश्चित ही विद्धान था। और भारतीय भाषाओं पर उसके द्धारा किया गया कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है।आवश्यकता है हिन्दी के शुद्ध रूप को बचाए रखने की, और उसकी सांस्कृतिक अस्मिता को बचाए जाने की क्योंकि हिन्दी केवल एक भाषा ही नहीं बल्कि हमारा संस्कार है, हमारी संस्कृति है, हमारी पहचान है-

हिंद है हम वतन है। हिंदुस्ता हमारा।।

पाणिनीय व्याकरण ने संस्कृत को क्लासिक रूप दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि संस्कृत का एक स्थाई रूप बन गया, उसमें परिवर्तन की संभावना लग-भग खत्म हो गयी और एक लंबे समय बाद उसे 'कूप-जल' कहा जाने लगा। परंतु उस समय जो जन भाषा थी या बोलचाल की भाषा थी, उसमें निरंतर परिवर्तन होते रहे, इसी भाषा को मध्यकालीन आर्य भाषा कहा गया, इसे ही प्राकृत कहा गया। प्राकृत के बारे में दो तरह की धारणाए हैं, 'डॉ. ग्रियर्सन' का मानना है, कि प्राकृत जन भाषा थी, जिसे पंडितों ने परिष्कृत कर वैदिक संस्कृत का रूप दिया। और बाद में लौकिक रूप दिया। नेमि साधु भी प्राकृत को पुरानी भाषा मानते हैं, जिसको संस्कारित करके संस्कृत बनायी गयी। वे काव्यालंकार में टीका लिखते हैं द्द 'प्राकृत एक लजक जन्तमा व्याकरणादिमिरनाहत संस्कार: सहजो वचन व्यापार: प्रकृति: प्रकृति तत्र भव: सेव वा प्राकृतम्यय। जैसे जल सागर में प्रवेश करता है और सागर से ही निकलता है, उसी प्रकार सभी भाषाए प्राकृत में ही प्रवेश करती है, और प्राकृत से ही निकली है। दूसरी धारणा यह है कि प्राकृत का जन्म संस्कृत से हुआ है। 500 ई.पू. से 1000 ई.पू. तक बोली जाने वाली प्राकृत संस्कृत से उत्पन्न है।

वस्तुत: संस्कृत के पहले बोली जाने वाली जनभाषा प्राकृत थी, और जब संस्कृत के वैदिक और लौकिक रूप बने, उस समय की जनभाषा भी प्राकृत थी, और जिसे संस्कृत से उत्पन्न मध्यकालीन आर्य भाषा कहा जाता है, वह भी तत्कालीन जनभाषा प्राकृत ही थी, जिसके बाद में अपभ्रंश का विकास हुआ। जब संस्कृत नहीं थी, उस समय जनभाषा भी प्राकृत थी, और जब संस्कृत 'कूपजल' बन गयी तो, जो जनभाषा 'बहता नीर' थी वह भी प्राकृत थी। प्राय: बोलचाल की भाषाए ही परिष्कृत होकर साहित्यिक भाषा बनती है, और जब साहित्यिक भाषाए जनता से दूर होती है तो जनभाषा पुनर्नवा बनकर विकसित होने लगती है।

पाली शब्द की उत्पत्ति और उसके क्षेत्र के विवादों में न उलझ कर हमें यह स्वीकार करने में कोई असुविधा नहीं है कि पाली मध्यदेश की भाषा है और उसे शौरसेनी प्राकृत का पूर्ण रूप मान सकते हैं। पाली के प्रारंभिक प्रयोग भाषा के रूप में नहीं वरन् बुद्ध के वचनों के रूप में मिलते हैं। पाली शब्द का भाषा के रूप में प्रयोग आधुनिक काल में हुआ। अभिलेखी प्राकृत से आशय है, शिला लेखों पर लिखी प्राकृत इसलिए इसे शिला लेखी प्राकृत भी कहते हैं। इसमें अशोक एवं अन्य राजाओं द्धारा लिखवाये गये अभिलेख आते हैं। विभिन्न दृष्टिकोण के आधार पर प्राकृत के बहुत सारे भेदों के उल्लेख मिलते हैं परंतु मुख्य रूप से पांच प्राकृत को ही स्वीकार किया जाता है। 1. शौरसेनी 2. पेशाची 3. महाराष्ट्र 4. अर्द्धमागधी एवं 5. मागधी प्राकृत में अधिकांश शब्द तद् भव है। इसमें इनमें उन शब्दों के भी तद् भव हैं जो आस्ट्रिक या द्रविड़ आदि से संस्कृत में लिए गए थे। साथ ही इस काल तक आते-आते आर्य भाषा में अनुकरण या अन्य आधारों पर बने बहुत से देशज शब्दों का भी विकास हो गया था। अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सबसे पहले व्यादि और पतंजलि द्धारा हुआ।

भरतमुनि ने भी विशिष्ट शब्दों का प्रयोग किया। किसी क्षेत्र विशेष

की भाषा अपभ्रंश नहीं थी, बल्कि जितनी प्राकृत थी उन सभी की उतनी ही अपभ्रंशों का विकास हुआ। इन अपभ्रंशों से जो आधुनिक भाषाए निकली वे इस प्रकार है – शौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिन्दी , राजस्थानी, गुजराती, पहाड़ी/ पैशाची अपभ्रंश से लॅहद पंजाबी/ प्राचड़ अपभ्रंश से सिंधी, महाराष्ट्री, अपभ्रंश से मराठी/ अर्द्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिन्दी और मागधी अपभ्रंश से बिहारी बंगाली उड़िया और असमिया। यह तो ठीक है कि उत्तर भारत में बोली जाने वाली आर्य भाषाए हिन्दीग की बहिने हैं। संस्कृत कालीन बोलचाल की भाषा विकसित होकर पाली फिर प्राकृत फिर क्षेत्रीय अपभ्रंशों का विकास हुआ। अत: संस्कृतकालीन या कह सकते हैं कि संस्कृत पूर्व की बोलचाल की भाषा धारा प्रवाहित होते – होते हिंदी का रूप धारण किया।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. डॉ. कांति कुमार जैन : इक्कीसवी शताब्दी की हिन्दी– साहित्यवाणी इलाहाबाद पृ.7
2. डॉ. भोलानाथ तिवारी : भाषा विज्ञान किताब महल इलाहाबाद 2008 पृ.131
3. डॉ. भागीरथथ मिश्र : हिन्दी साहित्य का परिचयात्मसक इतिहास राधाकृष्णण नयी दिल्ली7 : 2010 पृ. 11
4. डॉ. उदयनारायण तिवारी–हिन्दी भाषा का उद्गम और विकास लोक भारती इलाहाबाद 2003 पृ.25
5. डॉ. देवेन्द्र नाथ शर्मा : भाषा विज्ञान की भूमिका राधाकृष्णा नयी दिल्ली 2000 पृ. 111
6. डॉ. राजेश श्रीवास्तव : 'शम्बर'हिन्दी भाषा कैलाश पुस्तक सदन भोपाल/2014
7. डॉ.विभा शुक्ला डॉ. वीरेंद्र मोहन: हिन्दी भाषा का इतिहास म.प्र.हिन्दी ग्रंथ अकादमी भोपाल/2015

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
October to December 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVI

1857 से पूर्व भारतीय रियासितों की स्थिति – एक अध्ययन

डॉ. शालिनी गुप्ता *

*** सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष (इतिहास) प्रभारी प्रोफेसर स्वामी विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन प्रकोष्ठ – शासकीय गणेश शंकर विद्यार्थी महाविद्यालय मुंगावली, अशोकनगर (म.प्र.) भारत**

शोध सारांश – 16 शताब्दी के उत्तरार्ध में यूरोपीय देशों की व्यापारिक कंपनियों और उनके साथ ईसाई धर्म प्रचारकों ने भारत आना प्रारंभ कर दिया था।17वीं और 18वीं शताब्दी में उन्होंने अपने नीति कौशल से इस देश के राजनीतिक एवं आर्थिक जीवन पर प्रभाव स्थापित कर लिया था ।इन कंपनियों में ईस्ट इंडिया कंपनी ने फ्रांसीसी और पुर्तगाली कंपनियों को बहुत पीछे छोड़ दिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने देश के राजा, महाराजाओं के आपसी मतभेदों का लाभ उठा कर भारत में एक विशाल भू–भाग पर अपना अधिकार कर लिया था । अंग्रेजों ने भारत में साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाई थी। अंग्रेज कंपनी के कर्मचारियों की शोषण की नीति तथा अधिकारियों की साम्राज्य विस्तार की योजना ने भारतीय नरेश से लेकर जनसाधारण तक के मन में प्रतिरोध की भावना जागृत कर दी थी। लॉर्ड डलहौजी की अपहरण नीति ने आग में घी डालने का कार्य किया। अपहरण नीति का प्रभाव केवल भारतीय नरेशों के ऊपर ही नहीं पड़ा, बल्कि संपूर्ण भारत की जनता भी इस परिधि भी में आ गई थी। इस प्रकार भारत के प्रत्येक निवासी का मन अंग्रेजों के प्रति घृणा से भर गया। भारतीय नरेश अब उस प्रक्रिया पर विचार करने लगे कि, किस प्रकार अंग्रेजों को भारत से खदेड़ा जाए। इसी के प्रतिक्रिया स्वरूप 1857 की क्रांति का सूत्रपात हुआ। इस शोध पत्र के माध्यम से प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के लिए देसी रियासतों में होने वाले गतिविधियों तथा योजनाओं को 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की मुख्यधारा से जोड़ने तथा एकीबद्ध करने का प्रयास किया गया है।

शब्द कुंजी – 1857 के पूर्व देसी रियासतों की स्थिति, घटनाएं ,योजनाएं, कार्य प्रणाली।

प्रस्तावना –क्रांति का श्रीगणेश होने से पूर्व भारतीय रियासतों की स्थिति दो प्रकार की थी एक तो वे रियासतें थी जो अंग्रेजों के विरुद्ध कुछ करना नहीं चाहती थी और दूसरी वे रियासतें थी जो इस थोपी गई राज्य सत्ता को समूल उखाड़ फेंकना चाहती थी।1857 की क्रांति प्रारंभ होने से पूर्व भारत में बड़ी–बड़ी नौ रियासतें थी– कश्मीर,निजाम,मैसूर, ग्वालियर, इंदौर,बड़ौदा, दिल्ली जयपुर तथा जोधपुर। इसके अतिरिक्त अवध, झांसी ,कानपुर संतृप्त रियासतें थी, जिनमें क्रांति की ज्वाला धधक रही थी। वैसे तो देशी रियासतें निष्प्राण थी, किंतु अंग्रेजों के व्यवहार से असंतुष्ट एवं विरोधी भाव लिए इन रियासतों का जनमानस उग्र रूप धारण कर चुका था। क्रांति के पूर्व भारतीय समझ चुके थे, कि जब तक इस विदेशी सत्ता को निर्मूल नहीं किया जाएगा, तब तक उसके प्राण स्वतंत्र रूप से श्वास नहीं ले पाएंगे। इस आदर्श को सामने रखकर क्रांतिकारियों ने इस महान कार्य का सिंहनाद कर दिया जिसमें इस ओर ध्यान नहीं दिया गया कि कितनी क्षति होगी।देश की स्वतंत्रता को ही परम ध्येय मानकर परम यह चिंगारी प्रज्वलित कर दी गई। यद्यपि यह पूर्ण रूप से गुप्त थी। अंग्रेजों के असहनीय एवं अमानवीय सरकार से छुटकारा पाने के लिए आवश्यक था कि एक गुप्त संगठन गठित किया जाए, इसके लिए समस्त देसी नरेश एक सूत्र में आबद्ध हो। इस अवसर की उपलब्धि नाना साहब के पेंशन मामले की निरस्ती पर हुई। नाना साहब के वकील अजीमुल्ला खान जब इंग्लैंड की सरकार की अपहरण नीति का पोषक पाकर रिक्त हस्त रह गए,तो उन्हें दक्षिण भारत के रंगों– बापू एकमात्र आश्रय मिले,जिनके संग बैठकर अजीमुल्लाह ने विचार–विमर्श किया। इस विचार विमर्श के पश्चात यूरोप के अन्य देशों का भ्रमण करते हुए भारत लौटे।इस भ्रमण में गैरीबाल्डी से भी मिले तथा उन्हें भारतीय स्थिति से अवगत कराया। अब एक ओर रंगो जी बापू सतारा में बैठे हुए दक्षिण के नरेशो को और वहां के लोगों को तैयार कर रहे थे,तो दूसरी ओर अजी मुल्ला खान और नाना साहब बिठूर में बैठे हुए आगामी क्रांति के नक्शे को पूरा कर रहे थे। इस योजना का निर्माण बिठूर में बैठकर नाना साहब व अजीमुल्ला खां के मार्गदर्शन में हुआ। सर्वप्रथम सिंधिया राजमाता बैजाबाई से संपर्क स्थापित किया गयातत्पश्चात होलकर तथा जयपुर जोधपुर रीवा, बड़ौदा, हैदराबाद, कोल्हापुर सतारा इंदौर इत्यादि के राजाओं से पत्र व्यवहार किया। नाना साहब के पत्रों का उत्तर दीर्घकाल तक प्राप्त नहीं हुआ।लखनऊ के कुछ साहूकारों ने नाना साहब के विचारों से अपना साम्य प्रकट किया। पूर्वी प्रमुख मानसिंह, नाना साहब के इस विचार से सहमत हुए और उनके साथ संयुक्त हो गए। जब इस योजना को प्रतिपादित किया जा रहा था,अंग्रेजों ने अवध को अधीनस्थ कर लिया। इसका प्रभाव यह हुआ कि अनेक लोग इस विचार की ओर आकृष्ट हुए। क्रांति करने की योजना करने वालों का मुख्य विचार यह था कि भारत के सभी हिंदू और मुसलमान सम्राट बहादुरशाह के झंडे के नीचे मिलकर अंग्रेजों को देश से बाहर निकाल दे और फिर सम्राट के झंडे के नीचे ही अपने देश के सुशासन का नए रूप से प्रबंध करें। नाना साहब एवं मानसिंह ने सम्राट बहादुरशाह से पत्र व्यवहार किया और यह निश्चित किया कि मुसलमानों के लिए बादशाह और हिंदुओं के लिए दीवान गिरी दिल्ली सम्राट रहेंगे। इस व्यवस्था से हिंदू तथा मुसलमान दोनों को ही एक करने तथा इस महान राष्ट्रीय कार्य को संपन्न करना सरल हो गया।इसे संपन्न करने के लिए आवश्यक था कि वांछित धान एकत्रित हो सके,क्योंकि धान का अभाव सैनिकों को आकर्षित कर सकता था।पत्रों के उत्तर लंबी अवधि तक प्राप्त नहीं हुए थे। जम्मू के राजपूत गुलाब सिंह ने सर्वप्रथम उत्तर

भेजा,उन्होंने कहा कि वह जन,धन तथा शस्त्र से तैयार हैं। उन्होंने लखनऊ के एक साहूकार के द्वारा नाना साहब के पास धन भेजा इसके अतिरिक्त लखनऊ के अन्य साहूकारों ने भी इस कार्य के लिए धान भेजा। ऐसा प्रतीत है कि इस विशाल संगठन की नींव बिठूर में ही रखी गई थी। संगठन इतना विशाल होते हुए भी इतना संपूर्ण, सुंदर और सुव्यवस्थित था,कि उसे अंग्रेजों जैसी जागरूक कोम से बरसो इतनी अच्छी तरह गुप्त रखा गया कि,इस विषय में अनेक अंग्रेज इतिहास लेखकों तक ने क्रांति के प्रवर्तको और संचालकों की योग्यता की मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। अधिकांश भारतीय नरेश जिनको कंपनी की ओर से कुछ सुविधाएं प्राप्त थी, वे मूक दर्शक बनकर इस राष्ट्रीय कार्य का अवलोकन कर रहे थे ।इतना तो निश्चित था कि देसी राज्यों की शक्ति हीनता,राजवंशों की पंगुता एवं मुगल सम्राट की असहायता को देखते हुए कोई भी क्रांति केवल सेनानियों के विद्रोह से प्रारंभ हो सकती थी। इस विषय में आवश्यकता की भारतीय सैनिकों तथा सेना नायकों को इस महान कार्य में योग देने के लिए प्रेरित किया जाए। 1856 ई.से कुछ समय पहले नाना साहब ने बिठूर में बैठे हुए भारत भर में चारों ओर अपने गुप्त दूत और प्रचारक भेजने शुरू कर दिए थे। नाना साहब के विशेष दूत दिल्ली से लेकर मैसूर तक सब भारतीय नरेशों के पास पहुंचे और उनके गुप्त प्रचारक कंपनी की सारी देसी फौजों तथा जनता को अपनी ओर करने के लिए निकल पड़े थे। जो गुप्त पत्र नाना साहब ने इस समय भारतीय नरेश को लिखे, उनमें उन्होंने कहा,कि किस तरह अंग्रेज सरकार एक-एक करके देसी रियासतों को पराधीन करने में लगी हुई है।उत्तरी भारत इस प्रत्यन में अधिक सक्रिय रहा क्योंकि संपूर्ण विचार क्रांति का संचालन यह यहीं से हो रहा था।

इस संगठन को सहयोग देने का कार्य नाना साहब के अतिरिक्त मौलवी अहमद शाह ने भी किया जो प्रचार कार्य के प्रमुख व्यक्ति थे। प्रचार कार्य की व्यवस्था इतनी सुंदर वह गुप्त थी कि महीनों से नहीं बल्कि वर्षों से वे सारे देश के राजाओं से संपर्क कर राष्ट्रीय हितों की बात कर रहे थे। एक देशी दरबार से दूसरे देशी दरबार तक, विशाल महाद्धीप के एक सिरे से दूसरे सिरे तक ,नाना साहब के दूत घूम चुके थे। इन पत्रों को होशियारी के साथ और शायद रहस्यमय शब्दों से भिन्न - भिन्न धर्मो के राजाओं और सरदारों को सलाह दी गई थी और उन्हें आमंत्रित किया गया थ, कि आप आगामी युद्ध में भाग लेय इस योजना को सफल बनाने के लिए आवश्यक था कि कोई ऐसा स्थान हो,जहां से संपूर्ण प्रभावित क्षेत्र पर दृष्टि रखी जा सके। दिल्ली ही एक ऐसा स्थान था,जहां से संपूर्ण उत्तर भारत में क्रांति की प्रगति का अवलोकन किया जा सकता था। इस कार्य के लिए एक वरिष्ठ सहयोगी की भी आवश्यकता थी। सम्राट बहादुरशाह उनकी बेगम जीनत महल और उनके सलाहकारों ने देश और नाना साहब का पूरा साथ देने का निश्चय कर लिया। बहादुर शाह ने भी ईरान के शाह से पत्र व्यवहार किया तथा दिल्ली नगर में गुप्त सभाएं करने तथा क्रांति को सफल बनाने के लिए प्रयत्न आरंभ कर दिएय नाना साहब के वकील अजीमुल्लाह खा ने इंग्लैंड से लौटते समय रूस का भी भ्रमण किया था।भारतीय तत्कालीन स्थिति का विवेचन भी रूसी नेताओं से उन्होंने किया था। नाना साहब ने उक्त संबंध में रूस से संबंध स्थापित किया और जैसा सीताराम बाबा ने अपने बयान में स्वीकार किया कि नाना साहब ने गुलाब सिंह तथा रूस दोनों को ही लिखा एवं रूस से उत्तर भी प्राप्त हुआ।इस उत्तर में यह कहा गया कि, उसे सहयोग तब तक नहीं दिया जा सकता,जब तक वह दिल्ली पर अधिकार स्थापित नहीं कर लेता।यदि वह सफलता प्राप्त कर लेता है तो अंग्रेजों के कोलकाता से भगाने में सहयोग दिया जाएगा। कंपनी सरकार का आक्रोश लखनऊ के नवाब पर भी प्रभावी रूप से प्रस्फुटित हुआ था और उसे नवाबी से निर्वासित होना पड़ा था। अपनी निर्वासितता का प्रतिशोध लेने के लिए नवाब वाजिद अली शाह उसका होशियार वजीर अली नक़ी खा, अवध के सब ताल्लुकेदारों और वहां की सारी प्रजा इस राष्ट्रीय क्रांति की सफलता पर अपना सर्वस्व न्योछावर कर देने के लिए तैयार हो गई थी। इन देशी राज्यों के निर्वासित, पदच्युत एवं आर्थिक रूप से उत्पीड़ित नरेश किस क्रांति में अपना सहयोग प्रदान करने लगे थे। सभी वर्गों के लोगों को उनकी क्षमता एवं कार्य कुशलता के अनुसार कार्यों का वितरण किया गया।इनमें चौकीदार से लेकर सेनानायक, नरेश से फकीर तक में अपना कौशल दिखलाया। यह तो निश्चित था कि कंपनी सरकार के अधीनस्थ राज्यों के अतिरिक्त अन्य देशी राज्यों में भी सैनिक कंपनी सरकार के निर्देशों के अनुसार प्रशिक्षित किए जाते थे,जिन्हें प्रशिक्षण अंग्रेज अधिकारी देते थे। इन सैनिकों के मन में देश प्रेम जागृत करना तथा उन्हें क्रांति की ओर अग्रसर करने के लिए साधान तथा फकीरों का सहयोग वांछित था। वजीर अलीनकी खान ने कलकत्तो में बैठकर मुसलमान फकीरों और हिंदू साधुओं के रूप में अपने गुप्त दूत उत्तर भारत की तमाम देशी फौजों में भेजने शुरू किए और उन फौजों के भारतीय अफसरों के साथ गुप्त पत्र व्यवहार प्रारंभ किया।

यह प्रचार सैनिको तक बल्कि बैरकपुर से पेशावर तक और लखनऊ से सतारा तक हजारों राष्ट्रीय फकीर और सन्यासी घूम घूम कर एक-एक पलटन में स्वाधीनता के युद्ध का प्रचार करने लगेय संगठन को गुप्त रखने के लिए आवश्यक था, कि गांव में रहने वालों को अपने विश्वास में लिया जाए। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण साधन था धार्मिक व्यक्तियों को धर्म प्रचार के माध्यम से जनसाधरण में भेजना तथा उनकी भावनाओं को जागृत कर मनोवांछित उद्देश्य की पूर्ति हेतु जनमानस तैयार करना।इस हेतु भी साधु और फकीरों को इस कार्य के लिए आमंत्रित किया गया था, किंतु वास्तव में ये साधु धार्मिक रूप से क्रांति प्रचारक अधिक थे। इन्हें धार्मिक व्याख्यान देने का तथा उसमें अपना हेतु मिश्रित कर प्रकट करने का उत्तम अनुभव था। यही कारण था कि क्रांति का प्रचार गुप्त ढंग से होता रहा। इस रहस्य पूर्ण कार्य के लिए नियुक्त साधु,फकीर अपना कार्य जिस अनवरत ढंग से संपन्न कर रहे थे, यह आश्चर्यजनक एवं क्रांति नायकों की दूरदर्शिता थी जिसका आभास अंग्रेजों को यदि भारतीय देशद्रोही प्रकट न करते तो किसी भी प्रकार न होता और ना वे इस स्थिति का सामना कर पातेय क्रांति के प्रचारक इतने सजग और सक्रिय थे कि निर्धारित कार्य को निर्धारित समय में ही पूरा कर लेते थे।इन प्रचारकों को कार्य के अनुसार वाहन व्यवस्था थी । इन राजनीतिक फकीरों को प्रायरू संतरी के लिए हाथी और सुरक्षा के लिए सशस्त्र सिपाही मिले हुए थे।यहां तक कि काशी, प्रयाग और हरिद्वार में अंग्रेजी राज के नाश के लिए खुली प्रार्थनाएं होने लगी तथा सहस्त्रों यात्री भावी क्रांति में भाग लेने का संकल्प लेने लगे।तमाशों,लावनियों,कठपुतलियों, नाटकों आदि से भी क्रांति के संचालकों ने पूरा लाभ उठायाय इन साधु संन्यासियों तथा फकीरों को योजनाबद्ध कार्यक्रम की रूपरेखा दी गई थी। उन्हें अपने केंद्रों से वांछित कार्य संपादित करना होता था। पहले केंद्रों की संख्या कम थी, परंतु धीरे-धीरे संगठन के केंद्रों की संख्या में वृद्धि होने लगी।इनमें भारतीयों को देश और धर्म के नाम पर बलिदान होने के लिए आमंत्रित किया जाता था। इस प्रकार की घोषणा 1857 ई. के प्रारंभ में मद्रास में भी लगी हुई पाई गई थी।स्थान -स्थान पर गुप्त सभाएं होने लगी थी जिनमें एक-एक

समय में दस दस सहस्त्र व्यक्ति भाग लेते थे। पत्र व्यवहार के लिए गुप्त लीपियां तैयार की गई थी। योजना को कार्यान्वित करने एवं क्रांति की रूपरेखा का प्रचार व अन्य व्यवस्थाओं के अवलोकन के लिए एक संगठन या विशिष्ट निरीक्षण की आवश्यकता थी और इसी हेतु नाना साहब यह तथा अजीमुल्ला खान के द्वारा एक रहस्य पूर्ण एवं राजनीतिक उद्देश्य से पूर्ण एक तीर्थ यात्रा की योजना बनाई गई। देश में दो ही धर्म प्रचलित थे और दोनों ही धर्मों के प्रतिनिधियों का इस हेतु भ्रमण अनिवार्य था।नाना और उनके मुख्य मंत्रण विशेषज्ञ अजीमुल्लाह इस अभियान पर निकल पड़े।इस यात्रा का मुख्य ध्येय देशी राजाओं के जनमानस में क्रांति का उद्देश्य तथा अन्य राजाओं को इसमें सहयोग प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना था। जब इस यात्रा की पूर्ण रूपरेखा तैयार हो चुकी तो नाना साहब की तीर्थ यात्रा प्रारंभ हुई।

बिठूर से चलते समय नाना साहब के साथ बाला साहब तथा अजीमुल्ला खां तथा अन्य सेविका, सर्वेक्षक रक्षक आदि थे। सबसे पहले यह लोग दिल्ली पहुंचे। लाल किले के दीवानी खास में सम्राट बहादुरशाह,बेगम जीनत महल और दिल्ली के मुख्य नेताओं के साथ इन लोगों की गुप्त मंत्रणा हुई। इसके बाद नाना साहब अंबाला गए। अनेक स्थानों के चक्कर लगाने के बाद 18 अप्रैल को नाना और इनके साथी लखनऊ पहुंचे।लखनऊ में नाना का बड़े समारोह के साथ जुलूस निकाला गया।नाना साहब जहां जाते थे वहां के अंग्रेज अधिकारी से मिलकर उन्हें तरह-तरह के बहाने करके अपनी ओर से निश्चित कर देने के प्रयत्न करते रहते थे।इसके बाद कालपी इत्यादि होते हुए नाना साहब अप्रैल के अंत में बिठूर वापस आ गए थे। इस यात्रा के साथ नाना साहब का वह उद्देश्य भी पूरा हो गया था, जिसके तहत अंग्रेजी सेनाओं में भारतीयों को इस योजना की जानकारी देना था। नाना जी की इस यात्रा में ही रविवार 31 मई 1857 का दिन समूचे भारत में एक साथ क्रांति करने के लिए नियत कर दिया गया था किंतु स्थिति की सूचना हर केंद्र के मुख्य मुख्य नेताओं को और हर पलटन के तीन तीन अफसरों को दी गई। दूसरे लोगों का कर्तव्य केवल अपने नेताओं की आज्ञा पर काम करना था। विविध नेताओं की पलटनों के बीच इस समय खूब पत्र व्यवहार हो रहा था।इस तरह के एक पत्र में जो अंग्रेजों के हाथ लग गया था, लिखा था 'भाइयों हम स्वयं विदेशियों की तलवार अपने शरीर में खोप रहे हैं,यदि हम खड़े हो जाए तो सफलता निश्चित है कोलकाता से पेशावर तक सारा मैदान हमारा होगा।' इस क्रांति को प्रसारित करने के लिए दो चिन्हों को तय किया गया था कमल और चपाती। जिनका अर्थ देखने वालों को ही समझ आता था।कमल का फूल उन पलटनों में जो इस संगठन में सम्मिलित थीं, घुमाया जाता था।किसी एक पलटन का सिपाही फूल लेकर दूसरी पलटन में जाता था। उस पलटन में हाथों-हाथ वह फूल सबके हाथों से निकलता था।जिसके हाथ में वह फूल सबसे अंत में आता था उसका कर्तव्य होता था कि वह अपने समीप वाली दूसरी पलटन तक उस फूल को पहुंचा दे।इसका गुप्त अर्थ यह लिया जाता था कि उस पलटन के सब सिपाही क्रांति में भाग लेने को तैयार हैं। इस तरह के सहस्त्रों कमल पेशावर से बैरकपुर तक विभिन्न पलटनों के अंदर घुमाई गए।चपाती (रोटी)एक गांव का चौकीदार दूसरे गांव के चौकीदार के पास ले जाता था। उस चौकीदार का कर्तव्य होता था कि वह उस चपाती में से थोड़ी सी चपाती स्वयं खाकर अपने गांव के दूसरे लोगों को खिला दे।फिर आटे की उसी तरह की चपाती बनाकर वह अपने समीप के गांव तक पहुंचा दे।इसका अर्थ यह होता था कि उस गांव की जनता क्रांति में भाग लेने को तैयार है। कुछ ही महीनों में यह चपाती, भारत जैसे विशाल देश में एक सिरे से दूसरे सिरे तक लाखों ग्रामों के अंदर पहुंच गई। निसंदेह सिपाहियों के लिए कमल और जनता के लिए रोटी दोनों चिन्ह गंभीर और अर्थ सूचक थे। जनसाधरण को विश्वास दिलाने के लिए नाना साहब और बहादुर शाह की घोषणा ने भी समस्त उत्तर भारत को एक सूत्र में पिरो दिया था। इससे पूर्व हिंदू मुस्लिम धर्मों का एकीकरण बहुत बड़ा गतिरोध था जो इस घोषणा से प्राय:रू समाप्त हो चुका था।सेना को सहायता देने के लिए देशवासियों को आमंत्रित किया गया था। साथ ही तत्कालीन अंग्रेजी सरकार की 'फूट डालो राज करो' की नीति को भी प्रकट किया गया था।अंग्रेजों को समूल नष्ट करने तथा भारतीय जागरूकता का परिचय देने के लिए तत्पर रहने के लिए घोषणा में व्यवस्था की गई थी-'प्रजा में जो भी सेना को सामग्री देने में व्यय करेगा, वह अधिकारियों से रसीद लेकर अपने पास रखें।इसके लिए, उसे बादशाह से दूनी कीमत मिलेगी ।इस समय जो भी कायरपन दिखाएगा और अंग्रेजों की धोखा देने वाली बातों में आएगा तथा उन पर विश्वास करेगा, उसका फल भोगेगा।' उक्त विवेचना के साथ यह भी स्पष्ट किया गया कि हिंदू मुसलमान एक होकर इस कांति में भाग ले,क्रांति के नेताओं की आज्ञा का पालन करें स्वयं की व्यवस्था एवं सुरक्षा का ध्यान रखते हुए शांति एवं साधनों को व्यवस्थित रखने का प्रयत्न करते रहे। साथ ही कंपनी सरकार की इस योजना का भी संकेत दिया गया था कि प्रथम सेना को ध्वस्त किया जाए और फिर बड़े अनुशासन से संपूर्ण जनता को ईसाई बनाया जाये।वास्तव में गवर्नर जनरल का ही आदेश है, कि गाय और सुअर की चर्बी से बने कारतूस सेना में वितरित किए जाएं ।यदि व्यवधान उत्पन्न करें तो उन्हें तोप से उड़ा दिया जाए। क्रांति के लिए पांच मुख्य केंद्रों की व्यवस्था की गई ।यह केंद्र दिल्ली ,बिठूर, लखनऊ, कोलकाता और सतारा थे।निस्संदेह जिस शीघ्रता और वेग के साथ सारे भारत और विशेषकर उत्तर भारत में क्रांति का प्रचार किया गया ,अत्यंत आश्चर्यजनक था। तारीफ यह है कि अंग्रेजों को अंत समय तक इस तैयारी का कुछ भी ज्ञान न हो सका।दिल्ली के दीवाने खास को राजधानी की गतिविधि का संचालन भार सौंपा गया था।मौलवी अहमद शाह ने लखनऊ तथा आगरा के बीच स्वातंत्रय युद्ध के मोर्चे खड़े कर दिए थे। जगदीशपुर के नायक कुंवर सिंह ने अपने राज्य के नेतृत्व का उत्तरदायित्व ले लिया था और वे नाना साहब से संपर्क बनाकर युद्ध के लिए सामग्री एकत्रित कर रहे थे ।समध पटना नगर क्रांति का दुर्ग बन चुका था। पंडित ,मौलवी, जमीदार ,किसान ,व्यापारी ,वकील, विद्यार्थी आपसी मतभेद भुलाकर स्वदेश तथा स्वराज के लिए सब कुछ करने को उद्धत थे।दक्षिण भारत में क्रांति यद्यपि नगण्य प्रतीत होती थी।फिर भी अशांत भारतीय गुप्त मंत्रनाएं कर रहे थे तथा दक्षिण में कंपनी सरकार के अधीनस्थ भारतीय पैदल सेना तथा तोपखाने के सैनिकों को भारतीय होने की शपथ दिला रहे थे।उत्तर भारत में जिस प्रकार बिठूर का राज प्रसाद योजना बनाने में तथा नाना साहब व अजी मुल्लाह इस महान योजना को सफल बनाने में व्यस्त थे। ठीक उसी तरह अंग्रेजों के अधीनस्थ सतारा में भूतपूर्व नरेश तथा उनके महामंत्री रंगो बापूजी दक्षिण भारत में इस क्रांति के सूत्रधार थे। सतारा, कोल्हापुर तथा पूना परिक्षेत्र में रंगों बापूजी पूर्वी लोगों में अपना प्रभाव जमा कर डकैत गिरोह जैसी व्यवस्था कर रहे थे। इसका प्रभाव सतारा के आसपास अधिक था। निस्संदेह यह व्यवस्था गुप्त थी किंतु अंग्रेज अधिकारी संदेह की दृष्टि से रंगो बापूजी की हर गतिविधि देखने लगे थे।फिर भी रंगो बापूजी दृष्टि से ओझल होकर क्रांति का शंखनाद करते रहे।सेना को यह उद्घोष भलीभांति मन:स्थित किया गया था,कि हिंदू मुस्लिम संतानें देश की रक्षा

के लिए करवद्ध रहेंगी,केवल ईसाई वर्णसंकर ही इस महान कार्य से वंचित रहेंगे। कंपनी सरकार की सभी छावनी में यह गुप्त संदेश भेज दिया गया था कि क्रांति का दिन 31 मई 1857 आधारित है तथा संपूर्ण देश में यह क्रांति एक साथ प्रारंभ की जाएगी इस प्रकार क्रांति को निर्धारित किया गया।अत: विद्रोह का सूत्रपात देशी रियासतों में तूफान की तरह फैल चुकाथा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. भारतवर्ष और स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास, भंडारी ,सुख संपत्ति राय, डिक्शनरी पब्लिशिंग हाउस ब्रह्मपुरी अजमेर,पृष्ठ संख्या 284-289।
2. भारतीय स्वतंत्रता संग्राम समवेत सुमन ग्रंथ माला, चौहान देवेन्द्र सिंह दाऊ, कछवाहाघार साहित्य सृजन समिति,2008, पृष्ठ 12संख्या
3. वार ऑफ़ सिविलाइजेशन इंडिया, ए.डी. 1857, (खंड 2)।
4. पॉलिटिकल प्रोसीडिंग्स 30.12.1859।
5. कंसल्टेशन 355-356 दिनांक 30.4.1858 सीक्रेट।
6. पॉलिटिकल प्रोसीडिंग्स 2599, ज्ञापन क्रमांक 157 दिनांक 14.11.1858।
7. पॉलिटिकल प्रोसीडिंग्स दिनांक 31.12.1858 पत्र क्र.48 दिनांक 14.11.1858 तथा 221 दिनांक 20.12.1858।
8. कंसल्टेशन 36-38 दिनांक 11.02.1858 तथा 221 दिनांक 14.01.1859।
9. मधयप्रदेश के रणबांकुरे, मिश्र डॉ सुरेश श्रीवास्तव, भगवानदास, स्वराज संस्थान संचालनालय भोपाल,2004,153-154।
10. राष्ट्रीय अभिलेखागार मिलिट्री प्रोसीडिंग्स दिनांक 08.03.1859 क्र.220 सप्लीमेंट्री।

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
October to December 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVI

भारतीय परिवार का सामाजिक-सांस्कृतिक परिवेश

नीता मौर्या *

* शोधा छात्रा (समाजशास्त्र) श्री शिवा पी0 जी0 कॉलेज, तेरही कप्तानगंज, आजमगढ (उ.प्र.) भारत

शोध सारांश – 'किसी भी बालक में संस्कारों का बीजारोपण बाल्यावस्था में ही परिवार से होता है अत: पारिवारिक परिवेश एवं सामाजीकरण जैसा होगा, उसकी भावी पीढ़ी का स्वरूप एवं व्यवहार भी ठीक वैसा ही होगा।परिवेश जितना मूल्यपरक एवं आदर्शात्मक होगा बालक का सामाजिकरण उतना ही मूल्यपरक एवं आदर्श में होगा। अपेक्षित पारिवारिक परिवेश में बड़े सदस्यों के अनुकरणीय गुणों व पदों के अनुसार व्यवहार का ज्ञान, संबंध न्याय व समानता पर आधारित संबंध, पीढ़ियों के बीच अंतर का ज्ञान, अनुजोंके उचित-अनुचित एवं आधार पर सम्यक मार्गदर्शन व शिक्षा तथा आधयात्मिकता शामिल होते हैं।प्रस्तुत शोधपत्र का अध्ययन पारिवारिक परिवेश पर आधारित है। जिसके अंतर्गत मुख्य रूप से यह देखने का प्रयास किया गया है कि पारिवारिक परिवेश में आदर्शात्मक मूल्यों का विकास, किस प्रकार निर्धारित होता है।'

शब्द कुंजी – पारिवारिक वातावरण,सामाजिकरण, अनैतिक वातावरण, सामाजिक गुण, पारिवारिक एवं आत्म प्रत्यय, मूल्य आदि।

प्रस्तावना – मानव समाज के उद्भव के साथ ही परिवार अस्तित्व में आया और आज भी समाज के मौलिक एवं महत्त्वपूर्ण संस्था के रूप में अवस्थित है। इस सन्दर्भ में **श्यामा चरण दूबे (1993)** का मत है कि, 'मानव की समस्त सामाजिक संस्थाओं में परिवार एक आधारभूत और सर्वव्यापी सामाजिक संस्था है। संस्कृति के सभी स्तरों में चाहें उन्हें उन्नत कहा जाय या निम्न किसी न किसी प्रकार का पारिवारिक संगठन अनिवार्यत: पाया जाता है।'[1] परिवार व्यवस्थित सामाजिक जीवन की प्रथम इकाई है और **'समाज रूपी भवन के कोने का पत्थर'**। परिवार यौन-सन्तुष्टियों का नियमन करता है, सन्तान के जनन एवं पालन-पोषण की व्यवस्था करता है, यह भावनात्मक घनिष्ठता का मूर्तरूप है, विभिन्न सामाजिक-आर्थिक-राजनीतिक-सांस्कृतिक-धार्मिक-शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, इत्यादि। उक्त कार्य परिवार सर्वप्रथम व आत्मीयता से करता है, इसलिए यह समाज की मौलिक इकाई है। स्पष्ट है कि, परिवार मानव-जाति के आत्म-संरक्षण, वंशवर्धन एवं जातीय जीवन की निरंतरता (मनुष्य मरणशील है, किन्तु मानव जाति अमर है) बनाये रखने का प्रमुख साधन है। अपनी सन्तान के रूप में मानव सदैव जीवित रहता है। यदि यह कहा जाय तो अतिश्योक्ति नहीं होगी कि, मानव के पास जो कुछ सुन्दर है, वह परिवार द्वारा सुरक्षित रखने से ही है।

स्पष्ट है कि, परिवार महत्वपूर्ण प्राथमिक समूह[2] होने के नाते व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अभिनीत करता है। बालक का प्रारम्भिक सामाजीकरण परिवार में ही होता है। इसीलिए परिवार को प्राथमिक पाठशाला भी कहा जाता है। व्यक्ति की जैविक आवश्यकताओं के साथ-साथ उसके मानसिक विकास की प्रक्रिया में परिवार का महत्वपूर्ण योगदान है। जिस देश में परिवार संगठित एवं व्यवस्थित रूप से कार्य करते हैं उस देश के नागरिक महान, चरित्रवान और कर्त्तव्यपरायण होते हैं। इसके विपरीत जिन देशों में परिवार विघटित हैं, उन देशों के व्यक्ति गैर-जिम्मेदार और लापरवाह होते हैं। किसी भी देश के परिवारों को देखकर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उस देश के नागरिक कैसे हैं। ये सभी तथ्य यह स्पष्ट करते हैं कि परिवार का महत्व सभी संस्थाओं से अधिक है।

मेकाइवर और पेज[3](1980)के मतानुसार प्राथमिक समूहों में समाजशास्त्रीय दृष्टि से परिवार सबसे महत्वपूर्ण है। परिवार समाज को अनेक रूपों में प्रभावित करता है। पारिवारिक परिवर्तन समस्त सामाजिक संगठनों में प्रतिध्वनित हो उठते हैं। मानव-समाज में असंख्य परिवर्तनों के मध्य भी अपनी निरन्तरता और स्थायित्व बनाये रखने की इसमें अपूर्व क्षमता है। इस उद्धरण से यह ज्ञात होता है कि परिवार कितनी महत्वपूर्ण तथा आवश्यक संस्था है।

प्रत्येक देश में परिवार का महत्व पृथक्-पृथक है। भारतीय समाज में परिवार का जितना अधिक महत्व है, उतना पाश्चात्य देशों में नहीं। हमारे देश में परिवार अथवा गृहस्थ-जीवन धर्म का एक अंग हैं। परिवार की स्थापना करके व्यक्ति अनेक ऋणों से ऋण होने का प्रयास करता है। इसके विपरीत पाश्चात्य देशों में परिवार यौन-सन्तुष्टि का एक माध्यम है, जिसमें औपचारिकताओं और व्यक्तिवादी विचारधाराओं का महत्व अत्यधिक है। फिर भी परिवार का कम अथवा अधिक महत्व प्रत्येक देश व समाज में है।

लुण्डवर्ग[4](1939) के सम्बन्ध में लिखते हैं कि, 'सामाजिक व्यवस्था के अन्तर्गत यदि पुनरोत्पादन की क्रिया रूक जाय, यदि बच्चों का पालन-पोषण न किया जाये और उन्हें अपने विचारों की अगामी पीढ़ी के लिए संचरित करना एवं एक-दूसरे से सहयोग करना न सिखाया जाये, तब सम्भवत: समाज का अस्तित्व ही समाप्त हो जायेगा।'

के0एम0 पन्निकर[5](1955) परिवार के महत्व को बताते हुए लिखते है कि 'सैद्धान्तिक रूप से असमबद्ध होने पर भी वह दो संस्थायें जाति तथा संयुक्त परिवार व्यवहारिक रूप से एक दूसरे से इतनी मिली है कि वे एक सामान्य संस्था बन गई है। हिन्दू समाज की इकाई व्यक्ति नहीं संयुक्त परिवार है।'

वास्तव में परिवार एक ऐसा स्थल है, जहाँ व्यक्ति की मूलभूत

आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। परिवार जहाँ एक ओर व्यक्ति के अस्तित्व व जीवन की रक्षा करता है वहाँ दूसरी ओर विवाह के माध्यम से उसकी काम-वासना की भी पूर्ति करता है। यदि परिवार न हो तो व्यक्ति की उपर्युक्त दो महत्वपूर्ण मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति स्थायी रूप से नहीं हो सकती है। **परिवार एक समिति भी है और एक संस्था भी।** दोनों रूपो में इसके कार्य महत्वपूर्ण है। एक समिति के रूप में यह कुछ सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक मानव संगठित समूह है। एक सामाजिक संस्था के रूप में परिवार कुछ आधारभूत मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संगठित तथा स्थापित पद्धतियों, कार्य-प्रणालियों की एक सुगंठित व्यवस्था है।

परिवार सार्वभौमिक संस्था है, किन्तु परिवार का कोई निश्चित स्वरूप नहीं है। भिन्न-भिन्न देशों व स्थानों पर परिवार पृथक्-पृथक् प्रकार के पाये जाते है। कहीं पर मातृ-सत्तात्मक परिवार है तो कहीं पर पितृ-सत्तात्मक, कहीं बहु-विवाह परिवार है तो कहीं बहु-पत्नी-विवाह परिवार है, कहीं आधुनिक परिवारों की अधिकता है तो कही संयुक्त परिवारों की। परिवार के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वे चार-दीवारियों में ही पाए जाय। खाना-बदोशों का भी परिवार होता है और फुट-पाथ पर सोने वाले निर्धन, भीख मांगने वाले भिखारियों अथवा श्रमिकों का भी परिवार होता है। वे व्यक्ति जो सड़कों के किनारे टाट का मकान बनाकर अथवा किसी पेड़ की छाया में रहते है, उनका भी परिवार होता है। इस तरह परिवार के अनेक स्वरूप है।

संक्षेप में, मानव-समाज का इतिहास परिवार से है, क्योंकि मानव-जीवन के प्रारम्भ से ही परिवार उसके साथ है और किसी-न-किसी रूप में यह सांस्कृतिक विकास से सभी स्तरों पर पाया जाता है। इतना ही नहीं, **चार्ल्स कूले**[6] ने भी परिवार को एक ऐसा प्राथमिक समूह माना है, जिसमें बच्चों के सामाजिक जीवन व आदर्शों का निर्माण होता है। इस रूप में परिवार व्यक्ति के सामाजीकरण का एक प्रमुख साधन भी है। साथ ही, परिवार ही समाज की प्रारम्भिक इकाई है। परिवार के बिना समाज की निरन्तरता सम्भव नहीं है, क्योंकि परिवार बच्चों को उत्पन्न करता है जो उन लोगों का रिक्त स्थान भर देते हैं, जोकि मर जाते हैं। इस प्रकार परिवार द्वारा मृत्यु और अमरत्व, दो विरोधी अवस्थाओं का सुन्दर समन्वय हुआ।

परिवार मानव समाज की **'मौलिक एवं सार्वभौम संस्था'** है और यह समय, स्थान एवं परिस्थिति विशेष के अनुरुप संरचति व संगठित है। इस दृष्टि से परिवार के किसी सामान्य व सर्वमान्य अर्थ को अभिव्यक्त करना सर्वथा सम्भव नहीं हैं। फिर भी अध्ययन की सुविधा हेतु परिवार को **सीमित** एवं **विस्तृत** अर्थों में स्पष्ट किया जा सकता है। परिवार के **सीमित अर्थ** को उन समाजों में अधिक स्पष्ट रूप में देखा जाता है, जहाँ **'व्यक्तिवादी'** धारा का प्रचलन है। ऐसे समाजों में परिवार का व्यक्ति से मात्र इतना ही सम्बन्ध होता है कि, यौन सम्बन्धों का नियमन, इससे जन्में बच्चों को माता-पिता का नाम और इनके वयस्क होने तक लालन-पालन कर देना। इस अर्थ में परिवार को सामान्यतया **पाश्चात्य एवं उत्तर आधुनिकता** वाले समाजों में स्वीकारा जाता है। **परिवार के विस्तृत अर्थ** को **भारत (जैसे- 'संयुक्त परिवार')** एवं इसके समरूप समाज में स्वीकृति प्रदान किया जाता है। **भारत में व्यक्ति की अपनी स्वतंत्र परिचय नहीं होता, बल्कि वह परिवार, गोत्र, पिण्ड, वंश एवं जाति से जाना व पहचाना जाता है।** इस बारे में **दोषी एवं जैन**[7] का विचार है कि, भारतीय समाज की सबसे छोटी संरचनात्मक इकाई परिवार है। परिवार का निर्माण विवाह संस्था द्वारा होता है और जो भी दम्पत्ति विवाह सूत्र में बँधते हैं, वे अपने आप ही नातेदारी व्यवस्था को बनाते हैं। **इरावती कर्वे**[7] **(1990)** कहती हैं कि, नातेदारी का विस्तार ही जाति को बनाता है। उनके शब्दों में जाति व्यवस्था और कुछ न होकर नातेदारी का फैलाव मात्र है। भारतीय समाज में परिवार का महत्त्व दुनियाँ के अन्य समाजों की तुलना में कहीं अधिक वजनी है। हमारे यहाँ सभी सामाजिक क्रियाओं की सबसे छोटी इकाई परिवार है। परम्परागत हिन्दू समाज में राज्य और जाति तथा वर्ग के लिये समूह महत्वपूर्ण होता है। अगर हम हिन्दी और प्रदेशिक भाषाओं को देखें तो बहुत स्पष्ट हो जायेगा कि इनके साहित्यिक मुहावरा है कि, यदि पिता साहूकार से कर्ज लेता है और किसी तरह चुका नहीं पाता और मर भी जाता है तो इस कर्ज की अदायगी परिवार के अन्य सदस्यों पर आ जाती है। जब परिवार का एक व्यक्ति बंधुआ बनता है, तब उसके बाद यदि कर्ज नहीं चुकता तो परिवार के दूसरे सदस्य बंधुआ बन जाते हैं। सब मिलकर भारतीय समाज की सबसे महत्वपूर्ण इकाई परिवार है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. Dube, S.C. (1993): "Understanding Change", Vikas Publishing House, New Delhi, , p. 99.
2. Cooley, C.H.: "The Expression Face-to-face group whose social organization: Remains a keen analysis", Se especially ch-III and IV.
3. MacIver, R. M.: (1980) "Society", The MacMillan & Co., London,Page, C. H. p. 238.
4. Lundberg, G.A.: (1993) "Foundating of Sociology" (New York, 1939). pp. 163-173.
5. Panikkar, K.M.: (1955) "Hindu Society at Cross Roads," Asia Publishing House, Bombay, , p. 19.
6. Cooley, C.H.: "The Expression Face-to-face group whose social organization : Remains a keen analysis", Se especially ch-III and IV.
7. R.M. MacIver (1947) "The Web of Government and Society", (New York, 1947), Chapter VII,
8. Karve, Irawati: (1990), "Kinship Organisation in India', Munshi Ram Manohar Lal Publishers, Pvt. Ltd., New Delhi, p. 52.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
October to December 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVI

कबीर दास की सामाजिक चेतना

डॉ. सरोज बाला श्याम *

* सहायक प्राध्यापक (हिन्दी) शासकीय गणेश शंकर विद्यायर्थी महाविद्यालय, मुंगावली, जिला - अशोकनगर (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – प्रस्तुत शोध में संत कबीर दास जी सामाजिक धार्मिक दुरावस्था के काल में हुये थे कबीर कालीन भारतीय समाज कई विरोधी विचार शारणियों, आग्रहों तथा उसके विरुद्ध संघर्षरत कई प्रकार की नई शक्तियों के कारण व्यापक उथल पुथल का था। जिनमे से उनकी अथाह विचारों से प्रेरित होकर उनके द्वारा कही गई पंग्तियों के माध्यम से कबीर के विचारों को प्रस्तुत किया जा रहा है। आज भी कबीर के द्वारा कही गई पंग्तियां जीवन के संदर्भ में प्रासंगिक है मनुष्य आज की व्यस्ततम जीवन शैली में नैतिकता से दूर होता जा रहा है तथा अपने जीवन को जटिल बनाता जा रहा है किन्तु वास्तव में देखा जाये तो जीवन ऐक सुनहरा सफर है जिसे बडे ही सरल तरीके से कबीर ने अपनी इन पंगतियों के माध्यम से समझाया है यदि मानव कबीर की इन्ही पंग्तियों को अपने जीवन में अपनाये तो जीवन का उलझने समाप्त हो सकता है।

प्रस्तावना – संत कबीर निर्गुण मत के अनुयायी कवि है। भक्ति काल में निर्गुण भक्तों में कबीर को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। भारतभूमि जो अनेक रत्नों की खान रही है उन्हीं महान रत्नों में से एक थे संत कबीर। कबीर का अरबी भाषा में अर्थ है – महान वे भक्त और कवि बाद में थे, पहले समाज सुधारक थे। वे सिकन्दर लोदी के समकालीन थे। कबीर की भाषा सधुक्कड़ी थी तथा उसी भाषा में कबीर ने समाज में व्याप्त अनेक रूढ़ियों का खुलकर विरोध किया है। हिन्दी साहित्य में कबीर के योगदान को नकारा नहीं जा सकता। रामचन्द्र शुक्ल ने भी उनकी प्रतिभा मानते हुए लिखा है 'प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी।'[1]

'पोथी पढ़ी – पढ़ी जग मुआ पंडित भया न कोय।
ढाई आखर प्रेम का पढ़े, सो पंडित होय'।[2]

कबीर के अनुसार, जिसमें प्रेम, दया व करूणा भावना है वही सबसे बड़ा ज्ञानी है। बड़े – बड़े ज्ञानी भी प्रेम भावना के बिना मूर्ख के समान है।

'जाँति न पूछो साधा की पूछ लीजिए ज्ञान।
मोल करो तलवार का पड़ा रहने दो म्यान।'[3]

कबीर ने गुरू को बहुत महत्व दिया है। उनकी अहम् प्रेरणा का मूल स्त्रोत उनके गुरू ही थे जिनकी कृपा से उन्होंने सभी संकीर्ण बन्धनों को तोड़ा, वे स्वतन्त्र – चिन्तक, उन्होंने बहुत – सी ज्ञानपूर्ण सच्चाईयों को सामान्य जन तक पहुँचाया, आत्म – ज्ञान प्राप्त करना, मूल सत्य से परिचित होना, इस सब कार्यों की प्रेरणा देने वाले उनके गुरू ही थे। वही इस मार्ग को बताने वाले थे।

'पतिव्रता मैली भली, काली कुचित कुरूप।
वाकै एके रूप पर, वारूं कोटि स्वरूप।।'[4]

कबीर जी नाथ योग से प्रभावित थे। इसी कारण उन्होंने नारी को माया स्वरूप माना है तथा साथ ही उन्होंने पतिव्रता नारी की भूरी – भूरी प्रशंसा भी की है।

पूत कपूत तो क्यों धन संचय
पूत सपूत तो क्यों धन संचय।

कबीर जी धन सम्पत्ति जोड़ना भी उचित नहीं समझते थे। उन्होंने थोड़े में ही संतोष करने का उपदेश दिया है। कबीर जी ने आगे की पीढ़ी के लिए भी धन का संचय न करने का उपदेश दिया है – क्योंकि वे जानते थे कि अगर संतान अच्छी व संस्कारी है तो उसके लिए धन की जरूरत नहीं है। अगर संतान आलसी है तो वह सारे संचित धन को बेकार में व्यर्थ कर देगा। इसलिए कबीर ने कहा है –

'कबीर उद्यम अवगुण को नहीं, जो करि जाने कोय।
उद्यम में आनन्द है, सांई सेती होय।।'[5]

कबीरदास जी ने सुकर्म के साथ – साथ लोगों को उद्यम करने का भी उपदेश दिया है जिससे आर्थिक तंगी से निपटा जा सके और पेट भरने के लिए किसी दूसरे पर निर्भर ना रहें।

परिश्रम करने की शिक्षा देने का कबीर जी का मकसद गरीबों की गरीबी दूर करना तो था ही, साथ में देश व समाज की उन्नति करने से भी था। इसलिए कबीर कहते थे –

दुर्बल को न सताइये, जाकी मोटी हाय।
मुई खाल की सांस सो, लोह भसम हो जाय।।

उन्होंने जीवन को क्षण भंगुर बता कर, लोगों को भक्ति और मानव सेवा का फल प्राप्त करने व साथ ही मनुष्य को दुष्कर्म करने के प्रति भी सचेत किया है।

'पानी केरा बुदबुदा, अस मानुस की नात,
एक दिना छिप जाएगा, ज्यों तारा परभाता'[7]

इसमें कबीर ने मनुष्य के शरीर को क्षण भंगुर कहा है कि जिस प्रकार पानी का बुलबुला क्षण में ही नष्ट हो जाता है उसी प्रकार मनुष्य शरीर भी पल में नष्ट हो जाएगा। इसलिए हमें अच्छे कर्म करने चाहिए।

डॉ. पारसनाथ तिवारी लिखते हैं 'सच्ची बात यह है कि हिन्दी साहित्य में कबीर से बड़ा मानवतावादी कोई नहीं हुआ। उन्होंने तत्कालीन भारतीय समाज में प्रचलित समस्त अंधविश्वासों, रूढ़ियों तथा मिथ्या सिद्धान्तों द्वारा प्रचारित सामाजिक विषमताओं का मूलोच्छेद करने का बीड़ा उठाया और

निर्भयता पूर्वक पाखंडों पर प्रहार किया।' [8]

उनकी सबसे बड़ी विशेषता एकत्व की भावना का समर्थन है। डॉ. रामजीलाल के अनुसार, 'कबीर ने सामाजिक विषमता को मिटाकर एकत्व की स्थापना का निश्चय किया। कबीर को प्रगतिशील कहने में हमें कोई संकोच नहीं होना चाहिए। पाँच सौ – छ: सौ वर्ष पूर्व कही गई बात आज भी प्रासंगिक व सम – सामयिक है।' कबीर ने व्यक्ति व समाज को एक दूसरे का पूरक माना है। इस तरह से कबीर भक्त, योगी व दार्शनिक होने के साथ – साथ समाज सुधारक भी थे। कबीर ने समाज सुधार के लिए प्रबल प्रयत्न कर तात्कालीन समाज को अंधाकार से निकालने का भरसक प्रयास किया।

इस तरह से कबीर ने जीवन के सभी पहलुओं में झांका है। उनकी वाणियों में सम्पूर्ण जीव जगत के लिए कल्याण का मार्ग झलकता था जो आज भी समाज के लिए दर्पण का काम करता है। कबीरदास का जीवन, मानवीय गुणों से ओत – प्रोत था, वे सभी जीवों को समदृष्टि से देखते थे, किसी व्यक्ति विशेष की न तो कभी निन्दा करते थे और न ही स्तुति। वे उस व्यक्ति व समाज की बुराईयों की खुलकर निंदा करते थे, जिनमें उनको आडम्बर, पाखण्ड व ढोंग नजर आता था, ऐसे में वो खुलकर बोलते थे –

अत: हम कह सकते है कि कबीर अपने समय एवं समाज के कटु आलोचक ही नही समाज को लेकर स्वपन दृष्टा भी थे उनके मन में भारतीय समाज का एक प्रारुप था जिस पर वे एक विजन के साथ काम कर रहे थे। 'वे मुसलमान होकर भी असल में मुसलमान नही थे वे हिन्दू होकर भी हिन्दू नही थे साधू होकर भी योगी नही थे। वे वैष्णव होकर भी वैष्णव नही थे '।[9]

इस प्रकार कबीर का अपने समाज के प्रति दृष्टिकोण वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित था वो किसी प्रकार के वाह आडम्बर तथा शोषण के खिलाफ खडे थे। इस संदर्भ में हजारी प्रसाद द्धवेदी ने लिखा भी है कि 'कबीर एसे ही मिलन विन्दू पर खडे थे जहाँ एक ओर हिन्दुत्व निकल जाता था दूसरी ओर मुसलमान जहाँ एक ओर ज्ञान निकल जाता है दूसरी ओर अशिक्षा जहाँ एक ओर ज्ञान भक्ति मार्ग निकल जाता है दूसरी ओर योगमार्ग जहाँ एक ओर निर्गुण भावना निकल जाती है दूसरी ओर सगुण साधना उसी प्रसस्त चौराहे पर वे खडे थे वे दोनों ओर देख सकते थे और परस्पर विरुद्ध दिषा में गये मार्गो के गुण दोष उन्हे स्पष्ठ दिखाई दे जाते थे'।[10]

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. रामचन्द्र शुक्ल, हिन्दी साहित्य का इतिहास,पृ0 66, कमल प्रकाशन
2. माता प्रसाद,कबीर ग्रन्थावली, पृ0 65
3. श्यामसुन्दर दास, कबीर ग्रन्थावली
4. माता प्रसाद, कबीर ग्रन्थावली
5. जयदेव सिंह, कबीर वाणी पीयूष,पृ0 133
6. श्यामसुन्दर दास, कबीर ग्रन्थावली
7. डॉ. पारसनाथ तिवारी,कबीर वाणी संग्रह,पृ0 179, छटा संस्करण 1978
8. डॉ. पारसनाथ तिवारी,कबीर वाणी संग्रह
9. डॉ. हजारी प्रसाद द्धिवेदी, हिन्दी साहित्य का उद्भव व विकास, पृ0 77
10. डॉ. हजारी प्रसाद द्धिवेदी,कबीर,पृ0 77–78

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
October to December 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVI

गुना जिले के सहरिया जनजाति के जीविकोपार्जन का समाजशास्त्रीय अध्ययन

डॉ. विजय सिंह *

***सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष (राजनीति विज्ञान) शासकीय गणेश शंकर विद्यार्थी महाविद्यालय, मुंगावली, जिला अशोकनगर (म.प्र.) भारत**

शोध सारांश – गुना जिले के निर्धन लोगों मे सहरिया जनजाति, ग्रामीण शिल्पकार, भूमिहीन श्रमिक एवं सीमांत कृषक आते हैं। ये लोग या तो संपत्तिहीन हैं अथवा अक्षम उत्पादक संपत्ति के स्वामी हैं। इनके पास अत्यंत सार्थक कौशल है, परन्तु पूरी अवधि का नियमित कार्य इन्हें उपलब्ध नहीं है अथवा न्यून पारिश्रमिक वाले कुछ कार्य ही उपलब्ध हैं। फिर भी योजनाओं के समाप्त होने पर बढ़ता हुआ असंतोष इस तथ्य को लेकर रहा कि सहरिया जनजाति के लोगों की निर्धनता में साधारण कमी भी दिखायी नहीं पड़ी। उद्योग की ओर सहरिया जनजाति के नवप्रवृत्त लोगों की समृद्ध जीवन शैली और प्रदर्शनवादी उपभोग ने समृद्ध और अभावग्रस्तों के मध्य के विरोधाभास को बढ़ावा ही दिया।

प्रस्तावना – विकास की समरनीति पर आलोचनाओं की बाढ़-सी आ गयी। संसद और उसके बाहर भी हुए वाद-विवादों में एक ही स्वर मुखरित होता रहा कि धनी धनाढ्य और निर्धन और भी फटेहाल होते जा रहे हैं। हमें जिस प्रश्न का सामना करना है वह यही है कि गुना जिले के सहरिया जनजाति के लोगों की गरीबी को ओझल करने के लिए क्या किया जा सकता है, **'म.प्र. सरकार की परोपकारी वृत्ति की भूमिका में वृद्धि करके इस प्रश्न का समाधान नहीं प्राप्त किया जा सकता, क्योंकि जो दान पर जीवित रहता है वह यह नहीं भूल सकता कि वह निर्धन है। पूर्ण रोजगार की नीति अपना कर ही इसका वास्तविक हल ढूँढ़ा जा सकता है।'**[1]

पूर्ण रोजगार प्राप्त करने के लिए हमें ऐसी रणनीति चाहिए जो उपर्युक्त दो खतरों के विरूद्ध सुरक्षा कवच के रूप में काम आ सके। साथ ही, अतिरिक्त संसाधनों की गतिशील की संभावनाओं पर भी हमें निर्भर नहीं रहना चाहिए। वैसे भी है, संसाधनों पर अब गैर आयोजना क्षेत्र के बढ़ने के बदावों के पैरों की आवाज सुनाई पड़ने लगी है। विकास की प्रक्रिया में अधिकाधिक सहरिया जनजाति के श्रमिकों को खपाना ही वह प्रमुख घटक है जिसे ध्यान में रखकर साधनों की आबंटन संरचना निर्धारित की जानी चाहिए, मात्र व्ययों में वृद्धि कर देना पर्याप्त नहीं होगा। **'सहरिया जनजाति के निर्धनों को जिन वस्तुओं की आवश्यकता है, उनके उत्पादनों को वे प्रेरित करें, इससे पहले हमें उन्हें आय प्रदान करनी चाहिए जिससे वे उन वस्तुओं को खरीद सकें। जिला ग्वालियर के ग्रामीण अंचलों में अधिकाधिक रोजगार अवश्यमेव सृजित किये जाने चाहिये।'**[2] रचनात्मक सहरिया जनजाति के श्रम-संघों के माध्यम से कृषि श्रमिकों को पर्याप्त मजदूरी दिलाई जानी चाहिऐ। विद्युत उपकरणों जैसी उपभोक्ता वुस्तुओं के निर्माण को प्रतिबंधित करना एक भूल होगी। ये अपने निर्माण की प्रक्रिया में तो विपुल रोजगार उत्पन्न करते ही हैं, रख-रखाव और सुधार में भी रोजगार प्रदान करते हैं।

भारतीय समाज एक अनुपम समाज है। जितना व्यवस्थित विभाजन और वर्गीकरण भारतीय सामाजिक व्यवस्था के अन्तर्गत हम पाते हैं वैसा विश्व के अन्य किसी समाज में नहीं। मध्य प्रदेश के अधिकांश जिले जब अविकसित अवस्था में थे तब राजकीय समाज और संस्कृति विकास की चरम अवस्था में थी। प्रस्तुत अध्याय में हम राजकीय सामाजिक व्यवस्था के एक प्रमुख अंग सहरिया जनजाति के 'वर्ण व्यवस्था' का अध्ययन करते हैं। वर्णों को चार भागों में विभाजित किया गया है। ये चार वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, और शूद्र। यह वर्ण कर्मों पर आधारित रहे हैं। इन चारों वर्णों के लिए भिन्न-भिन्न कर्तव्यों का प्रावधान रखा गया है।

ब्राह्मण वर्ण के लिये कहा गया कि 'वे सात्विक जीवन का निर्वाह करेंगे, आचरण में पवित्रता रखेंगे, धर्म-सम्बंधी ज्ञान अर्जित कर इसका प्रसार करेंगे, धार्मिक अनुष्ठानों का स्वयं संपादन करेंगे एवं अन्यों को सहयोग करेंगे, छात्रों को ज्ञान प्रदान करने का कार्य सम्पादित करेंगे।'[3]

क्षत्रियों का प्रावधान समाज को सुरक्षा प्रदान करने की दृष्टि से किया गया था। यह सुरक्षा जन और धन के सभी क्षेत्रों से सम्बंधित रही है। क्षत्रियों के लिए यह अनिवार्य था कि वे प्रजा की रक्षा करें, समुदाय में शांति व व्यवस्था बनाए रखें। बल एवं ज्ञान अर्जित करें, असहायों की रक्षा करें तथा दलितों को दान दें। गीता में क्षत्रियों के गुणों का इस प्रकार वर्णन किया गया है-

शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनम्।
दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम्।।

वैश्य वर्ण चार वर्णों में विशिष्ट स्थिति रखता है। इस वर्ण को समाज की उदर-पूर्ति सम्बंधी व्यवस्था का भार सौंपा गया। वैश्यों से यह अपेक्षा की गई है कि वे कृषि, व्यवसाय अथवा पशुपालन में रत हों ताकि समाज के सदस्यों का जीवन निर्वाह हो सके। मनुस्मृति में उल्लेख किया गया है कि-

पशूनां रक्षणं दानमिज्याध्ययनमेव च।
वाणिक्पथं कुसीदं च वैश्यस्य कृषिमेव च।।

इस प्रकार मनुस्मृति के अनुसार 'वैश्यों को कृषि कार्य, पशुओं की रक्षा, दान देना, यज्ञ करना, अध्ययन करना, व्यापार करना, साहूकारी और कृषि करने से सम्बंधित कार्य सौंपे गये। शूद्र वर्ण समाज का चौथा एवं

अंतिम वर्ण है।'[4] शूद्रों को वर्णों की सेवारत् रखने की दृष्टि से यह प्रावधान किया गया कि वे तीनों वर्णों की सेवा का काम सौंपा गया। आजादी के बाद किए गए प्रयत्नों के फलस्वरूप भारत में जातिगत भेदभाव तो कम हुए हैं, लेकिन इसके स्थान पर जातिवाद बढ़ गया है। सहरिया जनजाति अपनी जाति के प्रति वह संकुचित दृष्टिकोण और भावना है जिसमें व्यक्ति अपनी ही जाति को लाभ पहुँचाने और अन्यों के हितों की अनेदखी करता है। यह धारणा यूं तो सभी सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों के लिये है लेकिन सामाजिक क्षेत्र में एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में उभरी है। इससे एकता में तो बाधा पहुँच ही रही है, प्रजातंत्र को भी नुकसान हो रहा है।

'गुना जिले के सहरिया जनजाति की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। इसने समाज और संस्कृति की रक्षा की है। वर्ण व्यवस्था के बाद यद्यपि जाति के समाज का खंडात्मक विभाजन किया किन्तु इसके द्वारा व्यवसायिक कुशलता और संस्कृति भी जन्मजात रूप में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होती रही।'[5] विदेशी शासनकाल में विदेशियों के अनेक प्रयत्नों के बावजूद जाति व्यवस्था स्वयं तो नहीं बदली बल्कि विदेशियों को ही इसमें समाहित होना पड़ा। हूण, शक, कुषाण, तो जाति व्यवस्था में विलीन ही हो गए। मुसलमान सेकड़ों की संख्या में जाति में परिवर्तित होकर अनेकानेक उपजातियों मे बंटे हुए हैं। जिला ग्वालियर में बहुत सी सहरिया जनजाति के लोग भी, बहुत सी उपजातियों में भी वर्तमान में धीरे-धीरे परिवर्तन हो रहे हैं। जो जन समस्याओं के रूप में दृष्टिगोचर हैं।

स्मृति युग और मध्य युग की कुरीतियों ने जाति व्यवस्था का स्वरूप कलुषित कर दिया। जिससे यह व्यवस्था असमानताजन्य विघटनकारी, यहाँ तक कि छुआछूत की भावना पैदा करने वाली बन गई। ब्रिटिश भारत में ही इसके विरूद्ध आवाज उठायी गई। अनेक विधानों और समाज सुधारकों के प्रयासों के कारण, विशेष तौर से आजादी के बाद किए जाने वाले प्रयत्नों से, जाति-पाँति का भेदभाव तथा असमानता और छुआछूत में कुछ कमी तो आयी लेकिन जाति के स्थान पर जातिवाद बढ़ गया।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. डॉ. चतुर्भुज मामोरिया एवं डॉ. एस.एम. जैन, यूनीफाइड भूगोल, बी.ए.- द्वितीय वर्ष, साहित्य भवन प्रकाशन, आगरा, संस्करण 1997, पृ.- 193
2. वही पृष्ठ-95।
3. डॉ. प्रमिला कुमार, म.प्र. एक भौगोलिक अध्ययन, म.प्र. हिन्दी ग्रन्थ अकादमी भोपाल, 2003, पृ.1।
4. डॉ. सविन्द्र सिंह, भौतिक भूगोल, वसुन्धरा प्रकाशन, गौरखपुर- 1998, पृ.-83।
5. डॉ. चतुर्भुज मामोरिया एवं डॉ. एस.एम. जैन, यूनीफाइड भूगोल, बी.ए.- द्वितीय वर्ष, साहित्य भवन प्रकाशन, आगरा, संस्करण 1997, पृ.- 69-70।

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
October to December 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVI

जलसंरक्षण: आर्थिक विकास की अहम कड़ी

डॉ. असलम खॉन *

* सहा. प्राध्यापक (अर्थशास्त्र) शासकीय कमला नेहरू महिला महाविद्यालय, दमोह (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – भारत एक विकासशील देश है जो विकास की सीढ़ियों पर अपनी तकनीकों और उपलब्ध संसाधनों के सहयोग से विकसित देशों में शामिल होने की होड़ में विगत दशक से लेकर वर्तमान में भी प्रयासरत है। इन प्रयासों में विभिन्न तकनीकों को अपनाकर अपनी क्षमता अनुसार प्रयास इसकी प्रमुख विशेषता रही है। वर्तमान में मानव ने विकास दर को बढ़ाने के लिए अनेक हथकंडे अपनाए हैं यथा औद्योगिक विकास, नगरीकरण, परमाणु ऊर्जा आदि लेकिन भविष्य में होने वाली पर्यावरणीय समस्याओं से वह अनभिज्ञ रहा। जिस कारण पर्यावरण का संतुलन डगमगा रहा है। फलस्वरूप वायु प्रदूषण,जलप्रदूषण, भूमि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रेडियोधर्मी एवं विद्युत चुंबकीय विकिरण प्रदूषण, जल प्रदूषण आदि मानव जाति के समक्ष भस्मासुर जैसे मुंह बाए खड़ी हुई हैं, जो आर्थिक विकास के साथ-साथ मानव स्वास्थ्य को भी निगलने के लिए तैयार है। मेरा आलेख जलसंरक्षण पर केंद्रित है, इसलिए इसका विष्लेषण उक्त विषय पर केंद्रित होंगा।

जल संरक्षण वर्तमान में विश्व की चिंता का विषय है प्रकृति ने हमें बिना भेदभाव के हवा,पानी ,वन, प्रकाश आदि दिया है लेकिन विकास की दौड़ में शामिल होने के कारण प्रकृति का नैसर्गिक संतुलन बिगड़ता जा रहा है। जल संरक्षण के लिए हमें आज ही से सजग एवं सतर्क रहने की जरूरत है तब जाकर जल का संरक्षण हो पाना संभव हो सकेगा इसके लिए वर्षा जल का संग्रहण, संरक्षण तथा समुचित प्रबंधन आवश्यक है। यह तभी संभव है जब पूरा समाज जोहड़ों, तालाबों एवं झीलों को पुनर्जीवित कर, खेतों में सिंचाई के लिए पीवीसी पाइप द्वारा स्प्रिंकलर से सिंचाई हो, पक्की नालियों का निर्माण, बहाव वाले क्षेत्रों में पानी रोकने के लिए बांध बनाना, पानी की बर्बादी रोकने के लिए सख्त कानून, जल संरक्षण के लिए आम क्रांति, जन जागरण पानी रोको अभियान आदि का व्यापक प्रचार-प्रसार के साथ उन पर अमल जरूरी हो और यह विकास के साथ साथ पर्यावरणीय संतुलन के लिए लाजमी है ।

शब्द कुंजी – भारत में जल सरक्षण, कारण, उपाय, भावी परिदृश्य।

प्रस्तावना – विश्व के मानचित्र पटल पर हम देखें तो हमारा भारत देश जनसंख्या की दृष्टि से जनगणना 2011 के अनुसार 1210569573 करोड़ जनसंख्या है [1] जो चीन के बाद द्वितीय स्थान पर है। भारत के क्षेत्रफल 3287263 वर्ग किलोमीटर [2] में उक्त जनसंख्या 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की दर रह रही है।[3] उक्त क्षेत्रफल में लगभग 1.25 अरब जनसंख्या, देश में उपलब्ध संसाधनों पर दबाव डाल रही है। विकास की दौड़ में शामिल होने के लिए संसाधनों के विदोहन की होड़ लगी है, जो कहीं न कहीं चिंतनीय है। बढ़ती जनसंख्या अनेक समस्याओं को जन्म दे रही है। **नगरीकरण** के कारण शहरों में अनेक समस्याओं को पैदा होने के साथ-साथ पर्यावरण प्रदूषण की समस्याएं वर्तमान में विकराल रूप ले रही हैं।

वास्तव में जल संरक्षण का अर्थ पानी की बर्बादी रोकने एवं पानी को प्रदूषित होने से रोकना या बचाना है। जल संरक्षण वर्तमान परिवेश में एक अनिवार्य आवश्यकता बन गई है क्योंकि वर्षा का जल सालभर उपलब्ध नहीं रहता तथा पानी की कमी को दूर करने के लिए जल संरक्षण अति आवश्यक है। शहरीकरण एवं औद्योगिक विकास के चलते यदि मानव को नहीं रोका गया तो भविष्य में बढ़ते प्राकृतिक असंतुलन से जीवन जीना दूभर हो जाएगा। भारत में औद्योगिक प्रगति ने तो देश में अपनी दर बढ़ा ली है पर उद्योगों के अवशिष्ट पदार्थों को नदियों में छोड़कर उनको प्रदूषित किया है। गुजरात की अमला खेड़ी नदी प्रदूषण की दृष्टि से, प्रदूषण मानक में 513.5 मानक से देश में प्रथम स्थान पर है, वहीं मध्य प्रदेश की खान नदी 71.5 प्रदूषण मानक पर देश में पांचवें स्थान पर है। [4] यह अंदाजा लगाया गया है कि **वायु प्रदूषण में ट्रेस गैसों** की बढ़ती दर से जल चक्र प्रभावित होगा, जिससे जल विज्ञान से संबंधित आपदाओं जैसे बाढ़, सूखा, सतही एवं भूजल संसाधनों की उपलब्धता पर प्रभाव डालेगा। परिणामस्वरूप विकास के साथ-साथ पर्यावरण असंतुलन पैदा होने लगा और विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों से वातावरण दूषित होने लगा। भारत में उपलब्ध जल संसाधन की दृष्टि से अनुमान लगाएं तो यह बात सामने आयी है कि 2001 में प्रति व्यक्ति 1800 क्यूबिक मीटर पानी उपलब्ध था, जो 2050 में घटकर 1000 क्यूबिक मीटर पानी हो जाने की आशंका है। जो एक चिंता का विषय है।

भारत में औसत वार्षिक वर्षा तकरीबन 115 सेंटीमीटर होती है। विडंबना यह है कि क्षेत्रवार इसमें समानता नहीं है। जहां चेरापूंजी में सर्वाधिक वर्षा होती है तो दूसरी ओर राजस्थान सूखा रह जाता है। वर्षा का समान वितरण न होने पर जल संकट गहराता है। हमारी अब तक की तीनों राष्ट्रीय जल नीतियां 1987, 2002 एवं 2012 में पेयजल को सर्वोच्च वरीयता दिये जाने के बावजूद भी पीने के पानी की किल्लत कम नहीं हो पाई है। [5]

पानी की बचत जल संरक्षण का एक अहम बिंदु है। एक अध्ययन से पता चला है कि यदि मानव अपनी आदतों में बदलाव लाता है तो 80 प्रतिशत

से भी अधिक पानी की बचत एवं कुछ ही आदतों को बदलने पर 15 प्रतिशत् जल को बर्बाद होने से बचाया जा सकता है। बूंद-बूंद की बचत एक बढ़ी बचत कहलाती है। सभी को क्षमता अनुसार पानी की बचत करनी चाहिए। वर्ष 2018 में नीति आयोग ने समग्र जल प्रबंधन सूचकांक रिपोर्ट जारी की इस रिपोर्ट में यह बताया गया था कि भारत वर्तमान समय में सबसे गंभीर जल संकट का सामना कर रहा है और इससे भविष्य में लाखों लोगों का रोजगार खतरे में पड़ सकता है इस रिपोर्ट के अनुसार लगभग 75 प्रतिशत् घरों में पीने का पानी उपलब्ध नहीं है।[6] वर्तमान में 3000 से अधिक नगरों में से मुश्किल से 2000 में संगठित जलापूर्ति है।[7] योजना आयोग के अनुसार भूमिगत जल का लगभग 80 प्रतिशत् भाग कृषि क्षेत्र में उपयोग कर लिया जाता है। कहीं ना कहीं इसके बढ़ते उपयोग की जिम्मेदार बिजली पर दी जाने वाली सब्सिडी है। आयोग ने सब्सिडी कम करने की सिफारिश भी की थी। विश्व बैंक के अनुसार भूमिगत जल का 92 प्रतिशत् उपयोग और सतही जल का 89 प्रतिशत् उपयोग कृषि में होता है,जबकि 5 प्रतिशत् सतही जल का प्रयोग घरेलू क्षेत्र में होता है। आजादी के समय प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति 5000 क्यूबिक मीटर पानी की उपलब्धता थी। एक अनुमान है कि वर्ष 2025 में यह घटकर 1500 क्यूबिक मीटर पानी रह जाएगा। योजना आयोग के अनुसार देश का 29 प्रतिशत् क्षेत्र पानी की भीषण समस्या से जूझ रहा है। इसके लिए कृषि क्षेत्र के अलावा औद्योगिक क्षेत्र भी जिम्मेदार है। विश्व बैंक के अनुसार जितना पानी एक गांव, एक माह में प्रयोग करता है, उतना पानी औद्योगिक इकाईयां एक दिन में प्रयोग कर लेती हैं। प्रश्न है कि हमारे देश में 2300 अरब घन मीटर पानी की उपलब्धता एवं **सदाबहित** गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों के रहने के बावजूद भी जल संकट गहराता है। इसका मुख्य कारण यह है कि वर्षा का 47 प्रतिशत् जल बहकर समुद्र में मिल जाता है जो उपयोग में नहीं आता है [8] इस प्रकार जल संरक्षण की आवश्यकता स्वयं सिद्ध हो जाती है क्योंकि जल ही सब प्राणियों के जीवन का आधार है इसी कारण **जल संरक्षण की आवश्यकता निम्न कारणों** से होती है।

1. जल का समुचित वितरण एवं उपयोग सुनिश्चित करना।
2. शुद्ध जल की निरंतर हो रही कमी को पूरा करना।
3. भावी पीढ़ियों के लिए जल की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

जल के बर्बादी या अपव्यय के कारणों की चर्चा करें तो निम्न कारण प्रमुख कहे जा सकते हैं:-

1. नल में से प्रति सेकंड एक बूंद पानी टपकने से 1 माह में 760 लीटर पानी व्यर्थ ही बह जाता है।
2. बाल्टी की वजह सीधे नल से नहाने पर लगभग 50 से 90 लीटर पानी खर्च होता है।
3. हाथ धोकर नल ठीक प्रकार से बंद न करने पर प्रति मिनट 30 बूंद पानी तथा प्रतिवर्ष 46 हजार लीटर पानी व्यर्थ में बर्बाद हो जाता है।
4. कृषि क्षेत्र में पाइप से बगीचे की सिंचाई से पानी की बर्बादी होती है।
5. पानी के प्रेशर से वाहन को धोने, पानी की धार में सब्जी एवं कपड़ा धोने से पानी की बर्बादी होती है। इसे सजगता से बचाया जा सकता है।
6. खेतों की सिंचाई नहरों से करने पर पानी की बर्बादी होती है।
7. आधुनिक टायलेट और यूरिनल में लोग पानी बर्बाद करते हैं।
8. सार्वजनिक नलों में टोंटी के खुले रहने पर पानी की बर्बादी होती है।
9. नहरों द्वारा सिंचाई करने पर पानी अधिक बर्बादी होती है। आदि।

जल संरक्षण के उपाय :

1. राष्ट्रीय विकास में जल के महत्व को देखते हुए **जल संरक्षण** एवं **जल है तो कल है** जैसे अभियान में जन जागरण की अधिक सहभागिता का निर्धारण हो।
2. गांव, कस्बों और नगरों में छोटे-बड़े तालाब बनाकर वर्षा का जल संरक्षण किया जा सकता है।
3. सभी प्रकार के शहरों , नगरों व गांवों के में घरों की नालियों के पानी को गड्ढों में संरक्षित कर उस पानी को पेड़ पौधों की सिंचाई में प्रयुक्त कर साफ पानी को बचाया जा सकता है।
4. प्रत्येक घर में वर्षा जल संरक्षण के लिए एक या दो टंकी बनाई जाएं और इन्हें मजबूत जाली या फिल्टर कपड़े से ढक दिया जाए तो हर घर में जल संरक्षित किया जा सकता है।
5. प्राय: देखा जाता है कि अधिकतर घरों, मुहल्लों, पार्को, सार्वजनिक स्टेण्ड आदि स्थानों पर जल के नलों की **टोंटी** टूटी होती हैं या चोरी कर ली जाती हैं। इस कारण हजारों गैलन पानी बर्बाद हो जाता है। इस बर्बादी को रोकने के लिए नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद एवं ग्राम पंचायत आदि को टोंटियों की चोरी करने वालों पर दण्डात्मक कार्यवाही करना चाहिए।
6. वैज्ञानिक प्रयोगों की मदद से **खारे जल** को पीने योग्य बनाने का कदम भी तटीय क्षेत्रों में सराहनीय है। गुजरात के द्वारका आदि नगरों में प्रत्येक घर में पेयजल के साथ-साथ घरेलू कार्यों के लिए खारे जल के प्रयोग में वृद्धि करके साफ जल को संरक्षित किया जा रहा है।
7. गंगा और यमुना जैसी कई अनेक बड़ी नदियों की नियमित रूप से किसी ना किसी आंदोलन, अभियान के तौर पर साफ सफाई होना चाहिए ताकि इनके जल का प्रयोग शुद्ध जल के रूप में हो सके।
8. हर नागरिक में जल संरक्षण हेतु जागरूकता लानी चाहिए।
9. गंदे जल को सिंचाई में उपयोग करके भी जल संरक्षण किया जा सकता है।
10. पर्यावरण के प्रति जागरूकता जरूरी है क्योंकि पर्यावरण संतुलन का सकारात्मक प्रभाव जल संरक्षण पर पड़ता है। अत: वृक्षारोपण संबंधी कार्यक्रम अतिआवष्यक हैं।
11. नदियों या जल स्त्रोतों में गंदा पानी **विसर्जित** न करें जिससे उसका प्रयोग घर के लिए हो सके।
12. जल संरक्षण विषय को शिक्षा के प्रत्येक स्तर में शामिल किए जाने की आवश्यकता है तब कहीं जाकर जल संरक्षण की आवश्यकता आम जनता तक पहुंच पायेगी।
13. जल संरक्षण के लिए राज्य एवं केन्द्र सरकारों कठोर से कठोर कानून बनाना चाहिए।
14. जल संरक्षण हेतु **रेनवाटर हार्वेस्टिंग तकनीक** का सहारा लेना चाहिए। यह तकनीक पानी की कमी से निपटने का तरीका भर नहीं है, कई बार तो ऐसा देखने को आया है कि इस तकनीक के प्रयोग से इतना पानी एकत्रित हो जाता है कि कोई दूसरे प्रकार के पानी की आवश्यकता ही नहीं होती है, और यह पानी दूसरों को उधार भी दिया जा सकता है। इस प्रकार का उदाहरण हमें केरल में जिला पंचायत कार्यालयों में देखने को मिलता है।

15. रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक का प्रयोग सरकारी भवनों में अनिवार्य करना भी जल संरक्षण के लिए अनूठी पहल होगी। जिसमें सफलती मिलने पर उसे आम नागरिकों के लिए ऐच्छिक तथा बाद में अनिवार्य किया जाना चाहिए। परिणामस्वरूप जल संरक्षण में मदद मिलेगी।
16. पानी का दुरुपयोग हर स्तर पर कानून के द्वारा प्रचार-प्रसार करके एवं इसको सभी शैक्षणिक स्तर में पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम जैसे जल संरक्षण कार्यक्रम भी लागू करना चाहिए।
17. अधिक से अधिक वृक्ष लगाना चाहिए। वृक्ष एक तरफ तो पर्यावरण को नमीं पहुंचाते हैं तो दूसरी ओर वर्षा करने में मदद करते हैं।
18. शहरों, नगरों एवं गांवों आदि सभी जगहों पर जल प्रवाह की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए । सभी जगहों से गंदे पानी का **निकास** अति आवश्यक है।
19. सभी मानव जाति को चाहिए कि भूमिगत जल का प्रयोग समय तथा उपलब्धता के आधार पर ही करना चाहिये, ताकि भविष्य में जरूरत होने पर इसका उपयोग हो सके।
20. सभी मानव जाति को चाहिए कि बर्बाद जल को गहरी जमीन में छोड़ दें ताकि यह बर्बाद जल अंदर जाकर भूजल स्तर में वृद्धि करदे।
21. जल संरक्षण के लिए यह आवश्यक है कि उसका संचय आवश्यक है।
22. जल संरक्षण के लिए यह आवश्यक है कि उसका उचित संवहन तथा स्थानांतरण भी जरूरी है।
23. पुरुष वर्ग दाड़ी बनाते समय यदि टोंटी बंद रखें तो बहुत जल बच सकता है।
24. रसोई में जल की बाल्टी या टब में अगर बर्तन साफ करें तो जल की बहुत बड़ी हानि रोकी जा सकती है।
25. छोटे गिलासों में पानी पीने एवं कम रिसाव वाले मटकों का उपयोग करने से पानी की बचत होती है।
26. घर की मां बहनों के लिए पर्याप्त कपड़े धोने पर ही वाशिंग मशीन का प्रयोग करना चाहिए।
27. सब्जियों को किसी बर्तन या टब में धोना चाहिए ।
28. फ्लैश टैंक में खराब पानी का उपयोग करके स्वच्छ पानी को बचाना चाहिये।
29. अपने-अपने वाहनों को बाल्टी में पानी लेकर धोना चाहिए।
30. यदि घरेलू प्रयोग से वर्फ किसी कारण बच जाती है तो उसे पौधों में या लान में डालना चाहिए।
31. टॉयलेट में लगी फ्लश की टंकी में प्लास्टिक की बोतल में रेत भरकर रख देने में हर बार 1 लीटर जल बचाने का कारगर उपाय उत्तराखंड जल संसाधन ने बताया है। इसे भी अमल में लाने की जरूरत है, जो कहीं ना कहीं सभी के लिए उपयोगी होगा।
32. सरकार एवं आम जन को चाहिए की जैसे हर घर में शौचालय निर्माण का कार्य **स्वच्छ भारत अभियान** के तहत चलाया जा रहा है वैसे ही हर घर में वर्षा के पानी के संरक्षण के लिए टैंक बनाओं अभियान की शुरूआत आज ही से होना चाहिए। इसमें सरकार के साथ आम जनता का सहयोग अपेक्षित है।

जल संग्रहण एक सामूहिक उत्तरदायित्व - बहुजन हिताय बहुजन सुखाय दृष्टि से जल संरक्षण को सर्वोपरि माना जाना चाहिए। इसके लिए अभिरुचि के अनुसार जन जागरण अभियान चलाकर प्रयास करना अति आवश्यक है। समाज में सभी वर्गों के बच्चों, महिलाओं, पुरुषों आदि को जल संरक्षण के महत्व व आवश्यकता से विशेष तौर पर अवगत कराना चाहिए एवं समस्त शैक्षणिक स्तरों में जल संरक्षण का पाठ्यक्रम शामिल होने जैसी उपाय अपनाना चाहिए।

जल संरक्षण वर्तमान में विश्व की चिंता का विषय है प्रकृति ने हमें बिना भेदभाव के हवा, पानी, वन, प्रकाश आदि दिया है लेकिन विकास की दौड़ में शामिल होने के कारण प्रकृति का **नैसर्गिक संतुलन** बिगड़ता जा रहा है। जल संरक्षण के लिए हमें आज ही से सजग एवं सतर्क रहने की जरूरत है तब जाकर जल का संरक्षण हो पाना संभव हो पायेगा इसके लिए वर्षा जल का संग्रहण, संरक्षण तथा समुचित प्रबंधन आवश्यक है। यह तभी संभव है जब पूरा समाज **जोहड़ों,** तालाबों एवं झीलों को पुनर्जीवित कर, खेतों में सिंचाई के लिए **पीवीसी पाइप** द्वारा स्प्रिंकलर से सिंचाई हो, पक्की नालियों का निर्माण, बहाव वाले क्षेत्रों में पानी रोकने के लिए बांध बनाना, पानी की बर्बादी रोकने के लिए सख्त कानून, जल संरक्षण के लिए आम क्रांति, जन जागरण पानी रोको अभियान आदि का व्यापक प्रचार-प्रसार के साथ उन पर अमल जरूरी है। इस प्रकार समाज के प्रत्येक वर्ग को सरकारी योजनाओं के साथ-साथ सामंजस्य बैठाते हुए जल संरक्षण में अपनी अपनी भूमिका निभानी चाहिए तब कहीं जाकर पानी को संरक्षित किया जा सकता है। शैक्षणिक मंचों एवं सामाजिक परिचर्चाओं में पानी संरक्षण विषय पर चर्चा के साथ-साथ समाचार पत्रों एवं न्यूज चेनलों में इस पर डिबेट होना भी लाजमी है तब कहीं जाकर पानी को बचाया जा सकता है और यह कदम भविष्य में विकास के सपने साकार करने में मददगार सिद्ध होगा और हकीकत में तब जा कर मेरे आलेख की उपादेयता अधिक होगी ।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. यादव ज्ञान चंद यादव, ज्ञान भारत 2017, ज्ञान प्रकाशन हाऊस दिल्ली पेज नं.14
2. यादव ज्ञान चंद यादव, ज्ञान भारत 2017, ज्ञान प्रकाशन हाऊस दिल्ली पेज नं.3
3. यादव ज्ञान चंद यादव, ज्ञान भारत 2017, ज्ञान प्रकाशन हाऊस दिल्ली पेज नं.14
4. ओझा एस.के., पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण 2015-16 बौद्धिक प्रकाशन इलाहाबाद पेज नंबर 159
5. अग्रवाल अनिल परीक्षा निबंध मंथन 2018-19 मंथन प्रकाशन इलाहाबाद पेज नंबर 284
6. समसामयिकी महासागर फरवरी 2020 अरिहंत पब्लिकेशन मेरठ पेज नंबर 11
7. शर्मा पीडी पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण 2017-18 रस्तोगी पब्लिकेशन मेरठ पेज नंबर 528
8. मिश्र डॉ. श्याम नारायण जल संरक्षण एक अनिवार्य आवश्यकता वरिष्ठ हिंदी अधिकारी केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्सिटी सीकर राजस्थान

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
October to December 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVI

पोषण से भरपूर भारतीय थाली: एक विश्लेषण सागर शहर के संदर्भ में

डॉ. आराधना श्रीवास *

* सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष (गृह विज्ञान) शासकीय कमला नेहरू महिला महाविद्यालय, दमोह (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – हमारें शरीर के लिये आवश्यक पोषक तत्व है वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन व खनिज लवण। यह सभी पोषक तत्व हमारे शरीर की वृद्धि एवं विकास में सहायक होते है। जहाँ प्रोटीन शरीर की वृद्धि में सहायक होता है वही कार्बोहाइड्रेट तथा वसा शरीर को ऊर्जा देने का कार्य करते है। अन्य सभी पोषक तत्व रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते है, रक्त में हीमोग्लोबिन के स्तर को सामान्य रखते हैं, आँखों की रोशनी, त्वचा, तापक्रम को सामान्य रखना, अम्ल एवं क्षार के संतुलन एवं कोमल अंगों की रक्षा का कार्य करते है। प्राचीन काल के ऋषि मुनि हमारे भारतीय सभ्यता के साइंटिस्ट थे। जिन्होंने अलग-अलग क्षेत्रों में अपना – अपना योगदान दिया। उसी तरह उन्होंने हमारी सभ्यता के भोजन में भी दाल, चावल, सब्जी, रोटी, चटनी, अचार को मिलाकर संपूर्ण भारतीय थाली बनायी। जहां दाल प्रोटीन का अच्छा स्त्रोत माना जाता है। वहीं चावल कार्बोहाइड्रेट का अच्छा स्त्रोत है। दाल में लाइसिन और ल्यूसिन नामक एमिनो एसिड पाया जाता है जो आपस में मिलने पर ही एक्टिव होते है। इसलिये हमारी संस्कृति में दाल के साथ चावल को महत्व दिया जाता है। रोटी में फाइबर पाया जाता है जो भोजन को पचाने में सहायक होता है। रोटी में घी लगाने से वसा की भी प्राप्ति हो जाती है। सब्जियों में खनिज लवण व विटामिन भरपूर मात्रा में रहते है। इसकें साथ ही स्वाद को बढ़ाने के लिये चटनी में विटामिन 'सी' भरपूर होता है जो हमारे इम्यून सिस्टम को बनाये रखने में मदद करता है। इसी प्रकार भारतीय थाली अपने आप में संपूर्ण पोषक तत्व वाली थाली मानी जाती है जो हमारे स्वास्थ्य के लिये आवश्यक है।

प्रस्तावना – भोजन को हम रोज करते है। क्या आपने सोचा है, कि उससे हमारे शरीर को कौन-कौन से पोषक तत्व मिल रहे हैं। यदि खाने की बात करें, तो व्यक्ति खाने को खाने के स्वाद से जोड़ता है। भोजन से हमारे शरीर को कौन-कौन से पोषक तत्व मिल रहे है , इसका हम ध्यान नहीं रखते है। लेकिन जो भोजन है, वह हमारे शरीर के लिये ईधन का कार्य करता है। जिस प्रकार गाड़ी को चलाने के लिये पेट्रोल की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिये भोजन की आवश्यकता होती है। क्योंकि भोजन से ही हमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा खनिज लवण, विटामिन जैसे सभी पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है।

पूजा गनेरीवाल 2020 भारतीय भोजन बहुत ही पौष्टिक भोजन है। इसमें दाल, चावल, रोटी, दही, सलाद, आचार, पापड़ तथा मीठा होता है। हम सही तरीके से भारतीय भोजन लेंगें तो उसमें सम्पूर्ण अनाजों की रोटी आ जाती है। दालें जिसमें समुचित मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। सब्जियों में विटामिन और खनिज लवण दही में प्रोबायोटिक होते है। इसलिये भारतीय भोजन बहुत ही पौष्टिक होता है। इसी तरह से जब हम सही तरीके से भारतीय भोजन लेगें तो सारे पोषक तत्व हमारे शरीर में संतुलित आहार के रूप में प्राप्त हो जायेंगें।

तेजस्विनी 2020 इन्होंने अपने अनुसंधान में बताया है कि संतुलित आहार का सभी लोग पालन नहीं कर पाते हैं तो इसका शॉर्टकट निकाला जा सकता है। यदि किसी को बर्गर खाना है तो उसका ब्रेड गेंहूँ, रागी और ओट के आटे से बना होना चाहिये। उसमें जो आलू की सब्जी भरी जाये तो उसको एयर फ्राई किया जाना चाहिये। इससे उसका टेस्ट भी बना रहेगा तथा यह स्वास्थ्य के लिये भी लाभदायक होगा। इसलिये हमें स्मार्ट प्ले करना होगा। जैसे यदि आप नूडल्स खाना चाहते है तो वह मैदे का नहीं बना होना चाहिये। वह ओट्स, रागी, गेंहूँ के आटे का बना हुआ होना चाहिये। स्वास्थ्य के लिये थोड़ा स्मार्ट प्ले करके आप अपने टेस्ट को बनाकर स्वस्थ रह सकते है। भारतीय भोजन तो हमारा वैसे भी उत्तम आहार है लेकिन जो लोग बाहर का खाना पसंद करते हैं, स्वाद में बदलाव लाना चाहते हैं खाने में भारतीय थाली का कोई मुकाबला नहीं है। भारतीय थाली में जिस तरह की पौष्टिकता और स्वाद देखने को मिलेगा ऐसा अन्यत्र मुश्किल से देखने को मिलेगा। भारतीय थाली के अंदर रोटी, चावल, सब्जियाँ, दाल, सलाद, पापड़ आते है। भारतीय थाली में हमेशा रोटी और चावल रहते है। इन दोनों के बिना भारतीय थाली अधूरी मानी जाती है। रोटी और चावल कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्त्रोत है। इन दोनों में फाइबर और विटामिन होते है, जो सेहत के लिये फायदेमंद है। दूसरी तरफ पास्ता, नूडल्स, बर्गर, पिज्जा, ब्रेड आदि में पौष्टिकता हीन मैदा होती है। मैदा में कब्ज और मोटापे आदि को बढ़ाती है, साथ ही पाचन संस्थान को भी खराब करती है। तो एक स्मार्ट प्ले करके भी जीवन को खुश रखा जा सकता है।

संजीव कपूर 2020 इन्होंने बताया है कि यदि आप प्रोटीन युक्त थाली का सेवन करना चाहते हैं तो आप अपने भोजन में विभिन्न प्रकार की दालें, राजमा, पनीर, सोयाबीन जो अधिक प्रोटीन युक्त पदार्थ है ले सकते है। जैसे मूंग की दाल की यदि खिचड़ी बनाई जाये तो लोग कहते है कि बीमारों का खाना है, पर उसी मूंगदाल का यदि हलवा बना दिया जाये तो वह स्वाद में अच्छा बन जायेगा। उच्च प्रोटीन युक्त थाली के लिये सभी प्रकार की दालें जिसमें आप पाचन के लिये मूँगदाल, चने की दाल में लौकी डाल कर, पनीर की भुर्जी, रोटी, राजगीर में उबले आलू डालकर पराठा, रागी की रोटी,

दही आवश्यक है।

रश्मि श्रीवास्तव 2018 भारतीय थाली भारत की संस्कृति का प्राचीन अंग है। भारतीय खाने की बात करें तो दिमाग में सबसे पहले आता है कि चटपटा, गरम, तीखा, वसायुक्त और मलाईदार खाना। भारतीय भोजन को स्वाद के मामले में अच्छा लेकिन स्वास्थ्य मामले में गलत समझा जाता है। ऐसा समझने वाले लोग भूल जाते हैं कि भारतीय भोजन में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ स्वास्थ्यवर्धक मसालों को डाला जाता है। इन मसालों की मदद से खाना बेहतरीन स्वादिष्ट और स्वास्थ्यवर्धक हो जाता है।

अध्ययन के उद्देश्य:

1. बालक - बालिकाओं के द्वारा लिये जा रहे भोजन सम्बन्धी जानकारी एकत्रित करना।
2. संतुलित भोजन से सम्बन्धित जानकारी प्राप्त करना।
3. बालक- बालिकाओं की भोजन सम्बन्धी पसन्दगी को ज्ञात करना।
4. बालक-बालिकाओं में भोजन के प्रति जागरूकता को ज्ञात करना।
5. फास्ट-फूड के प्रति रूचि से संबंधित जानकारी एकत्रित करना।

अध्ययन की उपकल्पना- बालक- बालिकाओं में पारम्परिक भोजन के प्रति जानकारी का अभाव पाया जाता है।

अध्ययन की विधि-प्रस्तुत अध्ययन सागर शहर के संदर्भ में किया गया। जिसमें चार शालाओं के 300 बालक - बालिकाओं को लिया गया। बालक-बालिकाओं की आयु 8 से 13 वर्ष थी। शोध के उद्देश्य व समंकों की प्रकृति को ध्यान में रखकर आवश्यक सांख्यिकी विधियों का प्रयोग किया गया है। प्राथमिक तथ्यों के समंकों के संकलन हेतु साक्षात्कार, अनुसूची व प्रश्नावली का प्रयोग किया गया तथा द्वितीयक समंकों के संकलन हेतु विभिन्न अभिलेखों, पत्रों एवं शोध प्रबंध आदि अन्य संबंधित तथ्यों का संकलन किया गया। शोध के उद्देश्य तथा समंकों की प्रकृति को ध्यान में रखकर आवश्यक सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग किया गया। बालक - बालिकाओं का चयन दैव निर्दशन विधि द्वारा किया गया।

व्याख्या एवं विश्लेषण

तालिका क्र. 1 : किस प्रकार का भोजन करना पसन्द

क्र.	किस प्रकार का भोजन करना पसन्द	बालक		बालिकाएँ	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1.	तला	89	59.33	100	66.67
2.	उबला	33	22	19	12.6
3.	अंकुरित	28	18.67	31	20.67
	कुल	150	100	150	100

तालिका क्र. 1 में बालक-बालिकाओं द्वारा किस प्रकार का भोजन करना पसन्द किया जाता है कि स्थिति को संकलित किया गया है जिसके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि 150 बालकों में से 89(59.33 प्रतिशत) बालक तला भोजन, 33(22 प्रतिशत) बालक उबला भोजन व 28(18.67 प्रतिशत) बालक अंकुरित भोजन लेना पसन्द करते हैं। इसी प्रकार 150 बालिकाओं में से 100(66.67 प्रतिशत) बालिकाएँ तला भोजन, 19(12.6 प्रतिशत) बालिकाएँ उबला भोजन व 31(20.67 प्रतिशत) बालिकाओं द्वारा अंकुरित भोजन पसंद किया जाता है।

प्रस्तुत तालिका के विवरण से स्पष्ट होता है कि बालक व बालिकाओं द्वारा तला हुआ भोजन अधिक पसन्द किया जाता है।

तालिका क्र. 2 : बच्चे टिफिन में क्या ले जाते हैं

क्र.	बच्चे टिफिन में क्या ले जाते हैं	बालक		बालिकाएँ	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1.	फास्ट-फूड	89	59.33	81	54
2.	पारम्परिक भोजन	61	40.67	69	46
	कुल	150	100	150	100

तालिका क्र. 2 में दर्शाया गया है कि उत्तरदाताओं के बच्चे टिफिन में क्या ले जाते हैं समग्र रूप से 300 उत्तरदाताओं में 150 बालक व 150 बालिकाएँ हैं 150 बालकों में से 89(59.33 प्रतिशत) बालक टिफिन में फास्ट-फूड व 61(40.67 प्रतिशत) बालक टिफिन में पारम्परिक भोजन ले जाते हैं। इसी प्रकार 150 बालिकाओं में से 81(54 प्रतिशत) बालिकाओं द्वारा टिफिन में फास्ट-फूड व 69(46 प्रतिशत) बालिकाओं द्वारा टिफिन में पारम्परिक भोजन ले जाया जाता है।

प्रस्तुत अध्ययन से स्पष्ट होता है कि अधिकांशत: बालक व बालिकाएँ अपने टिफिन में फास्ट-फूड का सेवन करते पाये गये।

विश्लेषण - एक संतुलित आहार का उपयोग करना सबसे अच्छा रहता है। जिसमें विशिष्ट प्रकार के पोषक तत्व सम्मिलित हो जो स्वास्थ्य को बनाये रखने के लिये उपयुक्त मात्रा तथा अनुपात में हो। भारतीय भोजन में एक संतुलित आहार बनाने वाले सभी तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण होते है। पोषक तत्वों के साथ -साथ हमें पोषण पर नियंत्रण भी बहुत ज्यादा जरूरी है। स्वास्थ्य के लिये एवं अच्छा जीवन जीने के लिये इसमें आप अपनी थाली का विभाजन कर सकते है। जिसमें 50 प्रतिशत चावल व सब्जियाँ, 25 प्रतिशत दाल, दही, पनीर, 25 प्रतिशत सलाद को रख सकते है। यह सभी मिलकर पौष्टिक भोजन बनाता है। किसी भी अवस्था में हम पोषक तत्वों की मात्रा को शून्य नहीं कर सकते। हमारे शरीर के लिये घी भी बहुत आवश्यक है क्योंकि यह हमारे शरीर को शून्य नहीं कर सकते। हमारे शरीर के लिये घी भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि यह हमारे शरीर को, हड्डियों को लुब्रिकेंट करता है। आँखों के लिये, मस्तिष्क विकास के लिये उत्ताम होता है। इस तरह से आप अपना पोषण उत्ताम रख सकते है।

निष्कर्ष -प्रस्तुत अध्ययन से यह निष्कर्ष पाया गया कि बालक-बालिकाएँ अपने भोजन में तले भोज्य पदार्थो का सेवन अधिक करते पाये गये। बालक-बालिकाएँ अपने टिफिन में फास्ट फूड का सेवन करते पायें गये इससे यह ज्ञात होता है कि बालक-बालिकाओं को पारम्परिक भोजन या भारतीय थाली में कौन - कौन से पोषक तत्व पाये जाते है उनमें इसकी जानकारी का अभाव पाया गया।बालक-बालिकाओं को यह बताना आवश्यक है कि भारतीय थाली में शरीर की पौष्टिक जरूरतों के साथ ही वजन न बढ़ने देने की क्षमता भी है। शाकाहारी भोजन में सबसे पसंदीदा खाना भारतीय थाली सर्वप्रथम है। पावभाजी, छोले भटूरे, पिज्जा, बर्गर, डोसा, चीला रोज नहीं खा सकते हैं लेकिन भारतीय थाली हमेंशा पसंद की जाती रही है। इससे पाचन संबंधी समस्या नहीं होती है। भारतीय थाली में मौजूद सभी भोजन स्वास्थ्य के लिये लाभदायक होते हैं। यह कई बीमारियों से बचा सकते है, जैसे हल्दी रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करती है। भारतीय रसोई में दिन में कम से कम एक बार दाल जरूर बनती है। कई लोग इसे खाने में नखरे भी दिखाते है, लेकिन जो भी दाल खाने में फायदे को जानते है, वे एक कटोरी दाल दिन में एक बार जरूर खाते है। दालों में भरपूर विटामिन खनिज

लवण होता है, जो शरीर को ना सिर्फ पोषण देता है बल्कि जीवनशैली से जुड़ी समस्याओं को दूर करने में भी मदद करता है। दाल में ऐसे फाइबर पाये जाते है जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करते है। इस तरह रोज दाल खाना आपको दिल की बीमारियों से भी बचाता है। हरी पत्तेदार सब्जियों में आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। सब्जियां हमारे शरीर को विभिन्न बीमारियों से लड़ने की शक्ति प्रदान करती है। सब्जियों में एंटीऑक्सीडेंट भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है।

सुझाव :

1. हमें अपनी थाली में रोजाना पराठा ब्रेड, पूरी के सेवन से बचना चाहिये।
2. आप लंच में मल्टीग्रेन आटे की रोटी ले सकते है।
3. हमारे भोजन में 1 दिन में चावल कम से कम एक कटोरी होना चाहिये।
4. रात्री का भोजन हमेशा हल्का करना चाहिये।
5. साबुत दालों के स्प्राउट्स की पौष्टिक चाट बनाकर उसका सेवन करना चाहिये।
6. हमें मौसमी सब्जियों का प्रयोग करना चाहिये।
7. फल और सब्जियों को अपने भोजन में अधिक से अधिक शामिल करना चाहिये।
8. स्वास्थ्य भोजन की थाली लोगों को मीठे पेय पदार्थों से दूर रहने के लिये बताती है।
9. अभिभावकों को अपने बच्चों को भारतीय थाली के बारे में जानकारी देना चाहिये।
10. परिवार में बालक-बालिकाओं को भारतीय थाली के महत्व को समझाना चाहिये।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. आस्था अवस्थी 20 जुलाई 2018।
2. डॉ. कुमार भरतपुर शरण, डॉ. रवि शंकर, एम. मनीष, मोहन गोरे एवं देवेन्द्र पाल गौर बेहतर भोजन उत्ताम स्वास्थ्य।
3. डॉ. श्री नंदन बंसल आहार एवं पोषण ए. आई. टी. वी. एस. पब्लिकेशन भारत।
4. एडवांस इन फूड एंड न्यूट्रिशन रिसर्च जॉन किनसेल्ला एकेडमिक प्रेस 1990।
5. टंबिका सतीजा हार्वर्ड टी एच स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ।
6. डॉ. जोशी शुभांगी (2004), 'न्यूट्रिशन एन्ड डायटेटिक्स', टाटा एम. ग्रू हिल, दिल्ली, पृ. 422-424।
7. राय पारसनाथ (2008), अनुसंधान परिचय, लक्ष्मीनारायण अग्रवाल, प्रकाशन आगरा, द्वादश संस्करण, पृ. 96।
8. डॉ. पल्टा अरूणा (2003), 'आहार एवं पोषण', शिवा प्रकाशन, इन्दौर, पृ. 1-18।

ग्राफ क्र. 1 : किस प्रकार का भोजन करना पसंद

ग्राफ क्र.2 : बच्चे टिफिन में क्या ले जाते है।

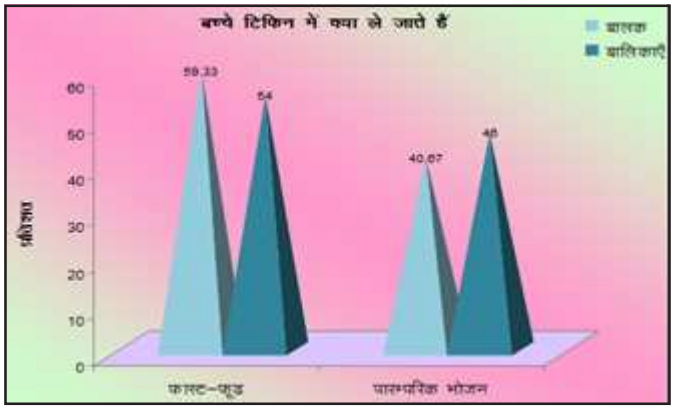

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
October to December 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVI

साहित्य और पर्यावरण की चिंताएं

डॉ. सविता वशिष्ठ *

*** सहायक आचार्या एवं विभागाध्यक्ष (संस्कृत) जैन कन्या पाठशाला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मुज़फ्फरनगर (उ.प्र.) भारत**

प्रस्तावना – पर्यावरण शब्द अंग्रेज़ी के एक शब्द इनवायरमेण्ट का हिन्दी पर्यायवाची शब्द है। संस्कृत में पर्यावरण शब्द परि, आड् उपसर्ग पूर्वक वृञ् (वृ) वरणे धातु से ल्युट् प्रत्यय होने पर बनता है। परि (चारों ओर) + आवरण (घेरा) पर्यावरण भाव यह हुआ कि चारों ओर से किसी को ढ़कता अथवा घेरता है, वही पर्यावरण है।

पर्यावरण के सम्बन्ध में समय समय पर विभिन्न वैज्ञानिक अनुसन्धान किये गये है। हमारे वैदिक ऋषियों ने भी अपनी सूक्ष्म अन्तर्दृष्टि के द्वारा हमारे पर्यावरण को समझा है तथा प्राणिमात्र के कल्याण हेतु अनेक युक्तियाँ भी बताई है।

यह देश जगद्गुरू माना जाता रहा है यहां के ऋषि मुनि जीवन के प्रत्येक पक्ष और प्रकृति की प्रत्येक सत्ता को आयन्त निकटता से जानने तथा पहचानने में सक्षम थे। उनका अपना स्वतन्त्र विज्ञान था, जिस विज्ञान के द्वारा वे मानव को 'जीवेम शरद: शतम्' के लिए सर्वदा योग्य बनाते थे।

भारतीय संस्कृति और साहित्य में पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी अनेक बाते मिलती है। हमारे पर्व प्रकृति संरक्षण और संवर्धन को बढ़ावा देते है। वही प्रचीन साहित्य में वर्णित एक एक पर्व पर्यावरण संरक्षण व प्रकृति प्रेम की ओर संकेत करता है। चाहे वह रक्षाबन्धन हो या मकर संक्रान्ति या हरियाली तीज। उत्तर भारत का प्रसिद्ध लोक पर्व 'वट अमास्या' है। मतस्य पुराण में भी कहा गया है कि दस कुओं के बराबर एक बावड़ी के बराबर एक तालाब दस तालाबों के बराबर एक पुत्र है और दस पुत्रों के बराबर एक वृक्ष होता है।

प्राचीन वैदिक ऋषियों और विद्धानों ने उन समस्त पर्यावरणीय उपकारक तत्वों को देवतुल्य मानकर उनके महत्व को अभिव्यक्त तो किया ही है इसके साथ ही साथ मानवीय जीवन में उनके पर्यावरणीय महत्व को भी सवीकार किया जै। पयावरण को संतुलित रखने के लिए जिन देवताओं की महत्वपूर्ण भूमिका है उनमें सूर्य, वायु, वरूण (जल) और अग्नि देवताओं की रक्षा की कामना की गई है।

भारतीय सभ्यता और संस्कृति में बताया गया है कि हमारा शरीर प्रकृतिक शक्तियों का ही पञ्चीकरण रूप है। संस्कृत साहित्य में आदि कवि वाल्मीकि को काव्य प्रेरणा क्रौञ्च पक्षी के जोड़े को देखकर ही मिली। महाकवि कालिदास की सम्पूर्ण रचना संसार प्रकृति की गोद से ही जन्मा अभिज्ञानशाकुन्तलम् मेघदूतम् ऋतुसंहार जैसी रचनाओं ने प्रकृति को मानवीकरण के रूप दर्शाया गया है।(मूलत: जीवन के आधारभूत तत्व के रूप में प्रवृति को समझने, उसके प्रति संवेदनशील बने रहने का सशक्त व्यापक भाव भारत के प्राचीन साहित्य और सांस्कृतिक स्रोतो से छनकर आकार ग्रहण करता है जहां प्रकृति का स्वरूप सहचरी से प्रारम्भ होकर चिन्तर के केन्द्र में आकार साहित्य और प्रकृति के सम्बन्ध को विचारात्मक अवसर प्रदान करता है।)

महाकवि कालिदास का विश्वप्रसिद्ध नाटक 'अभिज्ञान-शाकुन्तलम्' पर्यावरण संरक्षण का उदाहरण प्रस्तुत करता है इसमें पर्यावरण संरक्षण का और प्रकृति प्रेम का सर्वाधिक सुन्दर वर्णन दिखायी देता है अभिज्ञान-शाकुन्तलम् के प्रथम अंक में ही कवि द्वारा प्रतिपादित किया गया है। कि प्रर्यावरण रक्षाण के लिए वृक्षों का सेचन नित्य कर्म में प्रमुख कर्म था। तभी तो आश्रम की कन्याएं अपने अपने प्रमाण के अनुरूप घड़ो से वृक्षो का सेचन कर रही है। 'राजा सतास्तपस्विकन्य का: स्वप्रमाणानुरूपै: सेचनघटै: बालपदपेश्यों पयो दातुमित एवाभिवर्तन्ते'(1) आगे भी नायिका को आभूषण प्रिय होने पर वह वृक्षों से एक भी पत्ता नही तोड़ती है। जब तक वह आश्रम के वृक्षों का सेचन नही करती तब तक वह स्वयं भी जल नही पीती है। वृक्षों में फूल और फलों के उद्गम के समय वह उत्सव करती है। इस प्रकार का हृदय को द्वावित करने वाला प्रकृतिप्रेम कवि का पर्यावरण चेतना भाव को प्रस्फलित करता है। कण्व कहते है। कि

पातुं न प्रथमं व्यवस्पति जलं पुष्माष्वपीतेषु या नाडडदन्ते प्रियमण्डनाडपि भवतां स्नेहेन या पल्लवम् आद्ये व: कुसुमप्रसूतिसमये धस्या भवत्युत्सव:। (2) सेयं याति शकुन्तला पतिगृहं सर्वैरनुज्ञायताम् पर्यावरण संरक्षण में यज्ञ की महत्ता भी कम नहीं है। अत: कालिदास की रचनाओं में प्राय सर्वत्र यज्ञ का वर्णन मिल ही जाता है यथा-सायन्तने सवनकर्मणि संप्रवृत्ते, वेदी हुताशनवर्ती परित: पयस्ता।(3)

पर्यावरण को युद्ध और सन्तुलित करने के लिए वन्य जीव और पशुओं का महत्वपूर्ण योगदान होता है उनका संरक्षण भी परमावश्यक है। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुन्तल नाटक में द्विप, सिंह, गो,मृग आदि संरक्षण अहिंसा ओर पर्यावरण का सन्देश दिया है तभी तो शिकार करते हुए राजा दुष्यन्त को तपस्वी रोकते हुए कहते है- भो भो राजन्। आश्रम मृगोडयं न हन्तव्यों न हन्तव्य:।(4)

कालिदास की रचनाओं में केवल शकुन्तला ही केवल मृगों और प्रवृति से प्रेम करती है अपितु रघुवंशम् महाकाव्य में राजा दिलीप भी सिंह पर आक्रमण नहीं करता है। कुमार सम्भवम् महाकाव्य में भी पार्वती वृक्षों के प्रति पुत्रादिवत् प्रेमभाव रखती है। यहां कवि द्वारा वृक्षारोपण ठतयादि के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण का सन्देश देते है।

वृक्षो और वनस्पतियों का हमारे पर्यावरण प्रदूषण को रोकने में बड़ा सहयोग है यह किसी से छिपा नही है। वृक्ष और वनस्पति पर्यावरण समाधान में मुख्य कारक होते है। प्रणियों की जीवन यात्रा में इन वृक्षों का बड़ा योगदान

है। उनके द्वारा प्राप्त होने वाली ऑक्सीजन (प्राणवायु) से प्रा प्राणियों के जीवन की रक्षा होती है। समस्त प्रणियों पर इन वृक्षों का कितना ऋण है इसका वर्णन वाणी के द्वारा सम्भव नही है। वेदो के अनुसार मित्र और वरूण देवता है- शं नो देवीरभिष्टयडडपो भवन्तु पीतय। शं योरभि स्रवन्तु न:। (5)

पर्यावरणीय तत्वों में जल का कोई स्वतन्त्र अस्तित्व नही है। वह तो हाईड्रोजन तथा आकस्मिक नाम की दो गैसों का मिन्ण का प्रतिफल है। इस प्रकार आधुनिक विज्ञान भी मित्र और वरूण इन दो तत्वों को श्रृष्टि का कारक मनाते है। पर्यावरण प्रदूषण को शुद्ध करने के लिए यज्ञ को ही प्रमुख साधन बताया गया है। यज्ञ का वर्षा से घनिष्ट सम्बन्ध हैं मानव जीवन की रक्षा जल से की जा सकती है। वैदिक ऋषियों में जल के **जीवन दायी** महत्व को जानकर पर्जन्य को सूक्ष्य तथा वर्षा कारक अन्य प्राकृतिक तत्वों को देवता मानकर उनका गुणगान किया है। यज्ञाग्नि की प्रशंसा करते हुए शतपथ ब्राहमण से कहा गया है कि यज्ञ की अग्नि वृष्टि कराती है- अग्ने धूमों जायते घूमाभ्रमभ्राद वृष्टि:।

वर्तमान समय में बढ़ता भू-प्रदषण चिन्ता का विषय हैं यह ज्वलन्त प्रश्न सम्पूर्ण प्रबुद्ध वर्ग के समक्ष उपस्थित है यदि भू-प्रदूषण की यही दिशा रही तो पृथ्वी पर रहने वाला प्राणियों तथा वनस्पतियों का सम्पूर्ण विनाश अवश्यभावी है इस भू-प्रदूषण को नष्ट करने के लिए भू के प्रति श्रद्धाभाव प्रकट किया गया है, तथा पर्यावरण के महत्वपूर्ण कारक तथा वर्षा आदि के प्रमुख कारण वृक्षों के प्रति भी आदर भाव प्रकट किया है। वेदो में पृथ्वी को माता कहकर उसे पूज्य माना गया है। प्रत्येक धार्मिक कार्य के अनुष्ठान में पृथ्वी की पूजा का विधान है। यज्ञों में विविध प्रकार मके रोशनाशक पदार्थो हवनीप सामग्री की आहुति से प्राप्त ऊर्जा पृथ्वी के रोगाणुओं को नष्ट करती है। अत: भू-प्रदूषण की रक्षा हेतु यज्ञानुष्ठान की आवश्यक्ता है।

यज्ञ जहाँ प्रदूषित ध्वनि दोषो के निवारणार्थ सक्षम है, वही मानसिक विकृतियाँ भी यज्ञ के द्वारा शान्त की जा सकती है। यज्ञ से वृक्षों-वनस्पतियों की भी वृद्धि होती है। वेदों में इस सन्दर्भ में विविध मत्र प्राप्त होते है। यज्ञ द्वारा जल तथा औषधियों में वृद्धि हाती है-

सुमित्तिया नऽआपऽऔषधय: सन्तु दुर्मित्रियास्तस्मै
सन्तु। यो ऽस्मान द्वेष्टि यं च वयं द्विष्म:।। (6)

वास्तव में आज पर्यावरणीय संवेदना की महती आवश्यकता है जो वैदिक साहित्य में उपलब्ध है वेदों में अनेक नदियों, प्राकृतिक तत्वों का समवेश यू ही नही है उसके पीछे कारण पर्यावरण संरक्षण ही है। अनेक हिन्दी कवियों द्वारा भी वस्तुओं का आधार बनाकर बारहभासा आदि गीतो, रचनाओं को लिखा है। आज हमें महान साहित्यकार तुलसी जी के 'क्षिति जल, पावक, गगन, समीरा' के पंचतत्व को समझना होगा। भारतीय संस्कृति और साहित्य में अग्नि, नदियां, वृक्ष, सूर्य पशु-पक्षी, आदि अनेक, प्राकृतिक तत्वों को पूजनीय माना है। भारतीय संस्कृति और साहित्य प्रकृति के साथ सामजस्यपूर्ण व्यवहार से आगे बढ़ी है। भारतीय पर्व आदि सभी प्रकृति से जुड़े है। चाहे वह बैसाखी हो या बसंत पंचमी। पर्यावरण यहाँ जीवन की रीढ़ माना जाता है। भारतीय साहित्य का एक बड़ा भाग प्रकिृति के आलम्बन को प्रदर्शित करता है- आदिकवि वाल्मीकि के काव्य प्रेरणा कौञ पक्षी के विरह असस्था से प्राप्त हुई। इस सम्पूर्ण संसार में रामायण के प्रणेता आदि कवि वाल्मीकि को कौन नही जानता। इस महाकाव्य में वेदानुकूल समाजानुकूल-परिवारानुकूल पर्यावरणनुकूल तत्वों का आध्यात्मिक और वैज्ञानिक सजीवचित्रण उपलब्ध होता है।

वाल्मीकि रामायण में पर्यावरण चिन्तन में विश्व व्यापी समस्या का समाधान है न कि केवल चिन्तन यहां बताया गया है। कि जल-वायु-तेज-विहग-मृग मधु-सरीसृप आदि जैविक तत्व एवं वग औषधि लताओं आदि से मुक्त आवरण का समवाय ही पर्यावरण कहा जाता है। इनमें पर्यावरण तत्वों में जलतध्व की पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण निवारणार्थ महती आवश्यकता है। क्योकि 'जलमेव जीवनम्' जल में ही,प्राणवायु (ऑक्सीजन) रोग नाशक शक्ति और शुद्धि की सामर्थ्य होती है। इसीलिए जल ही जीवन है कहा जाता है। जैसे कि 'आप एवं संसर्जादो वासु बीजमवासृजत' (7)अर्थात् सर्वप्रथम जल उत्पन्न हुआ उसके पश्चात सृष्टि का सृजन हुआ। जल में जीवन शक्ति विद्यमान है, जल से ही संसार में वातावरण शुद्ध होता है।

या आपो दिव्य उत वा स्रवन्ति खनित्रिया उतवा या: स्वयं जा:। समुद्धार्थाया: शुचप: पावकास्ता आपों देवीरिह मामवन्तु। (8)

अथर्ववेद में कहा गया है-शुद्ध न आपस्तन्वे क्षरन्तु (9) यो न सेदुरप्रिये तं नि दध्म:। पवित्रेण प्रथिवि मोत्पुनामि जिस प्रकार वेदो में जल की महिमा का वर्णन है उसी प्रकार वाल्मीकि रामायणे भदी वर्णन यही चिन्तम प्रष्ता होता है। यथा-अकर्दममिदं तीर्थ भारद्वाज निशामय। रमणीयं प्रसन्नाम्बु सन्मनुष्य मनों यथा। (10) इस पद्य में जल की तुलना सत्पुरुषों के साथ की गयी है। जल ही सभी मनुष्य की मानसिक और शारीरिक शुद्धि करता है। वाल्मीकि सामायण में अनेक प्रकार के जल का वर्णन है। वहां पर नदी, निर्झर सरोवर, सागर इत्यादि का बहुतायत वर्णन प्राप्त होता है। रामायरण कालिक पर्यावरण को देखकर यही प्रतीत होता है कि उस समय जल प्रचुर मात्रा में व्याप्त था। जल ही जीवन है इस वेद वाक्य को सार्थक करने के लिए गंगा नदी के तट पर वेद ध्वनि, यज्ञ, आदि के अध्न के लिए शिष्य गुरूओं के पास शिक्षा ग्रहण करते थे। भारतीय संस्कृति व चिन्तन में पर्यावरण का वह महत्व है जो मानवीय शरीर में आत्मा का होता है। प्रकृति ने ही भारतीय संस्कृति और साहित्य को नया आयाम दिया है अनादिकाल से पर्यावरण संरक्षण साहित्य में चिन्तन का केन्द्र रहा है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. अभि 0 शाकु0 1-48 श्लोक
2. अभ0शाकु0 -4-9 श्लोक
3. अभि0शाकु0 -3-23 श्लोक
4. अभि0शाकु0 -1 अंक
5. यजुर्वेद -36/12
6. यजुर्वेद -36/23
7. यजुर्वेद -1/8
8. ऋग्वेद -7/49/2
9. अथर्ववेद -12/1/30
10. वाल्मीकि रामायण-2/5
11. यजुर्वेद
12. वामनपुराण -14/26

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
October to December 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVI

गोविन्द मिश्र के उपन्यासों में राजनैतिक बोध

दमयंती मरांडी *

* शोधार्थी, गंगाधर मेहेर विश्वविद्यालय, सम्बलपुर (ओड़ीशा) भारत

प्रस्तावना – राजनीति हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। राजनैतिक चेतना के फलस्वरूप भारतीय जनजीवन में राजनीति सामान्य चर्चा का विषय बन गई है। अब प्रत्येक जागरूक नागरिक अपने आपको किसी-न-किसी राजनैतिक दल से संपृक्त अनुभव करता है। स्वाधीनता के पश्चात भारतीय राजनैतिक चेतना विविध रूपों एवं स्तरों में प्रकट हुई है। राष्ट्र के साथ साथ व्यक्ति चेतना का विकास भी हुआ है तथा वह अपने अधिकारों के प्रति जागृत दृष्टिगत है। जनतांत्रिक व्यवस्था पद्धति में राज्य का व्यक्ति से सीधा संपर्क हो गया है। फलत: व्यक्ति स्वयं को राजनीति का अंग अनुभव करने लगा है।

समाजशास्त्र के अनुसार – राजनैतिक आधारों पर कुछ राजनैतिक उद्देश्यों की पूर्ति के संगठित साधानों को राजनैतिक संस्था कहते है। 'सामाजिक जीवन को संगठित रूप में बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि समाज में एक प्रभुसत्ता सम्पन्न ऐसी शक्ति हो जो कि नियंत्रणात्मक व कल्याणकारी दोनों ही प्रकार के कार्यों को कर सके, इसी शक्ति व कार्यो के संदर्भ में जो संस्थाएं विकसित होती है; उन्हीं को राजनैतिक संस्थाएं कहते है'।[1]

आधुनिक युग में राजनैतिक संस्थाओं में भी परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है। आज की राजनीति स्वार्थ प्रेरित हो गई है तथा राजनेता स्वार्थी हो गए हैं। देश के नेतागण पद,शक्ति और दौलत बटोरने में हर समय बेचौने रहते है। उनके लिए जनसेवा अथवा ईमानदारी जैसे शब्द जनता को मूर्ख बनाकर उनके वोट प्राप्त करने के साधन मात्र है। सत्ता व विपक्ष दोनों की राजनीति का सम्बन्ध जन- कल्याण न होकर सरकारी कुर्सी हथियाना हो गया है। आज के राजनैतिक परिदृश्य की सबसे बड़ी विसंगति राजनैतिक व्यवस्था का भ्रष्ट होना है।आज रिश्वतख़ोरी, अवसरवादिता, भाई- भतीजावाद भ्रष्टाचार ने राजनैतिक वातावरण को पूर्णत: प्रदूषित कर रखा है। भ्रष्टाचार की सीमा इतनी अधिक बढ़ गई है कि दया,त्याग, सेवा एंव उदारता इत्यादि मान्यताओं का कोई मूल्य नहीं रहा गया है।

शासन एवं व्यवस्था की अनैतिकता, भ्रष्टाचार आदि के कारण भारतीय जनमानस का मोहभंग हो गया है। अवसरवादी लोगों में प्रशासन में घुसकर चोर-बाजारी व घूस का साम्राज्य स्थापित कर दिया है। अत: अनैतिक ढंग से रुपया इकट्ठा करना ,विषय विलास की वस्तुओं को एकत्रित करना ही आज के नेताओं का जीवन दर्शन है। आज की भ्रष्ट राजनैतिक व्यवस्था के सम्बन्ध में व्यंग्य लेखक हरिशंकर परसाई का कथन पठनीय है 'वास्तव में यह दौर राजनीति में मूल्यों की गिरावट का था। इतना झूठ ,फरेब ,छल पहले कभी नहीं देखा था। दगाबाजी संस्कृति हो गई थी। श्रद्धा सब कहीं से टूट गयी,आत्मपवित्रता के दंभ के इस राजनैतिक दौर में देश के सामाजिक जीवन में सब कुछ टूट सा गया। भ्रष्ट राजनैतिक दौर के संस्कृत ने अपना असर सब कही चला। .... किसी दल का बहुत अधिक सीटे जीतना और सरकार बना लेना लोकतंत्र की कोई गारंटी नहीं है। लोकतांत्रिक स्पिरिट गिरावट पर है'।[2] स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय जनता का एक ही उदेश्य था – स्वतंत्रता प्राप्ति के पथ पर अग्रसर होना। लेकिन दूसरों की गुलामी से मुक्त होकर आज हम स्वयं की गुलामी की जंजीरों में फंस गए है। आजादी पश्चात भी इस जनतांत्रिक शासन प्रणाली वाले देश में जनता की आवाज सुनने वाला कोई नहीं है।

राज्य तथा उसके अंग में राजनैतिक संस्थाओं का सम्बन्धा राज्य से है। एक राज्य में जनता और सरकार दोनों ही होते है। वर्तमान युग में सामाजिक जीवन का रूप निरंतर जटिल होता जा रहा है। इस स्थिति में केवल परिवार,पड़ोस तथा अन्य प्राथमिक समूह ही व्यक्ति और समूह के व्यवहारों को नियंत्रित रखने में अपर्याप्त सिद्ध हो रहे है। आज एक ऐसे शक्तिशाली अभिकरण की आवश्यकता महसूस की जाने लगी है जो अपनी व्यापक शक्ति के द्वारा एक निश्चित भू – भाग में रहने वाले सभी व्यक्तियों के जीवन पर नियंत्रण रख सके। मैकाइवर के अनुसार , 'राज्य एक ऐसी समिति क्षेत्र है जो कानून और शासनाधिकार द्वारा कार्य करती है और जिसे एक निश्चित भू -भाग के अंदर सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के सर्वोच्च अधिकार प्राप्त होते है' ।[3]

राज्य का निर्माण चार प्रमुख तत्वों से होता है – जनसंख्या, निश्चित भू-भाग, सरकार तथा प्रभुसत्ता। सरकार राज्य की एक संस्था है जिसके माधयम से शासन कार्य संचालित होता है। इसी आधार पर सरकार का दूसरा नाम 'शासनतंत्र' भी है। 'सरकार समाज को व्यवस्थित करने वाली महत्वपूर्ण संस्था है जो अनेक नियमों के द्वारा व्यक्तियों को कार्य करने का निर्देश देती है। सरकार का कार्य कानून का निर्माण करना, कानूनों को प्रभावपूर्ण बनाना और उनकी व्याख्या करके व्यक्तियों को न्याय प्रदान करना है।'[4] आज की राजनीति में नेता का प्रजातांत्रिक नेतृत्व कहीं भी दिखाई नहीं देता। नेता अपने दायित्वों और कर्तव्यों को पूरा करने की अपेक्षा अपने हितों को पूरा करने; सत्ता प्राप्त करने के लिए विभिन्न हथकंड़ों को अपनाने में व्यस्त है। आज की राजनीति की बागडोर स्वार्थी एवं दोहरे व्यक्तित्व वाले नेताओं के हाथ में है। नेताओं के विघटित चरित्र स्वार्थ की सीमाओं में आबद्ध हो चुके है। आज की राजनीति में सत्तालोलुप नेताओं का

साम्राज्य है। नेताओं के स्वार्थवश आज राजनैतिक अवमूलयन का दौर सुरू हुआ है। गोविन्द मिश्र के उपन्यासों में तत्कालीन स्वार्थी राजनैतिक नेताओं का चित्रण मिलता है।

गोविन्द मिश्र ने 'पाँच आँगनों वाला घर' उपन्यास में अंग्रेजी शासन से लेकर स्वातंत्र्योतर भारत की स्थिति का चित्रण किया है। इसमें पिछले सौ-डेढ़-सौ वर्षो के आदर्शों और राजनैतिक मूल्यों के परिवर्तन को दर्शाया है। लेखक ने यह भी स्पष्ट किया है कि राजनीतिज्ञ स्वतंत्रता-पूर्व जिन मूल्यों के प्रति आस्थावान थे; आज उन्ही मूल्यों का उन्होने त्याग किया है।आज के नेता भूल बैठे है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए देशभक्तों ने कितने दु:ख झेले तथा कितनी बलिदान दी थी। लेखक के शब्दों में 'ताज्जुब की बात यह थी कि देश और स्वतंत्रता की बड़ी दबड़ी बातें करने वाले नेताओं के लिए एकाएक गद्दी इतनी महत्वपूर्ण हो गई थी कि उसे हासिल करने के लिए हजारों - लाखों लोगों का मारा काटा जाना भी कुछ नहीं था ?'।[5] प्रस्तुत उपन्यास में राजनैतिक वातावरण की कूटनीति ,षडयंत्रों का भी उल्लेख मिलता है। राजनीति में स्वार्थपूर्ति के लिए नेता लोग एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए है। आज की भ्रष्ट व्यवस्था में छल-कपट,पद-लोलुपता, आचरणहीनता के दर्शन होते है। सत्ता प्राप्ति के लिए हर व्यक्ति एक- दूसरे की जड़े काटने में लगा है। हर नेता अपने प्रतिद्वंद्वी को पछाड़ने में लगा है।

आज की राजनीति का यथार्थ चित्र प्रस्तुत करते हुए लेखक कहता है कि, 'अच्छा कोई आगे आया तो उसे गिराने की कोशिशों फौरन शुरू हो जाती है, और तो निर्वाचित पार्टी की सरकार बनी नहीं कि एक पक्ष तत्काल खड़ा हो जाता है कि दूसरा कुछ हो न हो .... सरकार को काम नहीं करने देता है। जो आज सत्ता में है वह पार्टी भी विपक्ष में आते ही वही नकारात्मक भूमिका शुरू कर देती है'।[6] इस प्रकार प्रत्येक पार्टी के नेता विरोधी दल को नीचा दिखाने के लिए क्रियाशील दिखाई देती है।

आज के युग का हर नेता जनसेवा का ढोंग करता है। वह अपनी लोकप्रियता के लिए किराए की भीड़ इकट्ठी करके उससे जय-जयकार बुलाता है तथा दिखावा करता है कि जनता उसे कुर्सी पर बने रहने के लिए प्रेरित करती है। आज की राजनीति त्याग व सेवा भाव की नहीं अपितु राजनैतिक ताकत बटोरने के लिए है। आज के राजनीतिज्ञों के पास न कोई सिद्धांत है तथा न ही किसी पार्टी में आस्था है। वे उसी पार्टी में शामिल हो जाते है ; जो उनकी जीत सुनिश्चित कर सके। लोकतंत्र के रक्षक ये नेता नैतिक -अनैतिक हथकण्डों के माधयम से कुर्सी प्राप्ति की प्रबल इच्छा रखते हैं। सत्ताधारी एंव राजनीतिज्ञ व्यक्तिगत स्वार्थ, आपसी कलहों, ईर्ष्या, द्वेष में इतने लिप्त हो गए है कि वे जनता के हित और कल्याण को भूल गए है। आज सभी राजनैतिक दल प्राय:भ्रष्ट और आदर्शहीन है। भारत की राजनैतिक पार्टियों में जितना आपसी मतभेद और संघर्ष है उतना शायद कहीं नहीं है। सभी पार्टियां सत्ता हथियाने की चालों में लगी रहती है। स्वातंत्र्योतर राजनैतिक परिवेश को उपन्यासकार ने बड़े सजीव व व्यंग्यपूर्ण ढंग से 'फूल','इमारते और बंदर' उपन्यास में चित्रित किया है। लेखक के शब्दों में 'अपने देश की भी क्या कुंडली है - बेचारा हमेशा लूटा जाता रहा - महमूद गजनवी से लेकर अंग्रेजों और अब नेताओं - अफसरों तक थोड़ा पहले अंग्रेज़ थे; अब हमारे अपने काले अंग्रेज़ है। शब्द किसी कदर घिस गए - जब नेता कहे वह देश की सेवा करना चाहता है तो मानो यह है कि देश को लूटकर घर भरना चाहता है'।[7] उपन्यास में प्रधानमंत्री के स्थान पर उनका बेटा रतन कुमार दोनों हाथों से धान बटोरना दिखाई देता है जबकि प्रधानमंत्री स्वयं को बहुत बड़ा देश सेवक समझते है। राज्य में शैक्षणिक संस्थाओं का महत्वपूर्ण स्थान है। आज की भ्रष्ट राजनीति से शैक्षणिक संस्थाएं भी अछूती नहीं है। आज का युवा मानस सही दिशा और सही मार्गदर्शन के अभाव में दिग्भ्रमित होकर रह गया है। शिक्षा वैसे भी बेरोज़गारी को दूर करने में असमर्थ रही है; इस पर राजनीति की गंदी नीतियों ने उभरती हुई युवा प्रतिमाओं को कुंठित कर दिया है; जिसका परिणाम तोड़-फोड़, हडताले, जुलूस और हत्याएँ होती है। इनसे केवल युवा वर्ग ही नहीं, संम्पूर्ण राष्ट्र प्रभावित होता है। 'लाल-पीली जमीन' उपन्यास में प्राध्यापकों के प्रति दुर्व्यवहार का कारण छात्रों को मिलने वाला राजनैतिक संरक्षण ही है। बोस साहब जैसे शक्तिशाली और प्रभावशाली नेताओं का संरक्षण उन्हे निर्मय बना देता है तथा वे शिक्षकों की हत्या करने से भी नहीं घबराते। शिवमंगल खुले आम पेपरों में नकल करते हुए प्राध्यापकों द्वारा पकड़ा जाता है किन्तु वह उनके रोकने से रुकता नहीं। मास्टर कौशल उसकी शिकायत प्रिंसीपल कंठी से कर देते है। जब प्रिंसीपल उसे नई कापी पर दुबारा से पेपर हल करने को कहते है तो वह उन्हे चाकू मारकर भाग जाता है। ऐसी स्थिति मे बोस साहब उसे संरक्षण देते है तथा उसे अपने घर में छिपाते है। बोस साहब कुटल राजनीतिज्ञ है। वे राजनीति के दावपेचों को भली-भांति जानते है तथा सत्ता में रहने के लिए हथकण्डों को अपनाने में व्यस्त दिखाई देते है। वे निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिए गुंडागर्दी, जातीयता इत्यादि का सहारा लेते है।

आज राजनीति में झूठ, अनीति और भ्रष्टाचार ही मूलमंत्र है जिनके सहारे राजनीति चलती है। यदि भूले भटके कोई सच्चा और ईमानदार व्यक्ति इस क्षेत्र में आ जाता है तो उसे खदेड़ने के लिए बाकी लोग एकजुट होकर उसके पीछे पड़ जाते है। 'हुजूर दरबार' में खरे साहब सच्चे गांधीवादी तथा चरित्र सम्पन्न देश भक्त है। स्वतंत्रता के पश्चात वे अपने साथियों को मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर जनता के बीच जनसेवा के लिए प्रेरित करते है परन्तु उनके साथी उन्हे बेवकूफ व मूर्ख समझते है। वे अकेले ही समाज-सेवा के कार्य में जुट जाते है तो उनकी हत्या करवा दी जाती है। खरे की हत्या एक सम्पूर्ण विचारधारा की हत्या है ;जहाँ ईमानदारी और निष्ठा दम तोड़ देती है तथा सत्ता - लिप्सा ,बेईमानी का आरम्भ होता है। वस्तुत: आज की राजनीति में अनैतिकता का स्वर प्रबल है। राष्ट्रीय नेताओं के आदर्श बदलते हुए दिखाई देते है। राजनैतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए हत्याएँ राजनीति का विशिष्ट अंग बन गई है। आज गांधीवादी आदर्शों व मूल्यों का स्थान रिश्वतख़ोरी , विलासिता हेराफेरी ढोंग ने ले लिया है। लेखक देश की राजनीति में व्याप्त घोर अव्यवस्था से चिंतित दिखाई देता है। पुलिस विभाग की नैतिकता तथा चरित्र से राज्य व्यवस्था की नैतिकता और चरित्र का मूल्यांकन किया जा सकता है। पुलिस का सम्बन्ध सीधा जनता से होता है। आम जनता को सरकार के प्रतिनिधि के रूप में पुलिस के साथ टक्कर लेनी पड़ती है। लेकिन भ्रष्टाचार का बोलवाला होने से इन नियमों का कड़ाई से पालन नहीं होता तथा पुलिस आज अपराधियों को नहीं; निरीह प्राणियों को अधिक सताती है। वह असली अपराधी को न पकड़कर बेकसूर लोगों पर अत्याचार करती है।

गोविन्द मिश्र ने अपने उपन्यासों में पुलिस तथा अन्य सरकारी कार्यालयों के अफसरों, कर्मचारियों के कारनामों का वर्णन किया है। प्रशासन व्यवस्था में कार्यरत प्रत्येक व्यक्ति का लक्षण अपना स्वार्थ सिद्ध करना है। इसके लिए चाहें उसे कोई भी भ्रष्टाचार, रिश्वत, चापलूसी इत्यादि का मार्ग अपनाना पड़े। यहाँ तक कि सरकारी दफतरों में छोटे-सी-छोटे पद पर

आसीन व्यक्ति भी रिश्वत लिए बिना कोई कार्य नहीं करता।

निष्कर्षत – कहा जा सकता है कि आज की राजनीति अवमूलियत राजनीति है। देश के बहुमुखी राजनैतिक पतन न नैतिकता के सभी मानदण्डों को ध्वस्त कर दिया है। देश ने शासन व्यवस्था सुचारु रूप से चलाने के लिए जिस लोकतांत्रिक पद्धति को स्वीकार किया था ; वह ऊपर से नीचे तक भ्रष्ट और स्वार्थमुखी बनकर रह गई है।

आज के नेताओं ने राष्ट्रीय विकास के लक्षण को भुला दिया है तथा निजी सुख – सुविधाओं के संग्रह को ही राष्ट्रीय जीवन का अंग मान लिया है। आज चुनावों में जनसाधारण के वोट को अपने पक्ष में लेने के लिए पैसा पानी की तरह बहाया जाता है। आधुनिक युग में राजनीति के क्षेत्र में रिश्वतख़ोरी, घूसख़ोरी, धोखाधाड़ी, भ्रष्टाचार जैसी प्रवृतियों का दबदबा है। अत: राजनैतिक विघटन होना स्वाभाविक है।

संदर्भ ग्रंथ सूची:–

1. उपन्यासकार प्रेमचन्द्र : समाजशास्त्रीय **अध्ययन** –राजकुमारी गुगलानी, पृ–27
2. आठवे दशक की कहानियाँ में चित्रित बदलते सामाजिक प्रतिमान – उद्धत विधु शर्मा ,पृ–240
3. समाजशास्त्र – गोपाल कृष्णा अग्रवाल ,पृ–388
4. समाजशास्त्र – गोपाल कृष्णा अग्रवाल ,पृ–388
5. पाँच आँगनो वाला घर – गोविन्द मिश्र ,पृ –81
6. पाँच आँगनों वाला घर – गोविन्द मिश्र ,पृ –272
7. फूल इमारते और बंदर – गोविन्द मिश्र ,पृ 301

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
October to December 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVI

कोविड-19 के संदर्भ मे योग और शाकाहार जीवन का आधार

डॉ. रंजु गुप्ता *

***प्राध्यापक, नेहरू शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, आगर – मालवा (म.प्र.) भारत**

प्रस्तावना –

सूक्ष्मता चान्वेक्षते योगेन परमात्मन: मनु स्मृति 6/15
(सूक्ष्म दृष्टि प्राप्त कर योग द्वारा परमात्मा को देखने का प्रयास करना चाहिए।) - मनुस्मृति 6115

योग शब्द संस्कृत के 'युज' धातु से बना है। युज धातु के दो अर्थ होते है – जुडना तथा समाधि। व्यत्पति के आधार पर योग शब्द के संयोग व समाधि के दो अर्थ होते है तथा दार्शनिकों ने इन दोनो अर्थो में इसका प्रयोग किया दोनों अर्थो में प्रयुक्त योग का उद्देश्य एक है। मोक्ष की प्राप्ति वह चाहे आत्मा-परमात्मा के मिलन से हो या स्वयं के साक्षात्कार से दोनों की अंतिम परिणति मोक्ष हैं।

धार्मिक चेतना के तीन पहलु होते है- ज्ञान, भक्ति तथा कर्म। योग इन तीनो से संबंधित होकर क्रमश: ज्ञान योग, भक्ति योग, व कर्म योग, का रुप ले लेता है। ये तीनों मार्ग हैं जिनमें किसी पर चलकर जीवन का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है।

योग का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों, वेदो, गीता, महाभारत में विस्तार से किया गया है। विष्णु पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण व वायु पुराण आदि में भी योग की विस्तृत चर्चा की गई है। इस प्रकार योग की एक लंबी परंपरा रही है। जिसे शीर्ष पर पहुंचाने का काम महर्षि पतंजली ने किया। उन्होने योग से संबंधित बिखरे सूत्रो को संकलित कर व्यवस्थित करते हुए योग को सत्यक् स्वरुप दिया।

योग केवल शरीर को ही स्वस्थ्य नही बल्कि वह मानसिक बीमारियों को भी दूर करता है। आज इस असीम महत्वाकांक्षा की दौड में जहां सब कुछ अतिशीघ्र पा लेने की होड मची हुई है, निरंतर सक्रिय व गतिशील होने के कारण व्यक्ति के जीवन से आराम व फुरसत के क्षण खत्म हो गए है। इस कारण वह कई तरह की बेचेनियों व तनाव का शिकार हो गये है। इस भागदौड से मिलने वाली असफलता, पारिवारिक विघटन, अकेले रहने की यातना आदि के कारण कई प्रकार की विकृतिया पैदा हो जाती है। ये तनाव व विकृतियों के अधिक बढ जाने के कारण व्यक्ति पागल हो जाता है अथवा आत्माहत्या कर लेता है। पागलपन व आत्महत्या की बढती दर इसका सबूत है। वर्तमान परिस्थियों में बढता तनाव, महत्वाकांक्षा की अंधी दौड, पारिवारिक विघटन, बढती बिमारियों को दूर करने के लिए योग व शाकाहार को अपनाना होगा।

योग का महत्व – योग जीवन, स्व शिक्षा व चरित्र को नियंत्रित करती है। यह हमारे ध्याान विचारों च भावनाओं के उचित प्रयोग व नियंत्रण में सहायक है। योग हमारी दिनचर्या व हमारी शिक्षा प्रणाली तथा हमारे जीवन की संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया का अभिन्न अंग होना चाहिए। योग का उदय मूलत: प्रकृति से होता है और हमें पृथ्वी तथा समूचे ब्म्ह्यण्ड में सोह्य से रहने की शिक्षा देता है।

योग स्वाभाविक रूप से पारिस्थितरीय प्रयोजन और पारिस्थितिकीय जागरूकता, पर्यावरण के प्रति चिंता, पृथ्वी व दूसरी सभी रचनाओं, छोटे-बडों के सम्मान को बढावा देता है। यह हमें एक दृष्टिकोण देता है कि हम दुनिया के संघर्षरत् देशो व समुदायों में बंटे हुए नही बल्कि पूर्णता के साथ एक है।

योग के विभिन्न पहलू – योग की एक लंबी परंपरा रही है। जिसे शीर्ष पर पहुंचाने का कार्य महर्षि पंतजलि ने किया है। उन्होने योग संबंधी बिखरे सूत्रो को सम्यक् रूप दिया है। पतंजली के प्रयास से योग इतना प्रभावशाली होकर लोगों के भीतर गहराई तक पहुंच गया है। उनकी वजह से यह इस हद तक पल्लवित हुआ कि उन्हे योग का प्रणेता माना जाने लगा। वे योग के प्रर्याय बन गये। पतंजली ने अपने ग्रंथ 'योग-सुत्र' में समाधिपाद, साब्यनापाद, विभुतिपाद व केवलयापाद में चार अध्याय बताये है। योग का 'चित्त वृत्ति का निरोध' कहते हुए कैवल्य (मौक्ष) को इसका लक्ष्य बताया है और इसकी प्राप्ति के लिये योग के आठों अंगो के अभ्यास से जब चित्त का निरोध हो जाता है तो सभी प्रकार के अज्ञात दुर हो जाते है और ज्ञान का उदय हो जाता है।

योग शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। योग में मानवता को एक जूट किया है। योग का शाब्दिक अर्थ ही है – जोडना चाहे किसी भी देश, जाति, धर्म, संप्रदाय के व्यक्ति हो योग सभी में सुस्वास्थ्य एवं सकारात्मक सोच विकसित करता है। योग के निर्माण से विश्व निर्माण का प्रतीक है तथा मानव चेतना का विज्ञान भी। तनाव, अशांति व तृष्णाओं से मुक्ति एवं शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य तथा आत्म परिष्कार के लिए योग

ही हर व्यक्ति कि लिए सबल साधन के रूप में आत्मसात् किया जा रहा है। पतंजली ने योग को सम्पूर्णता को आठ भागों यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, एवं समाधि के रूप में परिभाषित किया है। योग के प्रथम सोपान यम के अंतर्गत अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह एवं बृम्हचर्य का विधान है जब कि दूसरे सोपान नियम के अंतर्गत शौच, संतोष तथा स्वाध्याय व ईश्वर प्राप्ति ध्यान का उल्लेख किया गया है।

योग से आश्चर्यजनक लाभ का परिष्कार का होना, उनकी व्यापकता व भव्यता को निरंतर बढा रहा है। गीता में वर्णित योग की परिभाषा 'योग। कर्मसु कौशलम्' के अनुसार योग प्रत्येक क्षेत्र के कार्यो में कुशलता का परिचालक है। वहीं गीता में श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को योग के उपदेश देते हुए कहते है। के यसमत्व योग उच्चतेय अर्थात ऊँच-नीच, मेरा-पराया, हानि-लाभ तथा यश-अपयश से उपर समत्व भाव से जीना योग है।

शाकाहार – शाकाहार सिर्फ आहार नही है, एक सुविकसित चिंतन जीवन पद्धति है यह एक परिपुर्ण जीवनशैली है,जो सदियो के अनुभवों के बाद अस्तित्व में आयी है। इस जीवन पद्धति के सात नियंत्रक तत्व है। अहिंसा, करूणा, मानवीयता, सह-अस्तित्व, प्रकृति से मेत्री, स्वास्थ्य/स्वछता व स्वधीनता हमारे शरीर की प्रथम आवश्यकता शाकाहार है। एक पुरानी कहावत है कि जैसा अन्न, वैसा मन। अन्न का संबंध मन से है। यह वैज्ञानिक सत्य है। विटातिन ए की कमी से व्यक्ति चिडचिडा हो जाता है। विटामिन बी की कमी से व्यक्ति भयभीत रहता है, अधिकतर रक्त चाप बढ जाता है। अल्कोहल का प्रयोग प्रत्यक्ष रूप से मानसिक असंतुलन पैदा कर देता है। वर्तमान समय मनुष्य एक त्रादसी से गुजर रहा है। कोविड-19 के उपर कई शोध कार्य हो चुके है। कोरोना महामारी की तीसरी लहर की आशंकाओं के बीच एक अध्ययन हुआ की शाकाहारी आहार लेने वाले अन्य पोषण युक्त भोजन लेने वालो की तुलना में 9 प्रतिशत ज्यादा सुरक्षित रहते है। जो संक्रमित हुए भी उनमें गंभीर होने का जोखिम 41 प्रतिशत तक कम पाया गया। दुनिया भर के छ: देशो में हाल ही में यह शोध किया गया। शोध के अनुसार शाकाहारी आहार लेने वाले 73 प्रतिभागियो मै कोरोना होने के कम जोखिम पाए गये। यह अध्ययन मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल ने किया। शाकाहारी आहार फाइटोकेमिकल, एंटीओक्सिडेंट व एंटी इंफलमेटरी खाद्य पदार्थो से भरपुर होता है। जो शरीर में संक्रमण से लडने में मदद करता है। एक कलरफुल डाईट शरीर को पाषण देने में मदद करती है। (पत्रिका 11-09-2021 पे.16)

शाकाहार के प्रति लोगों की रूचि बढती जा रही है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए शाकाहार ही सर्वोत्तम आहार है।

प्रकृति ही मनुष्य शाकाहारी है लेकिन बहुत से लोग मांसाहार का प्रयोग करते है। यह एक प्रकार से प्रकृति का विरोध है। यदि हम स्वास्थ्य की दृष्टि से विचार करे तो शाकाहार जितना सुपाच्य है मांसाहार उतना सुपाच्य नहीं है। शाकाहार चुनने के लिए कुछ वैज्ञानिक तर्क इस प्रकार है –

1. शरीर को स्वस्थ्य और उसकी मरम्मत के लिए चार आवश्यक तत्व है – प्रोटिन, कार्बोहाइड्रेड, हाइड्रोकार्बन या वासा, खनिज।
2. जैव खनिज की मुख्य पूर्ति सब्जियों से होती है।
3. शाकाहार खून में क्षारीयता का संचय करता है, जो कार्बन डाई ऑक्साइड के अवशेष को समाप्त करने के लिए जरूरी है।
4. सब्जियॉ विटामिन के विशेष स्त्रोत है। विटामिन युक्त सब्जियॉ व फलों को ज्यादा नहीं पकाना चाहिए।
5. शाकाहार में एंटीस्कौरब्यूरिक तत्व होते है जो बिमारियो से लडते है।
6. शाकाहारीयों में संक्रमण के प्रति प्रतिराक्षा स्तर ऊँचा होने के कारण चोट जल्दी ठीक होती है।
7. मांसाहार खाने से जमा हुआ यूरिक एसिड शरीर के यूरिक एसिड पर अतिरिक्त दबाव डालता है जिससे इसका निष्कासन कठिन हो जाता है। यह सब मिलकर बीमारियों के लिए आदर्श स्थितियां उत्पन्न करते है।
8. शाकाहारियो में कोलेस्ट्राल संबधित समस्याऍ कम होती हैं।
9. शाकाहारियो में कैंसर की संभावनाओं का स्तर 40 प्रतिशत कम होता है।

हमारा शरीर मूलत: शाकाहार के अनुसार ही रचा गया है। शाकाहार बनना उस नदी में कदम रखने जैसा है, जो व्यक्ति को निर्वाण की तरफ ले जाता है:- 'गौतम बुद्ध'।

शाकाहार वास्तव में एक वैज्ञानिक धारणा है। उसके कई अर्थ है, जिसमें पहला जीवन में हिंसा नहीं की जानी चाहिए। दूसरा भोजन में केवल वे वस्तुएं शामिल हो जो शरीर को सात्विक रखे, अर्थात् हमारे मन में हमारे शरीर के द्वारा हिंसा का भाव उदय न हो। इस युग में महात्मा गांधी शाकाहार के सबसे बडे समर्थक हुए है, ब्रिटेन के उपन्यासकार समाजकारी व चिंतक बर्नाड रॉ, अमिताब बच्चन, शाहिद कपूर, रिचर्ड गेर आदि प्रसिद्ध व्यक्ति शुद्ध शाकाहारी है।

लॉ ऑफ थर्मोडायने मिक्स या गतिज उर्जा के सामान्य नियम से यह जाना जा सकता है कि उत्पादन अर्थात् वनस्पति में शत् प्रतिशत् उर्जा होती हैं जो पहले शाकाहारी के पोषण स्तर पर 90 प्रतिशत् तक रह जाती है ओर उसके बाद हर स्तर पर घटने हुए मांसाहारी तक वहीं उर्जा 1 प्रतिशत् तक रह जाती है अर्थात् पारिस्थितिकी तंत्र में उर्जा प्रवाह के नियम से भी यह तय है कि शाकाहार सर्वाधिक उर्जावान आहार है।

वर्तमान समय व लंबे जीवन और निरोगी काया की चाह इंसान की सदैव से रही है। भारतीय दर्शन में 100 वर्ष तक स्वस्थ्य जीवन जीने की बात कल्पना मात्र नही थी। एक अच्छा व स्वस्थ्य जीवन जीने के अनेक तरीके हमारे पास उपलब्ध है। शाकाहार व योग हमारे जीवन का आधार होना चाहिए।

यदि हम असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर और मृत्यु से अमरत्व की ओर बढना चाहते है, हताश-निराश-उदास मानव जीवन में एक नई ज्योति, उंमग लाना चाहते है, तो हमें बिना संदेह प्रकट किए पूर्ण निष्ठा के साथ सदाचार-सदविचार से परिपूर्ण आयु, आरोग्यवर्द्धक खान-पान, आचार-विचार, संचय-साधना, भाषा-भाव, सभ्यता व संस्कृति को अपनाना होगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. शाकाहार 100 तथ्य – डॉ. नेमिचंद
2. आहा जिंदगी – नवम्बर 2005
3. आहा जिंदगी – आयुर्वेद विशेषांक 2002
4. आहा जिंदगी – अगस्त 2013
5. रोजगार समाचार – 16-22 जून 2018
6. मधुरिमा – 20 जून 2018
7. पर्यावरण – मेधातिथि जोशी
8. पत्रिका – 11/09/2021

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
October to December 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVI

माडिया जनजाति की विलुप्त होती प्रथाओं का अध्ययन दंतेवाड़ा जिले के सन्दर्भ में

डॉ. किरण नुरुटी* पिंकी शर्मा **

* प्राचार्य, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कोंडागांव (छ.ग.) भारत
** शोधार्थी (समाजशास्त्र) शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय, जगदलपुर (छ.ग.) भारत

प्रस्तावना – छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग में स्थित बस्तर के दुर्गम पहाड़ों पर आज भी कई जगह से कुछ सालों पहले तक अपनी अक्षुण्ण संस्कृति के लिए प्रसिद्ध थी किन्तु बढ़ते नगरीकरण, संस्कृतिकरण तथा आधुनिकीकरण के चलते ये अपनी स्वतन्त्र पहचान खोते जा रहे है।

बस्तर में पाई जाने वाली जनजातियों में एक प्रमुख जनजाति गोंड है इनकी कई उपजातियां है, तथा ये अपनी पहचान गोंड से नही बल्कि कोयतोर शब्द से बताते है। जैसे दंतेवाड़ा के गोंड स्वयं को दण्डामी माडिया कोयतोर तथा नारायणपुर के गोंड स्वयं को मुरिया कोयतोर कहते हैं। गोंडो में सबसे अधिक प्रचलित गोत्र नेताम, मरकाम, टेकाम, तथा मरावी है। ये गोत्र गोंडों की उपजातियों में भी पाए जाते है।

बस्तर में कई गोंड आदिवासी हिन्दी देवी–देवताओं को मानते है किन्तु वे अपने कुल देवी–देवताओं या पूर्वजों की आत्माओं की आराधना नहीं छोड़ते। किसी भी शुभ काम करने के पहले वे उनकी आराधना, पूजा, बलि द्वारा करते है इनके प्रमुख देवी–देवताओं में ठाकुर देव (बूढ़ा देव) खैर माता, दूल्हा देव एवं सूरज देव हैं।

माडिया जनजाति का सामान्य परिचय – बस्तर के दक्षिण में निवासरत दण्डामी माडिया स्वभाव से ही सरल मेहनतकश तथा स्वाभिमानी होते है। सीमित आवश्यकताओं के साथ ये अपना जीवन सुखमय तरीके से व्यतीत करते है। किन्तु बाहरी प्रभावों के कारण वर्तमान समय में इनके जीवन में सामाजिक तथा सांस्कृतिक पहलुओं के बीच कई तरह की चुनौतियाँ आ खड़ी हुई है और शायद इसीलिए स्वतंत्रता के 73 सालों बाद भी बस्तर और बस्तर के बाहर अपनी जीवन शैली के लिए दण्डामी माडिया लोगों में जिज्ञासा तथा रहस्य के भरे हुए है। किन्तु जैसे ही हम इन्हें पास से जानने की कोशिश करें या इनकी जीवन शैली को समझते है तो हम पाएंगे कि ये स्वभाव से मस्त होते है और अपने सामाजिक जीवन में किसी बाहरी हस्तक्षेप को पसंद नही करते।

माडिया बस्तर के दक्षिणी छोर पर पाया जाने वाला वह आदिवासी समुदाय है जो अपने उत्सवों पर जंगली गंवर (भैसा) का सींग लगाते हैं। जिसके कारण ही इनका नाम गौर सिंह माडिया पड़ा। ये स्वयं को कोयतोर (बन्दर या वनमानुष) मानते है तथा बंदरों को अपना पूर्वज बताते है।

चूँकि ये पूर्व से ही पहाड़ों पर रहते थे अत: ये माडिया कहलाये क्योंकि गोंड भाषा में माडिया शब्द मांड से निकला है जिसका अर्थ पहाड़ होता है। ये अपनी गाँव की सीमा पर ग्राम देवता का स्थान बनाते है। आज भी इनके घर प्राय: घास–फूस व लकड़ियों से झोपड़ीनुमा ही बनाए जाते है।गाँवों में आज भी गायंता व पटेल का प्रमुख स्थान होता है बात यदि संस्कृतिक परम्पराओं की कि जाये तो आज भी ये अपने सारे कार्यों को करने के पूर्व कुल देवता व प्रकृति की पूजा अर्चना करते है।

पूर्व में सामाजिक सांस्कृतिक परम्पराओं का हस्तान्तर का कार्य गोटूल जैसी सामाजिक संस्थाओं द्वारा किया जाता था।पर वर्तमान में यह कार्य परिवार के सदस्यों तथा स्कूलों द्वारा किया जाता है।

सर्वप्रथम ग्रिकसन ने माडिया लोगों का बाईसन हार्न माडिया तथा हिल माडिया में उपभेद किया।अबुझमाड पर्वत पर बसी हिल माडिया तथा इन्द्रावती नदी के दक्षिणी तट पर बसी बाईसन हार्न माडिया।(1)

पूर्व में युवक–युवतियां गोटुल में जाकर अनुभवी सदस्यों से अपने भावी–जीवन की परम्पराओ व उनके महत्व को सीखते थे किन्तु परिवर्तन के इस दौर में अब इन सामाजिक संस्थाओं का स्थान सरकारी पाठशालाओं में ले लिया है जो सैद्धान्तिक ज्ञान तो देती है पर पारंपरिक ज्ञान कही पीछे छूट गया है जिसके कारण आधुनिक संस्कृति की छाप इन पर अधिक दिखाई देने लगी है।

बढ़ते औद्योगीकरण तथा नगरीय सभ्यता व संस्कृति के प्रचार–प्रसार के कारण यह अपने अस्तित्व को बनाए रखने हेतु संघर्ष के दौर से गुजर रहे हैं।

माडिया जनजाति की प्रथाएँ – किसी समाज में प्रथा से आशय है उस समाज के पूर्वजों के कार्य करने के वे पारंपरिक तरीके, जिनके पीछे उनके वर्षो का अनुभव जुड़ा हुआ होता है ।

जब हमारे पूर्वजों के इन अनुभवों को अगली पीढ़ी के सदस्यों द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है तो वही अनुभव रूढ़ी का रूप ले लेता है ओर एक ओर पीढ़ी के बाद यही अनुभव प्रथा का रूप ले लेता है । पूर्वजों द्वारा प्रथाओं के कड़ाई से पालन के पीछे यही उद्देश्य होता है कि उनकी अगली पीढ़ी को संघर्षो का सामना न करना पड़े तथा वे अपने पूर्वजों के अनुभवों का लाभ उठा सकें ।

प्रत्येक समाज की प्रथाएँ उस समाज की सांस्कृतिक विरासत होती है जिनका पालन व् सुरक्षा उनके सदस्यों का प्रथम कर्तव्य होता है ।यदि किसी बदलावया परिवर्तन के कारण प्रथाएँ टूटती हैं या विलुप्त होती हैं तो ये उस समाज के अस्तित्व के समाप्त होने का प्रथम सूचक है । माडियां समाज बस्तर का एक अति संगठित जनजातीय समूह है ।जो आज भी अपनी सामाजिक

प्रथाओं के प्रति आसक्त है। वर्तमान समय में जब जनजातीय समाज विकास के दोर से गुजर रहा है तब ये प्रथाएँ ही हैं जो इनके अस्तित्व को बचाएं हुयें हैं शोध क्षेत्र में जाने पर ये पता लगा कि विकास के नाम पर आधुनिक समाज के संपर्क तथा हस्तक्षेप ने इनके आतंरिक जीवन में उथल-पुथल मचा दी हैं जिसके कारण कुछ प्रथाएँ अपना मूल स्वरूप खोती जा रही हैं।

चूंकि सामाजिक प्रथाओं में पूर्व पीढ़ी के लोगों का अनुभव तथा विश्वास दोनों ही समाहित होता है जिससे वें किसी भी काल में समाज की प्रगति में सहायक होती हैं पर जैसे ही व्यक्ति की आवश्यकताएं बदलती हैं इन प्रथाओं का महत्तव कम हो जाता है।

जन्म सम्बन्धी प्रथायें – प्रत्येक समाज तथा संस्कृति में बच्चे के जन्म से जुड़े कई संस्कार किए जाते हैं जिनमें नामकरण संस्कार का अपना महत्व है। नामकरण संस्कार वह प्रथा है जिसमें बच्चे को एक नाम या पहचान दी जाती है।

अलग-अलग समाजों में नामकरण के अलग-अलग आधार होते है। यह एक पवित्र संस्कार माना जाता है। आदिम समाजों में अधिकांशत: पूर्वजों, दिनों, महीनों, पेड़-पौधों व कई बार ऋतुओं के आधार पर भी नाम रखे जाते हैं। आदिवासी समाज में नामकरण मुख्य कार्य गुनिया तथा वड्डे द्वारा संपन्न किया जाता है। वे अपने ज्ञान के आधार पर बच्चे का नामकरण करते है। दण्डामी माडिया में नाम कारण संस्कार को तेल देने के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन बच्चे के माता पिता अपने रिश्तेदार के साथ पूरे गाँव के लोगों को आमंत्रित करते है मेहमानों की आवभगत हेतु गृह स्वामी कई प्रकार के पेय पदार्थ जैसे- लांदा, महुआ, सल्फी तैयार करके रखता है इसके साथ ही भोजन में सूअर, मुर्गी, गाय, बकरी इत्यादी तथा शाकाहारी लोगो हेतु दाल और चावल भी परोसता है नामकरण संस्कार बच्चे के माता-पिता अपनी सुविधा के अनुसार दो छ: या जब वे आर्थिक दृष्टि के सक्षम हो उस दिन कर देते हैं। माता-पिता द्वारा सभी अतिथियों को तेल दिया जाता है जिसे वे अपने शरीर के मनचाहे हिस्से पर लगते हैं। साथ ही उन्हें एक पीतल या एलुमुनियम कि अंगूठी भी दी जाती है।जिसे वे खुशी-खुशी पहनते है।

विवाह सम्बन्धी प्रथायें – जनजातियों में विवाह पद्धति बहुत ही आकर्षक तथा सरल ढंग से संपन्न होती है जिसमे एक ओर जहाँ गोत्र के बाहर विवाह अनिवार्य होता है वही दूसरी ओर कन्या मूल्य भी अनिवार्य है जो समाज में स्त्रियों कि उच्च प्रस्थिति व भूमिका को दर्शाता है प्रकृति की गोद में विभिन्न परम्पराओ व मान्यताओं के साथ विवाह पद्धति पूर्ण होती है तथा आज भी ममेरे-फुफेरे भाई-बहनों में विवाह को प्राथमिकता दी जाती है।

यदि तार्किक ढंग से देखा जाये तो यह प्रथा इस तर्क पर आधारित है कि जब विवाह संबंध ममेरे-फुफेरे भाई-बहनों में तय होता है तो ऐसे संबंध अधिक स्थाई तथा प्रेमपूर्ण होते है।क्योकि दोनों ही परिवार एक-दूसरे से पूर्णत: पूर्व परिचित तथा सम्बन्धी होते है।ऐसे में विवाह पश्चात संघर्ष कि स्थिति नही के बराबर होती है।इस क्षेत्र में आज भी लमसेना विवाह, जबरन विवाह, नौसा पेसी (वशीकरण) तथा चूड़ी पहनाना जैसी विवाह पद्धतियाँ देखने को मिलती है।

मृत्यु सम्बन्धी प्रथायें – मृत्यु जीवन का सबसे बड़ा सच है। प्रत्येक जीव जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु पूर्व निश्चित है। प्रत्येक समाज में मृत्यु संस्कार वह पवित्र संस्कार है जिसके अंतर्गत मृतक कि आत्मा की शांति हेतु कई प्रकार के पूजा-पाठ व दान-धर्म की क्रियाएँ पण्डितों द्वारा करवाई जाति है।किन्तु दण्डामी समाज में सम्पूर्ण मृतक क्रियाएँ आना गुंडा द्वारा ही संपन्न करवाई जाति है।

दण्डामी समाज में मृत्यु संस्कार को शोक का लेकिन मृत्यु पश्चात शुभ संस्कार माना जाता है क्यूंकि यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में पाप कर्म करता है तो उत्तम तरीके से किया गया उसका मृत्यु संस्कार उसे उसके पाप कर्मों से मुक्ति दे देगा।

दण्डामी समाज में जब किसी की मृत्यु होती है तो गाँव के महारा को बुलाया जाता है महारा शीघ्र ही मृतक के घर पहुच कर उँचे स्थान पर खड़े होकर ढोल बजाता है जिससे गाँव के लोगो को तथा आस-पास के क्षेत्र में यह पता लग जाता है कि किसी की मृत्यु हो गई है। और सारे रिश्तेदार इकठ्ठे हो जाते है।

आनागुंडा की मुख्य भूमिका- दण्डामी समाज में आना गुंडा का महत्वपूर्ण स्थान होता है। प्रत्येक गोत्र का या प्रत्येक गाँव का एक आनागुंडा होता हैं। जो सम्पूर्ण मृत्यु संस्कारों को संपन्न करता है यदि गाँव में आनागुंडा नही हैं तो दूसरे गाँव के आनागुंडा को खबर भेज कर बुलवाया जाता है। एक उत्तारदाता द्वारा यह भी बताया गया कि एक आनागुंडा के गाँव से बाहर होने के कारण उसकी प्रतीक्षा में दो-तीन दिन तक शव को ज्यों का त्यों रखा गया।

दण्डामी समाज में मृत्यु पश्चात मृतक स्तंभ बनाने की भी प्रथा है कई बार तो लोग अपनी मृत्यु के पूर्व ही अपनी पसंद का पत्थर ढूंढ लेते है और उसपर आकृति भी बनवा लेते है।शव दाह के तीसरे दिन गाँव वाले तथा रिश्तेदार मृतक की याद में मृतक स्तंभ की स्थापना करते है।

मृत्यु के पश्चात शव का दाह किया जाएगा या दफनाया जाएगा यह मृत्यु के कारण पर निर्भर करता है।जैसे- गर्भवती स्त्री, छोटा बच्चा, गुनिया, किसी जानवर द्वारा खाए जाने पर, सांप के काटने परे यदि कोई व्यक्ति मरता है तो उसे दफनाया जाता है।विशेषकर छोटे बच्चे को घर के पीछे या आस-पास लगे महुए के पेड़ के नीचे ही दफनाया जाता है।मान्यता है की महुए का पेड़ जैसे-जैसे फलता-फूलता है उतनी ही बालक की आत्मा तृप्त होती है और जब महुआ फलता है तो बच्चा दुबारा उसी घर में जन्म लेता है।

आर्थिक प्रथायें- दण्डामी समाज में सम्पूर्ण आर्थिक क्रियाएँ प्रकृति से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई है किसी भी आर्थिक क्रिया को करने से पूर्व ये सभी प्रकृति तथा अपने कुल देवता की सामूहिक पूजा करते है। तथा कार्य पूर्ण होने पर सामूहिक शिकार करके ईश्वर को धन्यवाद स्वरुप बलि के रूप में अर्पित भी करते है। खेती से जुड़े कार्यो को कुछ प्रथाओं से जोड़ा गया है जैसे-धन बोने से लेकर नई फसल के आने तथा उसे उपयोग करने से पहले सामूहिक रूप से गायंता द्वारा पूजा-पाठ व कुल देवता की अर्चना अनिवार्य होती है।

माडिया जनजाति की विलुप्त होती प्रथाएँ – इतिहास साक्षी है जब-जब दो सभ्यताएं व संस्कृति एक दूसरे के संपर्क में आयी तब-तब दोनों के सामाजिक सांस्कृतिक तत्वों में कई परिवर्तन हुए इस स्थिति में दोनों ने अपने कई संस्कृतिक तत्वों आदान-प्रदान किया तो कई बार कई प्रथाएँ धीरे-धीरे विलुप्त भी होती गई जो संस्कृति ज्यादा उन्नत थी उसने दूसरी पर अपना स्थाई प्रभाव छोड़ा। परिवर्तन के इस दौर में दण्डामी माडिया समाज भी नगरीकरण तथा आधुनिकीकरण के प्रभाव से अछूता नही रह पाया है।आधुनिक संस्कृति का प्रभाव उनकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर स्पष्ट दिखाई पढता है। समय के साथ उनकी कई प्रथायें अपना मूल स्वरुप खोती जा रही है।

(अ) धार्मिक प्रथाएँ- वर्तमान में हम कुआकोंडा शोध क्षेत्र में पारंपरिक

धर्म के साथ ईसाई तथा हिंदू धर्म का मिला-जुला रूप देखते है। और युवा पीढ़ी पारंपरिक धर्म की अपेक्षा इन धर्मो के मानदंडो को स्वीकार कर रही है। अधिकांश घरों में हिंदू देवी-देवताओं की फोटो देखी जा सकती है। तथा अब उनके नाम करण, विवाह तथा कई अन्य संस्कार इन्ही धर्मो के अनुरूप होते देखे जा सकते है। कहने का तात्पर्य यह है कि पारंपरिक धर्म धीरे-धीरे विलुप्त होने की कगार पर है।

(ब) वैवाहिक प्रथाएँ- बढ़ते नगरीय संपर्क के कारण माडिया जनजातीय समाज में पारंपरिक विवाहों की अपेक्षा अन्तर्जातीय विवाहों का प्रचलन भी बढ़ा है।क्योंकि पूर्व की तुलना में सामाजिक दण्ड प्रक्रिया शिथिल हो गई है।सामाजिक बहिष्कार की जगह केवल सामाजिक भोज तथा आर्थिक दण्ड देकर पुन: समाज में मिला लिया जाता है।जिससे युवाओं में परम्पराओं के प्रति भय कम हो गया है।

(स) वस्त्र परंपरा - प्रत्येक समाज के वस्त्र तथा आभूषण उस समाज की संस्कृति के परिचायक माने जाते है।और इन्ही मानदंडो पर आधारित आदिम संस्कृति पूरे विश्व पटल पर अपने पारंपरिक पोषक व आभूषणों के लिए विख्यात है।किन्तु वर्तमान आधुनिक संस्कृति के संपर्क में आने से इनके पारंपरिक पोषक व आभूषण विलुप्त होते जा रहे है।और आज ये पारंपरिक व आधुनिक पोशाकों के मिले जुले रूप में देखने कों मिलते है।

'डाउन टू अर्थ' में सतना जिले के मवासी आदिवासियों की ऐसी स्थिति दिखाई दी जिसमे सामने आया की कभी जड़ीबूटियों पर महारथ रखने वाला समाज धीरे-धीरे उस ज्ञान से दूर होता गया।नई पीढ़ी के लोग मजदूरी और पलायन की वजह से जड़ीबूटियों कों पहचानना नही सीख रहे और यह ज्ञान बुजुर्गो के साथ ही खत्म हो गया।(2)

प्रथाओं के विलुप्त होने के कारण - प्रथाओं के विलुप्त होते के कारण प्राकृतिक भी हो सकते है और मानवीय भी कई बार जातियाँ सामाजिक सस्तरण में अपना स्थान उच्च बनाने हेतू भी अपने सांस्कृतिक परम्पराओं कों छोड़ कर प्रभावित जाति की परंपरा कों अपना लेती है।

1. शोध क्षेत्र में प्रथाओं के विलुप्त होने का प्रमुख कारण नगरीकरण पाया गया जिसके चलते लोग रोजगार हेतु नगरीयक्षेत्रों में जाते है। नगरीय सभ्यता के संपर्क में आकार ही वर्तमान पीढ़ी अपनी परम्पराओं से दूर होती जा रही है।

2. दूसरा प्रमुख कारण आधुनिकीकरण पाया गया इस क्षेत्र में आधुनिकीकरण से लोगों का अर्थ टी.वी. , मोबाइल, मिडिया, विकास कार्य जैसे- सडक निर्माण इत्यादि। जिसके कारण गाँव के युवा वर्ग में तेजी से बदलाव आया। ये बदलाव उनके खान-पान, साज- श्रृंगार तथा हिन्दी भाषा के ज्ञान के रूप में देखा जा सकता है। अनपढ़ होते हुए भी उनके मोबाइल संचालन की क्षमता अद्भुद है।

3. शिक्षा योजना- शोध क्षेत्र में चल रही शिक्षा योजनाओ के प्रभाव से उन लोगों में स्वास्थ के प्रति जागरूकता आयी है। तथा कई पारंपरिक प्रथाएँ जो उनके स्वास्थ पर प्रतिकूल प्रभाव डालती थि वे धीरे-धीरे खत्म हो रही है। जैसे पहले प्रसव के पश्चात माँ को एक माह तक सब्जीयां ना देने की प्रथा थी जिसके कारण कई बच्चे कुपोषित रह जाते थे।पूर्व काल में प्रथम माहवारी आने पर जंगल में छुपना अनिवार्य होता था।किन्तु वर्तमान में शिक्षित बालिकाओं द्वारा इस प्रथा का पालन न कर झोपडी में ही छुपने का विकल्प अपनाया जा रहा है। स्वास्थ विभाग के जागरूकता अभियान द्वारा भोजन में इमली के सर्वाधिक प्रयोग कों हानिकारक बताये जाने पर गर्भवती महिलाये ईमली का सेवन छोड़ने लगी है।

4. दण्ड प्रक्रिया का शिथिल होना- दण्ड प्रक्रिया का शिथिल होना भी विवाह प्रथाओं तथा धार्मिक प्रथाओं की विलुप्ति का बड़ा कारण है।

प्रथाओं के विलुप्त होने के परिणाम:

1. अस्तित्व की पहचान बनाए रखने हेतु मानसिक संघर्ष।
2. धार्मिक परम्पराओ हास (परसंस्कृतिकारण)।
3. सामाजिक संगठन में बिखराव।
4. नवीन पीढ़ी में प्रथाओं के प्रति अनभिज्ञता।

निष्कर्ष - उपरोक्त जानकारी के अनुसार हम इस निष्कर्ष पर पहुचते है की आधुनिक समाज से संपर्क से कारण आदिम समुदाय कई मानसिक संघर्षो का सामना कर रहा है। एक तरफ अधिकांश उत्तरदाता अपनी सांकृतिक पहचान खोने जाने के भय से परेशान है क्योंकि युवा पीढ़ी शिक्षा तथा नगरीय संपर्क में आकार अपनी पारंपरिक प्रथाओं कों बोझ मानती है। दूसरी तरफ कई लोग कुछ कारणवश (धन/अन्य सामग्री/ भावनात्मक पहलुओ के कारण) दूसरे धर्म कों स्वीकार कर रहे है। जिससे आदिम धर्म का नाश हो रहा है। साथ ही धार्मिक एकीकरण नही होने के कारण समाज में एकता की कमी आ रही है। दूसरी तरफ मिडिया के बढ़ते हुए प्रभाव के कारण तथा सामाजिक दण्ड प्रक्रिया के शिथिल होने के कारण भी विवाह तथा धर्म प्रथाएँ भी धीरे-धीरे विलुप्त होती जा रही है। शिक्षा के बढ़ते प्रयासों व जागरूकता कर्यक्रमों के कारण लोग समस्याओं के प्रति तथा अपने अधिकाओं के प्रति जागरूक तो हो रहे है लेकिन धीरे-धीरे अपनी ही सामाजिक प्रथाओं से अनभिज्ञ होते जा रहे है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. शर्मा, विजय प्रकाश 2009
2. Mishra, Manish Chandra,Tuesday, 22 oct,2019 (w-w-w down to earth org-in)

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
October to December 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVI

विदेशों में भारतीय कला का स्थान

डॉ. निशा गुप्ता *

*एसोसिएट प्रोफेसर, जे0के0पी0 पी0जी0 कॉलेज, मुजफ्फरनगर (उ.प्र.) भारत

शोध सारांश – विभिन्न कालखण्डों की कला के इतिहास में 19वीं व 20वीं सदियों की आधुनिक कला का इतिहास सबसे अधिक व्यापक, उद्बोधक व मनोरंजक है और इसका प्रमुख कारण यह है कि अब कलाकार केवल सर्जक न रहकर स्वयं स्वतन्त्र रूप से विचार करके निर्मित करने वाला दार्शनिक बन गया। धर्मश्रद्धा विचलित होने से एवं राजा व अभिजात वर्ग का आश्रय समाप्त होने से कलाकार अपने व्यक्तिगत प्रयत्नों पर व्यवसाय करने को विवश हुआ। आधुनिक कलाकारों ने एक तरफा दृष्टिकोण छोड़कर सौन्दर्यशास्त्र, अध्यात्मक विज्ञान, मनोविज्ञान, राजनीति, साहित्य, समाजवाद आदि भिन्न विषयों पर विचार करके जो बहुरंगी सर्जन किया, कला के मूलतत्वों पर प्रकाश डाला व भिन्न ललितकलाओं की समरूपता का परिचय कराया वह कला के इतिहास के अपूर्व है। रविन्द्रनाथ टैगोर, गगनेन्द्रनाथ टैगोर व अवनीन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी इसी प्रतिभा तथा साधना के बल से अपनी चित्रकला में स्वतन्त्र और बहुमुखी पद्धतियों को अपनाया तथा भारतीय चित्रकला को विदेशों में उसका उचित सम्मान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की।

शब्द कुंजी – शुभचिन्तक , मानदण्डों, शाश्वत, लोकप्रिय, अन्तर्राष्ट्रीय।

प्रस्तावना – ब्रिटिश शासनकाल में विदेशी विचारधाराओं से प्रभावित सामाजिक वातावरण में किसी भी भारतीय इतिहास व धर्म के प्रति वह श्रद्धा नहीं रही थी, न कलाकारों में वह साधनावृत्ति थी। भारतीय चित्रकला को निम्न दृष्टि से देखा जाता था तथा विदेशी कला को ही उच्च स्थान प्राप्त था। इस सबसे भारत की महान चित्र परम्परा को भारी आघात लगा। अत: भारतीय चित्रकला के शुभचिन्तक, विचारकों व कलाकारों के समुदाय को ऐसे समय पर इस परिस्थिति में कला-आन्दोलन की आवश्यकता प्रतीत हुई जो यूरोप या इंग्लैण्ड की विक्टोरियन चित्र परम्परा से हटकर महान भारतीय चित्र परम्परा से प्रेरणा ग्रहण कर सकें।

भारतीय कलाकारों के सामने उस समय की बड़ी कठिनाई थी, कला की स्थापना में साहित्य तथा पत्रकारिता आदि अन्य विधाओं के सहयोग का अभाव। नई कला शैलियों के विकास के लिए साहित्यकारों तथा पत्रकारों का जो सहयोग मिलना चाहिए था, वह उसे नहीं मिल पा रहा था। कला के सहज और स्वाभाविक विकास के लिए यह आवश्यक था कि साहित्य और पत्रकारिता के चिंतन-क्षेत्रों से उसे सहयोग मिलता। यही कारण रहा कि एक लम्बे समय तक आधुनिक भारतीय कला की समीक्षा पश्चिमी मानदण्डों के आधार पर की जाती रही।

अवनी बाबू ने स्पष्ट किया कि भारतीय कला ने सदैव सर्वव्यापी व शाश्वत तत्वों को अपने सम्मुख आदर्श के रूप में रखा जबकि पाश्चात्य यूरोपीय कला का रूप भौतिक एवं नश्वर सौन्दर्य से प्रभावित है। भारतीय कला में कलाकार को दार्शनिक एवं कवि का स्थान दिया है। इस कला की आत्मिकता व कल्पना-सौन्दर्य गोथिक कला में नहीं है एवं वह अधिक भावना प्रेरित है। अपने विचारों को प्रत्यक्षित करने के उद्देश्य से अवनीन्द्र ने अध्ययन पद्धति में परिवर्तन किया तथा प्राचीन ग्रीक एवं यूरोपीय कलाकारों की मूर्तियों की नकल करवाना बंद कर दिया।

इस नवीन प्रतिक्रिया के फलस्वरूप कलाकारों को ऐकेडमीवाद से हटकर अपनी नूतन कृतियों को दिखाने का अवसर प्राप्त हुआ। लोक-साहित्य, लोककला, सरल भक्ति सम्प्रदाय, कृषकों तथा नाविकों के घरो की कला तथा गीतों कबीर, दादू तथा अन्य लोकप्रिय रहस्यवादी संतों की वाणी ने कलाकारों में सरल और सुलभ आकृतियों के निर्माण की चेतना को प्रोत्साहन दिया।

अवनीन्द्र नाथ ठाकुर ने एक प्रचारक तथा शिक्षक के रूप में भी कला की पुनर्जागृति में सेवा की। इन्होने श्री हैवेल के साथ मिलकर एक विद्यार्थियों का दल बनाया जिसमें श्री नन्दलाल बसु, के0 वैंकटप्पा शैलेन्द्रनाथ, डे, सुरेन गांगुली, असित कुमार हल्दार, समरेन्द्र नाथ गुप्त, हकीम मुहम्मद खान, वीरेश्वर सेन व देवी प्रसाद राय चौधरी आदि थे। इनके चित्रों का 'इण्डिया सोसायटी लन्दन' तथा 'इण्डियन सोसायटी ऑफ ओरियन्टल आर्ट' ने अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर प्रदर्शन किया तथा भारतीय कला का सम्मान बढ़ाया जिसको प्रारम्भ में अंग्रेजो ने बहुत हानि पहुँचायी थी।

श्री अवनीन्द्र नाथ ने परम्परागत तकनीक जानने के लिए चित्रकारों से सम्पर्क स्थापित किया। सर्वप्रथम इन्होने ईश्वरी प्रसाद को पटना से कलकत्ता बुलाया जो कांगडा के वंशगत चित्रकार थे। अवनीन्द्र नाथ अपने शिष्यों के दल को अजन्ता बाघ आदि विभिन्न प्राचीन कला का अध्ययन कराकर चित्र तैयार कराये। इनके प्रयास से भारत में जगह-जगह स्कूल खोले गये, फिर भी जो कार्य पुनर्जागृति के लिए इस शैली तथा इन कलाकारों ने किया वह भारतीय चित्रकला के इतिहास में सदा अमर रहेगा।

इन कलाकारों ने ना केवल अपनी मौलिक शैली को जन्म दिया, बल्कि इन्होने विदेशों की कला-शैलियों से भी सीखा। इन्होने जापानी, चीनी, यूरोपीय कला को आत्मसात किया। इस सन्दर्भ में यह समझ लेना बहुत महत्वपूर्ण है कि बाहर की चित्र परम्पराओं की नकल एक बात है तथा वहाँ के प्रभावों को आत्मसात कर अपनी परम्पराओं को मुखरित करना दूसरी बात। भारतीय कला ने ईरानी, चीनी, यूनानी व यूरोपियन प्रभावों का विभिन्न

कार्यक्रमों में अपनी आवश्यकतानुसार ग्रहण किया है तथा उसी तरह दूसरे अनेक देशों पर अपना प्रभाव भी छोड़ा है, यह एक जीवन्त शैली की विशेषता होती है। अत: परम्परावादी होने का भी यह अर्थ नहीं है कि विदेशी प्रभावों से यदि हमारी परम्परा पुष्ट होती है तो भी उसे ग्रहण न किया जाये।

इन्होने यूरोपियन प्रभाववाद व धनवाद को चुनने में पहले की। उन्होने मुख्य आकारों को यथार्थ रूप में चित्रित करके पोषक ज्यामितीय आकारों से परिवेष्टित किया। गगनेन्द्रनाथ की कला भी इस विचार का समर्थन करती है कि रूपांकन के नये प्रयोग करने से पहले देश के सामाजिक जीवनदर्शन के प्रति एकनिष्ट होकर निश्चित करना होगा कि उसकी अभिव्यक्ति के लिए उपयुक्त रूपांकनपद्धति क्या हो सकती है। कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए केवल बुद्धिवादी अभिगम दृष्टि अपर्याप्त है। परम्परा के अध्ययन व आचरण से ही आवश्यक सर्जनशील संवेदन क्षमता व सौन्दर्यदृष्टि प्राप्त की जा सकती है। संक्षेप में, भारतीय कलाकारों को आवश्यक है कि वें परम्परा के अटूट अंग रहकर आधुनिक बने व यह सब विकास के स्वाभावित सिद्धान्तों के अनुसार हो।

रविन्द्र नाथ टैगोर ने अपनी यूरोप की यात्राओं के दौरान जब उन्होने फ्रांस के शिल्पकारों, कलाकारों एवं समीक्षकों को अपने अभिनव चित्र दिखाये तो उन्होनें रविन्द्र नाथ को पेरिस में अपने चित्रों की प्रदर्शनी करने का सुझाव दिया। इस प्रदर्शन का आयोजन हॉलाकि कठिनाई से हुआ किन्तु बहुत सफल हुआ। रवि ठाकुर को पेरिस में प्रदर्शनी के हॉल के लिए डेढ़ साल तक प्रतीक्षा करनी पड़ी।

1930 में रविन्द्र नाथ के चित्रों की प्रदर्शनी पेरिस के गालेरी पिगाल में हुई जिसकी यूरोपीय कलाकारों व समीक्षकों ने बहुत प्रशंसा की व भारत में लोगो को आश्चर्य हुआ कि रविन्द्रनाथ न केवल महाकवि है बल्कि एक श्रेष्ठ चित्रकार भी है। उसी साल उनके कुछ चित्र लंदन, बर्लिन व न्यूयार्क में प्रदर्शित किये गये। 1946 में यूनेस्को द्वारा आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय आधुनिक कला प्रदर्शनी में उनके चार चित्र सम्मिलित किये गये।

सन् 1942 में विश्व भारतीय पत्रिका ने उनकी कला पर एक विशेषांक निकाला, इसमें विदेशी समीक्षक मार्क्रिस जैटलेड ने लिखा, 'अवनीन्द्रनाथ की चित्रांकन प्रतिभा की प्रशंसा आज सम्पूर्ण यूरोप तथा अमेरीका में की जा रही है, वे भारत में एक ऐसे आंदोलन के प्रतिष्ठाता है, जो कला के क्षेत्र में अनुकरण का विरोधी है और देशी कला के सर्वोत्ताम प्रयोग का हामी है।' आज कला जगत में यह सर्वविदित है कि भारत राजनीति में समन्वय का जो कार्य महात्मा गॉधी ने किया, वहीं कार्य कला में अवनीन्द्र ठाकुर ने सम्पन्न किया।

रविन्द्र नाथ टैगोर ने अवनीन्द्र नाथ और गगनेन्द्र नाथ ने भारत की कला को विदेशों में एक सम्मानजनक स्थान दिलाया। रविन्द्र नाथ ने अवनी बाबू के लिए ठीक ही कहा है, 'उन्होने देश को आत्महीनता के पाप से बचाया है और उसे निराशा के गर्त से निकालकर यह सम्मानपूर्ण पद दिलाया है, जो आधिकारिक तौर पर उनका ही था।'

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची :-

1. आर0ए0 अग्रवाल : कला विलास, जत्तीवाडा स्ट्रीट, मेरठ-2
2. गेरोला, वाचस्पति : भारतीय चित्रकला का संक्षिप्त इतिहास, इलाहाबाद 1972
3. डॉ0 रीता प्रताप : भारतीय चित्रकला एवं मूर्तिकला का इतिहास, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर 2008
4. डॉ0 प्रेमचन्द्र गोस्वामी : आधुनिक भारतीय चित्रकला के आधार स्तम्भ, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर 1995
5. डॉ0 गिर्राज किशोर अग्रवाल : कला और कलम, अशोक प्रकाशन मन्दिर, अलीगढ
6. डॉ0 अविनाश बहादुर शर्मा, अनिल वर्मा, संगीता वर्मा : भारतीय चित्रकला का इतिहास, प्रकाश बुक डिपो, बरेली 2009
7. लोकेश चन्द्र शर्मा : भारत की चित्रकला का संक्षिप्त इतिहास, गोयल पब्लिशिंग हाउस, मेरठ।

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
October to December 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVI

नक्सलियों के आत्मसमर्पण का कारण समर्पण के पश्चात की समस्याएं

डॉ. किरण नुरुटी* पूनम वासम**

* प्राचार्य, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कोंडागांव (छ.ग.) भारत
** शोधार्थी (समाजशास्त्र) शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय, जगदलपुर (छ.ग.) भारत

प्रस्तावना – भारत में नक्सलवाद का उदय व्यवस्था के पुनर्निमाण को लेकर विकसित हुई एक निश्चत उग्रपंथी विचार धारा की परिणिति है। नक्सलवाद एक विचारधारा है जो मुख्य रूप से वर्ग संघर्ष पर आधारित है, यह आंदोलन शोषितों का शोषक वर्ग के विरोध किया गया एक सशस्त्र आंदोलन है। पिछड़े, दलितों व उपेक्षित वर्गो को उनका हक दिलाने की बात करता है, नक्सलवाद देश के लगभग 22 राज्यों के 220 जिलों में फैल चुका है, इसमें मुख्य रूप से वो इलाकें रहे हैं जो विकास क्षेत्र में उपेक्षित रहे हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो 40% इलाका नक्सलियों के प्रभाव में है।

नक्सलवाद क्या है – '24 मई 1967 की तारीख इतिहास में दर्ज है हो गई हो जब चारू मजूमदार ने नक्सलवाड़ी में एक नई क्रांति का आहवान किया उसे सर्वहारा , सांस्कृतिक क्रांति और सशस्त्र का नाम दिया गया । चारू मजूमदार का वहीं अहवान के बाद में नक्सलवाद, माओवाद आदि नामकरणों के साथ सामने आया है'[1]

नक्सल शब्द की उत्पत्ति पश्चिम बंगाल के एक छोटे स गांव से हुई , बंगाली भाषा में किसी व्यक्ति के घर या संपत्ति हेतु 'बारी' शब्द का उपयोग किया जाता है इसीलिए इस आंदोलन का नाम नक्सलबाड़ी पड़ गया ।

भारत में माओवाद को ही नक्सलवाद कहा जाता है यह राज्य सत्ता दखल की लड़ाई है, सृष्टि का मूल स्वभाव है प्रतिक्षण बदलते रहना मनुष्य का भी मुल स्वभाव है मौजूदा व्यवस्था के खिलाफ नई व्यवस्था का निर्माण करना यह दोनों रास्ते से होकर किया जाता है सुधारवाद का रास्ते अथवा मौलिक परिवर्तन के रास्ते बदलती परिस्थितियों के दबाव में मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार संघर्ष के विभिन्न रास्ते अपनी बदलने के लिए अख्तियार करते हैं इन संघर्षों में नए समाज के निर्माण के सपने छिपे होते है।'

नक्सलवाद का उद्देश्य – नक्सलवाद की शुरूआत में यह आंदोलन पूरी तरह से बेबस, लाचार, शोषित, उपेक्षित वर्ग को उनका अधिकार दिलाने के लिए काम करता था। इस आंदोलन को उद्देश्यों देखकर बौद्धिक, राजनैतिक लोगों का भी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष सहयोग मिलने लगा। नक्सवादियों ने लोकतांत्रिक राजनीति का पूर्ण विरोध करते हुए जनक्रांति पर बल दिया, इस तरह नक्सलवाद ने आम जनों को अपने हक में रकने में कामयाबी हासिल कर लिया। नक्सलवाद मुख्य उद्देश्य सर्वहारा वर्ग के शासन की स्थापना करना तथा अन्याय एवं और समानता तथा शोषण के विरूद्ध सशस्त्र लड़ाई लड़ना है। समाज में आर्थिक असमानता, सामाजिक व्यवस्था को दुरूस्त करना तथा समानता और न्याय पर आधारित व्यवस्था की स्थापना करना नक्सलवाद का मुख्य उद्देश्य माना जा सकता है।

बस्तर में नक्सवाद का प्रभाव – एक समय ऐसा भी था जब बस्तर का नाम सुनते ही बस्तर का सौदर्य किसी इर, भय के लोगों को अपनी और आकर्षित करता था। 1976 , 77 में बस्तर में कही भी नक्सलवाद जैसी बात लोगों के मानस पटल में नहीं थी लेकिन 76 के बाद से अचानक की परिस्थितियां बदलने लगी, जो लोग बस्तर में पनांह मांगने आए थे, जो लोग पूंजीपतियों से डटकर लड़ रहे थे, जो लोग गरीब आदिवासियों के मसीहा बने फिरे रहे थे, अचानक वह लोग बस्तर की मिटट्री में हिंसा का बीज कैसे रोपने लगे।'नक्सलवाद ने बस्तर में ऐसे समय में दस्तक दी जब आदिवासी गले तक शोषण में डुबा हुआ था। इससे निजात पाने का उसे कोई तरीख नहीं सूझ रहा था। महाराज प्रवीरचंद्र भंजदेव के 1966 में गोली कांड में पुलिस के हाथों मारे जाने के बाद बस्तर के आदिवासी खुद को आहत महसूस कर रहे थे। ऐसा कोई नहीं था जो उनके दर्द को समझे और उनके लिए सरकार के आगे खड़ा हो जाए आदिवासी किसी मसीहा के इंतजार में थे जो उन्हें इस रंजो गम को छुटकार दिलाए।'

छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद भी बस्तर कहीं न कहीं उपेक्षा एवं पूंजी पतियों के एकाधिकार का क्षेत्र रहा है 1950 से 1970 तक बस्तर के इतिहास पर नजर डालें तो यह बात साफ तौर पर समझ आती है कि किस तरह के खौफनाक मौहोल का निर्माण हुआ है। बस्तर में नक्सली विस्तार की बात की जाए तो यह भी एक मुख्य कारण हो सकता है कि बस्तर की भौगोलिक परिस्थितियां नक्सल गतिविधियों को विस्तारित कारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

बस्तर में युवाओं के नक्सली बनने का कारण:

1. **हथियार की ताकत–** नक्सलियों ने बस्तर में उस दौर में अपनी दस्तक दी थी जब आदिवासी पूरी तरह शोषण व अत्याचार का शिकार हो रहे थे, आदिवासियों को सुनने वाला कोई नहीं था, उनका दर्द समझने वाला भी कोई नहीं था, नक्सलियों ने हथियार के दम पर आदिवासियों को शासकीय अधिकारियों,पूंजीपतियों, ठेकेदारों के अत्याचारों से मुक्ति दिलाई आदिवासियों को लगने लगा था कि बिना हथियार उठाए उन्हें उनका हक नहीं मिल सकता इसीलिए उन्होंने बंदूक को अपनी ताकत के रूप में इस्तेमाल किया।
2. **तात्कालिक आर्थिक लाभ के लिए–** बीहड़ क्षेत्रों में जहां भरपेट खाना भी नसीब नहीं होता वहां नक्सली ग्रामीण को मिक्चर, बिस्कुट जैसी सामग्री

खाने को देते हैं बच्चों को लगता है कि यदि वे लोग इनके साथ जुड़ते हैं तो रोज नई – नई चीजें खानें को मिलेंगी नक्सलियों ने आदिवासियों को हमेंशा अपनत्व दिया है, आदिवासियों के हर छोटे –बडे। सुख–दुख के साथी रहे हैं। नक्सलियों की छोटी–छोटी मदद के बदले तात्कालिक आर्थिक लाभ आदिवासियों को नक्सलियों के करीब ले आता है।

3. बस्तर में फर्जी मुटभेड़– सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच आए दिन मुठभेड़ होती रहतीं है, बस्तर में काम रहे स्वयंसेवी संगठनों का मानना है कि यहाँ होने वाले मुठभेड़ में से 80% मुठभेड़ फर्जी होते हैं। 2017 में कुल 12 सौ सर्चिंग के ऑफरेशन सुरक्षाकर्मियों के द्वारा किए गए जिनमें 180 बार नक्सलियों के साथ की बात सुरक्षा दल स्वीकार करते है, 186 मुठभेड़ में 68 माओवादियों के मारे जाने की पुष्टि भी करते हैं, यह आंकड़ा मात्र बीजापुर जिले को है ऐसे कितने आंकड़े साल भर में घटित होते होंगे इस बात का अंदाजा लगाना मुश्किल है। अब इन 86 मौतो की अगर बात करें तो इनमें 937 से ऊपर मारे गाए लोग ग्रामीण थे जिनमें 14 साल के बच्चों से लेकर कुछ उम्र दराज महिलाएं भी शामिल थी। सारकेगुड़ा में 17 ग्रामीणों को सुरक्षाकर्मियों ने उस वक्त गोलियों से भून दिया जब वे लोग एक साथ एकत्रित होकर बीज पंडुम मना रहे थे।

4. गरीबी अशिक्षा स्वास्थ्य व भ्रष्टाचार बस्तर में नक्सलवाद को बढ़ावा देना के लिए सबसे मुख्य कारण है गरीबी अशिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव विभिन्न क्षेत्रों में अब तक न तो साला भवन है और नहीं स्वास्थ्य की कोई सुविधाएं जिसकी वजह से यहां निवासरत आदिवासियों का मुख्य धारा से कोई संपर्क नहीं हो पाता जिसका फायदा इन बीहड़ो में नक्सली ग्रामीण को बहला –फुसलाकर अपने पक्ष में करके उठाते हैं।

5. रोजगार व विस्थापन– बस्तर में बेहतर शिक्षा का अभाव है साथ ही स्थानीय निवासियों के लिए यहां पर किसी तरह को कोई बेहतर रोजगार के लिए विमल्प नहीं है, जबकि बस्तर अपने वनोपज एवं प्राकृतिक संसाधनों के लिए प्रसिद्ध हैं। बस्तर के मूल निवासियों के लिए लघु उद्योग स्थापित कर रोजगार के विकल्प दिए जा सकते हैं बेरोजगारी एवं आर्थिक परेशानियों के चलते आदिवासियों को रोजगार की तलाश में विस्थापन का दर्द झेलना पड़ता है जिसका पूरा लाभ क्षेत्र में काम करने वाले नक्सली संगठन उठाते हैं।

नक्सलियों के आत्मसमर्पण का कारण – अपने जीवन का एक तिहाई से ज्यादा वक्त नक्सली संगठन के लिए काम करने के बाद मुख्यधारा में लौटे नक्सलियों का मानना है कि उन्होंने जो काम किया सहीं नहीं किया जाने, अनजाने लोगों को मौत के घाट उतार दिया, अपने ही बच्चों का भविष्य अंधकार से भर दिया, अपने किए पर आत्म ग्लानि से भर उठने वाले इन आत्मसमर्पित नक्सलियों के सामने सबसे बड़ी बाधा अक मुख्य धारा में शामिल होकर सामान्य जीवन जीने की नक्सली संगठन का साथ छोड़ने वालों के मौत के घाट उतार देते है मुख्यधारा में लौटने की कोशिश नक्सलवाद के खिलाफ एक तरह से बगावत है।

छत्तीसगढ़ की मांडवी अनिता 15 साल की आयु में ही माओवादियों संगठन के प्रति आकर्षित होकर अपना घर–बार छोड़कर उनके साथ चली गई.खुद आदिवासी होने कारण माओवादी उसे संकट मोचन व अपना हितेषी लगने लगे। उसे लगा कि सारी समस्याओं का समाधान उनके पास ही है वह उन्हें सिद्धांत वादी मानती थी लेकिन अगले 3 वर्षों में उसने जो कुछ देखा व अनुभव किया उससे नक्सलियों के प्रति उसका मोहभंग हो गया।

आत्मसमर्पित नक्सलियों ने आत्मसमर्पण करने के पीछे ढेर सारे तर्क दिए सबसे प्रमुख कारण परिवार व बच्चों को बताया।

1. परिवार के साथ रहना चाहते हैं– आत्मसमर्पित नक्सलियों कहना है वे लोग जंगल की जिंदगी जीते जीते थक गए हैं, अब वह सामान्य जिंदगी जीना चाहते हैं। अपने घर, अपने गांव अपने परिवार की बीच रहकर पारिवारिक सुख भोगना चाहते हैं, भाई, बहन, मां–बाप अपने बच्चों के साथ बैठकर चैन से दो वक्त का खाना खाना चाहते हैं।

2. नसबंदी नहीं परिवार बढ़ाना चाहते हैं– प्रेम, शादी जैसे शब्द संगठन में वर्जित हैं ,कमाडों का मानना है कि शादी प्यार व बच्चों के कारण संगठन का कारण सदस्यों का ध्यान भटकता है , महिलाएं मां बनने के बाद शारीरिक रूप से कमजोर हो जाती हैं, सगंठन में दुर्बरलता के लिए कोई जगह नहीं, यदि शादी करनी ही है तो शादी से पहले पुरूषों को नसंबदी करवा दी जाती है ताकि वंश आगे ना बढ़ सके आत्मसमर्पित महिला नक्सली, मैनी कहती है कि जंगल का जीवन वह भी बिना शादी, बिना बच्चे, हम महिलाओं को जब नहीं सुहाया तो हम लोगों ने एक एक करके आत्मसमर्पण करना शुरू कर दिया, जंगल की उजडी जिंदगी से तो अच्छा है कि थाने के भीतर, कैद होकर रह अपने परिवार के साथ रहाना हैं, परिवार बढ़ाने के लालसा ने कई महिलाओं के मन से संगठन की गतिविधियों के प्रति विरक्ति पैदा कर दी।

3. पगडंडियों के नीचे बारूद बिछे हुए हैं– 2015 में कुटरू के पास आईडी बम के चपेट में आकर कक्षा तीसरी पढ़ने वाली अनीता की दर्दनाक मौत हो गई इत तरह की घटनाओं में सबक लेते हुए आत्मसमर्पित नक्सलियों का कहना है कि पगडंडियों के नीचे बारूद भरने का का खामियाजा अपने लोगों को उठाना पड़ता है, ऐसी लड़ाई का क्या फायदा जिसमें अपनों की ही मौत होती जा रही है आखिर उनकी गलती है।

4. स्वयं से प्रेरित हुए– मायनी पसपुल का कहना है कि वे लोग जब प्राथमिक स्कूल में थे तभी से बाल संगम सदस्य के रूप में सक्रिय थे शुरू शुरू में जंगल में घूमना बंदूक उठाना, संगठन को छोटा, मोटा काम करना, सड़कों को खोदनें तथा बैनर पोस्टर हाथ में लिखने जैसे कामों में खूब मजा आता था, पर जब सच में खून, खराबा, बम बारूद लाशें खानाबदोश जीवन देखा तो मन हमेशा एक ही बात चलती थी कि कैसे यहां से छुटकारा मिलेगा और जब मौका मिला तो समर्पण कर दिया ।

5. नक्सलियों की भी प्रेम कहानी होती है– नक्सली भी सामान्य लोगों की तरह होते हैं, विचारों की क्रांति अलग बात है पर दिलों की बात अलग होती है, प्रेम में इंसान क्या से क्या कर डालता हैं, पिछले साल सुकमा में एक जोड़े ने आत्मसमर्पण मात्र इसलिए किया कि वे दोनों शादी करके साथ में रहना चाहते है।

6. सामाजिक कार्यों में हिस्सा न ले पाने का मलाल– संगठन में आने के बाद नक्सलियों का सामाजिक जीवन पूरी तरह से छिन्न–भिन्न हो जाता है, गांव घर अपनी संस्कृति अपनी लोककला में रचा, बसा आदिवासी धीरे–धीरे अपनी संस्कृति से दूर होने लगता है,शादी, ब्याह पूजा–पाठ जैसे आयोजन में उन्हें समाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ता है। धीरे–धीरे समाज के कार्यों में इनकी सहभागिता शून्य हो जाती है, जिसका मलाल इन्हें जीवनभर सलता है।

आत्मसमर्पण के पश्चात समस्याएं – माओवादी खूंखार होते हैं, कभी भी किसी की भी कहीं भी हत्या कर देते हैं, बच्चों को भी नहीं छोड़ते, इस तरह के कई आरोप नक्सलियों पर लगते हैं, नक्सवाद की घटनाएं में मौत की खबरें

लोग पढ़ते रहते हैं.कभी भी किसी का भी अपहरण कर लेना, स्कूल भवनों को बम से उड़ना देना, रोज खून खराबा की खबरों से लोगों के मन में नक्सलियों के प्रति वैसे भी व आक्रोश दोनों ही पैदा कर दिया । ऐसे में आत्मसर्पित नक्सलियों के प्रति समाज का रवैया कभी बदल सकता है यह सोचने वाली बात है, समर्पण के पश्चात कुछ एक नक्सली पुन: नक्सली संगठन की तरफ रूख कर लेते हैं इस तरह की घटनाओं ने भी लोगों के मन में उनके लिए संवेदनशीलता खत्म कर दी हैं। समर्पित नक्सलियों में से बहुत सारे लोग खुद में सामाजिक तौर तरीके के अनुरूपु गुण विकसित करने में सफल हो जाते हैं, फिर भी उन पर लगा दाग धोना बहुत मुश्किल होता है, समर्पण के पश्चात पूर्व नक्सली होने का ठप्पा लगाकर ही वे लोग समाज के भीतर जीने के लिए विवश रहते हैं।

1. सामाजिक कार्यों में झिझक महसूस करना– 'नक्सलवाद को एक अपराध के रूप में स्वीकार किया जाता है रहा है और विभिन्न अपराध शास्त्रियों द्वारा अपराध को एक विधि और समाज विरोधी व्यवहार के रूप में स्वीकार किया जाता है इस प्रकार नक्सलवाद को एक विधि विरोधी और समाज विरोधी व्यवहार का जा सकता है, कुछ समाज विज्ञान से जुड़े हुए विद्धान नक्सलवाद को विचारधाराओं के मतभेद के रूप में देखते हैं परन्तु विचारधाराओं के इस मतभेद में बस्तर कें व्यक्ति के जीवन में अनेक प्रकार के परिवर्तन को जन्म दिया जिसमें से अधिकांश परिवर्तन नकारात्मक ही रहे'।

ठसका सबसे बड़ा उदाहरण आत्मसमर्पण नक्सली हैं जो आत्मग्लनिक के बाद समर्पण कर सामाजिक जीवन जीना चाहते हैं किन्तु सामाजिक कार्यों। में समाज उन्हें पूरी तरह से अभी स्वीकार नहीं कर पाया जिसके चलते समर्पण के पश्चात सामान्य जीवन में वह लोग झिझक और शर्म महसूस करते हुए आत्मग्लानि के साथ जीवन भर को मजबूर हैं।

3. समर्पण के पश्चात सुरक्षा के अभाव में मारे जाने का भय हैं– आत्मसमर्पण करके सामान्य जीवन की इच्छा लिए इन नक्सलियों के लिए शासन की नीतियों में किसी तरह की कोई ठोस सुरक्षा व्यवस्था सामाजिक परिवेश में नहीं होने के कारण इन्हें हमेशा इस बात का ड़र लगा रहता है की संगठन छोड़ने के बाद नक्सली इन्हे कभी भी, कहीं भी मौत के घाट उतार सकते हैं 'सलवा जुडूम 2005 शिविरों में रह रहे हैं इन लोगों का कहना है कि अगर हम लोग घर लौटेंगे तो नक्सली हमारी हत्या कर देंगे, नक्सलियों ने उनके नाम और पहचान का विवरण देने वाले पर्चे बांटे इन में लिखा है कि उन को पकड़कर उनकी लाश के 70 टुकडे करके 70 गाँवों में बांट देंगे' [6] नक्सलियों की इस तरह की नीति ने आत्मसमर्पित नक्सलियों की जीना भी दूभर कर रखा है।

4. परिवार को अब भी भुगतना पड़ता है खामियाजा– आदिवासियों का सारा जीवन जंगल से जुड़ा हुआ है उनकी सारी जरूरतें तो जंगल और उसके बनाए महौल के बीच पूरी हो जाती है, बर्तन वह कुम्हार से हफ्ते में लगने वाले गांव के बाजार से खरीद लेता हैं, अपने ,कच्चे मकान वह खुद की बांस की चटाई पर मिटट्री –गोबर, थापकर बना लेते थे, इसके लिए जरूरत भर का बाँस उन्हें जंगल से मिल जाता, आदिवासी रोटी नहीं खाता, सो मोटा चांवल, कोदो–कुटकी, सब्जी ,मांस जंगली फल वगैरह और पकाने को जंगली बीजों के तेल तक उसके इर्द –गिर्द मिल जाते हैं। व्यपारियों ने उनकी जरूरत केा भापकर अपना स्वार्थ साधा '[7] तो वहीं जंगल का हितैषी बताने वाले नक्सलियों ने भोले भाले सीधे–सीधे गांव वाले को अपने हक में कर लिया। अब यदि परिवार को कोई सदस्य नक्सली संगठन से मुंह मोड़ कर मुख्यधारा में वापस आता है तो उसे तथा उसके परिवार को जंगल की दुनिया और मुख्यधारा की दुनिया दोनों से ही बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है।

5. पुनर्वास की नीतियों के लाभ में देरी–आत्मसमर्पित नक्सलियों को मुख्यधारा से जोड़ने हेतु सरकार ढेरों सुविधाएं समर्पण करने वाले नक्सलियों को देने लगी है जिनमें नगद राशि से लेकर नौकरी आवास व सुरक्षा व बीमा आदि सम्मिलित हैं, पुनर्वास नीति 2004 से प्रभावित होकर लौटने वाले नक्सलियों के समर्पण में तेजी आ गई हैं ज्यादा आत्मासमर्पित नक्सली सरकार की इस पुनर्वास नीति का लाभ लेना चाहते हैं नक्सली संगठन का हिस्सा बनने वाले अधिकांश नक्सली बाल संघम सदस्य के रूप में संगठन में जुड़ते है जब होश संभालते हैं तो उन्हें मुख्यधारा का जीवन अपनी ओर खींचता हैं किन्तु सरकार की पुनर्वास नीतियों से मिलने वाले लाभ में स्थानीय स्तर पर हो रहीं ढिलाई के चलते आत्मसमर्पित नक्सलियों को समाजिक, आर्थिक, मानसिक के अलावा भी कई तरह की कठिनाई से होकर गुजरना पड़ता है।

6. मुख्यधारा में खुद को बनाए रखने की जदोजहद– समर्पण के पश्चात बड़ी समस्याए यह कि मुख्यधारा को समझना और खुद को उसके अनुरूप ढालना समर्पण के पश्चात ये लोग न तो गाँव के हो पाते है और न ही शहर के महौल में ढल पाते हैं गांव जाना इनके लिए चुनौती है क्योंकि 'सलवा जुडूम के चलते माओवादी और ग्रामीण के बीच तकरार बढ़ी और 644 से अधिक गांव खाली हो गए तथा ग्रामीण रहवासियों को सलवा जुडूम कैंप में शरण लेनी पड़ी 2500 सलवा जुडूम आंदालन की स्थापना के बाद 300 सुरक्षाकर्मी सहित सौ से अधिक लोगों की हत्या का आरोप माओवादियों पर लगा हैं'[8] ऐसे में समर्पण के बाद अपने घर जाना इनके लिए जान गवाना है।

9. समर्पित महिला नक्सलियों के साथ दुर्व्यवहार की संभावना– आत्मसमर्पित महिला ने बताया कि संगठन में महिलाओं के साथ दुर्व्यहार तो होता ही था लेकिन समर्पण के पश्चात उनके साथ यहां भी सम्मानजनक व्यवहार नहीं किया जाता कहीं उन्हें इस बात का डर लगा रहता है कि उनके साथ सामाजिक जीवन में किसी तरह का दुर्व्यवहार ना हो जाए, महिला होने के नाते शारीरिक शोषण का ड़र हमेशा बना हुआ होता है, सामज के इन महिलाओं को लेकर लोगों की सोच अभी भी बहुत संकीर्ण है।

विश्लेषण – बरसों से नक्सली संगठन के अनुशासन व उनके नियम धर्मों मे बंधे जंगलों की खाफ छानता नक्सलियों को समाज इतनी आसानी से स्वीकार नहीं कर सकता परन्तु आत्मासमर्पित नक्सली अब स्वंय को समाज में सम्मान के साथ जीने लायक बनाने में जुटे हुए हैं। आत्मा–समर्पित नक्सलियों ने कहा कि उन्हें जंगल का जीवन रास नहीं आ रहा था, हर घड़ी बेचैनी, भटकाव, भूख प्यास, पकडे जाने या मुठभेड़ में मारे जाने का डर उन्हें जंगल में सुकून से जीने नहीं दे रहा था, यही वजह है कि उन्होंने सरकार का नीतियों के चलते आत्मसमर्पण का निर्णय लिया। सरकार की पुनर्वास योजना 2004 नक्सलियों के जीवन में कई क्रांति लेकर आई, समर्पण के पश्चात सरकार नक्सलियों को उनके रहने, खाने, रोजगार एवं सुरक्षा का पूरा जिम्मा अपने पर उठाती है। बेहतर जीवन जीने की इच्छा परिवार अपने बच्चों के भविष्य को एक नई दिशा देने की इच्छा और आत्मग्लानि उबरकर समाज हित में कुछ बेहतर करेन की इच्छा लिए समर्पित नक्सली मुख्यधारा में लौटने

की कोशिश कर रहे हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. सक्सेना विवके, राजेश सुशील (2013) : ''नक्सली आतंकवाद'' प्रभात प्रकाशन, दिल्ली ,पृष्ट 175
2. डॉ. राय विक्रमादित्य (2018) : ''नक्सल आंदोलन सिद्धांत, व्यवहार और बदलता स्वरूप'' हर्ष पब्लिकेशन दिल्ली , पृष्ट संख्यां 46
3. देवी महाश्वेता, त्रिपाठी अरूण कुमार (2011) : ''माओवादी या आदिवासी'' वाणी प्रकाशन नई दिल्ली, पृष्ठ संख्या 20
5. मिश्रा अनिल, अंसारी शोएब (2018) ' 'दंडकारण्य'' आखर प्रकाशन जगदलपूर बस्तर, पृष्ठ 147,148
6. सक्सेना विवके, राजेश सुशील (2013) :''नक्सली आतंकवाद'' प्रभात प्रकाशन, दिल्ली,पृष्ठ संख्या 141
7. देवी महाश्वेता, त्रिपाठी अरूण कुमार (2011) : ''माओवादी या आदिवासी'' वाणी प्रकाशन नई दिल्ली, पृष्ठ संख्या 19
8. आशीष गायता 8 जुलाई 2015 पत्रिका

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
October to December 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVI

21 नेतृत्व की अवधारणा

डॉ. श्रीकान्त दुबे*

* प्राध्यापक (राजनीति विज्ञान) शासकीय गृहविज्ञान स्नातकोत्तर अग्रणी महाविद्यालय, होशंगाबाद (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – किसी भी प्रशासनिक एवं राजनीतिक संरचना के लिए नेतृत्व ना केवल आवश्यक है बल्कि यह एक असाधरण प्रतिभा है जो प्रत्येक व्यक्ति में नही होती है, जनसाधरण में बिरले व्यक्ति ही इस गुण से युक्त होते है। निर्णय लेना, निर्देशन करना, आज्ञा देना, विपरीत परिस्थितियों में सदैव आगे रहना आदि ये सब कला एवम एक विशिष्ट प्रकार की तकनीक है।नेतृत्व के बिना किसी भी संगठन के अस्तित्व को बनाए नही रखा जा सकता है। नेतृत्व ही वह गुण है जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति किसी कार्यकारी समूह को एक सूत्र में आबद्ध कर सकता है।

शोध सारांश–नेतृत्व किसी भी व्यक्ति का वह व्यवहारिक गुण है जिसके माध्यम से वह व्यक्तियों के विशाल समूह से वांछित कार्य सफलतापूर्वक एवम् बिना किसी दबाव व विरोध के करवाने की क्षमता रखता है। किसी भी प्रकार के संगठन की सफलता या असफलता के लिए नेतृत्व को जिम्मेदार माना जाता है। इसीलिए नेतृत्व को मानव का एक नैसर्गिक गुण माना गया है। नेतृत्व किसी भी संगठन के स्वावलंबन के लिए एक अपरिहार्य शर्त है।

ऐतिहासिक स्वरूप–संसार का इतिहास ऐसे अनेकों उदाहरणों से भरा पड़ा है जिन्होंने प्रभावशाली नेतृत्व के माध्यम से बड़ी सफलता अर्जित की है। चीनी इतिहास में दृष्टांत है कि शासकों के उचित शासन की आवश्यकता और अधिनस्थों के अधिकार को उन शासकों को उखाड़ फेंकने के लिए दैवीय शक्ति की कमी दिखाई दी। अभिजात्य अवधारणाओं में नेपोलियन का उदाहरण महत्वपूर्ण है।रोमन विचारधारा में पैतृक नेतृत्व की विचारधारा हावी रही। 16 वीं सदी में मैकियावाली ने नेतृत्व की विचारधारा का विस्तार से वर्णन किया। कालांतर में अराजकतावादी विचारकों ने नेतृत्व की अवधारणा की पृथक व्याख्या की। पोपवादी सिद्धांत एवम तत्पश्चात लोकतांत्रिक विचारधारा ने नेतृत्व के स्वरूप को पूर्णरूपेण परिवर्तित कर दिया।

नेतृत्व के सिद्धांत – नेतृत्व के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत अग्रानुसार है–

1) **लक्षणमुलक सिद्धांत–**इस सिद्धांत का प्रतिपादन शैल एवम बर्नार्ड ने किया। यह सिद्धांत मानता है कि नेतृत्व में प्रभावी व्यक्तित्व, प्रेम, वैज्ञानिकता, कुशलता, विवेक, तीव्र स्मरण क्षमता, उत्ताम कल्पना शक्ति, लगन, साहस, धैर्य आदि गुण होने आवश्यक है।

2) **अकास्मिकता का सिद्धांत–** इस के प्रणेता फीडलर ने माना है कि पदीय शक्ति, व्यवहारिक नेतृत्व,कार्य विशेषीकरण,प्रबंधन,मानवीयता जैसे गुणों का होना एक कुशल नेतृत्व की पहचान है।

3) **सर्वोत्कृष्टता का सिद्धांत–** चार्ल्स शबाब का मानना है कि नेतृत्व प्रभावशाली होना चाहिए एवम उसमे बुद्धि व चातुर्य के गुण भी होने चाहिए। मिलनसारिता, चैतन्यता, प्रेरक व्यक्तित्व, एकीकृत रखने की क्षमता एवम गतिशीलता होना चाहिए।

4) **परिस्थितिकारक सिद्धांत–** कीथ डेविस का मानना है कि नेतृत्व परिस्थितिमुलक होता है। अर्थात परिस्थितियां एक शक्तिशाली नेतृत्व का निर्माण करने में सहायक होती है, जैसे हिटलर,मुसोलिनी रूजवेल्ट, माओ आदि परिस्थिति के कारण शक्तिशाली नेतृत्व के रूप में उभरे थे।

5) **विशेषता का सिद्धांत–** स्टोगडिल का मानना है कि कोई नेतृत्व किसी स्थिति की उपज होता है तो आवश्यक नही है की वह हर स्थिति में एक प्रभावी नेतृत्व के रूप में पहचाना जाए, परिस्थितियां नेतृत्व में परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण होती है।

6) **मनोवैज्ञानिक सिद्धांत–** जेम्स स्कॉलर ने विचार दिया कि नेतृत्व की अवधारणा सदैव परिवर्तित होती रहती है अर्थात नेतृत्व कभी एक जैसा नही होता, उसमे बदलाव अवश्यंभावी है।

नेतृत्व की प्रकृति – विभिन्न विद्वानों ने नेतृत्व की प्रकृति का भिन्न भिन्न वर्गीकरण किया है। किसी ने पद,किसी ने कार्य एवम किसी ने व्यक्तित्व के आधार पर नेतृत्व की प्रकृति की व्याख्या की है। ऐलेन कहता है की व्यक्ति नेतृत्व की विशेषता लिए हुए पैदा होता है किंतु उसे प्रबंधन सीखना पड़ता है। मिलेट का मानना है की नेतृत्व की सफलता या असफलता परिस्थितिजन्य होती है। एक अन्य विचारक फालेट का कहना है की सफल नेतृत्व कार्यात्मक गुणों से युक्त होता है। इस प्रकार नेतृत्व किसी पद के धारित करने पर प्रभावी होता है। नेतृत्व शक्ति की पहचान है तथा नेतृत्व के पास पद भी होता है एवम व्यक्तित्व भी।

नेतृत्व की शक्ति के प्रकार–बरट्रम रेवेन एवं जॉन फ्रेंच ने नेतृत्व की शक्ति के पांच प्रकारों का उल्लेख किया है–

1) **वैधता की शक्ति–** इसके तहत शीर्ष नेतृत्व को उसके अनुयायी स्वीकार करते है एवम उसके नियंत्रण में रहते है। सर्वोच्च पद पर बैठने वाले नेतृत्व की शक्ति भी सर्वाधिक होती है क्योंकि वह वैधता प्राप्त होती है।

2) **विशेषज्ञता की शक्ति–** यह शक्ति नेतृत्व के पास उसके ज्ञान,अनुभव एवम उसके कौशल से उसे प्राप्त होती है और इसी आधार पर वह सभी से पृथक एवम श्रेष्ठ होता है।

3) **उद्धरण की शक्ति–** यह शक्ति नेतृत्व के व्यक्तिगत आकर्षण पर आधारित होती है ,उसका व्यक्तित्व ऐसा होता है की उसके अनुयायी उसे अपना आदर्श मानते है।

4) पुरस्कृत करने की शक्ति– इस शक्ति का आधार नेतृव द्वारा अपने अनुयायियों को पुरस्कृत करने पर आधारित होता है अर्थात वह अपने अनुयायियों को पुरस्कार के माध्यम से अपने नेतृत्व को प्रभावी बनाता है।

नेतृत्व के कार्य–नेतृत्व के कार्यों को निम्नांकित अनुसार स्वीकार किया गया है–

1) निर्देशन– प्रभावी नेतृत्व का यह सबसे महत्वपूर्ण कार्य निर्देशन होता है, क्योंकि उसके निर्देश ही कार्य की निश्चितता एवम उद्देश्यों की पूर्णता के आधार है।

2) अनुशासन की स्थापना– नेतृत्व अनुशासन स्थापित करके ही अपने लक्ष्यों को समय पर प्राप्त कर सकता है एवम संगठन को श्रेष्ठ बना सकता है।

3) उद्देश्य स्पष्ट करना–नेतृत्व की जिम्मेदारी होती है कि वह अपने कार्यों एवम् संस्थान के उद्देश्यो से अपने अनुयायियो को अवगत करावे ,अन्यथा संस्थान को निश्चित मार्ग पर अग्रसर नही किया जा सकता है।

4) परामर्श प्रदान करना– संस्थान में विभिन्न प्रकार के व्यक्ति सम्मिलित होते है उन्हे उनके लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए सलाह की जब भी आवश्यकता हो नेतृत्व को वह देना चहिए।

5) सकारात्मकता की स्थापना– नेतृत्व के लिए आवश्यक है की वह संस्थान में किसी नकारात्मक सोंच को हावी ना होने दे एवं सकारात्मकता बनाए रखे।

नेतृत्व की शैलियां– नेतृत्व की विभिन्न शैलियां प्रचलित रही है –

1) निरंकुश नेतृत्व– इसमें नेतृत्व के पास सर्वाधिकार होते है वह तानाशाह की तरह व्यवहार करता है । अनुयायियों में उसका भय रहता है एवम वह छोटी गलती की बड़ी सजा का निर्धारण भी कर सकता है।वह कर्मचारियों में भय के आधार पर नेतृत्व की स्थापना करता है।इस प्रकार का नेतृत्व कम संख्या में पाया जाता है।

2) लोकतांत्रिक नेतृत्व– निरंकुश नेतृत्व में जहा सत्ता केंद्रित होती है वही लोकतांत्रिक नेतृत्व में वह विकेंद्रित होती है, इसमें सलाह, मार्गदर्श, प्रेरणा, न्याय आदि गुणों का समावेश होता है, किंतु यह कभी कभी अकुशल नेतृत्व की श्रेणी भी मानी जाती है।

3) स्वतंत्र नेतृत्व– इसमें नेतृत्व अपने अधिनस्थों को ज्यादा महत्व देता है एवम उन पर निर्भर होता है। यहां नेतृत्व अपने अधिनस्थो की सलाह एवं सहयोग पर कार्य संपादित करता है।

नेतृत्व का महत्व– नेतृत्व के महत्व को निम्नाकित बिंदुओं में समझा जा सकता है।

1) सामूहिक भावना का विकास– इसके अंतर्गत संगठन का मुखिया सहयोगियों को सामूहिक रूप से सफलता की और अग्रसर करने का प्रयत्न करता है, एवं सामूहिकता को ही सफलता का आधार मानता है।

2) प्रेरणा का निर्धारण– संगठन के साथियों को सदैव उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु प्रेरित करते रहना नेतृत्व का सबसे महत्वपूर्ण प्रयास होता है।

3) मनोबल में वृद्धि –यदि संगठन के मनोबल में कमी होगी तो कभी भी उद्देश्यों की और अग्रसर नही हुआ जा सकता ,इसी भावना के साथ नेतृत्व अपने अधिनस्थों में सामूहिक भावना को महत्व देता है।

4) सुविधा की स्थापना– प्रबंधकों को आवश्यकतानुसार समस्त सुविधाओ की प्राप्ति हो इस हेतु नेतृत्व सदैव प्रत्यनशील रहता है। वह समन्वय की स्थापना के प्रयास भी करता है।

निष्कर्ष– यह निश्चित है की कुछ परिवर्तनों से नेतृत्व की गुणवत्ता को बढ़ाया जा सकता है एवम उसे प्रभावी बनाया जा सकता है।यह भी एक सच्चाई है की नेतृत्व के बिना कोई भी संगठन अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकता है।किसी भी संगठन का नेतृत्व करने के लिए विशेष प्रकार के चिन्हित गुणों का होना आवश्यक है।सामूहिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए नेतृत्व एक विशिष्ट माध्यम है जिसके लिए विशिष्ट गुणों से युक्त व्यक्ति का होना आवश्यक है। प्रभावी नेतृत्व ही किसी संगठन को एक सूत्र में बंध सकता है। नेतृत्व ही संगठन के स्वावलंबन का आधार है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. पांडे, आशुतोष,कार्मिक प्रशासन,विश्व भारती पब्लिकेशन, नई दिल्ली
2. स्टीफन, आर कवी,सिद्धांत आधारित नेतृत्व,मंजुल प्रकाशन,भोपाल
3. आर्य, पी के, नेतृत्व,प्रभात प्रकाशन,पटना
4. कुमार, विकास,पंचायत नेतृत्व का उदीयमान स्वरूप,ज्ञान पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली
5. जौली, जे पी एस, लीडरशिप की उड़ान, डायमंड बुक्स,दिल्ली
6. मेक्सवेल, जॉन सी, प्रभावशाली लीडरशिप के सूत्र, मंजुल प्रकाशन, भोपाल
7. प्रकाश, शंभू, कार्मिक प्रशासन, स्ट्रेड फॉरवर्ड,दिल्ली
8. माथुर, बी एल, कार्मिक प्रबंध, अर्जुन पब्लिशिंग हाउस,दिल्ली
9. कटारिया, डा सुरेंद्र,कार्मिक प्रशासन, आर बी एस ए पब्लिशर,जयपुर
10. सिंह, डॉ.देवेंद्र प्रताप नारायण,कार्मिक प्रबंध,बिहार हिन्दी ग्रंथ अकादमी,पटना

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
October to December 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVI

सह शिक्षा विद्यालयों एवं एकल शिक्षा विद्यालयों में अध्ययनरत माध्यमिक स्तर की छात्राओं के व्यक्तित्व का तुलनात्मक अध्ययन (भोपाल शहर के विशेष संदर्भ में)

डॉ. अनामिका सरकार * सोनाली माटी **

* प्राचार्य, ए.एस.ई. महाविद्यालय, भोपाल (म.प्र.) भारत
** शोधार्थी, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – शिक्षा एक सामाजिक गतिशील प्रक्रिया है जो व्यक्ति के जन्मजात गुणों का विकास करके उसके व्यक्तित्व को निखारती है। परिवार एवं विद्यालय दो मुख्य अभिकरण है जहाँ बालक का विकास होता है। बालक का अधिकतर समय विद्यालय में व्यतीत होता है जहाँ बालक का न केवल बौद्धिक अपितु शारीरिक, मानसिक, नैतिक, सामाजिक तथा संवेगात्मक विकास होता है। प्रत्येक विद्यालय का वातावरण भिन्न होता है। सह शिक्षा एवं एकल शिक्षा विद्यालयों के भिन्न वातावरण का गहरा प्रभाव छात्राओं पर पड़ता है। चूँकि सह शिक्षा विद्यालयों एवं एकल शिक्षा विद्यालयों के परिवेश में अंतर होता है इस कारण छात्राओं के मध्य व्यक्तित्व में भी भिन्नता हो सकती है। प्रस्तुत शोध का उद्देश्य सह शिक्षा विद्यालयों एवं एकल शिक्षा विद्यालयों में अध्ययनरत माध्यमिक स्तर की छात्राओं के व्यक्तित्व का तुलनात्मक अध्ययन है। इसके लिए भोपाल शहर के 100 छात्राओं का चयन न्यायदर्श के लिये किया गया। प्रदत्तों का विश्लेषण मध्यमान, मानक त्रुटि, प्रमाणिक विचलन, प्रतिशत द्वारा किया गया। निष्कर्ष पाया गया कि सह शिक्षा विद्यालयों एवं एकल शिक्षा विद्यालयों में माध्यमिक स्तर की छात्राओं के व्यक्तित्व में सार्थक अंतर नहीं है।

शब्द कुंजी – सह शिक्षा, एकल शिक्षा, माध्यमिक स्तर, व्यक्तित्व।

प्रस्तावना – विद्यालय का अकादमिक वातावरण विद्यालय की शैक्षणिक गुणवत्ता एवं सफलता का दर्पण होता है। विद्यालय के वातावरण का गहरा प्रभाव विद्यार्थियों के मनोविज्ञान पर पड़ता है। व्यक्तित्व बाह्य आवरण एवं आतंरिक तत्व दोनों का गतिशील सम्मिश्रण है जो कि पर्यावरण के प्रभाव से बराबर बदलता रहता है। जब बालक घर से बाहर निकलकर विद्यालय जाता है तो शिक्षक एवं साथी बालक के सामाजिक दायरे में आते है। प्रत्येक बालक का व्यक्तित्व कुछ निरालापन लिए होता है जैसा उसका व्यक्तित्व होगा वैसा ही उसका विकास होगा। विद्यालय के भिन्न वातावरण से छात्राओं का व्यक्तित्व प्रभावित होता है। सह शिक्षा विद्यालयों एवं एकल शिक्षा विद्यालयों का वातावरण भी भिन्न होता है। विद्यालय शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बालकों के व्यक्तित्व का समुचित विकास करना होता है।

सह शिक्षा – सह शिक्षा से अभिप्राय है कि लड़के एवं लड़कियों दोनों एक साथ एक ही विद्यालय में एक ही पाठयक्रम को पढ़े। उन सभी संस्थाओं की शिक्षा प्रणाली को सह शिक्षा कहा जाता है। प्राचीन काल में गुरूकुलों में भी लड़कों एवं लड़कियों को साथ-साथ शिक्षा दी जाती थी।

एकल शिक्षा – एकल शिक्षा से तात्पर्य है लड़के एवं लड़कियों के लिए एक ही पाठयक्रम हेतु अलग-अलग विद्यालय हो। वैदिक काल में स्त्रियों को पुरुषों के समान शिक्षा का अधिकार तो था परन्तु उनके लिए कोई अलग शिक्षण संस्थाएं नहीं थी। सर्वप्रथम बौद्ध काल में स्त्रियों हेतु पृथक संघ स्थापित किये गये थे।

माध्यमिक स्तर – प्रो. हुमायू कबीर के अनुसार 'माध्यमिक शिक्षा, शिक्षा की एक ऐसी कड़ी है जो प्राथमिक व उच्च शिक्षा को दृढ़ता के साथ जोड़ता है। माध्यमिक शिक्षा देश की शिक्षा का अत्यन्त ही महत्वपूर्ण स्तर है। यह वह स्तर है जो प्राथमिक व उच्च शिक्षा के मध्य एक पूल का कार्य करता है इस स्तर के छात्र किशोरावस्था के होते है। यही से छात्र जीवन की कला सीखते है।'

व्यक्तित्व

आलापोर्टके अनुसार 'व्यक्तित्व, व्यक्ति में मनोदैहिक व्यवस्थाओं का संगठन है जो वातावरण के साथ अपूर्व समायोजन निर्धारित करती है।'

वैलेंटाईन के अनुसार,'व्यक्तित्व जन्मजात और अर्जित प्रवृतियों का योग है।'

विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने शारीरिक सरंचना, क्रियाओं, भावनाओं, सामाजिकता के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है। सबसे सरल वर्गीकरण जुंग ने सामाजिकता के आधार पर किया है उनके अनुसार समाज में दो तरह के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति पाये जाते है - अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी

अंतर्मुखी – यह लज्जाशील, आत्मकेंद्रित तथा असामाजिक होते है। ये केवल आतंरिक संसार में ही व्यस्त रहते है। दूसरों को खुश रखने का प्रयास नहीं करते हैं।

बहिर्मुखी – यह लोग सामाजिक, मिलनसार, संतुष्ट, प्रसन्नचित, चिन्ताओं से मुक्त होते है। ये व्यावहारिक जीवन में अत्यधिक निपुण होते है। वे आशावादी तथा अवसरवादी होते हैं।

उभयमुखी – कुछ व्यक्ति ना पूर्ण रूप से अंतर्मुखी होते है ना बहिर्मुखी। दोनों प्रकार के व्यक्तित्व का सम्मिश्रण होते है उन्हें उभयमुखी कहते है।

साहित्य का सर्वेक्षण – साहित्य सर्वेक्षण में शोधार्थी ने पाया कि सह शिक्षा विद्यालय एवं एकल शिक्षा विद्यालय के भिन्न वातावरण का प्रभाव छात्राओं के व्यक्तित्व पर पड़ता है। **चौहान, आर.एस.**(2004) ने सामंजस्य एवं अंतर्मुखी–बहिर्मुखी के संदर्भ में उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की सीखने की शैली का अध्ययन किया। परिणाम में देखा गया कि अंतर्मुखी एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व की सीखने की शैली में सकारात्मक संबंध देखा गया। **अग्रवाल एवं स्वर्णकार**(2006) ने सह शिक्षा विद्यालयों एवं एकल शिक्षा विद्यालयों के शैक्षिण वातावरण का छात्राओं के आत्म विश्वास पर प्रभाव का अध्ययन किया। परिणामो में देखा गया कि एकल विद्यालय का शैक्षिक वातावरण सह शिक्षा विद्यालय से उच्च होता है। शैक्षिक वातावरण का प्रभाव आत्मविश्वास पर सार्थक रूप से पाया गया। अध्ययन हेतु माध्यमिक स्तर की छात्राओं को चुना है क्योंकि यही वह आयु होती है जब छात्राओं के व्यक्तित्व का निर्धारण होता है। **चौरसिया, उषा**(2010) ने सह शिक्षा विद्यालय एवं बालिका विद्यालयों से अध्ययनरत बालिकाओं के व्यक्तित्व का अध्ययन किया और परिणाम में देखा गया कि शासकीय सह शिक्षा विद्यालयों एवं पृथक बालिका विद्यालयों की बालिकाओं के व्यक्तित्व में कोई सार्थक अंतर नही होता है परन्तु अशासकीय सह शिक्षा विद्यालयों एवं बालिका विद्यालयों में अध्ययनरत बालिकाओं के व्यक्तित्व में सार्थक अंतर होता है। **बघेल, राजकुमार** (2014) ने विद्यार्थियों की अध्ययन आदतों एवं व्यक्तित्व का उनकी शैक्षिक उपलब्धि पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया। परिणाम देखा गया कि विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि पर व्यक्तित्व का प्रभाव नहीं पड़ता है।

अध्ययन की आवश्यकता – विद्यालय का अकादमिक वातावरण विद्यालय की शैक्षणिक गुणवता एवं सफलता का दर्पण होती है सह शिक्षा एवं एकल शिक्षा विद्यालयों के परिवेश में भी अंतर होता है छात्राओं के व्यक्तित्व पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। सह शिक्षा विद्यालय में छात्र एवं छात्राओं के साथ विद्या अध्ययन करने से विद्यार्थी सबसे मैत्री पूर्ण व्यवहार करने वाले एवं व्यवहार कुशल हो सकते है। कष्टों एवं परेशानियों से घबराते नहीं है। उनमें स्वाभाविक गुणों का विकास होता है। उनके बीच आपसी समझ बढ़ती है। भविष्य में उच्च शिक्षा में कैरियर में उन्हें कोई परेशानी नही होती है। वही नकारात्मक प्रभाव हो सकता है कि उनकी रूचि बाह्य जगत में अधिक हो। अनियंत्रित एवं असंवेदनशील हो सकते है।

वही दूसरी ओर एकल शिक्षा में छात्र एवं छात्राओं के लिए अलग अलग शिक्षा व्यवस्था होती है। एकल विद्यालय का वातावरण मुक्त होता है, जिससे विद्यार्थियों को विकास का स्वतंत्र अवसर प्राप्त होता है। एकल विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थी अधिक आत्मविश्वासी होते है विद्यार्थियों का व्यक्तित्व आत्मचिंतनशील होता है। वह कर्तव्य परायण एवं लक्ष्य केन्द्रित होते है। समय का सदैव ध्यान रखने वाले एवं आज्ञाकारी होते है। वही दूसरी ओर देखा जाता है कि उनका व्यक्तित्व एकाकी हो जाता है, बाहरी जगत में उनकी कोई रूचि नही होती है, शीघ्र घबराने लगते हैं, लज्जावान होते है। इस प्रकार विद्यालयीन वातावरण (सह शिक्षा, एकल शिक्षा) को छात्राओं के व्यक्तित्व निर्धारण का एक महत्वपूर्ण कारक मानाते हुए शोधार्थी को इस विषय में शोध कार्य करने की आवश्यकता महसूस हुई।

अध्ययन के उद्देश्य – प्रस्तावित शोध हेतु निम्न उद्देशों का निर्धारण शोधार्थी द्वारा किया गया है :

1. भोपाल शहर के सह शिक्षा विद्यालयों एवं एकल शिक्षा विद्यालयों में अध्ययनरत माध्यमिक स्तर की छात्राओं के व्यक्तित्व का अध्ययन करना।
2. भोपाल शहर के सह शिक्षा विद्यालयों एवं एकल शिक्षा विद्यालयों में अध्ययनरत माध्यमिक स्तर की छात्राओं के व्यक्तित्व की तुलना करना।

अध्ययन की परिकल्पना – सह शिक्षा विद्यालयों एवं एकल शिक्षा विद्यालयों में अध्ययनरत माध्यमिक स्तर की छात्राओं के व्यक्तित्व मे कोई सार्थक अंतर नही है।

अध्ययन की परिसीमाये:

1. शोध केवल भोपाल शहर के माध्यमिक स्तर की छात्राओं तक सीमित है
2. शोध हेतु भोपाल शहर के सह शिक्षा विद्यालयों एवं एकल शिक्षा विद्यालयों में अध्ययनरत माध्यमिक स्तर की 100 छात्राओं को लिया गया है।

अध्ययन शोध प्राविधि – प्रस्तुत शोध हेतु वर्णात्मक सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया है।

अध्ययन प्रतिदर्श – प्रस्तुत शोध में प्रतिदर्श भोपाल शहर के सह शिक्षा विद्यालयों एवं एकल शिक्षा विद्यालयों में अध्ययनरत माध्यमिक स्तर की 100 छात्राएं है।

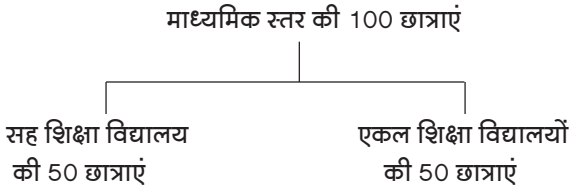

अध्ययन उपरकण – आंकड़ो के संकलन हेतु डॉ. पी.एफ.अजीज एवं रेखा अग्निहोत्री द्वारा निर्मित अंतर्मुखिता– बहिर्मुखिता परीक्षण का प्रयोग किया है। जिसमें व्यक्तित्व से संबंधित 60 प्रश्न है।

सांख्यिकीय प्राविधियां – अध्ययन विश्लेषण के लिए मध्यमान, मानक विचलन, टी टेस्ट का प्रयोग किया गया।

सांख्यिकीय विश्लेषण – भोपाल शहर के सह शिक्षा विद्यालयों एवं एकल शिक्षा विद्यालयों में अध्ययनरत माध्यमिक स्तर की छात्राओं के व्यक्तित्व में सार्थक अंतर नही है। परिकल्पना का मूल्यांकन करने के लिये डॉ. पी.एफ.अजीज एवं रेखा अग्निहोत्री द्वारा निर्मित अंतर्मुखिता बहिमुर्खिता परीक्षण का प्रयोग किया। प्राप्त समंको पर टी.परीक्षण का प्रयोग किया गया। जिसको तालिका 01 में दर्शाया गया है।

तालिका 01 : माध्यमिक स्तर पर छात्राओं के व्यक्तित्व में अंतर की सार्थकता का प्रदर्शन

चर	सह शिक्षा विद्यालय की छात्राएं		एकल शिक्षा विद्यालय की छात्राऐं		df	टी अनुपात CR
	N = 50		N = 50			
	माध्य	मानक विचलन	माध्य	मानक विचलन		
व्यक्तित्व	9	37.55	8.46	31.15	98	1.66

उपरोक्त तालिका अनुसार माध्यमिक स्तर की सह शिक्षा विद्यालयों

की छात्राओं के व्यक्तित्व मध्यमान 9 तथा एकल शिक्षा विद्यालयों की छात्राओं के व्यक्तित्व का मध्यमान 8.46 है। सह शिक्षा विद्यालयों का मध्यमान एकल शिक्षा विद्यालयों से अधिक है। उपरोक्त मध्यमान अंतर की सार्थकता को जानने के लिये प्राप्त किया गया है टी मूल्य 1.66 है। टी–मूल्य 1.66 सार्थकता के 0.05 स्तर पर सार्थक है। अत: प्राप्त विश्लेषण के आधार पर शुन्य उपरोक्त परिकल्पना अस्वीकृत नही की जा सकती है। अत: उपरोक्त शुन्य परिकल्पना स्वीकृत की जाती हैं।

पाई चार्ट द्वारा अंतर्मुखिता, बहिर्मुखिताउभयमुखी का प्रदर्शन

सहशिक्षा विद्यालयों में अंर्तमुखी 44%, बर्हिमुखी 16% एवं उभयमुखी 40% पाये गये।

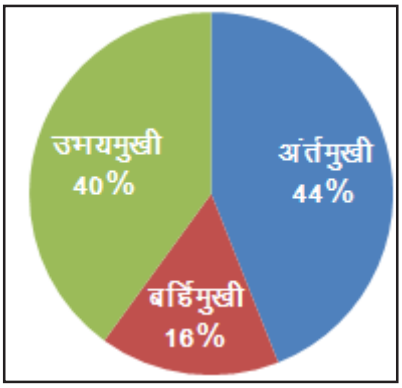

एकल शिक्षा विद्यालयों में अंर्तमुखी 34%, बर्हिमुखी 14% एवं उभयमुखी 52% पाये गये।

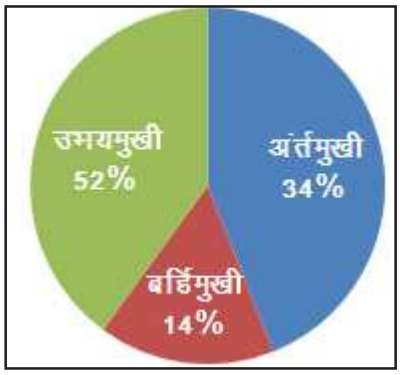

निष्कर्ष – भोपाल शहर के सहशिक्षा विद्यालयों एवं एकल शिक्षा विद्यालयों के माध्यमिक स्तर की छात्राओं के मध्यमानों के बीच सार्थक अंतर नही है। सह शिक्षा विद्यालयों के अंर्तमुखी एवं बर्हिमुखी का प्रतिशत एकल शिक्षा विद्यालयों से अधिक है। परन्तु उभयमुखी का प्रतिशत एकल शिक्षा विद्यालया का सह शिक्षा विद्यालय से अधिक है।

शैक्षिक उपयोगिता – प्रस्तुत शोध अध्ययन उन शोधकर्ताओं के लिये उपयोगी है जो विद्यालय वातावरण के प्रभाव का छात्राओं के व्यक्तित्व पर प्रभाव का अध्ययन देख रहे है। यह शोध निष्कर्ष विद्यालय प्रशासन, अध्यापक को विद्यालय वातावरण एवं व्यक्तित्व से संबंधित चिन्तन, प्रत्ययों के विकास में प्रेरणा देने में सहायक सिद्ध होगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. अग्रवाल, डॉ. जी.एस. (1993) शिक्षा मनोविज्ञान, वाणी प्रकाशन, 4695.217, दरियागंज, दिल्ली 110002
2. चौहान, आर.एस. (2004), सामंजस्व एवं अंर्तमुखी बर्हीमुखी के संदर्भ में उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की सीखने की शैली का अध्ययन Indian Education Abstract, Vol.8, Jan 2008, NCERT, ISSSN. 9072-5652
3. चौरसिया, उषा (2010), सह शिक्षा विद्यालय एवं पृथक बालिका विद्यालयक में अध्ययनरत बालिकाओं के व्यक्तित्व का अध्ययन लघु शोध प्रबंध, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल
4. डॉ. मंगल, बरौलिया, अग्रवाल, दुबे शैक्षिक अनुसंधान विधियां एवं सांख्यिकीय
5. मंगल, एस.के.(2010) शिक्षा मनोविज्ञान

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
October to December 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVI

शासकीय तथा अशासकीय विद्यालयों के शिक्षकों में शैक्षणिक अभियोग्यता का अध्ययन (रीवा जिला के विशेष संदर्भ में)

डॉ. आभा गोयल* साजदा बी**

* प्राध्यापक (गृहविज्ञान) शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सतना (म.प्र.) भारत
** शोधार्थी (गृहविज्ञान) शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सतना (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – रीवा जिला के शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों के शिक्षकों में शैक्षणिक अभियोग्यता का अध्ययन करने के लिए शिक्षकों हेतु शैक्षणिक अभियोग्यता परीक्षण को रीवा जिला के प्रत्येक विकासखण्ड के शासकीय तथा अशासकीय विद्यालयों के शिक्षकों का चयन न्यादर्श के रूप में किया गया है। शोध का उद्देश्य रीवा शहर के शासकीय एवं अशासकीय विद्यालय के शिक्षकों के शैक्षणिक अभियोग्यता का अध्ययन करना है निष्कर्षत: शासकीय विद्यालयों के शिक्षकों एवं अशासकीय विद्यालयों के शिक्षकों की शैक्षणिक अभियोग्यता में कोई सार्थक अन्तर पाया गया है। अर्थात् शहर के अशासकीय विद्यालय के शिक्षकों की शैक्षणिक अभियोग्यता शासकीय विद्यालयों के शिक्षकों की तुलना में बेहतर पाई गयी है।

आज का मानव शिक्षा को आर्थिक दृष्टि से देख रहा है, क्योंकि आज की शिक्षा आर्थिक विकास की अगुवाई कर रही है। इस दृष्टि से 'इतिहास में प्रथमवार शिक्षा, मनुष्य को उस समाज के लिये तैयार कर रही है, जिसका निर्माण अभी तक नहीं हुआ।' शिक्षा के लिए यह चुनौती पूर्णत: नवीन है, क्योंकि शिक्षा का अब तक का कार्य समकालीन समाज को उसी रूप में जीवित रखना और उसके सामाजिक संबंधों को बनाये रखना था। परंतु आज उसका लक्ष्य अपरिचित बच्चों को अपरिचित दुनिया के लिये शिक्षित करना है।

शब्द कुंजी – शिक्षक, शैक्षणिक अभियोग्यता, शासकीय एवं अशासकीय विद्यालय।

प्रस्तावना – किसी भी राष्ट्र की शिक्षा को वहाँ की संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में ही समझा जा सकता है। शिक्षा की प्रक्रिया में शिक्षक एक महत्वपूर्ण कड़ी होता है तथा वह हमारी संतति के भविष्य का रक्षक होता है। शिक्षक विद्यालय तथा शिक्षण प्रक्रिया की वास्तविक रूप से गत्यात्मक शक्ति है। डॉ0 राधाकृष्णन् (1948) ने कहा है– 'समाज में अध्यापक का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है वह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को बौद्धिक एवं तकनीकी कुशलताओं का हस्तांतरण करने का केन्द्र है और सभ्यता के प्रकाश को प्रज्ज्वलित रखने में सहायता देता है।' यह सही है कि विद्यालय भवन, पाठ्यक्रम, पाठ्य सामग्री, पाठ्य सहगामी क्रियायें निर्देशन कार्यक्रम आदि का छात्रों के अधिगम स्तर पर प्रभाव पड़ता है लेकिन जब तक इनमें अच्छे अध्यापकों द्वारा गति प्रदान नहीं की जायेगी तब तक ये सभी निरर्थक हैं। अत: अध्यापक ही वह शक्ति है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आने वाली संततियों पर अपना प्रभाव डालती है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है, कि राष्ट्र एवं समाज की प्रगति अध्यापकों के व्यक्तित्व पर निर्भर करती है। 'माध्यमिक शिक्षा' आयोग के अनुसार अपेक्षित शिक्षा के पुनर्निर्माण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व अध्यापक, उसके व्यक्तिगत गुण, शैक्षिक योग्यतायें व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं उसकी शिक्षण के प्रति अभिवृत्ति है। जो वह विद्यालय तथा समाज के जीवन पर उसका प्रभाव नि:सन्देह रूप से उन अध्यापकों पर निर्भर करता है जो विद्यालय में कार्यरत होते हैं। शिक्षक बालक एवं समाज की चेतना का संवाहक ही नहीं वरन् उसका नियामक एवं दिशा–निर्देशक भी है, वह राष्ट्र का सजग प्रहरी है, वह सुशिक्षा एवं संस्कारों के माध्यम से समाज को सुसंस्कारित करके समग्र मानवता के कल्याण का पथ प्रशस्त करता है। अच्छी शिक्षा के माध्यम से ही देश का भविष्य सुरक्षित रह सकता है। भावी पीढ़ी संस्कृति एवं सभ्यता के स्तम्भों पर ही खड़ी रहती है। हमारे देश व मानव प्रगति का भविष्य उन हजारों कर्णधारों पर निर्भर करता है। जिन्हें शिक्षा प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अर्थात् माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों में देश व समाज की प्रगति करने की सामर्थ्य विकसित करना उन्हें शिक्षित करने वाले शिक्षकों का ही कार्य है। कोई भी राष्ट्र अपने अध्यापकों के स्तर से ऊपर नहीं उठ सकता किसी समाज की गुणवत्ता उस समाज में प्रदत्ता माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता द्वारा निर्धारित होती है। शिक्षा की गुणवत्ता विद्यालयी शिक्षकों की गुणवत्ता पर निर्भर होती है।

वर्तमान 21वीं शताब्दी के वैज्ञानिक व तकनीकी युग में शिक्षा जहाँ एक ओर विज्ञान एवं तकनीकी प्रणालियों का विकास करती है। वहीं दूसरी ओर लुप्त होते मानव मूल्य मानव संवेदनशीलता तथा मानव समाज में व्याप्त तनाव असहनशीलता, असहिष्णुता का निराकरण भी करती है। किसी भी व्यक्ति के लिये एक अच्छे या कुशल शिक्षण का विचार उसके पूर्व अनुभव, मूल्य, अभिवृत्ति तथा समाज की परिस्थितियों से प्रभावित होता है। शिक्षक जब कक्षा में छात्रों को पढ़ाता है तो उसके सम्मुख कुछ उद्देश्य व लक्ष्य होते हैं इन लक्ष्यों व उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास वह निरन्तर करता रहता है जिस सीमा तक वह अपने उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल हो जाता है उसकी कुशलता व प्रभावशीलता का परिचायक है। इसी सन्दर्भ में **हेनरी एडम्स** कहते हैं एक शिक्षक का प्रभाव दीर्घकालिक होता है वह कभी नहीं बता सकता कि उसका प्रभाव कहाँ समाप्त होता है।

शिक्षा राष्ट्र की प्रगति संस्कृति भावना एवं संस्कार का प्रतीक है। वर्तमान समय में किसी विद्यालय समाज व राष्ट्र को उन्नति के शिखर पर ले

जाने के लिये वहाँ की शिक्षा का विकास आवश्यक है, जिससे शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि व सफलता को बढ़ाया जा सके। शैक्षिक उपलब्धि व सफलता में वृद्धि प्रभावशाली शिक्षण द्वारा ही संभव है। शिक्षक के सामान्य तथा कक्षागत क्रियाकलाप शिक्षक व्यवहार की ओर संकेत करते हैं और इन क्रिया कलापों पर शिक्षण प्रभावशीलता आधारित होती है। अर्थात् शिक्षक की सफलता उसके शिक्षण कार्य की प्रभावोत्पादकता एवं व्यवहार से आंकी जाती है। इस सफलता के सन्दर्भ में शिक्षक के प्रति अन्य व्यक्तियों द्वारा प्रतिक्रियायें प्रदर्शित की जाती हैं। वह प्रतिक्रियायें शिक्षक की प्रभावशीलता को दर्शाती हैं। शिक्षक प्रभावशीलता एक व्यापक प्रत्यय है एक शिक्षक तभी प्रभावी शिक्षक बन सकता है जब शिक्षक की प्रभावशीलता में उसकी शिक्षा तथा सामान्य व तत्कालीन ज्ञान प्रेषित करने की योग्यता, शिक्षण कौशल, व्यवसाय से सम्बन्धित ज्ञान, पाठ्य सहगामी क्रियाओं का ज्ञान, कक्षा-कक्ष प्रबन्ध की योग्यता, समाज तथा विद्यालय के अन्य सदस्यों के साथ आपसी मेल मिलाप का स्वभाव, संवेगात्मक रूप से स्थिर, सलाह व निर्देशन की योग्यता, नैतिक रूप से कुशल एवं प्रभावशाली व्यक्तित्व को समाहित किया जाता है।

सामाजिक सन्दर्भ में शिक्षक, विद्यार्थी में राष्ट्रीयता, सामाजिकता, विश्वबंधुत्व की भावना को जगाकर उसे सामाजिक दायित्वबोध से परिचित कराता है। किसी भी देश काल की शिक्षा पद्धति में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान शिक्षक का है। यह सम्पूर्ण विश्व अपने उन सभी शिक्षकों का ऋणी है जिन्होनें ज्ञान के आधार पर संसार के आध्यात्मिक एवं भौतिक स्वरूप का निर्माण किया है। श्रेष्ठ अध्यापकों के अभाव में सुयाग्ये छात्रगण वांछित ज्ञानार्जन में सफल नहीं हो सकते हैं अच्छी से अच्छी पाठ्य-पुस्तक भी निपुण शिक्षकों की अनुप स्थिति में प्राणहीन हो जाती है। शिक्षा व्यवस्था चाहे जैसी हो शिक्षक की भूमिका सर्वोपरि होती है अर्थात् समस्त शिक्षा व्यवस्था उसके चहुँ ओर विचरण करती है। आज वर्तमान समाज व राष्ट्र परिवर्तन और विकास के महत्वपूर्ण दौर से गुजर रहा है। समाज की आवश्यकताओं, अपेक्षाओ, आदर्शों एवं मूल्यों को वास्तविक रूप देने की जिम्मेदारी भी शिक्षकों को वहन करनी होती है क्योंकि शिक्षक का कार्य ज्ञान व संस्कृति के संरक्षण तथा हस्तातंरण तक ही सीमित नहीं है बल्कि परिस्थितियों के अनुरूप सामाजिक परिवर्तन भी लाना है।

इन सब क्रियाओं के प्रति विद्यालय के प्राचार्य, साथी समूह, स्वयं शिक्षक एवम् विद्यार्थियों की प्रतिक्रियाओं को अमुक शिक्षक की शिक्षण प्रभावशीलता के रूप में प्रेक्षित किया जाता है। साथ ही शिक्षक की शिक्षण प्रभावशीलता को उसकी परिस्थितियाँ भी प्रभावित करती हैं अत: शिक्षा के लक्ष्यों के प्राप्त करने की शिक्षक की योग्यता ही शिक्षण क्षमता या प्रभावशीलता कहलाती है। इसका मापन शिक्षक की शैक्षिक योग्यता पूर्व अनुभव एवं शैक्षिक निष्पत्ति से किया जाता है। दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि जो शिक्षण शिक्षार्थियों को सुगमता से सीखने में सहायता करे उसे स्पष्ट हो तथा कक्षा में उस योजना के अनुसार शिक्षण किया जाय। शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों ही क्रियाशील हों और यह कार्य तब तक चलता रहे जब तक कि शिक्षार्थी भली प्रकार सीख न लें यह विशेषताएँ प्रभावशाली शिक्षण से सम्बन्धित हैं। अत: शिक्षण प्रभावशीलता उस शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का नाम है जिसमें शिक्षक अपनी अभिरूचि के साथ शिक्षण कार्य करता है। छात्रों की समस्त गतिविधियों में रूचि लेता है अत: कहा जा सकता है कि शिक्षण व्यवसाय में सफलता का मुख्य आधार अभिरूचि है। किसी शिक्षक में बुद्धि, मानसिक योग्यता कितनी ही क्यों न हो, रूचि के अभाव में सब व्यर्थ है। साधारण अर्थों में शिक्षण अभिरूचि, शिक्षण व्यवसाय में ध्यान देने, उसके प्रति आकर्षित होने और उससे सन्तोष लाभ करने की प्रकृति को कहा जाता है। शिक्षक के लिये शिक्षण अभिरूचि सक्रिय रूप से एक भावात्मक विन्यास है जो ध्यान को जगाता एवं स्थिर रखता है। इस प्रकार शिक्षण अभिरूचि शिक्षण की वह आन्तरिक शक्ति है जो उसे क्रिया की ओर आकृष्ट होने की प्रेरणा प्रदान करती है। शिक्षण अभिरूचि की विशिष्ट प्रवृत्ति के कारण ही शिक्षण क्रिया की ओर विशेष ध्यान दिया जाता है। अत: शिक्षण अभिरूचि का तात्पर्य उस मानसिक अवस्था से है जिसके कारण शिक्षक शिक्षण व्यवसाय पसन्द करता है और शिक्षण सम्बन्धी कार्यों को आत्म सन्तोष के साथ करके अपने कार्य की प्रभावशीलता को बढ़ा लेता है। यदि शिक्षक की शिक्षण कार्य में अभिरूचि नहीं है तो वह कार्य में सफल नहीं हो सकता।

उद्देश्य :-

1. रीवा जिले के शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों के शिक्षकों की शैक्षणिक अभियोग्यता का अध्ययन करना।
2. शासकीय एवं अशासकीय विद्यालय के शिक्षकों की पारिवारिक, सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का अध्ययन करना।
3. शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों में कार्यरत पुरुष एवं महिला शिक्षकों की शिक्षण प्रभावशीलता के कारकों का अध्ययन करना।
4. शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों में कार्यरत पुरूष एवं महिला शिक्षकों की कार्य संतुष्टि का अध्ययन करना।
5. शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों में कार्यरत पुरूष एवं महिला शिक्षकों की शिक्षण दायित्वों का अध्ययन करना।
6. अध्ययन से प्राप्त निष्कर्षो के आधार पर सतत्-व्यापक मूल्यांकन के उन्ययन हेतु सुझाव प्रेषित करना।

परिकल्पनाएँ :

1. रीवा जिले के शहरी शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों के शिक्षकों की शैक्षणिक अभियोग्यता में कोई सार्थक अन्तर नहीं हैं।
2. रीवा जिले के ग्रामीण शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों के शिक्षकों की शैक्षणिक अभियोग्यता में कोई सार्थक अंतर नहीं है।
3. शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की शिक्षण प्रभावशीलता में कोई सार्थक अन्तर नहीं होता है।
4. शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की शिक्षण दायित्वों में कोई सार्थक अन्तर नहीं होता है।
5. शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की कार्य संतुष्टि में कोई सार्थक अन्तर नहीं होता है।
6. शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के पारिवारिक, सामाजिक वातावरण में कोई सार्थक अन्तर नहीं होता है।

शोध प्रविधि – किसी भी शोध कार्य को उद्देश्यहीन एवं ज्ञानरहित नहीं कहा जा सकता है। इसके लिए कुछ निश्चित कारकों से प्रेरित होकर ही निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये शोध-कार्य किया जाता है। ज्ञान के क्षेत्र में शोध कार्य अपरिहार्य है। वर्तमान युग में शोध या अनुसंधान का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि किसी भी क्षेत्र से संबंधित तथ्यों का प्रमाणीकरण, नवीनीकरण, एवं सत्यापन अनुसंधान के द्वारा ही किया जा सकता है।

शोध कार्य में भारतीय समाज में पारिवारिक विघटन से सम्बन्धित

वास्तविक एवं विश्वसनीय आंकड़ों को प्राप्त करने के लिये प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों प्रकार के आंकड़ों को एकत्र कर पूर्ण किया गया है। प्राथमिक आकड़े स्वयं कार्य स्थल पर जाकर मूल स्रोतों एवं साक्षात्कार अनुसूची द्वारा एकत्र किये गये हैं। जबकि द्वितीयक आंकड़े पारिवारिक विघटन से संबंधित विभिन्न प्रकाशित- अप्रकाशित पुस्तकों, शोध पत्र-पत्रिकाओं, समाचार पत्रों, आदि से एकत्र कर प्रयोग किये गये हैं।

अध्ययन क्षेत्र – प्रस्तुत अध्ययन रीवा जिले के संबंध में है जिसकी कुल जनसंख्या जनगणना 2011 के अनुसार लगभग 2,365,106 है, जिसमें से पुरुष 1,225,100 एवं महिलाएँ 1,140,006 है एवं 1000 पुरुषों के अनुपात में 960 महिलाएँ है। शोधार्थी द्वारा अध्ययन क्षेत्र में जाकर अनुसूची व साक्षात्कार विधियों के माध्यम से आंकड़े एकत्रित किये गये जिसमें से शोधार्थी द्वारा 52 व्यक्तियों को लेकर के शोधकार्य पूरा किया अध्ययन के दौरान जो ऑकड़े एकत्रित किये गये उनका परिचयात्मक विश्लेषण निम्नानुसार है।

आकड़ों का वर्गीकरण और सारणीयन – अनुसंधानकर्ता द्वारा तथ्यों को प्राप्त करने के बाद संकलित तथ्यों को सारणी के रूप में प्रस्तुत किया गया है और सांख्यकीय विश्लेषण किया गया है।

न्यादर्श – शासकीय एवं अशासकीय विद्यालय के शिक्षक (54-54)

परीक्षण – शैक्षणिक सामान्य अभियोग्यता परीक्षण (शिक्षकों हेतु)

परिसीमन – रीवा जिला

विश्लेषण एवं व्याख्या – शासकीय तथा अशासकीय विद्यालय के शिक्षकों के शैक्षणिक अभियोग्यता परीक्षण में अंतर सार्थकता

सारणी 1 (अगले पृष्ठ पर देखे)

व्याख्या – सारणी 1 से स्पष्ट है कि रीवा जिले के शासकीय शहरी विद्यालयों के शिक्षकों के प्राप्तांकों का माध्यमान 9.54 तथा अशासकीय शहरी विद्यालयों के शिक्षकों के प्राप्तांकों का मध्यमान 13.43 है।

आकड़ों से स्पष्ट है कि उक्त दोनों विद्यालयों के शिक्षकों में अशासकीय शहरी विद्यालयों के शिक्षकों की शैक्षणिक अभियोग्यता अच्छी है। प्रस्तुत गणना में क्रांतिक अनुपात का मान 3.82 प्राप्त हुआ है तथा स्वतंत्रता की कोटि 52 है। स्वतंत्रता की 52 के 0.005 विश्वास स्तर पर t - मान 2.01 तथा 0.01 विश्वास स्तर पर 2.68 है। दोनों ही विश्वास स्तर पर जो मान हैं उसके क्रांतिक अनुपात का मान 3.82 अधिक है। अत: सिद्ध होता है कि दोनों ही समूहों (शासकीय शहरी एवं अशासकीय शहरी विद्यालय के शिक्षकों) की शैक्षणिक अभियोग्यता में सार्थक अंतर है। अर्थात जिस समूह का समान्तर माध्य (मध्यमान) अधिक है। उस समूह की शैक्षणिक अभियोग्यता बेहतर है।

अत: शोधार्थी की परिकल्पना क्रमांक - 1 'शहर के शासकीय विद्यालयों के एवं अशासकीय विद्यालयों के शिक्षकों की शैक्षणिक अभियोग्यता में कोई सार्थक अंतर नहीं है।'अस्वीकृत अथवा निरसित होती है।

सारणी 2 (अगले पृष्ठ पर देखे)

व्याख्या – सारणी 2 से स्पष्ट है कि शासकीय ग्रामीण विद्यालयों के शिक्षकों के प्राप्तांकों का मध्यमान 7.5 प्राप्त हुआ है जबकि अशासकीय ग्रामीण विद्यालयों के शिक्षकों के प्राप्तांकों का मध्यमान 11.21 प्राप्त हुआ है। इससे स्पष्ट होता है कि ग्रामीण विद्यालयों के शासकीय शिक्षकों की तुलना में ग्रामीण विद्यालयों के अशासकीय शिक्षकों का प्रदर्शन अच्छा है। क्या कारण है कि शासकीय विद्यालय के अधिकतर शिक्षक परीक्षा उत्तीर्ण कर इस व्यवसाय में आये है और इस व्यवसाय में आने के बाद विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण भी प्राप्त कर रहे हैं, फिर ऐसा निम्न स्तर का प्रदर्शन क्यो? इसका सीधा कारण यह है कि शासकीय शिक्षक, शैक्षिक व्यवसाय से जुड़ने के बाद अपने व्यवसाय पर ध्यान नहीं देते जबकि अशासकीय शिक्षक अपने को उस विद्यालय में कायम रखने के लिए अधिक मेहनत करते हैं और अधिक बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। सांख्यिकीय विश्लेषण से स्पष्ट है कि उक्त सारणी में विश्लेषणोपरांत क्रांतिक अनुपात का मान 3.34 प्राप्त हुआ है तथा स्वतंत्रता की कोटि 52 है। स्वतंत्रता की कोटि 52 के 0.05 स्तर पर t मान 2.01 तथा 0.01 विश्वास स्तर पर t मान 2.68 है। ये दोनों ही t मान गणना से प्राप्त क्रांतिक अनुपात का मान 3.34 से कम है। अत: स्पष्ट होता है कि दोनों समूहों के शैक्षणिक अभियोग्यता में सार्थक अंतर है।

अत: शोधार्थी की परिकल्पना क्रमांक- 2 'गांव के शासकीय विद्यालयों के अशासकीय विद्यालयों के शिक्षकों की शैक्षणिक अभियोग्यता में कोई सार्थक अंतर नहीं है।' अस्वीकृत अथवा निश्चित होती है।

निष्कर्ष :

1. शहरी शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों के शिक्षकों की शैक्षणिक अभियोग्यता में सार्थक अंतर पाया गया है अर्थात शहर के अशासकीय विद्यालयों के शिक्षकों की तुलना में बेहतर पाई गई है।
2. ग्रामीण शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों के शिक्षकों की शैक्षणिक अभियोग्यता में सार्थक अंतर दृष्टिगोचर हुआ है अर्थात ग्रामीण क्षेत्र के अशासकीय विद्यालय के शिक्षकों की शैक्षणिक अभियोग्यता शासकीय विद्यालयों के शिक्षकों की तुलना में बेहतर पायी गई है।

सुझाव :

1. शिक्षकों के अच्छा शिक्षक बनने के लिए शिक्षा विदों एवं शिक्षा मनोवैज्ञानिक के विभिन्न सिद्धांत पढ़ने का सुझाव है।
2. शिक्षकों को स्वच्छ एवं स्वास्थ्य शैक्षिक और भौतिक वातावरण निर्मित करने की आवश्यकता है।
3. शिक्षकों को विद्यालयों की अधोसंरचना को सुदृढ़ रूप प्रदान करने में विद्यालय प्रमुख का सहयोग करने की आवश्यकता है।
4. शासकीय शिक्षकों को कक्षा में जाने के पूर्व पाठ योजना तैयार करना चाहिए।
5. विद्यालयों के शासकीय शिक्षकों को शैक्षिक पेडागांजी का नियमित अध्ययन करना चाहिए।
6. विद्यालयों के शासकीय शिक्षकों को शिक्षण कौशल, शिक्षण, तकनीकी, शिक्षण विधियों तथा शिक्षण के नये-नये उपागम से जुडे रहना चाहिए और अपने कक्षा में उनका उपयोग करना चाहिए।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची :-

1. भदौरिया, अखिलेश सिंह (2016) 'शिक्षा मनोविज्ञान' कल्पना पब्लिकेशन, चॉद पोल बाजार, जयपुर ISBN978-93-85181-19-1
2. भदौरिया, अखिलेश सिंह (2015) 'मध्यप्रदेश के शासकीय प्राथमिक विद्यालयों में पदस्थ विभिन्न प्रकार के शिक्षक संवर्ग द्वारा पढ़ाये गये विद्यार्थियों की अधिगम उपलब्धि का अध्ययन', अन्वेषणम, द जर्नल ऑफ एजुकेशन, ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, Vol. IV, No. - 1 अगस्त 2015-2016 पेज 106-111

3. डॉ. श्रीवास्तव साध्वी (2012) 'आज की शिक्षा और मानवीय मूल्य' कैलास प्रकाशन, इलाहाबाद पृ. 35–37
4. चौबे सरयू प्रसाद (1993), 'हमारी शिक्षा समस्याएँ' विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा।
5. त्यागी एस.डी. एवं पाठक डी.पी. (2008) भारतीय शिक्षा की सामाजिक समस्याएं डॉ. रांगेय राघव मार्ग विनोद पुस्तक मंदिर आगरा पृ. 8।
6. Aftab, Maria and Khatoon, Tahira., 2012, "Demographic Differences and Occupational Stress of Secondary School Teachers", European Scientific J., 8 (5), pp. 159-175.
7. Ahmad, N., Raheem, A. and Jamal, S. (2003). Job satisfaction among school teachers.The Educational Review, 46(7), 123-126.
8. www.mpeducationportal.gov.in

सारणी 1: रीवा जिले के शहरी शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों के शिक्षकों की शैक्षणिक अभियोग्यता में प्राप्तांकों के अंतर की सार्थकता

विद्यालय	शिक्षकों की संख्या (N)	पूर्णांक	मध्यमान (M)	मानक विचलन (σ)	मानक त्रुटि (σd)	क्रांन्तिक अनुपात(Cr)	स्वतंत्रता की कोटि(N1-1) +(N2-1)
शासकीय शहरी विद्यालय	27	40	9.54	3.70	1.02	3.82	52
अशासकीय शहरी विद्यालय	17	40	13.43	3.85			

सारणी 2 : शासकीय ग्रामीण तथा अशासकीय ग्रामीण विद्यालयों के शिक्षकों की शैक्षणिक अभियोग्यता में प्राप्तांकों के अंतर की सार्थकता

विद्यालय प्रकार	शिक्षकों की संख्या (N)	पूर्णांक	मध्यमान (M)	मानक विचलन (σ)	मानक त्रुटि (σd)	क्रांन्तिक अनुपात(Cr)	स्वतंत्रता की कोटि(N1-1) +(N2-1)
शासकीय ग्रामीण विद्यालय	27	40	7.5	3.00	1.11	3.84	52
अशासकीय ग्रामीण विद्यालय	27	40	11.21	4.85			

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
October to December 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVI

भारत के आर्थिक विकास में महिला सहभागिता का अध्ययन (मध्यप्रदेश राज्य के विशेष संदर्भ में)

डॉ. मीना कीर *

* सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य) शासकीय नर्मदा स्नातकोत्तर महाविद्यालय, होशंगाबाद (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – भारत की लगभग आधी आबादी महिलाओं का प्रतिनिधित्व करती है। भारत के संविधान में भी महिलाओं को बराबरी का दर्जा दिया गया है। इसके बावजूद हमारी सामाजिक व्यवस्थाएं उसे बराबरी का अधिकार कभी नहीं देतीं। देश में महिलाओं को पुरूषों के समकक्ष लाने तथा महिलाओं के उत्थान के लिये केन्द्र व राज्य सरकारों द्वारा अनेकों कार्यक्रम एवं योजनाओं का संचालन किया जा रहा है किन्तु इन कार्यक्रमों व योजनाओं का क्रियान्वयन निचले स्तर तक उचित ढंग से न पहुंच सकने के कारण सभी महिलाओं को इनका अपेक्षित लाभ नहीं मिल पा रहा है। यह सत्य है कि वर्तमान समय में महिलाओं की स्थिति में कई सकारात्मक बदलाव आये हैं लेकिन अनेक स्थानों पर यह भी अनुभव किया जा रहा है कि आज भी महिला, पुरूष–प्रधान मानसिकता से पीड़ित है।

शब्द कुंजी – महिलाओं की स्थिति, सहभागिता के क्षेत्र, सहभागिता का प्रतिशत, आर्थिक कार्यक्रम, चुनौतियां एवं समाधान।

उद्देश्य – प्रस्तुत शोधपत्र का प्रमुख उद्देश्य भारत के आर्थिक विकास में देश की लगभग आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाली महिलाओं की सहभागिता का विश्लेषण करना तथा उनकी सहभागिता को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता को बल प्रदान करना है। महिला सहभागिता के इस विष्लेषण के आधार पर महिलाओं के सामाजिक –आर्थिक विकास की नई संभावनाओं का सृजन किया जा सकेगा तथा महिलाओं के उत्थान के लिये क्रियान्वित किये जा रहे कार्यक्रम एवं योजनाओं का लाभ पात्र एवं वंचित महिलाओं तक पहुंचाया जा सकेगा। साथ ही मध्यप्रदेश राज्य में महिला सहभागिता को आदर्ष स्थिति तक पहुंचाने के लिये ठोस उपाय किये जा सकेंगे।

पृष्ठभूमि – भारत में सकल घरेलू उत्पाद की दर में महिलाओं की भागीदारी 17 प्रतिशत है जो चीन की सकल घरेलू उत्पाद की दर 40 प्रतिशत से बहुत ही कम है। वर्ष 2005 से वर्ष 2010 के बीच लगभग 20 मिलियन महिला कर्मचारी नौकरी से बाहर हो गईं, यह संख्या श्रीलंका की पूरी आबादी के बराबर है। वर्ष 2012 में भारत में 79 प्रतिशत पुरूषों की तुलना में केवल 27 प्रतिशत महिलाओं के पास नौकरी थी या वे नौकरी की तलाश में थीं। भारत में स्थाई रूप से आर्थिक विकास तब और भी कठिन है जब देश की आबादी का आधा हिस्सा अर्थव्यवस्था में भाग ही नहीं लेता।

भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में आय का प्रमुख आधार कृषि है। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली अधिकांश महिलाएं खेतीहर मजदूर हैं और उनकी परिवार की आय का प्रमुख आधार कृषि कार्य से प्राप्त खेतीहर मजदूरी है। विश्व बैंक समूह की रिपोर्ट के अनुसार आर्थिक विकास में महिला श्रमिकों की भागीदारी में भारत का स्थान 131 देशों की सूची में 120 वां है और लिंग आधारित हिंसा की दर भी यहाँ अधिक है।

मध्यप्रदेश में महिलाओं की स्थिति – मध्यप्रदेश की कुल जनसंख्या में 48.20 प्रतिशत जनसंख्या महिलाओं का प्रतिनिधित्व करती है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्यप्रदेश की कुल जनसंख्या 7,26,26,809 में 3,76,12,306 पुरूष तथा 3,50,14,503 महिलाएं हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्यप्रदेश की कुल जनसंख्या 7,26,26,809 में से 5,25,57,404 जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, जो कि कुल जनसंख्या का 72.37 प्रतिशत है। इस जनसंख्या में से 2,54,08,016 जनसंख्या महिलाओं की है, जो कि कुल ग्रामीण जनसंख्या का 48.34 प्रतिशत है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्यप्रदेश की कुल जनसंख्या 7,26,26,809 में से 2,00,69,405 जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में निवास करती है, जो कि कुल जनसंख्या का 27.63 प्रतिशत है। इस जनसंख्या में से 96,06,487 जनसंख्या महिलाओं की है, जो कि कुल शहरी जनसंख्या का 47.87 प्रतिशत है। आंकडों का अवलोकन स्पष्ट करता है कि मध्यप्रदेश की कुल महिला जनसंख्या में शहरी महिलाओं की संख्या 65.02 प्रतिशत तथा ग्रामीण महिलाओं की संख्या 34.98 प्रतिशत है।

भारत और मध्यप्रदेश में कार्यशील महिलाओं की स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन – भारत और मध्यप्रदेश में कार्यशील महिलाओं की स्थिति में कुछ असमानता दिखाई देती है, जिसे विभिन्न आंकडों की सहायता से स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर भारत में प्रति 1000 पुरूषों पर 943 महिलाएं तथा मध्यप्रदेश में प्रति 1000 पुरूषों पर 931 महिलाएं हैं। भारत की कुल कार्यशील जनसंख्या का लगभग 40 प्रतिशत कार्यशील जनसंख्या के रूप में है, जिसमें से महिला कार्यशील जनसंख्या लगभग 26 प्रतिशत है, जबकि मध्यप्रदेश की कुल कार्यशील जनसंख्या का 43.50 प्रतिशत कार्यशील जनसंख्या के रूप में है, जिसमें से महिला कार्यशील जनसंख्या 32.60 प्रतिशत है।

आंकडे प्रदर्शित करते हैं कि देश की अपेक्षा मध्यप्रदेश में महिलाओं की कार्यशीलता अधिक है। मध्यप्रदेश में कुल कर्मियों की संख्या 3,15,74,133 है, जिनमें से 1,14,27,163 महिलाएं हैं। मध्यप्रदेश में कुल 98,44,439 काश्तकार हैं, जिनमें से 32,53,375 महिलाएं हैं। प्रदेश

में कुल खेतीहर मजदूरों की संख्या 1,21,92,267 है, जिसमें से 58,81,610 महिलाएं हैं।

भारत और मध्यप्रदेश में जनसंख्या की लगभग आधी संख्या महिलाओं का प्रतिनिधित्व करती है। यदि जनसंख्या के इस भाग का आर्थिक विकास के लिये उपयोग ही न किया जाये, तो देश के विकास की दर का कम रहना स्वाभाविक है।

सरकार द्वारा किये गये प्रयास – भारत के आर्थिक विकास में महिलाओं की सहभागिता एक महत्वपूर्ण कारक है, जो भविष्य की दिशा और दशा दोनों के लिये महत्वपूर्ण है। भारत सरकार के प्रयासों से कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं इस दिशा में आगे आई हैं। विश्व बैंक ने भारत में कई ऐसी परियोजनाओं में निवेश किया है जो महिलाओं की आर्थिक भागीदारी को बढ़ाने हेतु क्रियान्वित की जा रही हैं। विश्व बैंक ने पिछले 15 वर्षों में भारत में स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से गरीब ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए लगभग 3 बिलियन डॉलर से अधिक का निवेश किया है। विष्व बैंक द्वारा निवेशित परियोजनाओं के माध्यम से लगभग 45 मिलियन गरीब महिलाएं कौशल विकास, बाजार और व्यापार विकास सेवाओं से लाभांवित हुई हैं। आर्थिक विशेषज्ञों का अनुमान है कि यदि विभिन्न स्तरों पर महिलाओं की भागीदारी को पर्याप्त प्रोत्साहन मिले तो भारत की विकास दर प्रतिवर्ष 1.5 प्रतिशत से 9 प्रतिशत तक बढ़ सकती है।

निष्कर्ष – पिछली कुछ सदियों में महिलाओं की स्थिति ने कई बड़े बदलावों का सामना किया है। प्राचीनकाल में पुरूषों के साथ बराबरी की स्थिति से लेकर मध्ययुगीन काल के निम्न स्तरीय जीवन और साथ ही कई सुधारकों द्वारा समान अधिकारों को बढ़ावा दिये जाने तक महिलाओं का इतिहास काफी गतिशील रहा है। वर्तमान में समाज की प्रगति के साथ-साथ महिलाओं के स्वर, उनके सम्मान व गरिमा में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है। समाज के बदलते परिवेश ने जहाँ व्यक्ति को आधुनिकता की दौड़ में शामिल किया है वहीं महिलाएं भी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होती जा रही हैं, जिसके परिणामस्वरूप देश के विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की स्थिति में सकारात्मक परिवर्तन भी आये हैं।

भारतीय संविधान में महिलाओं को समान अधिकार दिये जाने के बावजूद भी सामाजिक व्यवस्थाएं उसे समानता का अधिकार देने में पूर्ण सफल नहीं हो सकी हैं। सामाजिक व्यवस्थाओं का यह व्यवहार भारतीय महिलाओं के लिये अपने आपको सक्षम सिद्ध करने में बाधक बन रहा है। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए केन्द्र व लगभग सभी राज्य सरकारों द्वारा महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिये अनेक कार्यक्रम एवं योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। मध्यप्रदेश सरकार द्वारा भी प्रदेश की महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक विकास हेतु कई योजनाओं एवं कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जा रहा है और इसके सकारात्मक परिणामों का भी सम्पूर्ण देश में प्रचार-प्रसार हो रहा है, किन्तु इन योजनाओं का क्रियान्वयन निचले स्तर तक उचित ढंग से नहीं हो पाने के कारण सभी वर्ग की महिलाएं इन योजनाओं का अपेक्षित लाभ नहीं ले पा रही हैं। वर्तमान परिवेश में आर्थिक विकास में महिलाओं की सहभागिता को प्रोत्साहित करने हेतु राजनीतिक इच्छाशक्ति, सामाजिक सहमति और शैक्षणिक वातावरण तैयार करने की भी आवश्यकता प्रतीत होती है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. मध्यप्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण/2019-20
2. वूमेन्स फोरम/2018-19
3. मध्यप्रदेश की महिला नीति 2015
4 मध्यप्रदेश के सामाजिक आर्थिक विकास संकेत 2018-19, 2019-20

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
October to December 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVI

भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास स्तंभ एवं प्रमुख चुनौतियां

डॉ. योगेश खण्डेलवाल*

* सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य) शासकीय कुसुम महाविद्यालय, सिवनी-मालवा, जिला- होशंगाबाद (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – वर्तमान समय में जब विश्व की अनेक विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाएं अनिश्चितता के वातावरण में रहकर गंभीर आर्थिक दुष्परिणामों से बचने का प्रयास करती हुई नजर आ रही हैं, वहीं भारत एक बडी अर्थव्यवस्था की संभावनाओं के साथ उभर कर सामने आया है। भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की चौथी सबसे बडी अर्थव्यवस्था है, किन्तु इस स्थिति को बनाये रखना भारत के लिये एक बडी चुनौती है। भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में बाधक प्रमुख चुनौतियों का अध्ययन और विश्लेषण करना तथा समाधान के उपाय प्रस्तुत करना इस शोधपत्र का उद्देश्य है।
शब्द कुंजी – भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास स्तंभ, अर्थव्यवस्था के विकास में बाधक प्रमुख कारक, चुनौतियां, कारण एवं समाधान।

(1) कृषि क्षेत्र की चुनौतियां – कृषि क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख अंग है। वर्तमान में राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान बहुत अधिक नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी कृषि उत्पादन में गिरावट भारत के आर्थिक विकास की दर को निश्चित ही प्रभावित करती है। स्वतंत्रता के समय भारत के सकल घरेलू उत्पादन में कृषि की भागीदारी लगभग 50 प्रतिशत थी, जो अब घटकर लगभग 14 प्रतिशत रह गई है। कृषि क्षेत्र भारत का सर्वाधिक उत्पादकता वाला क्षेत्र है, जिस पर देश की लगभग 58 प्रतिशत जनसंख्या निर्भर करती है। यदि कृषि क्षेत्र के विकास में गिरावट आती है, तो न केवल कृषि पर निर्भर देश के लगभग 14 करोड परिवार प्रभावित होते हैं, बल्कि मंहगाई बढने से आम आदमी भी परेशान हो जाता है। चूंकि देश की आबादी का एक बहुत बडा हिस्सा रोजगार के लिये कृषि क्षेत्र से जुडा हुआ है, अत: कृषि क्षेत्र में किसी भी प्रकार की गिरावट रोजगार संकट को भी बढावा देती है।

(2) असमान आय वितरण की चुनौती – इंटरनेशनल राइट्स ग्रुप ऑक्सफैम आवर्स द्वारा विश्व में बढ रहे धन के असमान वितरण के सम्बंध में रिवॉर्ड वर्क, नॉट वेल्थ नामक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसके अनुसार वर्ष 2017-18 में भारत में कुल अर्जित धन का 73 प्रतिशत केवल 1 प्रतिशत अमीर लोगों के पास था, जबकि देश की लगभग आधी आबादी, जो कि निर्धन है, की आय में मात्र 1 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लगभग 3 करोड लोगों की आय में कोई वृद्धि नहीं हुई। यह स्थिति प्रदर्शित करती है कि भारत में आर्थिक विकास का लाभ बहुत ही कम लोगों को प्राप्त हुआ है।

(3) राजकोषीय संतुलन बनाये रखने की चुनौती– राजकोषीय घाटा किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है, क्योंकि इससे ब्याज दरों में वृद्धि के साथ-साथ मुद्रा-स्फाति की दर अर्थात् मंहगाई में भी वृद्धि होती है। भारत को वैश्विक आर्थिक महाशक्ति बनने के लिये वित्तीय अनुशासन पर ध्यान केन्द्रित करना आवश्यक है। भारत के आर्थिक विशेषज्ञ भी वित्तीय अनुशासन का वातावरण निर्मित करते हुए राजकोषीय घाटा कम से कम रखने पर जोर देते हैं। भारत में वित्तीय अनुशासन में कमी का परिणाम राजकोषीय घाटे में वृद्धि के रूप में दिखाई देता है।

(4) विनिवेश क्रिया में तेजी लाने की चुनौती – सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और उद्यमों में सरकार अपनी सहभागिता कम से कम 51 प्रतिशत रखकर उनका प्रबंध और नियंत्रण अपने पास रखती है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और उद्यमों में जन मानस की भागीदारी सुनिश्चित करने और उसमें वृद्धि करने के लिये विनिवेष एक महत्वपूर्ण आवश्यक कदम हो सकता है। विनिवेश के माध्यम से सरकार के पास अतिरिक्त धन उपलब्ध हो सकता है, जिसे सामाजिक योजनाओं और विकास कार्यों पर खर्च किया जा सकता है। केन्द्र सरकार ने वर्ष 2016-17 के लिये विनिवेश हेतु 56,500 करोड रूपये का बजट निर्धारित किया था, जिसे बाद में संशोधित करते हुए 45,500 करोड रूपये कर दिया गया था। इस लक्ष्य की पूर्ति भी पुराने बजट की भांति नहीं हो सकी थी। ऐसे में सरकार को नीति आयोग के माध्यम से विनिवेश प्रक्रिया में तेजी लाने की आवश्यकता है।

(5) बैंकों में बढते एनपीए की चुनौती – वर्तमान में भारत की बैंकिंग प्रणाली एक चुनौती भरे माहौल में कार्य कर रही है, जिसके कारण सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की आस्ति गुणवत्ता, पूंजी पर्याप्तता तथा लाभ पर प्रतिकूल प्रभाव पडा है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का एनपीए का स्तर 7 लाख करोड रूपये से अधिक हो जाना एक चिंताजनक स्थिति है, क्योंकि इतनी बडी राशि किसी कार्य में संलग्न नहीं है। यदि इस राशि की वसूली हो जाती है, तो न केवल सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की लाभदायकता में वृद्धि होगी, बल्कि लाखों लोगों को रोजगार, कारोबारियों को नीतिगत दर में कटौती का लाभ, आधारभूत संरचना का निर्माण, कृषि विकास, सुदृढ अर्थव्यवस्था और विकास में तेजी भी परिलक्षित हो सकेगी।

(6) काले धन की चुनौती – काला धन देश की अर्थव्यवस्था पर एक काला दाग है। देश में काले धन और भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिये तत्कालीन सरकारों द्वारा कई प्रयास किये गये हैं और किये भी जा रहे हैं। 27 मई 2014 को सरकार द्वारा काले धन पर विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस दल के गठन के पश्चात्

70 हजार करोड रूपये के काले धन का पता लगाया जा चुका है, जिसमें भारतीयों द्वारा विदेश में जमा किये गये 16 हजार करोड रूपये भी शामिल हैं। वर्ष 2016 में एक हजार और पांच सौ रूपये के नोटों का विमुद्रीकरण भी इसी दिशा में एक कारगार कदम है।

(7) रोजगार की चुनौतियां – भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में रोजगार सृजन की चुनौती एक बडी चुनौती है। भारत की जनसंख्या में युवाओं का प्रतिशत सर्वाधिक है। देश में प्रतिवर्ष 13 से 15 लाख युवा कार्यशील जनसंख्या में परिवर्तित हो जाते हैं, जिन्हें रोजगार के उपयुक्त अवसरों की तलाष रहती है। चूंकि देश की लगभग आधी आबादी पूर्व से ही कृषि कार्य में संलग्न है, अत: कृषि क्षेत्र में और अधिक रोजगार का सृजन कर पाना संभव नहीं है। युवा आबादी को रोजगार प्रदान करने के लिये आवश्यक है कि गैर-कृषि क्षेत्रों में रोजगार सृजन के उपायों पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया जाये। गैर-कृषि क्षेत्रों में रोजगार सृजन हेतु अनुकूल माहौल तथा समग्र दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है।

(8) श्रम सुधार की आवश्यकता – भारत में केन्द्र और राज्य दोनों ही स्तर पर श्रम कानूनों का आधिक्य है, जो औद्योगिक विकास में बाधक बना हुआ है। श्रम कानूनों की बाहुल्यता और कठोरता के कारण नवीन उद्योगों के स्थापन में भी अवरोध बना हुआ है। देश में अधिकाधिक रोजगार का सृजन करने के लिये कठोर श्रम कानूनों के आधिक्य को समाप्त करना आवश्यक है। यदि देश में श्रम सुधार पर ध्यान दिया जाये तथा छोटे व मध्यम उद्योगों को थोडी रियायत प्रदान की जाये, तो न केवल मानव संसाधन को उत्पादक सम्पत्ति बनाना संभव हो सकेगा, अपितु रोजगार सृजन के माध्यम से अर्थव्यवस्था को गति भी प्राप्त हो सकेगी।

(9) निजी निवेश को आकर्षित करने की चुनौती – निजी क्षेत्र का निवेश भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। भारत जैसे विशाल लोक कल्याणकारी देश में केवल सरकारी निवेश के माध्यम से विकास को गति दे पाना संभव नहीं है। यदि वास्तव में भारतीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ बनाना है, तो निजी निवेश को भी प्रोत्साहित करना होगा। हालांकि सरकार द्वारा इस दिशा में प्रयास किये गये हैं, किन्तु विगत वर्षों में निजी निवेश की दर में गिरावट दर्ज की गई है। इस समस्या के समाधान हेतु सरकार को प्रोत्साहन पैकेज के माध्यम से निजी निवेश को बढावा देना चाहिये तथा पूंजीगत व्यय में वृद्धि करने पर विचार करना चाहिये, जिससे रूकी हुई परियोजनाओं पर दोबारा काम शुरू किया जा सके।

(10) कच्चे तेल के बढते दामों को रोकने की चुनौती – कच्चा तेल भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास का प्रमुख कारक है। भारत ने अपने विकास की जो नींव तैयार की है, वह कच्चे तेल की उपलब्धता पर आधारित है। भारत भारी विदेशी मुद्रा खर्च करके अपनी आवश्यकताओं का लगभग 80 प्रतिशत कच्चा तेल आयात करता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल की कीमतें बढने से घरेलू बाजार में तेल की कीमतों में वृद्धि होना प्रत्याशित है। इस स्थिति में देश में खाद्य पदार्थों की कीमतों में वृद्धि तथा विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पडता है। भारत के समक्ष कच्चे तेल की कीमतों को नियंत्रित कर पाना एक बडी चुनौती है। इसके लिये ऊर्जा के वैकल्पिक स्त्रोतों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए कच्चे तेल पर निर्भरता को कम करने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष – भारत में आर्थिक विकास की दर तीव्र होने के बावजूद भी अर्थव्यवस्था के विकास के मार्ग में कई चुनौतियां विद्यमान हैं। कृषि की समस्याएं, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की निराशाजनक स्थिति, रोजगार सृजन की समस्याएं और कई आर्थिक क्षेत्रों में निराशाजनक प्रदर्शन भारत की प्रमुख समस्याएं हैं, जिनका समाधान शीघ्रता से किया जाना आवश्यक है। अर्थव्यवस्था, कृषि और रोजगार एक दूसरे से इस प्रकार संलग्न हैं कि एक में किया गया बदलाव दूसरे को प्रभावित करता है, अत: अर्थव्यवस्था के विकास के लिये सभी अंगों का संतुलित कार्य निष्पादन आवश्यक है। भारत की अर्थव्यवस्था के विकास की गति बनाये रखने के लिये कार्य निष्पादन के प्रचलित तरीकों में बदलाव के साथ ही ऐसी व्यवस्था के निर्माण पर ध्यान केन्द्रित किया जाना चाहिये, जिससे अर्थव्यवस्था के विकास को प्रभावित करने वाले सभी कारकों को एक दूसरे के प्रति उत्तरदायी बनाया जा सके।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. भारतीय अर्थव्यवस्था, मिश्र एस.के. एवं पुरी वी.के. हिमालया पब्लिशिंग हाउस, मुम्बई,
2. भारतीय अर्थव्यवस्था, दत्ता गौरव एवं महाजन अश्विन, एस. चन्द्र एण्ड कम्पनी लि. नईदिल्ली,
3. नवभारत टाइम्स, नई दिल्ली
4. हिंदुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली
5. वार्षिक प्रतिवेदन, भारतीय रिजर्व बैंक, भारत सरकार

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
October to December 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVI

वृद्धजनों की समस्या एवं परिवर्तनशील स्थिति (रीवा जिले के विशेष संदर्भ में)

डॉ. आभा गोयल* संदीपा पाण्डेय**

* प्राध्यापक (गृहविज्ञान) शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सतना (म.प्र.) भारत
** शोधार्थी (गृहविज्ञान) शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सतना (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – प्रस्तुत शोध पत्र में समाज में वृद्धों की समस्याओं की स्थिति को जानने का प्रयास किया गया है, जिसमें रीवा जिला के कुछ क्षेत्रों को चुनकर समाज में वृद्धों की समस्याओं का अवलोकन किया गया है तथा 50 वृद्ध लोगों से साक्षात्कार के माधयम से तथ्य एकत्रित किये गए हैं। भारत वर्ष में वृद्ध व्यक्तियों को आदर एवं सम्मान की दृष्टि से देखा जाता रहा है। सामान्यत: इन व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति एवं समस्याओं का समाधान भारतीय संयुक्त परिवार में होता रहा है; परन्तु औद्योगिकीकरण के परिणाम स्वरूप इस देश में संयुक्त परिवार का धीरे–धीरे विघटन हो रहा है तथा उसके स्थान पर एकल परिवार का वर्चस्व बढ़ रहा है। इसके साथ–साथ व्यक्तिवादी, भौतिकवादी एवं सुखवादी मूल्यों के बढ़ने के कारण वृद्धो की उपेक्षा की जाने लगी इसके अतिरिक्त कुछ वृद्ध निराश्रितता की समस्या से भी ग्रस्त होते जा रहें है। जिनमें आर्थिक समस्याओं स्वास्थ्य एवं चिकित्सकीय समस्याओं परिवारिक एवं भावनात्मक समस्याओं अवासीय समस्याओं इत्यादि का उल्लेख किया जा सकता है। सर्वेक्षण में शोधार्थी द्वारा उत्तरदाताओं से प्रश्न पूँछा गया जिसमें वृद्धों की समस्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त की गई है। प्राप्त तथ्यों को वर्गीकृत व विश्लेषित कर निष्कर्ष प्रस्तुत किये गए है।

शब्द कुंजी – वृद्ध, परिवर्तनशील स्थिति, स्वास्थ्य परीक्षण।

अवधरणात्मक विवेचन – वृद्धों की समस्या को समझने के लिए समसामयिक समाज में परिवार की भूमिका को समझना आवश्यक है। आज वृद्धों के प्रति वह नजरिया नहीं है जो पहले था विविधा प्रकार के अध्ययनों से स्पष्ट होता है कि वृद्धों की देखरेख के लिए परिवार से बढ़कर कोई दूसरा संगठन नही है, परन्तु परिवर्तित परिस्थितियों में विविध प्रकार के सामाजिक, सांस्कृतिक एवं मनोवैज्ञानिक, वैज्ञानिक कारकों के परिणाम स्वरूप आज परिवार अपनी वह भूमिका प्रतिपादित नहीं कर पा रहा है, जिसकी अपेक्षा है। जहाँ तक वृद्धों के देखरेख का प्रश्न है, परिवार में वृद्धों का स्थान केन्द्रिय है इसके अन्तर्गत वृद्धों को सुचारू रूप से देखरेख करने के लिए बल दिया जाता है। परिवार के अन्तर्गत ही युवा वर्ग को वृद्धजनों की देखरेख का महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व सौंपा जाता है। परंतु विभिन्न प्रकार के प्रभाव के परिणामस्वरूप आज परिवारों से उनके अपेक्षित भूमिका की विशेष आशा नहीं रखी जा सकती है। इस प्रकार यदि परिवार का युवा वर्ग वृद्धों के खान–पान, मनोरंजन, अध्यात्मिकता के आधार पर बढ़ता रूझान आदि के बारे में सक्रिय नहीं रहता, ऐसी स्थिति में हम वृद्धों के मगंलमय दीर्घ जीवन की बहुत अधिक अपेक्षा नहीं कर सकते। बुजुर्ग हमारे समाज के दर्पण होते है जो हमारे समाज का मजबूत आधार होते है जो समाज की परम्पराओं के सम्वाहक होते है जिनसे आने वाली पीढ़ियॉ इनके अनुभवो को बॉटती है किंतु आज इनकी अनेक प्रकार की समस्याओं से सम्बन्धित स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संबंधी कार्यक्रमों की शुरूआत की गयी।

विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट(1) में भारत में वृद्धा की अनेक समस्याओं पर अनेक तथ्य दिए गए है। इसमें सर्वाधिक चिंतनीय महा दुर्व्यवहार का है **एल्डर एब्यूज इन इंडिया, अब्लीयुएचओं कंट्री रिपोर्ट 2002**(2) में भारत में वृद्धों की स्थिति पर चर्चा करते हुए कहा गया है कि अपमान, उपेक्षा, दुर्व्यहार, प्रताड़ना एवं अकेलेपन के कारण भारत के अधिकांश बुजुर्ग वृद्धावस्था को एक बीमारी मानने लगे हैं।

विश्व स्तर पर वृद्धों की बढ़ती समस्या को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ ने सन् 1999 को वृद्धों के सम्मान में अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध वर्ष घोषित किया। हमारे देश ने भी सन् 2000 को राष्ट्रीय वृद्ध वर्ष के रूप में घोषित किया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रतिवर्ष अक्टूबर को अंतराष्ट्रीय वृद्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 में कहा गया है कि राज्य वृद्धावस्थ जैसी निर्योग्यता की दशाओं में वृद्धजनों को लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त कराने का प्रभावी उपाय करेगा। वृद्धजनों के कल्याण के लिए भारत सरकार का स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याणं मंत्रालय नीतियॉ एवं योजनाऍ तैयार करता है। इसी मंत्रालय के प्रयास से जनवरी 1991 के केन्द्र सरकार द्वारा वृद्धजनों के लिए राष्ट्रीय नीति की घोषणा की गयी। इस नीति में सरकारी संस्थाओं तथा गैर–सरकारी अभिकरणों के मध्य सहभगिता का ढांचा उपलब्ध कराया गया है। इस नीति के तहत सरकारी हस्तक्षेप के अनेक विषयों की पहचान की गयी है। इसमें प्रमुख हैं– वित्तीय सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं पौष्टिक आहार, आवास की उपलब्धता, सामाजिक सुरक्षा, वृद्ध कल्याण में जनसंचार माध्यमों की भूमिका, गैर सरकारी संगठनों, ग्राम पंचायतों तथा स्थानीय स्तर की अन्य संस्थाओं की भूमिका इत्यादि।

स्वास्थ्य संबंधी अनेकों कार्यक्रमों की बदौलत वृद्धजनों में रहन–सहन उनके स्वास्थ्य एवं उनकी औसत आयु में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, किन्तु इतना ही काफी नहीं है। वृद्धों की बढ़ती संख्या, बदलती हुई परिवारिक

संरचना वृद्धजनों के जीवन को नई कठिनाइयों से युक्त करता जा रहा है। ऐसी स्थिति में सरकारी प्रयासों पर प्रश्नचिन्ह लग रहा है। केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा इस दिशा में नए प्रयास करने की दरकार है। हालांकि यह भी सच है कि कोई भी सरकारी प्रयास तभी सार्थक होता है जब उसमें जनसाधारण की पर्याप्त भागीदारी होती है। वृद्धजनों की संख्या तो वास्तव में एक पारिवारिक समस्या है। घरेलू स्तर पर यदि इस समस्या के निवारण की पहल की जाय तो सरकारी प्रयास और भी अधिक प्रभावकारी भूमिका निभा सकेंगे।

अध्ययन से संबंधित शोध कार्य:

1. बंदनारानी द्वारा 1988(1) में वृद्धजन संस्थाएं तथा प्रथ्याक्षाएं: समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में जनपद विजनौर का अध्ययन विभिन्न प्रकार के मानसिक रोगों से पीड़ित वृद्धजनों की स्थिति से सम्बंधित है। उन्होंने अपने अध्ययन में पाया कि मात्र 22.29 प्रतिशत वृद्धो की सामाजिक सांस्कृतिक संगठनो में सहभागिता है।
2. सुमनरानी सिन्हा ने 2007(2) में वृद्धजनों का समाजशास्त्रीय अध्ययन इलाहाबाद के सेवानिवृत्त की समस्याओं पर अपना शोध कार्य किया था। उनके अनुसार 18.34 प्रतिशत वृद्ध नींद कम आने के शिकार है तथा 16.66 प्रतिशत वृद्धजनों की स्मरण शक्ति कमजोर हो।
3. डॉ. अंजु शुक्ला का शोध कार्य वृद्धों की समस्याएं एक समाजशास्त्रीय अध्ययन विलासपुर नगर के विशेष संदर्भ में है।(3) जिसमें उन्होने पाया कि परिवार के सदस्यों द्वारा सम्मान में कमी तथा उपेक्षापूर्ण रवैया आदि उनकी प्रमुख समस्याएँ थी।
4. सर इरूदया राजन मार्च 2010(4) 'मोग्राफिग एजिंग एन्ड एम्प्लायमेन्ट इन इन्डिया' इन्होने ने अपने अध्ययन में पाया कि भारत के वृद्धों की जनसंख्या विश्व में दूसरे स्थान पर है। औसतन यह कहा जा सकता है कि 18 से 20 वर्ष में अधिकांश लोग 60 वर्ष से ऊपर के होंगें। जो कि 2051 में 298 लाख और 2101 में 500 सौ 5 लाख हो जाएगी। 2051 तक 20 प्रतिशत लोग वृद्ध होगें। इनमें से 75 प्रतिशत ग्रामीण लोग होगे। 2001 की रिपोर्ट के अनुसार 30.1 प्रतिशत वृद्ध बिना साथी के जी रहे हैं जिनमें 15 प्रतिशत वृद्ध विधुर पुरूष हैं तथा 50.1 प्रतिशत विधवा है।
5. प्रो. महेश शुक्ला (समाजशास्त्र किया) 'ग्रामीण वृद्धों की चुनौतियाँ' भारतीय समाज विज्ञान परिषद-ग्रामीण वृद्धों की समस्या से बढ़ रही है।(5) उपेक्षा तिरस्कार के सामाजिक के साथ आर्थिक और मनोवैज्ञानिक समस्यायें उन्हें बेचैन किये हुए है। शासन की बहुत सारी योजनाये है लेकिन अज्ञानता और असहायता के कारण से उनका लाभ नहीं पर रहे है।

शोध के उद्देश्य – शोध के पीछे कोई न कोई उद्देश्य अवश्य होता है, क्योंकि उद्देश्य के बिना शोध दिशाहीन होता है। शोध के निम्नलिखित उद्देश्य है :

1. वृद्ध लोगों की पारिवारिक एवं आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करना।
2. परिवार के सदस्यों और अन्य रिश्तेदारों द्वारा की जाने वाली देखभाल के संबंध में वृद्धों के विचारों को जानना।
3. वृद्ध लोगों की विभिन्न समस्याओं के कारणों के बारे में जानकारी प्राप्त करना।
4. वृद्ध लोगों की जीवन के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण के बारे में जानकारी प्राप्त करना।
5. वृद्ध लोगों की बीमारियों एवं उनके उपचार के बारे में जानकारी प्राप्त करना।
6. समाज में वृद्धों के देखभाल के प्रति लोगों में जागरूकता लाना।

उपकल्पना – शोधार्थी द्वारा बनाई गई उपकल्पना इस प्रकार है :

1. वृद्ध लोगों को पारिवारिक एवं आर्थिक समस्याओं का सामना करने में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया गया।
2. परिवार के सदस्यों और अन्य रिश्तेदारों द्वारा की जाने वाली देखभाल के संबंध में वृद्धों के विचारों में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया गया।
3. वृद्ध लोगों की विभिन्न समस्याओं के कारणों के बारे में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया गया।
4. वृद्ध लोगों की जीवन के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण के बारे में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया गया।

अध्ययन पद्धति एवं उपकरण – प्रस्तुत अध्ययन प्राथमिक एवं द्वितीयक समंको पर आधारित है। प्राथमिक समंकों के संकलन के लिए समय में से सविचार निदर्शन विधि द्वारा रीवा जिले के नगर पंचायत मऊगंज के वृद्धों की स्थिति के बारे में 'ग्रामीण समाज में वृद्धों की समस्याओं' के अन्तर्गत जानकारी प्राप्त करने के लिए 50 सूचनादाताओं से साक्षात्कार अनुसूची, अवलोकन, आदि पद्धतियों का प्रयोग किया गया तथा सूचनाएं संकलित की गई, संकलित सूचनाओं का वर्गीकरण एवं विश्लेषण कर वैज्ञानिक निष्कर्ष निकाला गया प्रस्तुत शोध में आवश्यकतानुसार इंटरनेट का भी सहारा लिया गया है।

समाचार पत्र-पत्रिकाओं, लेखों, सरकारी रिकार्डो, तथा जनगणना आदि विभाग द्वारा भी द्वितीयक सामग्री संकलित की गई।

शोध क्षेत्र का संक्षिप्त विवरण – प्रस्तुत शोध में 'वृद्धजनों की समस्या एवं परिवर्तनशील स्थिति' के बारे में अध्ययन किया गया है। जिला रीवा के जवा तहसील के संदर्भ में अध्ययन किया जो रीवा से 70 किलोमीटर दूर स्थित है जो एक नगर पंचायत है। जिसकी कुल जनसंख्या 26420 है, जिसमें से पुरुष 13589 एवं महिलाएँ 12831 है एवं 1000 पुरुषों के अनुपात में 940 महिलाएँ है। जवा नगर पंचायत जिला रीवा के 50 वृद्धजनों का चयन उद्देश्यपूर्ण दैव निदर्शन पद्धति के द्वारा किया गया है।

तथ्यों का विश्लेषण– प्रस्तुत अध्ययन में तथ्यों के संकलन के पश्चात् प्राप्त तथ्यों को समानता एवं भिन्नता के आधार पर वर्गाकृत, सारणीयन कर कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्षों का विश्लेषण किया गया है। वृद्धजनों में महिला एवं पुरूष दोनो ही पाये जाते है।

सारणी क्र. 01 – सूचनादाताओं की लैंगित स्थिति को प्रदर्शित किया गया।

क्र.	लैंगिक स्थिति	संख्या	प्रतिशत
1	पुरूष	20	40%
2	महिला	30	60%
	योग	50	100%

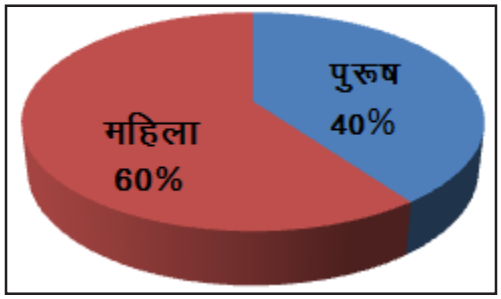

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र में 60 प्रतिशत वृद्ध महिलाएँ है और 40 प्रतिशत वृद्ध पुरूष है।

सारणी क्र. – 02

क्र.	परिवार के वातावरण की स्थिति	संख्या	प्रतिशत
1	शांतिपूर्ण	10	20%
2	कलहपूर्ण	40	80%
	कुल	50	100%

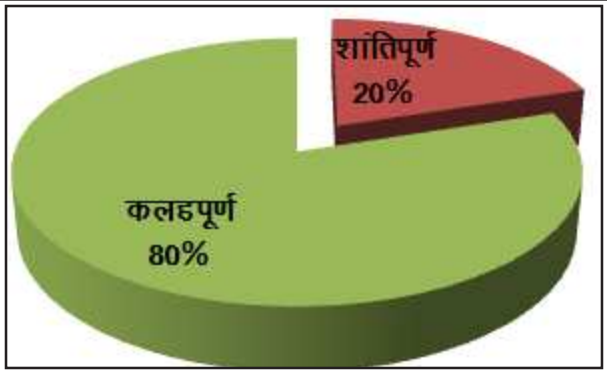

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र में परिवार के वातावरण के स्थिति में शांतिपूर्ण 20 प्रतिशत है एवं कलहपूर्ण 80 प्रतिशत परिवार है।

सारणी क्र. –03

क्र.	आर्थिक स्थिति	संख्या	प्रतिशत
1	बहुत अच्छी	2	4%
2	अच्छी	6	12%
3	सामान्य	20	40%
4	निम्न	22	44%
	योग	50	100%

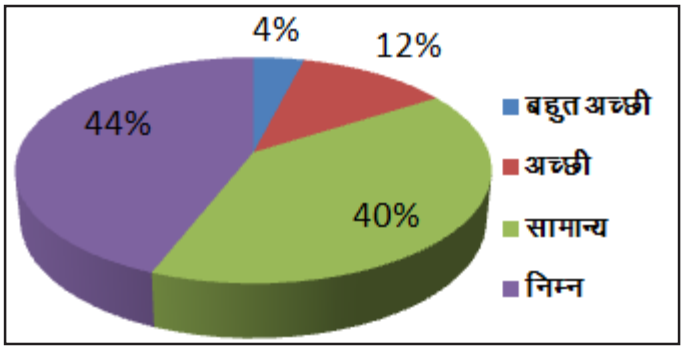

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र में आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी 4 प्रतिशत, अच्छी 12 प्रतिशत, सामान्य 40 प्रतिशत, निम्न 44 प्रतिशत वृद्धो की स्थिति पायी गयी है।

सारणी क्र.04 : वृद्ध की आयु वर्ग की स्थिति

क्र.	आयु वर्ग	संख्या	प्रतिशत
1	60–70	25	50%
2	70–80	15	30%
3	80 से अधिक	10	20%
	योग	50	100%

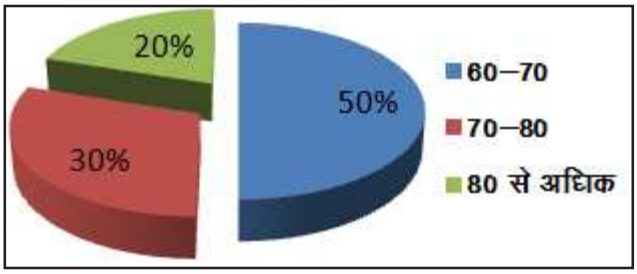

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र में वृद्धों की आयु वर्ग की स्थिति से यह पता चलता है कि 60–70 वर्ष में 50 प्रतिशत, 70–80 में 30 प्रतिशत एवं 80 वर्ष से अधिक वृद्धों की 20 प्रतिशत है।

सारणी क्र.05 : परिवारिक स्थिति

क्र.	परिवार का प्रकार	संख्या	प्रतिशत
1.	संयुक्त परिवार	12	24%
2.	एकाकी परिवार	38	76%
	योग	50	100%

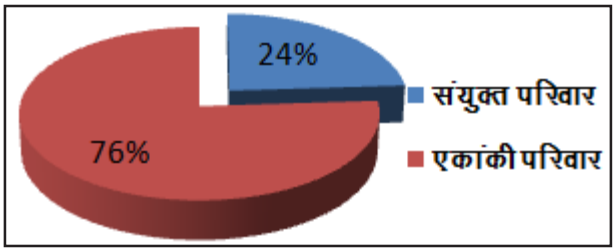

उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट हो रहा है। कि संयुक्त परिवार 24% एवं एकांकी परिवार 76% पाया गया जिससे सिद्ध होता है कि संयुक्त परिवार का महत्व कम होता जा रहा है तथा एकांकी परिवार का औसत बढ़ता जा रहा है। तथा आज लोग एकांकी जीवन जीना पसंद करने लगे है।

अस्वस्थता के कारणों का विवरण–

क्र.	बीमारी का कारण	संख्या	प्रतिशत
1	मांनसिक दबाव	10	20
2	अधिक शारीरिक श्रम	10	20
3	उचित तथा भरपेट आहार का अभाव	12	24
4	परिजनों द्वारा उपेक्षा व देखभाल न होना	18	36
	योग	50	100%

परिवार में सामंजस्य न होने पर मानसिक दबाव को अपनी बीमारी का कारण बताया। आज पश्चिमीकरण, आधुनिकीकरण, औद्योगीकरण एवं नगरीकरण जैसी बहुआयमी प्रक्रियाओं ने संयुक्त परिवार की संरचना को छिन्न–भिन्न कर दिया है। फलस्वरूप परिवार तथा समाज के ढांचे मे वृद्धजन अवांछनीय हो गए है। वृद्धजनों का परिजनों द्वारा डांटना, धमकाना, गालियॉ देना, निंदा करना, उपहास करना, अपमान करना तथा मानसिक

पीड़ा देना आदि असम्मानजनक स्थितियों के आदि कारण है। हम जानते है कि भारत में रहन-सहन, खाने-पीने की स्थिति का स्तर बहुत अच्छा नहीं है। इसके परिणास्वरूप वृद्धाअवस्था में अधिकांश वृद्धों का स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं रहता है।

वृद्धावस्था की एक प्रमुख समस्या स्वास्थ्य संबंधी है हम जानते है कि भारत में रहन-सहन, खाने-पीने की स्थिति का स्तर बहुत अच्छा नहीं है। इसके परिणास्वरूप वृद्धाअवस्था में अधिकांश वृद्धों का स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं रहता है।

निष्कर्ष- वृद्धजनों का परिवार में अभियोजन स्वयं में एक जटिल समस्या है जिसे संकलित तथ्यों के आधार पर विश्लेषित करने का प्रयास किया गया है। संकलित तथ्यों के विश्लेषण से यह भी स्पष्ट होता है कि परिवार के अन्तर्गत वृद्धजन अभियोजित न होने की स्थिति में विविधा प्रकार के तनाव की स्थितियों का सृजन करते हैं जिससे वे स्वयं तो प्रभावित होते हैं, परिवार के सदस्य भी उससे प्रभावित होकर उसी के अनुरूप व्यवहार करते हैं। परिवार के सदस्यों के व्यवहार एवं विचार के मूल्यांकन के संदर्भ में तथ्यों के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि परिवार के सदस्य वृद्धों के साथ अद्दछा व्यवहार नहीं करते हैं और यदि करते भी हैं तो उसमें उनकी स्वार्थपूर्ण बेवसी होती है। यह सार्वभौमिक सत्य कि वृद्धजनों की देख-रेख करने वालों के संदर्भ में पुत्र एवं पुत्री की भूमिका महत्वपूर्ण है। परिवार के सदस्यों के बीच तनाव एवं झगड़ा स्वार्थयुक्त आवश्यकताओं के कारण होता है। समुदाय और परिवार कल्याण सेवाएँ स्वयंसेवी संगठनों की सहायता से वृद्ध लोगों के किसी आय का साधान एवं राज्य सरकारों द्वारा दी गई वृद्धावस्था पेंशन की सहायता निरंतर दी जाती रहनी चाहिए।

आज भारत में जहां वृद्धो की संख्या तेजी से बढ़ रही हैं वही दूसरी ओर औद्योगीकरण, नगरीकरण, आधुनिकीकरण एवं पश्चिमीकरण ने, बच्चो में माँ-बाप से जोड़े रखने वाले पुराने संस्कारो व रीतियों की बजाय आज का समाज अपना देखो, खाओ पियो की शैली अपना रहा है जो वृद्धों को दिन प्रतिदिन उपेक्षा का शिकार होने के लिए धकेल रहा है। लोगों में आज संस्कारों व स्थितियों में बदलाव तेजी के साथ हो रहा है। आज वृद्धों के सामने पारिवारिक, आर्थिक एवं मनोवैज्ञानिक समस्याएँ दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जो वृद्धों के लिये असाध्य बीमारियों का कारण बनती जा रही है, जिससे वे जीवित रहने की इच्छा नहीं रख पा रहे है। इसलिए आज अनेक देशो में 'मृत्यु का अधिकार' की मांग की जाने लगी है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण पारिवारिक उपेक्षा एवं प्राताड़ना उनकी सबसे बड़ी समस्या है।

सुझाव :

1. समस्त वृद्धों को शासन द्वारा वृद्धापेश ान दिलाने का प्रयास किया जाए।
2. वृद्धो के एकाकीपन दूर करने के लिए उनको मनोरंजन की व्यवस्था की जाए।
3. चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिये शासन द्वारा स्थानीय क्षेत्र में प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना एवं चिकित्सकों की अनिवार्यत: की जाए।
4. वृद्धो के स्वास्थ्य सम्बन्धी एवं व्यक्तिगत समस्याओं को जानने के लिए महीने में शिविरों का आयोजन किया किया जाना चाहिए।
5. ठण्ड के दिनों में लिए वृद्धो के लिए गरम कपड़ो एवं अलाव की व्यवस्था की जाए।
6. वृद्धों के साथ परिवार में अद्दछा व्यवहार किया जाना चाहिए।
7. सरकारी योजनाओं का लाभ यथा समय दिया जाना चाहिये।
8. वृद्धों को चलित स्वास्थ्य केन्दों द्वारा नि:शुल्क उपचार की सुविधाा दी जानी चाहिए।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. बंदनारानी द्वारा 1988 में बृहजन संस्थाएं तथा प्रथ्याक्षाएं: समाजशास्त्रीय परिप्रेरय में जनपद विजनौर
2. सुमनरानी सिन्हा ने 2007 में वृद्धजनों का समाजशास्त्रीय अध्ययन इलाहाबाद के सेवानिवृत्त की समस्याओं पर
3. डॉ. अंजु शुक्ला का शोध कार्य वृद्धाओं की समस्याएं एक समाजशास्त्रीय अध्ययन विलासपुर नगर
4. सर इरूदया राजन मार्च 2010 'मोग्राफिग एजिंग एन्ड एम्प्लायमेन्ट इन इन्डिया'
5. प्रो. महेश शुक्ल वैज्ञानिक अंक 22 गौरव प्रकाशन 'ग्रामीण वृद्धों की चुनौतियाँ' भारतीय समाज विज्ञान परिषद
6. डॉ. मुकर्जी आर.के.(1995) सामाजिक सर्वेक्षण एवं शोध प्रकाशन: धीरज बुक्स 355, गॉधी मार्ग मेरठ, पृ. 101
7. मित्र, प्रताप नारायण : वृद्ध निबंध संकलित पाठ्य पुस्तक, साहित्य भारती, भाग-2
8. श्रीवास्तव, कृष्ण मोहन : पौराणिक मिथको में वृद्ध (आलेख) वैदिक नवस्वदेश अवकाश अंक 10 दिसम्बर 2005
9. सिद्दीकी सिराजुद्दीन : आपकी सेवा निवृत्ति उपलब्धि, प्रकाशन भारत पेंशनल समाज रीवा 1980
10. त्रिपाठी, विधि : सार्थक एवं आनन्दमय वृद्धावस्था के रहस्य भारतीय परिदृश्य में एक अध्ययन, कौटिल्य वर्ष 2 अंक षष्ठम्
11. चौरासिया, अनीता : ग्रामीण वृद्धों की समस्यायें, चोरगड़ी जिला रीवा विशेष सन्दर्भ में विन्ध्ययन रिचर्स जर्नल 2015.
12. डॉ. मदन जी.आर. (1970) समाज कार्य प्रकाशक, विवेक प्रकाशक जवाहर नगर, दिल्ली, पृ. 45
13. डॉ. बघेल डी.एस.(1997) सामाजिक अनुसंधान, गायत्री पब्लिककेशन पू.15
14. डॉ. मुकर्जी आर. के. (1995) सामाजिक सर्वेक्षण एवं शोधा प्रकाशक: धीरज धुक्स 355, गाँधी मार्ग मेरठ, पृ. 101
15. डॉ. अखिलेश एस. परिवार कल्याण गायत्री पब्लिकेशन रीवा (म.प्र.), पृ.19 16.स्मारिका प्रान्तीय सम्मेलन : भारत पेंशनर समाज रीवा 1990-91
17. शर्मा के.एल. (1991) "A study of students stereo types towards aging" Indian Journal of Gerantology, 1 (1 d 2) पृ. 20-27।

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
October to December 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVI

नई शिक्षा नीति के सन्दर्भ में विद्यार्थियों की जागरूकता : एक अध्ययन

डॉ. नीलम सिंह* डॉ. रंजू गुप्ता**

* प्राध्यापक, नेहरू शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, आगर – मालवा (म.प्र.) भारत
** प्राध्यापक, नेहरू शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, आगर – मालवा (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – भारत में शिक्षा का इतिहास काफी प्राचीन है, जो हमे यह बताता है कि शिक्षा से व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता हैं, शिक्षा से मानवीय गरिमा, स्वाभिमान, व्यवहार, भावनात्मक बदलाव आते है, शिक्षा मानव जीवन को सार्थक बनाती है, मानव जीवन पर्यन्त सीखता रहता है, ये शिक्षा से ही संभव है।

प्राचीन काल में शिक्षा गुरूओं के द्वारा बच्चौ को प्रदान की जाती थी जिससे बच्चे गुरूकुल मे जाकर शिक्षा अर्जित करते थे और अपने जीवन को सार्थक बनाते थे।

भारत में पहली शिक्षा नीति 1968 में इंदिरा गाँधी जी के समय में आई, दूसरी 1986 में राजीव गाँधी जी के समय में इस शिक्षा नीति 1986 को 1992 में संशोधित किया गया इसके बाद राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति 2020 लायी गई हैं जो कि मोदी जी के समय में संभव हुआ, यह 34 वर्ष बाद आयी है।

शिक्षा प्रणाली को रोजगार परक, बहुउद्देशीय बनाया गया है। विद्यार्थियो के उज्जवल भविष्य के लिए इसके अंतर्गत रोजगार मूलक महत्वपूर्ण विषयो को शामिल किया गया है जो विद्यार्थियो को आगे रोजगार प्राप्त करा सके, नई शिक्षा नीति में समानता, गुणवत्ता, वहनीय शिक्षा, उत्तारदायित्व जैसे मुद्दो पर विशेष ध्यान दिया गया है।

भारत में बदलती हुई शिक्षा प्रणाली को ध्यान में रखकर राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति 2020 विद्यार्थियो के लिए कितनी उपयोगी है, क्योकि भारत में शिक्षा प्रणाली में कितनी उपयोगी है। क्योकि भारत में शिक्षा प्रणाली में कई बार सुधार किए गए है।

शिक्षा का महत्व – जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए शिक्षा सभी के लिए महत्वपूर्ण साधन हे यह हमें जीवन के कठिन कार्य करते समय चुनौतियो से सामना करने में सहायता करती है, शिक्षा स्त्री और पुरूष के लिए समान रूप से आवश्यक हैं। क्योकि स्वास्थ्य शिक्षित समाज का निमार्ण पुरूष और महिला मिलकर ही कर सकते है।

शिक्षा मनुष्य के भीतर अच्छे विचारो का निमार्ण करती है, मनुष्य के जीवन का मार्ग प्रशस्त करती है। स्वस्थ्य समाज के निमार्ण में सुरक्षित नागरिक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। महात्मा गाँधी के अनुरूप शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक और मनुष्य के शरीर मन तथा आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास से है।

शिक्षा ज्ञान प्रद है जो इंसान को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है, शिक्षा का महत्व युगो–युगो से चला आ रहा है पहले लोग महान पुरूष के पास जाकर शिक्षाप्रद गुण अर्जित करते थे। गुरूओ के आश्रम में रहकर हर प्रकार की शिक्षा लेते थे फिर गुरूकुल भी बने, जहाँ वेद, पुराण का ज्ञान दिया जाता था।

शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति अपनी क्षमता का आँकलन कर सकता है जो बदले मे एक मजबूत, एक जुट समाज को बनाने में बढ़ावा देती है। परिवार समुदाय और राज्य को बड़े स्तर पर ले जाने के लिए मानव समाज के हर स्तर पर शिक्षा महत्वपूर्ण है। मानव के मस्तिष्क को बड़े स्तर पर विकसित करने का कार्य शिक्षा ही करती है। व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु होने तक जीवन पर्यन्त सीखता रहता है। सीखने–सिखाने की क्रिया शिक्षा के द्वारा ही संभव है। व्यक्ति की जन्मजात शक्तियो को विकसित करना, अच्छी आदत को विकसित करना शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति के ज्ञान, कौशल, विवेक को विस्तृत किया जा सकता है, जिससे व्यक्ति को समाज में सभ्य, सुसंस्कृत, योग्य बनाया सके। शिक्षा के द्वारा ही किसी व्यक्ति की आंतरिक क्षमताओ और व्यक्तित्व का विकास करने की एक प्रक्रिया है जो व्यक्ति को एक जिम्मेदार नागरिक बनाती है जो व्यक्ति को जीवन का सही अर्थ समझाया जा सकता है। शिक्षा से ही उचित, अनुचित बताया जा सकता है।

शिक्षा व्यक्तित्व निमार्ण की आधार शिला है। शिक्षा का जीवन में गहरा संबंध है जीवन का आधार शिक्षा ही है किसी भी राष्ट्र के विकास का महत्वपूर्ण आधार शिला शिक्षा पर ही आधारित होता है। उस राष्ट्र की शिक्षा पद्धति शिक्षा प्रणाली किस प्रकार की है। शैक्षिक पर्यावरण तथा नैतिक मूल्यों का विशेष महत्व है। यदि शिक्षा को रोजगार के अवसरो से जोड़कर देखा जाए तो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के उपरान्त रोजगार के अवसर प्राप्त करने हेतु शिक्षा प्रणाली को रोजगारान्मुखी बनाया जा रहा है।

राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति 2020 में विद्यार्थियो के भविष्य को रोजगार परक महत्वपूर्ण विषयो से संबंधित जानकारी को शामिल किया गया है, जिससे ग्रेजुएशन के उपरान्त विद्यार्थी को रोजगार प्राप्त हो सके उसे ध्यान में रखकर शिक्षा के महत्व को बढ़ाने का प्रयास भी किया जा रहा है, जैसे – चिकित्सा के क्षेत्र में स्वयं का रोजगार स्थापित कर सके, आहार–पोषण, जैविक खेती व्यक्ति का विकास, बिक्री कौशल, कारपेन्टर वर्क, कम्प्युटर के विषयो को सम्मिलित किया गया है, रोजगार के क्षेत्र में अधिक सफल हो ऐसे विषय को महत्व दिया गया है।

नई शिक्षा नीति के उद्देश्य – इसका उद्देश्य बालको में व्यावसायिक कुशलता की उन्नति करना इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण की आवश्यकता है। अत: बालको के मन में श्रम के प्रति आदर,

रूचि उत्पन्न करना, हस्तकला के कार्य पर बल देना परम आवश्यक है। पाठ्यक्रम में विविध व्यवसायो को भी उचित स्थान मिलना चाहिए जो विद्यार्थी अपनी रूचि के अनुसार उस व्यावसायिक विषय को चुन सके जिससे शिक्षा पूर्व करने के पश्चात् रोजगार प्राप्त कर सके या स्वयं का व्यवसाय करने में सक्षम हो सके वही दूसरी ओर औद्योगिक प्रगति के कारण देश की आर्थिक दशा में भी सुधार हो सकेगा। आत्म संतुष्टि तथा राष्ट्रीय समृद्धि कार्य कुशलता द्वारा संभव है।

व्यक्तित्व का विकास नेतृत्व के लिए शिक्षा विद्यार्थी में वैज्ञानिक मनोवृत्ति के साथ-साथ चारित्रिक और आध्यात्मिक मूल्यो का विकास करना, विद्यार्थी में कामनिष्ठा, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय के प्रति वचनबद्धता देश कर सकता एवं अखण्डता तथा अन्तर्राष्ट्रीय समाज को बढावा देना शिक्षा के माध्यम से ही सफल बनाया जा सकता है।

राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति 2020 भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को घोषित किया गया। जिसके तहत नई शिक्षा नीति 2020 के तहत वर्ष 2030 तक सकल नामांकन अनुपात को 100 प्रतिशत लाने का उद्देश्य रखा गया है।

2020 की राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य समग्र शिक्षा प्रणाली को सुधारना, समान पाठ्यक्रम, समान अवसर, भाषाओं का विकास 2019 के मसौदे त्रिभाषा फॉर्मूला को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति 2020 में 6 प्रतिशत G.D.P में खर्च किया जाएगा। इसमें पुरानी शिक्षा नीति 1986 के कमियो को ध्यान में रखकर नई शिक्षा नीति 2020 को बनाया गया है जिससे अधिक से अधिक विद्यार्थियो के भविष्य को रोजगार परक बनाया जा सके।

राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति 2020 को कृष्णा कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में गठन किया है।

शोध प्रविधि – 2020 की राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति के विषय में जानकारी हेतु एक अध्ययन किया, शासकीय नेहरू पी.जी. महाविद्यालय आगर में 2021-22 प्रथम वर्ष में प्रवेश लिए विद्यार्थियो सभी संकल्प के B.A. - 23, B.Sc. - 29, B.Com. - 15 विद्यार्थियो को शासित किया जिसमे अध्ययन के लिए प्रश्नावली के माध्यम से प्रयास किया गया है जिसमें कुल 67 विद्यार्थियो से प्रश्नावली को भरवाया गया।

विद्यार्थियो द्वारा भरवाई गई प्रश्नावली का परिणाम तालिका - 1 में दर्शाया गया। जानने का प्रयास किया गया कि विद्यार्थियो की नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में कितनी जानकारी है।

क्र.	प्रश्न	सही	प्रतिशत	गलत	प्रतिशत
1	भारत ने पहली शिक्षा नीति किस सन् में लागू हुई	32	47	35	52
2	राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य है	64	95	3	5
3	राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने कौन-सा रिसर्च कोर्स समाप्त किया	49	73	18	26
4	भारत में नई शिक्षा नीति की घोषणा कितने वर्षो बाद की गई	52	77	15	22
5	नई शिक्षा नीति के अनुसार स्नातक कितने वर्ष कर दिया	48	71	19	28
6	नई शिक्षा नीति में स्नातकोत्तर कितने वर्ष का है	11	16	56	83
7	भारत में नई शिक्षा नीति कब तक लागू होगी	8	11	59	88
8	नई शिक्षा नीति 2020 को किस बिल के तहत जारी किया गया	21	31	46	68
9	नई शिक्षा नीति 2020 के मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे	57	85	10	14
10	राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति 2020 को कैबिनेट से मंजूरी कब मिली	59	88	8	11
11	राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति किस शिक्षा नीति की जगह लाई गई है	65	97	2	3

परिणाम – राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति 2020 में प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के द्वारा दी गयी जानकारी नई शिक्षा नीति के विषय में पर्याप्त नही है। क्योकि छात्राओं के द्वारा प्रश्नावली के अध्ययन के अनुसार कुछ प्रश्न भारत में पहली शिक्षा नीति के बारे में छात्राओ को ज्ञान कम है। 47 प्रतिशत सही 52 प्रतिशत गलत बनाए है जिससे दूसरा नई शिक्षा नीति लागू करने वाला राज्य के विषय में 95 प्रतिशत सही और 4 प्रतिशत गलत है, विद्यार्थियों को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जानकारी कम है। शिक्षा नीति 2020 में स्नातक कितने वर्ष या स्नातकोत्तर कितने वर्ष का है। इस विषय में छात्र भ्रमित है और उनको जानकारी अधूरी है। 2020 नई शिक्षा नीति को मंजूरी मिली 88 प्रतिशत सही 11 प्रतिशत गलत नई शिक्षा नीति के अध्यक्ष के बारे में भी 85 प्रतिशत सही 14 प्रतिशत गलत बनाइए है। स्नातक के विषय में 71 प्रतिशत सही सही 28 प्रतिशत गलत स्नातकोत्तर के विषय में 16 प्रतिशत सही 83 प्रतिशत गलत परिणाम है। नई शिक्षा नीति किस नीति पर लायी गई इसका 97 प्रतिशत सही 3 प्रतिशत गलत इसके परिणाम के अनुसार विद्यार्थियों को और अधिक जानकारी की आवश्यकता है। विद्यार्थियों का 2020 की नई शिक्षा नीति की ओर रूझान बढा है।

निष्कर्ष – प्राप्त परिणाम के आधार पर राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा प्रणाली एक पद्धति के रूप में लायी गयी है जो विद्यार्थियों के लिए बहुउद्देशीय है। परिणाम के आधार पर :

1. राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति 2020 की जानकारी विद्यार्थियो को दी जाए।
2. राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति 2020 में शामिल प्रोजेक्ट के विषय में विद्यार्थियो को बताया जाए क्योकि जानकारी न होने की वजह से विद्यार्थी भ्रमित है।
3. राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति 2020 में मेजर, माइनर, ओपन, इलेक्टिव, व्यवसायिक विषय के बारे में जानकारी प्रदान की जाए।
4. विद्यार्थियो को स्नातकोत्तर में किस विषय का चुनाव करे मेजर, माइनर में से इसकी भी जानकारी दी जाए।
5. राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति 2020 में स्नातक, स्नातकोत्तर कितने वर्ष का है। इसमें विद्यार्थी भ्रमित है। इसकी भी जानकारी दी जाए।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. व्यक्तिगत शोध के आधार पर।

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
October to December 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVI

ग्रामीण विकास में दुग्ध सहकारी संस्थाओं का योगदान

डॉ. गौरव विद्यार्थी *

* विभागाध्यक्ष (वाणिज्य) फ्यूचर विजन कॉलेज, उज्जैन (म.प्र.) भारत

उज्जैन जिले का परिचय – प्राचीन अवन्ती जनपद की राजधानी ''उज्जयिनी'' तथा उज्जैन मध्यप्रदेश के दक्षिण क्षेत्र में मालवा के पठार पर पवित्र क्षिप्रा नदी के पूर्वी किनारे पर बसा हुआ है।

उज्जैन जिले में 6 विकासखण्ड व 7 तहसीलें है जिले के तहसीलों के नाम इस प्रकार है–बड़नगर, खाचरौद, नागदा, महिदपुर, तराना, उज्जैन, घट्टिया, उज्जैन जिला विध्यांचल गिरि के उत्तरी ढाल में एक पठार पर प्रसिद्ध क्षिप्रा नदी के किनारे बसा है। उज्जैन को प्राचीन में उज्जैनी, अवन्तिका, पद्मावती, कुमुदनी, अमरावती, कुशस्थली, कनकशृंगा विशाला आदि नामों से भी जाना जाता है।

भौगोलिक स्थिति – उज्जैन जिला मध्यप्रदेश के पश्चिम भाग में मालवा के पठार के मध्य स्थित है उज्जैन जिला 22°43' उत्तरी अक्षांश से 23°36' उत्तरी अक्षांश के बीच और 75°00' पूर्वी देशांक्ष के बीच कर्क रेखा के समीप फैला हुआ है जिले की समुद्र से निकटतम दूरी 470 मील और समुद्र तट से औसत ऊँचाई 1698 फीट है।

जिले का कुल क्षेत्रफल 6091 वर्ग किलोमीटर है जो कि पूर्व में पश्चिम की ओर लगभग 115 किलोमीटर फैला है।

शोध प्रविधि – वर्तमान युग आर्थिक उन्नति का युग है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति एवं सुनिश्चित एवं पर्याप्त आय के द्वारा अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु उद्यत रहता है चूंकि भारत की लगभग 70 प्रतिशत जनसंख्या गाँवों में निवास करती है अत: यह कहा जा सकता है कि गाँवों की उन्नति/अवनति भारत की उन्नति/अवनति को प्रभावित करती है।

ग्रामीण भारतीय परिवेश में पशुओं का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान रहा है दुधारू पशु ग्रामीण अर्थव्यवस्था के आधार स्तम्भ रहे है। आर्यो के समय से ही गाय को माता के सदृश मानते हुए पूजा की जाती है। धार्मिक भावना से जुड़ने के साथ आज पशु पालन आर्थिक उद्देश्य से भी जुड़ गया है जो कालान्तर में सहकारी दुग्ध व्यवसाय के रूप में विकसित हुआ है वर्तमान परिस्थितियों में इसका महत्व और भी अधिक हो गया है। पशुपालन एवं दुग्ध उत्पादन कृषि की एक ऐसी पूरक गतिविधि है, जो अधिकांश ग्रामीण परिवारों की निरन्तर अतिरिक्त आय का एक माध्यम है दुग्ध उत्पादन व्यवसाय अपनी कुछ चरित्रगत विशेषताओं जैसे शोध हो जाना, मौसमानुसार मांग व उत्पादन में अन्तर इत्यादि के कारण एक ऐसी विशिष्ट तथा गतिमान विपणन व्यवस्था की अपेक्षा करता है जो उत्पादन बहुल क्षेत्र से उपभोक्ता बहुल क्षेत्र तक दुग्ध का परिवहन कर सकें।

प्रदेश में दुग्ध उत्पादन उद्योग का स्वरूप संगठित न होकर दूरदराज क्षेत्रों में फैले हुए छोटे–छोटे दुग्ध उत्पादकों पर निर्भर है, जिनके पास दुधारू पशुओं की संख्या मात्र 1–2 होती है तथा विपणन योग्य दुग्ध उत्पादन अल्प मात्रा में होता है।

अध्ययन का उद्देश्य एवं महत्व – देश की आर्थिक विकास में ग्रामीण क्षेत्र का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है, विकास प्रक्रिया में मुख्यत: ग्रामीण परिवारों का योगदान रहता है। ग्रामीण परिवारों में अधिकांशत: कृषक परिवार है कृषि में प्राय: प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्राकृतिक या अप्राकृतिक विपदाएँ दुर्घटनाएँ और बढ़ती हुई जनसंख्या के दबाव का प्रभाव पड़ता है इन सबको ध्यान में रखकर आधुनिक युग में कृषि के साथ–साथ दुग्ध व्यवसाय, विकास की गति में सम्मिलित होने का सबसे अच्छा प्रयास है भारत साकार के समाजवादी समाज की स्थापना के लक्ष्यों की पूर्ति का एक महत्वपूर्ण अंग यह है कि निर्धन वर्ग और सामान्य जनता को आवश्यक वस्तु उचित मूल्य पर मिले।

निजी क्षेत्र के दुग्ध व्यवसायियों द्वारा जनता को शुद्ध पौष्टिक दुग्ध उचित मूल्य पर उपलब्ध नहीं कराया जाता है। साथ ही ग्रामीण दुग्ध उत्पादकों को उनके दुग्ध का उचित मूल्य भी नहीं दिया जाता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सरकार के साथ–साथ सहकारिता के द्वारा भी गाँव में गरीब और पिछड़े वर्ग के किसानों एवं भूमिहीन कृषक मजदूरों के लिए पशुपालन व्यवसाय को मुख्य रूप से विकसित करना है।

शोध प्रविधि :

प्राथमिक समंक – शोध कार्य करने के लिए शोधकर्ता ने शोध स्थल पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहकर अवलोकन, प्रश्नावली एवं साक्षात्कार द्वारा समंकों को एकत्रित किया जाता है व्यक्तिगत रूप से एकत्र की गई शोध सामग्री को प्राथमिक समंक कहते है।

द्वितीयक समंक – द्वितीय समंक से आशय उन सभी सूचनाओं तथा समंकों से होता है जिन्हे शोधकर्ता स्वयं अवलोकन द्वारा एकत्रित नहीं करता अपितु वह उनसे प्रकाशित एवं अप्रकाशित प्रलेखों, अभिलेखों, डायरियों, पत्र–पत्रिकाओं तथा विभिन्न विभागों से एकत्रित करता है।

ग्रामीण विकास में दुग्ध सहकारिता की भूमिका – ग्रामीण क्षेत्रों में दुग्ध का उत्पादन किसानों तथा पशुपालकों द्वारा किया जाता है। सामान्यतया दुग्ध उत्पादक ग्रामीण क्षेत्र के आय के आधार पर सबसे कमजोर वर्ग के व्यक्ति होते है। अधिकांश दुग्ध उत्पादक भूमिहीन, छोटी अथवा सीमान्त जोत वाले किसान होते हैं। इनके पास कृषि उपज के लिए पर्याप्त आकार में

भूमि न होने के कारण कृषि की आय से इनकी रोजी–रोटी चलना संभव नहीं होता है देश में संयुक्त परिवार की व्यवस्था निरन्तर क्षीण हो रही है। फलत: ग्रामीण क्षेत्र के अधिकांश किसानों के पास जोत का आकार इतना कम हो गया है कि कृषि कार्य के लिए बैलों का पालना भी उनके लिए अनार्थिक हो गया।

ऐसी स्थिति में ग्रामीण अर्थव्यवस्था में दुग्ध सहकारिताओं की भूमिका का सशक्त अनुभव देश में पहली बार गुजरात की अमूल सहकारी डेयरी की सफलता से हुआ है। इसी अनुभव के आधार पर दुग्ध विकास की ''ऑपरेशन फ्लड'' योजना को भारत के लगभग समस्त राज्यों एवं केन्द्रशासित प्रदेशों में लागू किया गया। जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में दुग्ध सहकारिता के माध्यम से ग्रामीणों को कई लाभ प्राप्त हुए है।

विज्ञान आज इतना उन्नत हो गया है कि वह किसी बात अथवा तथ्य कोषों ही स्वीकार नहीं कर लेता है। लेकिन वैज्ञानिक परीक्षणों के बाद तथ्य बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि दूध ही एक ऐसा पदार्थ है जिससे मनुष्य की शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए पर्याप्त मात्रा में आवश्यक तत्व मौजूद है। विशेषज्ञों के अनुसार मनुष्य को जिन पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है उनका संतुलित सम्मिश्रण दूध में ही पाया जाता है। विशेषकर गौ–दुग्ध के बारे में तो विशेषज्ञों ने यहाँ तक कहा है कि अनेक स्तर के उपयोगी खाद्य पदार्थों को ढूंढने की बजाय यदि दूध ही पर्याप्त मात्रा में मिलता रहे तो स्वास्थ्य संरक्षण की समस्या सरलतापूर्वक हल हो सकती है। दूध ही कलयुग का अमृत है ''दूध को ऐसा सम्बोधन उसके महत्व के कारण ही प्राप्त हुआ है'' दूध जो कि प्रकृति द्वारा प्रदत्त है – उसकी व्याख्या एक सम्पूर्ण आहार के रूप में की जाती है इसलिए ''दूध ही जीवन है'' ऐसा कहा जाता है। हमारे प्राचीन धर्मग्रन्थों वे पुराणों वेद उपनिषद आदि में दूध के महत्व की चर्चा की गई है।

हरित क्रांति के परिणामस्वरूप कृषि योग्य भूमि से अधिकतम अन्न ऊपजाया जा रहा है अब कृषि उत्पादन भी भूमि की उर्वरा क्षमता के सर्वोपरि बिन्दु के आसपास पहुँच गई है, अर्थात् कृषि भूमि की उत्पादन क्षमता की भी सीमा है, जिससे अधिक उत्पादन करना संभव नहीं हो सकेगा। अत: ग्रामीणजनों को कृषि के साथ–साथ आय के अन्य स्त्रोत उपलब्ध कराने की आवश्यकता महसूस की गई, ताकि कृषक अपने परिवार का पालन पोषण, कुशलतापूर्वक कर सके और उन्हें रोजगार की तलाश में शहरों की ओर पलायन नहीं करना पड़े। इस दृष्टि से पशुपालन द्वारा दुग्ध उत्पादन को सर्वथा उपयुक्त पाया गया।

दुग्ध सहकारी समितियों की समस्याएँ एवं सुझाव – जिले की दुग्ध सहकारी समितियों को संघ के साथ कारोबार करने में दुग्ध करने, जाँच करने, भुगतान करने, परिवहन करने, दुग्ध की कमी ओर एस.एन.एफ. की जाँच करने के कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है जो कि निम्न है –

दुग्ध की माप व जाँच की समस्या – जिले की अधिकांश दुग्ध सहकारी समितियों में दुग्ध की गलत माप, गलत जाँच और रिकार्ड की शिकायते आम होती जा रही है। ये समस्याएँ आमतौर पर ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों की बेईमानी या अनजाने में असावधानी के कारण पैदा होती है, जिनकी वजह से उत्पादकों तथा कर्मचारियों के मध्य हमेशा तनाव बना रहता है दुग्ध उत्पादकों ने तो इस वजह से समिति को दुग्ध देना भी बंद कर दिया है, जिससे समितियों का दुग्ध संकलन भी कम होता जा रहा है।

सुझाव – उपर्युक्त समस्या का समाधान करने के लिए दुग्ध समिति सहकारी समितियों में धनराशि के अभाव तथा संघ द्वारा समय पर समिति को भुगतान न देने के कारण कभी–कभी दुग्ध समितियाँ अपने दुग्ध उत्पादक सदस्यों को नियमित व समय पर भुगतान नहीं कर पाती है जिससे कई उत्पादकों के सामने वित्तीय समस्याएँ खड़ी हो जाती है इसके अतिरिक्त कभी–कभी कर्मचारियों की कार्यकुशलता की कमी, लापरवाही तथा गलत हिसाब–किताब करने के कारण भी भुगतान में देरी हो सकती है, जिससे उत्पादकों में निराशा पैदा होती है और वे अपना दुग्ध पुन: निजी व्यापारियों को देने लगते है इसी समस्या के कारण उज्जैन दुग्ध संघ की कार्यशील दुग्ध समितियों में दुग्ध उत्पादक सदस्यों की संख्या पिछले कुछ वर्षों से लगातार कम होती जा रही है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. व्यक्तिगत शोध के आधार पर।

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
October to December 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVI

प्रधानमन्त्री फसल बीमा योजना का किसानो पर प्रभाव

बलवान सिंह राजपूत* डॉ. प्रभुदयाल ज्ञानानी **

* शोधार्थी, विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन (म.प्र.) भारत
** प्रध्यापक, स्वामी विवेकानन्द शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नीमच (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – प्रधानमन्त्री फसल बीमा योजना (कृषक हितेषी) योजना है इसका सचांलन कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा किया जाता है। फसल बीमा योजना के द्वारा किसानो के ऋणो को कम करना तथा उनको लाभ पहुचाना इस योजना का प्रमुख **उद्देश्य** है। प्रधानमन्त्री फसल बीमा योजना के द्वारा किसानो को कर्ज से उपर निकालने के सरकार का एक प्राथमिक प्रयास रहा है। प्रधानमन्त्री फसल बीमा योजना के द्वारा न्युनतम प्रमियम पर इसका भुगतान होता है एवं अनिश्चीतकालीन घटनाओं से यह बचाता है।

प्रस्तावना – किसानो की फसलो के उत्पादन मे विफलता एवं प्राकृतिक आपदाओं की वजह से बर्बाद हो चुकी फसलो पर हानि से बचाने के लिए केन्द्र सरकार ने प्रधानमन्त्री फसल बीमा योजना की शुरूआत 2016 से कृषि सहकारीता एवं किसान कल्यान विभाग द्वारा की गई थी जिसके तहत किसान अपनी फसल का बीमा करवाकर नुकसान होने पर फसल की हानि से आर्थिक नुकसान से बच सकते है। भारत में किसानो को सबसे ज्यादा नुकसान मैसम की वजह से झेलना पड़ता है। ठंड मे फसलो मे पाला लगने तथा बरसात मे अतिवृष्टी अथवा अल्पवृष्टी से सामना हो ही जाता हैं। इन परेशानियों से किसान कई बार आत्महत्या जैसे कदम उठा लेते है। सरकार ने किसानो की प्राकृतिक आपदाओं की वजह से बर्बाद हो चुकी फसलो पर प्रधानमन्त्री फसल बीमा योजना के तहत मुबावजा देने का कार्य करती है। इस योजना के तहत किसान आनॅलाइन तरीके से बीमा करवा सकते है तथा फसलो के इस आपत्तीजनक समय से छुटकारा पा सकते है।

परिकल्पना:

1. प्रधानमन्त्री फसल बीमा योजना किसान हितेसी है अथवा नही
2. क्या इस योजना का लाभ बडे कृषक ही उठा पाते है
3. प्रमियम भूगतान महगां एवं जटील तो नहीं

शोध प्रविधि एवं समंक सकंलन–प्रस्तुत परिकल्पना के परिक्षण हेतु केवल द्वितीय समकों का प्रयोग किया गया है तथा किसान कल्याण विभाग एवं मत्रांलय की मदद से ही परिकल्पनाओ का परिक्षण सम्भव हुआ है।

योजना के उद्देश्य– प्रधानमन्त्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को फसल मे हुए नुकसान से बचाने हेतु सरकार का सकारात्मक प्रयास है जो कि निम्न उद्देश्यो को पुर्ण करता है।

1. अनपेक्षीत घटनाक्रम के कारण फसल हानि/क्षति से पीडित किसानो को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना
2. किसानो की आय को सुदृढ करना ताकि वे अपने कृषि कार्य को जारी रख सके
3. किसानो को नवीन व आधुनिक कृषि अभ्यास अपनाने के लिए प्रोत्साहीत करना।
4. कृषि कार्य हेतु ऐसा ऋण प्रवाह सुनिश्चित करना जिससे किसानो की उत्पादन जोखिम से सरंक्षा हो सके तथा कृषि क्षेत्र से सम्बन्धित खाद्य सुरक्षा फसल विविधीकरण तीव्र विकास और प्रतिस्पर्धा का मार्ग प्रशस्त हो।

लाभार्थी किसान–अधिसूचित क्षेत्रो मे अधिसूचित फसल उगाने वाले बटाइदारो और काश्तकारो सहित सभी किसान बीमा अच्छादन के पात्र है। इस योजना के तहत ऋणी एवं गै–ऋणी दोनो प्रकार के किसान अपना बीमा करवा सकते है तथा लाभ प्रप्त कर सकते है।

बीमाकृत फसलें–खाद्यान्न फसले (मोटे आनाज एवं दलहन) तिलहन, वार्षिक वाणिाज्यिक/वार्षिक बागवानी फसले।

जोखिम की आच्छादन एवं अपवर्जन–निम्न अवस्थाओं में इस योजना के अर्न्तगत फसल व जरोखिम जिनके कारण फसल का नुकसान हुआ है को आच्छादित किया जाएगा।

क बाधित बुआई /रोपन – कम वर्षा अथवा प्रतिकुल मैसमी दशाओ मे बुआई /रोपन न होने वाले नुकसान।

ख. खडी फसल (बुआई से लेकर कटाई तक) गैर बाधित जोखिमो जैसे सुखे कृषि रोग ,बाढ, जलभाराव, भुस्खलन प्राकृतिक आग्नि दुर्घटना, आकाशीय बीजली, तुफान, चक्रवात, ओलावृष्टि, भवंर एवं बवडर के कारण होने वाले नुकसान का मुआवजा।

ग. फसल कटाई के उनरान्त किसी फसल को काटे जाने से अधिकतम दो सप्ताह के लिए चक्रवात एवं चक्रवती वर्षा एवं गैर मैसमी वर्षा के लिए बीमा कवरेज।

घ. स्थानीयकृत आपदाए अधिसूचित क्षेत्र मे प्रथक कृषि भूमि को प्रभावित करने वाली ओलावृष्ति जलभाराव, भुस्खलन इत्यादि मामलो मे सामान्य अपवर्जन युद्ध नाभिकीय जोखिमो से होने वाली हानिया दुर्भावनाजनित क्षतियो और अन्य निवारणीय जोखिमो को इसमे शमिल नही किया जा सकता है।

प्रमियम की दरे और सबसिडी:-

क्र.	मौसम	फसल	किसान द्वारा देय अधिकतम बीमा प्रभार
1.	खरीफ	सभी खाद्यान्न तिलहन फसलें एवं मोटे आनाज	बीमीत राशी का 2.0प्रतिशत अथवा वीमांकी दर जो कम हो
2.	रबी	सभी खाद्यान्न तिलहन फसलें एवं मोटे आनाज	बीमीत राशी का 1.5 प्रतिशत अथवा वीमांकी दर जो कम हो
3.		खरीफ एवं रबी	

इ. हानिया मूल्यांकन प्रक्रिया

1. राज्य सरकारकी संयुक्त समिति और फसल क्षति से संबंधित मूल्यांकन बीमा कारक प्रत्येक जिले के लिए एस.एल.सी.सी.सी.आई द्वारा फसल अवधि शुरू होने से महले स्थापित एवं अधिसूचित किया जाना है।
2. संयुकत समिति अग्रिम भुगतान की पात्रता का निर्णय मौसम संबंधि आकई (सरकार द्वारा अधिसूचित उपलन्ध स्वचालित मौसम केंद्र) दीर्धकालिक औसत वर्षा आंकड़े/कृत्रिम उपग्रह चित्र आकंड़े और अधिसूचित बीमा इकाई स्तर पर अनुमानित उपज नुकसानों द्वारा अनुसमर्थित विवरण के आधार पर लेगी। नुकसान से संबंधित सुचना आदेश प्रतिकूल मौसमी अवधि से सात दिनों के भीतर जारी किया जाएगा।
3. उपर्यूक्त विवरण को दष्टिगत रखते हुए प्रभावित क्षेत्र का संयुक्त निरीक्षण बीमा कंपनी एवं राज्य सरकार के पदाधिकारियों द्वारा आधारभूत कारक जानने हेतु और नुकासन की सीमा जानने के लिए किया जा सकता है।
4. अग्रिम भुगतान के लिए नुकासन की सीमा का निर्धारण करने के लिए महालेनोबित राष्टीया फसल पूर्वानुमान कैंद्र (एम.एन.सी.एफ.सी.) की सुचना/सेवाओं का भी उपयोग किया किया जा सकता है।
5. यदि प्रभावित फसल का अपेक्षित नुकसान अधिसूचित बीमा इकाई के सामान्य उपज के 50 प्रतिशत से अिधाक है तो अग्रिम भुगतान किया जाएगा।
6. अग्रिम भुगतान की प्रक्रिया को निम्नांकित सुत्र के अनुसार किया जाएगा।

फसल बीमा कार्यक्रम के संचालन हेतु फलस बीमा पोर्टल – स्रका वित्त मंत्रालय और अन्य हितधारकों के मरामर्श से चरणबद्ध रुप के निगरानी करने और वास्तविक समय सुचना प्रौदयोगिकी मंच पर सभी घटकों अर्थात किसानों बीमा कंमनियों वित्तीय संस्थानों और सरकारी भिकरणों के एकीकृत करने का प्रयास कर रही है।

वेब आधारित गकीकृत सुचना प्रौद्योगिकी समाधान प्रक्रिया विकसित करने का प्रयोजन संवितरण सेवा की गति को तेज करना विखण्डित डाटा बेसे को एकीकृत करना संबंधित आंकडों की एकल प्राप्ति हस्तचालित प्रक्रियाओं को समाप्त करनके किसनों को महले की अपेक्षा अधिक सुचारु बीमा सेवाऐ देना है। कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार ने फसल बीमा के लिए एक वैब पोर्टल बनाया है और विभिन्न कार्यो जैसे प्रक्रिया और प्रलेखनों का अंकीकरण सुचना डाटा बैंक तथा कार्यतंत्र का प्रसार प्रशासनिक प्रक्रिया का स्वचालन प्रमियम एवं दावा संगणना और संप्रषण आदि को सुनिश्चित करने के लिए एकल सुचना प्रौद्योगिकी संचालित प्रणाली में यह अभिकल्पित है कि मौजूदा कार्यक्रम प्रशासन प्रणाली को प्रभावित करने वाली समस्याओं का निदान करते हुए इसकी प्रभावकारिता में कभी करने वाले कारकों जो की किसानें को लाभ पहुँचने में देरी या रोका कर कारण बनते हैं जैसे चयनित/स्तरित सूचना अभिसरण हस्त संचालित हस्तक्षेप बहॅचरणीय प्रक्रियाए दस्ताओं साक्ष्यों/सबूतों की जरूरत विलंबित/त्रृटिपूर्ण सूचना देना इत्याादि को रोका जाए। अत: सूचना प्राप्त करने के लिए फसल बीमा वेब पोर्टल के साथ सीधे अथवस अंतरापृष्ट के माध्यम से बैकों बीमा कंमनियों राज्य सरकारों और उपज/मौसम डाटा प्रदाताओं से संबंधित सुचना प्रौद्यागिकी मंचों का एकीकरण त्रृटियों से बचने हितधारकों के बीच अपेक्षित जानकारी के समयबद्ध संचरण, दावों के शीध्र निपटान, उचित अनुवीक्षण और योजनाओं के पारदर्शी प्रशासन, के लिए आवश्यक समक्षा गया। वेब पोर्टल के साथ सभी घटकों के सुचना प्रौद्योगिकी मंच का संपूर्ण आबंधन स्थापित होने पर सूचना संबंधी इलेक्ट्रानिक प्रवाह के कारण दावों का संसाधन शीघ्र सुनिश्चित होगा। इस समय यह पोर्टल 2 भाषाओं हिंदी और अंग्रेजी में मौजूद है तथा इसे सभी क्षेत्रीय भाषाओं में परिवर्तित किया जायेगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. www.shodhganga.com
2. www.pmfby.in
3. नई दुनिया (भोपाल)
4. www.insurance.in

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
October to December 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVI

भाषा को समझने में साहित्य की भूमिका

रोशनलाल अहिरवार *

* सहायक प्राध्यापक (हिंन्दी) शासकीय महाविद्यालय, शाहगढ़ (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – भाषा हमारे विचारों एवं भावों के आदान–प्रदान का ध्वन्यात्मक माध्यम है। इसे मानवीय संस्कृति की विशिष्ट तथा श्रेष्ठतम उपलब्धि माना जा सकता है । भाषा संस्कार और निष्ठा का वाहक है यह सर्वविदित है कि मनुष्य एक चिंतनशील प्राणी है ।मनुष्य के भावों और विचारों की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम भाषा है ।जिसका मानव जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। भाषा की महत्ता के संदर्भ में प्राचीन ऋषियों ने लिखा है **''शब्द ब्रह्मणि निष्णात परम ब्रम्हधिागच्छति''।**[1] अर्थात् भाषा में पूर्णता प्राप्त कर लेने से मानव को परम ब्रह्म की प्राप्ति होती है डॉ भोलानाथ तिवारी गहन अध्ययन अन्वेषण और चिंतन के बाद भाषा पर व्यापक दृष्टि डालते हुए अपने मंतव्य प्रस्तुत करते हैं–''भाषा व साधन है जिसके माध्यम से हम सोचते हैं तथा अपने विचारों को प्रकट करते हैं''। [2] अर्थात भाषा एक महत्वपूर्ण साधान है जिसके माध्यम से संसार में अपनी अभिव्यक्ति को प्रकट किया जा सकता है ।

आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा था कि 'साहित्य समाज का दर्पण है'। ''साहित्य और समाज एक दूसरे के पूरक हैं । किसी भी भाषा के साहित्य में समाज के ही गुण –अवगुण, अच्छाइयां –बुराइयां, रीति–रिवाज, परम्पराओं या सांस्कृतिक परिदृश्य का वर्णन लक्षित होता है।समाज भी साहित्यसे ही सीखता है इसलिए माना जा सकता है जिसको पढ़ने में सबका हित, समाहित है वही साहित्य है। **आचार्य रामचन्द्र शुक्ल** ने कहा था कि '' साहित्य जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिम्ब होता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है''। [3]

शब्द कुंजी – भाषा और साहित्य, सृजनात्मक भाषा, संचार ,संचार भाषा ,राजभाषा ,राष्ट्रभाषा, पत्रकारिता।

प्रस्तावना – भाषा और साहित्य का अटूट संबंध है भाषा के अभाव में साहित्य का निर्माण संभव नहीं तथा साहित्य से भाषा को संरक्षण प्राप्त होता है यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी । साहित्य से भाषा को एक नई पहचान मिलती है तथा समाज का पढ़ा लिखा वर्ग साहित्य को पढ़कर एवं अशिक्षित वर्ग सुनकर भाषा संबंधी विकारों को दूर करते हुए भाषा के ज्ञान का अर्जन करता है तथा भाषा की गहनता की इकाई को समझने का प्रयास करता है। विषय विशेषज्ञ भाषा की बारीकियों का विस्तार से अध्ययन करने में पूर्ण होते हैं साथ ही समाज ,भाषा की मनोकूल आदर्श भाषा को जानने में सक्षम हो पाता है यह कार्य साहित्य को पढ़कर ही संभव हो सकता है।

विश्व में अनेक भाषाओं का प्रचलन है तथा अपनी–अपनी भाषाओं में साहित्य सर्जन किया जा रहा है जिस देश की भाषा जितनी समृद्ध होगी उस देश का साहित्य उतना ही समृद्ध होगा। भाषा के विविधा रूप होते हैं जैसे– सर्जनात्मक भाषा, संचार भाषा ,राजभाषा ,राष्ट्रभाषा ,माध्यम भाषा, मातृभाषा आदि यह रूप हिंदी भाषा के संदर्भ में लिए गये हैं लेकिन अन्य भाषाओं में भी देशकाल परिस्थितियों के अनुरूप विविधा रूपों को अध्ययन में शामिल किया जा सकता है वर्तमान समय में सर्जनात्मक भाषा,संचार भाषा और राजभाषा, राष्ट्रभाषा या संवैधानिक अधिकार प्रदत्त भाषा ,साहित्य के निर्माण में चरम सीमा पर देखने मिलती हैं।

''सर्जनात्मक भाषा का पर्याय रचनात्मक भाषा है सर्जनात्मक भाषा का प्रयोग साहित्य के क्षेत्र में किया जाता है इस भाषा में अनुभव और कल्पना का समन्वय होता है जिसके द्वारा कविता, कहानी, उपन्यास, संस्मरण, यात्रा वृतांत आदि की रचना होती है। सर्जनात्मक भाषा में रागात्मक तत्वो की प्रमुखता रहती है''। [4]अत: सर्जनात्मक भाषा के माध्यम से ही किसी भी भाषा में साहित्य का सृजन किया जाता है तथा अनेक विधाओं में लेखकगण साहित्यप्रेमी साहित्य का सृजन करते हैं जिसका अध्ययन साहित्य प्रेमी करते है तथा उस भाषा के जानकार होने के कारण जब वह साहित्य का अध्ययन करते हैं तो उनके लिए भाषा के नये–नये आयामों को ज्ञान संभव हो पाता है क्योंकि साहित्यकार अपनी भाषा में प्रवीण होने के साथ अपने आसपास समाज में गठित क्रियाकलापों को ध्यान में रखकर साहित्य का सृजन करता है। विभिन्न साहित्यिक उपादानों को ध्यान में रखते हुए साहित्य की विभिन्न विधाओं जैसे कहानी, नाटक ,उपन्यास,रेखाचित्र आदि निर्माण कर लिया जाता है तो यह साहित्य पाठकों के लिए ही होता है और पाठक उस भाषा के जानकार होने के साथ जब साहित्य का पठन पाठन करते हैं तो निश्चित ही उनको भाषा की गहनता तथा व्यावहारिकता के साथ साहित्य का लाभ और आनंद प्राप्त करने का अवसर मिलता है।

संचार भाषा वह भाषा होती है जिसका प्रयोग संचार माध्यमों मे किया जाता है आज विश्व में संचार के साधनों में रेडियो, टेलीविजन और कम्प्यूटर इंटरनेट आदि प्रयोग में लाए जा रहे हैं इन संचार के माध्यमों में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसको संचार की भाषा कहते हैं यह भाषा विश्व की कोई भी भाषा हो सकती है जैसे– अंग्रेजी, चीनी भाषा, अरबी भाषा, फेंच भाषा आदि मूलत: जिस क्षेत्र मे जिस भाषा का प्रयोग समाज के द्वारा किया जाता है वह वहां संचार की भाषा होती है ''कोलंबिया

एनसाइक्लोपीडिया ऑफ कम्युनिकेशन में 'कम्यूनिकेशन' अर्थात् संचार को इन शब्दों मे परिभाषित किया गया है – संचार के अंतर्गत अनुभवों, विचारों ,संदेशों, धारणाओ ,दृष्टिकोण,मतो, सूचना, ज्ञान आदि का आदान–प्रदान निहित है यह आदान–प्रदान या प्रेषण चाहे मौखिक हो या लिखित हो अथवा सांकेतिक, वस्तुओं और व्यक्तियों के परिवहन से भिन्न है।आशय यह है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अर्थपूर्ण संदेशों के प्रेषण को संचार कहेंगे'' । [5]

वर्तमान समय मे संचार के इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों में रेडियो, टेलीविजन, कंप्यूटर इंटरनेट साधन के रूप में निकल कर सामने आए हैं इन साधनों में संचार की भाषा के अंतर्गत शिक्षित तथा अशिक्षित समाज भी सुनकर , देखकर भाषा को समझ सकती है । तथा इन माध्यमों मे भी साहित्यिक विधाओं का पूरक रूप धारावाहिक नाटक, फिल्म– कथा ,उपन्यास आधारित धारावाहिक, समाचार आदि का प्रसारण दैनिक मिलता है।विभिन्न माध्यमों से जो साहित्य,समाज को परोसा जा रहा है उस साहित्य से समाज श्रव्य–दृश्य माध्यमों के द्वारा भाषा को समझता है तथा सीखता है।

संचार का एक सशक्त माध्यम प्रिंट मीडिया भी है इसको लिखित माध्यम भी कहा जाता है। जिसमें पत्र पत्रिकाएं ,पुस्तकें आदि सामग्री को लिया जाता है लिखित माध्यम भाषा के वैज्ञानिक तथा व्याकरणिक पक्ष को मजबूत करता है क्योंकि लेखन कार्य किसी भी भाषा में कठिन माना जाता है। इसलिए भाषा की समझ के लिए साहित्य आवश्यक है लेकिन भाषा की संरचना के लिए लिखित माध्यम भी प्रमुख है। वर्तमान में कार्यपालिका ,न्यायपालिका, व्यवस्थापिका के अलावा चौथा स्तम्भ पत्रकारिता का है। इस पत्रकारिता के माध्यमो में लिखित माध्यम तथा इलेक्ट्रॉनिक दोनों माध्यम आते हैं जिसके माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है यह माध्यम जनता की पहुंच से परे नहीं है अति सुलभ है जैसे– समाचार पत्र ,पत्रिकाएं ,न्यूज़ चैनल आदि पत्रकारिता साहित्य के माध्यम से भाषा की समझ विकसित होती है क्योंकि पाठक इन साधानों का प्रयोग करके प्रतिदिन पठन पाठन करता है और निश्चित ही कहा जाता है ''करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान'' अर्थात जब प्रतिदिन किसी भी भाषा में लिखित सामग्री का अध्ययन किया जाएगा तो भाषा की पूर्णता हासिल हो सकेगी।

राजभाषा राष्ट्रभाषा या संवैधानिक प्रदत्त भाषा विशेष के संदर्भ में कोई भी राष्ट्र बिना समृद्ध भाषा के विकसित होने में अक्षम है ऐसा भाषा विद्धानों का मानना है इसलिए प्रत्येक राष्ट्र की अपनी एक भाषा है जिसके माध्यम से राष्ट्र सुगठित है भाषा की विविधताओ में से किसी एक भाषा को संवैधानिक अधिकार के द्धारा विशिष्ट भाषा माध्यम से राष्ट्र में प्रमुख स्थान दिया जाता है जिसे राजभाषा, राष्ट्रभाषा या संवैधानिक प्रदत्ता भाषा का दर्जा दिया जाता है राजभाषा और राष्ट्रभाषा के संदर्भ में कहा जाता है कि ''जो भाषा किसी राष्ट्र के भिन्न–भिन्न भाषा– भाषियों की पारस्परिक विचार –विनिमय का साधन बनाती हुई समूचे राष्ट्र को भावात्मक एकता के सूत्र बाँधाती है उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं''।[6] इस प्रकार किसी भी राष्ट्र मे अनेक भाषाओं के होने के साथ जिस भाषा को विभिन्न मापदंडों के आधार पर प्रमुखता की श्रेणी मे रखा जाता है उसे राष्ट्र भाषा कहते हैं।

राजभाषा के संदर्भ मे ''जिस भाषा का प्रयोग सरकारी प्रयोजनों के लिए सरकारी कार्यों में किया जाता है उसे राजभाषा (ऑफिशियल लैंग्वेज) कहते हैं कहते हैं''। [7]

राजभाषा को अंग्रेजी में ऑफिशियल लैंग्वेज कहा जाता है भारत देश में राष्ट्रभाषा हिंदी को माना गया है तथा राजभाषा संबंधित संवैधानिक प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत राज्य अपने भाषिक आधार पर राज्य भाषा को चुन सकता है विश्व जगत में विभिन्न राष्ट्रों की अपनी राष्ट्रभाषा राजभाषा है तथा इन भाषाओं के जानने वाले ,बोलने वाले लोगों की संख्या भी उस राष्ट्र में अधिक होती है। राजभाषा, राष्ट्रभाषा के माध्यम से जनता प्रयोजनीय कार्यों को आराम से कर सकती है जो मूलभूत आवश्यकताओं के लिए नितांत आवश्यक है सरकारी कार्यालयों में जनता की भागीदारी राजभाषा के माध्यम से सुनिश्चित की जा सकती है कानूनी भाषा राजभाषा प्रमुख अंग होती है तथा कानूनी भाषा साहित्य के माध्यम से ही आम जनता अपने संवैधानिक अधिकारों के साथ भाषा की समझ को विकसित करती है क्योंकि राजकीय भाषा सामान्य भाषा से भिन्न होती है किसी भी राष्ट्र मे प्रमुख भाषा के अलावा यदि अन्य भाषा का प्रयोग सरकारी कार्यो मे होता है तो उसका रूप स्वरूप भिन्न होता है इसको समझने के लिए उसके साहित्य विशेष का अध्ययन आवश्यक होता है।

अंतत: देखा जाए तो कहा जा सकता है कि भाषा को समझने में साहित्य की भूमिका रहती है तथा भाषा के बिना साहित्य तथा साहित्य के बिना भाषा की कल्पना नहीं की जा सकती है दोनों का संबंध पाठक से है तथा पाठक विभिन्न भाषाई माध्यम, संचार माध्यम, साहित्य आदि के माध्यमो से अपनी जिज्ञासा के अनुसार अध्ययन करता है तथा जब साहित्य को पड़ता है तो निश्चित ही साहित्य के ज्ञान के साथ उसकी भाषा में सुधार होता है तथा भाषा की समझ विकसित होती है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. डॉ अजयकुमार सिंह, मीडिया की बदलती भाषा, लोकभारती प्रकाशन इलाहाबाद प्रथम संस्करण पृष्ठ सं.27,।
2. भोलानाथ तिवारी, भाषा विज्ञान,किताब महल इलाहाबाद 53 बा संस्करण 2009, पृष्ठ सं.1 प्रवेश ।
3. डॉ विभा शुक्ला, हिंदी भाषा साहित्य इतिहास और काव्यंग विवेचन, मध्यप्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी भोपाल, संशोधित 2010, पृष्ठ सं. 67 ।
4. प्रो.त्रिभुवननाथ शुक्ल, प्रयोजनमूलक हिंदी,मध्य प्रदेश ग्रंथ अकादमी, भोपाल 2013, पृष्ठ सं.11 ।
5. डॉ रामछबीला त्रिपाठी, प्रयोजनमूलक हिंदी, कैलाश पुस्तक सदन भोपाल, पृष्ठ सं.10।
6. डॉ. रामनारायण पटैल, प्रयोजनमूलक हिंदी,राम प्रसाद एंड संस आगरा, पृष्ठ सं.3।
7. डॉ. रामनारायण पटैल, प्रयोजनमूलक हिंदी, पृष्ठ सं.4,राम प्रसाद एंड संस आगरा , पृष्ठ सं.4।

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
October to December 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVI

शासकीय व अशासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत किशोरावस्था के विद्यार्थियो में आक्रामकता के स्तर का तुलनात्मक अध्ययन

डॉ. अनामिका सरकार* वंदना श्रीवास्तव **

* प्राचार्य, ए.एस.ई. कॉलेज, भोपाल (म.प्र.) भारत
** शोधार्थी, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – शिक्षा एक सर्वव्यापी विषय है। नवजात शिशु असहाय तथा असामाजिक होता है। उसे समाज के रीति–रिवाजों, आदर्शों व मूल्यों का ज्ञान नहीं होता। वर्तमान में विद्यार्थियों के व्यवहार के अवलोकन से ज्ञात होता है कि किशोरों में अनुशासनहीनता बढ़ती जा रही है, उनके जीवन से मूल्य गायब होते जा रहे है। इन सब में शिक्षा ही दोषपूर्ण प्रतीत होती है। विद्यार्थियों में बढ़ती अनुशासन हीनता का मुख्य कारण किशोरों में बढ़ती आक्रामकता है। प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य विद्यार्थियों के आक्रामकता का मापन करना है। इसके लिए शासकीय व अशासकीय विद्यालयों के 150– 150 विद्यार्थियों का न्यादर्श लिया गया। आक्रामकता का मापन रोमा पाल व नकवी द्वारा निर्मित मानकीकृत उपकरण का प्रयोग किया गया। आकड़ों का विश्लेषण प्रतिशत, मध्यमान व प्रामाणिक विचलन द्वारा किया गया। निष्कर्ष रूप में पाया कि शासकीय व अशासकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों के आक्रामकता स्तर में सार्थक अन्तर नहीं है।

प्रस्तावना – शिक्षा एक महत्वपूर्ण व सर्वव्यापी विषय है नवजात शिशु असहाय तथा असामाजिक होता है उसे समाज के रीति– रिवाजों, आदर्शो व मूल्यों का ज्ञान नही होता। शनै: शनै: शिक्षा के औपचारिक व अनौपचारिक साधनों का प्रभाव बालक के मानसिक, शारीरिक व संवेगात्मक विकास पर पड़ता है शिक्षा माता के समान पालन पोषण करती है, पिता के समान उचित मार्गदर्शन करती है शिक्षा हमारी समस्याओं को सुलझाकर हमारे जीवन को सुसंस्कृत बनाती है शिक्षा के अनौपचारिक साधनों के द्वारा तो व्यक्ति आजीवन सीखता रहता है परन्तु औपचारिक साधनों के द्वारा व्यक्ति जीवन प्रारंभ के कुछ वर्षो तक व्यवस्थित शिक्षा प्राप्त करता है बाल्यावस्था से प्रारंभ होकर व्यक्ति के किशोरावस्था तक अधिकांश शिक्षा पूर्ण हो जाती है।

किशोरावस्था– किशोरावस्था व्यक्ति के जीवन का महत्वपूर्ण काल है इस काल में जहां उसके भविष्य का निर्धारण होता है वही इसी काल में बालक के जीवन में शारीरिक,मानसिक, संवेगात्मक अनेक परिवर्तन होते है बिग व हंट के अनुसार परिवर्तन शब्द के द्वारा किशोरावस्था की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति की जा सकती है बालक अपने अंदर हो रहे विभिन्न परिवर्तनों से हैरान तथा परेशान रहता है इसी कारण स्टेनले हॉल ने कहा है कि 'किशोरावस्था को जीवन का परिवर्तनकाल, वसंतकाल एवं अप्रसन्नता का काल भी कहते है' किशोरावस्था को तनाव, तूफान व विरोध की अवस्था भी कहते हैं।

किशोरों में आवेगों व संवेगों की बहुत प्रवलता होती है इसलिए वह बिभिन्न अवसरों पर बिभिन्न व्यव्हार करता है वर्तमान में यदि हम किशोरावस्था के विद्यार्थियों के व्यवहार का अवलोकन करते है, तो हम पाते हैं की किशोरों में अनुशासनहीनता बढती जा रही है उनके जीवन से मूल्य गायब होते जा रहे है विद्यार्थियों के अनुशासन हीनता के संदर्भ में मूल्यों का मूल्यांकन करने पर शिक्षा ही दोषपूर्ण प्रतीत होती है

आक्रामकता– विद्यार्थियों में बढ़ती अनुशासनहीनता का मुख्य कारण किशोरों में बढ़ती आक्रामकता है, आक्रामकता व्यक्ति के व्यक्तित्व का हानिकारक पहलू है, जो उसके व्यवहार से प्रदर्शित होता है।

अध्ययनों से पता चला है कि अन्य आयु वर्ग की तुलना में किशोर विद्यार्थी अधिक आक्रामक होते हैं। आक्रामकता एक ऐसा व्यवहार होता है जिसके कारण दूसरो को हानि पहुँचती है जिसका उद्देश्य किसी अन्य को हानि पहुँचाना होता है।

ये क्रोध की हिंसात्मक अविव्यक्ति है जो या तो शब्दों के द्वारा या मांसपेशियों की तीव्र गतियो के द्वारा प्रकट होती है। आक्रामकता अपने विस्तृत अर्थ में एक व्यवहार या स्वभाव है जो की सशक्त शत्रुता पूर्ण या हमलावर होता है यह व्यवहार भड़काने या उकसाने से सम्बंधित भी हो सकता है और नहीं भी, आक्रामकता का उद्देश्य दूसरो को हानि पहुंचाना या सापेक्ष सामाजिक प्रभाविता बढ़ाना हो सकता है।

आक्रामकता व्यवहार का प्रकार है जो शारीरिक और शाब्दिक आक्रमण के द्वारा दिखता है यह दूसरो के विरुद्ध बाहर प्रदर्शित हो सकता है या आंतरिक रूप से स्वघात या आत्महत्या के रूप में अपने विरूद्ध भी हो सकता है प्राय: अधिकतर परिस्तिथियों में यह एक अमान्य व प्रतिबंधित होता व्यवहार होता हे और यह स्वमेव व्यक्ति के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है किशोरों में आक्रामकता के कई कारण हो सकते हैं परन्तु किशोरावस्था अपने आप में आक्रामकता का एक प्रमुख कारण है। इसलिए इसे तनाव,तूफान व बिरोध की अवस्था कहते हैं।

सम्बंधित साहित्य का अध्ययन:

1. कुमारी किशोर एंड मंडल (2017) ने पाया कि किशोरों में आक्रामकता का स्तर उच्च होता है तथा किशोर बालक, बालिकाओं की अपेक्षा अधिक आक्रामक होते हैं।
2. कौर एवं निवास (2017) ने अपने अध्ययन में पाया की अशासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों में शासकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों की तुलना में ज्यादा आक्रामकता पाई जाती है। उच्च

माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के आक्रामक व्यवहार एवं विद्यालयों के वातावरण के बीच नकारात्मक सम्बन्ध होता है।

3. अग्रवाल, श्रीवास्तव (2016) ने अपने अध्ययन से निष्कर्ष निकाला कि छात्र छात्राओं की अपेक्षा अधिक आक्रामक होते हैं लेकिन आयु एवं लिंग का आक्रामक व्यवहार पर कोई सार्थक प्रभाव नही पड़ता है।

अध्ययन की आवश्यकता– किशोरावस्था शारीरिक मानसिक व अल्पबौद्धिक परिवर्तनों की अवस्था है ये यौवनारम्भ से परिपक्वता तक वृद्धि एवं विकास का काल है इस काल में विकास इतनी तीव्र गति से होता है की बालक अपने अंदर हो रहे परिवर्तनों से हैरान परेशान रहने लगता है। किशोर स्वयं सामाजिक व आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होना चाहते हैं तथा समाज में अपनी अलग पहचान बनाना चाहते हैं साथ ही अच्छे शैक्षिक प्रदर्शन व उच्च स्तरीय जॉब की आकांक्षा के कारण उनमें तनाव व कुंठा होती है जिसके कारण वे चिड़चिडे व आक्रामक हो जाते हैं तथा उग्र व्यवहार का प्रदर्शन करते हैं या फिर उनका ये व्यवहार स्वयं उनके लिए घातक साबित होता है क्रोध में वे आत्महत्या की बात तक सोचने लगते हैं इसी समस्या को ध्यान में रखकर अध्ययन की आवश्यकता अनुभव की गई ताकि किशोरों को इस समस्या से उबरने के लिए उचित मार्गदर्शन दिया जा सके।

समस्या अध्ययन के उद्देश्य:

1. किशोरावस्था के विद्यार्थियों के आक्रामकता स्तर का अध्ययन करना।
2. शासकीय व अशासकीय विद्यार्थियों में आक्रामकता स्तर की तुलना करना।
3. शासकीय व अशासकीय विद्यालयों के बालकों में आक्रामकता स्तर की तुलना करना।
4. शासकीय व अशासकीय विद्यालयों की बालिकाओं में आक्रामकता स्तर की तुलना करना।

परिकल्पना:

1. शासकीय व अशासकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों के आक्रामकता स्तर में सार्थक अंतर नहीं होगा।
2. शासकीय व अशासकीय विद्यालयों के बालकों में आक्रामकता स्तर में सार्थक अंतर नहीं होगा।
3. शासकीय व अशासकीय विद्यालयों की बालिकाओं में आक्रामकता स्तर में सार्थक अंतर नहीं होगा।

शोध प्रविधि– प्रस्तुत अध्ययन में शोधार्थी द्वारा सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया है।

इस शोध कार्य में शोधार्थी द्वारा शासकीय व अशासकीय विद्यालयों का चयन यादृच्छिक प्रतिचयन विधि द्वारा किया गया।

मध्यप्रदेश के भोपाल जिले में संचालित शासकीय व अशासकीय विद्यालयों से 150–150 विद्यार्थियों का चयन किया गया।

उपकरण– आंकड़ो का संकलन रोमापाल एवं नकवी द्वारा निर्मित आक्रामकता मायनी के द्वारा किया गया , जिसके कुल 30 प्रश्न है।

आकड़ो के विश्लेषण हेतु मध्यमान, प्रामाणिक विचलन एवं टी परीक्षण प्रबिधि द्वारा किया गया।

सांख्यिकी विश्लेषण– शासकीय व अशासकीय विद्यालयों से प्राप्त तथ्यों का विश्लेषण कर प्रतिशत, मध्यमान, प्रामाणिक विचलन एवं टी परीक्षण के माध्यम से निष्कर्ष प्राप्त किये गये।

टेबल क्रमांक 1: आक्रामकता का स्तर

कुल विद्यार्थी	The Saturated	The High	The Average	The Low	Clean
300	17	45	133	52	53
	5.66 %	15%	44.33 %	17.33%	17.66%

कुल 300 विद्यार्थियों के आक्रामकता स्तर का मापन करने पर 5.66% विद्यार्थियों में बहुत अधिक, 15% में उच्च , 44.33% में औसत ,17.33% में निम्न तथा 17.66% में बहुत कम आक्रामकता का स्तर पाया गया ।

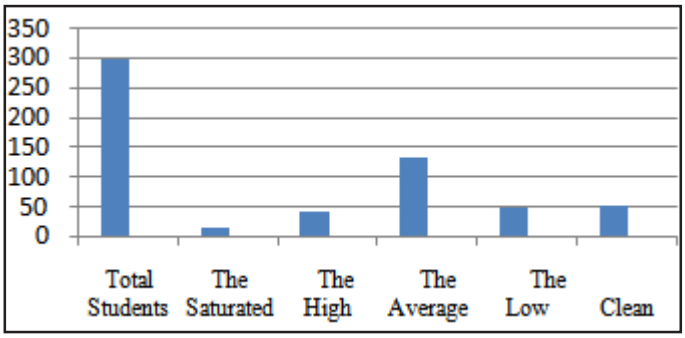

टेबल क्रमांक –2 :आक्रामकता बालको में

	N	Mean	SD	t
शासकीय बालक	73	71.71	24.16	0.64
अशासकीय बालक	82	69.28	22.24	

शासकीय व अशासकीय विद्यालयों के बालको के आक्रामकता स्तर का मध्मान क्रमश: 71.71 व 69.28 व t मान 0.64 प्राप्त हुआ जो स्वतंत्रता अंश 153 के 0.05 सार्थकता स्तर पर तालिका मान 1.97 व 0.01 के सार्थकता स्तर पर तालिका मान 2.60 से कम है।

टेबल क्रमांक –3 : बालिकाओ में

	N	Mean	SD	t
शासकीय बालिका	77	64.22	23.45	1.65
अशासकीय बालिका	68	70.99	25.55	

शासकीय व अशासकीय विद्यालयों के बालिकाओं के आक्रामकता स्तर का मध्यमान 64.22 व 70.99 व t मान 1.65 प्राप्त हुआ जो स्वतंत्रता अंश 153 के सार्थकता स्तर 0.05 व 0.01 के तालिका मान 1.97 व 2.60 से कम है।

शासकीय व अशासकीय विद्यालयो में

	N	Mean	SD	t
अशासकीय	150	73.84	51.55	1.42
शासकीय	150	67.22	67.22	

शासकीय व अशासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत किशोरावस्था के विद्यार्थियों के आक्रामकता स्तर का मापन करने पर मध्यमान क्रमश: 73.84 व 67.22 व t का मान 1.42 प्राप्त हुआ है जो कि स्वतंत्रता अंश 298 के सार्थकता स्तर 0.05 व 0.01 पर तालिका मान 1.97 व 2.59 से कम है

परिणाम एवं विवेचना :

1. 300 विद्यार्थियो के आक्रमकता स्तर का मापन करने पर 5.66: विद्यार्थियो में बहुत अधिक, 15% में उच्च, 44.33% में औसत, 17.33% में निम्न तथा 17.66% में बहुत कम आक्रामकता का स्तर पाया गया ।
2. शासकीय व अशासकीय विद्यालयों के बालको के आक्रामकता स्तर

का मध्यमान क्रमश: 71.71 व 69.28 व t मान 0.64 प्राप्त हुआ जो कि 0.5 सार्थकता स्तर पर तालिका मान 1.97 व 0.01 के सार्थकता स्तर पर तालिका मान 2.60 से कम है। प्राप्त विश्लेषण के आधार पर मध्यमान में सार्थक अंतर नहीं है। अत: परिकल्पना स्वीकृत की जाती है।

3. शासकीय व अशासकीय विद्यालयों के बालिकाओं के आक्रामकता स्तर का मध्यमान 64.22 व 70.99 व ज मान 1.65 प्राप्त हुआ जो 0.05 व 0.01 के सार्थकता स्तर पर तालिका मान 1.97 व 2.60 से कम है मध्यमान में सार्थक अन्तर नहीं है अत: परिकल्पना स्वीकृत की जाती है।
4. शासकीय व अशासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत किशोरावस्था के विद्यार्थियों के आक्रामकता स्तर का मापन करने पर मध्यमान क्रमश: 73.84 व 67.22 व ज का मान 1.42 प्राप्त हुआ है जो कि 0.05 व 0.01 सार्थकता स्तर पर तालिका मान 1.97 व 2.59 से कम है अत: मध्यमान में सार्थक अन्तेर नहीं है। अत: शून्य पारिकल्पना स्वीकृत की जाती है।

निष्कर्ष– निष्कर्षत: शासकीय व अशासकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों में औसत स्तर की आक्रामकता अधिक पाई गई तथा इनके विद्यार्थियों की आक्रामकता में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया गया ।

शैक्षिक उपयोगिता– प्रस्तुत शोध अध्ययन द्वारा किशोरावस्था के विद्यार्थियों में आक्रामकता स्तर को ज्ञात कर छात्रों के आक्रामकता को कम करने के लिए उचित दिशा निर्देशन दिया जा सकता है तथा शोध अध्ययन के द्वारा प्राप्त निष्कर्षो से शिक्षा नीतियों के निर्माण में सहायता मिलेगी।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. अग्रवाल, आर., श्रीवास्तव. (2016). *हाउ जेंडर एंड एज फेक्ट एग्रेसिव विहेवियर. विहेवियरल* सांइटिस्ट. वाल्यूम.17, पृ.क्र.167-170, ISSN:0022-0671.
2. कुमारी, स्य, किशोर, जु., मंडल, आर.के. (2017). *एक्रास सेक्शनल स्टडी ऑफ एग्रेसन अमंग स्कूल एडोलसेन्ट इन कर्नाटका इंण्डिया.* इंडियन जर्नल ऑफ यूथ एण्ड एडोलसेन्ट हेल्थ. वाल्यूम.4, अंक.4,(2017).
3. कौर, ध., निवास, डॉ.रा. (2017). *एग्रेसिव विहेवियर ऑफ सेकेण्ड्री स्कूल स्टूडेंट इन रिलेशन टू स्कूल एनवायरमेंट.* इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एडवांस रिसर्च. वाल्यूम.5, अंक.5, पृ.क्र.801-809, ISSN:2320-5407.
4. पाठक, पी. (2005). *शिक्षा मनोविज्ञान.* विनोद पुस्तक मंदिर आगरा पृ.क्र.
5. भार्गव, वृ., भार्गव, वि. *मानव व्यवहार का मनोविज्ञान.* भार्गव प्रकाशन, पृ.क्र.86.
6. मैवाल डा. ज्योति., पाटिल, डा. पी.के., विसोई, सी. *वाल्यावस्था एवं विकास.* ठाकुर प्रकाशन पृ.क्र.15,16, 89, 95, 101

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
October to December 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVI

अनुपूरक आहार समय मे प्रारंभ न करना कुपोषण के प्रमुख कारण का अध्ययन

डॉ. आभा गोयल* रेशमा सेन**

* प्राध्यापक (गृह विज्ञान) शासकीय कन्या महाविद्यालय, सतना (म.प्र.) भारत
** शोधार्थी(गृह विज्ञान) अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, सतना (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – बालक देश की अमूल्य निधि है। समाज व राष्ट्र की आधारशिला हैं। कल का भारत कैसा होगा, यह मुख्यत: वहां के नागरिकों पर निर्भर करता है। बालक ही समय के साथ पल-बढ़कर पढ़-लिखकर, सुसभ्य, सुसंस्कृत योग्य, कुशल व कर्मठ नागरिक बनते हैं तथा देश का उत्थान करते हैं। जिस देश के बालक अस्वस्थ, निर्बल कमजोर व अशिक्षित होंगे तो निश्चित ही वह देश गरीब, कमजोर व निर्बल होगा। इसलिए बालक का स्वस्थ्य एवं सुदृढ होना समाज के लिए बहुत आवश्यक है तथा एक जिम्मेदारी भी है।

बालक के जीवन का प्रारम्भिक वर्ष काफी महत्वपूर्ण होता है। इस समय जैसा बालक का स्वास्थ्य होगा वैसे ही उसके आगे का जीवन भी होगा। यदि बालक स्वस्थ होगा तो उसके सारे शारीरिक एवं मानसिक विकास भी सही समय में एवं अच्छे से विकसित होंगे जो उसके जीवन में सीखने एवं आगे बढ़ने में सहायक होगा। यदि बच्चे का पोषण का स्तर अच्छा होगा तो वह अपने सभी विकासात्मक प्रतिप्रतिमानों को समय में पूरा कर लेगा किन्तु अगर उसका पोषण का स्तर अच्छा नही होगा तो वह अस्वस्थ रहेगा एवं अपने उम्र के बच्चों से पीछे रह जायेगा।

शब्द कुंजी – अनुपूरक आहार, कुपोषण, बालक, पारिवारिक दायित्व।

प्रस्तावना – बाल्यकाल मानव जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। यह अवस्था भावी जीवन का आधारशिला प्रस्तुत करता है, तभी कहा गया है "Child is the Father of Man." बालक का जिस प्रकार शारीरिक विकास होगा उसी के अनुरूप सारे विकास परिलक्षित होंगे। अर्थात यदि शारीरिक विकास उचित अवस्था अनुरूप होंगे तो वह अपने अन्य विकासों के प्रतिमानों को भी प्राप्त कर लेगा किन्तु यदि बच्चे का पोषण अच्छा नहीं होगा तो वह कुपोशित हो जायेगा तथा उसके सभी प्रकार के विकास प्रभावित हो जायेगें।

शारीरिक विकास से तात्पर्य शरीर के सभी आन्तरिक एवं बाह्य अंगों के विकास से हैं, जैसे शरीर की लम्बाई, भार, शारीरिक अनुपात, अस्थियों का विकास, दांतों का विकास, मांशपेशियों का विकास, आन्तरिक अंगों का विकास आदि। शारीरिक विकास के अन्तर्गत वे सभी कारक भी सम्मिलित होते हैं जो शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं।

शारीरिक विकास की शुरूआत तो गर्भाधान के साथ ही प्रारम्भ हो जाती है। गर्भाधान के समय जिस गर्भित अंडाणु जिसे जाइगोट भी कहते हैं की आकृति मात्र एक सूई के नोक के बराबर होती है वही आकृति 9 माह की अवस्था को पूर्ण होते-होते एक 19''-20'' लम्बा शिशु जिसका वजन 3-3.5 कि.ग्रा. होता है, एक अवस्था मानव शिशु बन जाता है, तथा जन्म के बाद उसका बाह्य वातावरण से सामना होता है तथा उसका पोषण छह: माह तक उसके मां के ऊपर निर्भर रहता है।

बच्चों के स्वास्थ्य के लिए स्तनपान महत्वपूर्ण है। जन्म के एक घण्टे के भीतर स्तनपान नवजात शिशुओं की मृत्यु के 20 प्रतिशत मामलों को कम कर देता है। नवजात शिशुओं को जिन्हें मां का दूध नहीं मिल पाता उनकी स्तनपान करने वाले बच्चों की तुलना में निमोनिया से 15 गुना और पेचिश से 11 गुना अधिक मृत्यु की संभावना रहती है साथ ही स्तनपान नहीं करने वाले बच्चों में मधुमेह, मोटापा, एलर्जी, दमा,ल्यूकेमिया आदि होने का भी खतरा रहता है। स्तनपान करने वाले बच्चों का आईक्यू भी बेहतर होता है।

शैशवास्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान उचित पोषण बच्चों को जीवन में पढ़ने, विकास करने, सीखने, खेलने, भाग लेने और समाज में योगदान करने योग्य बनाता है जबकि कुपोषण संज्ञानात्मक क्षमता, शारीरिक विकास, प्रतिरक्षा प्रणाली को खराब करता है तथा बाद के जीवन में रोग (जैसे कि मधुमेह एवं हृदय रोग) उत्पन्न होने में जोखिम को बढ़ाता है।

जबकि कुपोषण कई तरीकों से प्रकट हो सकता है, अंतिम उद्देश्य समस्त बच्चों को सभी रूपों में कुपोषण से मुक्त करना है। हालांकि कई शिशुओं एवं बच्चों को उचित आहार नहीं मिलता है। उत्कृष्ट शिशु एवं बाल आहार पद्धति के माध्यम से बेहतर बाल स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाले महत्वपूर्ण उपाय निम्न लिखित है :-

(क) गर्भावस्था से पहले एंव गर्भावस्था के समय तथा स्तनपान के दौरान पर्याप्त मातृ पोषण

(ख) स्तनपान को बढावा देना

- ❖ जन्म के एक घण्टे के भीतर स्तनपान कराना शुरू करना।
- ❖ जीवन के प्रारम्भिक छह: महीने तक स्तनपान कराना।
- ❖ रोग या बीमारी के दौरान स्तनपान कराना जारी रखना।
- ❖ माताओं एवं परिवारों को अपने बच्चों को उत्कृष्ट स्तनपान कराने के लिए सहयोग की आवश्यकता है तो उन्हें सम्पूर्ण सहयोग प्रदान करना।

(ग) छह महीने की अवस्था में स्तनपान कराने के साथ पर्याप्त व सुरक्षित पोषण एवं अनुपूरक (ठोस) खाद्य पदार्थो की शुरूआत जिसे दो वर्ष या उससे अधिक उम्र तक स्तनपान के साथ जारी रखना।

मानव जीवन में शारीरिक विकास होना अत्यंत जरूरी है अन्यथा इसके अभाव में मानसिक, संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, खेल, अनुशासन आदि का विकास संभव नहीं है। एक कमजोर एवं निर्बल बालक से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती है कि वह खेल के मैदान में जाकर खेलेगा और एक अच्छा क्रिकेट, फुटबॉल अथवा टेनिस का खिलाड़ी बनेगा। इसी प्रकार एक दुर्बल बालक से यह भी अपेक्षा करना बुद्धिमानी नहीं है कि वह कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करेगा। कमजोर एवं निर्बल बालक का स्वास्थ्य स्तर अत्यन्त दयनीय होता है वह अपने स्वास्थ्य को लेकर ही परेशान रहता है। रोग उसे अपने चपेट में शीघ्रता से ले लेता है। जरा सा मौसम परिवर्तित होता है तो उसका शरीर आहत हो जाता है तथा वह बीमार पड़ जाता है। ऐसी स्थिति में बालक का जितना मानसिक, संज्ञानात्मक, क्रियात्मक अथवा बौद्धिक विकास होना चाहिए उतना नहीं हो पाता।

हम सभी जानते हैं "Healthy Mind resides in a healthy body" स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। अस्वस्थ बालक स्वयं ही पीड़ा एवं कठिनाईयों से ही नहीं उबर पाता है। उसके माता-पिता उसके स्वास्थ्य को लेकर चिन्तित रहते हैं। कमजोर एवं नि:शक्त बालक का गामक (Motor) विकास भी विलम्ब से होता है। उसके हाथ पैरों की मांशपेशियां इतनी मजबूत नहीं हो पाती है कि वे अन्य बालकों के समान दौड़-धूप कर सके और उनसे प्रतिस्पर्धा कर सके।

अनूपूरक आहार – बच्चे के अच्छे स्वास्थ्य के लिए छ: माह के बाद स्तनपान के साथ अनुपूरक आहार का बहुत महत्व होता है। क्योकि छह: माह के बाद बच्चे के पोषण की आवश्यकता केवल मां के दूध से पूरी नहीं हो सकती है जिसे पूरा करने के लिए ऊपर का आहार प्रारम्भ किया जाता है तथा साथ ही तरल पदार्थो की आवश्यकता होती है। स्तनपान से परिवर्तन काल परिवारिक खाद्य पदार्थो की शुरूआत को अनुपूरक आहार कहा जाता है। इसमें छह: महीने से लेकर चौबीस महीने की अवधि (अपितु स्तनपान दो साल और उससे ऊपर हो सकता है) शामिल है।

❖ अनुपूरक आहार पर्याप्त होना चाहिए - इसे स्तनपान कराने के दौरान पर्याप्त मात्रा में, लगातार, अनुकूल और बढ़ते बच्चे की पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थो का उपयोग करके दिया जाना चाहिए।

❖ खाद्य पदार्थो को उचित तरीके से तैयार किया जाना चाहिए एवं सुरक्षित तरह से परोसा जाना चाहिए-जिसमें बच्चे कों उम्र के अनुसार पर्याप्त अनुपूरक आहार दिया जाना चाहिए जिसमें बच्चे को उम्र के अनुसार पर्याप्त अनुपूरक आहार दिया जाना तथा मनोवैज्ञानिक सामाजिक देखभाल के सिद्धांतों को अपनाकार उत्साह पूर्वक अनुकूल वातावरण में आहार दिया जाना शामिल है।

❖ उत्साह पूर्वक अनुकूल आहार-दूध पीने वाले शिशुओ को सक्रिय देखभाल एवं प्रोत्साहन की आवश्यकता होती जिसमें देखभालकर्ता को भूख के लिए बच्चे के संकेत को समझना है तथा उसे बच्चे को खाने के लिए भी प्रोत्साहित करना है। इसे सक्रिय या उत्साहपूर्वक अनुकूल आहार के रूप मे जाना जाता है।

कुपोषण – यह सामान्य शब्द है जो असंतुलित या अपर्याप्त आहार के कारण चिकित्सीय स्थितियों में प्रयोग किया जाता है। अधिकांशत: ये अपर्याप्त आहार, खराब अवशोषण या पोशक तत्वों के अत्यधिक क्षरण में उत्पन्न अल्प पोशण को प्रदर्शित करता है बार-बार संक्रमित बीमारियों के होने के कारण भी कुपोषण की स्थिति उत्पन्न हो सकती हैं। कुपोषण के कारण मृत्युदर का खतरा बढ़ता हैं यद्यपि यह प्रत्यक्ष रूप मृत्यु का कारण बहुत कम है किन्तु 2001 में विकासशील देशों में 54 प्रतिशत मृत्यु कुपोषण के कारण हुई है। उसमें प्रत्यक्ष रूप से प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के कारण मृत्यु पाई गई थी।

कुपोषण के प्रकार – कुपोषण तीन प्रकार के होते है अर्थत उसे तीन प्रकार के मानकों द्वारा पहचाना जा सकता है -

1. **कम वजन** - बच्चा कम वजन का तब माना जाता है जब उसका लिंग और उम्र के अनुसार मानक वजन की तुलना में कम है। कम वजन या तो हाल ही के कुपोषण या दीर्घकालीन कुपोषण या दोनों के प्रभावों के परिणामस्वरूप हो सकता है। अत: स्टंटिग एवं वेस्टिंग नापने का यह एक संयुक्त तरीका है। इसका प्रयोग प्राय: जनसंख्या की पोषण स्थिति को निर्धारित करने के लिए किया जाता है क्योंकि वजन को नापना आसान है। कम वजन को दो वर्गो में विभाजित किया जा सकता है।
   - मध्यम कम वजन
   - अति कम वजन
2. **वेस्टिंग (दुबलापन) –** एक दुबला बच्चा वह है जिसका वजन उसकी लंबाई के अनुसार उसकी लंबाई एवं लिंग के मानक की तुलना में कम है। दुबलापन वर्तमान कुपोषण के परिणाम स्वरूप वजन में वृद्धि की कमी या वास्तविक वजन के वजन के घटने से होता है। एक दुबला बच्चा कमजोर तथा पतला दिखता है तथा उसके शरीर से धीरे धीरे वसा तथा मांशपेशियां नश्ट होती जाती है इसका कारण है अपर्याप्त आहार लेना, अनुचित खान-पान, व्यवहार, बीमारी संक्रमण या सभी।
3. **स्टंटिग (ठिगनापन) –** एक ठिगना बच्चा वह है जिसकी उम्र के अनुसार लंबाई उसकी उम्र के एवं लिंग के अनुसार मानक लंबाई की तुलना मे कम होती है। स्टंटिग धीमी वृद्धि का सूचक है जिसका कारण है लंबे समय से अपर्याप्त आहार मिलना या बार-बार संक्रमण से ग्रसित होना। यह लम्बे समय से वृद्धि विपफलता का सूचक है। प्राय: स्टंटिग का परिणाम विलम्ब से मानसिक विकास, पढाई में पिछडना एवं बौद्धिक क्षमता में कमी के रूप में दिखता है।

पूर्व शोध साहित्य की समीक्षा :-

NFHS (National Family Health servey) 2015-16 के अनुसार मध्यप्रदेश में कुपोषण का प्रतिशत 9.2 है। भारत में बच्चों के गंभीर कुपोषण का उच्च स्तर (6.4) है। एक अनुमान के अनुसार भारत में कुपोशित बच्चों की संख्या 81 लाख है। एन.एफ.एच.एस.-3 के अनुसार मध्यप्रदेश में पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों में (50 प्रतिशत) आधे बच्चों का ठिगनाकद है जिससे यह संकेत मिलता है कि ये बच्चे लंबे समय से कुपोषण का शिकार है। 35 प्रतिशत बच्चे अपनी लम्बाई के अनुसार दुबले या पतले थे जबकि 60 प्रतिशत बच्चे कम वजन वाले थे।

Shaili(2011) - (के अनुसार (41.20%) माताओं के बच्चे कम वजन वाले पाये गये जो अशिक्षित थे। (92. 20%) माताएं गृहणी थी और बेरोजगार थी जहां अधिकतर बच्चे (88.46%) बच्चे कम वजन के थे। इन महिलाओं के पास पर्याप्त मात्रा में संसाधनों की कमी थी जिसके कारण वह

बच्चों को संतुलित आहार खिलाने में असमर्थ थी तथा कई बच्चे होने के कारण बच्चों को ध्यान भी नहीं दे पाती तथा अशिक्षित होने के कारण उनको पोषण आहार से संबंधित कोई जानकारी नहीं थी। बहुत सी महिलाएं मजदूरी करने चली जाती है तथा बच्चों को घर में छोड़कर जाने के कारण वह बच्चों के खान-पान का ध्यान नहीं रख पाती है।

Alessandra (2012) - के अनुसार आर्म का एन्थ्रोपोमेट्री पोषण स्तर को नापने के लिए किया जाता है। कुपोषण के साथ ही इसके द्वारा विभिन्न प्रकार की बीमारियों को देखा गया है जो कि क्लिनिकल आउटक्रम से संबंधित थी तथा इसके माध्यम से होने वाली अन्य समस्याओं की भी जानकारी प्राप्त हुई। पोषण के स्तर को नापने के लिए यह सबसे अच्छा माध्यम होता है एवं आसानी से किया भी जा सकता है तथा बहुत ही सस्ता माध्यम होता है।

शोध के उद्देश्य – किसी भी शोध के पीछे कोई न कोई उद्देश्य अवश्य होता है क्योकि उद्देश्य के बिना शोध का कोई महत्व ही नहीं होता है।

शोध के उद्देश्य निम्न है– किसी भी शोध के पीछे कोई न कोई उद्देश्य अवश्य होता है क्योंकि उद्देश्य के बिना शोध का कोई महत्व ही नहीं होता है। शोध के उद्देश्य निम्न है –

1. कुपोशित बच्चों के शारीरिक विकास का अध्ययन
2. कुपोशित बच्चों के मानसिक विकास का अध्ययन
3. कुपोषण के कारण का अध्ययन करना।
4. कुपोषण के कारण जीवन में पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करना।
5. कुपोषण को दूर करने के उपायों का अध्ययन करना।
6. कुपोषण को दूर करने में पोषण पुर्नवास केन्द्रों की भूमिका का अध्ययन करना।
7. अभिभावक को कुपोषण के दुष्परिणामों से अवगत कराना।

शोध परिकल्पनाएं :

1. कुपोषण के कारण बच्चों का शारीरिक-विकास अवरूद्ध हो जाता है तथा वह अपने उम्र के बच्चों की तुलना में पीछे रह जाता है।
2. कुपोषण के कारण बच्चों का बौद्धिक विकास अवरूद्ध हो जाता है।
3. कुपोषण का प्रमुख कारण छह माह के बाद अनुपूरक आहार शुरू न करना तथा छह: माह तक केवल मां का स्तनपान न करना है।
4. कुपोषण के कारण बच्चों के सभी विकास देर से होते हैं।
5. कुपोषित बच्चों में मृत्यु का खतरा स्वस्थ बच्चों की तुलना में ज्यादा पाया जाता है।
6. कुपोशित बच्चो में संक्रमण होने की संभावना ज्यादा रहती है।
7. पोषण पुर्नवास केन्द्र कुपोषण को खत्म करने में बहुतअहम भूमिका निभा रहा है।

शोध प्रविधि – किसी भी शोध कार्य को उद्देश्यहीन एवं ज्ञान रहित नहीं कहां जा सकता है। इसके लिए कुछ कारकों से प्रेरित होकर ही शोध कार्य के लिए प्रेरणा मिलती है एवं उसके ऊपर कार्य किया जाता है। शोध कार्य में संबंधित विषय के वास्तविक एवं विश्वसनीय आकड़ों को प्राप्त करने के लिए प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों प्रकार के आंकड़ों को एकत्र कर पूर्ण किया जाता है, प्राथमिक आकड़ों स्वयं कार्यस्थल पर जाकर मूल स्त्रोतों एवं साक्षात्कार अनुसूची द्वारा एकत्र किए गए है। जबकि द्वितीय आंकड़े विशय वस्तु से संबंधित विभिन्न प्रकाशित, अप्रकाशित पुस्तकों, शोध पत्र पत्रिकाओं, समाचार पत्रों आदि से एकत्र कर प्रयोग किए गए हैं।

अध्ययन क्षेत्र – प्रस्तुत अध्ययन सतना शहर के संबंध में है जिसकी कुल जनसंख्या जनगणना 2011 के अनुसार लगभग 22,28,619 है। जिसमें से पुरूष 1156734 एवं महिलाएं 10,71,885 है एवं 1000 पुरूषों के अनुपात में 926 महिलाएं है। जिसमें बालिका का अनुपात 1000 में 913 है। शोधार्थी द्वारा अध्ययन क्षेत्र में जाकर अनुसूची वा साक्षात्कार विधियों के माध्यम से आंकड़े एकत्रित किये गये है जिसमें शोधार्थी द्वारा 200 बच्चों को लेकर शोध कार्य पूरा किया गया।

आकड़ों का वर्गीकरण और सारणीयन – अनुसंधानकर्ता द्वारा तथ्यों को प्राप्त करने के बाद संकलित तथ्यों को सारणी के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

विश्लेषण एवं व्याख्या – प्रस्तुत अध्ययन में सतना जिले के समस्त 9 पोषण पुर्नवास केन्द्रों का चयन किया गया तथा वहां भर्ती कुपोषित बच्चों का चयन किया गया तथा माताओं से जानकारी एकत्रित की गई है।

तालिका क्र. 1: पोषण पुर्नवास केन्द्रों के चयनित बच्चों की संख्या

क्र	चयनित केन्द्रों का नाम	बालिका	बालक
1	सतना जिला अस्पताल	20	20
2	सिविल अस्पताल मैहर सतना	10	10
3	पोषण पुर्नवास केन्द्र नागौद सतना	10	10
4	पोषण पुर्नवास केन्द्र रामनगर सतना	10	10
5	पोषण पुर्नवास केन्द्र उचेहरा सतना	10	10
6	पोषण पुर्नवास केन्द्र अमरपाटन	10	10
7	पोषण पुर्नवास केन्द्र कोठी सतना	10	10
8	पोषण पुर्नवास केन्द्र मझगवां सतना	10	10
9	पोषण पुर्नवास केन्द्र रामपुर बाघेलान सतना	10	10
	कुल संख्या -9	100	100

जिले की समस्त 9 एनआरसी से बच्चों का चयन किया गया। जिसमें 100 बालिका तथा 100 बालक का चयन किया गया। जिसमें अध्ययन में पाया गया कि 100 बालिकाओं में 85 प्रतिशत में सम्पूरक आहार 6 माह की उम्र में प्रारम्भ नहीं किया था तथा 15 प्रतिशत में ही 6 माह में प्रारम्भ किया गया है किन्तु वह पर्याप्त मात्र में नहीं था। इसी प्रकार बालकों में भी 100 का अध्ययन किया गया। जिसमें 78 प्रतिशत में सम्पूरक आहार 6 माह में प्रारम्भ नहीं किया गया था तथा 18 प्रतिशत में ही 6 माह में प्रारम्भ किया। जिसके कारण बच्चों में कुपोषण का स्थिति उत्पन्न हो गई तथा उनके सभी विकासात्मक कार्य प्रभावित पाए गए।

निष्कर्ष :

1. प्राप्त आंकडों से यह निष्कर्ष प्राप्त हुआ है कि कुपोषण का एक प्रमुख कारण 6 माह में संपूरक आहार प्रारम्भ न करना है।
2. आंकड़ों से यह निष्कर्ष प्राप्त हुआ है कि अधिक बच्चे जो कुपोषित थे उनकी माता ने बच्चों को अन्नय स्तनपान नहीं कराया है।
3. बच्चों को 6 माह के पहले घूंटी, गाय का दूध एवं पानी दिया गया जिसमें साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा गया तथा बच्चों को लगातार डायरिया बना रहा तथा बच्चों का वजन घटता चला गया एवं वो कुपोषण की श्रेणी में आ गए।
4. अनुपूरक आहार जब प्रारम्भ किया गया तो वह पर्याप्त मात्रा में नहीं था जिससे बच्चों को पोषण की आवश्यकता पूरी नहीं हो पाई एवं वह कुपोषण की श्रेणी में आ गए।
5. अनुपूरक आहार में आवश्यक पोशक तत्व प्रोटीन कोर्बोहाइड्रेट वसा

एवं विटामिन संतुलित मात्रा में प्रदान नहीं किए।

6. संपूरक आहार के साथ कम से कम 2 वर्ष तक स्तनपान नहीं कराया गया क्योकि अकिधतर माताएं गर्भवती थी।

सुझाव :

1. जन्म के तुरन्त बाद स्तनपान का आरम्भ, यदि हो सके तो 1 घण्टे के भीतर।
2. प्रथम छह: माह के दौरान केवल स्तनपान अर्थात शिशु को केवल मां का दूध दिया जाए तथा अन्य कोई दूध खाद्य पेय पदार्थ पानी जैसा कुछ नहीं।
3. छह: माह की अवस्था के बाद सभी शिशुओं को स्तनपान के अलावा पूरक आहार देना प्रारम्भ कर देना चाहिए।
4. दो वर्ष की आयु तक सतत स्तनपान तथा संतुलित पोषण आहार प्रारम्भ करना चाहिए।
5. शुरूआत में 6 से 8 माह की अवस्था के बीच दिन में दो से तीन बार आहार देना चाहिए।
6. बीमारी के दौरान एवं बाद में स्तनपान के साथ-साथ अधिक बार ऊपरी आहार खिलाना जारी रखे।
7. यदि मां या बच्चा बीमार हो तब भी मां अपना दूध बच्चे को पिलाती रहे।
8. बच्चे को अलग कटोरी में भोजन दें ताकि सुनिश्चित हो सके कि उसे पर्याप्त भोजन मिला है और उसने सही मात्रा में खाया है।
9. 2-5 साल के बच्चयों को पारिवारिक भोजन सहित अनेक प्रकार के आहर जैसे चावल, रोटी, दाले, सब्जियां पीले फल और दूध से बने पदार्थ खिलाएं।
10. आहार में उपर से अतिरिक्त तेल/घी अवश्य डालें। जहां संभव हो वहां मांसाहारी भोज्य प्रदार्थ जैसे अण्डा, कलेजी, मछजली को आहार में अवश्य सम्मिलित करें।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. डॉ. वृन्दा सिंह मानव विकास का अध्ययन
2. डॉ. आभा गोयल मानव विकास का परिचय संस्करण 2016
3. गंभीर कुपोशित बच्चों का संस्थागत प्रबन्धन 2014 राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्यप्रदेश (भारत)
4. राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 1 से 7 सितम्बर इंटनेट के माध्यम से।
5. यूनाईटेड नेशनस इंटनेशनल चिल्ड्रेन इमरजेन्सी न्यू दिल्ली 2004

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
October to December 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVI

कोरोना महामारी का पर्यटन उद्योग पर प्रभाव और चुनौतियाँ

रीमा शिन्दे * डॉ. प्रभुदयाल ज्ञानानी **

* शोधार्थी, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत
** प्राध्यापक, स्वामी विवेकानंद शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नीमच (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – पर्यटन उद्योग वर्तमान में एक सुदृढ़ व्यवसाय बन चुका है जो रोजगार और विदेशी मुद्रा प्राप्ति का बेहतर स्त्रोत है लेकिन कोरोना महामारी के कारण अर्थव्यवस्था का हर कोई क्षेत्र इससे बुरी तरह से प्रभावित हुआ है और सभी को गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ा रहा है। अत: पर्यटन उद्योग भी पूरी तरह से डगमगा चुका है और गंभीर चुनौतियाँ सामने है।

प्रस्तावना – वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण अर्थव्यवस्था का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जो इससे प्रभावित नहीं हुआ है। इन क्षेत्रों में यात्रा, पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र भी बुरी तरह से प्रभावित हुए है। इस महामारी के चलते सम्पूर्ण विश्व में लॉकडाउन किया गया जिससे पर्यटन की सभी गतिविधियाँ ठप हो गई और पूरे विश्व में ही पर्यटन उद्योग और इसके सहायक व्यवसाय जिससे होटल, परिवहन, टूर एजेन्सी, टूर एजेंट और गाइड बुरी तरह प्रभावित हुए है। भारत भी इससे अछूता नहीं रहा है। इस महामारी के चलते घरेलू और अन्तर्राष्ट्रीय यात्रा के प्रतिबंधित होने से पर्यटन उद्योग को करोड़ों रूपये का नुकसान उठाना पड़ा है। भारतीय उद्योग परिसंघ ने इसे सबसे बुरे संकटों में से एक बताया है। इसके अनुसार इस संकट ने तेजी से विकास कर रहे भारतीय पर्यटन उद्योग को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। इससे न केवल घरेलू पर्यटन उद्योग बल्कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन उद्योग भी प्रभावित हुआ है जिसे लॉकडाउन तथा सोशल डिस्टेंसिंग का सीधा नुकसान झेलना पड़ा है। पर्यटन उद्योग विश्वभर में लाखों लोगों के लिये आजीविका का अवसर प्रदान करता है। महामारी ने इस उद्योग को विभिन्न स्तरों पर प्रभावित किया है। वर्तमान में कोरोना महामारी के चलते विश्व के सभी देशों ने जैसे-जैसे महामारी फैली वैसे ही अपने देश में सम्पूर्ण लॉक डाउन करना शुरू कर दिया था, जिसमें सभी उद्योग व्यवसाय परिवहन सहित सभी सेवाएं सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए बंद कर दिए गए ताकि महामारी को फैलने से रोका जा सके। महामारी ने पर्यटन को विभिन्न स्तरों पर प्रभावित किया है।

कोरोना महामारी का पर्यटन उद्योग पर प्रभाव

1. **आर्थिक प्रभाव** – पर्यटन और आतिथ्य उद्योग का अर्थव्यवस्था पर काफी व्यापक प्रभाव पडता है। और ये उद्योग अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। वर्ष 2019 के आँकडो के अनुसार वैश्विक व्यापार में पर्यटन उद्योग ने कुल 7 प्रतिशत का योगदान दिया था। तथ वर्ष 2019 में भारत के पर्यटन उद्योग ने देश के सकल घरेलू उत्पाद में तकरीबन 9.3 प्रतिशत का योगदान दिया था लेकिन महामारी के कारण वैश्विक स्तर पर पर्यटन उद्योग को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है। लगभग सब आर्थिक गतिविधियां बंद होने के कारण पूरे विश्व में लोगों की आय के स्त्रोत बंद हो गए साथ ही लोगो ने अपनी बचतें भी अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा करने और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य खर्चो में लगा दी है, अत: देखा जा सकता है कि हर स्तर पर आर्थिक स्थिति डगमगा गई है। लोगो के पास नकदी की कमी है। व्यक्ति को घूमने-फिरने का विचार तभी आता है। जब उनके पास पर्याप्त पैसा हो अत: हर स्तर पर आर्थिक स्थिति डगमगा गई है।

2. **आजीविका पर प्रभाव** – कोरोना महामारी के कारण आजीविका पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है। महामारी ने सतत् विकास लक्ष्यों की प्राप्ति की गति को धीमा कर दिया है। पर्यटन उद्योग महिलाओं, ग्रामीण समुदायों और अन्य वंचित समुहों के लिए सदैव से ही आय का प्रमुख स्त्रोत रहा है। ऐसे में इस उद्योग पर महामारी के प्रभाव के कारण इन लोगों के समक्ष भी आजीविका का संकट उत्पन्न हो गया है। कोरोना के कारण सम्पूर्ण विश्व में लॉकडाउन हो गया, जिससे सभी प्रकार के परिवहन रेल, बस, हवाई मार्ग ठप्प हो गए तथा आर्थिक संकट में आ गए और इससे जुडे अधिकतर लोग बेरोजगार हो गए जिससे पूरी तरह आजीविका प्रभावित हो गई।

3. **सांस्कृतिक प्रभाव** – पर्यटन संस्कृति को बढ़ावा देने और परस्पर संवाद तथा समझ का विकसित करने का एक प्रमुख माध्यम में से एक है। पर्यटन से अंतर्राष्ट्रीय समझ और सौहार्द्र बढ़ता है। तथा इसके माध्यम से देश-विदेश की संस्कृति को समझा जाता है। चुंकि महामारी के प्रभाव से पर्यटन उद्योग पर बहुत ही गहरा असर पड़ा है। सांस्कृतिक क्षेत्र में विरासत संरक्षण के जो प्रयास किए जा रहे है, रूक से गए है। तथा समुदायों विशेष रूप से स्वदेशी लोगों और जातीय समुहों के सांस्कृतिक और सामाजिक ताने-बाने पर काफी दबाब पड़ा है। इस वैश्विक महामारी के कारण सांस्कृतिक आदान-प्रदान और संवाद में स्थिरता आ गई है। तथा इसके प्रभाव से राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय रीति-रिवाजों और जीवन शैली को बुरी तरह से क्षति पहुंची है।

4. **पर्यावरणीय प्रभाव**- कोविड महामारी के कारण हर क्षेत्र में नकारात्मक प्रभाव देखने को मिला है। परन्तु पर्यावरण एक ऐसा क्षेत्र है। जिस पर महामारी का सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। कोविड महामारी के चलते एक साथ देश और दुनिया में लाकॅडाउन लगाया गया। इससे न केवल उद्योग धंधे, कल-कारखाने बंद हो गए, बल्कि लोगो के वाहन चलाने पर भी प्रतिबंध लगाया गया। इससे प्रदूषण स्तर बहुत कम हो गया। ग्रीनहाऊस जैसे उत्सर्जन कम हुआ, जिससे हवा की गुणवत्ता अच्छी हो गई, नदियों का पानी स्वच्छ हो

गया, वन्य जीवों को नया जीवन मिला खास कर पशु तस्करी का खतरा कम हो गया। इस तरह कोरोना महामारी का पर्यावरण पर अनुकूल प्रभाव देखने को मिला, महामारी से मानवता को जरूर बड़ा नुकसान हुआ है लेकिन पर्यावरण पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

5. सामाजिक प्रभाव– कोविड–19 महामारी के कारण समाज में एक प्रकार का भय फैला है। जिससे लोग एक–दूसरे के नजदीक जाने से बचते है, वहीं दूसरी ओर प्रशासन ने भी सामाजिक दूरी बनाए रखने की अपील की है ताकि लोग स्वस्थ और सुरक्षित रहे। इस महामारी का सबसे गंभीर प्रभाव उन परिवारों पर पड़ा है जिनके सदस्य इस बीमारी के चलते मृत्यु को प्राप्त हो गए जिससे उनकी पारिवारिक, मानसिक और आर्थिक स्थिति डगमगा गई है।

महामारी का दूसरा सामाजिक प्रभाव नस्लभेदी प्रभाव का उत्पन्न होना है जैसा कि हमें मामूल है इस बीमारी की शुरूआत चीन से हुई है। इसलिए चीनी नागरिकों को आगामी कुछ वर्षो तक नस्लभेदी टिप्पणी का सामना करना पड़ सकता है जिससे उन्हें उपेक्षा का शिकार भी होना पड़ सकता है।

महामारी का तीसरा सबसे गंभीर सामाजिक प्रभाव उन समुदायों पर देखने को मिलेगा जो आर्थिक तौर पर बेहद पिछडे हुए है जैसे घुम्मकड़, समुदाय के लोग, दिहाड़ी मजदूर, असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कामगार इत्यादि इन समुदाय के लोगों पर इस महामारी का दोहरा प्रभाव देखने को मिल सकता है। पहला प्रभाव–रोजगार छूट जाने की ओर वर्तमान आय शून्य हो जाना । वही दूसरी तरफ किसी प्रकार की बचत ना होने की स्थिति में परिवार के भरण पोषण के दबाव से गुजरना एवं पारिवारिक कलह जैसी समस्या का उत्पन्न होना है।

महामारी का एक सामाजिक प्रभाव स्त्री विमर्श के नजरिये से भी देखा जा सकता है। लॉकडाउन की स्थिति में बच्चे, बुजुर्ग, वयस्क सभी अपने – अपने घरों में कैद थे तो ना चाहते हुए भी इस महामारी के दौरान महिलाओं के घर के कामों में अनावश्यक रूप से वृद्धि हुई जिसका प्रभाव महिलाओं की सेहत और मानसिक दबाव के रूप में देखने को मिल सकता है। इन सभी नकारात्मक सामाजिक प्रभावों के अलावा कुछ सकारात्मक प्रभाव भी इस कोरों महामारी के कारण उत्पन्न हुए है जिनमें सबसे महत्वपूर्ण पर्यावरणीय प्रभाव है। इस दौरान सभी प्रकार के प्रदूषणों पर पूरी तरीके से अचानक रोक लग गई है जिससे नदी, हवा सभी के साफ होने प्राकृतिक पर्यावरण स्वच्छ हुआ है।

6. राजनैतिक प्रभाव– कोरोना वायरस संक्रमण से पूरी दुनिया प्रभावित हुई है और इसके प्रभाव से राजनीति भी अछूती नहीं है, विश्व स्वास्थ संगठन ने कोविड–19 संक्रमण को वैश्विक महामारी घोषित किया है और इस संकट का सामना पूरी दुनिया कर रही है यह एक सर्वमान्य तथ्य है कि पर्यटक स्थानीय नहीं होते वह राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय, अन्तराज्यीय दूसरे प्रदेशों से आए होते है। महामारी के चलते हर राष्ट्रीय सरकार ने स्थानीय प्रशासनों द्वारा बाहरी व्यक्तियों के आने पर रोक लगा दी ताकि महामारी के द्वारा उठाये गए और सभी राष्ट्र की सरकारों के लिए यह एक चिंता का विषय है कि कैसे इस महामारी से निदान मिले और सभी राष्ट्र इससे बचने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे है कि इस महामारी से विश्व सुरक्षित और स्वस्थ रह सके।

वर्तमान चुनौतियाँ– महामारी के कारण बंद पड़े पर्यटन व्यवसाय को दोबारा शुरू करना सबसे बड़ी चुनौति है पर्यटन उद्योग के सामने आई विभिन्न चुनौतियाँ निहित है।

- पर्यटन उद्योग से जुड़े सभी स्थलों, परिवहन साधनों, होटलों सभी को सेनेटाइज करना और दोबारा से शुरूआत करना।
- पर्यटकों को पुन: आकर्षित करने के लिए बड़ी मात्रा में प्रचार करना।
- पर्यटकों को महामारी से भयमुक्त कर उन्हें विश्वास दिलाना कि उन्हें कोई असुविधा और दुविधा नहीं होगी।
- आवश्यकता होने पर पर्यटन स्थलों पर सभी चिकित्सा सुविधाएँ उपलब्ध कराना।
- स्थानीय लोगों को भी विश्वास दिलाना कि बाहरी व्यक्ति वायरस से ग्रसित नहीं है।
- विभिन्न स्थलों पर चेक पाइंट बना कर चिकित्सा जाँच की व्यवस्था करना।
- पर्यटन की योजनाओं और नीतियों का पुर्नमूल्यांकन करना और उन्हें अधिक सुविधाजनक बनाना।

निष्कर्ष – कोविड–19 महामारी के प्रकोप के दौरान पर्यटन उद्योग पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव देखने को मिला है। हालांकि कोविड–19 संक्रमण के मामलों में गिरावट और वैक्सीन के वितरण की शुरूआत के साथ पर्यटन क्षेत्र में सुधार की उम्मीद जगी है। इस महामारी के चलते सभी बातों का ध्यान रखते हुए पर्यटन उद्योग को दोबारा शुरू करने के लिए सरकार द्वारा पर्यटन नीति की समीक्षा कर उसे वर्तमान समय की मांग के अनुरूप बनाना होगा तथा पर्यटन की नीतियों और योजनाओं का पुनर्मूल्यांकन करने हुए उन्हें और सुविधाजनक बनाना होगा जिससे यह उद्योग दोबारा से शुरू हो सकेगा और इसके अंतर्गत बेरोजगार हुए लोगों को पुन: अपना रोजगार मिल जाएगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. शोध गंगा
2. शोध गंगोत्री
3. समाचार पत्र–नवभारत, दैनिक भास्कर
4. इन्टरनेट के माध्यम से
5. पुस्तक–पर्यटन व्यवसाय एवं विकास
6. wwww.jagran.com

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
October to December 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVI

सिंचाई से खाद्यान्न फसलों के उत्पादन में परिवर्तन का तुलनात्मक अध्ययन -झुंझुनूं जिले के संदर्भ में

सुमन कुमार* डॉ. पूर्णिमा सिंह **

* (भूगोल विभाग) मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर (राज.) भारत
** (भूगोल विभाग) सहायक आचार्य, राजकीय कन्या महाविद्यालय, उदयपुर (राज.) भारत

शोध सारांश – खाद्यान्न फसल उत्पादन एवं उत्पादकता को प्रभावित करने कारकों में सिंचाई का महत्वपूर्ण स्थान होता हैं। सिंचाई सुविधा प्राप्त होने पर ही उर्वरकों एवं उन्नत बीजों तथा कृषि विधियों के प्रयोग से उत्पादन वृद्धि की जा सकती हैं। जहाँ वर्षा की अपर्याप्तता हो, वहां पर सिंचाई कामहत्त्व अधिक हो जाता हैं। झुंझुनूं जिले में मरूस्थलीय धरातल तथा वर्षा की कमी से सिंचाई किया जाना आवश्यक हो जाता हैं। वर्तमान में कृषकों को सिंचाई सुविधा (कुँआ) होने से खाद्यान्न वृद्धि के साथ-साथ अन्य फसल उत्पादन में वृद्धि हुई हैं। जिले में सिंचाई के साथ-साथ उर्वरक रासायनिक खाद, जैविक खद एवं उन्नत बीजों का प्रयोग भी बढ़ा है। अत: जिले में हरित क्रांति तथा पंचवर्षीय योजना का प्रभाव खाद्यान्न फसल उत्पादन में देखा गया हैं।
शब्द कुंजी – खाद्यान्न फसल, सिंचाई, उन्नत बीज, जैविक खाद, हरित क्रांति।

प्रस्तावना – वर्तमान समय में जनसंख्या के लगातार बढ़ने से खाद्यान्न की मांग अधिक हो रही हैं। बढ़ती जनसंख्या के अनुपात में खाद्यान्नों का कृषि द्वारा अतिरिक्त उत्पादन बढ़ाने का प्रयास किया जाना आवश्यक हैं। खाद्यान्न उत्पादन का संबंध कृषि से हैं। कृषि भूमि का आधारभूत व्यवसाय हैं। कृषि के आधार पर ही औद्योगिक विकास एवं खाद्यान्न पूर्ति निर्भर करता हैं। अर्थात् कृषि ही औद्योगिक क्षेत्र को कच्चा माल की आपूर्ति कर्ता है, साथ ही खाद्यान्न के रूप में मनुष्य एवं पशुओं को खाद्य आपूर्तिकर्ता हैं।

कृषि के अन्तर्गत झुंझुनूं जिले में मुख्यत: खाद्यान्न फसल उत्पादन किया जाता है। खाद्यान्न फसलों में गेहूँ, जौ, चना, बाजरा, खरीफ दलहन (मूंग, मोठ, चंवला) हैं। वर्तमान युग में कृषि में उन्नत साधनों के साथ-साथ सिंचाई का प्रयोग बढ़ा हैं। झुंझुनूं की मरूस्थलीय धरातल होने तथा वर्षा की कमी के कारण सिंचाई का प्रयोग अधिक हुआ है। सिंचाई सुविधाओं के विकास का प्रभाव खाद्यान्न फसल उत्पादन के साथ व्यापारिकल्प तिलहन फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता वृद्धि के रूप में देखा गया हैं। जिले में रबी उत्पादन में सिंचाई का प्रभाव अधिक रहा है।

अध्ययन क्षेत्र का परिचय – अध्ययन क्षेत्र राजस्थान प्रदेश के शेखावटी क्षेत्र का प्रमुख जिला हैं। झुझनूं जिला राज्य के उत्तर में स्थित हैं। जिले का अधिकांश भाग मरूस्थली हैं। जिले में वर्षा अनियमित, अनिश्चित एवं पर्याप्त होती हैं। जिले की मृदा मरूस्थलीय, बलुई एवं लाल-लोभी प्रकार की पाई जाती है।

जिले का अक्षांशीय विस्तार 27°38 से 28°31 उत्तरी अक्षांश तथा देशान्तरीय विस्तार 57°02 से 76°06 पूर्वी देशांतर तक हैं। जिले का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 59.26 वर्ग किलोमीटर हैं। जिले की उत्तरी सीमा हरियाणा राज्य के महेन्दगढ़, एवं भिवानी जिले से संलग्न है। पश्चिम में चुरू जिला और दक्षिण एवं पूर्व में सीकर जिला अवस्थित हैं। सन् 2011 की जनगणना के अनुसार जिले की कुल जनसंख्या 2137045 हैं। जिले का जनघनत्व 361 वयक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जिले का लिंगानुपात 950 हैं। जिले की कुल साक्षरता 74.13 प्रतिशत है, जिनमें पुरूष साक्षरता 86.90 एवं महिला साक्षरता 60.95 प्रतिशत हैं।

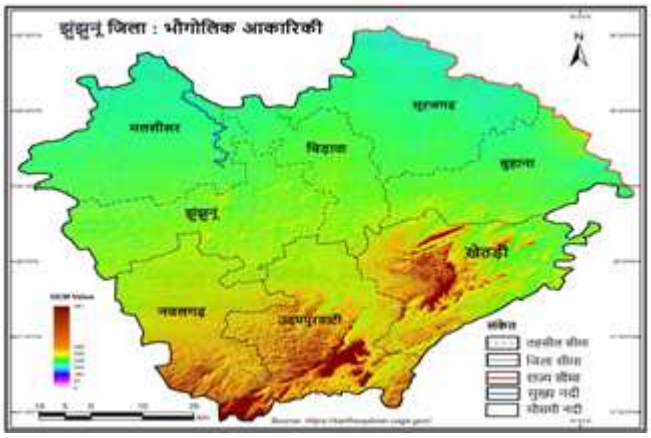

जिले में कोई बारहमासी नदी नहीं है, एक मात्र नदी कांटली है। उच्चावच के रूप में जिले के दक्षिणी-पूर्वी भाग में अरावली पर्वत श्रृंखला की पहाड़िया फैली हुई हैं, जो उदयपूरवाटी से प्रारम्भ होकर खेतड़ी सिंघाना तक फैली हुई हैं।

शोध अध्ययन के उद्देश्य:

1. सिंचाई से खाद्यान्न फसल उत्पादन में परिवर्तनों का अध्ययन करना।
2. खाद्यान्न उत्पादन कारकों के प्रभाव का अध्ययन करना।

परिकल्पना:

1. सिंचाई का कृषि उत्पादन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा हैं।

शोध प्रविधि एवं समंकों का संकलन – झुंझनूं जिले में कृषकों का खाद्यान्न उत्पादन में सिंचाई के महत्व को जानने तथा नवीनतम जानकारी जुटाने का प्रयास किया गया है। इस शोध पत्र में वैज्ञानिक पद्धतियाँ, वर्णनात्मक एवं व्याख्यात्मक विधियां तथा विश्लेषणात्मक अध्ययन किया गया हैं। प्रस्तुत

शोध पत्र प्राथमिक एवं द्वितीयक आँकड़ों पर आधारित है। प्राथमिक सर्वे अंतर्गत झुंझुनू जिले की 8 तहसीलों में सेसविचार निर्दशन विधि द्वारा 4 तहसीलों (झुंझनूं, नवलगढ़, चिड़ावा, सुरजगढ़) का चयन किया गया हैं। चयनित तहसीलों में प्रतिदर्श गांव का चयन कृषि वर्ष 2019-20 के दौरान सर्वाधिक बोया गया खाद्यान्न फसल क्षेत्र आधार 5-5 गाँवों का चयन किया गया। उद्देश्यपूर्ण प्रतिचयन विधि द्वारा प्रति दर्श गांव से 10 कृषकों का साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से झुंझनु जिले में सिंचाई खाद्यान्न फसल उत्पादन में परिवर्तनों का अध्ययन किया गया। द्वितीय आँकड़ों का संकलन पूर्व प्रकाशित रिपोर्ट, पत्र-पत्रिकाएँ तथा शोध आदि से किया गया है।

सैद्धांतिक व्याख्या – झुंझनूं जिले में सर्वेक्षण के दौरान पाया गया कि सिंचाई सुविधा उपलब्ध होने पर खाद्यान्न फसल उत्पादन में परिवर्तन आया है, जो तालिका क्रम संख्या 1 में दर्शाया गया हैं।

तालिका सं. 1 (अगले पृष्ठ पर देखे)

तालिका क्रम संख्या 1 द्वारा स्पष्ट हैं कि झुंझनूं जिले में सिंचाई साधन की अनुपलब्धता की स्थिति में गेहूँके उत्पादन न्यूनतम 1.5 क्विंटल प्रति बीघा एवं अधिकतम 2.7 क्विंटल प्रति बीघा होता है जबकि सिंचाई की उपलब्धता की स्थिति में सिंचाई से पूर्व 2.4 क्विंटल प्रति बीघा एवं सिंचाई के पश्चात् 12.8 क्विंटल प्रति बीघा गेहूँ का उत्पादन होता है। स्पष्टत: सिंचाई सुविधाओं के विकास से झुंझुनूं जिले में गेहूँ का उत्पादन में न्यूनतम 1 क्विंटल प्रति बीघा तथा अधिकतम 10.1 क्विंटल प्रतिबीघा में वृद्धि हुई है, जौ में अधिकतम 2.7 क्विंटली प्रति बीघा वृद्धि देखी गई हैं चना में न्यूनतम 2.2 एवं अधिकतम 4.1 क्विंटल प्रतिबीघा वृद्धि हुई है। बाजरा तथा खरीफ दाल के उत्पादन में अधिकतम क्रमश: 9.2, 8 क्विंटल प्रति बीघा वद्धि देखी गई है।

खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने वाले कारकों का प्रभाव – फसल उत्पादन हेतू सिंचाई सुविधाओं के साथ अन्य महत्पवूर्ण कारकों का संतुलित रूप से उपयोग किया जाना आश्यक होता है। मुख्यत: आधुनिक कृषि यंत्रों (ट्रेक्टर, कल्टीवेटर एवं अन्य) का प्रयोग, कीटनाशक, रासायनिक उर्वरक एवं उन्नत बीजों का प्रयोग में वृद्धि हुई है। जिले में सर्वेक्षण के दौरान पाया गया हैं कि रबी की फसलें कुल कृषि उत्पादन में एक तिहाई के समान हैं। किन्तु कुल उर्वरकों का दो तिहाई हिस्सा उपयोग किया जाता हैं। इसका कारण यह हैं कि इनके लिए सिंचाई की एक निश्चित मात्रा उपलब्ध है। परन्तु उनके दोहन हेतु साधनों का अभाव हैं। सर्वेक्षण में यह देखा गया हे कि कुल भूमि में कृषि भूमि की उपलब्धता कम हैं। इस कारण कृषकों द्वारा खाद्यान्न उत्पादन अधिक किया जाता हैं। जिनमें मुख्य रूप से गेहूँ, जौ, चना, बाजरा, खरीफ दाल (मूंग, मोठ, चंवला) है। व्यापारिक खरीफ में बड़े पैमाने में सिंचाई की आश्यकता होती है जिनका जिले में अभाव पाया जाता हैं। इसका मुख्य कारण गिरता भू-जल स्तर तथा स्तर ही जल का अभाव हैं।

कृषि उत्पादन वृद्धि हेतु सिंचाई सुविधाओं का विकास किया जाना आवश्यक है। सतही जल की उपलब्धता से सिंचाई सुविधा का विकास किया जा सकता है।

सिंचाई के स्त्रोतों के विकास से फसल विविधिकरण : प्राथमिक सर्वेक्षण के आधार पर जिले में सिंचाई सुविधा के विकास में पश्चात् कृषकों द्वारा विभिन्न फसलों का उत्पादन अथवा फसल विविधिकरण तालिका क्रम संख्या 2 में स्पष्ट किया गया हैं –

तालिका सं. 2 : सिंचाई सुविधा का विकास से फसल विविधकरण

क्र.	सिंचाई साधन की अनुलब्धता की स्थिति में खाद्यान्न उत्पादन (क्विंटल में)	सिंचाई साधन की उपलब्धता की स्थिति में खाद्यान्न उत्पादन करने वाले कृषक	अन्तर (प्रतिशत में)
1	हाँ	73	36.5
2	नहीं	127	63.5
	कुल	200	100

स्त्रोत : प्राथमिक सर्वेक्षण वर्ष 2020-21 से प्राप्त जानकारी के विश्लेषित समंक

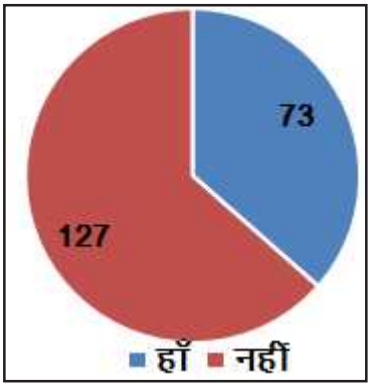

तालिका क्रम संख्या 2 में स्पष्ट है कि जिले में सिंचाई सुविधा के विकास से फसल विविधिकरण को अपनाने वाले कृषक 36.5 प्रतिशत हैं। जबकि 63.5 प्रतिशत कृषकों द्वारा फसल विविधिकरण को नहीं अपनाया गया हैं। इसका मुख्य कारण कृषि भूमि का अभाव, कृषकों को आधनिक तकनीक की जानकारी की कमी एवं कृषकों का पारम्परिक ज्ञाान रीति-रिवाज हैं।

खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने वाले कारकों का विश्लेषण – फसल उत्पादन किसी एक तत्व की पूर्ण उपलब्धता पर निर्भर नहीं बल्कि विभिन्न कारकों की संतुलित उपलब्ध पर निर्भर करता हैं। शोध क्षेत्र में खाद्यान्न उत्पादन को प्रभावित करने वाले कारकों का विश्लेषण किया गया है, जिनका विवरण तालिका क्र. 3 में दर्शाया गया हैं-

तालिका सं. 3 : खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने वाले कारक

क्र	विवरण	हाँ	प्रतिशत	नहीं	प्रतिशत
1.	रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग	115	57.5	85	42.5
2.	कीटनाशकों का प्रयोग	111	55.5	89	44.5
3.	आधुनिक यंत्रो का प्रयोग	117	58.5	83	41.5
4.	उन्नतशील बीजों का प्रयोग	135	67.5	65	32.5
5.	जैव प्रौद्योगिकी	53	26.5	147	73.5
6.	वर्षा की पर्याप्तता	91	45.5	109	54.5
7.	बहुफसल पद्धति	105	52.2	95	47.5

स्त्रोत : प्राथमिक सर्वेक्षण वर्ष 2020-21 से प्राप्त जानकारी के विश्लेषित समंक

तालिका 3 से स्पष्ट है कि खाद्यान्न फसल उत्पादन हेतु सिंचाई सुविधा के साथ अन्य महत्वपूर्ण कारकों का संतुलित रूप से उपयोग किया जाना उत्पादन वृद्धि में सहायक होता हैं। प्राथमिक सर्वेक्षण के आधार पर जिले में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग 57.5प्रतिशत, कीटनाशकों का प्रयोग 55.5 प्रतिशत आधुनिक यंत्रों का प्रयोग 58.5 प्रतिशत तथा उन्नत बीजों का प्रयोग 67.5 प्रतिशत कृषक उत्तरदाताओं ने खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने हेतु

उक्त कारकों का प्रयोग किया हैं। जिले में जैव प्रौद्योगिकी का विकास कम होने के कारण 26.5 प्रतिशत कृषकों ने कृषि में प्रयोग किया हैं। कृषि हेतु 45.5 प्रतिशत कृषकों ने वर्षा को पर्याप्त माना है। बहुफसल पद्धति 52.2 प्रतिशत कृषकों ने अपनाया हैं।

निष्कर्ष – खाद्यान्न उत्पादन या उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारकों में सिंचाई का विशेष महत्व हैं। सिंचाई स्त्रोत के अभाव में फसल उत्पादन करना असंभव है। क्योंकि जिले में वर्षा अनियिमत, अनिश्चतता तथा अपर्याप्तता रहती हैं। जिलें मुख्यत: खाद्यान्न फसल अन्तर्गत गेहूँ, चना, बाजरा उत्पादित की जाती है। जिनके लिये अत्यधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। जल की कमी को पूर्ति हेतु सिंचाई की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

अत: विगत बीस वर्षो (1999-2000 से 2018-19) के दौरान जिले में खाद्यान्न उत्पादन एवं उत्पादकता देखा जाये तो बाजरा का उत्पादन वर्ष 1999-2000 में 57908 टन से 2018-19 में 309321 टन तथा उत्पादकता 231 हैक्टर प्रति किलो से 1459 प्रति हैक्टर किलो वृद्धि हुई है। वर्ष 1999-2000 से 2018-19 के तुलनात्मक रूप से विवरण देखा जाये तो जौ का उत्पादन 8815 टन की तुलना 23201 टन, उत्पादकता 1683 से 3367 प्रति हैक्टेयर किलो एवं चना उत्पादन 16522 टन से 118035 टन हुआ।

चना की उत्पादकता 520 से 1424 हैक्टेयर प्रति किलो, खरीफ दलहन उत्पादन 6654 से 54676 टन हुआ एवं उत्पादकता में 112 से 644 हैक्टेयर प्रति किलो हुई हैं। गेहूँ का उत्पादन 141818 से 323290 टन तथा उत्पादकता 2151 से 4173 हैक्टेयर प्रति किलोग्राम में हुई हैं।

निष्कर्षत: कहा जा सकता हैं कि जिले में विगत 20 वर्षो में सिंचाई सुविधा के विकास प्रभाव के कारण एवं अन्य कारकों के संतुलित उपयोग से खाद्यान्न फसल उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि हुई हैं। जिले में सिंचाई सुविधा का विकास किया जाता है तो कृषि उत्पादकता में वृद्धि होगी। उत्पादकता के माध्यम से अर्थव्यवस्था में स्थिरता, आर्थिक नियोजन, रोजगार में वृद्धि, किसानों की आय में वृद्धि तथा उच्च जीवन स्तर आदि प्राप्त किया जा सकता हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची:-

1. लाल, भंवर (2008), 'जवाई बांध कमाण्ड क्षैत्र में सिंचाई का फसल प्रारूप पर प्रभाव', पीएच.डी. थिसीस, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर (राज.
2. सोलंकी, महेन्द्र सिंह (2006), 'उदयपुर जिले में कृषि भूमि उपयोग एवं सिंचाई प्रारूप पर परिवर्तन का प्रभाव : एक भौगोलिक अध्ययन', पीएच.डी. थिसीस, जनार्दनराय नागर राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय, उदयपुर
3. कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार (1999-2000 से 2018-19 तक के विभिन्न संस्करण)
4. प्राथमिक सर्वेक्षण वर्ष 2020-2021 से प्राप्त जानकारी के लिये विश्लेषित समंक
5. जिला सांख्यिकीय रूपरेखा, झुंझुनूं (राज.) वर्ष 2020-21
6. भू-अभिलेख कार्यालय, झुंझनूं।

तालिका सं. 1 : सिंचाई के उपयोग के पूर्व एवं पश्चात् खाद्यान्न फसलों के उत्पादन : तुलनात्मक विश्लेषण

फसल	सिंचाई साधन की अनुपलब्धता की स्थिति में उत्पादन (क्विंटल में)		सिंचाई के साधन की उपलब्धता की स्थिति में उत्पादन (क्विंटल में)		अन्तर(क्विंटल में)	
	न्यूनतम	अधिकतम	सिंचाई से पूर्व	सिंचाई के पश्चात्	न्यूनतम	अधिकतम
गेहूँ	1.5	2.07	2.5	12.8	1	101
जौ	-	-	1	2.7	1	2.7
चना	2.3	4.8	4.8	8.9	2.2	4.1
बाजरा	4	8.5	8	17.7	4	9.2
खरीफ दाल (मूंग, मोठ, चंवला)	2.5	3.5	7	11.5	4.5	8

स्त्रोत : प्राथमिक सर्वेक्षण वर्ष 2020-2021 से प्राप्त जानकारी के विश्लेषित समंक

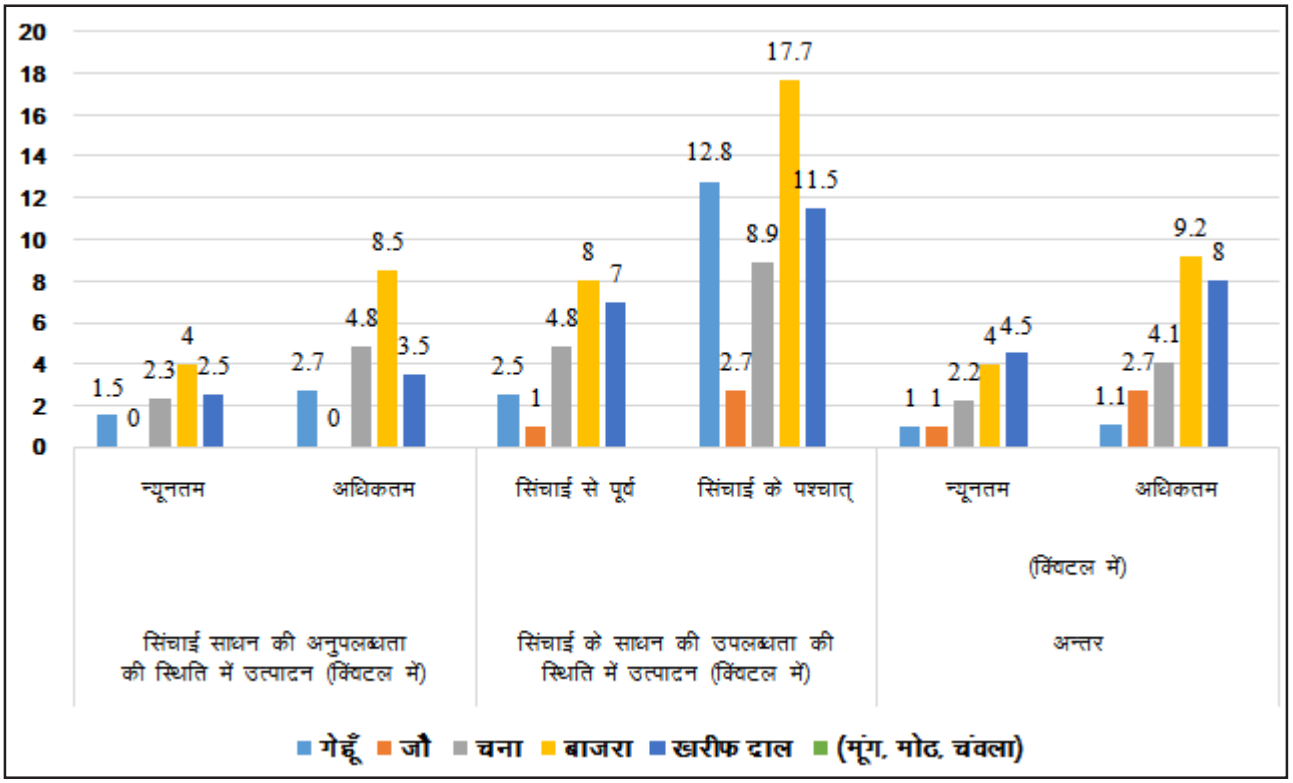
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
1.5
0
2.3
4
2.5
2.7
0
4.8
8.5
3.5
2.5
1
4.8
8
7
12.8
2.7
8.9
17.7
11.5
1
1
2.2
4
4.5
1.1
2.7
4.1
9.2
8
न्यूनतम
अधिकतम
सिंचाई से पूर्व
सिंचाई के पश्चात्
न्यूनतम
अधिकतम
(क्विंटल में)
सिंचाई साधन की अनुपलब्धता की स्थिति में उत्पादन (क्विंटल में)
सिंचाई के साधन की उपलब्धता की स्थिति में उत्पादन (क्विंटल में)
अन्तर
गेहूँ
जौ
चना
बाजरा
खरीफ दाल
(मूंग, मोठ, चंवला)

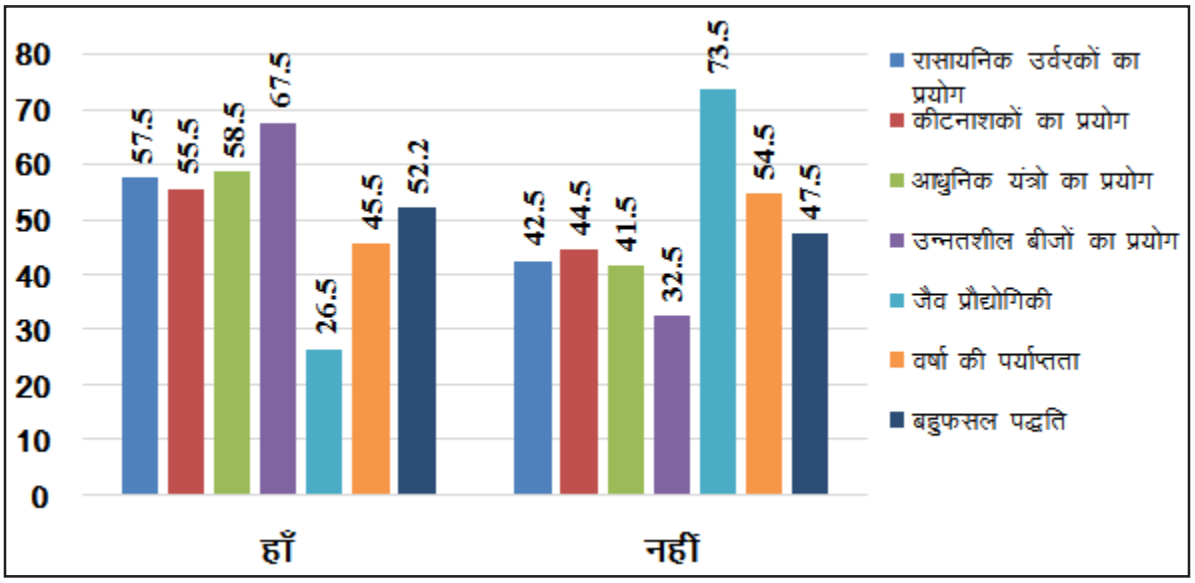
80
70
60
50
40
30
20
10
0
57.5
55.5
58.5
67.5
26.5
45.5
52.2
42.5
44.5
41.5
32.5
73.5
54.5
47.5
हाँ
नहीं
रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग
कीटनाशकों का प्रयोग
आधुनिक यंत्रो का प्रयोग
उन्नतशील बीजों का प्रयोग
जैव प्रौद्योगिकी
वर्षा की पर्याप्तता
बहुफसल पद्धति

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
October to December 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVI

मानवाधिकार : एक राष्ट्रवादी स्वप्न

हिमांशी पंजाबी *

* शोधार्थी, महिदपुर रोड, उज्जैन (म.प्र.) भारत

शब्द कुंजी– महिला, पुरुष व बच्चो के मानवाधिकार

प्रस्तावना– किसी भी स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण में मानवाधिकार महत्वपूर्ण भुमिका निभाते है। मानवाधिकार भेदभाव से दुर होते है फिर चाहे वह महिला हो,पुरुष हो या कोई बच्चा सभी को समान रुप से प्राप्त होते है। भारत एक गणतंत्रवादी व स्वतंत्र राष्ट्र है। भारत की महान हस्तियों के द्वारा अधिकारो के लिए अनेक आन्दोलन किए गए।

भारतीय संविधान में भी प्रारम्भ से ही अधिकारो का समावेश किया गया है और साथ ही महिलाओ व बच्चो के लिए अलग से प्रावधान भी किए गए है। परन्तु क्या यह अधिकार प्रत्येक वर्ग तक बिना किसी भेदभाव के जमीनी स्तर पर और प्रत्येक संगठन तक पहुंच पाये है।

मानवाधिकार का इतिहास– अशोक के आदेश पत्र आदि अनेक प्राचीन दस्तावेजो एंव विभिन्न धार्मिक और दार्शनिक पुस्तको में अनेक ऐसी अवधारणाएं है। जिन्हे मानावाधिकार के रुप में चिन्हित किया जा सकता है।

आधुनिक भारत में विश्वव्यापी स्तर पर 10 दिसंबर 1948 को सयुंक्त राष्ट्र की साधारण सभा ने संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार की विश्वव्यापी घोषणा को अंगीकृत किया। इसलिए प्रत्येक वर्ष 10 दिंसबर को विश्व मानवाधिकार के रूप में मनाया जाता है।

विभिन्न देशो के मौलिक अधिकार संबंधित दस्तावेज:

1. द ट्वेल्स आर्टिकल आफ द ब्लैक फारेस्ट (1525)– यूरोपीय मानवाधिकार दस्तावेज।
2. 1776 में अमरिकी संविधान में मौलिक अधिकारो को स्थान दिया गया।
3. 1791 ईस्वी का ब्रिटिश बिल आफ राइट्स।

भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकार–भारतीय संविधान में भी अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारो का प्रावधान किया गया है।

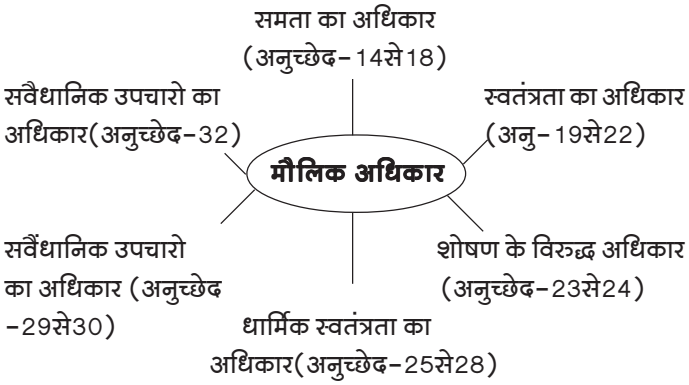

राष्ट्रीय आपात (अनुच्छेद–352) के दौरान जीवन एंव व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोडकर अन्य मौलिक अधिकार को स्थगित किया जा सकता है।

भारत में 12 अक्टुबर 1993 में सरकार के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। इसलिए प्रत्येक वर्ष 12 अक्टुबर को 'राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस' मनाया जाता है।

इन सब लिखित दस्तावेजो के प्रावधानो की पुर्ण तरीके से जमीनी हकीकत कुछ और ही होती है या कही ना कही किसी रुप में मानवाधिकार का उल्लंघन होता है।

मनुष्य की मूलभुत 5 आवश्यकताएं होती है।

1. भोजन
2. कपडा
3. आवास
4. पानी
5. स्वास्थ्य

परन्तु क्या यह आवश्यकता की पहुंच प्रत्येक देश के नागरिक तक है या नहीं कुछ बिन्दुओ के द्वारा हम देखेंगे।

1. भारत 116 देशो में वैश्विक भुख सुचकांक 2021 में 101वे पायदान पर है।
2. भारत में बेरोजगारी दर अगस्त में 8.32 फिसदी रही जो कि एक चिन्ता का विषय है।
3. साल 2018 में नीति आयोग द्वारा किये गये एक अध्ययन में 122 देशो के जल संकट की सूची में भारत 120वे स्थान पर खड़ा था।
4. एक अनुमान के अनुसार शहरी भारत की लगभग 65 मिलियन आबादी स्लम में निवास करती है।जबकि 09 लाख लोग बेघर है।
5. भारत सरकार द्वारा स्वाास्थ्य पर जी.डी.पी का केवल 1 प्रतिशत ही ठ किया जाता है। हालांकि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में 1 प्रतिशत को बढ़ाकर 2.5 प्रतिशत करने का सुझााव दिया है परन्तु फिर भी अन्य देशो की तुलना के मुकाबले यह काफी कम है।

इन सब रिर्पोट्स पर नजर डाले तो कही ना कही हमे यह नजर आयेगा कि हमारे देश के नागरिको को उनके अनिवार्य अधिकार भी नहीं मिल पा रहे है।

सुझाव:

1. स्लम एरिया के लिए सरकार द्वारा ऐसे वोलेंटियर नियुक्त किये जाये जो झुग्गी बस्तियो में योजनाओ के बारे में लागो को जागरुक करे।

2. झुग्गी बस्तियो में प्रत्यक्ष रुप से जाकर उनकी समस्याओ के बारे में पुछा जाए या फिर बस्ति में पढ़े–लिखे व्यक्ति को वोलेंटियर बनाया जाए तथा से स्थानीय प्रशासन डायरेक्ट सम्पर्क में रहे।
3. बेघर को लघु उद्योगो से जोडा जाए।

निष्कर्ष– विभिन्न प्रकार की रिर्पोटो में भले ही भारत के अंक अन्य विकसित देशो की तुलना में कम हो परन्तु भारत की स्थिति का मानवाधिकार के मामले का तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो यह एक सराहनीय दृष्टिकोण के रुप में सामने आएगा। हालांकि वर्तमान परिपेक्ष्य की आवश्यकता है कि सरकार की लाभकारी परियोजनाओ का स्तर पर हो तथा जरुरतमंद व्यक्तियो तक इसका लाभ पहुंचे।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. भारतीय संविधान।
2. MPNRC.ORG.
3. Globel hunger index.
4. India Economy Survey.
5. Niti Ayog Report.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
October to December 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVI

कोरोना की दूसरी लहर की स्थिति का अध्ययन ग्वालियर जिले के वार्ड क्रमांक-21 के सन्दर्भ में

डॉ. लारेन्स कुमार बौद्ध*

* सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य) शासकीय महाविद्यालय, चीनौर (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – कोरोना महामारी से पिछले डेढ़ वर्ष से सामना कर रहें लोगों को पहली लहर ने बुरी तरह प्रभावित किया और लोगों को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा चाहे रोजगार हो, शिक्षा हो, आवागमन हो एवं अन्य विभिन्न प्रकार की असहनीय स्थिति उत्पन्न हुई और कई लोगों को जान से हाथ भी धोना पड़ा इसके उपरान्त भी लोग पहली लहर से सरकार की चेतावनी के बाबजूद भी जागरूक नहीं हुए और जैसे ही कोरोना संक्रमण की स्थिति सामान्य हुई लोग लापरवाह होकर बाजार में बिना मास्क घूमने लगे एवं सोशल डिस्टेंन्सिंग का पालन करना भी बन्द कर दिया इस समय सरकार ने भी मानवीय हित एवं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए बाजार एवं अन्य वाणिज्यक गतिविधियॉ शुरू कर दी,लेकिन मानवीय लापरवाही, अनियमितता तथा कोरोना महामारी को गम्भीरता से न लेने का परिणाम दूसरी लहर के रूप में देखने को मिला जिसके परिणाम बहुत ही भयानक एवं खतरनाक हुए इस समय सक्रमितों की संख्या दिन-प्रतिदिन बहुत तेजी से बढ़ रही थी अप्रैल एवं मई माह 2021 के दौरान तो अस्पतालों में बैड एवं आक्सीजन की समस्या उत्पन्न हो गई थी और प्रशासनिक अधिकारी बुरी तरह से व्यथित एवं परेशान थे कि गम्भीर सक्रमितों की व्यवस्था कहा पर की जाए जब सभी सरकारी एवं निजी अस्पतालों में मरीजो को रखने के लिए जगह नहीं थी। ऐसी स्थिति में अरिरिक्त आइसोलेशन केन्द्रों की ब्यवस्था की गई और वहॉ संक्रमित मरीजों के उपचार की भी सुविधा थी इन केन्द्रों से मरीजों को बहुत सहायता मिली, विशेष रूप से उन मरीजों को जिनके घर पर एकान्त रहने की ब्यवस्था नहीं थी यहॉ पर मरीजों को मूलभूत सभी प्रकार की सुविधाए जितना सम्भव था उतनी शासन द्वारा उपलब्ध कराई गई थी जिससे की कोई भी मरीज असहज महसूस न करे और मरीजों में सकारात्मकता का भाव बना रहे जिससे कि वह मानसिक रूप से बीमारी से लड़ने के लिए तत्पर रहें और समाज में नकारात्मकता का माहौल न बने हर सम्भव प्रयास स्थानीय स्तर पर सरकार द्वारा किए गए।

अध्ययन के उद्देश्य:

(1) दूसरी लहर का प्रभाव बहुत घातक था लेकिन जिन क्षेत्रों में लोग जागरूक थे एवं जहॉ पर अन्य राज्यों से लोगों का आवागमन कम था वहॉ पर संक्रमण की दर सामान्य रही लेकिन ज्यादातर घरों में यह देखने में आया है कि यदि घर का एक सदस्य संक्रमित हुआ है तों उसके सम्पर्क में आने से एक साथ परिवार के कई अन्य सदस्य संक्रमित हुए ऐसा अधिकतर परिवारों में देखने में आया है लेकिन ऐसी स्थितियॉ उन परिवारों में उत्पन्न हुई जहॉ घरों में पर्याप्त कमरों का अभाव था इस कारण से लोग अधिक संख्या में संक्रमित हो रहे थे ऐसी स्थिति का सामना करने के समाधान के रूप में अतिरिक्त आइसोलेशन केन्द्रों की स्थापना की गई और संक्रमित लोगों को उन केन्द्रों में रहने की सलाह दी गई जिससे परिवार के अन्य सदस्यों को संक्रमण से बचाया जा सके कुछ समय पश्चात इसके सकारात्मक परिणाम आने लगे और धीरे-धीरे संक्रमण की दर कम होने लगी जो कि प्रषासन के लिए बहुत वड़ी उपलब्धि साबित हुई।

(2) माह अप्रैल-मई में कोरोना संक्रमितों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही थी शायद ही वार्ड- 21 में कोई कालौनी ऐसी रही हो जिसमें कोई भी व्यक्ति संक्रमित न हुआ हो बल्कि अधिकतर घरों में कोई न कोई व्यक्ति संक्रमित जरूर था यह समय हर परिवार के लिए बहुत कष्टदायक था एवं कुछ परिवारों के लिए अति दु:खद भी साबित हुआ जिन्होंने कोरोना के कारण अपनों को हमेशा-हमेशा के लिए खो दिया लेकिन साथ-साथ एक सुखद दृष्टिकोण यह था कि टीकाकरण के पहले चरण की शुरूवात 16 जनवरी 2021 से हुई और इसमें प्राथमिकता के आधार पर टीकाकरण का कार्य चला, कोरोना की दूसरी लहर के आने तक प्राथमिकता के आधार पर कुछ लोंगो का टीकाकरण हो चुका था ऐसे लोंगो पर वायरस का ज्यादा घातक प्रभाव नहीं हुआ वैक्सीनेट्ट जो लोग संक्रमित हुए उनमें से बहुत ही कम लोंगो को होस्पीटलाइज्ड होना पड़ा। यदि होस्पीटलाइज्ड हुए भी तो उन्हें आई.सी.यू. की जरूरत नहीं पड़ी।

(3) इस कठिन दौर में जिस समय लोंगो का घर से निकलना बंद था एवं हर व्यक्ति असहज महसूस कर रहा था जब वार्ड का प्रशासनिक ढॉचा बहुत ही तत्परता से लोंगो की सेवा में लगा हुआ था इन्सीडेन्ट कमान्डर द्वारा प्रतिदिन वार्ड इन्सीडेन्ट कमान्डरों की बैठक ली जाती थी और संक्रमितों की सूची के साथ आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जाते थे सूचीनुसार पी.सी.टीम संक्रमित मरीजों को दवाइयों की किट एवं काडा उपलब्ध करवाते थे वार्ड इन्सीडेन्ट कमान्डर प्रत्येक मरीज से बात कर उसका हाल-चाल पूछते थे कि उनकों दवाईयों की किट प्राप्त हुई या नहीं इस पर वार्ड इन्सीडेन्ट कमान्डरों का विशेष जोर होता था आवश्यकता पड़ने पर इन्सीडेन्ट कमान्डर एवं वार्ड इन्सीडेन्ट कमान्डरों द्वारा भी मरीजों को दवाई की किट एवं पल्स आक्सीमीटर प्रदाय किए जाते थे

उपकल्पना:

1. इस दौरान अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भूमिका सराहनीय रही।
2. हम दूसरे लहर को रोकने में सफल हुए।

शोध प्रविधि-प्रस्तुत अध्ययन सम्भवत: प्राथमिक एवं द्वितीयक समंको पर आधारित है प्राथमिक समंकों का संकलन प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान

के माध्यम से किया मरीजों से प्रतिदिन बात करके आकड़ों का संकलन किया गया और और अप्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान के माध्यम से साहित्य का अवलोकन पत्र-पत्रिकाओं,समाचार पत्रों एवं इन्टरनेट ,बेबसाइड तथा सोशल मीडिया का सहारा लिया गया।

माह अप्रैल-मई में संक्रमित मरीजों की विवरण तालिका

क्र.	कालोनी का नाम	होम क्वारेन्टाइन	हॉस्पीट लाइज्ड	मृत्य	कुल संख्या
1	गोले का मन्दिर एवं आसपास की कालोनी	250	16	01	267
2	बैंक कालोनी	67	02	00	69
3	हनुमान नगर	62	04	00	66
4	इन्द्रमणीनगर	91	09	02	102
5	पुरूषोत्तम विहार	27	03	00	30
6	नारायण विहार	47	00	00	47
7	प्रगति विहार	38	00	00	38
8	विवेक नगर	76	05	01	82
9	पंचशील नगर	45	01	00	46
10	कैला देवी कालौनी, कृष्णा नगर एवं अन्य	75	05	01	81
	कुल संख्या	778	45	05	828

दूसरी लहर के दौरान वार्ड क्रमांक-21की स्थिति- जिस प्रकार से सम्पूर्ण विश्व एवं भारत के सभी राज्य एवं जिले कोरोना की दूसरी लहर से बुरी तरह प्रभावित थे ठीक उसी समय वार्ड क्रमांक-21 की स्थिति बहुत दयनीय थी दूसरी लहर अप्रैल-मई माह के दौरान कुल 828 लोग संक्रमित हुए उनमें से 05 लोंगो की मृत्यु हो गई और 45 लोगो को हास्पीटलाइज्ड भी होना पड़ा जिनकी हालत ज्यादा खराब थी इनमें से कुछ लोग आई.सी.यू. में भी भर्ती हुए और उनके स्वास्थ में तेजी से सुधार हुआ शेष 778 लोग होमआइसोलेशन में रहे जिन्हें घर पर इवाईयों की किट प्रदाय की गई और वह उसी से स्वस्थ हो गए साथ ही प्रतिदिन वीडियों कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से इन्सीडेन्ट कमान्डर ,वार्ड इन्सीडेन्ट कमान्डरों एवं डॉक्टरों द्वारा मरीजों से उनका हाल-चाल पूछने के लिए बात की जाती थी और उनकी समस्याओं एवं शंकाओं का समाधन किया जाता था इन समस्त अथक प्रयासों के बावजूद संक्रमण की स्थिति सामान्य बनी फिर भी 05 व्यक्तियों को मृत्यु का सामना करना पड़ा और 45 मरीज हास्पीटलाइज्ड हुए दिन-प्रतिदिन स्थितियॉ सामान्य एवं असामान्य बनी रहती थी दूसरी लहर के दौरान वह 02 माह का समय सभी अधिकारियों,कर्मचारियों तथा समाज के लिए बहुत दुखदायक एवं कश्टप्रद रहा है इस अवधि के दौरान किस दिन क्या अनहोनी किस प्रकार की हो जाए अंदाजा लगाना मुश्किल था लेकिन इस कार्य में लगे सभी कर्मचारी एवं अधिकारी तत्परता एवं निस्वार्थ भाव से काम कर रहे थे उसके परिणाम सकारात्मक रहे।

निष्कर्ष-उपरोक्त अध्ययन से स्पष्ट होता है कि दूसरी लहर (माह अप्रैल एवं मई) के दौरान संक्रमित मरीजों की संख्या में बहुत असामान्य गति से बृद्धि हुई और स्थितियॉ बहुत चिन्ताजनक एवं विपरीत बनती जा रही थी लेकिन इस दौरान इन्सीडेन्ट कमान्डर ,वार्ड इन्सीडेन्ट कमान्डरों और टी.सी. बहुत ही निस्वार्थ भाव से सभी संक्रमित मरीजों को दवाईयों की किट एवं आवश्यकतानुसार पल्सआक्सीमीटर उनके घर पर उपलब्ध करा रहे थे। इससे स्पष्ट होता है कि अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने बहुत ही महनत तथा लगन से कार्य किया है एवं उनकी भूमिका सराहनीय रही, अत: अध्ययन की प्रथम उपकल्पना स्वयंसिद्ध होती है। माह अप्रैल-मई में संक्रमण की जो स्थिति वार्ड-21 में उत्पन्न हुई थी वह बहुत ही भयानक एवं चिन्ताजनक थी ऐसी स्थिति में कुछ क्षेत्रों को चयनित करके माइक्रों कन्टोनमेन्ट जोन बनाए गए और उन क्षेत्र के निवासियों के इधर-उधर आवागमन पर रोक लगाई गई और कालोनियों में एलांउसमेन्ट कर घर पर रहने की सलाह दी गई बिना किसी काम के घर से न निकले कुछ समय के लिए बाजारों को भी बन्द करना पड़ा और मई माह के अन्त तक इन सभी अथक प्रयासों से कोरोना संक्रमितों की संख्या धीरे-धीरे दिन-प्रतिदिन घटने लगी और हम दूसरी लहर रोकने में सफल हुए अत: अध्ययन की द्वितीय उपकल्पना सार्थक सिद्ध होती है।

सारांश- कोरोना की दूसरी लहर बहुत भयानक एवं निराशाजनक थी ऐसी स्थिति में संक्रमण की दर को रोकना बहुत चुनौतीपूर्ण था लेकिन इस दौर में सम्पूर्ण समाज ने बहुत ही संयम का परिचय दिया धीरे-धीरे सभी लोग कोरोना गाइडलाइन का पालन करने लगे जो गाइडलाइन सरकार द्वारा उन्हें दी जाती थी, कही-कही गाइडलाइन का पालन कराने के लिए इन्सीडेन्ट कमान्डर द्वरार सख्ती का भी प्रयोग करना पड़ता था और कही-कही समझाइस से भी लोग जागरूक हुए धीरे-धीरे लोगों को यह एहसास हुआ कि प्रशासन मेरे साथ है मुझे इसका सहयोग करना चाहिए कुछ स्वयंसेवी सस्थान ने भी बढ़-चढ़कर इस मुहिम में हिस्सा लिया और लोगों को टीकाकरण के लिए जागरूक किया गया, लोग अधिक से अधिक संख्या में टीके लगवाने लगे इस दौरान सरकार द्वारा लोगों की मदद करने के लिए कुछ योजनाओं की घोषणा की उनका लाभ भी पात्र हितग्राहियों को प्रशासन द्वारा दिलवाया गया चाहे मुख्यमंत्री कल्याण योजना हो या अन्य योजनाए।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची: -

1. बिकास का अर्थशास्त्र एवं आयोजन-एम.एल.झिंगन (2004) वृदा पब्लिकेशन्स प्रा.लि.।
2. रिसर्च मेथोडोलोजी-डॉ.सी.एम.चौधरी(2005) आ.बी.एस.ए. पब्लिकेशन्स जयपुर।
3. द् हिन्दू, इण्यिन एक्सप्रेस, दैनिक भास्कर।
4. इन्टरनेट, वेबसाइड।

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
October to December 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVI

नागार्जुन और गोपिनाथ महान्ति के उपन्यास में सामाजिक चेतना एक तुलनात्मक अध्ययन

मनोज कुमार पटेल *

* अध्यापक, डी. ए. वी (स्वयंशासित) महाविद्यालय, टिटिलागढ़ (ओड़िशा) भारत

प्रस्तावना – हिंदी साहित्य के उपन्यासकार नागार्जुन और ओड़िआ साहित्य के उपन्यासकार गोपीनाथ महान्ति के उपन्यास रचना काल का समय प्राय समकालीन है। नागार्जुन का जन्म सन 1911 ई. में बिहार प्रदेश के दरभंगा जिला के तरौनी में हुआ था। नागार्जुन प्रेमचंद के बाद हिंदी साहित्य परंपरा के एक समर्थ उपन्यासकार है। उन्होंने ग्रामंचल परिवेश का कथा वृतांत का सहज एवं स्वाभाविक रूप से वर्णन किया है। नागार्जुन आंचलिक उपन्यास धारा के प्रधान उपन्यासकार है। उन्होंने बिहार प्रदेश के मिथिलांचल के जनजीवन का विभिन्न पहलुओं का चित्रण किया है। उनका पहला उपन्यास 'रतिनाथ की चाची' सन 1948 ई. में प्रकाशित हुआ। इसके पश्चात 'बलचनमा' 1952,'नई पौधा' 1953, 'बाबा बटेश्वर नाथ'1954, 'दु:ख मोचन' 1957, 'वरुण के बेटे' 1957, 'उग्रतार' 1965, 'जमुनिया का बाबा' 1968, में प्रकाशित हुआ।

ओड़िआ उपन्यासकार गोपीनाथ महान्ति का जन्म 1914 ई. में ओड़िशा प्रदेश के कटक जिला की नागवली ग्राम में हुआ था। फकीर मोहन सेनापति के बाद क्रांतिकारी उपन्यासकार के रूप में उड़िया साहित्य में गोपीनाथ जी का नाम प्रसिद्ध है। उनका प्रथम उपन्यास 'दादी बुढ़ा' सन 1940 को प्रकाशित हुआ था। इसके बाद 'परजा' 1946, 'अमृतर संतान' 1949, 'शिव भाई' 1955, 'दाना पाणी' 1955, 'हरिजन' 1948,'अनल नल' 1973, 'माटी मटाल'1964 ,'दिग दिहूडी', 1979, 'श्लय विलय' 1971 आदि प्रकाशित हुआ है।

गोपीनाथ जी के प्राय उपन्यासों में अवहेलीत, शोषित, पीड़ित, जनजातियों, का जीते जागते चित्र को प्रस्तुत किए हैं। डॉक्टर तारिणी चरण दास ने गोपीनाथ मोहंती जी को आंचलिक उपन्यासकार मानते हैं। स्वतंत्रता से पहले गोपीनाथ जी आंचलिक उपन्यास का सूत्रपात उड़िया साहित्य में किया है। उन्होंने अपने उपन्यासों में ओड़िशा प्रदेश के कोरापुट, गंजाम, जयपुर, तथा विशाखापटना क्षेत्र के आदिवासी और जनजातियों का विभिन्न समस्याओं को प्रस्तुत किए हैं।

जमीदार तथा महाजनों का शोषण – नागार्जुन का पहला उपन्यास 'रतिनाथ की चाची' आजादी के प्रथम पहर का उपन्यास है। इसमें विकृत सामंती संस्कारों एवं जीवन व्यवस्था के चित्र उतारते हैं। 'बाबा बटेश्वर नाथ' में लेखक बेदखली के विरुद्ध किसानों के एक जुट जनवादी चेतना का चित्र खींचा है। किसान संघर्ष में विजय होकर स्वतंत्रता शांति और प्रगति का पताका फहराते हैं। बलचनमा में जमीदारों का शोषण और अत्याचार को यथार्थ रूप प्रदान किए हैं। वरुण के बेटे उपन्यासों में मछबारो के जीवन की समस्या को नागार्जुन ने सजीव रूप प्रदान किए हैं। स्वतंत्रता के बाद जमीदारी उन्मूलन होने पर भी जमीदार मछबारो से जल कर वसूली करते हैं।

गोपीनाथ महान्ति के उपन्यास 'परजा' में आदिवासी परजाओ को साहूकार तथा प्रशासनिक कार्यकर्ता शोषण और अत्याचारों का चित्रण सजीव रूप से प्रस्तुत किए हैं। आदिवासी लोगों का विद्रोह मानसिकता एक नवीन चेतना का स्वरूप ग्रहण करता है, जो प्रगतिवादी विचार पर अधिक बल देता है। अमृतर संतान में कनधा जाति के लोगों के जमीन पर सुंधी तेली ब्राह्मण लोग अधिकार कर लेते हैं सुनील दारु बेच कर जमीन हासिल किए हैं तथा रंगों ने कंधों के सरलता पर विश्वासघात कर मित्रता स्थापन करके जमीन पर अपना अधिकार जमा लिए हैं। 'शिव भाई' में शिबू के माध्यम से लेखक समाज के शोषण से मुक्ति तथा सामंती उन्मूलन का मार्ग को उजागर किए हैं। 'हरिजन' उपन्यास में उपन्यासकार गोपीनाथजी हाड़ी समाज का समस्या एवं बस्ती का बेदखल का चित्रण किए हैं इसमें दलित स्त्री का यौन शोषण का जीता जागता छवि को अंकन किया गया है।'माटी मटाल' में लेखक को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। इसमें सामंती प्रथा का विरोध स्वयं अपना पुत्र करता है । वह घर छोड़कर हरिजन तथा निम्न वर्ग के दलित का सेवा का सजीव चित्रण प्रस्तुत किया गया है। 'दिग दिहुडी' में एक विधवा कुलीन स्त्री सामाजिक और पारिवारिक समस्या से ग्रस्त जीवन शैली का ज्वलन छवि उभारा है ।

दोनों उपन्यासकार का कथावस्तु का मूल आधार आर्थिक विषमता हैं, जिसमें प्रगतिवादी चेतना को उजागर किया गया है।

किसान और श्रमिकों का अत्याचार और दुर्दशा के प्रति विद्रोह – नागार्जुन 'बलचनमा' उपन्यास में जमीदार वर्ग अमानुशिक ढंग से बलचनमा का अत्याचार करते हैं। जमीदार वर्ग का अनादि काल से चला आता हुआ दमन चक्र से मुक्त होने के लिए विद्रोह करता है। उसे जमीदार के यहां नौकरी करनी पड़ती है। उसमें एक निम्न वर्गीय किसान का दु:ख दर्द और संघर्ष व्याप्त है। रतिनाथ की चाची में तारा चरण ग्राम समाज में नए रूप से शोषण के विरुद्ध नेतृत्व लेकर उभरता है। गांव के जमीदार राजा बहादुर उसे भेड़ बकरियों जैसा बर्ताव करते है। तारा चरण कहता है– 'जमाना बदल गया है हम जब अंग्रेज के नाम से कौड़ी बांधते हैं, तो राजा बहादुर की विशात।'

'वरुण के बेटे' में मच्छुओ ने जिस गढ़ पोखर के सहारे अपनी जीविका निर्वाह करते थे उसमें जमीदारों ने जल कर वसूली करते हैं। मच्छूए का

अन्यत्र मजदूरी करना पड़ता है । मछुआरों ने एकजुट होकर अन्याय और शोषण के विरुद्ध आवाज उठाते । यह नवीन चेतना का स्वरूप है ।

'अमृतर संतान' उपन्यास में कौंधा जाति के लोग स्वयं की जमीन से बेदखल होकर मजदूर बन जाते हैं। बलचनमा में भी बेदखली का शिकार होता है। सुंडी, महाजन ,सरकारी अधिकारी तथा तैलंग ने कंधों को अत्याचार से मुक्त नहीं करते हैं। सुगरी कौंधा दस रुपए के लिए साहूकार के पास दो साल तक गोती मजदूरी करता है ।

'परजा' उपन्यास में आदिवासी नायक मांडिया जानी शोषण के प्रति विद्रोह करता है। वह संघर्ष पर विश्वास करता है और कहता है– 'अधर्म करके जमीन लिए पर भोग नहीं कर सकता।' अंत में साहूकार उसका शिकार बनता है। फरसे से साहूकार का सर को धाड़ से अलग कर देता है। कूछ विचारकों को ने इस घटना को आदिवासी लोगों का जातिगत प्रवृत्ति मानते हैं। परंतु प्रजा परिवार को निरंतर शोषण और अत्याचार का सामना करना पड़ता है। रुपए चुका देने पर भी जमीन नहीं मिलता। साहूकार उसकी बड़ी लड़की को उठाकर ले जाता है। माटीमटाल में रवि सामंती प्रथा के प्रति विरोध तथा हरिजन और शोषित वर्गों का सहायता करता है। उसे मार भी खाना पड़ता है। यह सभी संघर्ष नवीन चेतना है। जो मनुष्य के आत्मा सामान पर प्रभाव पड़ता है। किसान, मजदूर, जनजाति आदि का शोषण और अत्याचार का परिणाम विद्रोह का रूप धारण कर लेते है।

पलयानवादी प्रवृत्ति – नागार्जुन और गोपीनाथ महान्ति पलायनवाद को उपन्यास में स्थान दिए है, जो विकासोन्मखी रूप धारण करता है। बलचनमा जमीदार की बर्बरता से विरोधा करता है। वह गाव छोड़ कर पटना तथा लहरिया सराय आश्रम में शरण लेता है। सत्य ग्रह और कम्युनिस्ट नेताओं के सहयोग से पुन: जमीदारो में और किसानों में विद्रोह स्थापित करने में सफल होता है। माटीमटाल में रवि अपने पिता से ऊब कर घर परिवार छोड़ देता है। फूलशरा गांवों में अछूत, दलित, हरिजनो, आदि निम्न वर्गीय लोगो के सेबा में हमेशा तत्पर रहता है । इस प्रकार दोनों पत्रो में पलायनवादी प्रवृत्ति नवीन रूप से चित्रित है , जो नवीन चेतना तथा सामूहिक चेतना को जाग्रत करता है।

राजनैतिक चेतना – नागार्जुन और गोपीनाथ जी अपने उपन्यासों में राजनैतिक चेतना व्यक्ति का विकाश में सहायक सिद्ध रूप में वर्णन किए है। बाबा बटेश्वर नाथ में जैकी सनु और जीवननाथ जागकर कर्म प्रवृत्त के होते है । कम्यूनिस्ट पार्टी की सहायता से कांग्रेस शासन के विरुद्ध विजय प्राप्त करते है अंत में स्वाधीनता शांति और प्रगति का चित्रण है बलचानमा खेतियार मजदूर , भूमिहीन किसानों में नवीन क्रांति चेतना जाग्रत करता है।वह पटना में जाकर कम्यूनिस्ट से मिलता है और शोषण के विरूद्ध क्रांति उत्पन करने में सफल रहता है । हरिहरन उपन्यास में हड़ी बस्ती को अविनाश बाबू ने खरीदा है। यह सुनकर मेहेंतर और मेहेंरानी ने विद्रोह छोड़ देते है ।शिबू के मृत्यु के उपरांत भी आदिवासी गांव में उसका आदर्श जीवित रहता है।

दलित चेतना– साधारणत: नागार्जुन और गोपीनाथ महांती के प्राय: उपन्यासों में दलित चेतना का स्वर प्रखर रूप धारण किया है। बिहार प्रदेश के मिथिलांचल के राऊत, मुसर, माधुओ आदि जाति के किसानों तथा मजदूरों अपने अधिकार तथा शोषण एवं अत्याचार के विरूद्ध संघर्ष दलित चेतना है, जो सामूहिक चेतना है। ओडिशा प्रांत के गंजाम ,कोरापुट, जयपुर जिला के कंधा, कुई, संताल, भिल, हरिजन, आदिवासी, आदि का शोषण और अत्याचार परिणाम स्वरूप जो विद्रोह है वह दलित का है ।निम्न वर्ग, किसान, मजदूर, जन जाति, बन्य जाति, मधूओ आदि दलितों पर साहूकार, जमीदार तथा सरकारी अफसरों का अत्याचार क्रांति का रूप धारण कर लेता है ।यह दलित चेतना के साथ ही सामूहिक चेतना में परिवर्तित हो जाता है।

प्राकृतिक आपदा(अकाल और बाढ़) का समस्या – बाबा बटेश्वर नाथ में अकाल और बाढ़ की विषमता का चित्रण मानवीय संवेदना के स्तर पर किया है । पेड़ के पत्तियों को उबालकर अपनी पेट की ज्वाला को शांत करते है। इस परिस्थिति में भी जमीदार और महाजन किसानों से बलात लगान और सुधा बसुली करते है । बाबा बटेश्वर नाथ मार्ग दर्शन करता है । माटीमटाल में भी गोपीनाथ जी बाढ़ का चित्रण किए है। बाढ़ से पीड़ित लोगो की वेदना को प्रस्तुत किए है। बाढ़ पीड़ित लोगो की की सहायता के लिए रवि और छवि स्वयं सेवक के रूप में सामने आते है । यह सहायता तथा सेबा व्यक्ति चेतना का स्वरूप को नए आयाम देता है।

आदर्श नारी चित्रण– गोपीनाथ महांती तथा नागार्जुन की नारी पात्र के प्रति दृष्टि कोण बड़ा संयम, शिष्ट और मर्यादित रहा है। वरुण के बेटे कि माधुरी , उग्रतारा की उम्नी तथा कामेश्वर भाभी , दु:ख मोचन की माया ऐसी नारी है। जो सामाजिक रूढ़ियों परम्पराओं को तोड़ने वाली नई चेतना की से संपन्न नारी है। माधुरी एक आदर्श नारी पत्र है, जो समाज सेवी, परिश्रमी और प्रगतिशील है। वह पूरूष के कंधो से कंधा मिलाकर चलती है। वर्ग संघर्स में भाग लेती है और पुलिस से गिरफ्तार भी होती है । माटीमटाल में छवि ग्राम सेविका के रूप में चित्रित है। वह समाज सेवी तथा आदर्श प्रेमिका है । बाढ़ पीड़ितों को सहायता प्रदान करने में तत्पर दिखाई देती है । दिग दिहुडी में मायादेवी की पुत्री रमा को उपन्यासकार ने ग्राम सेविका के रूप में प्रस्तुत किया है । फिर बाद में आश्रम में रहती है । वह मां और भाई की बोझ बनाना नहीं चाहती है। नागार्जुन तथा गोपीनाथ के नारी पात्र प्रगतिशील रहे है। वह त्याग सेबा ओर आत्मा बिस्वास पर अधिक बल देते है।

विधवा समस्या– 'माटिमटाल' में मायादेवी जमीदार परिवार की कुलीन नारी है। पति के मृत्यु के पश्चात अपने पांच संतानों के साथ आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ता है । वह एक छोटा सा होटल चलाती है और जीविकापार्जन करती है। नागार्जुन जी ने 'रती नाथ की चाची' में गौरी विधवा ब्राह्मणी का चरित्र को सजीव रूप से प्रस्तुत किए है । गौरी ब्राह्मणी जीवन में सामाजिक विषमता, स्वार्थपरता और यातना से दुखद जीवन की निर्वाह करती है । उग्रतार में भी लेखक नागार्जुन विधवा विवाह का समस्या को एक नए दृष्टि कोण से अंकन किया है। इसका नायक अगेस्वर विधवा अग्नि से विवाह करता है ।

यौन शोषण– 'हरिजन' में अविनाश बाबू एक विवाहित पुरुष है, फिर भी वह जेमा हाड़ी मेहेंतरानी से अनैतिक यौन संपर्क तथा शोषण करते है । जेमा की सतीत्व को हरण करते है ।वह एक अवैध संतान की मां बन जाती है । अग्रतारा में उगनी भी अवैध रूप से गर्वावती होने का चित्रण है । बालचनमा तथा परजा उपन्यास में भी यौन शोषण का सजीव चित्रण किया है। साहूकार परजा में मंडिया जानी के बड़ी लड़की को प्रोलोभित करके ले जाता है। तथा उसके साथ अनैतिक यौन संबंधा रखता है । बलचनामा में भी बालचानमा के वहन के साथ छोटे मालिक फूलबाबू के फूफा बलात्कार की सजिस करता है।

इस प्रकार साहूकार तथा जमीदार किसानों और मजदूरों को आर्थिक समस्या से जूझने में मजबूर करते है । उसे बेदखल करते है । अपने पास मजदूरी कराते है। उसकी फ़ायदा उठाकर साहूकार उनके बहू बेटी पर भी अपना अधिकार जानते है ।

अंध विश्वास – नागार्जुन और गोपिनाथ जी ग्रामीण समस्या से उत्पन अंधाविश्वास का भी चित्रण किए है। बाबा बटेश्वर नाथ में रूप उली गाँव में व्याप्त अंधा विश्वास, कुरीतियां, धार्मिक आडंबरो तथा पंडो , ओझा आदि लोगो का पाखंड रूप का चित्रण किया गया है। महदु डोंमदा अपनी तांत्रिक क्रियाओं तथा मंत्रो चारण विद्या से– ओ.ड. अलौख निरंजन भाग साले 3333। भूत प्रेत भगा देता है गांव के सबसे पुराने बट बृक्ष के प्रति श्रद्धा और भक्ति का चित्रण है। स्वयं बटेश्वर नाथ कहता है – अब में प्रिय नहीं था , पूजनीय था , वंदनिया था और मानवीय था। मेरी बेढी पर स्त्रियां चावल की पीढ़ी तथा पीढ़ियों पर दूध, अक्षत और फूल चढ़ाती हैं। परिवार की भलाई केलिए मन्नते मांगती है।

दादी बूढ़ा में बूढ़ा खजूर के पेड़ को काटकर उसमे एक सफ़ेद कपड़ा का पगड़ी बना के देवता के समान आदिवासी लोग पूजा करते है। दादी का तात्पर्य पूर्व पुरुष से है। आदिवासी लोग मुक्ति के लिए तथा मुश्किलों से उद्धार पने केलिए मंदार फूल की माला चढ़ाते है। और मंत्र पाठ करते है। परजा लड़का और दमुणी लड़की के भाग जाने के कारण गांव में छूत लगता है। उसके लिए दादी बूढ़ा पूजा अर्चना करते है। उसके कहने से लोगो को गांव छोड़ना पड़ता है। परन्तु नये गांव में भी सामाजिक परिवर्तन नहीं हो पता है।

दोनों उपन्यासकार ने अंध विश्वास को जन शोषण में धार्मिक पाखंड में सहायक सिद्ध मानते है। जिससे मानवीय विकाश में बाधा पहुचता है।

विचार पूर्वक देखा जाए तो नागार्जुन और गोपीनाथ महान्ति दोनों समकालीन उपन्यास परम्परा का समर्थ कलाकार है। उनके उपन्यास में आदर्श और यथार्थ को एक सूत्र में फूल की भांति पिरोया गया है। बिहार तथा ओड़िशा दोनों ही राज्य आर्थिक रूप से पिछड़ा है।यह प्रदेश स्वतंत्रता के उपरान्त भी वर्तमान दीन– हिन स्थिति का सजीव रूप से प्रस्तुत किए है। उनके उपन्यासों में ग्रामीण परिवेश, समाज के कथा वृतांतो का सहज स्वाभाविक वर्णन है। दलित और पीड़ित वर्ग का वास्तविक स्वरूप उनके उपन्यासों में है। दोनों उपन्यासकार दलित, अवहेलित, और पीड़ित वर्ग को अपने उपन्यासों में स्थान दिए है।

ग्राम्य परिवेश का भारतीय किसान, मजदूर, जनजाति, पिछड़ा वर्ग आदि के जीवन का व्यापी संघर्ष और उनके निरंतर विकासोन्मुखी चेतना का यथार्थ परक और मर्म स्पर्षी चित्रण करने वाले उपन्यासकार नागार्जुन और गोपीनाथ महांती का स्थान साहित्य में अन्यतम है। दोनों उपन्यासकार अपने अपने प्रदेश तथा क्षेत्र विशेष का विभिन्न समस्या को यथार्थ रूप से उभारे है। यह समस्या तथा संघर्ष, प्रदेश अंचल या क्षेत्र विशेष न होकर सम्पूर्ण भारतीय जन जीवन की क्रांति चेतना के विकास में एक प्रामाणिक दस्तावेज का स्वरूप है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. बलचनमा – नागार्जुन
2. रति नाथ की चाची – नागार्जुन
3. बरूण के बेटे – नागार्जुन
4. माटिमटाल– गोपिनाथ महान्ति
5. अमृतसर सन्तान – गोपिनाथ महान्ति
6. हरिजन – गोपिनाथ महान्ति
7. दाना पाणी– गोपिनाथ महान्ति
8. हिन्दी साहित्य का इतिहास – नागेन्द्र
9. ओड़िआ साहित्य और इतिहास – सुरेन्द्र महाराणा

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
October to December 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVI

कार्यस्थल पर तनाव प्रबंधन

डॉ. आलोक कुमार यादव *

*** प्र. प्राचार्य, इं. गाँ. शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, छिन्दवाड़ा** (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – आधुनिक युग में अधिकांश लोग तनाव में हैं। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं जैसे परिवारिक तनाव, व्यवसायिक विफलता, कार्यस्थल की बदलती परिस्थितियां, किसी भी शारीरिक बीमारी के कारण तनाव आदि। जो तनाव हम अनुभव करते है, वह अनन्य और वैयक्तिक होता है। एक परिस्थिति किसी व्यक्ति के लिए तनावपूर्ण हो सकती है, परन्तु वही परिस्थिति दूसरे के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकती है। प्रत्येक व्यक्ति तनाव कोअलग प्रकार से महसूस करता है। अत: तनाव का सम्बन्ध इस बात से है कि हम उस स्थिति को किस रूप में देखते है और कार्मिक की अभिवृति पर निर्भर करता है जो वे इसके प्रति विकसित करते है। स्वस्थ और खुशहाल जीवन के लिए विभिन्न रणनीतियों या अपने तनाव को प्रबंधित करने के तरीकों को जानना कार्मिकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए इस शोधपत्र में कार्यस्थल पर तनाव के कारणों और जीवन में तनाव को प्रबंधित करने के लिए विभिन्न रणनीतियों पर चर्चा की गई है।

प्रस्तावना – चिकित्सीय या जैविक संदर्भ में तनाव एक शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक कारक है जो शारीरिक या मानसिक तनाव का कारण बनता है। तनाव बाहरी (पर्यावरण, मनोवैज्ञानिक या सामाजिक स्थितियों से) या आंतरिक (बीमारी, या एक चिकित्सा प्रक्रिया से) हो सकता है।

तनाव शब्द का सम्बन्ध उस अनुक्रिया से है जो आप ऐसी परिस्थितियों का सामना करने करते समय अनुभव करते है, जो आपको किसी न किसी रूप में कोई क्रिया करने, परिवर्तित होने और संयोजित होने के लिए बाधय करती है ताकि आप अपनी स्थिति को बनाये रखें अथवा संतुलित रख सकें। तनाव किसी प्रकार की मांग या अपेक्षा के प्रति आप का शारीरिक अनुक्रिया या प्रतिक्रिया करने का ढंग है । तनाव को 'मनोवैज्ञानिक और शारीरिक असंतुलन' की स्थिति के रूप में परिभाषित किया गया है, जो स्थितिजन्य मांग और व्यक्ति की क्षमता और उन जरूरतों को पूरा करने की प्रेरणा के बीच असमानता के परिणामस्वरूप होता है।' यह अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के कारणों से हो सकता है।

डॉ. हंस सेली ने तनाव को 'किसी व्यक्ति या कार्य को परिवर्तन किसी मांग के प्रति एक अविशेष अनुक्रिया' के रूप में परिभाषित किया है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से तनाव उस समय उत्पन्न होता है जब किसी व्यक्ति से की गई अपेक्षाएं उसके अनुकूली संसाधानों से अधिक होने लगे या उनका अतिक्रमण करने लगें। इस परिभाषा में तनाव के दो घटक महत्वपूर्ण है : लगाया गया दबाव तथा व्यक्ति के अनुकूली संसाधन। जब लगाया गया दबाव व्यक्ति की योग्यता और उसके उपलब्धा संसाधनों से अधिक हो जाये तो उस अवस्था में तनाव उत्पन्न हो जाता है।

तनाव सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है:

1. तनाव तब अच्छा होता है जब स्थिति किसी व्यक्ति को कुछ हासिल करने का अवसर प्रदान करती है। यह चरम प्रदर्शन के लिए एक प्रेरक के रूप में कार्य करता है।
2. जब कोई व्यक्ति सामाजिक, शारीरिक, संगठनात्मक और भावनात्मक समस्याओं का सामना करता है तो तनाव नकारात्मक होता है।

तनाव पैदा करने के कारणों को तनाव कारक या प्रतिबलक (Stressors)कहते हैं।

तनाव के कारण : कार्यस्थल या संगठन में तनाव के प्रमुख कारण इस प्रकार है :

1. **कैरियर की चिंता:** अगर किसी कर्मचारी को लगता है कि वह कॉर्पोरेट सीढ़ी या पदोन्नति में बहुत पीछे है, तो उसे तनाव का अनुभव हो सकता है। यदि उसे लगता है कि आत्म-विकास के कोई अवसर नहीं हैं, तो वह तनाव का अनुभव कर सकता है। इस कारण, अधूरी कैरियर अपेक्षाएं तनाव का महत्वपूर्ण स्रोत हैं।
2. **अस्पष्ट भूमिका:** यह तब होता है जब व्यक्ति को यह नहीं पता होता है कि उसे काम पर क्या करना है। उनके कार्य और जिम्मेदारियां स्पष्ट नहीं हैं। कर्मचारी को यकीन नहीं है कि उससे क्या करने की उम्मीद की जाती है। यह कर्मचारी के मन में भ्रम पैदा करता है जो तनाव में परिणित हो जाता है।
3. **रोटेटिंग वर्क शिफ्ट्स:** वे व्यक्ति जो अलग-अलग वर्क शिफ्ट में काम करते हैं उन लोगों को भी रोटेटिंग वर्क शिफ्ट से तनाव हो सकता है। कर्मचारियों से कुछ दिनों के लिए दिन की पाली में और फिर रात की पाली में काम करने की उम्मीद की जाती है। शिफ्ट के समय अनुसार कर्मचारी स्वयं को समायोजित करने में समस्या आती है, और यह न केवल व्यक्तिगत जीवन बल्कि कर्मचारी के पारिवारिक जीवन को भी प्रभावित कर सकती है।
4. **भूमिका संघर्ष:** यह तब होता है जब किसी विशेष भूमिका को निभाने वाले व्यक्ति से लोगों की अलग-अलग अपेक्षाएं होती हैं। यह तब भी हो सकता है जब नौकरी अपेक्षा के अनुरूप न हो, या जब नौकरी एक निश्चित प्रकार के व्यवहार की मांग करती है जो व्यक्ति के नैतिक मूल्यों के विरुद्ध हो।
5. **व्यावसायिक मांगें:** कुछ नौकरियां दूसरों की तुलना में अधिक मांग वाली होती हैं। ऐसे कार्य जिनमें जोखिम और खतरा शामिल हैं, वे अधिक

तनावपूर्ण होते हैं। शोध के निष्कर्षों से संकेत मिलता है कि कार्य में उपयोगी यंत्रों और उपकरणों की निरंतर निगरानी, अप्रिय शारीरिक स्थितियां, निर्णयन आदि तनाव पैदा करने वाले कारक हो सकते है।

6. निर्णय लेने में भागीदारी का अभाव: कई अनुभवी कर्मचारियों को लगता है कि प्रबंधन को उनकी नौकरियों को प्रभावित करने वाले मामलों पर उनसे परामर्श करना चाहिए। वास्तव में, वरिष्ठ अधिकारी शायद ही कोई निर्णय लेने से पहले संबंधित कर्मचारियों से पूछते हैं। इससे उपेक्षित होने की भावना विकसित होती है, जिससे तनाव हो सकता है।

7. कार्य का अधिक भार: अत्यधिक कार्यभार तनाव की ओर ले जाता है क्योंकि यह व्यक्ति को अत्यधिक दबाव में डालता है। कार्य अधिभार दो अलग-अलग रूप ले सकता है: गुणात्मक कार्य अधिाभार का तात्पर्य ऐसे कार्य को करना है जो जटिल हो या कर्मचारी की क्षमता से परे हो। मात्रात्मक कार्य अधिभार एक निर्धारित समय में की गई कई गतिविधियों का परिणाम है।

8. कम कार्य भार : इस स्थिति में कर्मचारी की ओर से बहुत कम कार्य या बहुत आसान कार्य की उम्मीद की जाती है। कम कार्य या नियमित और सरल प्रकृति के काम करने से एकरसता और ऊब पैदा होगी, जिससे तनाव हो सकता है।

9. कार्यस्थल की ख़राब स्थिति : कर्मचारी ख़राब कार्यस्थल की स्थिति के अधीन हो सकते हैं। इसमें ख़राब रोशनी और वेंटिलेशन, अस्वच्छ स्वच्छता सुविधाएं, अत्यधिक शोर और धूल, जहरीली गैसों और धुएं की उपस्थिति, अपर्याप्त सुरक्षा उपाय आदि शामिल होंगे। ये सभी अप्रिय स्थितियां मनुष्यों में शारीरिक और मनोवैज्ञानिक असंतुलन पैदा करती हैं जिससे तनाव पैदा होता है।

10. समूह में सामंजस्यता का अभाव: प्रत्येक समूह की एकता की विशेषता होती है, हालांकि वे उनके दृष्टिकोण में व्यापक रूप से भिन्न होते हैं। कार्य समूह के सदस्यों के बीच कोई एकता नहीं होने पर व्यक्ति तनाव का अनुभव करते हैं। समूहों में अविश्वास, ईर्ष्या, बार-बार झगड़े आदि होते हैं और इससे कर्मचारियों में तनाव पैदा होता है।

11. पारस्परिक और अंतर्समुह संघर्ष: ये संघर्ष दो या दो से अधिक व्यक्तियों और समूहों के बीच धारणाओं, दृष्टिकोणों, मूल्यों और विश्वासों में अंतर के कारण होते हैं। इस तरह के संघर्ष समूह के सदस्यों के लिए तनाव का स्रोत हो सकते हैं।

12. संगठनात्मक परिवर्तन: जब परिवर्तन होते हैं, तो लोगों को उन परिवर्तनों के अनुकूल होना पड़ता है, और इससे तनाव हो सकता है। तनाव तब अधिक होता है जब परिवर्तन महत्वपूर्ण या असामान्य होते हैं जैसे स्थानांतरण या नई तकनीक को अपनाना।

13. सामाजिक समर्थन की कमी: जब व्यक्ति यह मानते हैं कि उनके कार्य की प्रशंसा और समर्थन मिल रहा है, तो तनाव के प्रभावों से निपटने की उनकी क्षमता बढ़ जाती है। यदि इस प्रकार का सामाजिक समर्थन उपलब्धा नहीं है, तो एक कर्मचारी अधिक तनाव का अनुभव करता है।

तनाव प्रबंधन : हम सभी तनाव होने पर अलग-अलग प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, इसलिए तनाव के प्रबंधन के लिए कोई 'एक सर्वमान्य' समाधान नहीं है। लेकिन अगर महसूस हो है कि कार्यस्थल के तनाव के कारण जीवन में तनाव नियंत्रण से बाहर हो रहा है, तो इससे उबरने के लिए कार्रवाही करने का समय आ गया है। तनाव प्रबंधन द्वारा तनाव से निपटने के स्वस्थ तरीके सीखे जा सकते है, जो इसके हानिकारक प्रभावों को कम करने में मदद कर सकते है, और भविष्य में तनाव को फिर से नियंत्रण से बाहर होने से रोक सकते है।

तनाव का सामना करने में चाहे कितना भी शक्तिहीन महसूस करें, फिर भी अपनी जीवन शैली, विचारों, भावनाओं और समस्याओं से निपटने के तरीके पर नियंत्रण रखा जाना चाहिए। तनाव प्रबंधन के अंतर्गत कर्मचारी जब चाहे अपनी तनावपूर्ण स्थिति को बदल सकते है, जब तनावपूर्ण स्थिति को बदल नहीं सकते तो अपनी प्रतिक्रिया को बदलकर, अपना ख्याल रखकर, आराम कर और विश्राम के लिए समय निकालना कर तनाव का प्रबंधन किया जा सकता है। तनाव प्रबन्धान के अंतर्गत सर्वप्रथम अपने जीवन में तनाव के वास्तविक स्रोतों को पहचानना है।

तनाव प्रबंधन रणनीतियाँ

शारीरिक गतिविधियाँ: शारीरिक गतिविधि तनाव के प्रभावों को कम करने और रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इसके लाभों का अनुभव करने के लिए एथलीट होने या जिम में घंटों बिताने की ज़रूरत नहीं है। लगभग किसी भी प्रकार की शारीरिक गतिविधि तनाव को दूर करने और क्रोध, तनाव और निराशा को दूर करने में मदद कर सकती है। व्यायाम एंडोर्फिन जारी करता है जो आपके मूड को अच्छा महसूस कराता है, और यह कर्मचारी की दैनिक चिंताओं और व्याकुलता कम कर सकता है।

30 मिनट या उससे अधिक समय तक व्यायाम करने से अधिकतम लाभ मिलता है, इस हेतु कार्मिक छोटी शुरुआत कर सकते हैं और धीरे-धीरे अपने फिटनेस स्तर को बढ़ा सकते हैं। 10-मिनट की छोटी गतिविधि जो हृदय गति को बढ़ाती है और पसीने से तर कर देती है, तनाव को दूर करने और अधिक ऊर्जा और आशावादी बनने में मदद कर सकती है। यहां तक कि कुछ बहुत छोटी छोटी गतिविधियां भी दिनचर्या में शामिल की जा सकती है। पहला कदम कर्मचारी को स्वयं उठाना और उसमें निरंतरता लाना है, कुछ सरल तरीके निम्न हो सकते हैं:

- मधुर संगीत सुनना और नृत्य करना।
- अपने पालतू जानवर को टहलाने के लिए ले जाना।
- छुटपुट सामान लेने पैदल या साइकिल से जाना।
- घर या कार्यस्थल पर लिफ्ट के बजाय सीढ़ियों का प्रयोग करना।
- अपनी कार को पार्किंग में सबसे दूर पार्क करना और बाकी रास्ते पर पैदल चलना।
- किसी साथी के साथ जोड़ी बनाकर कसरत करते समय एक दूसरे को प्रोत्साहित करना।
- अपने बच्चों के साथ पिंग-पोंग या गतिविधि-आधारित वीडियो गेम खेलना।

नियमित व्यायाम: जब शारीरिक रूप से सक्रिय होने की आदत बन जाती हैं, तो अपने दैनिक कार्यक्रम में नियमित व्यायाम को शामिल करने का प्रयास करना चाहिए। ऐसी गतिविधियाँ जो निरंतर और लयबद्ध होती हैं - और आपके दोनों हाथों और पैरों को हिलाने की आवश्यकता होती है - विशेष रूप से तनाव को दूर करने में प्रभावी होती हैं। चलना, दौड़ना, तैरना, नृत्य करना, साइकिल चलाना, ताई ची और एरोबिक कक्षाएं अच्छे विकल्प हैं। कर्मचारी को एक ऐसी गतिविधि चुननी चाहिए जिसे वह पसंद करते हैं, ताकि इसे लम्बे समय तक जारी रखा जा सके। व्यायाम करते समय अपने विचारों पर धयान केंद्रित रखने के बजाय, अपने शरीर और शारीरिक (और

कभी-कभी भावनात्मक) संवेदनाओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए सचेत प्रयास किये जाने चाहिये। इस चैतन्य तत्व को अपने व्यायाम दिनचर्या में शामिल करने से नकारात्मक विचारों के चक्र से बाहर निकलने में मदद मिलती है जो अक्सर अत्यधिक तनाव के साथ होते हैं। उदाहरण के लिए, अपनी गतिविधियों को श्वास के साथ समन्वित करने पर ध्यान देना चाहिए या ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि आपकी त्वचा हवा या धूप को कैसा महसूस कर रही है।

सामाजिक व्यस्तता: सामाजिक जुड़ाव तनाव पर लगाम लगाने और आंतरिक या बाहरी घटनाओं पर अत्यधिक प्रतिक्रिया से बचने का सबसे तेज़, सबसे कारगर तरीका है। तंत्रिका तंत्र को किसी अन्य व्यक्ति के साथ संवाद करने से ज्यादा सुकून देने वाला और कोई कार्य नहीं है, जो सामाजिक दायरे में सुरक्षित और समझदार महसूस कराता है। सुरक्षा का यह अनुभव अशाब्दिक संकेतों से उत्पन्न होता है जो आप सुनते हैं, देखते हैं और महसूस करते हैं। कान, मुंह, हृदय, पेट और मस्तिष्क आंतरिक रूप से जुड़े हुए हैं, सामाजिक रूप से किसी अन्य व्यक्ति के साथ आमने-सामने बातचीत करना, नजरे मिलाना, ध्यानपूर्वक सुनना, बात करना - जल्दी से शांत करता है और तनाव में कमी आ जाती है। 'भाग ले (Fight) या भाग ले (Flight) जैसी रक्षात्मक तनाव प्रतिक्रिया को अपनाना चाहिए। इससे शरीर तनाव को कम करने वाले हार्मोन का स्राव करता है, भले ही आप तनावपूर्ण स्थिति को बदलने में असमर्थ हों। बेशक, जब आप तनाव को अधिक महसूस करते हैं, तो केवल एक मित्र पर निर्भर रहना हमेशा यथार्थवादी नहीं होता है, लेकिन करीबी शुभचिंतकों का एक नेटवर्क बनाकर और बनाए रखने से आप जीवन के तनावों के प्रति अपने लचीलेपन में सुधार कर सकते हैं। दूसरी तरफ, आप जितने अकेले और अलग-थलग होंगे, तनाव के प्रति आपकी संवेदनशीलता उतनी ही अधिक होगी।

अनावश्यक तनाव से बचें: कार्मिकों के तंत्रिका तंत्र से एक स्वचालित प्रतिक्रिया तनाव है, कुछ तनाव समयानुसार उत्पन्न होते हैं - उदाहरण के लिए, काम पर जाने के लिए, अपने बॉस के साथ बैठक, या पारिवारिक समारोहों में उपस्थिति। ऐसे पूर्व निर्धारित तनावों से निपटते समय, या तो स्थिति को बदला जा सकता हैं या अपनी प्रतिक्रिया बदली जा सकती हैं। किसी भी परिदृश्य में कौन सा विकल्प चुनना है, इसे तय करते समय 4A's यानि Avoid (टालना),Alter (बदलाव), Adapt (अनुकूलित करना) या Accept (स्वीकार करना) पर विचार करना या सोचना **मददगार** हो सकता है।

स्थितियों में परिवर्तन : यदि कर्मचारी तनावपूर्ण स्थिति से बच नहीं सकते हैं, तो इसे बदलने का प्रयास कर सकते है। अक्सर, इनमें दैनिक जीवन में संवाद करने और काम करने के तरीके को बदलना शामिल होता है।

भावनाओं की अभिव्यक्ति : कर्मचारियों को अपनी भावनाओं को बोतलबंद करने के बजाय सौजन्यता से व्यक्त करना चाहिए। अगर कोई चीज या कोई व्यक्ति परेशान कर रहा है, तो अधिक मुखर रहकर और अपनी चिंताओं को खुले और सम्मानजनक तरीके से संप्रेषित करना चाहिए। यदि कर्मचारी अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त नहीं करेंगे, तो आक्रोश बढ़ेगा और जिससे तनाव में वृद्धि होती है।

समझौता करने के लिए तैयार रहें: जब कर्मचारी किसी अन्य अधिकारी या कर्मचारी के प्रति अपना व्यवहार बदलने के लिए अपेक्षा रखते हैं, तो ऐसा करने के लिए स्वयं भी तैयार रहना चाहिए। यदि दोनों कम से कम थोड़ा झुकने को तैयार हैं, तो उनके पास अपने कार्यस्थल पर एक सुखद मध्य मार्ग खोजने का एक अच्छा मौका होगा।

समय का समुचित प्रबंधन : समय का कुप्रबंधन बड़े तनाव का कारण बन सकता है। लेकिन अगर कर्मचारी भविष्य की योजना बनाते हुए यह सुनिश्चित करते हैं कि अब एक सीमा के बाद रुक जायेंगे, तो उनके लिए शांत और केंद्रित रहना आसान हो जाएगा।

तनाव का अनुकूलन : कार्मिक कैसे सोचते हैं? इसका उनके तनाव के स्तर पर गहरा प्रभाव पड़ता है। हर बार जब वे अपने बारे में नकारात्मक विचार सोचते हैं, तो उनका शरीर प्रतिक्रिया करता है और वह तनाव से भरी स्थिति में पहुँच जाते है। तनावपूर्ण स्थितियों के प्रति अपनी अपेक्षाओं और दृष्टिकोण को बदलकर अपने नियंत्रण की भावना को पुन: प्राप्त किया जा सकता है।

समस्याओं को पुन: परिभाषित करना : कार्यस्थल पर या दैनिक जीवन में कर्मचारियों को तनावपूर्ण स्थितियों को अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण से देखने का प्रयास करना चाहिए। उदाहरण के लिए ट्रैफिक जाम में फसने पर क्रोधित होने के स्थान पर, इसे रुकने और फिर से रिफ्रेश होने, अपने पसंदीदा रेडियो स्टेशन को सुनने, या कुछ समय अकेले का आनंद लेने के अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए।

तस्वीर का दूसरा पहलू देखें : तनावपूर्ण स्थिति का परिप्रेक्ष्य जानने का प्रयास कीजिये। अपने आप से पुछिएं कि एक दीर्घ अवधि में यह कितना महत्वपूर्ण होगा ? क्या यह एक महीने या ? एक साल? में आप के लिए यह क्या मायने रखेगा? क्या यह वास्तव में परेशान होने लायक है? यदि उत्तर नहीं है, तो अपना समय और ऊर्जा को अन्यत्र केंद्रित करना चाहिए।

अपने मानकों को समायोजित करें : पूर्णतावाद परिहार्य तनाव का एक प्रमुख स्रोत है। पूर्णता की मांग करके खुद को असफलता के लिए तैयार करना बंद करें। अपने और दूसरों के लिए उचित मानक निर्धारित करें, और 'काफी अच्छा' के साथ कार्यों को सम्पादित करना सीखियें।

उन चीजों को स्वीकार कीजिये जिन्हें बदला नहीं जा सकता : तनाव के कई स्रोत अपरिहार्य हैं। किसी प्रियजन की मृत्यु, गंभीर बीमारी या राष्ट्रीय मंदी जैसे तनावों को रोका या बदला नहीं जा सकता हैं। ऐसे मामलों में, तनाव से निपटने का सबसे अच्छा तरीका है कि चीजों को वैसे ही स्वीकार कर लिया जाए जैसी वे हैं। स्वीकृति मुश्किल हो सकती है, लेकिन लंबे समय में ऐसी स्थिति, जिसे आप बदल नहीं सकते हैं, में बने रहने से आसान है।

अपरिहार्य को नियंत्रित करने की कोशिश न करें : जीवन में बहुत सी चीजें हमारे नियंत्रण से बाहर होती हैं-खासकर दूसरों का व्यवहार। उन पर जोर देने के बजाय, उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करें जिन्हें आप नियंत्रित कर सकते हैं जैसे कि आप समस्याओं पर प्रतिक्रिया करने का तरीका चुनते हैं।

विपरीत देखें : कर्मचारियों को बड़ी चुनौतियों का सामना करते समय इन्हें व्यक्तिगत विकास के अवसरों के रूप में देखने का प्रयास करना चाहिए। यदि कर्मचारियों के द्वारा चयनित खराब विकल्पों ने तनावपूर्ण स्थिति में योगदान दिया है, तो उन पर उन्हें चिंतन करना चाहिए और अपनी गलतियों से सीख लेनी चाहिए।

क्षमा करना सीखें : इस तथ्य को स्वीकार करें कि हम एक अपूर्ण दुनिया में रहते हैं और लोग गलतियाँ करते हैं। क्रोध और द्वेष का त्याग कर संबंधितो को क्षमा कर आगे बढ़ते हुए स्वयं को नकारात्मक ऊर्जा से मुक्त करने का प्रयास किया जाना चाहिए इससे कर्मचारी कार्यस्थल पर अनावश्यक तनाव

से बच सकेंगे।

मौज-मस्ती और आराम के लिए समय निकालना: कार्यस्थल पर सकारात्मक दृष्टिकोण से कार्यभार ग्रहण करने और दायित्वों को व्यवस्थित रूप से पूर्ण करने का प्रयास करके कर्मचारी अपने जीवन में तनाव को कम कर सकते हैं। यदि वे नियमित रूप से मौज-मस्ती और विश्राम के लिए समय निकालते हैं, तो जीवन के तनावों को संभालने के लिए अपने आप को बेहतर स्थिति पर पाएंगे।

विश्राम का समय अलग रखें : अपने दैनिक कार्यक्रम में आराम और विश्राम को शामिल किया जाना चाहिए। अन्य दायित्वों को इसे अतिक्रमण करने की अनुमति मत दीजिये। यह कर्मचारियों के लिए सभी जिम्मेदारियों से ब्रेक लेने और अपनी बैटरी रिचार्ज करने का समय है।

कुछ ऐसा करें जो आपको हर दिन पसंद हो : अवकाश में अन्य गतिविधियों के लिए समय निकालें जो आपको आनंदित करें, चाहे वह पर्यटन हो, बांसुरी बजाना हो, या बगीचे में साफसफाई हो, अपनी बाइक को व्यवस्थित करना हो।

सेंस ऑफ ह्यूमर बनाए रखें : कर्मचारी यदि स्वयं पर हंसने की क्षमता कर ले तनाव पर शीघ्रता से काबू पाया जा सकता है। हंसने की क्रिया शरीर को कई तरह से तनाव से लड़ने में मदद करती है।

स्वस्थ जीवन शैली अपनाना: नियमित व्यायाम के साथ साथ अन्य स्वास्थ्य जीवन शैली विकल्प अपनाने से तनाव के प्रति आपकी प्रतिरोध को क्षमता बढ़ जाती हैं जो इस प्रकार के हो सकते है जैसे :-

स्वस्थ आहार लेना : तनाव से निपटने के लिए बेहतर सुपोषित शरीर आवश्यक हैं, इसलिए इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि क्या खाया जा रहा हैं। दिन की शुरुआत नाश्ते के साथ और पूरे समय संतुलित, पौष्टिक भोजन के साथ अपनी ऊर्जा और अपने दिमाग को व्यवस्थित रखना चाहिए।

कैफीन और चीनी का उपयोग कम करना : अस्थायी रूप से कैफीन और चीनी की अधिक मात्रा अक्सर मूड और ऊर्जा में अनापेक्षित परिवर्तन लाते हैं। इसलिए आहार में कॉफी, शीतल पेय, चॉकलेट और चीनीयुक्त स्नैक्स की मात्रा कम करके, अधिक आराम महसूस किया जा सकता है जो बेहतर नींद के लिए जरुरी है।

शराब, सिगरेट और नशीले पदार्थों से बचना : तनाव से बचने के लिए स्व-चिकित्सा रूप में शराब या नशीली दवाओं के सेवन से बचना चाहिए क्योंकि इनसे अस्थायी राहत मिल सकती है लेकिन दीर्घ समय में आप अपने स्वास्थ्य से हाथ धो बैठते है। कर्मचारियों को तनाव से बचने के लिए इस प्रकार के छद्म आवरण से बचकर बल्कि समस्याओं का डटकर और स्पष्ट मनोभाव से सामना करना चाहिए।

पर्याप्त नींद : पर्याप्त नींद दिमाग के साथ-साथ आपके शरीर को भी ऊर्जा प्रदान करती है। थकान महसूस करने से तनाव बढ़ता है और इस तनाव में तर्कहीन सोच सकते हैं।

सारांश : तनाव एक प्राकृतिक, निरंतर, गतिक तथा अन्योन्य क्रियात्मक प्रक्रिया है जो उस समय घटित होती है जब लोग अपने वातावरण के प्रति समंजित होते है। तनाव आह्लादक, दु:ख, अतितनाव और चिरकालिक तनाव के रूप में हो सकता है। यह जीवन की सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार की घटनाओं के फलस्वरूप विकसित होता है। अत: तनाव एक सामान्य घटना है। तनाव और निष्पादन आपस में ऋणात्मक रूप से सहसम्बन्धित होते है। कर्मचारियों को तनाव का विलोपन करने के स्थान पर इसका परिसीमन करना चाहिए। इसे सकारात्मक रूप से प्रयोग किया जाना चाहिए। सकारात्मक रूप से तनाव को सम्हालने से निष्पादन और जीवन की गुणवत्ता दोनों में सुधार आता है। कर्मचारियों को तनाव प्रबन्धन की कार्यनीतियों का अनुसरण कर तनाव को कम करने का प्रयास करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति की तनाव के प्रति अनुक्रिया अनन्य होती है कोई एक सर्व सामान्य विधि नही हो सकती है जिसके प्रयोग से सभी व्यक्तियों के तनाव को प्रबंधित किया जा सके। कोई भी एक विधी सभी व्यक्तियों और सभी स्थितियों के लिए प्रभावी नही होती अत: विभिन्न तकनीकों और कार्यनीतियों को साथ साथ प्रयोग किया जाना चाहिए।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. सिम्पल वेज टू मैनेज स्ट्रेस, प्रमोद बत्रा, मैकमिलन इण्डिया लिमिटेड, नई दिल्ली (2008)
2. स्ट्रेस इन टीचिंग , जे दुहेम निकोलस पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली (1982)
3. स्ट्रेस इन वर्क प्लेस : ए केस स्टडी, नोरटजी, ग्रब्रेचष्ट सुसाना, टीश्वेन यूनिवर्सिटी ऑफ़ टेक्नोलॉजी (2007)
4. Stress. Health Tips from Army Medicine. Ayala, S. Fort Lewis,WA,Madigan Army Medical Center (2016).
5. In Harm's Way: Suicide in America. National Institute of Mental Health. (2003).
6. Mental Health Myths, Pawelek, J., & Jeanise, S. *Health Tips from Army Medicine*. (2016)

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
October to December 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVI

लोक संहित्य एक संक्षिप्त परिचय

डॉ. सुनीता यादव *

*** सहायक प्राध्यापक (हिन्दी) शासकीय महाविद्यालय, गोपालपुर, जिला-सीहोर (म.प्र.) भारत**

शोध सारांश – लोक सहित्य का अभिप्राय उस साहित्य से है जिसकी रचना लोक करता है। लोक-साहित्य उतना ही प्राचीन है जितना कि मानव, इसलिए उसमें जन-जीवन की प्रत्येक अवस्था, प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक समय और प्रकृति सभ कुछ समाहित है।डॉ. सत्येन्द्र के अनुसार 'लोक मनुष्य समाज का वह वर्ग है जो आभिजात्य संस्कार शास्त्रीयता और पांडित्य की चेतना अथवा अहंकार से शून्य है और जो एक परंपरा के प्रवाह में जीवित रहता है।' (लोक साहित्य विज्ञान, डॉ. सत्येन्द्र, पृष्ठ-03) किसी देश अथवा क्षेत्र का लोकसाहित्य वहॉ की आदिकाल से लेकर अब तक की उन सभी प्रवृत्तियों का प्रतीक होता है जो साधारण जनस्वभाव के अंतर्गत आती है। इस साहित्य में जनजीवन की सभी प्रकार की भावनाएँ बिना किसी कृत्रिमता के समाई रहती है। अत: यदि कहीं की समूची संस्कृति का अध्ययन करना हो तो वहाँ के लोकसाहित्य का विशेष अवलोकन करना पड़ेगा। यह लिपिबद्ध करने का प्रयास इधर कुछ वर्षो से किया जा रहा है और अनेक ग्रंथ भी संपादित रूप में सामने आए है किंतु अब भी मौखिक लोकसाहित्य बहुत बड़ी मात्रा में असंगृहीत है।लोक जीवन की जैसी सरलतम, नैसर्गिक अनुभूतिमयी अभिव्यंजना का चित्रण लोकगीतों व लोक-कथाओं में मिलता है, वैसा अन्यत्र सर्वथा दुर्लभ है। लोक-साहित्य में लोक-मानव का हृदय बोलता है। प्रकृति स्वयं गाती-गुनगुनाती है। लोक-साहित्य में निहित सौंदर्य का मूल्यांकन सर्वथा अनुभूतिजन्य है।

लोक-साहित्य के कई आषय हो सकते हैं। पहला-उस लोक का साहित्य जो सभ्यता कि सीमाओं से बाहर या उन लोगों का साहित्य जिनकी गिनती सभ्यता कि सीमाओं में नही होतीं। हालॉकि सभ्यता के मान अलग-अलग हो सकते हैं और सांस्कृति विरासत सभ्यता के पैमानों को बदल सकती है और मूल्यहीन बना सकती है, लेकिन आज मोटे तोर पर यही समझा जाता है। मसलन आदिवासी लोगों द्वारा रचित मौखिक साहित्य इसी कोटि में रखा जा सकता है, जोकि एक काबिले-एतराज बात है। दूसरा-आदिम परंपराओं को सूरक्षित रखे हुए लोगों का साहित्य, जो कबीलाई संस्कृति या फिर कबीलाई मानसिकता के साथ-साथ विकसित होता है। तीसरा-गॉवों में रचा जाने वाला साहित्य और चौथा-लोक-रंजन के लिए रचा जाने वाला साहित्य। इस कोटि में हम फिल्मी गीतों को भी रख सकते हैं।

प्रस्तावना – आदिकाल से श्रुति एवं स्मृति के सहारे जीवित रहनेवाले लोकसाहित्य के कुछ विशेष सिद्धांत हैं। इस साहित्य में मुख्य रूप से वे रचनाएँ ही स्वीकार की जाती हैं अथवा जीवन पाती हैं जो अनेक कंठों से अनेक रूपों में बन बिगड़कर एक सर्वमान्य रूप धारण कर लेती हैं। यह रचनाक्रम आदिकाल से अबतक जारी है। ऐसी बहुत सी साहित्य सामग्री आज भी प्रचलित है जो अभी एकरूपता नहीं ग्रहण कर पाई है।

लोकसाहित्य किसी एक व्यक्ति की रचना का परिणाम नहीं है। वैसे तो इसके कई प्रमाण दिए जा सकते हैं कि एक ही गीत, कथा या कहावत एक स्थल पर जिस रूप में होता है दूसरे स्थल पर पहुॅचते-पहुॅचते उसका वह रूप बदल जाता है किंतु एक अच्छा प्रमाण यह होगा कि सैंकड़ों वर्ष से गाए जानेवाले लोकमहाकाव्य आल्ह-खंड को आज तक एकरूपता नहीं प्राप्त हो सकी इस साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह अनेक रूपों में होते हुए भी अनेकता में एकता की भावना से युक्त होता है। भाषा के कलेवर को बदलकर भी भावपक्ष में कोई परिवर्तन नहीं दीखता। एक ही रचना जो किसी स्थल पर वहॉ की बाली में पाई जाती है, वही बहुत दूर दूसरी बोली में भी मिल जाती है। स्फुट गीतों के भावों एवं प्रबंधों की कथाओं की यह यात्रा कभी कभी तो इतनी लंबी होती है कि आश्चर्य होता है। क्षेत्रों एवं दशों की सीमा मनुष्य भले ही निर्धारित कर दे पर लोकसाहित्य इसे स्वीकार नहीं करता। ऐसा शायद इसलिए संभव हुआ होगा कि यात्राकाल में प्राचीन मानव जब कभी दूर गया होगा तो अपना साहित्य साथ लेता गया होगा और गंतव्य स्थान पर उसकी छाप छोड़ आया होगा जिसे वहॉ के लोगों ने स्वीकार कर लिया होगा। यह क्रम आज भी जारी है। जब कोई ग्राम्या नैहर से ससुराल जाती है तो स्वभावत: वह नैहर की उन लोकरचनाओं को अपने साथ लेती जाती है जो उसे स्मरण रहती हैं।

विशिष्टताए – लोक-साहित्य की भाषा शिष्ट और साहित्यिक भाषा न होकर साधारण जन की भाषा है और उसकी वर्ण्य-जीवन में गृहीत चरित्रों, भावों और प्रभावों तक सीमित है। उसकी रचना में व्यक्ति का नहीं बल्कि समूचे सामज का समावेत योगदान। यही कारण है कि लोक-साहित्य पर व्यक्ति की छाप न होकर समग्र व्यक्ति-लोक की छाप होती है। इसमें षिल्प-विधान के लिए कोई अभ्यास या कौशल परिलक्षित नहीं हो सकता, क्योंकि षिल्प का विधान यदि हमें दिखाता है तो वह सामाजिक समरसता की विवशता के कारण अपने आप उद्भूत रूप में ही।

प्रकार – लोक-साहित्य के मुख्यत: चार भेद कहे जाते हैं, लोक-गीत, लोक-कथा और लोक-नाटय। लोक-गाथा और लोक-कथा में भेद इतना ही है कि लोक-गाथा एक लम्बे आख्यान-गीत के रूप में चलती है और इसमें प्रबन्ध-योजना गाथा-प्रधान न होकर रस-प्रधान होती है, जबकि

लोक-कथा गद्यात्मक होने के साथ-साथ कथा प्रधान या दूसरे शब्दों में घटना-प्रधान हुआ करती है। लोक-कथाओं और लोक-गाथाओं में कथा-शिल्प ही प्रमुख रहता है, केवल लोक-गान ऐसा प्रकार है, जिसमें अपने समग्र रूप में शिल्प-विधान विकसित हो सकता है।

देवी देवताओं एवं प्राकृतिक उपलब्धियों पर आधारित साहित्य – आदिकालीन मानव के प्रकृतिप्रदत विभिन्न कल्याणकारी परिणामों से प्रभावित होने के कारण उनपर जो विश्वास आरोपित किया इससे संबद्य साहित्य इसके अंतर्गत आता है। इसमें भक्ति एवं भय दोनों प्रकार की भावनाएँ सन्निहित होती हैं। देवी देवताओं की पूजा के लिए रचित तथा अंधविश्वासों से संबद्य साहित्य (टोना, टोटका, मंत्र एवं जादू इत्यादि) इसी के अंतर्गत है। धरती, आकाश, कुँआ, तालाब, नदी, डीह, त्योहार, मरी मसान, वृक्ष, फसल, पौधा, पशु, दैत्य दानव देवी देवता, कुलदेवता, ब्रह्म एवं तीर्थ आदि पर जो मंत्र या गीता प्रचलित हैं वे इसी के अंग हैं। जब भी ग्रामीण को शुभ कार्य (जन्म से लेकर मरण तक के सभी संस्कार तथा खेती बारी, फसल की पूजा, गृहनिर्माण, मंदिर एवं धर्म शाला का निर्माण और परमार्थ संबंधी अन्य कार्य) प्रारंभ करते हैं तो उससे संबद्ध देवी-देवताओं को प्रसन्न करने के लिए जिन गीतों अथवा मंत्रों का प्रयोग होता है वे सब इस साहित्य में आते हैं।

लोकाचार के लिए रचित साहित्य – इसके अंतर्गत आचार विचार एवं व्यावहारिकता तथा विभिन्न लोकामान्यताओं से संबद्ध साहित्य आता है। आचार-विचार के लिए रचित साहित्य में भावनाओं और मान्यताओं का प्रवेश है किंतु व्यवहार के लिए रचे गए साहित्य में यह बात कम देखने को मिलती है। व्यवहार की विशेषता लोकसाहित्य में मुख्य रूप से देखने को मिलती है। अनेक अमानवीय तत्वों से तथा हिंसक जंतुओं से संबंध जोड़कर सारी सृष्टि को एक रूप में बाँधा गया है। इस संदर्भ में रचे हुए साहित्य का मूल उद्देश्य व्यावहारिकता के आधार पर सरल एवं सुखी जीवन व्यतीत करना है।

वैज्ञानिकता पर आधारित साहित्य – इस साहित्य के अंतर्गत ऋतुविद्या,स्वास्थ्यविज्ञान, कृषिविज्ञान, एवं शकुन आदि से संबंध साहित्य आता है। लोकजीवन में इस प्रकार के साहित्य को आधुनिक वैज्ञानिक युग में काफी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इनमें पूर्वाचार्यों द्वारा निर्धारित अनुभूमियों, नियमों एवं तत्सम्बंधी उपदेशात्मक बातों का समावेश होता है। ऋतुविज्ञान के अंतर्गत अतिवृष्टि, अनावृष्टि, एवं अल्पवृष्टि के कारणों तथा तज्जन्य क्षतियों और उनसे बचने के उपायों की ओर संकेत किए गए हैं। कृषिविज्ञान के लिए रचे गए साहित्य की है। इसके अंतर्गत खेती से संबंध प्राय: आवश्यक बातें कह दी गई हैं। खेत की जुताई किस तरह हो, किस प्रकार के खेत में किस प्रकार की बुआई की जाए, बीज की मात्रा कितनी हो, सिंचाई कब की जाए, निरवाही एवं गुड़ाई कब की जाए तथा किस समय फसल की कटाई हो, यह सब बातें तो वैज्ञानिक साहित्य के अंतर्गत आती ही हैं, इनके अतिरिक्त फसल सम्बंधी रोगों तथा उपचारों का भी वर्णन मिलता है। स्वास्थ्यविज्ञान में विभिन्न रोगों के लक्षण और उनसे बचने के उपाय तथा औषधियों की ओर संकेत मिलता है। कौन सा रोग क्यों उत्पन्न होता है तथा किन आचरणों से रोग उत्पन्न नहीं या दूर हो जाता है आदि बातें इसे अंतर्गत आती है। शकुनविचार संबंधी साहित्य में मुख्य रूप से यात्रा आरंभ करने के लिए कालक्रमानुसार शुभ लक्षणों को देखते हुए या तो आदेश दिए गए हैं या अपशकुतों के कारण यात्रारंभ के लिए मनाही की गई है। यदि यात्रा बहुत ही आवश्यक हो और दिनों की गणना में उसका समय अनुकूल न पड़ता हो तो उससे वचने के लिए उपाय बताए गए हैं।

जातीय लोकसाहित्य – संपूर्ण लोकसाहित्य का एक सर्वमान्य रूप तो होता ही है किंतु साथ ही विभिन्न जातियों की परंपरागत संस्कृति पर आधारित साहित्य भी होता है। इनमें उन जातियों के निजी देवी देवता, कुल देवता के आदेष तथा आचार्यों एवं संत महात्माओं द्धारा बताए गए नियम, उपनियम और उनकी वाणी शामिल होती है। संपूर्ण लोकसाहित्य वहॉ की विभिन्न जातियों की सामूहिक संस्कृति का प्रतीक होता है।

लोकसाहित्य की रचनास्थली – लोकसाहित्य के अंग का आज जो रूप है वही कल भी था और आगे भी बना रहेगा। यदि हम कहें कि लोकसाहित्य की प्रमुख रचनास्थली चौपाल एवं ऑगन है तो बेजा नहीं होगा। चौपालों में प्राय: अवकाश के समय गॉव के लोग एकत्र हो जाते हैं। तरह तरह की बातें चलती हैं। रीतिरिवाजों की चर्चा, धर्मचर्चा, कथा-कहानियॉ, खेती बारी की बात तथा लोकगीत आदि समय समय पर चौपालों को मुखरित करते रहते है।

लोकसाहित्य का जीवन – भूतकाल में रचा गया सभी लोकसाहित्य जीवित है और आज जिनका निर्माण हो रहा है उनका अंत कभी नहीं होगा। सच तो यह है कि इस साहित्य की विधाएँ युगप्रभाव को स्वीकार करके अपना रूप बराबर बदलती हैं। इधर पचास वर्ष के भीतर रचे गए साहित्य को देखने से यह बात स्पष्ट भी हो जाती है। इस अवधि में गॉवों को जितनी वैज्ञानिक उपलब्धियॉ प्राप्त हुई हैं उनमें अधिकांश का समावेश लोकसाहित्य में हो चुका है। प्राचीन लोकसाहित्य में आए जादू के उड़न खटोले को छोड़कर इस युग के लोकसाहित्य ने सीधे सीधे हवाई जहाज को स्वीकार किया है। वैसे लोकसाहित्य में बैलगाड़ी, घोड़ा, ऊँट,हाथी तथा नौका आदि वाहन अब भी जीवित हैं किंतु मोटर एवं रेलगाड़ी ने भी अपना स्थान बना लिया है। वर्तमान काल में होनेवाले नव निर्माणों को भी उक्त साहित्य में स्थान मिलता जा रहा है। इन साहित्यिक रचनाओं के साथ वे सभी लगे हुए है। जो उन्हें दीर्घ जीवन प्रदान करते हैं।

लोक साहित्य के सन्दर्भ – लोक साहित्य ऐसी संश्लिष्ट रचना है जिसमें षिष्ट साहित्य-सदृष समग्र विधाओं को परिभाषित कर निरखना-परखना बाह्य दृष्टिसे भले उचित हो, आतंरिक दृष्टि से कदापि संभव नहीं। यह जन-मन जीवन अनुभव तत्वों से मिलकर तथा कथा से जुड़कर लोकगाथा बनती है, वस्तुत: लोक-साहित्य का पहिया रूक नहीं सकता, क्योंकि इसका प्रचार-प्रसार लोक-चेतना, लोक-विश्वास एवं लोक-रूचि के सहारे होता है, लोक-साहित्य में जितनी अगढ़ता है, कच्चापन है, उतनी ही उसमें मिट्टी की खुशबू भी है। उसमें एक सम्मोहन है। मानवीय संवेदना का जबरदस्त वाहक है लोक-साहित्य। लोक-साहित्य कभी हिंसक नहीं होता, सांप्रदायिक भी नहीं, सकुंचित भी नहीं। वह तो समूहधर्मी है, सामाजिक प्रतिबद्धता है उसमें। इसीलिए वह व्यक्ति को उसकी वैयक्तिक कुंठाओं को खोल से बाहर निकालता है। जो काम शास्त्र और संत नहीं कर पाता, वही काम लोक-साहित्य बडे प्यार से कर देता है। इस दृष्टि से लोक-साहित्य सच में उदात्त है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. लेक साहित्य परम्परा और प्रयोग Yaduwansh.blogsprt.com
2. भारत में लोक साहित्य का उद्भव 08 मई 2020 लोक साहित्य जिसे लोककथाओं या मौखिक परंपरा भी कहा जाता है www.hindikunj.com 2020/05
3. लेक साहित्य की सांस्कृति परम्परा मइववा उमसं 17.02.2021
4. लेक साहित्य संस्कृति और समाज प्रताप सहगल Gadyakish

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
October to December 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVI

मानव जीवन में अन्तर्वैयक्तिक सम्बन्धों की भूमिका

डॉ. लारेन्स कुमार बौद्ध *

*** सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य) शासकीय महाविद्यालय, चीनौर (म.प्र.) भारत**

प्रस्तावना – अन्तर्वैयक्तिक सम्बन्ध लोगों द्वारा प्रयुक्त ऐसे सम्बन्ध होते है जो व्यक्तियों के स्वभाव के साथ–साथ परस्पर अन्त: क्रियाओं से जुड़े होते है यह सम्बन्ध घर के सदस्यों के साथ बाहर व्यक्तियों से मेल–मिलाप को सारगर्भित बनाते है चाहे घर में कार्य करने बाला नौकर या कार्यालय का बॉस, किसी न किसी तरह से मनुष्य आपस में अपने व्यवहार से जुड़े होतें है क्योंकि मानव एक सामाजिक प्राणी है और हर व्यक्ति के अन्दर कुछ न कुछ उत्सुकता होती है कि वह समाज में अच्छा प्राणी बने इसके लिए उसे दूसरों से सीखने की जरूरत पड़ती है और वह दूसरों का सहारा लेता,यह पारस्परिक मानवीय भाव अन्त: क्रिया को जन्म देते है यदि हम यह कल्पना करे कि हमारे पास बहुत सारे लोग न होते तो हमारा जीवन कैसा होता, मानव जन्म लेते ही सामाजिक परिवेश से जुड़ने के साथ–साथ अन्य विभिन्न तरीकों से भी एक दूसरे से जुड़े होते है चाहे वो रिश्ते हो,अन्त: क्रिया या योग्यता, ये अंतर्वैयक्तिक आकर्षण का केन्द्र होते है जो सम्पूर्ण मानव समाज को एक–दूसरे से जोड़कर रखते है इन्हें ही हम अन्तर्वैयक्तिक कौशल,संचार कौशल,प्रत्यक्ष वार्ता कौशल,जनसामान्य कौशल,सामाजिक कौशल एवं सामाजिक स्पर्द्धा कहा जाता है दूसरें शब्दों में कह सकते है कि अन्तर्वैयक्तिक कौशल का सम्बन्ध ऐसी मानसिक एवं सम्प्रेषणात्मक क्रियाओं से है जिनका प्रयोग निर्धारित प्रभाव एवं परिणाम प्राप्त करने के लिए सामाजिक संचार एवं अन्त: क्रिया के दौरान होता है।

अध्ययन के उद्देश्य:

1. अन्तर्वैयक्तिक सम्बन्ध मानव के जन्म लेते ही उसके जीवन में उनका प्रवेश हो जाता है जब एक बच्चा जन्म लेता है उस समय वह मुख्य रूप से अपने माता–पिता एवं परिवार के अन्य सदस्यों से जुड़ता है धीरे–धीरे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है उसका अपने गुरूजनों के साथ–साथ मित्रों से भी जुड़ाव होना शुरू हो जाता है इस प्रकार से वह समाज से जुड़ता है एवं सीखता है अपने परिवार एवं आसपास के परिवेश का उसके व्यक्तित्व पर बहुत प्रभाव पड़ता है जो वो परिवार एवं अपने समीप देखता है उसी के अनुसार उसका स्वभाव एवं चरित्र का निर्माण होता है धीरे–धीरे वह गुण तथा आदतों के आधार पर समाज में अपना स्थान बनाता है यह उसके कर्म पर भी निर्भर करता है। इस प्रकार से मनुष्य पारस्परिक सम्बन्धों से एक–दूसरे से जुड़ा होता है।
2. मानव स्वभाव से ही एक जिज्ञासु प्राणी है और वह समाज में रहकर उसमें होनी वाली गतिविधियों को समझता है और समाज के लोगों से ही सीखना शुरू करता, वह समाज के कैसे व्यक्तियों के साथ रहता है एवं कौन से लोग उसे पसन्द करते वह सतत समाज में रहता है, समाज में होने वाली बुराईयों एवं कुरीतियों को भी देखता है एवं अहसास करता है सामाजिक प्राणी होने के नाते उसके अन्दर इन बुराईयों के प्रति उसका रूख सकारात्मक एवं नकारात्मक रहता है सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति समाज की अच्छाईयों को स्वीकार करता है बुराईयों एवं कुरीतियों का विरोध कर महान बनने की कोषिष करता है जिसका व्यक्तिव दैवीय प्रवृति का होता है जबकि नकारात्मक सोच वाला व्यक्ति समाज में होने वाली प्रतिक्रियाओं पर ध्यान नहीं देता है एवं मान लेता है कि यह सब ईष्वर की देन है।
3. सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति अपने व्यवहार, हावभाव एवं बोलचाल के तरीकों में निपुण होता है और वह कार्य सम्बन्धों को अधिक से अधिक प्रभावशाली एवं सफलापूर्वक तरीके से प्रबन्धित करने के साथ–साथ आम आदमी की मॉग एवं सामाजिक समस्याओं को समझकर उन पर अपनी मजबूत पकड़ बनाता है और उनका विश्लेषण कर उचित निर्णय लेता है एक व्यक्ति चाह वह शासकीय सेवक हो या पेशेवर वह अपनी योगयता एवं अन्तर्वैयक्तिक कौशल के आधार पर एक अच्छे प्रशासक के रूप में कार्य करने में सफल होता है। अच्छा व्यवहार एवं सम्प्रेशण कौशल वाले पेशेवर एवं अन्य पुरूष लोगों को, व्यक्तित्व एवं अपने हावभाव से आकर्शित करने में सफल होते है। अत: सकारात्मक अन्तर्वैयक्तिक कौशल विवादों की संख्या को घटाकर एवं विभिन्न स्तरों पर सरल एवं सहज संचार प्रवाह सुनिश्चित कर संगठन की उत्पादकता को बढ़ता है।

उपकल्पना:

1. अन्तर्वैयक्तिक सम्बन्धों से नेटवर्किंग पर पकड़ बनती है।
2. अन्तर्वैयक्तिक सम्बन्ध व्यक्तियों के अन्दर कुशल नेतृत्व की भावना को जन्म देता है।

शोध प्रविधि:प्रस्तुत शोध अध्ययन मुख्यत: अप्रत्यक्ष व्यक्गित अनुसंधान पर आधारित है इसमें साहित्य का अध्ययन पुस्तकें,पत्र पत्रिकाए,समाचार पत्रों एवं इन्टरनेट वेबसाइड, सोशल मीडिया का सहारा लिया गया है।

अन्तर्वैयक्तिक कौशल के संघटक:

(अ) नेतृत्व: किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किसी समूह की गतिविधियों को प्रोत्साहित करना ही नेतृत्व कहलाता है। इसके लिए उस व्यक्ति के अन्दर अन्तर्वैयक्तिक कौशल के साथ–साथ भाषा पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए जिससे दूसरे लोग उससे प्रभावित हो अपने अन्तर्वैयक्तिक कौशल के माध्यम से वह मार्गदर्शन करने,निर्णय लेने,प्रतिनिधित्व करने एवं दूसरों को प्रोत्साहित करने जैसे कौशलों का प्रयोग कर उपलब्ध कई विकल्पों में से सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन कर निर्णय लेने की कला के आधार पर स्वविवेक के माध्यम से अन्य सदस्यों को कार्य ,उत्तरदायित्व एवं

अधिकारों का वितरत एवं वर्गीकरण कर कुशल व्यक्तियों को सौपकर उनकों प्रोत्साहित करता है।

(ब) नेटवर्किंग: अन्य लोगों के साथ प्रभावी सम्पर्क बनाकर उन सम्पर्को को पारस्परिक लाभ के लिए बनाए रखने एवं उनका प्रयोग करने की योग्यता ही नटेवर्किंग है वर्तमान भूमण्डलीकरण के युग में नटेवर्किंग एक अति महत्वपूर्ण उपकरण है क्योंकि यह कार्यभार को घटाने के साथ-साथ आदमी के अन्दर आत्मविश्वास की भावना को जाग्रत करता है एक कुशल व्यक्ति अधिक सकारात्मक रवैए के साथ-साथ गुणवत्तापूर्वक कार्य करना सुनिश्चित करता है आत्म विश्वास व्यक्ति के संचार के तरीके एवं कैरियर को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है जब आदमी का नेटवर्क अच्छा होता है उसे कुशल लोग सहजता से मिल जाते है जो किसी विशेष परिस्थिति में लाभदायक सिद्ध होते है। नेटवर्क के साथ-साथ प्रभावी संचार भी अन्तर्वैयक्तिक सम्बन्धों को प्रगाण बनाता है इसके अन्तर्गत हम किसी से बात करते समय कैसी प्रतिक्रिया करते है इसमें शारीरिक हावभाव बोलने का तरीका इत्यादि बाते शामिल होती है।

(स) समूह कार्य: यह अन्तर्वैयक्तिक कौशल का एक प्रमुख उपकरण है। इसके अन्तर्गत एक समान लक्ष्य की प्राप्ति के लिए दूसरों के साथ समूह में कार्य करना शामिल होता है इसके लिए परस्पर सहयोग,एक समूह में दूसरों के साथ सामाजस्य,सीखने के लिए सामूहिक प्रयास और लक्ष्य के विकास एवं उसकी प्राप्ति के लिए उत्तरदायित्व लेने की अच्छी समझ का होना आवश्यक है।

निष्कर्ष:जो व्यक्ति समाज में रहता है वह अन्तर्वैयक्तिक सम्बन्धों के माध्यम से किसी न किसी रूप में समाज से जुडा होता है और वह समाज में अपनी ख्याति,विद्धता,शिक्षा,समझदारी एवं अन्य गुणों के माध्यम से समाज में श्रेष्ठता साबित करता है और अन्य व्यक्ति उसे अपना गुरू,नेता,अभिनेता मान लेते है और वह उनका अनुसरण करने लगते है नेता और प्रबन्धकों की अपने सदस्यों पर उचित पकड़ होती है एवं नेतृत्व के समय वह सभी को कितना प्रभावित करते है तथा उनके सलाह एवं निर्देश कितने औचित्यपूर्ण है वह इनके अनुभव एवं विद्धता का प्रतीक है यही कला व्यक्तियों के अन्तर्वैयक्तिक सम्बन्धों को मजबूत बनाती है और कुशल नेतृत्व की भावना जाग्रत होती है अत: अध्ययन की द्धितीय उपकल्पना स्वयं सिद्ध होती है। जिस व्यक्ति के अन्दर कुशल नेतृत्व के गुण होते हे उससे दूसरे लोग प्रभावित होते हे और इस प्रकार से लोगों का एक बड़ा अन्तर्राजाल तैयार होता है अन्तर्वैयक्तिक सम्बन्ध इस दृष्टि से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है अत: अध्ययन की प्रथम उपकल्पना स्वयं सिद्ध होती है।

सारांश:अन्तर्वैयक्तिक सम्बन्धों से अधिक आकर्षण दो लोगों के मध्य पसंद पर आधारित संबंध है मानव जाति के मध्य लोग एक-दूसरे से आकर्षित होने की प्रवृति में भिन्नता रखते है एवं पारस्परिक आकर्षण को कई सारे आंतरिक,वाहा तथा अन्तर्वैयक्तिक कारक प्रभावित करते है दूसरों के साथ जुड़ने एवं संबंन्धित होने की प्रवृत्ति में एक महत्वपूर्ण कारक जो अन्तर्वैयक्तिक आकर्शण को प्रभावित करता है सकारात्मक प्रभाव की उपस्थिति का दूसरे व्यक्तियों एवं आसपास के व्यक्तियों का हमारे मूल्यांकन पर काफी प्रभाव होता है जो कि अन्तर्वैयक्तिक संबंधों को सुसाध्य करता है व्यक्ति जो भौकिक रूप से निकट होते है और बार-बार जिनके मिलने की संभावना होती है उनमें एक-दूसरे के प्रति आकर्षण की प्रत्याषा ज्यादा होती है आगे चलकर एक अच्छे एवं आकर्षक रूप का भी सार्थक प्रभाव अन्तर्वैयक्तिक संबंध एवं संचार की प्रकिया पर पड़ता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची:-

1. एम.पी.पी.एस.सी.सामान्य अभिरूचि परीक्षण:पूर्णेन्दु कुमार एवं गोपाल कृष्ण पाण्डेय(2013) अरिहन्त पब्लिकेशन्स इण्डिया लिमिटैड।
2. मानव संसाधन प्रबंध-:प्रो.जी.डी.शर्मा,प्रो.जी.सी.सुराना, डॉ.के.के. शर्मा (2002) रमेश बुक डिपो जयपुर।
3. अनुसंधान परिचय-पारसनाथ राय (2005) लक्ष्मीनारायण अग्रवाल,आगरा।
4. औद्योगिक सामाज विज्ञान-पी.सी.खरे एवं वी.सी.सिन्हा (1998) मयूर पेपरबैक्स नोयडा।
5. इन्टरनेट, वेबसाइड।

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
October to December 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVI

नर्मदा क्षिप्रा लिंक परियोजना से मालवा का विकास

डॉ. के. आर. कुमेकर*

* सह-प्राध्यापक (राजनीति विज्ञान) शासकीय महाविद्यालय, सनावद (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – मालवांचल को नर्मदा से निहाल के लिये नर्मदा क्षिप्रा लिंक परियोजना का शुभारम्भ किया गया जिससे मालवा का विकास हो सके। मध्यप्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा नदी मालवा क्षेत्र को हरा भरा बनाने निकल पडी है। इस योजना से सिर्फ नर्मदा क्षिप्रा ही नही, बल्कि चबंल, यमुना और गंगा का भी आपस मे मिलन होगा। इस योजना से जहा। तिल तिल करके मर रही क्षिप्रा को नई जिंदगी मिल रही है, वही हर साल पानी के गम्भीर सकंट से जुझने के आदी हो चुके मालवा को भरपुर पानी मिल रहा है जिससे मालवा निरंतर विकास की ओर अग्रसर है।

नर्मदा क्षिप्रा लिंक परियोजना की शुरूआत 29 नवंबर 2012, इन्दौर जिले मे कम्पेल के पास उज्जैनी मे स्थित क्षिप्रा टेकरी स्कंद पुराण मे यही से क्षिप्रा नदी के उदगम का वर्णन मिलता है। कालान्तर मे यह नदी सुख गइ और अब मानवीय संकल्पो के चलते क्षिप्रा यही से दोबारा प्रवाहमान हुई है। इस साल फरवरी माह मे ओंकारेश्वर सिंचाई परियोजना सें नर्मदा का पानी लाकर क्षिप्रा मे डाला गया है यह पानी करीब 115 किलोमीटर की दुरी तय करके उज्जैन शहर पहुचा है। इसके लिये 4 स्टेशनो पर पंपिग स्टेशन भी बनाये गये है। योजना पूरी होने पर मालवा क्षेत्र के तकरीबन 3,000 गांव और 70 कस्बों में पेयजल की किल्लत दूर हो जाएगी. यही नहीं, नर्मदा के पानी की मदद से लगभग 17 लाख एकड़ जमीन में सिंचाई की सुविधाा भी उपलब्धा कराई जा सकी। 432 करोड़ रुपए की लागत और 5 क्यूमेक्स (5 हजार लीटर प्रति सेकण्ड।) क्षमता वाली इस योजना के लाभों के बारे में बड़े-बड़े और अविश्वसनीय दावे किए जा रहे हैं। दूसरे शब्दों में यह क्षमता 362 एमएलडी (मिलियन लीटर प्रति दिन) है। मधयप्रदेश सरकार के सूचना प्रकाशन विभाग की विज्ञप्ति के अनुसार योजना के घोषित लाभों में देवास और पीथमपुर के उद्योगों, देवास इंदौर सड़क पर बसे उपनगरों और 150 गाँवों को पेयजल उपलब्धा करवाने के साथ ही सूख चुकी क्षिप्रा नदी को सदानीरा बनाना भी शामिल है। लगभग इंदौर जैसे एक शहर की पेयजल जरुरत के बराबर क्षमता वाली बिजली पर निर्भर इस योजना के दावों पर विश्वास करना मुश्किल है। यदि पाईप लाईनों से ही नदियाँ जिंदा हो जाती तो अब तक शायद ही देश की कोई नदी सूखी रहती।

शब्द कुंजी – परियोजना, नर्मदा नदी, विकास आदि।

नर्मदा क्षिप्रा लिंक परियोजना के मुख्य बिन्दु:

- टोंकारेश्वर नहर के लिये सिसलिया तालाब मे छोडे जाने वाले ज लमे से 5 क्यूसेक जल का उदहन कर सिचाई परियोजना के चौथे चरण मे उदहन कर इन्दौर जिले के उज्जैनी ग्राम के पास क्षिप्रा नदी के उदगम मे डाला गया।
- लगभग 49 किलोमीटर की दुरी एवं 348 मीर की उचाई तक जल का उद्धहन किया जायेगा।
- चार स्थलो पर जल उद्धहन के विद्युत पम्पो की स्थापना की जायेगी।
- प्रशासकीय स्वीकृति 432 करोड रूपय की है।
- सिसलिया तालाब से नर्मदा जल 10 गुणा 15 मीटर चौडाई लगभग 2ण्5 गहराई वाले कुण्ड मे छोडा जायेगा।
- परियोजना से मालवा क्षेत्र के 17 लाख एकड क्षेत्र मे सिचाई सुलभ होगी।
- परियोजना मे उज्जैन एवं देवास जिलो को प्र्याप्त मात्रा मे पानी उपलब्ध होगा।

नर्मदा क्षिप्रा लिंक परियोजना से मालवा को लाभ :

- मालवा गम्भीर जल संकट के शिकार मालवा अंचल मे इस परियोजना के तहत 16 लाख हेक्टेयर क्षेत्र मे स्प्रिंकलर और ड्रिप सिस्टम के जरिए सिचांई की योजना बनाई गई है। इस योजना के जरिए 72 कस्बो और 3000 गॉवो मे 4 चरणो पेयजल कीआपुर्ति की जा रही है। इसके साथ ही सूबे के पश्चिमी हिस्से के कुछ औद्योगिक क्षेत्रो को भी पानी मुहैया कराया जा रहा है।
- मालवा के डेढ सौ गांवो मे पेयजल की व्यवस्था। जल स्तर मे बढोत्तरी।
- छोटे उद्योगो को भी जल पर्याप्त मात्रा मे उपल्बध हो रहा है।
- 150 से अधिक गांवो के साथ उज्जैन व देवास के पेयजल की आवश्यकता की पूर्ति हो रही है। 2016 के सिहंस्थ मे उज्जैन को साफ पानी उपल्बध किया गया।
- मालवा क्षेत्र मे 17 लाख एकड मे सिंचाई सुलभ होगी। औद्योगिक विकास को गति मिल रही है।

नर्मदा क्षिप्रा लिंक परियोजना मे प्रस्तावित योजना - अभी औद्योगिक क्षेत्र का 650 कत्पनियो मे पानी की जरूरत 33 एम एल डी है। एकेवीएन सेक्टर 1 स्थित संजय जलाशय व सेक्टर 3 स्थित कारम नदी से रोजाना कम्पनियो को महज 11 से 12 एम एल डी पानी दे पा रहा है। नर्मदा क्षिप्रा लिकं से रोजाना 90 एम एलडी पानी खरीदेगा , वह एनवीडीए को रोजाना प्रति केएल 17 रू की दर से 15.30 लाख रू देगा। नर्मदा क्षिप्रा लिंक परियोजना से उज्जैनी स्थित क्षिप्रा नदी के उदगम तक पॅहुच रहा पानी सिमरोल के रास्ते पीथमपुर पॅहुचेगा। महू तहसील के टिही गॉव के पास से एकेवीन अपनी पाइपलाइन बिछायेगा। 45 से 50 किलोमीटर गुजरकर

पीथमपुर के तीनो सेक्टर मे पानी पहुचेगा। वर्ष 2017 मे योजना पूरी होगी। एकेवीन ने आईआईटी कैंपस से पीथमपुर तक 20 किलोमीटर से ज्यादा लम्बी लाइन बिछाने की योलना बनाई है। टिही मे एक बॉध भी बनाना है। इन्दौर, देवास, उज्जैन के ग्रामीण इलाको मे टंकिया बनाकर नर्मदा का पानी दिया जायेगा।

मालवा मे बढी सिंचाई बजट मे नई 18 सिचाई योजना को प्रस्तावित किया गया। नर्मदा क्षिप्रा लिंक परियोजना से मालवा क्षेत्र मे सिंचाई क्षेत्र बढा है। इसके साथ ही नर्मदा गम्भीर लिंक परियोजना का भी काम शुरू हो गया है। जिससे मालवा मे सिंचाई का क्षेत्र बढेगा , जिससे कि मालवा का आर्थिक विकास हो सकेगा।

निष्कर्ष -पतित पावन मॉ क्षिप्रा के पावन तट पर पुण्य सलिला मॉ नर्मदा ने अपने आगमन की दस्तक देदी है।जिससे अब मालवा क्षेत्र हरा भरा होगा और तरक्की की नई इबारत लिखेगा। बशर्ते है कि सरकार पानी खीचने के लिये बिजली से निरंतर पंप चलाती रहे। नर्मदा क्षिप्रा लिंक परियोजना से मालवा के सम्पूर्ण क्षेत्र व आसपास के क्षेत्रो मे भी पर्याप्त मात्रा मे पानी पहुच रहा है जिससे कि सम्पूर्ण मालवा क्षेत्र निरन्तर विकास की गति की ओर अपने कदम दर कदम बढाते चले जा रहा है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. www.madhyapredesh digdrshika.com
2. www.narmda shipra link.com
3. www.narmda shipra link priyojna official site.com

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
October to December 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVI

परम कल्याणकारी हैं ईशोपनिषद् की शिक्षाएँ

डॉ. विनोद कुमार शर्मा *

* प्राध्यापक (संस्कृत) पण्डित बालकृष्ण शर्मा 'नवीन' शासकीय महाविद्यालय, शाजापुर (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – उपनिषदों में वेद का सारतत्त्व निहित है। इनकी संख्या दो सौ से अधिक बतलायी जाती है। उपनिषद्ग्रन्थों में ईशावास्योपनिषद् की गणना प्रथम स्थान पर होती है। इस लघुकाय उपनिषद् में मात्र 18 मन्त्र हैं। ईशोपनिषद् में शाश्वत जीवन मूल्यों के व्यावहारिक पक्ष की मीमांसा हुई है। इस उपनिषद् की शिक्षाएँ लौकिक तथा पारलौकिक उभयविध कल्याण का मार्ग प्रशस्त करती हैं। आधुनिक सन्दर्भों में ईशोपनिषद् की प्रासंगिकता तथा उपयोगिता अत्यधिक बढ़ गयी है। क्योंकि आज का मानव जीवन के सभी पक्षों पर पुनर्विचार करना चाहता है। प्रस्तुत शोधलेख में ईशोपनिषद् की कतिपय शिक्षाओं की समीक्षा की गई है, जिन्हें आत्मसात् करके व्यक्ति अपने जीवन को चरितार्थ कर सकता है।

उपनिषद् शब्द का अर्थ – उपनिषद् भारतीय धर्म-दर्शन संस्कृति जीवनमूल्यों तथा नैतिक मानदण्डों को भलीभाँति प्रकाशित करते हैं। वेदों का अन्तिम भाग होने से इन्हें 'वेदान्त' कहा जाता है। उपनिषदों में वेद का सारतत्त्व और प्रधान उद्देश्य निहित है। वैदिक धर्म एवं दार्शनिक परम्परा की आधारस्वरूप प्रस्थानत्रयी में उपनिषदें मुख्य हैं। अभ्युदय तथा नि:श्रेयस सम्बन्धी समस्त प्रश्नों का समाधान उपनिषदों में सुलभ है। इस दृष्टि से आधुनिक सन्दर्भों में उपनिषदों की उपयोगिता एवं प्रासंगिकता अत्यधिक बढ़ गयी है। क्योंकि आज का मानव जीवन के सभी पक्षों पर पुनर्विचार करना चाहता है।

उपनिषद् शब्द उप तथा नि उपसर्गपूर्वक सद् (विषरण, गति और अवसादन) धातु में क्विप् प्रत्यय लगकर निष्पन्न होता है।[1] इसका शाब्दिक अर्थ ब्रह्मविद्या है। वह ब्रह्मविद्या जो मुमुक्षु जनों की अविद्या का नाश करती है, उन्हें ब्रह्म के समीप पहुँचाती है और उनके दु:खों को सर्वथा शिथिल कर देती है।

ईशावास्योपनिषद् का वैशिष्ट्य – उपनिषद्-साहित्य विशाल है। उपनिषदों की संख्या दो सौ से अधिक बतलायी जाती है। इनमें से दस उपनिषदें प्रमुख प्राचीन तथा महत्त्वपूर्ण हैं, जिनका नामोल्लेख मुक्तिकोपनिषद् में हुआ है- ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुण्डक, माण्डूक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छान्दोग्य तथा बृहदारण्यक।[2] उक्त क्रमानुसार समस्त उपनिषद्ग्रन्थों में ईशावास्योपनिषद् को प्रथम स्थान पर गिना जाता है। वस्तुत: शुक्ल यजुर्वेद संहिता का चालीसवाँ अध्याय 'ईशोपनिषद्' अथवा 'ईशावास्योपनिषद्' के नाम से प्रसिद्ध है। यह उपनिषद् ही एकमात्र मन्त्रोपनिषद् है, क्योंकि यह संहिता के अन्तर्गत मन्त्रभाग में प्राप्त है। जबकि अन्य प्रमुख उपनिषदें ब्राह्मण तथा आरण्यक ग्रन्थों से सम्बद्ध हैं। न केवल प्रतिपाद्य विषय अपितु पद्यरचना एवं शैली की दृष्टि से भी ईशावास्योपनिषद् का प्राचीन शास्त्रों में विषिष्ट स्थान है।

इस उपनिषद् के प्रथम मन्त्र के प्रथम दो पदों (ईशा वास्यमिदं) के आधार पर इसका नाम ईशावास्योपनिषद् पड़ा है। इस लधुकाय उपनिषद् में मात्र 18 मन्त्र हैं। आधुनिक सामाजिक सन्दर्भ में इस उपनिषद् को सामान्य जन और जनजीवन से जोड़ने का प्रयत्न करते हुए श्रीवेङ्कटराव रायसम् ने इसे उपनिषद्-घोषणापत्र कहा है तथा इसे भारत के प्रजासत्तात्मक राज्य, सामाजिक व्यवस्था, वैयक्तिक अधिकार-कर्त्तव्य इत्यादि विषयों का प्रतिपादक बतलाया है।[3] हिन्दू धर्म के लिए ईशावास्योपनिषद् अत्यन्त महत्तवपूर्ण है। इस विषय में महात्मा गान्धी ने सर्वथा उचित कहा है-'अब मैं इस अन्तिम निर्णय पर पहुँचा हूँ कि यदि सारी उपनिषदें और दूसरे अन्य शास्त्र नष्ट हो जाते हैं और यदि ईशोपनिषद् का प्रथम मन्त्र ही हिन्दुओं की स्मृति में सुरक्षित रह जाता है तो भी हिन्दुत्व सदा-सर्वदा जीवित रहेगा।'[4] ईशावास्योपनिषद् का दर्शन व्यावहारिक, क्रियात्मक एवं आचरणपरक है। इसमें शाश्वत जीवनमूल्यों के व्यावहारिक पक्ष की मीमांसा हुई है।

ईशावास्योपनिषद् की शिक्षाएँ – ईशावास्योपनिषद् की शिक्षाएँ लौकिक अभ्युदय तथा पारलौकिक नि:श्रेयस् उभयविध कल्याण का मार्ग प्रशस्त करती हैं। यहाँ प्रस्तुत हैं इस उपनिषद् की कतिपय शिक्षाएँ जो मानवमात्र के लिए परम उपयोगी तथा कल्याणकारी हैं।

(1) त्यागपूर्वक करें भोग – ईशोपनिषद् के प्रथम मन्त्र में संसार में रहने की उचित विधि का निर्देश करते हुए कहा गया है कि सम्पूर्ण जगत् परमात्मा से व्याप्त है। अत: ईश्वर को साथ रखकर त्यागपूर्वक ही पदार्थों का भोग करना चाहिए। किसी के धन का लालच नहीं करना चाहिए। क्योंकि धन किसका है ? अर्थात् किसी के पास स्थिर होकर नहीं रहता। जब ईश्वर सर्वत्र व्याप्त है, तब सब कुछ उसी का है-

ॐ ईशा वास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत्।
तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृध: कस्यस्विद्धनम्।।[5]

(2) शुभ कर्म करते हुए शतायु होने की करें आकांक्षा – इस उपनिषद् के द्वितीय मन्त्र में अकर्मण्यता के विरुद्ध आवाज उठायी गयी है। 'नरोऽहम्' इस प्रकार के अभिमान से युक्त मनुष्य को अपने दायित्वों और कर्त्तव्यों के प्रति सजग रहकर, शास्त्रानुकूल शुभ कर्म करते हुए ही सौ वर्ष तक जीने की कामना करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त कोई मार्ग नहीं है। यह मन्त्र कर्म और जीवन की महत्ता का वैदिक उद्घोष है। इसमें कर्मभूमि संसार को न त्यागकर, कर्त्तव्य कर्म करते हुए अधिकाधिक जीने की इच्छा करने का सन्देश दिया

गया है–

कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समा:।
एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे।।[6]

(3) प्राणिमात्र के प्रति रखें समत्व दृष्टि – आत्मा एक और अद्वितीय है। वही एक आत्मा सब में है। अपने और पराये का भेद वास्तविक नहीं है। जिस प्रकार माला के अनेक मोतियों में एक ही सूत्र पिरोया रहता है उसी प्रकार सभी प्राणियों में एक ही आत्मा समवेत है। इसलिए जो सबको अपने में और अपने को सब में देखता है, वही ज्ञानी है। अद्वितीय आत्मा का सर्वत्र दर्शन करना ही आत्मसाक्षात्कार है। यही सर्वोच्च दर्शन है। यह समत्वदृष्टि शोक, मोह, निन्दा, द्वेष, भय आदि विकारों को समाप्त कर देती है–

यस्मिन्सर्वाणि भूतान्यात्मैवाभूद्विजानत:।
तत्र को मोह: क: शोक एकत्वमनुपष्यत:।।[7]

(4) सम्भव नहीं भौतिक विज्ञान से अमरत्वप्राप्ति– अविद्या अर्थात् भौतिक विज्ञान से मृत्यु को कुछ काल तक टाला जा सकता है किन्तु अमरत्व प्राप्त नहीं किया जा सकता। भौतिक विज्ञान अस्थायी रूप से मृत्यु से बचने के उपाय ही खोज सकता है। अमरता तो अध्यात्मज्ञान से ही प्राप्त होती है।[8] इसलिए आध्यात्मिक ज्ञान ही विद्या है।

(5) स्वयं को बनाएँ लोकमंगल का साधन– ईशावास्योपनिषद् के अनुसार असम्भूति अर्थात् व्यक्तिवाद से भी मनुष्य केवल मृत्यु से बच सकता है। अमरता प्राप्त करने के लिए सम्भूति अर्थात् समष्टि में स्वयं विलीन करना होगा।[9] लोकमंगल के लिए यह अनिवार्य है कि हम समाज को अपने उत्थान का साधन न बनाएँ अपितु स्वयं को लोकमंगल अर्थात् समाजोत्थान का साधन बनायें।

(6) आत्मघाती न बनें – ईशोपनिषद् के एक मन्त्र[10] में आत्मघाती को चेतावनी दी गई है। अज्ञानी जन ही आत्मघाती हैं। अविद्यारूपी दोष के कारण नित्यसिद्ध आत्मा का तिरस्कार करना, उसके वास्तविक स्वरूप को न जानना और उसकी अवहेलना करना ही आत्मघात है। आत्मा प्रकाशस्वरूप है। वह सब में विद्यमान है। मनुष्य अज्ञानवश उससे अनभिज्ञ रहता है और उसके अजरत्व, अमरत्व आदि रूप को नहीं जान पाता है। वह पूर्ण तथा अखण्ड आत्मा को एकदेशीय और खण्डित मानता है अथवा देह को ही आत्मा समझता है। आत्मस्वरूप को न जानने वाले ये आत्मघाती जन मरने के बाद और जीते हुए भी दु:खरूप अन्धकार से युक्त भोगों को प्राप्त करते हैं। वे बार–बार मरकर कर्मफलों को भोगने के लिए विविध जन्मों को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार आत्मघातरूप दोष का फल संसरण अथवा अधोगति है।

(7) ज्ञान और कर्म के समन्वय से ही सम्भव है मुक्ति – कुछ लोग केवल कर्म और कुछ ज्ञान का मार्ग अपनाते हैं। ईशोपनिषद् में किया गया है कि जो सकाम कर्मरूपी अविद्या की उपासना करते हैं अर्थात् विषय–भोगों में आसक्त रहने के कारण केवल कर्मों के अनुष्ठान में रत रहते हैं वे अज्ञानरूप घोर अन्धकार में प्रवेश करते हैं–

'अन्धं तम: प्रविषन्ति येऽविद्यामुपासते।'[11]

वे कर्मों से उत्पन्न फलों को भागने के लिए जन्म लेते हैं। उस जन्म में भी रागवश कर्मों को करते हैं और उनके फलभोग के लिए पुन: जन्म लेते हैं। इस प्रकार वे जन्म–मरण के चक्र में घूमते रहते हैं। यह ज्ञान के अभाव की स्थिति है। इसी को घोर अन्धकार कहा गया है। अत: केवल कर्म की उपासना उचित नहीं है।

जो कर्त्तव्य कर्मों का त्याग करके केवल ज्ञान के मिथ्या अभिमान में डूबे रहते हैं वे तो उससे भी अधिक अन्धकार में प्रवेश करते हैं–

'ततो भूय इव ते तमो य उ विद्यायां रता:'[12]

इसका कारण यह है कि कर्मों का अनुष्ठान न करने के कारण न तो उनके अन्त:करण की शुद्धि हो पाती है और न ही ज्ञान की सिद्धि।

भाव यह है कि 'ज्ञानरहित कर्म' का अनुष्ठान करने वाले अज्ञान में प्रवेश करते है तो 'कर्मशून्य ज्ञान' में रत रहने वाले सर्वथा अनर्थ को प्राप्त करते हैं। अत: केवल कर्म या केवल ज्ञान से मोक्ष पाना सम्भव नहीं है। मुक्ति के लिए जैसे केवल कर्म अपर्याप्त हैं वैसे ही केवल ज्ञान भी अपर्याप्त है। मुक्ति तो ज्ञान और कर्म के समन्वय से ही प्राप्त हो सकती है। जिस प्रकार पक्षी एक पंख से नहीं उड़ सकता। दोनों पंखों से ही उसकी उड़ान सम्भव है, उसी प्रकार मनुष्य को मुक्ति के अनन्त लोक में विहार करने के लिए ज्ञान और कर्म दोनों का साथ–साथ अनुष्ठान अर्थात् समन्वय करना चाहिए।

वस्तुत: जो व्यक्ति ज्ञान के तत्तव और कर्म के मर्म को यथार्थ रूप से जानकर दोनों का समन्वय करता है, वह फल भी कामना से रहित होकर, शास्त्रविहित कर्मों के यथायोग्य आचरण के द्वारा मृत्युमय संसार को पार कर लेता है। वह शुद्धचित्ता होकर अन्तत: विद्या के अभ्यास से 'अहं ब्रह्मास्मि' इस प्रतीति के द्वारा ब्रह्म के साक्षात्कार में समर्थ हो जाता है अर्थात् मोक्ष प्राप्त करता है। ईशोपनिषद् में कहा गया है–

विद्यां चाविद्यां च यस्तद्वेदोभयं सह।
अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययामृतमश्नुते।।[13]

निष्कर्ष – निष्कर्षत: कहा जा सकता है कि ईशोपनिषद् का दर्शन व्यावहारिक, क्रियात्मक तथा आचरणपरक है। इस उपनिषद् की शिक्षाएँ सर्वथा उपयोगी तथा कल्याणकारी हैं। ईशावास्योपनिषद् में त्यागपूर्वक भोग करते हुए तथा कर्त्तव्य कर्म करते हुए अधिकाधिक जीने की इच्छा करने का सन्देष दिया गया है। इस उपनिषद् के अनुसार अद्वितीय आत्मा का सर्वत्र दर्शन करना ही आत्मसाक्षात्कार है। यह समत्वदृष्टि शोक, मोह, निन्दा, द्वेष आदि विकारों को समाप्त कर देती है। हमें स्वयं को लोकमंगल का साधन बनाना चाहिए। ईशोपनिषद् में आत्मा के वास्तविक स्वरूप को न जानने वाले तथा नित्यसिद्ध आत्मा का तिरस्कार करने वाले लोगों को आत्मघाती कहा गया है। आत्मघात रूप दोष का फल संसरण अथवा अधोगति बताया गया है। समीक्ष्य कृति के अनुसार केवल कर्म अथवा केवल ज्ञान से मोक्ष पाना सम्भव नहीं है। मुक्ति तो ज्ञान एवं कर्म के समन्वय से ही प्राप्त की जा सकती है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. सदेर्धातोर्विषरणगत्यवसादनार्थस्योपनिपूर्वस्य क्विप्प्रत्ययान्तस्य रूपमुपनिषदिति। कठोपनिषद् शाङ्करभाष्य
2. ईशकेनकठप्रश्नमुण्डमाण्डूक्यतित्तिर:।
ऐतरेयं च छान्दोग्यं बृहदारण्यकं तथा।। मुक्तिकोपनिषद् 1/30
3. उपनिषद् घोषणापत्र–ईशावास्योपनिषद्, दिल्ली, 1975
4. The Ten Classical Upanisads, Vol. I Page 70 पर उद्धृत
5. ईशावास्योपनिषद् (व्याख्याकार – डॉ. शशि तिवारी, भारतीय विद्या प्रकाशन, दिल्ली, द्वितीय संस्करण, 1997), 1
6. तदेव, 2
7. तदेव, 7
8. तदेव, 10

9. तदेव, 14
10. असुर्या नाम ते लोका: अन्धेन तमसावृता:।
    तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जना:।। तदेव, 3
11. तदेव, 9
12. तदेव, 9
13. तदेव, 11

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
October to December 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVI

पश्चिमी निमाड़ का स्वतंत्रता का समर –भीमा नायक के संदर्भ मेर

डॉ. अनिल पाटीदार *

* सहायक प्राध्यापक (इतिहास) शासकीय महाविद्यालय, पाटी, जिला-बड़वानी (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – भारतवर्ष की भूमि जिसे जगत जननी मातृभूमि की संज्ञा दी जाती है। इस पावन माटी में सदियों से समाज के कष्टों का निवारण हेतु महापुरुष जन्म लेते रहें। इसी भूमि पर जब अत्याचारी और शोषक अंग्रेजों ने बलात अधिकार किया तो उसे मुक्त कराने के लिए निमाड़ की पावन माटी में जन नायक, जन योद्धा के नाम से घोषित भीमा नायक ने बड़वानी रियासत के पंच महोली गांव में लगभग 1815 ईसवी में जन्म लिया। कहीं–कहीं जन्म वर्ष 1827 भी बताया जाता है। माना जाता है कि उनके पिता धनसिंह और माता सुरसी बाई थी। पिता का परंपरागत व्यवसाय तीर कामठी और फालिये बनाना था। भीमा बाल्यकाल से ही हथियारों को बनाने और चलाने में पारंगत हो गया था। अपने गुणों से जल्द ही वह एक लोकप्रिय तीरंदाज हो गया था। भीमा ने बचपन में अंग्रेजों के अत्याचारों को अपने समाज पर होते देखा था और उन्हें अपना शत्रु मानकर अपनी भूमि पर इन्हें कांटों की भांति मानने लगा था। भीमा का विवाह धाबा नामक महिला से हुआ था। माना जाता है पत्नी धाबा के नाम पर ही धावा बावड़ी में एक बावड़ी का निर्माण किया था, यहीं पर पहाड़ी पर भीमा नायक ने गढी भी बनवाई थी जहां से वह अपने शत्रुओं अंग्रेजों पर दृष्टि रख सकता था। भीमा नायक ने युवावस्था में बड़वानी रियासत के राजा राणा जसवंत सिंह के सैन्य सहायक के रूप में [1] 50 प्रति माह के वेतन पर सेवा दी थी, लेकिन 1857 की शुरुआत में भीमा को अंग्रेजों के प्रभाव से वेतन और सम्मान मिलना बंद हो गया तो भीमा नायक ने अपने साथियों के साथ दत्तवाडा जो किराना के अधीन था वहां पर आक्रमण किया और अपना अधिकार प्राप्त किया। दतवाड़ा की घटना के बाद भीमा नायक की गतिविधियां बढ़ने लगी जो कि निमाड़ के सेंधवा और बड़वानी क्षेत्र में अंग्रेजों को सीधी चुनौती थी। अंग्रेजों के विरुद्ध भीमा नायक ने अपने साथियों ख्वाजा नायक, मोवासिया नायक के साथ मिलकर जनजाति समाज को संगठित किया। भीमा नायक के नेतृत्व में सारे निमाड के निरीह, अशिक्षित व वनवासी कहे जाने वाले जनजाति समाज ने अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध तीर कामठी और फालिए उठा लिए थे। अंग्रेजों की भीमा नायक और उसके साथियों के विरुद्ध की गई घेराबंदी और अंग्रेजों की मातृभूमि पर और यहां के रहवासियों पर किए गए अत्याचारों ने भीमा को अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध हथियार उठाने के लिए और दूर्धर्ष संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया।

भीमा नायक की गतिविधियों का मुख्य केंद्र धाबावड़ी में पहाड़ी पर बनी गढी में था साथ ही एक ठिकाना अंजड़ के पास ग्राम पलासिया (सजवाय) में पहाड़ियों के बीच एक गोलबेडी में बनी गुफा में था। यहां एक सुरंग भी थी। गोलबेडी के नीचे भीमा नायक द्वारा स्थापित प्राचीन हनुमान मंदिर था। माना जाता है कि इसी मंदिर में भीमा ने गौ माता के हत्यारे अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष करने का संकल्प लिया जब तक इन फिरंगियों को हमारी पवित्र भूमि से बाहर नहीं निकाल दूंगा तब तक चौन से नहीं बैठूंगा। इस प्रतिज्ञा के बाद भीमा नायक ने अपनी सेना को मजबूती प्रदान करने और अधिक मात्रा में हथियार संसाधन जुटाने के लिए आगरा बंबई मार्ग पर सरकारी खजाने को लूटने की योजना पर काम किया था। इसके पहले भीमा की सेना और अंग्रेजों के मध्य एक संघर्ष हुआ था जिसे पंचसावल की लड़ाई के नाम से भी जाना जाता है। पंचसावल का संघर्ष 24 अगस्त 18 57 को हुआ था। लेफ्टिनेंट कैनेडी के अधीन फोर्स तैयार कर पंचसावल भेजी गई। यहां के मामलेदार दाजी पितांबर ने अंग्रेजों के लिए रसद आपूर्ति की और दो बेगारी मार्ग बताने हेतु भेजें हालांकि पितांबर भीमा नायक का अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग ही कर रहा था, जिसका शक केनेडी को था। केनेडी को जब भीम और उसके साथियों की पहाड़ पर डेरा डालने की सूचना मिली तो वह 4 से लेकर आगे बढ़ा भीमा नायक और उनके सैनिकों ने अंग्रेज पोस्ट पर हमला कर दिया और उसमें कैनेडी के सिर को छूती हुई एक गोली निकली भीमा नायक के साथियों के पास जब हथियार कम पड़े तो वे पीछे हटे इस संघर्ष में अनेक क्रांतिकारी मारे गए इस घटना के बाद सितंबर में दत्ता वाड़ा और फिर नंबर 18 57 में सेंधवा घाट में बड़ी लूट को अंजाम दिया गया जिसमें भीमा नायक और उनके साथियों की बड़ी भूमिका रही।

सेंधवा घाट की लूट से ऐसा कोहराम मचा के अंग्रेज स्तब्ध रह गए सेंधवा घाट में जामली चौकी के पास [1] 700000 का खजाना लूटा इससे क्रांतिकारियों की स्थिति मजबूत हुई और वे अंग्रेजों से लड़ने के लिए इस खजाने से अधिक अस्त्र–शस्त्र ले सकते थे भीमा नायक की नेतृत्व कुशलता इस बात से पता चलती है कि खजाने की रक्षा हेतु 300 रक्षक थे। क्रांतिकारियों ने व्यवस्थित योजना बनाकर इस खजाने को प्राप्त किया इसमें भीमा नायक और उनके क्रांतिकारी साथियों की एक बड़ी सफलता के रूप में भी इसे देखा जा सकता है। इन क्रांतिकारियों की गतिविधियों से क्षेत्र में भी मनाया का प्रभाव काफी बढ़ गया था बड़वानी के राणा जसवंत सिंह के पत्र से ज्ञात होता है कि बीमा के साथ आठ से 10,000 सैनिक थे। यह अवैतनिक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए प्राण प्रण से लड़ने का संकल्प लिया था अब अंग्रेजों के लिए निमाड़ में भीमा नायक एक बड़ी चुनौती बन गया था।

निमाड़ के पोलिटिकल एजेंट आर एस फिटिंग ने कलेक्टर को पत्र 1 अप्रैल 2858 को लिखा जिसमें कहा गया कि बीमा एक खतरनाक आदमी है वह वंशानुगत नायक है भील उसकी आज्ञा का निशुल्क पालन करते हैं और उसके लिए अपने प्राणों को निछावर करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं

निमाड़ क्षेत्र के यह क्रांतिकारी जन समाज में अपना प्रभाव छोड़ रहे थे इनका निशाना आम लोग न होकर केवल अंग्रेज लालची और स्वार्थी साहूकार राजा थे जनता के लिए यह रॉबिनहुड की तरफ से क्रांतिकारी इसलिए नाराज थे क्योंकि यह जनजाति वर्ग की दुर्दशा के मुख्य कारण थे।

भीमा नायक और अंग्रेजों के मध्य सबसे मुख्य संघर्षो अंबापानी का युद्ध था जो 11 अप्रैल 1818 को हुआ था अप्रैल के प्रारंभ में बीमा ख्वाजा आनंद सिंह कालूराम अपने सैनिकों के साथ ढांकावड़ी में ठहरे थे। यहां से यह कोई नदी की घाटी के जंगलों से होते हुए अंबापानी में पहुंच गए थे। अंग्रेजों ने क्रांतिकारियों की वृद्धि योजना बनाई परिवार से लेकर निवाली पहुंचा यहां से कैप्टन लेने को लेकर पलसूद आए तो पता लगा कि क्रांतिकारी अंबापानी में 10 अप्रैल को बड़वानी पहुंचा 11 अप्रैल को प्रात लैंगस्टन और लेकर पहुंचे पानी में कमांडेंट एंडरसन और दल पहले ही पहुंच चुका था। इन्होंने क्रांतिकारी क्रांतिकारी लगातार गोलियां चला रहे थे तो तोप के गोले गोलू से क्रांतिकारियों को खदेड़ा बीमा और उसके साथी लगातार लोहा लेते रहे क्रांतिकारियों पर अंग्रेजों ने पहाड़ी से हमला किया क्रांतिकारी पीछे हटे बीमा अपने साथियों के साथ यहां से निकल गया इस संघर्ष में डेढ़ सौ क्रांतिकारी मारे गए 200 पकड़े गए अंग्रेजों को भी मनाए को पकड़ने में अभी भी सफलता नहीं मिली थी यह भी माना है कि कुशल प्रबंधन प्रबंधन और अपनी मातृभूमि के लिए प्राण प्राण से लड़ने का एक जज्बा के रूप में देखा जा सकता है।

निमाड़ क्षेत्र के श्रद्धा ने न केवल अंग्रेजों से लोहा लिया अपितु अट्ठारह सौ सत्तावन की महान क्रांति के महान योद्धा तात्या टोपे का बड़वानी में स्वागत कर उन्हें सकुशल नर्मदा नदी पार कराने में मदद की तात्या टोपे ने 16 नवंबर 18 सो 58 के निर्माण में प्रवेश लिया और अंग्रेजी सत्रों में बहन का नुकसान पहुंचाकर बीमार ख्वाजा नायक अपने साथियों के 4000 साथियों के साथ तात्या टोपे से मिले और तलवाड़ा बुजुर्ग को लूटा 25 नवंबर को यह दल बड़वानी पहुंचा राणा को बंदी बनाया गया और यहां से आगे जाने का रास्ता पूछा गया फिर भीमा नायक ने तात्या टोपे को बेलखेड़ा पहुंचाया और यहां पर भी मार्को तात्या टोपे ने तलवार भेंट की और तलवार पर अंगूठा रखने के लिए सबसे धीमा को तिलक किया और कहा कि मैं अपनी मातृभूमि पर अपनी योजना पूर्ण करने में सफल होता हूं तो तुम्हारे इस उपकार का बदला अवश्य आऊंगा। भीमा नायक उपलब्ध कराई गई ना भीमा नायक के द्वारा उपलब्ध कराई गई आंखों से क्रांतिकारी नर्मदा नदी पार कर चुका था।

ढाबा बावड़ी की झड़प चीटिंग लिखता है कि 4 फरवरी 18 सो 59 ईस्वी को दिन निकलने से पहले हम चल दिए तथा पूर्वान्ह के पहले ढाबा ऑडी पहुंचे घाटी की रक्षा करें आहट भील और विद्रोही कर रहे थे। जिन्होंने प्रति रोष प्रदर्शन किया लेकिन आगे बढ़ने पर कुछ लोग गोलियां चलाते हुए पहाड़ी पर चले गए इस तरह बॉडी में अचानक हुए इस आक्रमण में भीलों ने बड़ी भरता का प्रदर्शन किया के वलसाड भी रोने दो सौ अट्ठारह अंग्रेज सैनिकों को वीरता पूर्वक सामना करते हुए आगे जंगल में शरण ली क्रांतिकारियों की गोलियां खत्म हो जाने से वेदा बॉडी में अंग्रेजों को गोलियों से भूनकर वही रोक सके भीमा नायक का अंग्रेजों से पंचपाओली रामगढ़ का युद्ध 9 फरवरी 5859 कोवा रामगढ़ के युद्ध के दौरान भीमा नायक तो बच कर निकल गया। किंतु उसकी मां सुरुचि को अंग्रेजों ने कैद कर मल्लेश्वर जेल में बंद कर दिया। इस युद्ध के बाद भीमा नायक की वृद्धम्मा तुलसी को क्रांतिकारियों से संबंधित सूचना प्राप्त करने के लिए कई प्रकार की यातनाएं दी गई इन यात्राओं को सहते हुए 28 फरवरी अट्ठारह सौ उनसठ को उनका देहांत हो गया।

भीमा नायक के साथी ख्वाजा नायक के मारे जाने के बाद भीमा नायक अकेले पड़ गए अब उनका गिरोह भी छोटा हो गया था। सदा भीमा नायक की विद्रोह तक गतिविधियां भी कम हो गई थी। अट्ठारह सौ चौंसठ से अट्ठारह सौ सड़सठ तक भीमा नायक ने कोई वारदात भी नहीं की परंतु फिर भी बड़वानी रियासत की पुलिस वह मालवा भील कोर की टुकड़ियों उन्हें पकड़ने का निरंतर प्रयास करती रही अट्ठारह सौ 64 से 65 ईसवी तक इस पोस्ट को पकड़ नहीं सकी जबकि उनके रिश्तेदारों को अट्ठारह सौ पैसठ पकड़ा जा चुका था भीमा नायक को पकड़ने के लिए व्यापारियों को लालच भी दी गई परंतु प्रयत्न निष्फल सिद्धिविनायक के प्रति जनता के अटूट विश्वास के बारे में लेफ्टिनेंट स्कैंडल ने 5 मई 18 से 64 ईसवी के पत्र में लिखा है कि पिछले साढे 3 वर्षों से उसने लगातार भीमा को पकड़ने की अनेक योजनाएं बनाई परंतु सभी असफल सिद्ध हुई हम लोग हर सप्ताह कोई न कोई योजना बनाते परंतु असफलता ही हाथ लगती अनवरत संघर्ष करके भी माने अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया था जब बल से अंग्रेज भीमा को नियंत्रित नहीं कर पाए तो उन्होंने छल का सहारा लिया बीमा को पकड़ पाने के लिए प्रारंभ में 500 और 1000 और [1] 2000 के इनाम की घोषणा कर दी कि लालच में आकर चंद्र पिता गुलाब ने बीमा के बालकों में होने की सूचना अंग्रेजों को दे दी अंग्रेजों ने भीमा को 2 अप्रैल अट्ठारह सौ सड़सठ को बालकुमार से गिरफ्तार कर कर लिया यह दुर्भाग्य है कि विश्वास गालियों के कारण हमें इतिहास के प्रत्येक कालखंड में बहुत क्षति उठानी पड़ी भीमा नायक की गिरफ्तारी के बाद इंदौर में उन पर मुकदमा चलाया गया बीमा पर भारतीय दंड संहिता के तहत 3 आरोप लगाए गए जो राजद्रोह डकैती उत्तम हत्या के आरोप थे राज्यों के अंतर्गत धीमा को रानी के विरुद्ध अट्ठारह सौ सत्तावन से अट्ठारह सौ सड़सठ तक युद्ध के लिए दोषी ठहराया गया साथ ही भीमा नायक को दत्ता वाड़ा सहित अन्य स्थानों पर डकैती तथा कुछ लोगों की हत्या का आरोपी बनाया गया धीमा ने केवल डकैती के आरोप को ही स्वीकार किया किंतु उसे तीनों ही अपराधों का दोषी ठहरा कर लो नंबर 9867 को अंग्रेजी न्यायाधीश थॉमसन ने आजीवन समुद्र में रहने की सजा सुनाए वीडियो में जकड़ कर पोर्ट ब्लेयर की जेल में भेजा गया है यही भारत की मुख्य भूमि से दूर रहते हुए 9 वर्ष बाद 29 दिसंबर 18 से 70 को नीमा नायक ने कारागार में अंतिम सांस ली निमाड़ का यह वीर योद्धा अपने संघर्ष अपने पराक्रम अपने साहस से क्षेत्र में स्वतंत्रता के लिए एक अलग जगह कर चला गया।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. अनिल माधव दवे रोटी और कमल की कहानी
2. डॉ. मंगला ठाकुर बड़वानी का इतिहास
3. डॉ. निकुंज विला अंचल निमाड़ का स्वतंत्रता सेनानी भीमा नायक
4. डॉक्टर एसएन यादव 18 सो 57 का स्वतंत्रता संग्राम
5. निमाड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफिस रिकॉर्ड वॉल्यूम 9
6. डॉक्टर एसएन यादव निर्माण का योद्धा भीमा नायक
7. निकुंज वर्मा जन योद्धा भीमा नायक
8. मुंबई गजट ईयर अ ध्याय 2
9. प्रोफेसर महेश लाल गर्ग निर्माण में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम शोध ग्रंथ
10. ई पत्रिका नायक 2016
11. राजनाथ कानूनगो दफ्तर फाइल नंबर 3

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
October to December 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVI

स्त्री के संघर्षों में शिक्षा की भूमिका

डॉ. गौरव विद्यार्थी *

* विभागाध्यक्ष (वाणिज्य) फ्यूचर विजन कॉलेज, उज्जैन (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – *'यदि आप एक पुरूष को शिक्षित करते हैं तो आप एक व्यक्ति को शिक्षित करते है। यदि आप एक महिला को शिक्षित करते है तो आप पूरे परिवार को शिक्षित करते हैं।''* **–पं. जवाहरलाल नेहरू**

महिला सशक्तिकरण में शिक्षा एक मील का पत्थर है क्योंकि यह उन्हें चुनौतियों का जवाब देने, अपने परम्परागत भूमिका का सामना करने और जीवन बदलने में सक्षम बनाती है। इसलिए हम महिला सशक्तिकरण के सन्दर्भ में शिक्षा की अवज्ञा नहीं कर सकते। भारत वर्ष 2020 तक का विकसित महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है। वर्ष 2020 तेजी से आ रहा है। यह सिर्फ तीन साल दूर है। यह वास्तविकता बन सकती है यदि देश की महिलाएँ सक्षम बने। 1951 का साक्षरता दर 2011 में बढ़कर 74.4% हुआ, जिसमें महिला साक्षरता 7% से बढ़कर 65.46% हो चुकी है। हमारी लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्था, कानून, विकास नीतियाँ, योजना व कार्यक्रम आदि सभी का उद्देश्य महिलाओं की उन्नति है। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना 1974–78 में महिलाओं के मुद्दों के दृष्टिकोण से उल्लेखनीय बदलाव किए गए है। संविधान के 73वें, 74वें संशोधन 1993 में आरक्षण प्रदान कर महिला भागीदारी की नींव दृढ़ की है।

भारत में साक्षरता दर

वर्ष	व्यक्ति	पुरूष	महिला
1901	5.3	9.8	0.7
1911	5.9	10.6	1.1
1921	7.2	12.2	1.8
1931	9.5	15.6	2.9
1941	16.1	24.9	7.3
1951	16.7	34.4	7.3
1961	24.0	39.5	13.0
1971	29.5	39.5	18.7
1981	36.2	46.9	24.8
1991	52.1	63.9	39.2
2001	65.38	76.0	54.0
2011	74.04	82.14	65.46

अध्ययन का उद्देश्य :

- महिला सशक्तिकरण में शिक्षा की भूमिका के प्रभाव का अध्ययन
- महिला सशक्तिकरण की चुनौतियों में शिक्षा में परिवर्तन

कार्यप्रणाली – वर्तमान अध्ययन सहायक आधार सामग्री व आँकड़ों पर आधारित है। यह आँकड़े विभिन्न प्रकाशित व अप्रकाशित पत्र–पत्रिकाओं, लेख व पुस्तकों से प्राप्त किए गए है।

महिला सशक्तिकरण की बाधाएँ :

(1) हिंसा – हिंसा एक प्रमुख कारण है जो महिला सशक्तिकरण का विरोध करता है। शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक यातना जो समाज में निहित है, महिला लिंग अनुपात की जिम्मेदार है।

(2) लिंग असमानता – महिलाओं का सशक्तिकरण केवल आर्थिक स्वतन्त्रता एक सीमित नहीं है। लैंगिक असमानता भी दूसरी ओर एक समस्या है।

(3) पारिवारिक प्रतिबन्ध – निरक्षर अभिभावक बेटियों का शैक्षणिक संस्थानों में भेजने को तैयार नहीं है।

(4) जल्दी शादी – जल्दी शादी के परिणामस्वरूप बेटियाँ शिक्षा त्याग देती है। यही एक मुख्य कारण है, जिससे महिलाओं के लिए स्वयं की ओर महिला सशक्तिकरण की धारण बदल गई है।

महिलाओं की निष्क्रिय, निर्भर, कमजोर छवि को स्वतन्त्र, सक्रिय व मजबूत बनाना आवश्यक है।

सुझाव :

- बेटी की शिक्षा की जागरूकता आवश्यक है। कहा भी गया है कि शिक्षित माता परिवार को शिक्षित करती है, जो कि शिक्षित जनसंख्या बनाती है और राष्ट्र मजबूत करती है।
- महिलाओं में आत्मविश्वास जगाना जिससे की बदलाव सामूहिक रूप से सम्भव है।
- सामाजिक व आर्थिक रूप से महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहन करना।
- आय सृजन गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी का प्रोत्साहन करना व सरकार द्वारा प्रदान योजनाओं का उचित क्रियान्वयन करना।
- यौन भेदभाव पर दृष्टिकोण बदलना।
- महिलाओं में आत्मनिर्भरता की भावना पैदा करना।
- बाल–विवाह व युवा उम्र में विवाह को रोका जाना।
- रोजगार में भेदभाव को खत्म करना। विशेष रूप से वेतन में पुरूष महिला के भिन्नता को समाप्त करना।
- महिला शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण को बदलने के लिए मीडिया व संचार के प्रयास आवश्यक है।
- राजनीति में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए कानून को

परिवर्तन का सर्जक बनाना आवश्यक है।

निष्कर्ष – गरीबी, बेरोजगारी और असमानता की बुराईयाँ केवल पुरूष द्वारा नहीं हटाई जा सकती। बराबरी व महिलाओं की सक्रिय भागीदारी अनिवार्य है। इसके लिए उच्च साक्षरता, बेहतर स्वास्थ्य देखभाल आवश्यक है। यह आवश्यक है कि महिलाओं को उनके अधिकारों के लिए जागरूक किया जाए व उन्हें आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास एवं आत्मसम्मान प्राप्त करने का अवसर दिया जाए। सरकार ने 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' योजना द्वारा यह कार्य शुरू किया। इस तरह की योजनाओं का क्रियान्वयन वांछित परिणामों के लिए आवश्यक है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. 'भारत में उच्च शिक्षा अवसर, चुनौतियाँ' – आल्वा ए और हान्स वी.बी. 2013
2. 'महिला सशक्तिकरण व उद्यमशीलता' – साउथ इकोनॉमिस्ट 54 (3) 11–16
3. राष्ट्रीय जनसंख्या नीति
4. 2011 जनगणना : भारत सरकार

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
October to December 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVI

कामकाजी महिलायें और उनकी दोहरी भूमिका

श्रीमती संगीता बामने *

* सहायक प्राध्यापक (गृह विज्ञान) शासकीय महाविद्यालय, भैंसदेही, जिला बैतूल (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – कामकाजी महिला शब्द का प्रयोग प्राय: घर से बाहर नौकरी करने वाली महिला के संदर्भ में किया जाता है। वर्तमान समय में महिलायें घर परिवार के साथ – साथ बाहर के क्षेत्रों में भी कदम रख रही है। वह मात्र स्कूलों, कालेजों अथवा कार्यालयों में कार्य करने तक ही सीमित नहीं रही बल्कि उद्योग धन्धों, कारखानों, न्यायालयों प्रशासन, राजनीति तथा अन्य व्यावसायिक क्षेत्रों में भी कार्य कर रही है।

शब्दु कुंजी –कामकाजी, महिलायें, भूमिका, सशक्तिकरण।

प्रस्तावना – कामकाजी महिला शब्द का प्रयोग प्राय: घर से बाहर नौकरी करने वाली महिला के संदर्भ में किया जाता है। वर्तमान समय में महिलायें घर परिवार के साथ – साथ बाहर के क्षेत्रों में भी कदम रख रही है।

महिलाओं को परिवार और समाज में अपना सम्मान पाने के लिये आर्थिक रुप से निर्भर होने की सलाह दी जाती है। कामकाजी महिलाओं को दोहरी चुनौती का सामना करना पड़ता है। घरेलू एवं बाह्य अर्थात उन्हें अपने घर – परिवार रिश्ते नाते के साथ – साथ ऑफिस सबको ठीक से चलाना पड़ता है और इन सबमें प्रमुख है दोनो के बीच संतुलन क्योंकि किसी एक पक्ष को गलती से भी इग्नोर करने पर जीवन की गाड़ी डगमगाने लगती है।

भारतीय कामकाजी महिला की स्थिति दो पाटो में फॅसे घुन के समान हो गई है। उसे कार्यालय और घर दोनो की आवश्यकताओं को पूरा करना होता है यदि वह दोनो में संतुलन स्थापित करने में असमर्थ होती है। तो उसे भारी निंदा का सामना करना पड़ता है।

प्रत्येक कामकाजी महिला का घरेलू जीवन होता है यह अवधारणा पूर्णत: औचित्यपूर्ण नहीं है। आज भारतीय महिला सजगता और जिम्मेदारी से कार्यालय और घर के कार्यों को संभाले हुये है। घर को चलाने, पति के भार को कम करने और सुख सुविधओं से सम्पन्न जीवन जीने के प्रति भारतीय कामकाजी महिलाओं के प्रयत्न स्तुल्य है।

भारत में प्रत्येक मधयम वर्गीय स्त्री, सुशिक्षित है दिन प्रतिदिन के आर्थिक समस्याओं को पूरा करने के लिये दफ्तरों और इत्यादि जगहों पर जाकर काम करती है। आजकल दुनिया में काफी परिवर्तन आया है। पुराने दिनों की तरह लड़कियां अब अशिक्षित नहीं रही है। महिलायें पुरुषों के साथ कंधो से कंधा मिलाकर सर्वत्र जगह चल रही है। और कामयाब भी हो रही है। महिलायें आज एक सफल इंजीनियर है, डॉक्टर या शिक्षक या दफ्तरों के अफसर ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहां महिलाओं ने अपनी काबिलियत को प्रमाण न दिया हो। सुबह से लेकर शाम तक दफ्तरों में बैठकर कार्य करना फिर अपने परिवार के लिये खाना बनाना बच्चों और पति की छोटी बड़ी जरुरतों का विशेष ध्यान रखना महिलायें बखूबी करती है। पुरुषों के पास दफ्तरों से आकर आराम करने का विकल्प होता है लेकिन महिलाओं के लिये ऐसा नहीं है। चाहे वह कितनी भी थकी हो उन्हें घर पर अपना कर्तव्य प्रत्येक दिन पालन करना पड़ता है।

महिलायें अपने – अपने क्षेत्र में इतने बेहतरीन कार्य करती है जिससे उनके परिवार और समाज को उन पर नाज होता है। महिलायें आज सम्पूर्ण रुप से आत्म निर्भर है और, देश एवं समाज के लिये एक जीता जागता उदाहरण पेश किया है, दफ्तर के साथ परिवार की हर छोटी बड़ी चीजों का ध्यान रखती है और शायद अपना ध्यान नहीं रख पाती है, महिलाओं ने अपने जीवन के हर किरदार जैसे मां, बेटी, बहु, भाभी, बीवी, आदि निभायें है और सारे कर्तव्यों का पालन भी किया है।

महिलाओं के नौकरी करने के कारण घर में कई आर्थिक समस्यायें दूर हो गयी है लेकिन फिर भी दफ्तरों में उन्हें भेद भाव का सामना करना पड़ता है जैसे उचित पद पर तरक्की न होना और प्रोत्साहन का अभाव इत्यादि। कुछ महिलायें यब सब चुप – चाप सहन कर लेती है। कई बार घर के नौकर या नौकरानी सही से कार्य नहीं करते और कामकाजी महिलाओं को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, पुरुष ज्यादातर केवल बाहर का यानी अपने कार्यालय का ही कार्य करते है ज्यादातर पुरुष महिलाओं के साथ घरेलू कार्यों में अपना हाथ नहीं बटाते है लेकिन महिलाओं को आज के इस आधुनिक युग में घर के घरेलू कार्य करना पड़ता है और अपने आफिस का कार्य भी करना पड़ता जिससे उनके पास अपने लिये भी समय नहीं बचता। घर पर यदि कोई मेहमान आ जाता है तो, बेचारी वो महिला जिसके पास समय नहीं होता वह बेवजह ही अपनी समस्यायें छुपा लेती है और मुस्कुराकर उनका स्वागत करती है, ऐसी निम्न वर्गीय एवं मध्यम वर्गीय परिवार की महिलाओं को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है यदि, कोई औरत घर के काम के अलावा बाहर का काम करती है तो उनके परिवार वालों को भी चाहिये कि घर के कामकाज में उनको सहयोग प्रदान करे, जिससे महिला पर कामकाज का बोझ ना हो और वह सरलतापूर्वक अपने काम को कर सके।

घर में सम्मान पाने, घरेलू हिंसा से बचने एवं परिजनों के अपमान से बचने के लिये जब एक महिला आत्म निर्भर होने के लिये घर से बाहर निकलती है तो उसे समाज और पुरुष सत्तात्मक सोच रखने वालों से सामना करना पड़ता है, अनेक लोगों की टीका टिप्पणियों अर्थात तानाकशी घूरती निगाहों

से सामना करना पड़ता है।

कामकाजी महिलाओं के विषय में ऐसा मान लेना कि वह केवल स्वार्थी और आत्म केन्द्रित होकर परिवार और बच्चों की अनदेखी करती है, किसी भी रुप में सही नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जहां सम्पन्न वर्ग की महिलायें अपनी अलग पहचान स्थापित करने के लिये स्वतंत्र रुप से काम करती है तो, मध्यम और निम्न वर्ग की कई महिलायें ऐसी भी है जो बढ़ती महंगाई के कारण अपने परिवार की जरुरतों और बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिये बाहर जाकर काम करने का निर्णय करती है दोनो ही कारण गलत नहीं है क्योंकि, आज की महिलायें शिक्षित और अपने कैरियर को लेकर जागरुक है और उनकी यह सजगता किसी भी नजरिये से गलत नहीं कही जा सकती। महिलाओं का बाहर जाकर काम करना उनके व्यक्तित्व को निखारने के साथ – साथ उनके बाहरी दुनिया से सम्पर्क को भी बढ़ाता है जिसके, परिणाम स्वरुप उनके लिये आय और रोजगार के कई नए अवसर खुल जाते है लेकिन, हम इस बात को कतई नकार नहीं सकते कि उनकी आय का फायदा निश्चित रुप से उनके परिवार और बच्चों को ही मिलता है। कामकाजी महिलाओं की आलोचना करते हुये हम यह भूल जाते है कि भले ही विवाह से पहले महिलाओं के ऊपर कोई खास जिम्मेदारी ना रही हो, जिसकी वजह से वह अपना सारा ध्यान कैरियर और ऑफिस पर केन्द्रित कर सकती है लेकिन, उसी महिला को विवाह के बाद अपने आफिस की जिम्मेदारी उठाते हुये घर परिवार और बच्चों को भी देखना होता है, इस प्रकार उन्हें एक नहीं तीन जिम्मेदारियां उठानी पड़ती है लेकिन, वे प्रत्येक जिम्मेदारी का निर्वाह बही ही सहज ढंग से पूरे लगन से करती है, आज कल के प्रतिस्पर्धा प्रधान युग में वह शिक्षा के महत्व को अच्छी तरह समझती है इसीलिये वह चाहती है कि, उनका बच्चा भी अच्छे स्कूल, कॉलेज में जाकर एक सफल व्यक्ति बने। बढती महंगाई से ग्रस्त आजकल के दौर में अगर कोई परिवार अपने बच्चे के बेहतर कल के लिये सपने देखता है तो पति पत्नि दोनो को ही काम करना जरुरी हो जाता है। नारी तुम केवल श्रृद्धा हो, विश्वास रजत नग पदतल में, पीयूष स्त्रोत सी बहा करो, जीवन के सुंदर समतल में। दरअसल जीवन के हर क्षेत्र में ऊंचे – मुकाम हासिल कर रही है महिलायें।

साक्षरता के लिये मिल रहे अवसर का आज महिलायें भरपूर लाभ उठा रही है। ***साक्षर भारत*** अभियान से उनके अरमानों को पंख लग गये है और जैसा कि किसी शायर ने कहा है – मंजिले उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता हौसलों से उड़ान होती है तो, आज महिलाओं के अरमानों को पंख नहीं लगे उनमें जबरदस्त हौसला पनपा है। और इसी हौसले ने उनमें एक नया जोश, एक नया जुनून, एक नया जज्बा भरा है, सदियों से संघर्ष करते – करते महिलाओं ने बड़ी कठिनाई से इस स्थिति को प्राप्त किया है। जिसमें वह पुरुष की क्रीतदासी न होकर उसकी सहयोगिनी बन पाई है। वह पुरुष के समान ही राष्ट्र निर्माण एवं विकास में भाग ले रही है।

महिलाओं के अधिकार – महिला की सुदृढ एवं सम्मानजनक स्थिति एक उन्नत एवं मजबूत समाज का द्योतक है। भारतीय संविधान महिलाओं को पूर्ण समानता प्रदान करता है।

महिलाओं के उपलब्ध अधिकारों को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। संवैधानिक अधिकार और वैधानिक अधिकार संवैधानिक अधिकार वे होते है जो संविधान के विभिन्न प्रावधानों में उपलब्ध कराये जाते है। दूसरी ओर वैधानिक अधिकार वे होते है जो कि संसद या राज्य विधान मंडलों के विभिन्न कानूनों द्वारा उपलब्ध कराये जाते है।

संवैधानिक अधिकार – संविधान में महिलाओं के लिये निम्नलिखित अधिकार और सुरक्षोपाय सुनिश्चित किये गये है।

1. राज्य किसी भी नागरिक के साथ लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा (अनुच्छेद 15 (1))।
2. राज्य को महिलाओं के लिये विशेष उपलब्ध बनाने की शक्ति प्राप्त है। दूसरे शब्दों में, यह प्रावधान राज्य को महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक भेदभाव करने की शक्ति देता है। (अनुच्छेद (15 (3))।
3. किसी भी नागरिक के साथ लिंग के आधार पर राज्य के अधीन कोई पद पाने या कोई रोजगार प्राप्त करने के संबंध में भेदभाव नहीं किया जायेगा (अनुच्छेद 16(2))।
4. मानवों की अवैध तस्करी और बलात् श्रम का निषेध किया गया है। (अनुच्छेद 23 (1))।
5. जीविका के पर्याप्त साधनों के लिये राज्य महिला और पुरुषों के लिये समान अधिकार सुनिश्चित करेगा (अनुच्छेद 39(I))।
6. राज्य महिला और पुरुष दोनों के लिये समान कार्य के लिये समान वेतन सुनिश्चित करेगा (अनुच्छेद 39(D))।
7. राज्य यह सुनिश्चित करे कि महिला श्रमिकों की क्षमता और स्वास्थ्य को हानि न पहुंचे तथा उन्हें उनकी क्षमता के गैर अनुकूल उप व्यवसायों में प्रवेश के लिये आर्थिक आवश्यकता के द्वारा बाधय न किया जाये (अनुच्छेद 39 (E))।
8. राज्य कार्य की मानवीय दशाओं और न्याय को सुनिश्चित करने तथा मातृत्व अवकाश के लिये प्रावधान करेगा (अनुच्छेद 42)।
9. प्रत्येक भारतीय नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह महिलाओं की गरिमा को चोट पहुंचाने वाले व्यवहारों की निन्दा करे (अनुच्छेद 51।) (E)।
10. प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा भरी जाने वाली सीटों की कुल संख्या का एक तिहाई महिलाओं के लिये आरक्षित होगा (अनुच्छेद 243D(3)।
11. प्रत्येक स्तर पर पंचायतों में अधयक्ष पदों की कुल संख्या का एक तिहाई महिलाओं के लिये आरक्षित होगा (अनुच्छेद 243 D(4)।
12. प्रत्येक नगर निकाय में प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा भरी जाने वाली कुल सीटों का एक तिहाई महिलाओं के लिये आरक्षित होगा (अनुच्छेद 243 T (3)।
13. नगर निकायों में महिलाओं के लिये आरक्षित अधयक्ष के पद राज्य विधान मंडल द्वारा तय किये गये तरीकों से निर्धारित होंगें (अनुच्छेद 243 T (4))।

वैधानिक अधिकार :

1. घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम 2005 घरेलू हिंसा के सभी रुपों से महिलाओं की सुरक्षा करने का एक व्यापक कानून है। यह उन महिलाओं को भी सुरक्षा प्रदान करता है जो कि दुर्व्यवहारकर्ता के साथ संबंध रखती है या संबंधो में रही है और जो शारीरिक, यौन, मानसिक, मौखिक या भावनात्मक किसी भी प्रकार की हिंसा का शिकार है।
2. अनैतिक व्यापार (निरोधक) अधिनियम (1956) पेशेवर यौन शौषण के लिये अवैध तस्करी के निवारण के लिये प्रमुख कानून है।

दूसरे शब्दों में यह जीवन के एक संगठित साधनों के रुप में देह व्यापार के उद्देश्य से महिलाओं और लड़कियों की तस्करी को रोकता है।

3. महिलाओं का अशिष्ट प्रदर्शन (प्रतिषेध) अधिनियम (1986) विज्ञापनों, प्रकाशनों, लेखों, चित्रों, आकृतियों व अन्य किसी रुप में महिलाओं के अशिष्ट प्रदर्शन का निषेध करता है।
4. सती आचरण निवारक अधिनियम (1987) सती के आचरण और इसके महिला मंडल पर अधिक प्रभावी निरोध उपलब्ध कराता है।
5. दहेज प्रतिषेध अधिनियम (1961) विवाह के पहले या बाद में दहेज लेने और देने पर प्रतिबंध लगाता है।
6. मातृत्व लाभ अधिनियम (1961) बच्चे के जन्म के पहले और बाद में कुछ सुनिश्चित समय के लिये सुनिश्चित संस्थानों में महिलाओं के रोजगार को विनियमित करता है और महिलाओं के लिये मातृत्व और अन्य लाभ उपलब्ध कराता है।
7. गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम (1971) माननीय और चिकित्सकीय आधारों पर पंजीकृत चिकित्सकों द्वारा गर्भावस्था के समापन की सुविध उपलब्ध कराता है।
8. गर्भ धारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम (1994) गर्भ धारण के पहले या बाद में लैंगिंक चयन का निषेध करता है और लिंग धारण के लिये उन प्रसव पूर्व निदान तकनीकों के दुरुपयोग को रोकता है जो कन्या भ्रूण हत्या का कारण बनती है।
9. समान पारिश्रमिक अधिनियम (1976) एक समान प्रकृति के कार्य या समान कार्य के लिये महिला और पुरुष दोनों के लिये समान पारिश्रमिक के भुगतान का प्रावधान करता है। यह लिंग के आधार पर भर्ती और सेवा शर्तों में महिलायें के विरुधद होने वाले भेदभाव को रोकता है।
10. मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम (1939) एक मुस्लिम पत्नी को विवाह विघटन का अधिकार प्रदान करता है।
11. मुस्लिम महिला (विवाह – विच्छेद पर अधिकार संरक्षण) अधिनियम (1986) उन मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों का संरक्षण करता है। जो अपने पतियों से तलाक लेती है या उन्हें तलाक दिया गया है।
12. पारिवारिक अदालत अधिनियम (1984) पारिवारिक विवादों के त्वरित समाधान के लिये पारिवारिक अदालतों के गठन का प्रावधान करता है।
13. भारतीय दण्ड संहिता (1860) में दहेज, हत्या, बलात्कार, अपहरण क्रूरता और अन्य अपराधों से महिलाओं को बचाने के प्रावधान शामिल किये गये है।

उपसंहार – महिलाओं से परिवार और कार्य स्थल बहुत उम्मीदें रखता है। महिलायें भी इंसान होती है, मशीन नहीं। घर में यह आशा की जाती है कि वह कार्य स्थल से आकर फिर अपनी गृहस्थी संभाले। महिलाओं को गृहिणी के रुप में भी सारी अपेक्षाओं को पूरा करती है। कितनी भी थकान हो वह अपने परिवार को महसूस होने नहीं देती है। कभी परिवार के सदस्यों को भी उन्हें समझने की जरुरत है, खासकर पुरुषों को। हम पुरुष शासित समाज में रहते है। जहां हर फैसला लेने से पहले महिलाओं को पूछना पड़ता है लेकिन फिर भी कुछ महिलायें शान्ति से समझौता करते हुये अपनी दोहरी भूमिका बेहतरीन रुप से निभाती है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. भारद्धाज, निधि, महिला सशक्तिकरण, सागर पब्लिशर्स, जयपुर 2012।
2. देसाई, नीरा, ठाकुर, ऊषा, भारतीय समाज में महिलायें राष्ट्रीय पुस्क न्यास, भारत 2001।
3. डॉ. नरे, एस.एल. भारतीय इतिहास में नारी, कैलाश पुस्तक सदन भोपाल।
4. प्रो. गुप्ता, एम.एल. डॉ. शर्मा डी.डी., भारतीय सामाजिक समस्यायें, साहित्य भवन पब्लिकेशन 2008।
5. लक्ष्मीकांत, एम.भारतीय शासन।

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
October to December 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVI

स्वाधीनता की वाणी – 'हिंदी'

डॉ. तृष्णा शुक्ला*

* सहायक प्राध्यापक (हिन्दी) प.म.ब. गुजराती विज्ञान महाविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – हिंदी में शक्ति है, सामर्थ्य है, आकर्षण है, असर है। भाषा की हर छांव तले अपनेपन का दीप जले हिंदी ने सब को अपना बनाया दूसरी भाषा सीखने की कोशिश में अपनी भी अब अधकचरी कर लेना कहां की अक्लमंदी हैं। हिचक छोड़ें हिंदी बोले क्योंकि हमें परायो के साए में ना जीना पड़े, जो अपनी सोच, संस्कृति और भाषा से दूर हो चुके हैं वह दिखते भी टिपोडें हैं और यह दिखावटी आडंबर क्यों? विदेशी भाषा से इस कदर लगाव क्यों है हमें? अपनी मां को छोड़कर किसी और की मां को अपना कहना। भाषा मां सिखाती है मां जैसी होती है तभी तो मातृभाषा कहलाती है उसे कैसे बदले? जो बोली में बसता है वह घर है। घर से दूर कौन सा ठौर है। अपनी जबान की कद्र तब समझ में आती है जब देवालय में विनती करते हैं। दुनिया की कई संस्कृतियों ने अंग्रेजी को नकारा है। हम हिंदुस्तानी ही हैं, जो बड़े गर्व से कहते हैं कि हमें हिंदी नहीं आती और उन लोगों को भरपूर हिकारत से देखते हैं जिन्हें अंग्रेजी नहीं आती। भाषा का नवीन रूप आ रहा है उसे पूरी तरह रोकना नामुमकिन है हिंदी में एक नई पैदा हुई समस्या भाषा मिलावट की है। वही रोमन लिपि में हिंदी लिखी जा रही है। राष्ट्रभाषा और राजभाषा की दुर्गति का देश की दुर्गति से नाभि नाल का संबंध है। हमने बच्चों की शिक्षा में त्रिभाषा सूत्र शामिल क्यों किया? अंग्रेजी माध्यम की वजह से एक ऐसी पीढ़ी तैयार हो रही है जिसका ना अपनी भाषा और ना अंग्रेजी में कोई अच्छा सामर्थ्य एवं ना ही अपनी संस्कृति, परंपरा, इतिहास व अपने लोगों के साथ कोई गहन आत्मीयता बना सकती है। हम कृत्रिम सिंथेटिक भाषा रचने में लगे। हिंदी आम जनता की गरीबों की भाषा हो यह तो ठीक है पर हिंदी में रहने के कारण लोग विचार, ज्ञान –विज्ञान से गरीब बने रहें यह लज्जा जनक है। स्वार्थ और फैशन के नाम पर जो भाषा चलती है उसमें प्राण नहीं होते नितांत ही औपचारिक बनावटी तत्व हीन और सौंदर्यहीन हो जाती है। यही हाल आज बाजारु की हिंदी का हो गया है। ऐसी हिंदी का उपयोग प्रयोग कर हम अपनी अस्मिता ज्ञान अनुभूति, जड़ों और प्रतिभा को खोते चले जा रहे हैं और सबसे बढ़कर स्वाधीनता को। हिंदी का जो विस्तार हो रहा है उससे हम खुश हैं और यह खुशी बच्चों की सी भोली खुशी है। यह कटु सत्य है हिंदी भाषी अपने बच्चों को अंग्रेजी ना आने के लिए प्रताड़ित करते हैं। दरअसल आगे दिखने की गड़बड़ी में हिंदी अंग्रेजी का घालमेल करते हुए भाषा का कबाड़ इकट्ठा करते चलते हैं। हिंदी कमा कर दे तो अपनाएं अर्थात भाषा का विरोध एवं समर्थन भी आर्थिक कारण से होता है। हिंदी का प्रयोग जनता के लिए नहीं बाजार के लिए हो रहा है। हिंदी नहीं बोल रहे अपना सामान बेच रहे हैं ।हिंग्लिश को सिर पर लादकर बाजारूहिंदी को खेत –खलिहान, कारखाने और तो और घर–घर उतर रही है। हिंदी पर हिंदी की यह सवारी क्या अनोखी नहीं? बाजार को संचालित करने वाली हिंदी कामचलाऊ हिंदी तो हो सकती है, सृजन और संवाद की नहीं हो सकती। हिंदी जीवन शैली है बाजार नहीं। हिंदी नया समाज गढ़ रही है। मल्टीनेशनल युग में हिंदी अंतरिक्ष में पहुंच रही है प्रश्न यह की पहचान का संकट उठाकर विस्तार करना कहां की समझदारी है। अपनी भाषा में मिट्टी की सौंधी महक है। असल बात यह है आत्मविश्वास के साथ बोली गई सामान्य भाषा भी असरदार होगी। भाषा को कृत्रिम एवं खिचड़ी का रूप ना दें और यह मान ले खिचड़ी की जरूरत कभी कभार ही पड़ती है। हीन ग्रंथि खत्म करें हीन भावना निकालें। सामान्य से शुरू करें और अच्छी हिंदी तक पहुंचे विश्वास करें सच्चा देशराग भाषा से पनपता है भाषा जनता के आपसी रिश्तो को परिभाषित करती है। हिंदी हमारे अस्तित्व का हिस्सा है हिंदी में संस्कृति, कला, अध्यात्म, परंपरा, साहित्य, ज्ञान और विज्ञान समेत हजारों वर्षों की संचित विरासत समाई है हर देश की आबोहवा में रची–बसी होती है वहां की भाषा। सांस की तरह जिलाए रखती है।

प्रस्तावना – हिंदी में शक्ति है, सामर्थ्य है, आकर्षण है, असर है। कमी तो हिंदी भाषियों में है आत्मविश्वास और अपनी भाषा में विश्वास की। श्री धर्मवीर भारती के अनुसार 'भाषा की प्रतिष्ठा मूलत: इस आधार पर हो पाती है जो उसे बोलते हैं, उनमें तन कर खड़े होने की रीढ़ है या नहीं, अपनी जाति स्वाभिमान की रक्षा करने की आन है या नहीं, उनमें साहस संवेदना, मौलिक चिंतन, बौद्धिक जागरूकता है या नहीं, उन्हें अपने मूल्यों और अपनी आस्थाओं के लिए बलिदान दे सकने की क्षमता है या नहीं? बुनियादी संकट यही चरित्र का संकट है हमें एक राष्ट्र को एक राष्ट्र भाषा में बांधने और अपनी ऐतिहासिक नियति के साक्षात्कार करने का संकल्प जगाना जरूरी है अपनी भाषा के प्रति प्रेम को अपने संपूर्ण चरित्र बल और मूल्य बोध से संपर्क करना जरूरी है जिस दिन हम यह कर लेंगे हम पाएंगे कि विश्व की महान शक्तियों में हमारी गणना होने लगी है।'[1]

भाषा की हर छांव तले अपनेपन का दीप जले हिंदी ने सब को अपना बनाया दूसरी भाषा सीखने की कोशिश में अपनी भी अब अधकचरी कर लेना कहां की अक्लमंदी हैं। हिचक छोड़ें हिंदी बोले क्योंकि हमें परायो के साए में ना जीना पड़े, इसकी दुआ करते हैं हैं तो फिर भाषा के मामले में यह कैसे मंजूर हो गया? अपनी भाषा छोड़ अंग्रेजी में बतीयाने के प्रयास में हम हास्यास्पद भाषा बोलते हैं। जो अपनी सोच, संस्कृति और भाषा से दूर हो

चुके हैं वह दिखते भी टिपोडें हैं और यह दिखावटी आडंबर क्यों? विदेशी भाषा से इस कदर लगाव क्यों है हमें? अपनी मां को छोड़कर किसी और की मां को अपना कहना। भाषा मां सिखाती है मां जैसी होती है तभी तो मातृभाषा कहलाती है उसे कैसे बदले? जो बोली में बसता है वह घर है। घर से दूर कौन सा ठौर है। निज भाषा के प्रति अनुराग को समझना सरल है। उन परिस्थितियों पर विचार करें कि अपनी भाषा बोलने में कितना सुकून मिलता है। अपनी जबान की कद्र तब समझ में आती है जब देवालय में विनती करते हैं। हम निवाला और हम जुबान होने का सीधा ताल्लुक संस्कृति से है हमारा भोजन एक हो और हम एक ही भाषा बोले तो पराई धरती पर भी अपनेपन का एहसास मिल जाता है लेकिन जब अपने ही घर में कोई पराया कर दे तब किस से गिला शिकवा करें? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि– 'भाषा ही किसी जाति की सभ्यता को सबसे अधिक झलकाती है। यही उसके भीतरी कलपुर्जे का पता रखती है किसी जाति को अशक्त करने का सबसे सहज उपाय उसकी भाषा को नष्ट करना है।'[2]

दुनिया की कई संस्कृतियों ने अंग्रेजी को नकारा है। हम हिंदुस्तानी ही हैं, जो बड़े गर्व से कहते हैं कि हमें हिंदी नहीं आती और उन लोगों को भरपूर हिकारत से देखते हैं जिन्हें अंग्रेजी नहीं आती। हमने खुद अपनी हालत बदतर की है भूमंडलीकरण एवं बाजारवाद के दौर में भाषा में बेइंतहा मिलावट का संभवत: नई पीढ़ी स्वागत कर रही है। भाषा का नवीन रूप आ रहा है उसे पूरी तरह रोकना नामुमकिन है हिंदी में एक नई पैदा हुई समस्या भाषा मिलावट की है। 'बाजार में अंग्रेजी और हिंदी को इस कदर मिला दिया है कि अंग्रेजी बोलना आधुनिकता का और हिंदी बोलना उदारता का लक्षण हो गया है। वही रोमन लिपि में हिंदी लिखी जा रही है। राष्ट्रभाषा और राजभाषा की दुर्गति का देश की दुर्गति से नाभि नाल का संबंध है। हमने बच्चों की शिक्षा में त्रिभाषा सूत्र शामिल क्यों किया? इससे अंग्रेजी अपने आप अंतर्राष्ट्रीय भाषा बन गई और हिंदी देश की राजभाषा तक सीमित हो गई। इस तरह हमने एक और अंग्रेजी के रुप को बढ़ाया और शिक्षा के वे बीज बोए जो बराबर पनपते और फलते फूलते रहे। दुनिया भर के भाषा और शिक्षा विशेषज्ञों की राय और तजुर्बा है कि शिक्षा सफलतापूर्वक केवल और केवल मातृभाषा में दी जा सकती है। अंतर्राष्ट्रीय भाषा व्यवहार और स्थिति इस बात के पक्के सबूत हैं कि मातृ भाषाओं के क्षेत्र अंग्रेजी के हवाले कर देने से अभी तक हमें भारी नुकसान हुए हैं और इससे ना तो हमें अभी तक कोई लाभ हुआ है और ना ही होने वाला है आज के युग में किसी भाषा के जिंदा रहने और विकास के लिए उस भाषा का शिक्षा के माध्यम के रूप में प्रयोग आवश्यक है। वही भाषा जिंदा रह सकती है जिसका प्रयोग जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में होता रहे। अंग्रेजी माध्यम की वजह से एक ऐसी पीढ़ी तैयार हो रही है जिसका ना अपनी भाषा और ना अंग्रेजी में कोई अच्छा सामर्थ्य एवं ना ही अपनी संस्कृति, परंपरा ,इतिहास व अपने लोगों के साथ कोई गहन आत्मीयता बना सकती है। हम राजनीतिक गुलामी से आधी बीसवीं सदी तक लड़ते रहे एवं आधी सदी को मानसिक गुलामी पाने अपनाने और ओढ़ने में जाया कर दी और बीसवीं सदी को विश्व बाजार और विश्व भाषा के हाथों अपने को पूरी तरह सौंप दिया तो क्या हम पराधीनता का नया प्रतिमान बना रहे हैं? हम कृत्रिम सिंथेटिक भाषा रचने में लगे। हिंदी आम जनता की गरीबों की भाषा हो यह तो ठीक है पर हिंदी में रहने के कारण लोग विचार, ज्ञान –विज्ञान से गरीब बने रहें यह लज्जा जनक है।'[3]

भाषा का प्रश्न अंतत: पहचान का प्रश्न है हम सब बखूबी जानते हैं कि भाषा का निर्माण टकसाल में ना होकर चौपाल में होता है और उसका शिल्पी आमजन है। हमने अपने देश की स्वतंत्रता की लड़ाई भी इसी हिंदी भाषा के माध्यम से जीती है। 'लार्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति का मसौदा और लॉर्ड विलियम बेंटिक के हस्ताक्षर ने भारत वासियों को सदा के लिए गुलाम बनाने की भावना थी और इसी भावना को मूर्त रूप चार्ल्स वुड ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा संबंधी आदेश दिया कि भारतीय लोगों में से कुछ को डी –क्लास (पृथक –वर्ग) या डी –नेशन (देश –पृथक) का अनुकूल वातावरण बनाया था एवं भारत की जनता में सुख सुविध की ऐसी होड़ जगाना था जिससे ब्रिटिश माल की खपत भारत में हो। नई नई चीजों का बाजार तैयार कर विदेशी भाषा के माध्यम से उपभोग संस्कृति के निर्माण की वह नींव थी।यही नहीं उपभोक्ता–मूलक संस्कृति में पनपी भाषा संस्कृति ही नहीं, अपना बाजार भी लाती है। स्वार्थ और फैशन के नाम पर जो भाषा चलती है उसमें प्राण नहीं होते नितांत ही औपचारिक बनावटी तत्व हीन और सौंदर्यहीन हो जाती है।'[4]

यही हाल आज बाजारु की हिंदी का हो गया है। ऐसी हिंदी का उपयोग प्रयोग कर हम अपनी अस्मिता ज्ञान अनुभूति, जड़ों और प्रतिभा को खोते चले जा रहे हैं और सबसे बढ़कर स्वाधीनता को। 'हिंदी और भारतीय भाषाएं ऐसे हम्माल या हरकारे में बदल गई है जिसकी पीठ पर दूसरे का माल और हाथ खुद के लेकिन दूसरे की चिट्ठियां ढो हो रहे हैं। यह विचारणीय एवं चिंताजनक स्थिति है कि वाचिक (बोलचाल की भाषा) बाजार में अपने स्वार्थ के लिए थोपी नहीं जाती बल्कि लोक में सरल, स्वाभाविक, आत्मीय और सांस्कृतिक संबंधों के बीच सहज रूप से विकसित होती है। बाजारू रंगमंच पर कब्जा उसी भाषा का रहेगा जो बाजार को संचालित करेगी हिंदी का सरल रूप अर्थात बाजारीकरण यह लोगों को मूर्ख बनाने का फेंका गया अंतरजाल है। हिंदी का जो विस्तार हो रहा है उससे हम खुश हैं और यह खुशी बच्चों की सी भोली खुशी है। सिनेमा, दूरदर्शन, प्रचार पट्ट (होडिंग),इंटरनेट पर हिंदी के मंच, अंतरजाल की दुनिया में वेबसाइट ,ब्लॉग हिंदी का प्रचार –प्रसार कर रहे हैं। इंटरनेट और मोबाइल पर हिंदी में लिखना पढ़ना काम करना अत्यंत आसान है सारे संसाधन बिल्कुल मुफ्त हिंदी में कंप्यूटिंग संबंधी तमाम संसाधनों मसलन ऑनलाइन,ऑफलाइन शब्दकोश, फोंट परिवर्तन विकिपीडिया लिंक पर उपलब्ध है। जरूरत है इन माध्यमों के प्रचार प्रसार की। हमारी कक्षाओं में बोलने की दक्षता पर काम नहीं किया जा रहा है वजह सिर्फ शिक्षा का गलत तरीका और अभिभावक की ख्वाहिशें है। यह कटु सत्य है हिंदी भाषी अपने बच्चों को अंग्रेजी ना आने के लिए प्रताड़ित करते हैं। दरअसल आगे दिखने की गड़बड़ी में हिंदी अंग्रेजी का घालमेल करते हुए भाषा का कबाड़ इकट्ठा करते चलते हैं।कंपनियां विज्ञापनों में अपना उत्पाद बेचने के लिए हिंदी का सहारा लेती हैं और उनका काम बन जाता है। उनका उद्देश्य लाभ कमाना है समाज सेवा नहीं। हिंदी कमा कर दे तो अपनाएं अर्थात भाषा का विरोध एवं समर्थन भी आर्थिक कारण से होता है।'[5]

भ्रष्ट हो गई मेरी वर्णमाला, तरतीब में नहीं बैठते अक्षर की गढ़ सके सही शब्द, वर्गच्युत आभिजात्य के प्रतिगामी पथ पर वक्त तो गुजर गया, हम मशगूल रहे, परिभाषाएं गढ़ने में, रच रहे थे जादुई यथार्थ, असम्बध बिंबों की अबूझवाणी, प्रतीकों के कंधों पर हाथ टेके,जनवादी राहों पर संप्रेषण तलाशती जन–जन की हिंदी भाषा। 'गणित और अंग्रेजी सीखना बुरी बात नहीं है लेकिन जिंदगी की कीमत पर नहीं होना चाहिए आज शिक्षा पद्धति की हालत ठीक ऐसी ही है कि वह सितार की साज–सज्जा पर ही ध्यान केंद्रित कर रही है लार्ड मैकाले ने अंग्रेजों से कहा कि वह क्लर्क चाहते हैं

इसलिए उस तरह का शिक्षा पद्धति तैयार करें और गणित एवं अंग्रेजी सहित अन्य विषयों की फैक्ट्री बना डाली अशिक्षा फैक्ट्री का रूप धारण कर चुकी है।'[6]

हिंदी का प्रयोग जनता के लिए नहीं बाजार के लिए हो रहा है। हिंदी नहीं बोल रहे अपना सामान बेच रहे हैं ।हिंग्लिश को सिर पर लादकर बाजारूहिंदी को खेत-खलिहान, कारखाने और तो और घर-घर उतर रही है। हिंदी पर हिंदी की यह सवारी क्या अनोखी नहीं? जैसे आदमी को ढोता आदमी रिक्शा दरअसल जो भाषा गढ़ी जा रही है वह कारपोरेट भाषा है बाजार और व्यवसाय की। इतिहास, संस्कृति ,स्वाभिमान और अस्मिता की किसे परवाह क्योंकि शिक्षक समुदाय एवं पेशेवर लोगों के मन में भाषा के प्रति कोई दर्द नहीं, लगाव नहीं। उन्हें पता ही नहीं वह क्या खोने जा रहे हैं? अपनी अस्मिता, स्वाधीनता देश की आवाज ज्ञान विज्ञान संस्कृति एवं ना जाने क्या-क्या? आजादी के 74 वर्ष के बाद बाजार के प्रभाव को देख यह आश्चर्य होना चाहिए कि भारत में अंग्रेजी कितना शानदार लाजवाब और कितना एकाधिकार पूर्ण व्यापार खड़ा कर चुकी है। यह अंग्रेजी ही व्यापार सत्ताा का पुख्ता प्रमाण है वह जनता के सच की भाषा नहीं क्योंकि जनता का सच हिंदी में व्यक्त होता है। हिंदी आमजन के हित की भाषा है। गांधी जी ने इस संदर्भ में ठीक ही कहा है कि 'अपनी मातृभाषा दूध पिला कर हमें पुष्ट करती है और अंग्रेजी जहर पिलाकर परजीवी, निकम्मा और बीमार बनाती है।' [7]

हिंदी की तमाम मौलिकता अंग्रेजी सीखने सिखाने में खर्च हो रही है। आज दुनिया के तमाम विकसित देशों में हिंदी की पढ़ाई होती है किंतु दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश में हिंदी बोलना लिखना सभ्य समाज के पिछड़े होने की निशानी है। इस मिश्रण की जरूरत समझ में आनी चाहिए। भूमंडलीकरण भाषा की सृजनशीलता को ध्वस्त कर रहा है कामचलाऊ भाषा को याद किया जा रहा है। वह मौकापरस्त है हिंदी भूगोल के बदलाव पर चर्चा करने वाले इन रचनाकारों की हिंदी अंग्रेजी के साथ नृत्य करती दिख रही है। बाजार को संचालित करने वाली हिंदी कामचलाऊ हिंदी तो हो सकती है, सृजन और संवाद की नहीं हो सकती। हिंदी जीवन शैली है बाजार नहीं। हिंदी नया समाज गढ़ रही है। मल्टीनेशनल युग में हिंदी अंतरिक्ष में पहुंच रही है प्रश्न यह की पहचान का संकट उठाकर विस्तार करना कहां की समझदारी है। प्रेमचंद के शब्दों में 'राष्ट्र की बुनियाद राष्ट्र की भाषा है। नदी पहाड़ समुद्र राष्ट्र नहीं बनाते भाषाई व बंधन है जो चिरकाल तक राष्ट्र को एक सूत्र में बांधे रखती है और शिराज बिखेरने नहीं देता।' [8]

अपनी भाषा में मिट्टी की सौंधी महक है। मन में गलतफहमी बस गई है कि 'शिक्षा' कठिन शब्द है लेकिन 'एजुकेशन' सरल है। वही सुशिक्षित उच्च शिक्षित आवेदन देने के नाम पर सोच सोच कर 4-6 पंक्तियां काम चलाऊ अंग्रेजी में लिखते हैं या चिरौरी (आनाकानी) करते हैं की हमारे लिए लिख दो। हिंदी है हम लेकिन हमारी सोच बन गई है हिंदी में लिखने या बोलने पर असर कम होगा। असल बात यह है आत्मविश्वास के साथ बोली गई सामान्य भाषा भी असरदार होगी। कोई अंग्रेजी दा हिंग्लिश या अंग्रेजी बोलने से पहले आपसे पूछता नहीं है कि आप समझ पाएंगे या नहीं वह बोलता भर है। गर्व से अंग्रेजी के प्रश्न का जवाब अपनी भाषा में ही दें। भाषा को कृत्रिम एवं खिचड़ी का रूप ना दें और यह मान ले खिचड़ी की जरूरत कभी कभार ही पड़ती है। मित्रों पड़ोसियो रिश्तेदारों सहकर्मियों के साथ हिंग्लिश या अंग्रेजी बोलने की क्या जरूरत? हीन ग्रंथि खत्म करें हीन भावना निकालें। सामान्य से शुरू करें और अच्छी हिंदी तक पहुंचे विश्वास करें सेल्फ आब्सेड से ज्यादा अच्छा होगा आत्ममुग्ध कहना और स्पीचलेस से अधिक असरदार होगा निशब्द। स्वयं सोचिए कि तारीफ करनी है तो अद्भुत, अप्रतिम, अतुल्य, शानदार, अच्छा, जबरदस्त, अनोखा, सुखद, सुमधुर जैसे विशेषण हो मे से चुनना अच्छा होगा या गुड कह देना। निराला की पंक्तियां पहले के जमाने की अपेक्षा आज कहीं ज्यादा प्रासंगिक हो गई हैं-'चाहिए उन्हें भी और और फिर साधारण को कहां ठौर है।' [9]

हिंदी एक विश्वसनीय दीर्घ जीवी एवं सारवान भाषा है। हिंदी सच्चे अर्थों में भारत भारती बने। हिंदी भारत की अस्मिता का प्रतीक हो।'मार्च 1918 में इंदौर में हिंदी साहित्य सम्मेलन का आठवां अधिवेशन गांधी जी के सभापति त्व में हुआ था जिसमें उन्होंने कहा था-'भाषा माता के समान है माता पर हमारा जो प्रेम होना चाहिए वह हम लोगों में नहीं है। यदि हिंदी भाषा राष्ट्रीय भाषा होगी तो साहित्य का विस्तार भी राष्ट्रीय होगा। जैसे भाषक वैसी भाषा। हमारा शिक्षित वर्ग अंग्रेजी के मोह में फंस गया है और अपनी मातृभाषा और राष्ट्रीय भाषा से उसे और विश्वास हो गया है। जो अंधा है वह देख नहीं सकता और गुलाम नहीं जानता कि अपनी बेड़ियां किस तरह तोड़ू। 50 वर्ष से हम अंग्रेजी के मोह में फंसे हैं। हमारी प्रजा अज्ञान में डूब रही है। अब हमें अपनी मातृभाषा को और नष्ट करके उसका खून नहीं करना चाहिए। आप हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा बनाने का गौरव प्रदान करें। हिंदी सब जानते हैं इसे राष्ट्रभाषा बनाकर हमें अपना कर्तव्य पालन करना चाहिए।'[10]

कैसे बनेगा भारत भाग्य विधाता, नेतृत्व करना है तो लोगों के जीवन की उस कमी को महसूस करें जो उन्हें तकलीफ देती है। हमारी भाषा हमारी संपत्ति है भाषा की रक्षा करना, पोषण करना हमारा दायित्व है। दीवार का धर्म आवागमन को रोकना है। दरवाजे का धर्म आवागमन को सुगम और सुचारू बनाना है। हिंदी को हम दरवाजा मानकर आगे बढ़ेंगे ।वह बहता नीर है। हिंदी का मैदान विशाल है। हिंदी की शिक्षा सदैव जनशक्ति ही है वह शासन की भाषा कभी नहीं रही। हिंदी भक्ति आंदोलन और स्वाधीनता आंदोलन की मानी थी। हिंदी साहित्यकारों और प्रचारकों ने सोने की कौर खाकर हिंदी सेवा नहीं की है उसे देशभक्ति की तपस्या और साधना का ही एक अंग समझा है। अपने देश और क्षेत्र में उपेक्षा और तिरस्कार सहा है। उच्च भ्रू-तेवर हिंदी के स्वभाव में नहीं उसका और सम्मान भारतीय भाषाओं की सहचरी होने में ही है और यह स्थान भारतीय जनता की हदय भूमि है जिससे उच्चतर और कोई स्थान नहीं। सच्चा देशराग भाषा से पनपता है भाषा जनता के आपसी रिश्तो को परिभाषित करती है यह देशराग भी था जब 15 अगस्त 1947 को बीबीसी से महात्मा गांधी ने कहा कि 'दुनिया वालों से कह दो कि गांधी अंग्रेजी नहीं जानता।' [11]

मातृभाषा महत्वपूर्ण और अनिवार्य है। यह रक्त की तरह हमारी रगों में दौड़ती है मातृभाषा से दूरी बनाकर कोई खुद को जीवित कैसे रख सकता है। घोर स्पर्धा है। हिंदी में जो था वह महत्वपूर्ण है जो है वह महत्वपूर्ण है लेकिन ज्यादा जरूरत जो हो सकता है उस पर ध्यान देने की है। हिंदी हमारे अस्तित्व का हिस्सा है हिंदी में संस्कृति, कला, अध्यात्म, परंपरा, साहित्य, ज्ञान और विज्ञान समेत हजारों वर्षो की संचित विरासत समाई है हर देश की आबोहवा में रची-बसी होती है वहां की भाषा। सांस की तरह जिलाए रखती है। रीत-प्रीत, जन-मन, संस्कृति, संस्कारों की अपनी माटी में जैसे पेड़ सिर उठाए खड़ा रहता है बिल्कुल वैसे ही संबल मिलता है भाषा से। बादल दूजे देश का पानी नहीं लाते ,वो ओस है जो लुभा रही है,इससे प्यास नहीं बुझेगी, उसके

लिए अपने भाषा स्रोत काम आते हैं। जो रक्त मज्जा का निर्माण करती है, वही संस्कारों और भाषा को भी बनाती है। जो रगों में बह रही है उससे निगाह फेर सकते हैं, जुबान पर आने से रोक सकते हैं लेकिन उसी में मौजूद प्राण को कब तक नकार सकेंगे।'आंख फूटेगी तो क्या भौंहों से देखेंगे। अंत में यही प्रार्थना है–'कैसे निज सोए भाग को कोई सकता है जगा, जो निज भाषा अनुराग का अंकुर नहि उर में उगा।' विश्वास भरा प्रण भी हो कि हिंदी का परचम विश्व भर में लहराए जैसे हिंदी प्रेमियों के दिलों में लहराता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. अक्षर पर्व (साहित्यिक वैचारिक मासिक पत्रिका) वर्ष 14, अंक 13 मई 2010, आलेख 5 शौरिराजन 'हिन्दी भाषियों में हिन्दी' पृ. 9
2. अक्षर पर्व (साहित्यिक वैचारिक मासिक पत्रिका) वर्ष 11, अंक 11 मई 2007, डॉ. संतोष भदौरिया लेख 'बाजार का प्रपंच और हिन्दी' पृ. 14
3. प्रभाकर श्रोत्रिय 'बाजारवाद में हिन्दी', नेशनल पब्लिशिंग हाउस, प्रथम सं. 2009 ISBN 81-214-0350-2 पृ. 10, 11
4. प्रभाकर श्रोत्रिय 'बाजारवाद में हिन्दी', नेशनल पब्लिशिंग हाउस, प्रथम सं. 2009 ISBN 81-214-0350-2 पृ. 12, 14
5. प्रभाकर श्रोत्रिय 'बाजारवाद में हिन्दी', नेशनल पब्लिशिंग हाउस, प्रथम सं. 2009 ISBN 81-214-0350-2 पृ. 35
6. अक्षर पर्व (साहित्यिक वैचारिक मासिक पत्रिका) वर्ष 11, अंक 11 मई 2007, डॉ. संतोष भदौरिया लेख 'बाजार का प्रपंच और हिन्दी' पृ. 14
7. अक्षर पर्व (साहित्यिक वैचारिक मासिक पत्रिका) वर्ष 11, अंक 11 मई 2007, डॉ. संतोष भदौरिया लेख 'बाजार का प्रपंच और हिन्दी' पृ. 14
8. अक्षर पर्व (साहित्यिक वैचारिक मासिक पत्रिका) वर्ष 11, अंक 11 मई 2007, डॉ. संतोष भदौरिया लेख 'बाजार का प्रपंच और हिन्दी' पृ. 14
9. अक्षर पर्व (साहित्यिक वैचारिक मासिक पत्रिका) वर्ष 14, अंक 12 अप्रैल 2010, विचार–विश्वनाथ त्रिपाठी 'हिन्दी भारत का भारत वशियों को एक सूत्र मे पिरोने का काम कर रही है।' पृ. 10
10. अक्षर पर्व (साहित्यिक वैचारिक मासिक पत्रिका) वर्ष 14, अंक 13 मई 2010, आलेख 5 शौरिराजन 'हिन्दी भाषियों में हिन्दी' पृ. 8
11. अक्षर पर्व (साहित्यिक वैचारिक मासिक पत्रिका) वर्ष 11, अंक 11 मई 2007, डॉ. संतोष भदौरिया लेख 'बाजार का प्रपंच और हिन्दी' पृ. 13

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
October to December 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVI

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति – 2020 : एक विश्लेषणात्मक विवेचन

डॉ. प्रमोद पंडित *

* विभागाध्यक्ष (रसायन शास्त्र) शहीद भीमा नायक शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बड़वानी (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – नई शिक्षा नीति 2020 के निर्माण की पृष्ठभूमि, उद्देश्य, प्रमुख बिन्दु, लागू करने के तरीके, उसके भविष्य मे होने वाले परिणामों इत्यादि पर वैचारिक विश्लेषण– विवेचन इस शोध पत्र में किया गया है। 29 जुलाई 2020 को प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेन्द्र मोदी जी की अध्यक्षता में कैबिनेट मंत्रीमण्डल द्वारा भारत की 'नई शिक्षा नीति – 2020' को मंजूरी/स्वीकृति दी गयी है। 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति – 2020' स्वतंत्र भारत की तीसरी व 21 वीं सदी की पहली 'शिक्षा नीति' है।

शब्द कुंजी : राष्ट्रीय शिक्षा नीति – 2020, पब्लिक डॉमेन, जी.ई.आर., राष्ट्रीय शैक्षिक टेक्नोलॉजी फोरम (NETF), वोकेशनल कोर्स।

प्रस्तावना – शिक्षा नीति – इतिहास व पृष्ठभूमि – शिक्षा किसी भी देश के लिए सभी प्रकार के (सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, प्रशासनिक, बौद्धिक, व्यवसायिक) परिवर्तन का 'टूल' है। जैसे रूका हुआ पानी अपनी उपयोगिता खो देता है वैसे ही वर्ष 1986 से लागू 34 वर्ष पुरानी 'राष्ट्रीय शिक्षा – नीति 1986' अपनी उपादेयता को खो चुकी थी। वर्तमान केन्द्र सरकार ने बदलते परिदृष्य के साथ प्रभावहीन हो रही शिक्षा नीति में बदलाव के लिए वर्ष 2016 से ही नई शिक्षा नीति लागू करने की तैयारियां शुरू कर दी थी। वर्ष 2019 में सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक व इसरो के पूर्व प्रमुख वैज्ञानिक पद्म विभूषण डॉ.के.कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में नौ सदस्यीय समिति गठित की जिसने 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति – 2020 का ड्राफ्ट' कैबिनेट को प्रस्तुत किया गया। इसके पश्चात् तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इसे आम भारतीय जनता से भी सुझाव आमंत्रित करने हेतु 'पब्लिक डॉमेन' में जारी किया। 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति – 2020' स्वतंत्र भारत की तीसरी व 21 वीं सदी की पहली 'शिक्षा नीति' है। भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वो में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं नि:शुल्क शिक्षा व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। तदुपरांत शिक्षा का अधिकार 2009, राइट टू एजुकेशन – एक्ट 2009–10 में लागू किया गया, जिसके तहत देश के सरकारी स्कूलों में 6–14 वर्ष की आयु समूहों के बच्चों को नि:शुल्क स्कूली शिक्षा का प्रावधान किया गया एवं निजी स्कूलों को अपनी कुल सीटों की एक चौथाई (1/4) संख्या आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) बच्चों के लिए सुरक्षित रखने का प्रावधान किया गया है।

स्वतंत्रता के पश्चात भारत की 'प्रथम शिक्षा नीति–1968' में लागू की गयी जो कि शिक्षाविद् डॉ. डी.एस.कोठारी की अध्यक्षता में गठित आयोग की अनुसंधाओं पर आधारित थी। वर्ष 1985 में 'शिक्षा की चुनौतीयाँ' दस्तावेज की अनुशंसाओं के आधार पर 1986 में भारत सरकार ने दूसरी 'नई शिक्षा नीति–1986' लागू की, जिसमें संपूर्ण देश के लिए 'एक समान शैक्षणिक फ्रेमवर्क' को अपनाया गया था।

प्रमुख बिन्दु – एक नजर में :

1. इस हेतु गठित समिति का नाम इसके अध्यक्ष पूर्व इसरो प्रमुख डॉ. के. कस्तूरीरंगन के नाम पर 'कस्तूरीरंगन समिति' रखा गया है।
2. समिति का गठन जून 2017 में हुआ, मई 2019 में समिति ने नीति का ड्राफ्ट कैबिनेट को प्रस्तुत किया गया एवं 29 जुलाई 2020 को प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल द्वारा इसे स्वीकृत किया गया।
3. नई शिक्षा नीति के तहत वर्ष 2030 तक विद्यार्थीयों के प्रवेश का सकल नामांकन अनुपात (Gross Enrolment Ratio – GER) को 100% करने का लक्ष्य रखा गया है।
4. इस नीति में अब शिक्षा क्षेत्र पर सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) के 6% हिस्से के बराबर निवेश का लक्ष्य रखा गया है, अभी यह 4.43% है।
5. इसमें 'मानव संसाधन विकास मंत्रालय' का नाम बदल कर 'शिक्षा मंत्रालय' कर दिया गया है।
6. इसमें ई–पाठ्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय शैक्षणिक टेक्नोलॉजी फोरम (NETF) बनाया जा रहा है जिसके लिए वर्चुअल लैब विकसित की जा रहीं है।
7. नई शिक्षा नीति में मल्टीपल डिस्प्लिनरी एजुकेशन की बात कही गई है इसका मतलब यह है कि कोई भी छात्र विज्ञान,वाणिज्य के साथ–साथ कला और सामाजिक विज्ञान के विषयों को भी दसवीं–बारहवीं बोर्ड और कॉलेज के ग्रेजुएशन स्तर में चुन सकता है।

उद्देश्य व विज़न – समग्र विकास का लक्ष्य:

1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति – 2020 का उद्देश्य शिक्षा की पहुँच, समानता, गुणवत्ता युक्त वहनीय शिक्षा और उत्तरदायित्व जैसे मुद्दों पर विशेष बल दिया गया है।
2. इस शिक्षा नीति में 'शिक्षा का अधिकार कानुन' (RTE) का दायरा बढ़ा कर 6 से 14 वर्ष के स्थान पर 3 से 18 वर्ष आयु तक के बच्चों के लिए नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का दायित्व सरकार का हो गया है।
3. छात्रों को आवश्यक कौशल एवं ज्ञान से लैस करना और विज्ञान, टेक्नोलॉजी, अकादमिक क्षेत्र और इण्डस्ट्री में कुशल लोगों की कमी

को दूर करते हुए देश को ज्ञान आधारित 'सुपर पॉवर' के रूप में स्थापित करना है।

4. शिक्षा नीति में छात्रों में रचनात्मक सोच, तार्किक निर्णय और नवाचार की भावना को प्रोत्साहित करना सम्मिलित है।
5. भाषाई बाध्यताओं को दूर करने व दिव्यांग छात्रों के लिए शिक्षा की सुगम बनाने के लिये तकनीकी के प्रयोग को बढ़ावा देने पर बल दिया गया है।

स्कूली शिक्षा में परिवर्तन : नींव मजबूत करने की कवायद – नई शिक्षा नीति–2020 में वर्तमान में, स्कूली शिक्षा में लागू पद्धति 10+2 के शैक्षिक मॉडल में बदलाव किया गया है। इसके स्थान पर शैक्षिक पाठ्यक्रम को 5+3+3+4 की प्रणाली/प्रारूप के आधार पर विभाजित करने की बात कही गई है।

इसका फार्मेट इस तरह से प्रस्तावित है –

वर्षअवधि	चरण	आयु	कक्षा स्तर
5 वर्ष	फाउण्डेशन स्टेज	3 से 6 वर्ष	आँगनबाड़ी
		6 से 8 वर्ष	नर्सरी (प्री प्राइमरी)
3 वर्ष	प्राथमिक स्तर	8 से 11 वर्ष	कक्षा 3 से 5
3 वर्ष	माध्यमिक स्तर	11 से 14 वर्ष	कक्षा 6 से 8
4 वर्ष	हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्कूल स्तर	14 से 18 वर्ष	कक्षा 9 से 12

1. पाँचवी कक्षा तक की शिक्षा को मातृभाषा /स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा के माध्यम के रूप में अपनाने पर बल दिया गया है। साथ ही मातृभाषा को कक्षा–8 और आगे की शिक्षा के लिये भी प्राथमिकता देने का सुझाव दिया गया है।
2. छठी क्लास से वोकेशनल कोर्स शुरू किए जाएंगे, इसके लिए इच्छुक छात्रों का छठी कक्षा के बाद से ही इंटर्नशिप करायी जाएगी।
3. म्यूजिक, योग, नृत्य, अभिनय कला, हस्तशिल्प आदि को पाठ्यक्रम – में शामिल कर बढ़ावा दिया जायेगा।
4. 'अर्ली चाइल्ड हुड' पालिसी के तहत पहले सरकारी स्कूलों में प्री स्कूलिंग नही होती थी, बच्चा 6 वर्ष की आयु से पढ़ना प्रारम्भ करता था लेकिन अब 3 वर्ष से ही शिक्षा एउउए (Early Childhood Care and Education) द्वारा प्रारम्भ होगी, आँगनबाड़ी के माध्यम से।
5. पहले जहाँ कक्षा 11वीं कक्षा से विषय चुन सकते थे अब छात्रों की कक्षा 9वीं कक्षा से ही विषय चुनने की सुविध रहेगी।
6. कक्षा 9 से 12 की पढ़ाई में किसी विषय के प्रति गहरी समझ तथा बच्चों की विश्लेषणात्मक क्षमता को बढ़ाकर जीवन में बड़े लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित किया जाएगा।
7. 10वी एवं 12वी की बोर्ड परीक्षाओं में बदलाव कर अब वर्ष में दो बार (सेमेस्टर प्रणाली द्वारा) ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव फॉर्मेट में परीक्षा आयोजित की जाएँगी।
8. शिक्षा नीति में मिड–डे मील के साथ – साथ सुबह का नाश्ता देने की भी बात कही गई है।

उच्च शिक्षा: प्रमुख बिंदु – युवा शक्ति के विकास का लक्ष्य

1. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC), अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) और नेशनल काउंसिल फॉर टेक्नीकल एजुकेशन (NCTE) को समाप्त कर रेगुलेटरी (नियामक) बॉडी बनाई जाएगी।
2. अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, डीम्ड यूनविर्सिटी और स्टैंडअलोन इंस्टिट्यूशंस के लिए अलग–अलग नियम हैं, नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 में सभी के लिए समान नियम होंगे।
3. देश भर के सभी उच्च शिक्षा संस्थानों के लिये 'भारतीय उच्च शिक्षा परिषद् (HECI) नामक एक एकल निकाय का गठन किया जायेगा।
4. **बहु–स्तरीय प्रवेष एवं निकासी** (Miltiple Entry & Exit) - वर्तमान में तीन या चार वर्ष के डिग्री कोर्स में यदि कोई छात्र किसी कारण वष बीच में पढ़ाई छोड़ देता है, तो उसे डिग्री न मिलने से इस पढाई का कोई महत्व नही रहता है। लेकिन अब इसमें निम्न परिवर्तन है :

i. एक वर्ष की पढ़ाई पर – सर्टिफिकेट
ii. दो वर्ष की पढ़ाई पर – डिप्लोमा
iii. तीन या चार वर्ष पर – डिग्री मिल जाएगी।

5. अगर कोई छात्र किसी कोर्स को बीच में छोड़कर दूसरे कोर्स में एडमिशन लेना चाहता है तो वो पहले कोर्स से एक खास निश्चित समय तक ब्रेक ले सकता है और दूसरा कोर्स ज्वाइन कर सकता है और इसे पूरा करने के बाद फिर से पहले वाले कोर्स को जारी रख सकता है।
6. जो छात्र हायर एजुकेशन में नही जाना चाहते उनके लिए ग्रेजुएशन डिग्री 3 साल की होगी किन्तु शोध अध्ययन करने वालों के लिए ग्रेजुएशन डिग्री अब 4 साल की होगी।
7. पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स में एक साल के बाद पढ़ाई छोड़ने का विकल्प रहेगा तथा पाँच साल का संयुक्त ग्रेजुएट–मास्टर कोर्स लाया जाएगा।
8. कॉमन एडमिशन टेस्ट (CAT) – उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए कामन एग्जाम होगी परन्तु यह प्रवेश एग्जाम अनिवार्य नही है।
9. **एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट –** इसमें विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों से प्राप्त अंकों या क्रेडिट को डिजिटल रूप में सुरक्षित रखा जाएगा तथा अलग–अलग संस्थनों में छात्र के प्रदर्शन के आधार पर प्रमाण–पत्र दिया जायेगा।
10. देश में शोध और अनुसंधान को बढ़वा देने के लिए एक शीर्ष निकाय के रूप में नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (NRF) की स्थापना की जाएगी।
11. शोध उपाधि के लिए एम.फिल. डिग्री पाठ्यक्रम समाप्त कर दिया गया है।
12. आगामी वर्षों में उच्च शिक्षा संस्थानों में 3.5 करोड़ नई सीटें जोडी जायेगी।
13. **अंतर्राष्ट्रीयकरण** – भारत के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों को अपने परिसर अन्य देशों में स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा साथ ही विश्व के चुनिंदा विश्वविद्यालयों (शीर्ष 100 में) को भारत में संचालित करने की अनुमति दी जाएगी।

शिक्षकों से सम्बंधित सुधार : मेन्टरिंग पर नजर:

1. इस शिक्षा नीति में 'नेशनल मेंटरिंग प्लान' लाया जायेगा इससे शिक्षकों का उन्नयन किया जाएगा।
2. शिक्षकों को प्रभावकारी एवं पारदर्शी प्रक्रियाओं के जरिए भर्ती किया जाएगा तथा पदोन्नति भी अब योग्यता (शैक्षणिक प्रशासन व समय – समय पर कार्य प्रदर्शन का आकलन) आधारित होगी।
3. शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा वर्ष 2022

तक राष्ट्रीय प्रोफेशनल मानक तैयार किया जाएगा।

4. प्रत्येक स्कूल में शिक्षक – छात्रों का अनुपात 30:1 से कम हो तथा सामाजिक – आर्थिक रूप से वंचित बच्चों की अधिकता वाले क्षेत्रों के स्कूलों में यह अनुपात 25:1 से कम हो की व्यवस्था की जायेगी।
5. प्रत्येक शिक्षक से अपेक्षित होगा कि वह स्वयं व्यावसयिक विकास (पेशे से संबंधित आधुनिक विचार, नवाचार और खुद में सुधार करने) के लिए स्वेच्छा से प्रत्येक वर्ष 50 घण्टों का सतत् व्यावसायिक विकास कार्यक्रम में हिस्सा लें।
6. शिक्षकों को गैर – शिक्षण गतिविधियों (जटिल प्रशासनिक कार्य, मिड डे मिल) से संबंधित कार्यों में शामिल न करने का अनुशंसा की गयी है।
7. गुणवत्ता को बढ़ाने देने के लिए शिक्षामित्र, ऍडहाक, गेस्ट टीचर जैसी व्यवस्था धीरे– धीरे समाप्त कर स्कूली व उच्च शिक्षा संस्थानों में स्थायी टीचर की नियुक्ति की जायेगी।

निष्कर्ष : सतत् मूल्यांकन से हासिल होगा परिणाम – शिक्षा एवं शिक्षा प्रणाली किसी भी देश के भविष्य निर्धारण का आईना माना जाता है। शिक्षा समाज विकास की 'बैकबोन' (रीढ) का निर्धारण करती है।

वर्तमान में लागू की गयी, शिक्षा नीति–2020 वास्तव में केन्द्र सरकार की दूरदर्शिता, प्रतिबद्धता एवं समाज के प्रति राज्य के दायित्वों के स्पष्ट दृष्टिकोण को परिलक्षित करती है।

परन्तु यह भी उतना ही सच है कि किसी दस्तावेज का अच्छा बन जाना, उसके समस्त सकारात्मक प्रतिफलों को निश्चित नही कर देता है। वास्तव में धरातल स्तर पर उसे लागू करने के तरीके, समयबद्ध परीक्षण, समर्पण एवं उसमें निहित उद्देश्यों को समझने की क्षमता व दक्षता पर निर्भर करेगा की इसकी उपादेयता सिद्धहो रही है या नहीं।

केन्द्र व राज्य सरकारों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि जब यह शिक्षा नीति को उचित ढंग से लागू करना है तो पर्याप्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षण सामग्री भी स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध करवाना होगी।

प्राथमिक स्कूलों से लेकर उच्च शिक्षण संस्थानों तक के मंहगे व एलीट वर्ग के संस्थानों को भी इस शिक्षा नीति के दायरे में लाना होगा।

निश्चित ही किसी भी नीति या व्यवस्था में समय–समय पर आवश्यकतानुसार संशोधन, सुधार एवं बदलाव उसके परिणामों को और अधिक सार्थक कर देते है।

निश्चित ही निचोड़ रूप में इस शिक्षा नीति को 'समावेशी शिक्षा नीति' कहा जा सकता है जिसमें 'सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास' हासिल करने की दृढ़ क्षमता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची:–

1. 'नई शिक्षा नीति : पढाई, परीक्षा, रिपोर्ट कार्ड सब में होंगे ये बडा बदलाव' 'आज तक' अभिगमन तिथि 30 जुलाई 2020।
2. 'नई शिक्षा नीति, 2020 : प्रमुख पॉइटस एक नजर में' – अभिगमन तिथि 30 जुलाई 2020।
3. 'नई शिक्षा नीति, आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बढता कदम'।
4. 'नई शिक्षा नीति से कितनी बदलेगी शिक्षा व्यवस्था जानिए क्या कहते है, जानकार' आज तक अभिगमन तिथि 31 जुलाई 2020।
5. 'आइए जानें आखिर देश की शिक्षा प्रणाली को बदलने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जरूरत क्यों पडी' दैनिक जागरण' अभिगमन तिथि 30 जुलाई 2020।

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
October to December 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVI

संवेगात्मक रूप से अशांत बालक हेतु उपचार और शैक्षिक प्रावधान

डॉ. वर्षा तिवारी*

* सहायक प्राध्यापक, प्रशांति कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, उज्जैन (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – भारत जैसे प्रजातंत्र देश में प्रत्येक बालक को शिक्षा का अधिकार है प्रत्येक बालक को अधिकार है कि वह अपनी समस्या के अनुसार सहायता ग्रहण करें चाहे उसकी सामर्थ्य कम हो या अधिक। प्रजातंत्र राज्य की विचारधारा के अनुसार सभी बालकों को शिक्षा पाने के समान अवसर प्रदान किए जाएं, चाहे वह प्रतिभाशाली हो अथवा बाधित हो। इसमें संवेगात्मक रूप से ग्रसित बालक भी आते हैं जो अपने सामर्थ्य के अनुसार शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं।

प्रत्येक शिक्षण कक्षा में कुछ बालकों को शिक्षा से संबंधित समस्याएं होती हैं। भावनात्मक विक्षिप्त बालक में कुछ आन्तरिक तनाव होता है जो बालक के मन में घुटन, भय, चिन्ता, व्यग्रता, व्याकुलता आदि पैदा करता है जिसके कारण बालक का व्यवहार उत्तेजित रहता है। ऐसे बालक की प्रवृति तथा व्यवहार में सामान्यतया उत्तेजना दिखाई पड़ती है। शरीर की किसी परेशानी में यह आन्तरिक तनाव के कारणक्षमा के पात्र होते हैं।एक संवेगात्मक विक्षिप्त बालक असामान्य व्यवहार के द्वारा अपनी उत्सुकता को दूर करने की कोशिश करता है अथवा वह अपने आपको संसार की तरंगों, अनुमानों या कल्पनाओं से दूर कर लेता है। ऐसे बालकों को प्रेम, सुरक्षा, प्रसन्नता, सहयोग, पहिचान, उपस्थिति आदि की स्कूल, घर, तथा समाज में आवश्यकता होती है। ऐसे बालकों में यह भावना नहीं आने देनी चाहिए कि वे बहिष्कृत हैं तथा उनके बारे में समाज भावनात्मकता का व्यवहार नहीं रखता है।

प्रस्तावना – संवेगात्मक रूप से अशांत बालक शब्द का प्रयोग विभिन्न अर्थों में किया जाता है। शिक्षक की दृष्टि से संवेगात्मक रूप से अशांत बालक उन्हें कहा जाता है जो शर्मीले होते हैं ,पलायन की प्रवृत्ति होती है और झगड़ालू होते हैं। इन बालको का प्रयोग अनुचित व्यवहार करने के लिए भी किया जाता है इन बालकों का व्यवहार सामान्य बालकों के व्यवहार से कुछ अलग होता है और इनका मानसिक स्तर सामान्य बालको के समान तथा अधिक भी होता है।

सामान्य तौर पर जो बालक संवेगात्मक कुसमायोजन के शिकार होते हैं अथवा जिनमें संवेगात्मक व्यवहार की अभिव्यक्ति में इस तरह के दोष या अमान्यताएं पाई जाती हैं जिसकी वजह से उनको स्वयं या दूसरों को परेशानी का सामना करना पड़े संवेगात्मक रूप से अशांत बालक कहलाते हैं। संवेगात्मक रूप से पिछड़ा बालक, संवेगात्मक रूप से विकलांग बालक और संवेगात्मक रूप से परेशान बालक विशेषणो का प्रयोग संवेगात्मक रूप से अशांत बालकों के लिए किया जाता है और यह सभी स्थितियां संवेगात्मक समस्याओं की ओर इंगित करती है ।इन समस्त बालको को विशेष ध्यान और उपचार की आवश्यकता है।कुछ बालको को ,जो अत्यधिक समस्या ग्रस्त हैं, को विशेष शिक्षा दिया जाना अनिवार्य है। संवेगात्मक रूप से अशांत बालक को पहचानना तब अत्यंत कठिन हो जाता है ,जब तक वह अत्यधिक गंभीर रूप से पीड़ित न हो। बालक का संवेगात्मक रूप से अशांत होना एक अध्यापक को समस्यात्मक प्रतीत हो सकता है और दूसरे को नहीं। दूसरा अध्यापक केवल अतिरिक्त ऊर्जा का परिणाम बताता है। अध्यापक द्वारा किस पद का प्रयोग प्राय: उन बालकों के लिए किया जाता है जो बहुत अधिक आक्रामक, शर्मीले तथा सबसे अलग–थलग रहने वाले हो अथवा उनके लिए किया जाता है जो कक्षा और विद्यालय के वातावरण को खराब करने वाले माने जाते हैं और अपने इस व्यवहार से अध्यापकों के लिए सदैव ही मुसीबतें खड़ी करते रहते हैं। इसी तरह जहां तक माता–पिता एवं अभिभावकों का प्रश्न है उनकी दृष्टि में संवेगात्मक रूप से अशांत बालक वह होते हैं जो उनकी आज्ञा की अवहेलना करते हैं ,बहुत ही आक्रामक होते हैं या किसी से भी मिलना जुलना पसंद न कर अपने आप में ही कैद रहते हैं, अपने व्यवहार से पूरे घर –परिवार को तंग रखते हैं अथवा जिन्हें मां –बाप के अंत: कलह तथा परिवार के झगड़ों के बीच बलि का बकरा बनना पड़ता है। मनोचिकित्सक तथा परामर्श दाताओं की दृष्टि से संवेगात्मक रूप से अशांत बालक वातावरण में उपस्थित कमियों दोषों तथा प्रतिकूल परिस्थितियों की उपज होते हैं। विशेषकर घर –परिवार ,विद्यालय तथा अन्य सामाजिक– सांस्कृतिक परिस्थितियों तथा घटनाओं में मिलने वाली निराशा तथा कुंठा उन्हें संवेगात्मक रूप से अशांत बना डालती है। बालकों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति में इस तरह की बाधा आती है कि जिससे वे अपने आप से तथा अपने वातावरण के साथ कुसमायोजित होने की स्थिति में पहुंच जाएं तो वे इसके परिणाम स्वरूप संवेगात्मक रूप से स्थिर एवं शांत हो जाते हैं।

कोई बालक संवेगात्मक रूप से अशांत है इस बात का पता हमें उस बालक के असामान्य व्यवहार से संबंधित लक्षणो एवं विशेषताओं का अवलोकन करने, उसकी समस्याओं तथा उनसे उसे होने वाले दुष्परिणामों से अवगत होने से चलता है। संवेगात्मक रूप से अशांत बालक इस प्रकार की गहन मानसिक अस्वस्थता एवं व्यवहार जन समस्याओं से घिरे पाए जाते हैं कि जिनके फलस्वरूप उन्हें अपने उचित समायोजन एवं वांछित प्रगति की राह में सर्वत्र रोड़े बिछे पाए जाते हैं। संवेगात्मक रूप से अशांत सभी बालों को में सामान्यतया विविध प्रकार के मनोचिकित्सक या व्यवहार

जन्य विकारों से संबंधित लक्षण पाए जाते हैं। उनकी इन परेशानियों और विकारो की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए उनको कई वर्गों में बांटा जा सकता है –

अवसाद से पीड़ित बालक बहुत अधिक दुखी विषाद एवं अवसाद की स्थिति में पाए जाते हैं ।इस प्रकार के बालक अपनी असफलता, नुकसान तथा परेशानी का कारण दूसरों पर नहीं थोपता बल्कि स्वयं ही इन सब का दोषी अपने आप को मानकर अवसाद का चेहरा ओढ़ लेता है।

बहुत से संवेगात्मक रूप से अशांत बालक चिंता मनोविकार से ग्रस्त पाए जाते हैं। बेहद चिंतित रहना इनकी आदत और स्वभाव में शामिल हो जाता है इसलिए वे सदैव बेचौन तथा घबराए से रहते हैं ।इनकी चिंता के पीछे कोई ठोस कारण हो, यह बात नहीं बल्कि जो कुछ भी हो रहा है या होगा उसको लेकर यह अधिकतर अकारण ही परेशान रहते हैं। चिंताओं का यह सिलसिला इनके लिए कभी खत्म नहीं होता।

संवेगात्मक बालक किसी वस्तु, परिस्थिति या विचार से होने वाले नुकसान या डर को बहुत बड़ा चढ़ाकर अपने मन में बसा लेते हैं और फिर उसके फल स्वरुप अवास्तविक भय का शिकार बना रहता है। ऊंचे स्थानों से भय, बादलों की गर्जना से भय, जगह से भय,अंधेरे से भय, अध्यापक से भय या विद्यालय से भय। इसके परिणाम स्वरुप यह संवेगात्मक रूप से काफी अशांत रहता है।

मनोदैहिक विकारों से ग्रस्त बालक तनाव ,दबाव, निराशा, आदि संवेगात्मक कारकों के कारण शारीरिक अंगों तथा उनकी प्रक्रियाओं में आने वाले दोषों या गड़बड़ियों के रूप में होती है। इस प्रकार बालकों को संवेगात्मक रूप से अशांत बनाकर उनकी पढ़ाई- लिखाई तथा विद्यालय उपस्थिति आदि के लिए काफी बड़ी रुकावट बनते हुए देखे जा सकते हैं।

व्यक्तित्व विकारों से पीड़ित बालकों को सामान्य ढंग से सामाजिक जीवन जीने और सामाजिक संबंध बनाए रखने में असफल तथा असमर्थ सिद्ध होते हैं। इस प्रकार के बालकों में संवेगात्मक अस्थिरत अशांति तथा असमानता के पूरे- पूरे लक्षण पाए जाते हैं।

जिस किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व में बहुत ही गंभीर किस्म की असमान्यताएं ,गड़बड़ियां तथा अव्यवस्था पैदा हो जाती है तब बालक में मनोविकृतिया उत्पन्न हो जाती है। मनोविकृतिओ से युक्त वालों को दुनिया की वास्तविकता से कुछ समय या अधिक समय के लिए संपर्क टूट जाता है।

व्यवहार जन्य विकारों से ग्रस्त बालकों द्वारा अपनी व्यवहार क्रियाओं में विविधा प्रकार की व्यवहार जन्य समस्याएं को प्रदर्शित करते हुए पाया जाता है। ऐसे विद्यार्थियों में अत्यधिक मात्रा में निराशा, तनाव चिंता , अंतर्द्वंद, आत्मविश्वास की कमी और असफलता का डर आदि नकारात्मक अनुभूतियों से गुजरना पड़ता है।

संवेगात्मक रूप से अशांत व्यवहार को विकसित होने में वंशानुक्रम कारक जिसमें दोषपूर्ण जींस का हस्तांतरण ही एकमात्र सबसे बड़ा कारण माना जाता है। जहां वंशानुक्रम कारकों की भूमिका प्राय: संवेगात्मक व्यवहार रूपी बीजों को उगाने हेतु मात्र उपजाऊ तथा उपयुक्त आधार भूमि प्रदान करने तक ही सीमित रहती है वही जैविक और शारीरिक कारक भूमि प्रदान करके तथा उन्हें संवेगात्मक व्यवहार को जन्म देने के लिए भी उत्तरदाई होती है। सामाजिक वातावरण जन्य कारक भी बालक के असामान्य व्यवहार या असामान्य व्यक्तित्व के विकसित होने के पीछे सबसे अधिक प्रभावशाली भूमिका निभाते हैं।

उपचारात्मक उपाय:

- **मनोगयातमक चिकित्सा–** इस प्रकार की उपचार व्यवस्था के अंतर्गत संवेगात्मक रूप से अशांत बालकों के व्यवहार को इस प्रकार का रूप के लिए उत्तरदाई उन मनोवैज्ञानिक कारणों का उपचार करने का प्रयत्न किया जाता है। इस तरह इस प्रकार की उपचार व्यवस्था समस्या की जड़ में जाकर समस्या का समाधान करने का प्रयत्न करती है।
- **व्यवहार चिकित्सा–** व्यवहार चिकित्सा पद्धति या उपचार व्यवस्था अपने इस मान्यता पर कार्य करती है कि सभी प्रकार का व्यवहार सामान्य अर्जित व्यवहार ही होते हैं। इस दृष्टि से इस चिकित्सा पद्धति में संवेगात्मक रूप से अशांत बालकों के कुसमायोजित व्यवहार के ऊपरी लक्षणों से मुक्ति पाने यानी सीखे हुए गलत व्यवहार को सुधार कर सही मार्ग पर लाने का प्रयत्न किया जाता है।
- **सामूहिक मनोचिकित्सा–** इस प्रकार की उपचार पद्धति में किसी बालक के संवेगात्मक रूप से कुसमायोजित व्यवहार का उपचार करने के लिए समूह गति शास्त्र या समूहगत परिस्थितियों की सहायता लेने का प्रयत्न किया जाता है। इस प्रकार की पद्धति उन बालकों के लिए अधिक उपयुक्त सिद्ध हो सकती है जिन की समस्या मूल रूप से सामाजिक कुसमायोजन से जुड़ी होती है सामाजिक रूप से वे कट गए हो जिनकी अपने साथियों से पटरी नहीं बैठ रही हो।
- **परिवार चिकित्सा–** इस प्रकार की चिकित्सा पद्धति को अपनाने की आवश्यकता उन परिस्थितियों में अनुभव की जाती है जब यह पता लगे कि बालक के संवेगात्मक रूप से अशांत व्यवहार के पीछे पारिवारिक परिस्थितियों का हाथ हो।

शैक्षिक प्रावधान – संवेगात्मक रूप से अशांत बालको को अपनी समस्याओं से निपटने में सहायता करने के साथ-साथ उनकी शैक्षिक प्रगति संबंधी प्रावधान करना भी आवश्यक रहता है। संवेगात्मक रूप से अशांत बालक अध्यापकों के समक्ष एक समस्या के रूप में रहता है। वह न केवल संवेगात्मक रूप से अशांत है बल्कि शैक्षिक रूप से भी बाधित होता है क्योंकि उसकी संवेगात्मक बाधिता उसे भली प्रकार अधिगम नहीं करने देती फल स्वरुप वह शैक्षिक प्रगति नहीं कर पाता।

1. अत: संवेगात्मक अशांत बालक पर अध्यापक को व्यक्तिगत और ध्यान देना आवश्यक होता है इससे अध्यापक न केवल बालक को अधिक गहराई से समझ सकता है वरन उसकी और सुरक्षा की भावना भाई व चिंता को भी दूर कर सकता है।
2. ऐसे संवेगात्मक अशांत बालक जो गंभीर रूप से समस्या से ग्रस्त नहीं है उन्हें सामान्य बालको कैसे बढ़ाया जाता के साथ बैठकर पढ़ाया जाना चाहिए। उनकी जो थोड़ी बहुत समस्या संवेगात्मक विकास के संबंध में है उसे विशेष तकनीकों के प्रयोग से, निर्देशन की सेवाओं की व्यवस्था से, स्रोत कक्ष ,(रिसोर्स रूम) की व्यवस्था से दूर किया जा सकता है।
3. ऐसी बालक जो गंभीर रूप से संवेगात्मक विक्षिप्त का प्रदर्शन करते हैं उनके लिए विशेष कक्षाओं का आयोजन किया जाना चाहिए। उन्हें पढ़ाने के लिए योग्य ,प्रशिक्षित व दक्ष अध्यापकों की व्यवस्था की जानी चाहिए। इनके लिए मनोवैज्ञानिक ढंग से उपचारात्मक विधियों का प्रयोग कर सुधार करना चाहिए।
4. ऐसे बालक जो संवेगात्मक रूप से अधिक गंभीर समस्या उत्पन्न करते

हैं उनके लिए विशेष विद्यालय की व्यवस्था अनिवार्य होती है। जहां तक स्त्रोत शिक्षक, विशेषज्ञों, प्रशिक्षित अध्यापकों ,मनोवैज्ञानिकों और मनो चिकित्सकों के मिले-जुले प्रयास से और शिक्षा दीक्षा दी जा सकती है।

5. संवेगात्मक अशांत बालको की अनेक विशेष आवश्यकता होती हैं - जैसे मनोचिकित्सा, विशेष पाठ्यक्रम, दंड न देना, अच्छे व्यवहार को सरली कृत करना सफलता के लिए भिंन मानदंड, साधान अध्यापक, मनोवैज्ञानिक और विशेषज्ञ का निर्देशन ।

संवेगात्मक रूप से अशांत बालक एक गंभीर समस्या अपने भिन्न व्यवहार के कारण उत्पन्न करता है ।समय से उसका उपयुक्त उपचार करना अध्यापक का उत्तरदायित्व है।इसके लिए माता-पिता ,निर्देशक, चिकित्सक, मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सक और साधन अध्यापक का सहयोग लेकर स्वीकृत आधार पर कार्य करना चाहिए। जिससे कि समाज में इस प्रकार के बालकों की संख्या कम हो सके और जल्दी ही संवेगात्मक कार्य से अशांत होने वाले बालक क्रोध मे हत्या, मारपीट ,आत्महत्या ना करें और एक अच्छे नागरिक के कर्तव्यों का निर्वहन करें ।

संदर्भ ग्रंथ सूची:-

1. अरोड़ा, रीता 2008 शिक्षा में नवचिंतन, जयपुर अनिल पब्लिकेशन।
2. अग्रवाल, जेसी, 2010 शिक्षा मनोविज्ञान, क्षिप्रा पब्लिकेशन, दिल्ली।
3. शर्मा, डॉ. आर.ए. 2007 विशिष्ट शिक्षा का प्रारूप आर.लाल, बुक डिपो, मेरठ
4. नारंग, एम.के., अग्रवाल, जे.सी. समावेशी शिक्षा, अग्रवाल पब्लिकेशन, दिल्ली
5. चौधारी उमरावसिंह 2006 पढ़ाई में पिछड़े बालक की शिक्षा, भोपाल, हिन्दी ग्रंथ अकादमी।

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
October to December 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVI

मध्यप्रदेश में दुग्ध सहकारिता का विकास एवं दुग्ध संघ की प्रगति का विवरण

डॉ. गौरव विद्यार्थी *

* विभागाध्यक्ष (वाणिज्य) फ्यूचर विजन कॉलेज, उज्जैन (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – मध्यप्रदेश में सन् 1975 में दुग्ध विकास योजना का प्रारंभ हुआ। इस परियोजना के अन्तर्गत 1200 ग्रामीण दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों का गठन राज्य के 3 दुग्ध प्रक्षेत्रों, भोपाल, इन्दौर एवं उज्जैन में करने का लक्ष्य रखा गया तथा परियोजना में सक्षम पशु चिकित्सा सेवाएँ आधुनिक कृत्रिम गर्भाधन सेवाएँ, संतुलित पशु आहार, खाद्यान्न सेवाएँ तथा हरा चारा विकास सेवाएँ आदि की भी व्यवस्था की गयी।

वर्तमान में मध्यप्रदेश दुग्ध महासंघ का नाम मध्यप्रदेश को ऑपरेटिव डेरी फेडरेशन (MPCDF) कर दिया गया है तथा इसका मुख्यालय भोपाल में ही है वर्तमान में मध्यप्रदेश में संचालित समस्त दुग्ध विकास गतिविधियों का संचालन MPCDF के माध्यम से ही किया जा रहा है MPCDF के संचालक मण्डल का गठन भी महासंघ के उपनियमानुसार संघों के निर्वाचित प्रतिनिधियों से होता है तथा इसमें शासन द्वारा नामांकित सदस्य भी होते है। वर्तमान में MPCDF के संचालक मण्डल में कुल 17 सदस्य है जिसमें 7 सदस्य निर्वाचित एवं 10 सदस्य नामांकित है।

वर्तमान में MPCDF के अन्तर्गत पाँच दुग्ध संघ कार्यरत है, जिनमें 2556 दुग्ध सहकारी समितियाँ विभिन्न दुग्ध संघों के अंतर्गत कार्यरत है जिनमें 2556 दुग्ध सहकारी समितियाँ विभिन्न दुग्ध संघों के अन्तर्गत कार्यरत है इन समितियों में लगभग 1,35,000 पुरूष एवं 9,000 महिला सदस्य है। दुग्ध संघों के माध्यम से प्रतिदिन लगभग 12 करोड़ रूपये की राशि प्रतिवर्ष ग्रामीण क्षेत्रों में दुग्ध उत्पादकों को उनके दुग्ध के मूल्य के रूप में प्रदान की जाती है। वर्तमान में प्रतिदिन संकलित दूध को प्रदेश के उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराने के पश्चात् अतिशेष दूध देश के अन्य महानगरों जैसे दिल्ली, मुम्बई आदि शहरों को भेजा जाता है।

MPCDF का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण स्तर पर दुग्ध सहकारी समितियों के माध्यम से ग्रामीणों का सामाजिक एवं आर्थिक विकास करना है इस हेतु दुग्ध समितियों से तकनीकी निवेश सुविधएँ कृषकों को उपलब्ध कराई जाती है। इसके अलावा दुग्ध समितियों के माध्यम से कृत्रिम गर्भधान की सुविध, लागत मूल्य पर संतुलित पशु आहार उपलब्ध कराना, हरे चारे के बीज उपलब्ध कराना, महिला विकास कार्यक्रम एवं संस्थागत विकास कार्यक्रम भी MPCDF द्वारा चलाया जा रहा है।

दुग्ध संघ का कार्यक्षेत्र – उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ का कार्यक्षेत्र उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, नीमच, शाजापुर जिले के कालापीपल, विकासखण्ड के 20 ग्राम एवं मोमन बड़ोदिया विकासखण्ड के 21 ग्राम को छोड़कर धार जिले का बदलावर एवं देवास जिले के 10 ग्राम सम्मिलित है।

उज्जैन जिले में दुग्ध संघ की प्रगति का विवरण – भोपाल से संबंद्ध और सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित 1982 से अस्तित्व में है। यह 6 जिलों को कवर करता है और इसके संचालन के क्षेत्र में 5 दुग्ध शितकेन्द्र है उज्जैन के मक्सी रोड़ स्थित मुख्य डेयरी प्लांट की प्रतिदिन क्षमता 2.50 लाख लीटर है, इसकी स्थापना 1982 में हुई थी।

ग्रामीण क्षेत्रों में डेयरी विकास गतिविधियों में दूध की क्षमता वाले गाँवों का सर्वेक्षण करना, एमपी को ऑपरेटिव सोसायटी अधिनियम, 1960 के तहत् प्राथमिक दुग्ध सहकारी समितियों का आयोजन करना भी शामिल करना शहरी डेयरी विकास FSSAI मानदण्डों के तहत् शासित हाइजेनिक गुणवत्ता के दूध के शीतकरण, प्रसंस्करण, निर्माण और विपणन से संबंधित आवश्यक बुनियादी ढाँचे के निर्माण और मजबूती को शामिल करता है।

निष्कर्ष – जिले की दुग्ध सहकारी समितियों के दुग्ध उत्पादक सदस्यों की सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमि के विश्लेषण एवं व्याख्या से यह स्पष्ट होता है कि दुग्ध संघ से एक अतिरिक्त स्थाई रोजगार प्राप्त हुआ है जो उनकी आय में सुनिश्चित वृद्धि कर रहा है साथ ही इन दुग्ध सहकारी संस्थाओं द्वारा पशुपालन व दुग्ध उत्पादन व्यवसाय को ग्रामीणों के लिए लाभप्रद व्यवसाय बनाने के उद्देश्य से कई तकनीकी आदान सुविधएँ भी उपलब्ध कराई जाती है जिससे उनके दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के फलस्वरूप, उनकी दुग्ध व्यवसाय की आय में वृद्धि हुई है।

दुग्ध उत्पादकों से संबंधित समस्याएँ एवं सुझाव – वास्तव में आर्थिक जगत में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है, जहाँ समस्याएँ न हो सहकारी दुग्ध व्यवसाय भी अनेक समस्याओं से ग्रसित है जिले में दुग्ध सहकारी समितियों के गठन की शुरूआत को वर्ष 20021–2002 में 26 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं परन्तु जिले के पशुओं के कम दुग्ध उत्पादन में, संक्रामक बीमारियों का कुप्रभाव बहुत अधिक है पशुओं के रख–रखाव में कुप्रबंधन तथा कुपोषण से विभिन्न प्रकार की संक्रामक एवं छूत के रोगों से जिले में पशुधन सम्पत्ति को अपार हानियाँ होती है जिले में प्रतिवर्ष लगभग 800 से भी अधिक पशु गलघोटू, खुरपका–मुँहपका लँगड़ी–ज्वर आदि रोगों के शिकार होते है। इससे लाखों रूपये की आर्थिक हानि होती है तथा कृषि कार्यो में बाधा पहुँचती है।

सुझाव – उक्त समस्या के निवारण के लिए दुग्ध सहकारी समितियों द्वारा ग्रामीण पशुपालकों को पशुओं के उचित रख–रखाव के बारे में समुचित जानकारी दी जाना चाहिए साथ ही संक्रामक बीमारियों के नियंत्रण हेतु संघ द्वारा प्रत्येक समिति ग्राम में वर्ष में दो बार टीकाकरण कार्यक्रम प्रभावशाली ढंग से लागू करना चाहिए तथा टीकाकरण के संबंध में ग्रामीण पशुपालकों

में व्याप्त भ्रामक भ्रांतियों को उचित परामर्श व प्रचार-प्रसार द्वारा करना चाहिए और उन्हें टीकाकरण कार्यक्रम के लाभों से अवगत कराना चाहिए।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. मिश्र आर.सी. भारतीय दुग्ध सहकारिताओं के दुग्ध उत्पादन में वृद्धि कार्यक्रम,रामा पुस्तक प्रतिष्ठान गोमती नगर, लखनऊ
2. डॉ. लिण्टन आ.जी.,पशु स्वास्थ्य विज्ञान, उत्तरप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी
3. डॉ. वर्मा डी.एन., दुग्ध एवं दुग्ध, श्री पब्लिशिंग हाऊस
4. त्रिपाठी बी.एन. शास्त्री, पशुपालन प्रबन्धन,विकास पब्लिशिंग हाऊस गजियाबाद

पत्र-पत्रिकाएँ :

- दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियाँ और उनका सुपरविजन म.प्र. राज्य दुग्ध विकास निगम मर्या. भोपाल
- दुग्ध सरिता
- उज्जैन दुग्धसंघ सहकारी मर्या. उज्जैन

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
October to December 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVI

महिला सशक्तिकरण एवं पंचायती राज्य

डॉ. मनीषा आमटे *

* सहायक प्राध्यापक, शासकीय महाविद्यालय, बिछुआ, जिला छिन्दवाडा (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – महिला सशक्तिकरण का अध्ययन करने के लिए सामाजिक रूपरेखा को जानना अतिआवश्यक है। सामाजिक संरचनाएँ, सांस्कृतिक प्रतिमान तथा मूल्य प्रणालियाँ पुरूषों और स्त्रियों दोनो की व्यवहार संबंधी सामाजिक प्रत्याशाओं पर प्रभाव डालती है और समाज में स्त्री व पुरूष की भूमिकाएं व स्थिति का निर्धारण करती है। इन संस्थाओं में सबसे अधिक महत्वपूर्ण वंशक्रम प्रणालियाँ, परिवार और संगोत्रता विवाह और धार्मिक परंपराए है। ये पुरूषों व स्त्रियों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों की धारणाओं के प्रति विचारधारा और नैतिक आधार प्रदान करते है। जीवन के सभी क्षेत्रों में महिलाओं को अपने अधीन करने वाली यह जटिल संरचना 'पितृसत्ता' है जिसका आधार 'शक्ति' है। शक्ति अधिकांश सामाजिक संबंधों का मूल तत्व है। बेकर के अनुसार अन्य व्यक्तियों के व्यवहारों पर अपनी इच्छा को आरोपित करने की संभावना को ही शक्ति कहते है। इस अर्थ में सामाजिक संबंधों के निर्वाह मे जब महिलाएँ शक्ति को स्वत: प्राप्त कर सकेगी तब सशक्तिकरण की प्रक्रिया प्रभावी होगी।[1]

महिला सशक्तिकरण महिला उत्पीडन के विभिन्न पहलुओं को समझने की दिशा में प्रयासरत एवं स्त्री तत्व की दावेदारी को निर्णायक मानने वाली एक गतिशील और निरंतर परिवर्तित होने वाली विचारधारा है जिसके व्यक्तिगत, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक पहलू है। यह एक प्रक्रिया है जो महिलाओं में गतिशीलता, आत्मविश्वास व जागरूकता का संचार करती है जिससे निर्णयात्मक प्रक्रिया में उनकी प्रभावी भागीदारी संभव हो सके तथा विशेष योग्यता द्वारा विकास की दिशा को न केवल नियंत्रित कर सके बल्कि उसकी दिशा को अपने हित में मोडने की क्षमता की क्षमता रख सके। ऐशियन और पैसेफिक सेंटर फार वूमन एण्ड डेवलपमेंट के द्वारा महिला सशक्तिकरण को परिभाषित करते हुए हुए लिखा है कि 'महिलाओं द्वारा स्वयं निर्णय लेने की दशाओं में वृद्धि ही सही मायने में महिला सशक्तिकरण है'।[2]

महिला सशक्तिकरण हेतु हमें अपने समाज में नारियों की वास्तविक स्थिति और उसकी मुक्ति के रास्ते पर विचार करना होगा। नारी के देवी और चण्डी रूप से लेकर नितांत अबला जीवन की वास्तविकता और नारी प्रधानमंत्री के रूप में अति आधुनिक समाज, हमारे समाज का एक विरोधाभासी मिश्रित रूप दिखाई देता है। इसमें समान रूप में उपेक्षा और प्रेरणा दोनों प्रकार के तत्वों की बहुलता है। इसलिए वास्तविक समस्या पर विचार करने के लिए यह आवश्यक है कि हम आदिकालीन भारतीय समाज से लेकर मध्ुगीन और आधुनिक समाज की विशिष्ट परिस्थितियों और इनमें नारी की स्थिर व बदलती स्थितियों का गहराई से अध्ययन करें।

वैदिक साहित्य के अध्ययन से ज्ञान होता है कि तत्कालीन समाज में नारियों को सम्मानजनक स्थान प्राप्त था। वे प्रत्येक पग पर पुरूष की सहगामिनी थी। उसे शिक्षा प्राप्त करने व वेदाध्ययन का अधिकार प्राप्त था। किंतु इसके उत्तरार्द्ध में नारियों की समाज में स्थिति गौण होती चली गई। उदाहरण के लिए मनुस्मृति में एक ओर जहां यह कहा गया है कि जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता का वास होता है। (यत्र नार्य: पूज्यंत, रमन्ते तत्र देवता) वहीं दूसरी ओर नारियों की स्वतंत्र अस्मिता को खत्म करते हुए मनु कहते है कि महिला आजीवन पुरूष पर आश्रित है- बचपन में पिता पर विवाहोपरांत पति पर तथा वृद्धावस्था में पुत्र पर। इनमें से एक भी अवस्था में पुरूष का आश्रय न रहने पर उसे कलंकित व उपेक्षित किया गया। यह उत्तर वैदिक पितृसत्तात्मक समाज के नियमों की घोषणा थी जिसमें अब पूर्व की भांति नारी की समाज में स्वतंत्र भूमिका को स्वीकृति प्राप्त नहीं थी।[3]

मनु द्वारा घोषित नारी की चिर-पराधीनता पूरे मध्य युग में समान रूप से पुष्ट होती चली गयी। यह तुलसीदास जी के 'ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब तांडव के अधिकारी' के रूप में व्यक्त होती है। इस काल में नारी अशिक्षा, पर्दाप्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह, विवाह विच्छेद, कन्या व्यापार जैसी कुरूतियों से जूझती रही। यह संपूर्ण भारतीय नारी जाति के लिए एक अंधकारमय युग रहा।

प्रकाश की एक किरण के रूप में आधुनिक युग ने भारतीय नारी के जीवन में प्रवेश किया। अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार व तत्कालीन समाज सुधारकों द्वारा किए प्रयासों व स्वतंत्रा आंदोलन में नारी की सक्रिय सहभागिता ने नारी के प्रति समाज के विचारों, मनोवृत्तियों व मूल्यों में सतही ही सही, परिवर्तन प्रारंभ हुआ। स्वतंत्रता के बाद 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान में लिंग आधारित हर प्रकार के भेदभाव का विरोध किया गया और। साथ ही राष्ट्र के सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करने, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और आराधना की स्वतंत्रता, समाज में समान स्थिति और समान अवसरों की बात कही गयी। भारतीय संविधान में ये तमाम बातें जनतंत्र और समाजवाद में विकास के उस युग का परिणाम थी जिस युग में भारत स्वतंत्र हुआ था। 1960-70 के दशक में तमाम अंतराष्ट्रीय मंचों पर मानव समाज में महिलाओं की स्थिति एक प्रमुख विचारणीय प्रश्न बना हुआ था। 1967 में संयुक्त राष्ट्र संघ की महिलाओं के विरूद्ध भेदभाव समाप्ति से संबंधित घोषणा एवं सदस्य देशों से अपने देशों की महिला प्रस्थिति पर प्रतिवेदन की अनुशंसा पर वर्ष 1971

में भारत में महिलाओं की स्थिति पर एक समिति का गठन किया गया जिसने दिसंबर, 1974 को अपना प्रतिवेदन 'टुवर्डस इक्वालिटी' (समानता की ओर) शीर्षक के साथ प्रस्तुत किया यह भारतीय राजनीति में महिलाओं की भागीदारी पर एक अत्यंत महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इसने राजनीति में महिलाओं की भागीदारी हेतु विमर्श को राष्ट्रीय पटल पर प्रमुखता से रखा।

कमेटी का यह मानना था कि संविधान द्वारा प्रदत्त सामाजिक और राजनीतिक समानता आज भी दूर की कौडी है। संख्या की दृष्टि से अल्पमत में ना होने के बावजूद गैर बराबरी के इन तीन आयामों के कारण महिलाएँ अल्पसंख्यक समुदाय की स्थिति में बनी हुई है- वर्गीय दर्जा (आर्थिक स्थिति) सामाजिक स्थिति तथा राजनीतिक शक्ति में असमानता।[4] इस असमानता को दूर करने हेतु एक प्रभावी उपाय की दृष्टि से समिति ने संसद की तरह सर्वोच्च विधायी निकाय में महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण पर गंभीरता से विचार किया। कमेटी ने राजनैतिक स्तरीकरण के निचले स्तर पर महिलाओं के आरक्षण की सिफारिश की ओर सभी राज्यों से इसे एक संक्रमणकालीन कदम के रूप में अपनाने के लिए कहा।

समिति की सदस्य लतिका सरकार और वीणा मजुमदार ने अपने संयुक्त प्रतिवेदन में कहा कि, 'जब भी कोई बेइन्तिहा असमानता वाले किसी समाज में जनतंत्र के सिद्धांतों को लागू करता है तो इस प्रकार के संरक्षण असामनता की बाधाओं को तोडने वाले हथियारों की भूमिका निभाते हैं'।[5] इसी क्रम के फरवरी 1995 में दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय महिला कन्वेशन की घोषणा में यह स्पष्ट किया गया कि राज्य विधानसभाओं और संसद सहित सभी स्तरों पर कम से कम 33 प्रतिशत आरक्षण के जरिए महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने की जरूरत है।

अनेक दशकों के स्त्री विमर्श एवं संघर्ष के पश्चात् 73 वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के द्वारा पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं के लिए कुल स्थानों में 33 प्रतिशत स्थान आरक्षित किए गए। इसके पश्चात इस नेतृत्व में 110 वे 112 वे संविधान संशोधन विधेयक 2009 के द्वारा आरक्षण के प्रतिशत को बढाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया।

पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी से उनकी स्थिति में पूर्व की तुलना में व्यापक बदलाव आया है। पंचायतों के द्वारा महिलाओं को प्राप्त राजनीतिक सशक्तिकरण की देन है कि लगभग 24 वर्षो में देश के भीतर राजनीतिक विमर्ष में महिलाओं को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ है, देश भर में 32 लाख से अधिक पंचायत प्रतिनिधि में 12 लाख महिलाएं है और 80000 हजार अध्यक्ष है। यह लोकतंत्र का का अब तक का सबसे बडा प्रयोग है। इतिहास या दुनिया में इसका कोई दूसरा उदाहरण नही है। यह संख्या विश्व में कुल निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों से भी अधिक है।

यह बदलाव सिर्फ संख्यात्मक ही नहीं है बल्कि यह अंतर गुणात्मक भी है ये निर्वाचित महिला प्रतिनिधि संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग कर न केवल अपनी अपने परिवार की बल्कि अपने समाज की स्थितियों में बदलाव ला रही है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पंचायत प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा था कि 'पंचायती राज की सबसे बडी सफलता यही है कि उसने महिलाओं का राजनीतिक व सामाजिक सशक्तिकरण किया है जो आधुनिक युग में विश्व इतिहास में एक अनोखी मिशाल है।' पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की सफल भागीदारी देश में संतुलित एवं समावेशी विकास को बढावा देगी क्योंकि आधी आबादी के सशक्तिकरण के बिना पूरे समाज का सशक्तिकरण संभव नही है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. दुबे, डॉ. माधवी लता : भारत मे महिला सशक्तिकरण (अवधारणा, प्रक्रिया एंव विवेचन), समाजिक विकल्प, मध्यप्रदेश समाजशास्त्र वर्ष 2011- 2012, पृ.54
2. रानी, डॉ. आशु : महिला विकास क्रर्याकम इना श्री पब्लिशर्स, जयपुर पृ .12
3. महेश्वरी, सरला : नारी प्रश्न, राधा कृष्ण पब्लिशर्स, नई दिल्ली पृ 82
4. वही पृष्ठ 119
5. वही पृष्ठ 125

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
October to December 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVI

भारत की 200 वर्षों की गुलामी के लिए मीर जाफर का योगदान (प्लासी के युद्ध के संदर्भ में)

डॉ. आकाश ताहिर *

* सहायक प्राध्यापक (इतिहास) शासकीय कला एवं वि. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रतलाम (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – औरंगजेब की मृत्यु के बाद, मुगल-साम्राज्य का जो पतन आरम्भ हो गया था, वह पतन फिर रोका नहीं जा सका। जो राज्य साम्राज्य की अधीनता में थे, वे एक-एक करके स्वतन्त्र हो रहे थे और जो सूबेदार अथवा नवाब, अलग-अलग सूबों में शासन कर रहे थे, साम्राज्य के साथ उनके राजनीतिक बन्धन बहुत निर्बल और ढीले पड़ गये थे। नवाब अलीवर्दीखां बंगाल, बिहार और उड़ीसा तीनों प्रान्तों का सूबेदार था। लेकिन उसकी अवस्था भी साम्राज्य के साथ वही थी, जो अपनी नवाबों और सूबेदारों की थी। दक्षिण में मराठों ने उन दिनों में अन्य शक्तियां मजबूत बना ली थी। उन्होंने बंगाल पर आक्रमण आरम्भ कर दिये। उस समय अलीवर्दी खां को मुगल सम्राट से सहायता मांगनी पड़ी। लेकिन उसे दिल्ली से कोई सहायता मिल न सकी। इस अवस्था में उसने मालगुजारी कर दिल्ली भेजना बन्द कर दिया।[1]

भारत में इंग्लैण्ड से जो अंग्रेज आये थे वे सबसे पहले यहां के पश्चिमी किनारे पर उतरे थे। बंगाल में अंग्रेजों के सभी व्यवहार नवाब और सम्राट के विरूद्ध चलने लगे। किले बन्दी को रोके जाने के बाद भी अंग्रेजों ने कुछ परवाह न की और अपना काम बराबर जारी रखा। कलकत्ते में किलेबन्दी करने के बाद उन्होंने उसके चारों तरफ गहरी खाई खोदकर तैयार कर ली। मुगल सम्राट ने बंगाल में अंग्रेजी माल पर चुंगी माफ कर दी थी। उसका अंग्रेजों ने बहुत अनुचित लाभ उठाना आरम्भ कर दिया था। जिसमें भारतीय जनता को, भारतीय व्यापारियों को और मुगल साम्राज्य को लम्बी क्षति उठानी पड़ रही थी। बहुत सी बातों में उन्होंने नवाब तथा साम्राज्य के विरूद्ध खुले तौर पर अराजकता फैला रखी थी। उनका एक षड़यन्त्र यह भी चल रहा था कि पूर्णिया के नवाब शौकतजंग को सिराजुद्दौला के साथ लड़ा कर शौकतजंग को मुर्शिदाबाद का नवाब बनाना चाहते थे। सिराजुद्दौला के बहुत से अधीन अधिकारियों को मिला कर अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला का विरोधी बना दिया था।

अंग्रेजों के इस प्रकार के आचरणों से नवाब सिराजुद्दौला अपरिचित न था फिर भी वह अंग्रेजों पर अपना नियन्त्रण न रख सका। इसका कारण या तो यह था कि वह शासन नहीं जानता था अथवा अंग्रेज इतने अधिक राजनीतिज्ञ थे कि उन्होंने नवाब को भुलावे में डाल रखा था। जो लोग नवाब सिराजुद्दौला के साथ अपराध करते थे, वे भागकर कलकत्ते में अंग्रेजों के पास चले जाते थे। नवाब के अपराधियों को शरण देना अंग्रेजों का खुलकर विद्रोह करना था। इसी प्रकार के उत्पातों में सिराजुद्दौला ने एकाएक कलकत्ते में अंग्रेजों के विरूद्ध आक्रमण किया। अंग्रेजों ने उस मौके पर नवाब का विरोध किया। कुछ इसी प्रकार की परिस्थितियों में हुगली के निकट ताज्ञाह के किले पर अंग्रेजों के साथ नवाब का सामना हुआ। उस लड़ाई में अंग्रेजों की हार हो गयी। कलकत्ता के अंग्रेज नवाब को छिपे तौर पर निर्बल बनाने में लगे हुए थे। उनका सबसे बड़ा अस्त्र था रिश्वतें देकर, प्रलोभनों में लाकर झूठे वादे करके नवाब के प्रमुख अधिकारियों को फोड़ना ओर अपने में मिला लेना।

नवाब सिराजुद्दौला एक और भयानक निर्बलता उसके साथ यह थी कि उसकी सेना और तोपखाने में बहुत से अंग्रेज काम करते थे। कलकत्ता के मातहत अंग्रेजों के विद्रोही होने पर भी नवाब ने तो अंग्रेजों को परास्त करके उनको सभी प्रकार अयोग्य बनाया और न ही अपनी सेना तथा तोपखाने से अंग्रेजों को ही अलग किया। नवाब की सेना में जो अंग्रेज काम करते थे, वे तो कलकत्ता के अंग्रेजों से मिले हुए थे ही, उसकी सेना और दरबार के जाने कितने अधिकारी हिन्दू और मुसलमान अंग्रेजों की रिश्वत के जाल में फंसे हुए थे।

एक बात ओर भी दुर्भाग्य की नवाब के साथ चल रही थी। उसका कोई साथी न था। मुगल साम्राज्य के खम्भे अपने आप हिल रहे थे। इसलिए अंग्रेजों को उस तरफ का भी कोई भय न था। इस अनुकूल परिस्थितियों में अंग्रेज सिराजुद्दौला को मिटा कर बंगाल में अपनी सत्ता स्थापित करना चाहते थे। इसी बिच पूर्निया के नवाब शौकतजंग, अंग्रेजों के भरोसे 16 अक्टूबर 1756 को राजमहल की लड़ाई में सिराजुद्दौला के हाथों पराजय के बाद उस लड़ाई में मारा गया और उसके स्थान पर युगलसिंह पूर्निया का नवाब बनाया गया।2 कलकत्ता से बाहर कुछ दूरी पर बजबज का एक पुराना और मजबूत किला था और उसके चारों ओर गहरी खाई थी। राजा मानिकचन्द उस किले का सिराजुद्दौला की तरफ से अधिकारी था, जिसे अंग्रेजों ने पहले ही मिला लिया था। अंग्रेजी सेना के दो सौ आठ सैनिकों ने उस किले पर आक्रमण किया। मानिकचन्द के साथ के दो हजार सैनिकों ने उनका मुकाबला किया। थोड़ी सी लड़ाई के बाद मानिकचन्द अपनी सेना के साथ पीछे हट गया और अंग्रेज सैनिकों ने 29 दिसम्बर 1756 को उसमें प्रवेश करके अपना अधिकार कर लिया। उसके बाद अंग्रेजों ने ताज्ञाह और कलकत्ता के किलों को भी अपने हाथों में लेकर 3 जनवरी सन् 1757 ई. को उन पर उन्होंने अपने झण्डे फहराये।[3]

नवाब के किले के अधिकारियों को फोड़ कर मिला लेने में अंग्रेजों को बहुत सफलता मिली। अनेक प्रकार के वादों झूठे प्रलोभनों और लालच देकर अंग्रेज अधिकारी किलों के अधिकारियों को मिला लेते थे और जब अंग्रेजों

का आक्रमण होता था तो वे एक साधारण लड़ाई के बाद युद्ध से हट जाते थे। हुगली के किले की दशा तो अन्य किलों से भी आश्चर्यजनक साबित हुई। वहां के किले के अधिकारी ने किले को अरक्षित छोड़ दिया और अंग्रेजों ने 11 जनवरी को उस पर अधिकार कर लिया।

नवाब सिराजुद्दौला की यह निर्बलता और अयोग्यता थी कि उन विदेशी अंग्रेजों ने जिनकी कोई सत्ता न थी, मदारी बनकर उसे बन्दर की तरह नाचने के लिए विवश कर रखा था। कई एक किलों पर अंग्रेजों के अधिकार हो जाने के समाचार नवाब को मिले। उसे यह भी मालूम हुआ कि मेरे किले के अधिकारियों ने मेरे साथ विश्वासघात किया है और अंग्रेजों ने रिश्वतें देकर उनसे यह विश्वासघात कराया है। इन सब बातों के मालूम होने पर भी नवाब ने बिना किसी संघर्ष के अंग्रेजों से निपटारा करने की कोशिश की। राजनीतिज्ञ अंग्रेजों ने इसका लाभ उठाया और अपनी मांगों को पेश करते हुए उन्होंने कुछ शर्तों के साथ सन्धि कर लेना स्वीकार किया। उनका उद्देश्य कुछ ओर था, वे चाहते थे कि सिराजुद्दौला की नवाबी को मिटाकर उसके स्थान पर ऐसे आदमी को बिठाना चाहते थे जो अंग्रेजों की अधीनता में रहकर अपना शासन करें। मीरजाफर नवाब की सेनाओं में प्रधान सेनापति था। उसके साथ अंग्रेजों की साजिश पहले से चल रही थी। उन्होंने मीरजाफर को नवाब बनाने का निश्चय किया। ऐसा करने में अंग्रेजों के दो लाभ थे। एक तो यह कि मीरजाफर स्वयं नवाब बनने के लिए तैयार था और इसके लिए वह अंग्रेजों की शर्तों को मन्जूर करता था। दूसरी बात यह भी थी कि नवाब सिराजुद्दौला की तरफ से वही सेना लेकर युद्ध के लिए आयेगा।

मीर जाफर ब्रिटिश साम्राज्य में बंगाल राज्य के पहले नवाब थे। शुरूआत से ही वह अरब में नवाब की सेना की सत्ता और प्लासी के युद्ध में उभर कर सामने आया। उन्होंने बंगाल का नवाब बनने के लिए अंग्रेजों के साथ षड़यत्र रचकर सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात किया। बंगाल के नवाब अलीवर्दीखां का विश्वास जीतने के लिए उनके यहां बख्शी के पद पर आसीन हुआ। उसने एक साहसी सैनिक कर्मी के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त की और नवाब के कई सैन्य अभियानों में उसने अहम भूमिका निभाई। उसने कटक के युद्ध में नवाब के भतीजे शौलतजंग को बचाया और मराठों की सैन्य शक्ति देखकर वहां से भागने पर मीर जाफर की कायरता का पता चल गया। उसके बाद वह नवाब को मारने के लिए अताउल्लाह के साथ एक साजिश रची, किन्तु साजिश का पता लग गया और उसके पद से बर्खास्त कर दिया गया।

ऐसा होने पर भी मीर जाफर ने अपने मंसूबों को नहीं बदला। अलीवर्दी के बाद उनके पोते सिराजुद्दौला सिंहासन पर बैठा और उसके बाद जाफर ने फिर से बंगाल पर आक्रमण करने के लिए शौकतजंग के साथ साजिश रची। हालांकि, इस साजिश का पता सिराजुद्दौला को चल गया और उन्होंने उसे पद से हटा दिया और उसे बक्शी के रूप में मीर मदन के साथ पद पर प्रतिस्थापित किया।[4]

मीरजाफर सिराजुद्दौला के नाना अलीवर्दी खां का बहनोई था। अंग्रेजों ने उसके साथ एक गुप्त संधि की। उस सन्धि में अंग्रेजों की सभी शर्तों को उसने स्वीकार किया। दोनों ओर से निश्चय हुआ कि अंग्रेज सिराजुद्दौला के साथ युद्ध करेंगे और मीरजाफर उस युद्ध में अंग्रेजों की सहायता करेगा। सिराजुद्दौला के पराजित होने पर उसके स्थान पर मीरजाफर नवाब होगा और इसके बदले में वह अंग्रेजों को सभी प्रकार के व्यावसायिक अधिकार प्रदान करेगा। इसके साथ-साथ सिराजुद्दौला से लड़ने में अंग्रेजों का जो व्यय होगा, मीरजाफर उसको अदा करेगा।

मीरजाफर के साथ सन्धि करने के बाद अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला पर आक्रमण करने की तैयारी की। सिराजुद्दौला अपनी सेना के साथ प्लासी नामक स्थान में मौजूद था। 23 जून 1875 ई. को दोनों ओर की सेनाओं का सामना हुआ। सिराजुद्दौला की सेनाओं में मीरजाफर प्रधान सेनापति था। उसके सिवा तीन सेनापति और थे। पैंतालीस हजार सेना मीरजाफर, यार लुत्फ खां और राजा दुर्लभराय के अधिकार में थी। बारह हजार सेना मीरमदन के नेतृत्व में थी। सिराजुद्दौला की इस विशाल सेना के साथ 53 तोपें भी थी। अंग्रेजों के साथ कुल मिलाकर बत्तीस सौ सैनिक और 10 तोपें थी। मीर जाफर के साथ-साथ राजा दुर्लभराय और यार लुत्फ खां भी अंग्रेजों के हाथ बिक चुके थे। कुछ समय तक युद्ध साधारण रूप से चलता रहा और उसके बाद एकाएक मीरजाफर, दुर्लभराय तथा यार लुत्फ खां अपनी पैंतालीस हजार सेना के साथ अंग्रेजों में जाकर मिल गये। इस समय अंग्रेजी सेना ने जोर के साथ सिराजुद्दौला की बाकी सेना पर आक्रमण किया। सिराजुद्दौला का विश्वासी सेनापति मीरमदन लड़ाई में मारा गया। अब सिराजुद्दौला के साथ कोई सेनापति न रह गया था। मीरजाफर के भयानक विश्वासघात से उसका साहस भंग हो गया। वह अपने हाथी पर बैठा हुआ मुर्शिदाबाद की तरफ भाग गया। युद्ध क्षेत्र से हटते ही उसकी बाकी सेना इधर-उधर भाग गयी। युद्ध में क्लाइव की विजय हुई।[5]

सिराजुद्दौला को पराजित कर अंग्रेजी सेना मुर्शिदाबाद पहुँची और वहां के खजाने को लूटकर कलकत्ता की अंग्रेजी कमेटी के सामने जो चांदी के रूपये जमा किये गये, उनकी संख्या बहत्तर लाख इकहत्तर हजार छः सौ छियासठ थी। इतना बड़ा खजाना इसके पहले कभी अंग्रेजों को एक साथ लूट में न मिला था। 24 जून 1757 को आधी रात के समय सिराजुद्दौला मुर्शिदाबाद के महल से भागा और भगवान गोला के पास मीर कासिम के द्वारा गिरफ्तार कर मुर्शिदाबाद वापस लाया गया। 2 जुलाई 1757 ई. को क्लाइव की आज्ञा से मुहम्मद बेग नामक एक सरदार के द्वारा उसको कत्ल करवा दिया गया।[6]

सत्ता की वो बाजी तो मीर जाफर जीत गया था। लेकिन तारीख ने उसे बुरी तरह हरा दिया। आज भी मीर जाफर का नाम कहावतों में पिरोया हुआ, विश्वासघात की दास्तान बना फिरता है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के लालबाग क्षेत्र में एक हवेली है। ये कभी धोखेबाजों के सरताज रहे मीर जाफर की हवेली है। इसी हवेली को कहा जाता है नमक हराम ड्योढ़ी।

इस परिस्थिति में और इन उपायों द्वारा प्लासी के सुप्रसिद्ध मैदान में हिन्दुस्तान के अन्दर अंग्रेजी साम्राज्य की नींव रखी गई। प्लासी के युद्ध की सफलता और सत्ता के लिए विश्वासघात करने वाले लोगों के कारण राबर्ट क्लाइव ने 1764 का बक्सर का युद्ध भी अपने पक्ष में कर लिया और भारत की सत्ता की चाबी अर्थात बंगाल की विजय से भारत के विजय रूपी ताला खोल दिया गया। धीरे-धीरे अंग्रेजों ने भारत से अन्य यूरोपीय शक्तियों को भारत से बाहर की ओर रास्ता दिखाया साथ ही भारतीय राज्यों पर भी क्रमागत अपना प्रभाव स्थापित कर लिया और भारत की एकछत्र शक्ति के रूप में ब्रिटिश सत्ता को स्थायी कर लिया। अनेक विजय, पराजय, संधि समझौतों के बल पर लगभग 200 वर्षों तक भारत को गुलाम बनाकर भारत को अपना एक प्रमुख उपनिवेश बनाया जहां से लम्बे समय तक आर्थिक दोहन और युद्ध के समय सैनिक और सैनिक साजो-सामान, संसाधन की पूर्ति का केन्द्र भारत बन गया। प्रसिद्ध बंगाली कवि नवनीचंद्र सेन के शब्दों में 'प्लासी की लड़ाई के बाद भारत में अनंत अंधकारमयी रात्रि का आरम्भ

हुआ।' परिणामत: फिर भारत में कोई ऐसी संगठित शक्ति न रही जो अंग्रेजों को देश के बाहर निकालने में समर्थ होती।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. ठाकुर केशव कुमार, भारत की प्रसिद्ध लड़ाइयाँ (ईसा से 326 वर्ष पूर्व से लेकर 1857 ई. तक) आदर्श हिन्दी पुस्तकालय, इलाहाबाद, तीसरा संस्करण(1967) पृ. 375।
2. वही, पृ. 377-378।
3. वही, पृ. 381-383।
4. पॉल के. डेविस (1999). 100 डेसिसिव बेटल फ्रॉम एन्शिएन्ट टाईम्स टू द प्रेसेन्ट, पृ. 240-244, सान्टा बारबरा, केलिफॉर्निया। के.के. दत्ता, अली वर्दी और हिज टाइम्स, अध्याय 4, कलकत्ता विश्वविद्यालय प्रेस, (1986)। आधुनिक भारत डॉ. बिपिन चन्द्रा द्वारा, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का प्रकाशन।
5. ठाकुर केशव कुमार, भारत की प्रसिद्ध लड़ाइयाँ (ईसा से 326 वर्ष पूर्व से लेकर 1857 ई. तक) आदर्श हिन्दी पुस्तकालय, इलाहाबाद, तीसरा संस्करण(1967) पृ. 383-384।ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैण्ड की रॉयल एशियाटिक सोसायटी (1852) रॉयल एशियाटिक सोसाइटी का जर्नल, खंड 13। विश्वविद्यालय का मुद्रणालय।
6. ठाकुर केशव कुमार, भारत की प्रसिद्ध लड़ाइयाँ (ईसा से 326 वर्ष पूर्व से लेकर 1857 ई. तक) आदर्श हिन्दी पुस्तकालय, इलाहाबाद, तीसरा संस्करण(1967) पृ. 384।

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
October to December 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVI

भारत में खाद्य सुरक्षा

डॉ. सुषमा सैनी *

* विभागाध्यक्ष एवं एसोसिएट प्रोफेसर (अर्थशास्त्र) डी0 ए0 वी0 (पी0जी0) कॉलेज, मुजफ्फरनगर (उ.प्र.) भारत

शोध सारांश – खाद्य सुरक्षा के लिए किसी देश की समग्र जनसंख्या को खाद्य की भौतिक उपलब्धि आवश्यक है। किंतु सभी को पर्याप्त खाद्य उपलब्ध कराने के लिए यह जरूरी है कि लोगों के पास पर्याप्त क्रयशक्ति हो ताकि वे अपनी जरूरत के लिए खाद्य पदार्थ हासिल कर सकें। स्वास्थ्य जीवन के लिए उपलब्ध खाद्य, गुणवत्ता और मात्रा दोनों रूप में प्रयोग होने चाहिए ताकि वह पोषण संबंधी आवश्यकता को पूरा कर सकें।

कोई राष्ट्र किसी समय विशेष पर स्वावलंबिता प्राप्त कर सकता है परंतु खाद्य सुरक्षा की अवधारणा इस बात पर बल देती है कि प्रत्येक समय, विश्वसनीय और पोषण की दृष्टि से खाद्य की पर्याप्त पूर्ति दीर्घकालीन आधार पर उपलब्ध होनी चाहिए। इसका अभिप्राय यह है कि किसी राष्ट्र में खाद्य संभरण की इतनी वृद्धि दर आश्वस्त करनी होगी कि इससे न केवल जनसंख्या की वृद्धि का ध्यान रखा जा सके बल्कि इसके साथ-साथ लोगों की आय में वृद्धि के परिणामस्वरूप खाद्य की मांग में वृद्धि की भी पूर्ति की जा सके।

शब्द कुंजी – खाद्य सुरक्षा, स्वावलंबिता, जनसंख्या, पोषण, क्रयशक्ति।

प्रस्तावना – खाद्य सुरक्षा की अवधारणा– विश्व विकास रिपोर्ट ने खाद्य सुरक्षा की परिभाषा यसभी व्यक्तियों के लिए सभी समय पर एक सक्रिय, स्वस्थ जीवन के लिए पर्याप्त भोजन की उपलब्धि के रूप में की है। किंतु खाद्य एवं किसी संस्था ने खाद्य सुरक्षा की परिभाषा यसभी व्यक्तियों को सभी समय पर उनके लिए आवश्यक बुनियादी भोजन के लिए भौतिक एवं आर्थिक दोनों रूप में उपलब्धि के आश्वासन के रूप में की है।

शोध प्रविधि – प्रस्तुत शोध पत्र में द्वितीयक संमको का प्रयोग किया गया है। शोधपत्र में प्रयुक्त विभिन्न ऐतिहासिक तथ्य व संमक विभिन्न पुस्तकों, विभिन्न आयोगों की रिपोर्ट एवं विभिन्न समाचार पत्रों से संकलित है।

उद्देश्य – प्रस्तुत शोध पत्र का उद्देश्य खाद्य सुरक्षा की समस्या को पहचानना और उसके निवारण हेतु सुझाव देना है।

भारत में खाद्य स्वावलम्बिता और खाद्यसुरक्षा – जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए अपने प्रसारण में यह साफ शब्दों में कहा : यहमने विदेशों से सहायता प्राप्त की है और हम आवश्यकता पड़ने पर ऐसा करते रहेंगे परंतु मेरे मन में अब यह बात पूर्णतया दृढ़ रूप धारण कर गई है कि अपनी मूल जरूरतों के लिए विदेशों पर निर्भर करना कितना खतरनाक है। जैसे ही हम खाद्य में आत्मनिर्भर हो जाते हैं, तभी हमारे लिए अपनी प्रगति और विकास करना संभव होगा। अन्यथा परिस्थितियों का बदस्तूर दबाव बना रहेगा, इससे संकट और दु:ख ही उत्पन्न होगा और कई बार तो लज्जा और अपमान भी सहन करना होगा।

बाद के काल में जब 1965 और 1966 में भारत में भयंकर सूखा पड़ा, तब अमेरिकी राष्ट्रपति लिंडन जॉसन ने भारत को सबक सिखाने के लिए पी0एल0480प्रोग्राम के अधीन खाद्य सहायता को मासिक आधार पर सीमित कर दिया। इसका उद्देश्य भारत को इस बात के लिए मजबूर करना था कि यह वियतनाम पर अमरिकी हमले की निंदा ना करें जिसके लिए भारत ने साफ इंकार कर दिया था।

अत: भारत सरकार ने प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में बीज पानी उर्वरक टेक्नोलॉजी को अपनाया जिसे लोकप्रिय भाषा में हरी क्रांति का नाम दिया गया। इस नीति के परिणाम स्वरूप भारत को खाद्यान्न आयात को समाप्त करने में सहायता मिली और इसके साथ-साथ अनाज की प्रति व्यक्ति उपलब्धि में भी वृद्धि हुई। भारत ने वर्ष 1976 में खाद्यान्नों में स्वावलम्बिता प्राप्त कर ली थी और इसके पश्चात भारत द्वारा अनाज का आयात नाममात्र ही रहा।

गिलबर्ट इटईन ने खाद्य के क्षेत्र में भारत के प्रयासों और उपलब्धियों की सराहना करते हुए उल्लेख किया: 'सभी प्रकार की अंधकार में एवं बेबुनियाद भविष्यवाणियों के बावजूद जोकि 1960-70 के दशक में भारत में भावी महासंकट व्याप्त होने की संभावना पर बल देती थी, आज देश को किसी वास्तविक अकाल का खतरा नजर नहीं आता।'

9वी पंचवर्षीय योजना 1997-2002 में इस बात पर बल देते हुए उल्लेख किया गया :'देश का सबसे पहला प्रयास खाद्य सुरक्षा प्रणाली का निर्माण करना था ताकि अकाल का खतरा देश से एकदम समाप्त किया जा सके। इन प्रयासों की सफलता का सबसे प्रखर परिणाम यह है कि पिछले 5 दशकों में देश में कोई अकाल या घोर भुखमरी बड़े पैमाने पर देखी नहीं गई'।

राष्ट्रीय स्तर पर खाद्यस्वावलम्बिता और खाद्य सुरक्षा– 9वी योजना (1997-2002) ने राष्ट्रीय एवं पारिवारिक स्तर पर खाद्य सुरक्षा की व्यवस्था का विवेचन किया। योजना आयोग ने उल्लेख किया : 'राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा की दृष्टि जो देश द्वारा उपभोग के लिए आवश्यक खाद्यों के लिए देशी' उत्पादन पर मुख्यत: विश्वास करती है और जो इससे ही बफर स्टॉक कायम करने पर बल देती है। उसे खाद्य स्वावलम्बिता की रणनीति ही कहा जा सकता है। इस रणनीति को भारतीय आयोजन के पहले चरण में अपनाया गया और फिर बाद में साठ के दशक के दौरान बीज, पानी और उर्वरक की टेक्नोलॉजी जिसे लोकप्रिय भाषा में 'हरी क्रांति' कहा गया,

अपनाया गया। लगातार किए गए इन प्रयासों के परिणामस्वरुप, भारत खाद्यान्नों में स्वावलम्बिता प्राप्त करने का लक्ष्य प्राप्त करने में सफल हो गया।

इसमें संदेह नहीं कि इन प्रयासों के नतीजे के तौर पर भारत अकाल और भयंकर खाद्य अभावों को दूर कर पाया, फिर भी यह कहना उचित होगा कि भारत आम जनता के सक्रिय एवं स्वस्थ जीवन के लिए खाद्य का प्रावधान नहीं कर पाया। दूसरे शब्दों में संतुलित भोजन, जिसमें अनाज दालों, सब्जियों और फलों की आवश्यक मात्रा शामिल हो, उपलब्ध कराना एवं स्वप्न मात्र ही है।

स्थानीय स्तर पर खाद्यसुरक्षा– परिवार के स्तर पर, खाद्य सुरक्षा का अभिप्राय खाद्य पदार्थों की भौतिक एवं आर्थिक पहुंच से है ताकि मात्रा गुणवत्ता और आर्थिक क्षमता के रूप में खाद्य पदार्थों की कीमतों और जनसंख्या के पास इसके लिए क्रयशक्ति का सवाल उठ खड़ा होता है। गरीब वर्गों की सहायता के लिए सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली चालू की और द्वैत कीमत प्रक्रिया की नीति अपनाई। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के केंद्रों पर खाद्य पदार्थों की 'जारी कीमत' बाजार कीमत से कब रखी गई ताकि गरीब रियायती खाद्य पदार्थ खरीद सकें।

राजनीतिक कारणों से सरकार ने सर्वव्यापक वितरण प्रणाली अपनाई, इसकी बजाय केवल गरीबों की ओर लक्षित प्रणाली कायम की जाती। परिणामत: गैर गरीब वर्गों ने इसका लाभ उठाना शुरू कर दिया और गरीब इस प्रणाली का पूरा लाभ नहीं उठा सके। सार्वजनिक वितरण प्रणाली सरकार की खाद्य सुरक्षा प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण उपकरण थी परंतु इससे इच्छित परिणाम प्राप्त नहीं किए जा सके।

9वी योजना ने स्थिति की समीक्षा करते हुए उल्लेख किया : 'बहुत तेजी से बढ़ते हुए खाद्य रियायतों के बावजूद सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से रियायित खाद्यान्नों की पूर्ति का मूल्यांकन करने से पता चलता है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली परिवार के स्तर पर खाद्य सुरक्षा में वांछित सुधार करने में सफल नहीं हुई है। राष्ट्रीय स्तर पर खाद्यान्नों में स्वावलम्बिता तो प्राप्त कर ली गई परंतु यह स्थानीय स्तर पर खाद्यान्नों को आर्थिक शक्ति के आधार पर उपलब्ध कराने में सफल नहीं हुई ताकि परिवारों को खाद्य सुरक्षा प्रदान की जा सके।'

कोविड–19 और खाद्य संकट– संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने आगाह किया कि विश्व की 7 अरब 80 करोड़ आबादी का पेट भरने के लिये दुनिया में पर्याप्त भोजन उपलब्ध है लेकिन इसके बावजूद 82 करोड़ से अधिक लोग भुखमरी का शिकार हैं।

इस वर्ष कोविड–19 संकट के कारण 4 करोड़ 90 लाख अतिरिक्त लोग अत्यधिक गरीबी का शिकार हो सकते हैं और पोषणयुक्त भोजन की कमी के शिकार लोगों की संख्या में तेजी से बढ़ोत्तारी होने की आशंका है।

यहाँ तक कि जिन देशों में प्रचुर मात्रा में भोजन उपलब्ध है, वहाँ भी खाद्य आपूर्ति शृंखला में व्यवधान पैदा होने का जोखिम दिखाई दे रहा है।

खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु सरकार के प्रयास –

प्रायोगिक पोषण प्रोजेक्ट: प्रायोगिक पोषण प्रोजेक्ट 1963 में चालू किया गया जिसका उद्देश्य संरक्षित खाद्य पदार्थों जैसे सब्जियों और फलों के उत्पादन को प्रोन्नत करना तथा यह सुनिश्चित करना था कि इसका सेवन गर्भवती और दूध पिलाने वाली स्त्रियां करें।

विशेष पोषण प्रोग्राम: विशेष पोषण प्रोग्राम 1970 में आरंभ किया गया जिसका उद्देश्य था गर्भवती स्त्रियों और दूध पिलाने वाली माताओं को 500 किलो कैलोरी और 25 ग्राम प्रोटीन उपलब्ध कराना और बच्चों को 300 किलो कैलोरी और 10 ग्राम प्रोटीन सप्ताह में 6 दिन उपलब्ध कराना।

समन्वित बाल विकास सेवा योजना – यह योजना 1975 में चालू की गई और इसका उद्देश्य बच्चों एवं गर्भवती स्त्रियों एवं दूध पिलाने वाली माताओं को खाद्य सहायता उपलब्ध कराना था। 'पिछले दो दशकों के अनुभव से पता चलता है कि सबसे जरूरतमंदों को कई बार यह सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती और जब वह हो भी पाती है तो यह अधिकतर के लिए अनुपूरक की अपेक्षा प्रतिस्थापक का कार्य करती है।' 1996 के समन्वित बाल विकास सेवा प्रोग्राम में, देश के 4200 ब्लॉकों को और इसके साथ 5.92 लाख आंगनबाड़ियों तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया। इसके परिणामस्वरूप, लाभ प्राप्तकर्त्ताओं की संख्या 185 लाख बच्चों और 37 लाख माताओं तक पहुंच गई।

दोपहर के भोजन का प्रोग्राम – दोपहर के भोजन का प्रोग्राम 2–14 वर्ष की आयु के बीच बालवाड़ी/स्कूलों में जाने वाले बच्चों के लिए आरंभ किया गया इस पर 44 से 90 पैसे प्रति लाभप्राप्तकर्त्ता खर्च करने का निर्णय किया गया। यह प्रोग्राम उन बच्चों के लिए नहीं है जो स्कूल नहीं जाते हैं। इस प्रोग्राम को अब नया नाम दिया गया है – प्राथमिक शिक्षा के लिए पोषण सहायता और इसे 1975 के बाद प्राथमिक शिक्षा स्तर पर 4480 ब्लाकों में सर्वव्यापक रूप में लागू किया गया जा रहा है। मार्च 1997 तक लगभग 6 करोड़ स्कूलों में बच्चे इस प्रोग्राम के अधीन लाए गए। जबकि दोपहर के भोजन का प्रोग्राम तमिलनाडु, कर्नाटक और दक्षिण के अन्य राज्यों में सफल हुआ है।

बाजार में खाद्यान्न की उपलब्धता– सर्वप्रथम बाजार में खाद्यान्न की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी। इसके लिये कृषि विपणन स्थलों में सुधार करने की आवश्यकता है। सरकार द्वारा पूर्व में कई महत्त्वपूर्ण सुधार किये गए हैं, जो इस प्रकार हैं–

- मॉडल एग्रीकल्चर लैंड लीसिंग एक्ट 2016 राज्यों को जारी किया गया, जो कृषि सुधारों के संदर्भ में अत्यंत ही महत्त्वपूर्ण कदम है जिसके माध्यम से न सिर्फ भू–धारकों वरन् लीज प्राप्तकर्त्ता की जरूरतों का भी ख्याल रखा गया है।
- राष्ट्रीय कृषि मंडी स्कीम (ई–नाम) के तहत बेहतर मूल्य सुनिश्चित करके, पारदर्शिता और प्रतियोगिता के माध्यम से कृषि मंडियों में क्रांति लाने की एक नवाचारी मंडी प्रक्रिया प्रारंभ की गई।
- सरकार ने मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एंड सर्विसेज एक्ट, 2018 जारी किया है जिसमें पहली बार देश के अन्नदाता किसानों तथा कृषि आधारित उद्योगों को जोड़ा गया है।

लोगों की खाद्यान्न तक पहुँच सुनिश्चित करना:

- खाद्यान्न तक पहुँच बेहतर क्रय शक्ति पर निर्भर करती है। कृषक के अतिरिक्त प्रत्येक को बाजार से खाद्यान्न क्रय करना पड़ता है। इस वैश्विक महामारी के दौरान आर्थिक गतिविधियाँ बाधित होने से लोगों की पास धन का संकट है, परंतु मनरेगा जैसी योजना के कारण लाखों लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है जिससे उनकी पहुँच खाद्यान्न तक सुनिश्चित हो पाई है।
- इसके अतिरिक्त सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम को सरकार द्वारा दी गई प्रोत्साहन राशि से पुनर्जीवित किया जा सकता है, जो व्यापक पैमाने पर रोजगार का सृजन करेगा।

- इस संकट के दौरान सरकार के द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से जरूरतमंद प्रत्येक व्यक्ति को अतिरिक्त राशन भी उपलब्ध कराया गया है।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम व सार्वजनिक वितरण प्रणाली में निर्धारित खाद्य उत्पादों के अतिरिक्त बाजरा, दाल व तेल जैसे अन्य खाद्य उत्पादों को भी शामिल करना चाहिये।

भोज्य पदार्थों का अवशोषण:

- खाद्य सुरक्षा का तीसरा आयाम है शरीर में भोजन का अवशोषण तथा उसका समुचित उपयोग।
- भोजन का अवशोषण और उपयोग सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं सहित स्वच्छता, पीने योग्य जल और अन्य गैर-खाद्य कारकों पर महत्तवपूर्ण ढंग से निर्भर है।
- कोविड-19 संक्रमण के कारण बार-बार हाथों को धुलने से ग्रामीण व शहरी दोनों ही क्षेत्रों में स्वच्छ पीने योग्य जल की कमी महसूस की जा रही है।

खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु सरकार के अन्य प्रयास-

राष्ट्रीय कृषक नीति : खाद्य सुरक्षा के स्तर को बनाए रखने के लिये राष्ट्रीय कृषक नीति को लागू किया गया। इस नीति के अंतर्गत न्यूनतम समर्थन मूल्य कार्यप्रणाली को प्रभावी रूप से क्रियान्वित करना, कृषि उत्पादों को लाभकारी मूल्य प्रदान करना, किसानों को वित्तीय सहायता उचित ब्याज दर पर उपलब्ध कराना, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की सहायता से ग्राम-स्तर पर चौपाल और फर्म, स्कूल स्थापित करना तथा यह सुनिश्चित करना कि किसानों के पास उत्पादन के लिये साधन उपलब्ध है कि नहीं, अच्छी गुणवत्ता के बीज का प्रयोग बढ़ाना आदि क्रियाएँ भी क्रियान्वित करना इस नीति में शामिल हैं।

खाद्य सब्सिडी योजना : खाद्य सुरक्षा के लिये सरकार समय-समय पर खाद्य सब्सिडी जारी करती है ताकि खाद्य संकट पैदा न हो।

राष्ट्रीय वर्षापोषित क्षेत्र प्राधिकरण की स्थापना - खाद्य सुरक्षा की कल्पना को साकार करने के लिये राष्ट्रीय वर्षा पोषित क्षेत्र प्राधिकरण की स्थापना की गई। इस प्राधिकरण का उद्देश्य खाद्य सुरक्षा की स्थिति बरकरार रखने के लिये वर्षा पोषित क्षेत्रों की समस्या पर पूरा ध्यान देना तथा भूमिहीन और छोटे किसानों से संबंधित समस्याओं पर भी ध्यान केन्द्रित करना है जिससे खाद्यान्न उत्पादन में कमी न हो।

खाद्य सुरक्षा की वैकल्पिक विधियाँ-

(1) खाद्यान्न कूपन प्रणाली : सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने के लिये निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले प्रत्येक परिवार को खाद्यान्न कूपन देकर उसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों पर मुद्रा के स्थान पर स्वीकार किया जाना चाहिये। ऐसी दुकानों पर गेंहूँ-चावल की बिक्री प्रचलित बाजार मूल्य पर होनी चाहिये, परिणामस्वरूप भ्रष्टाचार की संभावना कम होगी। इस कूपन प्रणाली में सही सफलता तभी प्राप्त होगी जबकि निर्धनों की पहचान के लिये विशिष्ट पहचान संख्या लागू की जाए।

(2) बहु-उपयोगी स्मार्ट कार्ड : प्रौद्योगिकी विकास के साथ-साथ बहु-उपयोगी स्मार्ट कार्ड व्यवस्था अस्तित्व में आई है। इन कार्डों के माध्यम से विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन को सरल बनाया जा सकता है। इस प्रकार यदि सभी अर्ह परिवारों की पहचान, अधिकृत लेन-देन की जानकारी तथा प्राप्त खाद्यान्न की मात्रा आदि का विवरण ऑन-लाइन उपलब्ध हो तो खाद्यान्न के निर्गम के समय इसकी पुष्टि की जा सकती है। विवरण की जानकारी भी ऑन-लाइन हो जाने से कार्यक्रम की प्रगति भी आसान हो जाएगी।

(3) वेब आधारित प्रणाली : सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत एक ऐसी वेबसाइट विकसित की जा सकती है जिस पर प्रत्येक लाभार्थी परिवार जो भोजन पाने का अधिकार कानून के तहत खाद्यान्न की एक निर्धारित मात्रा रियायती मूल्य पर पाने का हकदार है, का विवरण उपलब्ध हो। इसके अलावा इसकी जाँच वितरण केंद्र पर अधिकारियों एवं लाभार्थी परिवार के मुखिया द्वारा कभी भी की जा सकती है।

(4) बफर स्टॉक बढ़ाना अत्यावश्यक : सार्वजनिक वितरण प्रणाली में खाद्यान्नों, दालों, चीनी इत्यादि वस्तुओं के भंडारण व आयात का पूर्वानुमान लगाकर बफर स्टॉक बनाए जाने की रणनीति तैयार की जानी चाहिये जिससे भ्रष्टाचार और जमाखोरी को रोका जा सके।

कमियां- पिछले 50 वर्षों के दौरान, मर्यादित और घोर अल्प पोषण में काफी कमी हुई है और जनसंख्या के सभी वर्गों के पोषण स्तर में कुछ उन्नति हुई है।फिर भी देश के विभिन्न भागों में ऊर्जा अभाव के कुछ रूप कायम हैं। महाराष्ट्र और उड़ीसा के जनजातीय क्षेत्रों में बच्चों और बुजुर्गों में कुपोषण और विस्तृत भुखमरी भी पाई जाती है, इसका बुनियादी कारण क्रय शक्ति का अभाव है।जिनमें अल्प पोषण की समस्या पाई जाती है उनमें हैं -

1. गर्भवती और दूध पिलाने वाली स्त्रियां।
2. एक-तिहाई नवजात बच्चे जिनका जन्म पर वजन 2.5 किलोग्राम से कम है।
3. विटामिन-ए के कम तीव्ररूपों का विद्यमान होना जिनके कारण कुछ व्यक्तियों में अंधापन भी हो सकता है।
4. आयोडीन-युक्त नमक की सर्वव्यापक उपलब्धि प्राप्त नहीं की जा सकी और इसके परिणामस्वरूप बहुत सी विकृतियों में महत्वपूर्ण कमी नहीं हो सकी।
5. रक्त-क्षीणता विद्यमान है और इसकी तीव्रता को कम नहीं किया जा सका और लौह-अभाव के कारण स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों में कभी नहीं हुई।

सुझाव- परिवार के स्तर पर खाद्य सुरक्षा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित दिशाओं में कार्य करना होगा -

1. खाद्य एवं कृषि क्षेत्र के विकास को त्वरित करना जोकि खाद्य के लिए प्रत्यक्ष साधन और आय प्रदान करते हैं जिनसे खाद्य पदार्थ खरीदे जा सकें।
2. ऐसे ग्राम विकास को प्रोन्नत करना जो गरीबों पर केंद्रित हो।
3. भूमि तथा अन्य प्राकृतिक साधनों तक पहुंच को प्रोन्नत करना।
4. गरीब परिवारों को सस्ती ब्याज दर पर उधार उपलब्ध कराना।
5. रोजगार अवसरों का विस्तार करना।
6. आय हस्तांतरण योजना को चालू करना जिस में सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा रियायती कीमतों पर खाद्य उपलब्ध कराना शामिल है।
7. खाद्य पूर्ति और खाद्य कीमतों को स्थिर करना।
8. प्राकृतिक विपत्तियों जैसे सूखे, बाढ़, भूकंप आदि के दौरान खाद्य सहायता उपलब्ध कराने के लिए आपातकालीन तैयारी में सुधार करना।

निष्कर्ष- कोविड-19 संक्रमण के दौरान भारत स्वास्थ्य चुनौतियों के अतिरिक्त जिन चुनौतियों का सामना कर रहा है, उनमें से खाद्य सुरक्षा की चुनौती सबसे प्रमुख चुनौतियों में से एक है। तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या,

बढ़ते खाद्य मूल्य और जलवायु परिवर्तन का खतरा ऐसी चुनौतियाँ है जिनसे युद्ध स्तर पर निपटे जाने की आवश्यकता है।

स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि 'जो व्यक्ति अपना पेट भरने के लिये जूझ रहा हो उसे दर्शनवाद नहीं समझाया जा सकता है।' यदि भारत को विकसित राष्ट्रों की सूची में शामिल होना है, तो उसे अपनी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी।

संदर्भ ग्रन्थ सूची :-

1. योजना आयोग, नवी पंचवर्षीय योजना (1997-2002)
2. भारत सरकार, आर्थिक समीक्षा (2011-2012)
3. भारत सरकार, आर्थिक समीक्षा (2019-2020)
4. विश्व विकास रिपोर्ट, 1986
5. राष्ट्रीय पोषण निगरानी बोर्ड, 1975-80
6. दत्ता एवं सुन्दरम, भारतीय अर्थव्यवस्था, एस0 चन्द पब्लिकेशन
7. केंद्रीय बजट, 2017-18
8. द हिंदू, मार्च 2020
9. द इकनोमिक टाइम्स, अप्रैल 2020

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
October to December 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVI

भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की भूमिका

डॉ. विनोद राय *

* सहायक प्राध्यापक (इतिहास) शासकीय महाविद्यालय, डोलरिया, जिला- होशंगाबाद (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं ने बहुमूल्य योगदान दिया है। जिस प्रकार प्राचीन काल से ही पुरुषों के समान कंधे से कंधा मिलाकर इतिहास में नजर आती हैं वैसे ही स्वतंत्र संग्राम की प्राप्ति में हर आंदोलन में महिलाओं की भूमिका दिखाई देती है। क्योंकि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की प्रकृति मूलत: पुरुषवादी थी। संभव यही कारण से राष्ट्रीय संग्राम पर लिखे लेखों, किताबों में महिलाओं को वह सम्मान नहीं मिल सका, जिसकी वे हकदार थी। स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं ने अपनी घरेलू जिम्मेवारी के साथ-साथ स्वतंत्रता आंदोलन की गतिविधियों में भाग लेकर अपना अदम्य साहस वीरता का परिचय देकर संघर्ष किया।

महात्मा गांधी जी ने भी यह स्वीकारा कि हमारी मां-बहनों के योगदान के बिना स्वतंत्रता संघर्ष संभव नहीं था। पुरुषवादी समाज में ऐसी कौन सी परिस्थितियां थी जिनमें महिलाएं अपने घर से निकलकर 1857 के युद्ध में तलवार उठा लेती है तथा इसके बाद भी अन्य सभी स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाती है।

1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई और बेगम हजरत महल के अदम्य साहस को देखा गया जो अपने परिवार एवं वंश, उत्तराधिकार के लिए अंग्रेजों के सामने तलवार लेकर खड़ी उठती है तथा विद्रोह को नेतृत्व प्रदान करती है। सन 1857 की क्रांति के बगावत में राजसी महिलाएं स्वतंत्र भारत की स्थापना के लिए पुरुषों के साथ एकजुट हुई। सर ह्यूरोज ने झांसी की रानी के साहस पराक्रम को देखकर कहा भी था कि 'सैनिक विद्रोह के नेताओं में महारानी लक्ष्मीबाई सर्वाधिक बहादुर एवं सर्वश्रेष्ठ थी' तथा 'विद्रोहियों में रानी लक्ष्मीबाई को एकमात्र मर्द कहा था।'

1857 के महान विद्रोह को ही भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है। जिसमें अंग्रेजी हुकूमत की जड़ें हिला डाली थी। महान संग्राम में रानी लक्ष्मीबाई बेगम हजरत महल के अलावा वीरांगना झलकारी बाई तथा उनका दुर्गा दल जिसमें काशीबाई, दुर्गाबाई तथा मोतीबाई जैसी वीरांगना शामिल थी जिन्होंने वीरगति को प्राप्त किया एवं रानी अवंती बाई, रानी द्रोपदी, रहीमी, उद्रादेवी, अजीजन बेगम, आशा देवी 1 जैसी वीरांगनाओं ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भूमिका निभाई तथा पुरुषों के समान कंधे से कंधा मिलाकर आंदोलन में भाग लिया।

1857 के विद्रोह से शुरू होकर 1947 तक भारत की आजादी तक के बीच कई राष्ट्रीय आंदोलनों में भाग लेने में महिलाएं पुरुषों के साथ मिलकर लड़ी। रानी लक्ष्मीबाई, कस्तूरबा गांधी, राजकुमारी अमृता कौर, अरूणा आसफ अली, सरोजिनी नायडू दुर्गाबाई देशमुख, एनी बेसेंट जैसी अनेक महिलाओं का राष्ट्रीय आंदोलन में अदम्य साहस अन्य भारतीय महिलाओं के लिए भी प्रेरणा स्रोत बना। राष्ट्रीय आंदोलनों में भाग लेने वाली महिलाएं किसी एक वर्ग विशेष की नहीं रही बल्कि प्रत्येक समाज प्रत्येक वर्ग से थी शिक्षित धनी वर्ग की महिलाओं के साथ-साथ ग्रामीण पृष्ठभूमि की महिलाओं ने भी देश की आजादी की लड़ाई लड़ी। गांधीजी प्रत्येक आंदोलन में महिलाओं की सक्रिय भूमिका रखते थे। उनके अनुसार 'स्त्री अहिंसा की प्रतिमूर्ति है अहिंसा का अर्थ है असीम प्रेम और उसका तात्पर्य है असीमित कष्ट सहने की क्षमता और यह क्षमता पुरुषों की जननी स्त्री के अतिरिक्त और किस में सर्वाधिक है?' गांधीजी अपने आंदोलनों, भाषण तथा सभाओं में महिलाओं को देवियों और वीरांगनाओं की तरह असीम शक्ति बताकर हिम्मत से हौसले के साथ भागीदारी बनाते थे। महिलाओं को विश्वास दिलाते थे कि आंदोलन को उनके योगदान की जरूरत है गांधीजी ने भारत की असंख्य महिलाओं की आंतरिक शक्ति का आह्वान करते हुए उन्हें जागृत किया उसी प्रेरणा से महिलाएं भी घर की चारदीवारी से निकलकर स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़ी। गांधीजी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे उनका मानना था कि यदि 'अहिंसा ही हमारे जीवन का मूल सिद्धांत है तो भविष्य स्त्रियो के ही हाथों में है।' गांधीजी की प्रेरणा से ही महिलाओं ने सदैव राष्ट्रीय आंदोलनों में बढ़-चढ़कर भाग लिया।

असहयोग आंदोलन में महिलाएं – असहयोग आंदोलन में वृहद मात्रा में महिलाओं ने भाग लिया। 1920-21 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत में महिलाओं ने स्वादेशी वा बहिष्कार से संबंधित अभियान में भाग लिया। सैकड़ों महिलाएं चरखे बेचने एवं खादी बेचने गली-गली गयी। विदेशी वस्त्रों की होलीयां जलाई। गांधीजी के संदेश से चरखे से खादी बनाने पर महिलाओं ने बड़े पैमाने पर खादी बनाकर आमदनी की तथा पुरुषों ने भी इस कार्य में सहयोग शुरू कर दिया। 1921 के कांग्रेस अधिवेशन में 144 महिलाओं ने प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया।2 1930 के दौर में अली बंधुओं की मां बी अम्मा ने कई महत्वपूर्ण नगरों में दौरा कर हिंदू-मुस्लिम एकता को प्रेरणा दी इनके अतिरिक्त कस्तूरबा गांधी, ऐनी बेसेन्ट तथा सरोजिनी नायडू जैसी महिलाओं ने कांग्रेस कार्यकारिणी में उपस्थिति दर्ज कराई तथा कांग्रेस में विभिन्न कार्यों में योगदान दिया। असहयोग आंदोलन की प्रगति में गांधीजी के प्रयासों से जगह-जगह महिलाओं ने घूमकर ब्रिटिश सरकार के अनुचित कानूनों का विरोध किया, मुंबई में राष्ट्रीय स्त्री सभा का गठन किया जो खादी प्रचार-प्रसार विक्रय के साथ-साथ जनकल्याणकारी कार्यों में लग गई। उच्च से निम्न सभी वर्गों की महिलाओं ने साथ में आंदोलन में भाग लिया। महिलाओं ने खादी चरखे जैसे रचनात्मक कार्यों में भाग लेकर सरकारी विद्यालयों तक का बहिष्कार किया। महिलाओं ने नवंबर 1921 में प्रिंस

ऑफ वेल्स का जोरदार विरोध किया।3 दिसंबर 1921 में कोलकाता में असहयोग आंदोलन के समर्थन में खुलेआम प्रदर्शन कर रहे चितरंजन दास की बहन उर्मिला देवी, पत्नी बसंती देवी तथा भतीजी सुनीति को जेल हो गई थी अंतरराष्ट्रीय महिला सम्मेलन में कमलादेवी चट्टोपाध्याय ने भारत का प्रतिनिधित्व कर तिरंगा लहराया था।

सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाएं – सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी के नेतत्व में 12 मार्च 1930 दांडी यात्रा से हुई थी। इस आंदोलन में महिलाओं ने अपनी प्रबल रूप से भागीदारी सुनिश्चित की। इस आंदोलन अंग्रेजों के विभिन्न कानून यथा नमक कानून, वन अधिनियम, कर कानूनों आदि को तोड़ना एवं अंग्रेजों के एकाधिकार को चुनौती देने के लिए सविनय अवज्ञा का रास्ता गांधी जी द्वारा अपनाया गया। गांधी जी की दांडी यात्रा में विभिन्न सभाओ में महिलाओं की सर्वाधिक हिस्सेदारी रही। महिलाओं ने गांधी जी के साथ ही भारत के विभिन्न क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में नमक बनाने से लेकर विक्रय तक का कार्य किया एवं अंग्रेजों के दमन के दौरान लगभग 17000 महिलाओं को जेल भी भेजा गया।4 1930 के आंदोलन में पहली बार महिलाओं को पुलिस दमन का सामना करना पड़ा।

1920-30 के दौरान ही विभिन्न आंदोलनों में महिलाओं की सहभागिता की पृष्ठभूमि तैयार हो चुकी थी। महिलाओं ने कई संगठनों का निर्माण किया जो निरंतर लामबंदी, जुलूस, प्रभात फेरी, धरना के साथ-साथ चरखा प्रशिक्षण, खादी विक्रय आदि कार्य में संलग्न रही।

12 वर्ष की इंदिरा 'प्रियदर्शनी' ने बच्चों को लेकर एक चरखा संघ, वानर सेना का गठन किया जिसका उद्देश्य सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय भागीदारी एवं उसे एक ठोस आधार प्रदान करने हेतु किया गया था। 21 मई 1930 को धरसाणा में सरोजिनी नायडू एवं लगभग 2000 कार्यकर्ताओं पर पुलिस कार्रवाई के दमन की कार्यवाही से राष्ट्रीय स्तर पर ब्रिटिश विरोध देखने को मिला।

भारत छोड़ो आंदोलन में महिलाएं – भारतीय स्वतंत्रता के अनुशासित सिपाही की तरह ही महिलाओं ने भारत छोड़ो आंदोलन में अपनी सक्रिय भूमिका निभाई। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में हजारों की संख्या में महिलाओं ने भाग लिया, महिलाओं ने पुरुषों के समान गरम व अहिंसक दोनों तरीके का आंदोलन में प्रयोग किया। गांधी जी ने 'करो या मरो' के नारे के साथ महिलाओं के विशेष भागीदारी पर जोर दिया। भारत छोड़ो आंदोलन के दमनकारी कार्यों में गांधीजी सहित कई नेताओं की गिरफ्तारी के साथ ही महिलाओं ने आंदोलन की जिम्मेदारी अपने हाथों में ले ली। इससे पूर्व भी महिलाओं को आत्मरक्षा के लिए प्रशिक्षण दिए गए थे बारीसाल में महिलाओं को लाठी चलाने का प्रशिक्षण आत्मरक्षा हेतु दिया गया। महिलाओं ने व्यापक पैमाने पर धरना-प्रदर्शन, हड़ताल, सभाएं और कानून तोड़े। त्रिपुरा, पटना, हुगली आदि स्थानों पर महिलाओं ने प्रदर्शनी लगाई, प्रभात फेरी, पोस्टर प्रदर्शनी लगाई।5 1940 तक सभी महिला आंदोलन, स्वाधीनता आंदोलन में समाहित हो गए थे। भारत छोड़ो आंदोलन में असम की कनकलाता बरूआ, सुचेता कृपलानी, सरोजिनी नायडू, पद्मजा नायडू (सरोजिनी नायडू की पुत्री), उषा मेहता, अरूणा आसफ अली आदि महिलाओं ने सक्रिय भूमिका निभाई।

निष्कर्ष – इस प्रकार भारत के संपूर्ण स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं के महत्वपूर्ण योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। 1857 की क्रांति से चिंगारी की शुरुआत से ही महिलाओं ने असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेकर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख सेनानायक एवं सहभागी बनी है।

राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं ने देशभक्ति वा विदेशी शासन से मुक्ति के भाव से प्रेरित होकर राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों को अपने घरेलू जिम्मेदारियों के साथ निभाया, अपने देश मातृभूमि के प्रति प्रेम के कारण महिलाओं ने सजगता से आंदोलनों में भाग लिया। गांधी जी ने महिलाओं को घरों से बाहर निकलकर राष्ट्रीय आंदोलनों में शामिल होने का आह्वान किया यद्यपि महिलाओं ने समस्त आंदोलन में योगदान दिया लेकिन महिला अधिकारों पर उन्हें लाभ ना मिल सका। कुछ महिलाओं ने इसे मुद्दा जरूर बनाया परंतु राष्ट्र वादियों ने परंपरा से हटकर उनकी स्थिति में परिवर्तन लाने का भी नहीं सोचा। इस प्रकार महिलाओं की सशक्त एवं प्रभावशाली योगदान के बाद पुरुषों की महिलाओं के प्रति सोच में परिवर्तन नहीं आ सका यथा महिलाओं ने राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया और आज भी आजादी के 75 वर्षों बाद पुरुषों की परंपरावादी मानसिकता में बदलाव देखने को नहीं मिलता है। राष्ट्रीय आंदोलन में सरला देवी चौधरी, सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी आदि महिलाओं ने समान अधिकार, चुनाव में महिलाओं की भूमिका के लिए भी संघर्ष किया किंतु राष्ट्रीय आंदोलनों में कभी भी नेताओं ने लैंगिक समानता का मुद्दा नहीं उठाया ना ही नारी स्थिति को चुनौती दी, नेताओं ने नारी उत्पीड़न पर भी ध्यान नहीं दिया। 1947 की आजादी राजनीतिक रूप से तो थी परंतु महिलाएं अभी भी उपेक्षित रही महिलाओं में पंडिता रमाबाई ने ब्राह्मणवादी पितृसत्तात्मक परंपरा पर सवाल जरूर उठाएं परंतु उनका प्रभाव या प्रयास सफल नहीं हो सका। इस प्रकार, महिलाओं ने पितृसत्तात्मक जकड़न के बावजूद राष्ट्रीय आंदोलनों में अपनी हिस्सेदारी का निर्वहन मजबूती से किया।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. आनंद सी.एल., एन इंट्रोडक्शन टू दी हिस्ट्री ऑफ गवर्मेंट इन इंडिया, बॉम्बे ,1960
2. कीथ, स्पीचेस एंड डाक्यूमेंट्स इंडियन पालिसी, वॉल्यूम 1, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, लंदन, 1922
3. राय हेमचन्द्र, डाईनैस्टिक हिस्ट्री ऑव नार्दन इंडिया, कलकत्ता, 1972
4. फड़िया बी.एल., भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन एवं संवैधानिक विकास, भोपाल, 1990
5. पाण्डे, श्रीनेत्र, आधुनिक भारत का इतिहास, भाग 1 एवं 2, इलाहबाद, 1988

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
October to December 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVI

भील जनजतीय समाज में वधू-मूल्य से जुडी पंरम्परा

डॉ. मनीषा आमटे *

*** सहायक प्राध्यापक, शासकीय महाविघालय, बिछुआ, जिला छिन्दवाडा (म.प्र.) भारत**

प्रस्तावना – परंपरा एक सामाजिक व्यवहार है। इसके अंतर्गत धर्म, विधियाँ, प्रतीकात्मक व्यवहार, जनरीतियाँ, रूढियाँ कला आदि सम्मिलित है। यह समाज एवं व्यक्तियों के व्यवहार को मानक एवं मूल्य प्रदान करती है। यह निरंतर चलने वाली एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक पीढी दूसरी पीढी को ज्ञान और विचार रूपी अपनी धरोहर सौंपती जाती है। हस्तांतरण की इस प्रक्रिया में परंपराएँ समयानुसार परिवर्तित होती है।

जनजातीय परंपराएं उनकी अपनी संस्थाओं और संस्कृति के ऐतिहासिक तर्क और बौद्धिक प्रासंगिकता के लिहाज से महत्वपूर्ण है। परंपराएं जनजातीय संस्कृति को एक ऐसी अन्विति के रूप में आकार प्रदान करती है जिसमें उनके जीवन और यथार्थ की पुर्नरचना होती है।

अन्य समुदायों की तुलना में जनजातीय समुदाय विवाह संबंधित परंपराओं की दृष्टि से अधिक समृद्ध है। धाधरी उढणी भील जनजाति की एक महत्वपूर्ण परंपरा है जिसका संबंध जनजातीय विवाह की पद्धति क्रय विवाह से है। यह परंपरा तब क्रियाशील होती है जब विवाह योग्य भील युवक वधूमूल्य चुकाने में असमर्थ होता है वधूमूल्य जनजातीय विवाह के लिए एक अनिवार्य शर्त है। इसमें विवाह करने के इच्छुक लडके के माता-पिता को निर्धारित वधूमूल्य चुकाना पडता है। यह विश्व की अनेक जनजातियों में सर्वाधिक प्रचलित प्रथा है। सर्वश्री हॉबहाउस, हीलर तथा जिन्सवर्ग के एक विस्तृत अध्ययन से ज्ञात होता है कि 434 जनजातियों में से 303 जनजातियों में इस प्रथा का प्रचलन है। प्रो. मुरडॉक का कथन है कि प्राय: 50 प्रतिशत जनजातीय समाजों में इस प्रकार के विवाह का प्रचलन पाया जाता है।[1]

अफ्रीका की प्राय: सभी जनजातियों में यह विवाह प्रथा पाई जाती है। इण्डोनेशिया की पितृसत्तात्मक जनजातियों में विवाह काफी लोकप्रिय है। दक्षिण पश्चिमी साइबेरिया की किरजी जनजाति में वधूमूल्य बढाते जाना ही कुलीनता है। फलत: इस समाज में वधूमूल्य इतना अधिक होता है कि कोई भी पुरूष एक अधिक विवाह करने की बात सोचने का साहस तक नहीं करता। न्यूगिनी की काई जनजाति में एक पति को अपनी पत्नी के साथ यौन संबंध स्थापित करने का तब तक कोई अधिकार नहीं होगा जब तक यह वधूमूल्य न चुका दे इतना ही नही वधूमूल्य न देने तक पत्नि पति के घर नहीं जाती और अपने ही परिवार की सदस्य बनी रहती है। भारत की भी सभी जनजातियों में इस प्रकार की विवाह प्रथा प्रचलित है विशेषकर भील, भिलाला, संथाल, हो, औरांव, खरिया, आगा नागा, कुकी आदि जनजाति में। कुछ भारतीय जनजातियों में वधु मूल्य के आर्थिक पक्ष पर विशेष बल नहीं दिया जाता जैसे रेशमा या नागा तय किये वधूमूल्य से प्राय: दस रूपये कम लेते है। इसके विपरीत हो जनजाति में इसका इतना अधिक प्रचलन है कि इसे देने की सामर्थ बहुत काम जनजातीय सदस्यों में होती है। इन परिस्थितियों में जनजातियों के अनेक सदस्यों के लिए जीवन साथी प्राप्त करना असंभव सा होता है।समाज में विचलन की स्थिति उत्पन्न न हो इस हेतु जनजातीय समुदाय ने विकल्प तलाशे। इन्हीं में एक विकल्प भील भिलाला समुदाय की 'धाधरी उढणी' है।

विवाह की इस परंपरा में 'दापा' (वधूमूल्य) चुकाने में असमर्थ युवक का पिता 'धाघरी उढणी' लेकर युवती के पिता के घर पहुँचता है। वह युवती के पिता को वचन देता है कि वह वर्तमान में वधू मूल्य चुकाने में असमर्थ है, उसके द्वारा 'धाघरी उढणी' पहनाकर अपनी पुत्री को विदा करें। भविष्य में यह वधूमूल्य चुकाकर विधिवत तरीके से अपने पुत्र का विवाह उनकी पुत्री से कराऐगा। वधू-पक्ष के आश्वस्त होने के पश्चात युवती का पिता युवती को वर पक्ष द्वारा लाई 'धाघरी उढणी' पहनाकर बिना विधिवत विवाह के अपनी पुत्री के विदा कर देता है

घाघरी उढणी पंरपरा के तहत लाई गई वधू को परिवार में वही सम्मान व स्थान प्राप्त होता है जो कि विधिवत विवाह कर लाई वधू जिसे भील लाडी कहते है, प्राप्त होता है। धार्मिक व सामाजिक कार्यो में अपने पति के साथ सहभागिता के अतिरिक्त वह गृहस्य जीवन के समस्त कार्य वैसे ही संपन्न करती है जैसे लाडी (विवाहिता वधू) के द्वारा सम्पन्न किया जाता है। जब पूर्व वचनानुसार वर पक्ष द्वारा वधू पक्ष को निर्धारित दापा (वधू मूल्य) प्रदान कर दिया जाता है तब भील जनजातीय सदस्यों के समक्ष युवक-युवती का विवाह विधिवत सम्पन्न कराया जाता है। संतानों को अपने माता-पिता के विवाह का प्रत्यक्षदर्शी नही बनाया जाता है।[2] इस तरह घाघरी उढणी परंपरा निम्न आर्थिक परिस्थिति वाले युवकों को जीवन साथी प्राप्त करने का माध्यम बनती है साथ ही यह वधू पक्ष को आशबस्त करती है उसे कि भविष्य में करने वधू मूल्य प्राप्त होगा।

स्पष्ट है कि वधू मूल्य जनजातीय विवाह का एक आवश्यक अंग है और इसे चुकाए बिना विधिवत विवाह नही हो सकता। आधुनिक संदर्भ में प्रथम दृष्टता यह स्त्री के दासत्व का प्रतीक लगता है कि विवाह के समय स्त्री को बेचा व खरीदा गया किन्तु जनजातीय संदर्भ इसे अलग दृष्टि प्रदान करते है एक पारिवारिक सदस्य के नाते युवती की परिवार में उपयोगिता होती है। विवाह के पश्चात वधु पक्ष इस उपयोगिता से वंचित हो जाता है। अत: वधु पक्ष द्वारा यह आशा या मांग की जाती है कि वर पक्ष उस युवती के

जाने से हुए नुकसान का हर्जाना कन्या पक्ष को देगा। श्री राबर्ट लोई ने अपनी पुस्तक Primitive society में इस बात पर बल दिया है कि वधु मूल्य स्त्रियों की उपयोगिता का प्रतीक है। युवती के माता पिता दूसरे को अपनी कन्या देने से होने वाले नुकसान का हर्जाना वधु मूल्य के रूप में प्राप्त करते है तथा इसके द्वारा दोनों परिवारों के बीच आर्थिक संबंधों को दृढ किया जाता है।[3] वधु- मूल्य से दो परिवारों के बीच न केवल सामाजिक या वैवाहिक संबंध स्थापित होता है बल्कि सहयोग की भावना का भी निर्माण होता है यह कठिन आदिम जीवन को सरल बनाने में सहयोगी होता है ।

जनजातीय विवाह की परंपराओं में वधु मूल्य एक विशिष्ट परंपरा है। यह अवश्य ही सभ्य समाज के लिए मनोरंजन एवं आश्चर्य का विषय है किन्तु यह एक सामान्य नियम है कि सामाजिक सांस्कृतिक जीवन का कोई भी पक्ष जो हमारे अपने प्रचलन से भिन्न होता है उसे अक्सर हम एक मनोरंजक विषय के रूप में देखते है जबकि प्रत्येक समाज की समाजिक संस्थाओ का विकास उसकी अपनी आवश्यकताओं, भौगोलिक दशाओं तथा मूल्यो के अनुसार होता है। अत: यह आवश्यक है कि जनजातीय समुदाय में वधु मूल्य के बारे में एक सही दृष्टिकोण अपनाकर उसमें संबंधित विभिन्न मान्यताओं और प्रचलन को समझा जाए।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. मुखर्जी, डॉ रवीन्द्र नाथ : सामाजिक मानवशास्त्र की रूपरेखा, विवेक प्रकाशन दिल्ली, पृ.153
2. पाण्डेय, शिव कुमार : जनजाती विवाह में वधु धन से जुडी महत्वपूर्ण परम्परा , बुलेटिन V 56, विरूद्ध आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्था, म.प्र. शासन पृ-7
3. मुखर्जी, डॉ रवीन्द्र नाथ : सामाजिक मानवशास्त्र की रूपरेखा, विवेक प्रकाशन दिल्ली,पृ-51

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
October to December 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVI

राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर - असम राज्य के विशेष संदर्भ में

डॉ. जयप्रकाश व्यास *

* करियर कॉलेज ऑफ लॉ, भोपाल (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – भारत-पाकिस्तान का 1947 में विभाजन हुआ तो असम से कुछ लोग पूर्वी पाकिस्तान चले गए जो बाद में 1971 में बांग्लादेश के रुप में जाना गया लेकिन उनकी संपत्ति और जमीने आदि असम में ही थी इस कारण लोगों का आना जाना लगा रहा जिसके कारण 1951 में राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर तैयार किया गया बांग्लादेश बनने के बाद भी लोगों का आना-जाना लगातार बना रहा फल स्वरुप असम में आबादी का स्वरुप बदलने लगा 80 के दशक में अखिल असम छात्र परिषद ने आंदोलन शुरू किया 1985 में समझौते पर हस्ताक्षर किए गए तदनुसार असम में बांग्लादेशियों की पहचान और शरणार्थियो में भेद करने के लिए असम में एनआरसी की आवश्यकता हुई समझौता के अनुसार 25 मार्च 1971 के बाद प्रवेश करने वालों की पहचान की जानी थी तथा अवैध घुसपैठियों को बाहर निकालना था वर्ष 2005 में सरकार ने 1951 के राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर को अपडेट करने का फैसला किया मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 2015 में नागरिकों के सत्यापन का कार्य आरंभ हुआ इसका मकसद घुसपैठियों की पहचान करना था इसके लिए व्यक्ति को 25 मार्च 1971 से पहले जारी किया गया दस्तावेज बतौर सबूत पेश करना था यह साबित करना था कि व्यक्ति के पूर्वज इस तारीख से पहले तक असम राज्य के नागरिक थे।

शब्द कुंजी – राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर, असम, बांग्लादेश, घुसपैठिये, शरणार्थी, सत्यापन।

प्रस्तावना – राज्य व्यक्ति और नागरिकता यह तीनों शब्द एक दूसरे से इस प्रकार उलझे हुए हैं कि हर व्यक्ति का किसी ना किसी देश की नागरिकता लेना आवश्यक हो जाता है। अर्थात बिना नागरिकता के कोई व्यक्ति नहीं रह सकता, अमेरिका में दो प्रकार के नागरिकता उपलब्ध है वहीं भारत में एकल नागरिकता का सिद्धांत लागू किया गया है, नागरिकता के प्रश्न पर भारतीय संविधान में भाग 2 में आर्टिकल 5 से लेकर 11 में नागरिकता के प्रश्न के बारे मे प्रावधान किए गए हैं। इस संदर्भ में नागरिकता अधिनियम 1955 का भी उल्लेख किया जाता है।

आमतौर पर नागरिकता को एक व्यक्ति और विशेष देश के बीच संबंध के रुप में देखा जाता है और नागरिकता नागरिक की पहचान करता है कि वह किस देश का निवासी है। नागरिकता को लेकर प्राचीन समय से ही कई कदम उठाए गए है।

नागरिकता अधिनियम, 1955 – भारत का संविधान हमारे देश में नागरिकता प्रदान करता है नागरिकता संबंधित उपबंध भारत के संविधान के भाग 2 में रखे गए हैं जो आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 में वर्णित है भारत के स्वतंत्रता के पश्चात कौन देश का नागरिक होगा इसके लिए राष्ट्रीय नागरिकता अधिनियम 1955 लाया गया है जिसे 30 दिसंबर 1955 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई, उसके बाद समय-समय पर इसमें संशोधन हुए हैं, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986, 1992, 2003 और नागरिकता संशोधन अध्यादेश 2005 मुख्य है।

भारतीय राष्ट्रीय विधि में दो तरह का अनुसरण किया जाता है: जस सोली - जन्म के आधार पर संबंध, जस संगुइनिस - रक्त संबंध से संबंध। इस अधिनियम में नागरिकता के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं जो इस प्रकार हैं -

- जन्म से नागरिकता,
- अवजनन द्वारा नागरिकता,
- रजिस्ट्रीकरण द्वारा नागरिकता,
- देशीकरण द्वारा नागरिकता,
- राज्यक्षेत्र में मिल जाने।

राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर एनआरसी क्या है?

राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर एनआरसी भारतीय नागरिकों के नाम वाला एक रजिस्टर है जो विदेशी बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान के लिए लागू किया गया है, इन बांग्लादेशी घुसपैठियों ने 1971 के बांग्लादेशी युद्ध के दौरान भारत में प्रवेश किया था। राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर का उद्देश्य प्रारंभ से यह था कि भारत के नागरिकों को पहचाना और उनके नागरिकता के लिए उपबंध करना।

असम में नागरिकता की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि – आजादी से ठीक पहले और बाद के वर्षों के दौरान असम के इतिहास में खुशियों के पल कम ही रहे हैं आजादी से पहले असम को पाकिस्तान बनाए जाने की योजना बनाई जा रही थी लेकिन धार्मिक आधार पर भारत को बांटने के लिए जब अंतरराष्ट्रीय सीमाएं की की जा रही थी तब असम के नेताओं ने इस राज्य को भारतीय संघ में ही रखने के लिए काफी प्रयास किए।

असम इकलौता राज्य है जहां एनआरसी बनाया जा रहा है, सरल शब्दों में कहें तो एनआरसी वह प्रक्रिया है जिसमें देश में गैरकानूनी तौर पर रह रहे विदेशी लोगों को खोजने की कोशिश की जाती है। असम में आजादी के बाद पहली बार नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन बनाया गया था। 1905 में जब अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन किया तब पूर्वी बंगाल और असम के रूप में एक नया राज्य बनाया गया था तब असम को पूर्व बंगाल से जोड़

दिया गया था, जब देश का बंटवारा हुआ तो यह भय भी पैदा हो गया कि कहीं यह पाकिस्तान के साथ जोड़कर भारत से अलग ना कर दिया जाए। जब गोपीनाथ बोरढोलोई की अगुवाई से असम विरोध शुरू हुआ वह अपनी रक्षा करने में सफल रहा लेकिन सिलहट पूर्वी पाकिस्तान में चला गया। यहां रजिस्टर 1951 की जनगणना के बाद जो सूची तैयार की गई उसमें असम में रहने वाले लोगों को शामिल किया गया था, यहां नागरिकता रजिस्टर उसी के समरूप तैयार किया गया।

हालांकि हालात तब ज्यादा खराब हुए जब पूर्वी पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) में भाषा विवाद को लेकर आंतरिक संघर्ष प्रारंभ हुआ वह समय पूर्वी पाकिस्तान में परिस्थिति इतनी हिंसक हो गई कि वहां रहने वाले हिंदू मुस्लिम दोनों तक को क्यों बड़ी आबादी ने भारत की ओर रुख किया। माना जाता है कि 1971 में पाकिस्तान ने पूर्वी पाकिस्तान में दमनकारी कार्रवाई शुरू की तो करीब 10 लाख लोगों ने बांग्लादेश सीमापार करके असम में शरण लिए ले ली।

1983 मैं असम मैं हिंसा हुई इस हिंसा के बाद केंद्रीय सरकार और असम आंदोलन के नेताओं के बीच समझौता वार्ता शुरू हुई, जिसके परिणाम स्वरूप 15 अगस्त 1985 को केंद्र सरकार केंद्र की तत्कालीन राजीव गांधी सरकार और आंदोलन के नेताओं के बीच समझौता हुआ, असम समझौता के नाम से बने इस दस्तावेज पर भारत सरकार और असम आंदोलन के नेताओं ने हस्ताक्षर किए।

असम की एनआरसी को लेकर कालक्रम:

1. राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर सबसे पहले वर्ष 1951 में तैयार किया गया था।
2. 1979 में अखिल असम छात्र संघ द्वारा अवैध प्रवासियों की पहचान और निर्वासन की मांग करते हुए एक 6 वर्षीय आंदोलन चलाया गया था।
3. 15 अगस्त 1985 को असम संदेश समझौते पर हस्ताक्षर के बाद अखिल असम छात्र संघ का आंदोलन समाप्त हुआ था।
4. असम में बांग्लादेशियों की बढ़ती जनसंख्या को मद्देनजर रखते हुए नागरिक सत्यापन की प्रक्रिया दिसंबर 2012 में शुरू हुई थी।
5. मई 2015 में असम राज्य के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे।
6. 31 दिसंबर 2017 को असम सरकार द्वारा राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर मसौदे का संस्करण जारी किया गया।
7. भारतीय नागरिक के रूप में मान्यता प्रदान किए जाने हेतु 3.29 करोड़ आवेदन प्राप्त हुए थे।
8. इनमें से 40 लाख लोगों को बाहरी माना गया।

राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर को अपडेट करने का फैसला – वर्ष 2005 में सरकार ने 1951 के राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर को अपडेट करने का फैसला किया है और तय किया गया कि असम समझौते के तहत 25 मार्च 1971 से पहले असम में प्रवेश करने वाले लोगों का नाम भी राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर में जोड़ा जाएगा यह विवाद सुलझने की बजाय यह विवाद और अधिक बढ़ गया है और यह मामला उच्चतम न्यायालय तक पहुंच गया इसके पश्चात 2015 में उच्चतम न्यायालय के आदेश पर आसाम में नागरिकों के सत्यापन का कार्य शुरू किया गया इसके लिए कई राज्यों में एनआरसी केंद्र खोले गए नागरिकों के सत्यापन के लिए अनिवार्य किया गया कि केवल उन्हीं भारतीय नागरिक माना जाएगा जिनके पूर्वजों के नाम उनके वोटर लिस्ट में मौजूद हो।

किस तरह असम में एनआरसी लागू हुई – एनआरसी को उच्चतम न्यायालय के आदेश पर आसाम में लागू किया गया यह बहुत बड़ी कवायद थी कि नागरिकता संशोधन कानून लागू होने के बाद कई लोग इसे एनआरसी से जोड़कर देख रहे हैं सच्चाई यह है कि इस कानून का एनआरसी के बीच कोई संबंध नहीं है वह अगर कोई संबंध होगा भी तो वह अप्रत्यक्ष होगा।

असम में एनआरसी लागू करने का मकसद घुसपैठियों की पहचान करना था व्यक्ति को स्वयं को असम का नागरिक साबित करने के लिए 25 मार्च 1971 से पहले जारी किया गया दस्तावेज बतौर सबूत पेश करना या उसके लिए 1951 के एनआरसी या 25 मार्च 1971 तक जारी किया गया इलेक्टरल रोल मान्य था इसके जरिए यह साबित करना था कि व्यक्ति के पूर्वज इस तारीख से पहले राज्य के नागरिक थे इसके बाद पूर्वजों से व्यक्ति का संबंध दिखाने वाला दस्तावेज भी पेश करना था यह मुश्किल काम था क्योंकि भारत में लोग दस्तावेज के महत्व को लेकर जागरूक नहीं है इसके अलावा ज्यादातर आबादी मुश्किल से अपना गुजर-बसर करती है जिससे दस्तावेज बनवाना है उसे रखना कठिन हो जाता है।

नागरिकता की समाप्ति से उत्पन्न होने वाली समस्याएं – एनआरसी की सूची जारी होने के बाद लोग राजही अर्थात वह किसी भी देश के नागरिक नहीं रहे ऐसी स्थिति में राज्य में हिंसा का खतरा बन गया जो लोग दशकों से असम में रह रहे थे भारतीय नागरिक समाप्त नागरिकता समाप्त होने के बाद ना तो यहां वोट दे सकते हैं और ना ही किसी कल्याणकारी योजना का लाभ मिलेगा और अपनी संपत्ति पर भी इनका कोई अधिकार नहीं रहेगा जिन लोगों के पास स्वयं की संपत्ति है वह दूसरे लोगों को निशाना बनेंगे। 2013 से 2017 तक के दौरान नागरिकता के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में कोई 40 सुनवाई हुई जिसके बाद नवंबर 2017 में असम सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि 31 दिसंबर 2017 तक वह एनआरसी को पूर्ण कर देंगे बाद में इसको अपडेट करने और के लिए और वक्त मांगा 2015 के निर्देश और निगरानी में है काम शुरू हुआ है और जुलाई 2018 में अंतिम दफ्तर तैयार कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट ने जिन लोगों के नाम इस लिस्ट में नहीं है उनके खिलाफ किसी भी तरह की सख्ती बरतने के लिए फिलहाल रोक लगाई है।

उपसंहार – इस प्रकार हम देखते हैं कि असम में नागरिकता के प्रश्न पर लगातार विवाद अस्तित्व में रहे हैं 15 अगस्त 1985 को असम समझौता हुआ था इसमें यह तय हुआ था कि 25 मार्च 1971 के बाद असम में आए विदेशियों की पहचान की जाएगी और उनको भारत से बाहर निकाल दिया जाएगा साथ ही असम के लोगों की संस्कृति सामाजिक और भाषाई पहचान और विरासत को बचाने के लिए और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए संवैधानिक विधाई और प्रशासनिक प्रावधान भी किए जाएगें अवैध विदेशियों को पहचानने के तरीकों में हालाकी बहुत सी कमियां आई असम में एनआरसी भारत सरकार द्वारा निर्मित एक पंजी है जिसमें उन भारतीय नागरिकों के नाम हैं जो कि असम के वेध नागरिक हैं यह पंजी विशेष रुप से असम राज्य के लिए ही निर्मित की गई थी किंतु न्यायालय द्वारा एनआरसी के प्रारूप को 31 दिसंबर 2017 को प्रकाशित करने का आदेश दिया गया था 30 जुन 2018 को एनआरसी का अंतिम ड्राफ्ट प्रकाशित किया गया, कानूनी तौर पर भारत के नागरिक के रूप में पहचान प्राप्त करने हेतु असम में लगभग 3.29 करोड आवेदन पत्र प्रस्तुत किए गए थे इनमें से 40 लाख लोगों के

नाम अंतिम लिस्ट में शामिल नहीं हुए, जिनके नाम अंतिम लिस्ट में शामिल नहीं हुए उन्हें फॉरन अधिकरण में जाकर के दरवाजा खटखटाना था और जो व्यक्ति फॉरन अधिकरण के निर्णय से असंतुष्ट होतो वह उसके विरुद्ध अपील कर सकता था जो लोग उपरोक्त प्रक्रिया के बावजूद एनआरसी का हिस्सा नहीं बन सके उनके लिए राज्य भर में डिटेंशन सेंटर बनाए गए थे माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि जिन लोगों के नाम इस लिस्ट में शामिल नहीं है उनके खिलाफ अभी किसी भी तरह की शक्ति करने पर रोक लगाई जिससे यह सिद्ध होता है कि नागरिकता के विषय को लेकर असम का यह विवाद कोई नया विवाद नहीं है इसकी जड़ें काफी पुरानी है तथा दस्तावेज भी इन्हीं विवादों के फल स्वरुप उपजा परिणाम है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. असम समझौता, 1985
2. http://assamaccord.assam.gov.in
3. http://peacemaker.un.org
4. नागरिकता संशोधन अधिनियम,2019 – गजट नोटिफिकेशन
5. भारत का संविधान – जे.एन. पाण्डेय – सी.एल.ए प्रकाशन इलाहाबाद
6. भारत का संविधान – बेयर एक्ट, बी.एस. खेत्रपाल संस्करण 2019
7. नागरिकता संशोधन अधिनियम,2019 बेयर एक्ट – बी.एस खेत्रपाल
8. नागरिकता अधिनियम,1955 बेयर एक्ट – बी.एस खेत्रपाल
9. इंटरनेट, विकिपीडिया, आदि
10. समाचार पत्र पत्रिकाएँ

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
October to December 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVI

थारू जनजाति का सामाजिक एवं सांस्कृतिक अध्ययन

कामिनी राना *

* सहायक प्राध्यापिका (इतिहास विभाग) श्री गुरूनानक देव स्नातकोत्तार महाविद्यालय, नानकमत्ता साहिब (ऊधमसिंह नगर) भारत

शोध सारांश – भारत की अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण तथा जंगलों के निकट निवास करती है। अगर हम जनजाति समाज या समुदाय की चर्चा करें तो हमें आदिवासी समुदाय का बोध होता है। जनजाति विशेष भौगोलिक स्थान पर रहने वाले लोगों का वह समूह है, जो समान पूर्वज, समान संस्कृति, समान भाषा, समान पहनावा व समान देवता की पूजा करते हैं। प्रत्येक जनजाति का एक पूर्वज होता है। ये पूर्वज वास्तविक भी होते हैं, और काल्पनिक भी। जनजातियों में अन्तर्जातीय विवाह होता है। जिसका पालन करना उस सभी के लिए आवश्यक होता है। जिसका मुख्य उद्देश्य रक्त की शुद्धता बनाए रखना होता है। थारू जनजाति नेपाल और भारत के सीमावर्ती तराई क्षेत्र में पायी जाने वाली एक जनजाति है। भारत के बिहार के चम्पारन जिले में और उत्तराखण्ड के नैनीताल और ऊधम सिंह नगर जिले में यह प्रमुखत: पायी जाती है। थारू समुदाय का विशेष पहनावा, खान–पान, रहन–सहन के तरीके, रीति–रिवाज, त्यौहार, प्रथाएं अन्य समाज से भिन्न है, जिस कारण से समुदाय अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाए हुए है।

प्रस्तावना – भारत में अनेक प्रकार की जाति, जनजाति, समुदाय धर्म पाए जाते हैं। जिस कारण भारत को विविधताओं का देश कहा जाता है। भारत में जाति तथा जनजातियाँ हमेशा से ही निवास करती आयी हैं। प्राय: इनको हिन्दू धर्म में पिछडे हिन्दू कहकर सम्बोधित भी किया जाता है। भारतीय संविधान में भी जाति एवं जनजाति का ब्यौरा है। तथा साथ ही इनको संरक्षण तथा आरक्षण भी प्रदान किया गया है। भारत एक कृषक प्रधान देश रहा है। भारत की अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण तथा जंगलों के निकट निवास करती है। अगर हम जनजाति समाज या समुदाय की चर्चा करें तो हमें आदिवासी समुदाय का बोध होता है। तथा शैक्षिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, पिछड़ापन स्पष्टता से दिखलाई देता है। परन्तु आज के समय में जनजाति समाज भी सामान्य समाज की धारा में धीरे–धीरे आ रहा है। जो कि समाज की मुख्यधारा से स्वयं को जोड़ने का प्रयास कर रहा है।

1911 की जनगणना तक जनजातियों के लिए आदिवासी अथवा दलित वर्ग जैसे शब्दों का प्रयोग किया। परन्तु 1921 के जनगणना के पश्चात् इसके लिए अनुसूचित जनजाति का अधिक प्रयोग किया जाने लगा है।[1]

जनजाति विशेष भौगोलिक स्थान पर रहने वाले लोगों का वह समूह है, जो समान पूर्वज, समान संस्कृति, समान भाषा, समान पहनावा व समान देवता की पूजा करते हैं। तथा समूह बनाकर रहते हैं। आम तौर पर जनजाति इसी तरह निवास करती है। लेकिन पूर्ण रूप से ऐसा कहना सही नहीं है। जनजाति के लोग अब आधुनिकता से जुड़ने लगे हैं। परन्तु अभी भी ये समूह आधुनिकता से पूर्ण रूप से जुड़ा हुआ नहीं है, अभी कई जनजातियां विकसित नहीं हुई हैं। अभी आधुनिक समाज से काफी पिछड़ी हुई हैं। कुछ जनजाति समूहों को 'कबीले' के नाम से भी जाना जाता है। हम किसी भी जनजाति के रहन–सहन, वेश–भूषा, संस्कृति के आधार पर उस जनजाति का पता लगा सकते हैं।

जनजाति के संदर्भ में मजूमदार लिखते हैं 'एक जनजाति परिवारों अथवा परिवारों के समूहों का संग्रह है, जिसका एक सामान्य नाम होता है। और जिसके सदस्य एक ही भू–क्षेत्र में निवास करते हैं, एक भाषा बोलते हैं, और विवाह, वृत्ति या व्यवसाय के प्रति कुछ निषेधों का पालन करते हैं, तथा उनमें परस्पर आदान–प्रदान एवं दायित्वों की पारस्परिकता की एक सुनिश्चित व्यवस्था विकसित हो गयी है।'[2]

अगर जनजातियों की विशेषताओं की चर्चा करें तो जनजातियों में बन्द समाज व्यवस्था पायी जाती है। उनकी अपनी एव विशिष्ट संस्कृति, तथा अपनी एक अलग भाषा तथा सांस्कृतिक पहचान होती है, उनका एक विशेष पहनावा तथा एक जनजातीय देवता होते हैं, जिसकी पूरा समूदाय पूजा करता है। जिस कारण जनजाति अपनी विशिष्ट पहचान, संस्कृति को बनाए रखना चाहते है। इस हेतु जनजाति के लोग अपने समुदाय के अतिरिक्त अन्य समूह से दूरी बनाए रखते हैं। तथा स्वयं भी बाह्य लोगों के संपर्क में आने से बचते हैं। ये जनजातिया सीमित क्षेत्र में रहने के कारण इनका समाज गतिहीन एवं अपरिवर्तनशील रहता है। भौगोलिक परिस्थिति बदलने के कारण कुछ हद तक इन समुदायों में परिवर्तन होता है।

एक जनजाति के सभी सदस्य की समान संस्कृति होती है। उनके रीति–रिवाजों, नियमों, लोकाचारों, कला, धर्म, जादू, संगीत, नृत्य, खान–पान, भाषा, रहन–सहन, विचारों, विचारों, विश्वासों, मूल्यों आदि में समानता पायी जाती है।[3]

प्रत्येक जनजाति का एक पूर्वज होता है। ये पूर्वज वास्तविक भी होते हैं, और काल्पनिक भी। जनजातियों में अन्तर्जातीय विवाह होता है। जिसका पालन करना उस सभी के लिए आवश्यक होता है। जिसका मुख्य उद्देश्य रक्त की शुद्धता बनाए रखना होता है।

अगर हम थारू जनजाति की चर्चा करें तो यह जनजाति नेपाल और भारत के सीमावर्ती तराई क्षेत्र में पायी जाने वाली एक जनजाति है। भारत के बिहार के चम्पारन जिले में और उत्तराखण्ड के नैनीताल और ऊधम सिंह नगर जिले में यह प्रमुखत: पायी जाती है। थारू शब्द की उत्पत्ति प्राय: ठहरे, तरहुवा, ठिठुरवा तथा अठवारू आदि शब्दों में खोजी गई है। ये जनजाति

अपने के मूलत: सिसोदिया वंशीय राजपूत कहते हैं। थारूओं में कुछ वंशानुगत उपाधियाँ (सरनेम) राणा, कथरिया, चौधरी आदि हैं। यह जनजाति स्वयं को चित्तौड़ के राणाओं के वंशज होने का दावा करते हैं। वही कुछ इतिहासकारों का मानना है कि, ये राजस्थान के थार इलाके से आये हैं। जिस कारण इनको थारू नाम दिया गया। इस जनजाति को 1961 में अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला। तथा साथ ही जनजाति से संबंधित आरक्षण एवं संरक्षण भी प्राप्त हुआ। तत्पश्चात 1967 में चार और समूहो को अनुसूचित जाति घोषित किया गया। जो कि बोक्सा, जौनसार, भोटिया और राजी हैं। थारू जनजाति के लोग मंगोल प्रजाति के समान प्रतीत होते हैं। इनका कद औसत, गाल कुछ फूले हुए एवं आंखे छोटी होती हैं।

अगर हम थारू समाज की संस्कृति की चर्चा करे तो, जिस प्रकार प्रत्येक समाज की अपनी एक विशेष संस्कृति होती है। उसी प्रकार थारू जनजाति की भी अपनी एक विशेष संस्कृति है, जो इसे अपनी एक विशिष्ट पहचान दिलाती है। संस्कृति मानव द्धारा सीखा गया व्यवहार है, संस्कृति वह गुण है, जो हममें व्याप्त हैं। संस्कृति लोगों के आचार विचार तथा व्यवहार करने का प्रतिमान माना जा सकता है। संस्कृति के संदर्भ में टायलर कहते है कि 'संस्कृति वह जटिल पूर्णता है जिसके अन्तर्गत ज्ञान, विश्वास, कला, नीति, कानून, प्रथा और अन्य क्षमताएँ व आदतें सम्मिलित हैं। जिन्हें मनुष्य समाज के सदस्य के रूप में ग्रहण करता है।'[4]

अगर थारू जनजाति के संस्कृति के कुछ पहलुओं जैसे रहन-सहन की चर्चा करें तो ये लोग मिट्टी के मकान बनाकर रहते थे। तथा इनका परिवार संयुक्त रूप में रहता है। मुख्य रूप से थारू समुदाय मातृवंशी है, कुछ पितृवंशीय परिवार भी पाए जाते हैं। परिवार के संचालन में पत्नी का परामर्श अति आवश्यक माना जाता है कुछ परिवारों में कई पीढ़ीयों के सदस्य एक साथ रहते हैं। इस तरह के परिवारों को कुनबा (कुरमा) कहा जाता है। परिवार की सबसे बड़ी महिला को परिवार का मुखिया माना जाता है, जिसे 'मलकिनी' कहा जाता है।[5]

इस समुदाय के अधिकांश लोग मांसाहारी भोजन करते हैं, तथा साथ ही जंगली सब्जियों का भी सेवन किया करते हैं, जिनको कैफल, कटरूएं, अनुआ, फुरसा, खुरहुआ आदि नामों से पुकारा जाता है। थारू समाज में चावल का सेवन ज्यादातर किया जाता था, और आज भी यह प्रचलन में है।

अगर इनकी वेशभूषा की बात की जाए तो में पुरूषों द्धारा सामान्य तौर पर धोती, कुर्त्ता और टोपी ही पहनी जाती है। जो कि भारत की परम्परागत वेशभूषा ही है। वहीं महिलाओं की वेशभूषा घघरिया, चोली, अरघना होता है। अगर प्राचीन समय की बात की जाए तो लहंगा वस्त्र कुछ समय पहले थारू स्त्रियों का मुख्य वस्त्र हुआ करता था ये ज्यादातर रंगीन कपड़े होते थे, विशेषकर गहरे काले, लाल रंग का प्रयोग किया जाता था, जिसे थारू स्त्रियां डोरी की सहायता से कमर पर बांधती थी। हाथ से तैयार किया जाने वाला यह वस्त्र काफी समय लेता था। इस पर फूल, पत्तियों की कसीदाकारी, गुरिया, सीप, सिक्के, सीसे इत्यादि टांके जाते थे। इस लहंगे की लम्बाई कमर से घुटने तक होती थी तथा सामने के छोर पर फुबती लटकायी जाती थी। ऊपरी वस्त्र के रूप में चोली या अंगिया का प्रयोग किया जाता था।[6]

अगर इस जनजाति के आभूषणों की चर्चा की जाए तो थारूओं में गहनों को बनाने मे प्राय: कौड़ी, लहठी, पीतल, चांदी, कांसा, गिलट आदि का प्रयोग होता है। कानों में कुण्डल तथा कलाइयों में माठा पुरूषों के प्रचलित आभूषण हैं। अपेक्षाकृत थारू स्त्रियां आभूषणों का प्रयोग अत्यधिक मात्रा में करती हैं। जैसे सिर पर पहने जाने वाले आभूषणों में मांग-बिन्दी, टीका, टायरा प्रचलित है। नाक में गुलाकी, फुली, कील, नथनी, नोक्सा, खोल इत्यादि प्रचलित हैं। कानो में टर्की, झिमलियों, झेले, दर्की, बुन्दा इत्यादि प्रचलित है। तथा गर्दन में मोहर माला, हँसुली, हक्काहार, कनसेरी टुकुई, सुकिया आदि पहना जाता है।[7]

थारू समाज उत्सव प्रेमी होता है। जीवंत स्वभाव के थारू त्यौहारों को आनंद और भोज भात के अवसर के रूप में देखते हैं। थारूओं में सबसे लोकप्रिय पर्व होली को माना जाता है। अन्य समाजों के विपरीत यह थरूहट प्रदेश में पखवाड़े भर चलने वाला उत्सव है। होली के समय सम्पूर्ण थरूहट प्रदेश नृत्य एवं उल्लास के पर्व में डुब जाता है। वर्तमान में थारू संस्कृति होली के पर्व पर ही अपने विशिष्ट रूप में दिखाई देती है।[8]

सभी समाजों में विवाह की अपनी एव विशिष्ट प्रथाएं प्रकार एवं रीति रवाज होते हैं, उसी प्रकार थारू जनजाति में विवाह के अनेक प्रकार प्रचलित हैं, जिनमें बाल-विवाह, खास-विवाह, खर्चा विवाह, चुटकटा विवाह, उड़रा विवाह, घर-घुस विवाह, साली विवाह अनमेल विवाह इत्यादि प्रचलित हैं।[9]

निष्कर्षत: कहा जा सकता है, कि जिस प्रकार किसी भी संस्कृति की सांस्कृतिक विशेषताएं विशिष्ट होती हैं। उसी प्रकार थारू जनजाति की भी अपनी एक विशिष्ट संस्कृति एवं सांस्कृतिक विशेषताएं होती हैं। जो उसे अन्य समुदाय से पृथक रूप प्रदान करती हैं। तथा यह जनजाति अपनी संस्कृति को बचाए रखने के लिए प्रयास भी रहती है। जो कि अपनी सभ्यता और संस्कृति को बचाए रखने के लिए आवश्यक भी है। जिससे इनकी एक अनोखी विशेषता बनी रहेगी। जो कि इनकी विशिष्टता भी है। जिस कारण ये समुदाय तथा इनकी जैसी अन्य सभी जनजातियां अपनी एक पृथक पहचान समाज में बनाएं रख सकेंगी। जो कि इनको समाज में एक अलग पहचान बनाए रखने के लिए आवश्यक भी है। धीरे-धीरे अब यह समाज भी शिक्षित हो रहा है तथा अन्य लोगों के समान ही अब ये लोग भी सामान्य संस्कृति को अपनाने भी लगे हैं, शिक्षा और आधुनिकता का प्रभाव भी अब इन समाजों मे देखने को मिल रहा है। जो की प्राचीन परंपराओं को संजोए हुए आधुनिकता को भी साथ लेकर चल रहा है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. महाजन, धर्मवीर; महाजन कमलेश, विवेक प्रकाशन जवाहर नगर दिल्ली 7, 2020, जनजातीय समाज का समाजशास्त्र, अध्याय 2 जनजाति अवधारणा एवं वर्गीकरण, पृ0 27
2. वही, पृ0 28
3. गुप्ता, एम.एल.; शर्मा डी.डी. साहित्य भवन पब्लिकेशन आगरा, 2020.समाजशास्त्र, अध्याय 11, अनुसूचित जनजातियों की समस्याएं एवं उनका समाधान, पृ0 106.
4. मुकर्जी, रवीन्द्र नाथ, विवेक प्रकाशन जवाहर नगर दिल्ली 7, 2021, समाजशास्त्र का परिचय, अध्याय 2 संस्कृति एवं सभ्यता, पृ0 28.
5. सिंह, नरेश, ए0 बी0 एस0 पब्लिकेशन, वाराणसी 2020, थारू जनजाति समाज एवं संस्कृति, अध्याय 3 थारू जनजाति: संस्कार एवं समाजिक जीवन, पृ0 88/89
6. वही, पृ0 90
7. वही, पृ0 93
8. वही, पृ0 101
9. वही, पृ0 83

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
October to December 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVI

पशुपालन व्यवसाय नव उद्यमियों के लिए स्वरोजगार का एक बेहतर विकल्प : एक अध्ययन

सन्नी यादव * डॉ. केशव मणि शर्मा **

*** शोधार्थी, शासकीय माधव कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत**
****प्राध्यापक, शासकीय माधव कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय उज्जैन (म.प्र.) भारत**

शोध सारांश – प्रस्तुत शोध अध्ययन में पशुपालन व्यवसाय का विभिन्न पहलुओं के आधार पर विश्लेष्णात्मक अध्ययन किया गयाहै जिसमे पाया गया हैकि वर्तमान समय में देश बड़ रही भीषण बेरोजगारी की समस्या के समाधान के रूप पशुपालन व्यवसाय को स्वरोजगार के रूप में अपनाया जा सकता है पशुपालन व्यवसाय एक ऐसा व्यवसाय जो न्यूनतम लगत में भी प्रारंभ किया जा सकता है केंद्र एवं राज सरकारों के द्वारा भी पशुपालन व्यवसाय के संवर्धन एवं विस्तार के लिए अनेक योजनाये चलाई जा रही है जिनका लाभ पत्रता अनुसार प्राप्त कर नव उद्यमियों द्वारा स्वरोजगार के रूप में पशुपालन व्यवसाय स्थापित किया जा सकता है।

शब्द कुंजी – परंपरागत, मिथक, नव उद्यमी, स्वरोजगार, घरेलू, प्रमाणिकता, अनुज्ञप्ति, सा।लीमेंट, डेयरी फार्मिंग, योजनाएं, जोखिम, टीकाकरण, स्वास्थ्य परीक्षण, कुक्कुट विकास, संवर्धान, खाद्य पदार्थ आदि।

प्रस्तावना – पशुपालन व्यवसाय भारत का एक परंपरागत कृषि आधारित व्यवसाय है जो प्राचीन काल से ग्रामीण भारत का एक महत्वपूर्ण व्यवसाय बना हुआ है किंतु वर्तमान परिदृश्य में बढ़ती जनसंख्या एवं बेरोजगारी के कारण पशुपालन व्यवसाय एक प्रमुख स्वरोजगार व्यवसाय के रूप में उभरकर सामने आया है इसव्यवसाय ने परंपरागत व्यवसाय के मिथक को तोड़ कर आधुनिक स्वरोजगार व्यवसाय का रूप धारण कर लिया है पशुपालन व्यवसाय की सफलता की अपार संभावना एवं कम जोखिम होने के कारण आज अनेक नव उद्यमी इस व्यवसाय की ओर आकर्षित होकर इसे स्वरोजगार के रूप में अपना रहे हैं।

हमारे देश की अर्थव्यवस्था में पशुपालन व्यवसाय का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। क्योंकि हमारे देश की लगभग 70 प्रतिशत आबादी कृषि कार्य के साथ पशुपालन का कार्य भीकरती है।देश के सकल घरेलू कृषि उत्पाद में पशुपालन का योगदान लगभग 30 प्रतिशत है जो कि सराहनीय है इसमें दुध एक ऐसा उत्पाद है जिसका योगदान सबसे अधिक है।विश्व में कुल पशुपालन की कुल संख्या का 15 प्रतिशत गायें एवं 55 प्रतिशत भैंसें भारत में है तथा देश के कुल दुध उत्पादन का 53 प्रतिशत भैंसों व 43प्रतिशत गायों और 3 प्रतिशत बकरियों से प्राप्त होता है।भारत लगभग 121.8 मिलियन टन दुध उत्पादन करके विश्व में प्रथम स्थान पर है जो कि अपने आप में एक मिसाल है जिसमें देश का उत्तर प्रदेश राज्य सबसे अग्रणी है। देश में उत्पादित दुध से अनेकों प्रकार की खाद्य सामग्री एवं सप्लीमेंट बनाये जाते है जिनका करोडो रुपयों का कारोबार किया जाता है वही उत्कृष्ट पशुपालन के द्वारा ही भारत विश्व में पांचवे नंबर का मांस निर्यातक देश है तथा बीफ निर्यात के मामले में तो यह दुनिया में ब्राजील के साथ पहले स्थान पर हैं। भारत से प्रतिवर्ष 42,50,000 मीट्रिक टन मांस का निर्यात किया जाता है, इसमेंअलावा पशुपालन से चमड़ा, उऩ, अंडे, हठी, आदि अनेक उत्पाद प्राप्त होते है ।पशुओं के अपशिष्ट पदार्थ जैसे गोबरआदि से अत्यंत उपजाऊ प्राकृतिकखाद एवं ऊर्जा का विनिर्माण किया जाता है जिसका करोडो रुपयों का कारोबार होता है ।यह सभी उपलब्धि एवं उत्पाद पशुपालन से जुड़े विभिन्न पहलुओं जैसे– मवेशियों की नस्ल, पालन–पोषण, स्वास्थ्य एवं आवास प्रबंधान इत्यादि में किए गये अनुसंधान एवं उसके प्रचार–प्रसार का परिणाम से है।

पशुपालन व्यवसाय के सफल होने की अत्यधिक संभावना, अत्यधिक लाभार्जन अनुमान, सरकारी अनुदान योजनाएं, एवं जोखिम की कमी होने से नव उद्यमियों लिए पशुपालन व्यवसाय स्वरोजगार का एक बेहतर विकल्प साबित हो सकता हैइस व्यवसाय स्वरोजगार की अपार संभावनायें है।

समस्या – वर्तमान युग की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी बनी हुई है क्योंकि जितनी तेज गति से जनसंख्या में वृद्धि हो रही है उस गति से रोजगार के अवसरों में वृद्धि नहीं हो पा रही है इसी कारण वर्तमान समय मे हमारे देश में बेरोजगारी एक विकट समस्या बनी हुई है इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए शोधकर्ता द्वारा स्वरोजगार के रूप में पशुपालन व्यवसाय नव उद्यमियों के लिए स्व रोजगार का बेहतर विकल्प विषय का चयन किया गया है।

समस्या का चयन – देश में तेजी से बढ़ती जनसंख्या तथा बेरोजगारी की विकराल समस्या के कारण आज हमारे देश मे सबके लिए रोजगार एक अत्यंत जटिल समस्या बन चुका है इसके समाधान का सबसे बेहतर विकल्प स्वरोजगार ही हो सकता है केंद्र एवं विभिन्न राज्यों की सरकारों द्वारा भी बढ़ती बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए स्वरोजगार को प्राथमिकता दी जा रही है और इसलिए सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की स्वरोजगार योजनाएं भी संचालित की जा रही है बढ़ती बेरोजगारी की समस्या को दृष्टिगत रखते हुए शोधकर्ता द्वारा स्वरोजगार के अंतर्गत पशुपालन व्यवसाय को शोध विषय के रूप में चयन किया गया है।

उद्देश्य – प्रत्येक शोध अध्ययन के कुछ न कुछ पूर्व निर्धारित उद्देश्य होते हैं जिनको दृष्टिगत रखते हुए शोध कार्य पूर्ण किया जाता है इसी प्रकार प्रस्तुत शोध अध्ययन के निम्नलिखित उद्देश्य हैं।

(i) वर्तमान परिदृश्य में पशुपालन व्यवसाय की स्थिति का अध्ययन एवं विश्लेषण करना।

(ii) स्वरोजगार के रूप में पशुपालन व्यवसाय का अध्ययन करना।

समंकों का संकलन एवं शोध प्रविधि– किसी भी शोध अध्ययन की सफलता उसकी शोध प्रविधि पर निर्भर करती है उपयुक्त विधि द्वारा किए गए शोध कार्य के निष्कर्षों के सही होने की प्रमाणिकता हो जाती है।प्रस्तुत शोध अध्ययन में अवलोकन एवं विश्लेषणात्मक शोध विधि का प्रयोग कर विभिन्न कृषि एवं पशुपालन पर आधारित पत्र पत्रिकाएं, इंटरनेट वेबसाइट, पूर्व शोध अध्ययन तथा कृषि एवं पशुपालन पर आधारित सर्वेक्षणों का विश्लेषण एवं अध्ययन कर समंको का संकलन किया गया है।

परिकल्पना:

(i) स्व- रोजगार के रूप में पशुपालन व्यवसाय एक बेहतर विकल्प है।

(ii) पशुपालन व्यवसाय कम लागत में भी शुरू किया जा सकता है।

पशुपालन के प्रकार – पशुपालन व्यवसाय हमारे देश का पारंपरिक व्यवसाय होने के साथ-साथ आज के युग का आधुनिक स्वरोजगार व्यवसाय भी बन चुका है इस क्षेत्र में सफलता की अपार संभावना एवं जोखिम की कमी हो होने के कारण अनेक उद्यमी इस क्षेत्र की ओर आकर्षित हो रहे हैं और इस व्यवसाय को अपना रहे हैं पशुपालन व्यवसाय अपनी क्षमता अनुसार कम से कम एवं अधिक से अधिक लागत लगाकर प्रारंभ किया जा सकता है हमारे देश में पशुपालन व्यवसाय के अंतर्गत गाय, भैंस पालन, बकरी पालन, भेड़ पालन, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन, बत्तख पालन,सुअर पालन, रेशम कीट पालन आदि कार्य किया जाता है जिसमें से नव उद्यमी द्वारा अपनी लागत एवं क्षमता के अनुसार चयन कर पशुपालन व्यवसायप्रारम्भ किया जा सकता है।

प्रारंभिक लागत – पशुपालन व्यवसाय एक ऐसा व्यवसाय है जिसे कम से कम एक लाख रूपये या इससे भी कम लागत के साथ शुरू किया जा सकता है नव उद्यमियों द्वारा इस व्यवसाय की शुरुआत न्यूनतम लागत से करके धीरे-धीरे इसमें आवश्यकता अनुसार वृद्धि की जा सकती है कम लागत के पशुपालन व्यवसाय के रूप में देशी मुर्गी पालन, बत्तख पालन, बकरी पालन आदि कार्य किया जा सकता है अर्थात स्पष्ट शब्दों में कहा जाए तो पशुपालन व्यवसाय न्यूनतम लागत से भी शुरू किया जा सकता है तथा अधिकतम लागत की इसमें कोई सीमा नहीं है।

आवश्यक संसाधन एवं मशीनरी – पशुपालन व्यवसाय आरंभ करने के लिए पशुपालन व्यवसाय के आकार एवं प्रकार के अनुसार सामान्य संसाधनों मशीन उपकरण आदि की आवश्यकता होती है जिसमें मुख्य रूप से पशुओं के लिए पेयजल की व्यवस्था विचरण एवं निवास हेतु पर्याप्त स्थान पशुओं के भोजन के लिए भूसा आदि आहार के भंडारण के लिए स्थान तथा अन्य सामान्य संसाधनों की आवश्यकता होती है इन संसाधनों में पशुओं की संख्या के आधार पर कमी वृद्धि की जा सकती है।

देखरेख एवं उपचार – पशुपालन व्यवसाय में पशुओं की देखरेख करने के लिए सदैव किसी व्यक्ति का उपस्थित रहना अत्यंत आवश्यक है ताकि समय-समय पर पशुओं की निगरानी, साफ-सफाई, आहार, पानी एवं देख देखरेख की जा सके साथ ही सभी पशुओं को समय-समय पर सभी आवश्यक टीकाकरण, दवाइयां एवं स्वास्थ्य परीक्षण करवाना भी आवश्यक होता है टीकाकरण दवाइयां एवं स्वास्थ्य परीक्षण में पशुपालन की प्रकृति, आकार एवं प्रकार के अनुसार भिन्नता हो सकती है।

अनुज्ञप्ति या पंजीयन – प्रारंभिक तौर पर पशुपालन व्यवसाय आरंभ करने के लिए किसी प्रकार के अनुज्ञप्ति / लाइसेंस या अनुमति की आवश्यकता नहीं होती किंतु व्यापक स्तर पर पशुपालन व्यवसाय करने के लिए जैसे कि डेयरी फार्मिंग इत्यादि के लिए स्थानीय निकाय से अनापत्ति प्रमाण पत्र तथा स्थानीय प्रशासन के प्रचलित नियमों के अनुसार पंजीयन कराया जा सकता है पशुपालन व्यवसाय के लिए कोई विशेष प्रकार की अनुज्ञप्ति की आवश्यकता नहीं होती सामान्य कागजी कार्यवाही पूर्ण करके भी पशुपालन व्यवसाय आरंभ किया जा सकता है।

कर्मचारियों की आवश्यकता – पशुपालन व्यवसाय में पशुओं की संख्या, स्थान एवं आकार के आधार पर कर्मचारियों की संख्या निर्धारित की जा सकती है छोटे आकार के व्यवसाय में कर्मचारियों की संख्या कम तथा बड़े आकार के व्यवसाय में कर्मचारियों की संख्या अधिक हो सकती है।

शासकीय योजनाएं एवं अनुदान – देश में पशुपालन व्यवसाय में वृद्धि एवं संवर्धन के उद्देश्य से सरकार द्वारा अनेक योजनायें क्रियान्वित की जा रही है इसमें मध्यप्रदेश एवं केंद्र सरकार द्वारा संचालित कुछ महत्वपूर्ण योजनायें निम्नलिखित है ।

1. राष्ट्रीय पशुधन मिशन - ग्रामीण बैकयार्ड कुक्कुट विकास
2. नन्दी शाला योजना (अनुदान पर प्रजनन योग्य देशी वर्णित गौसांड का प्रदाय)
3. समुन्नत पशु प्रजनन योजना (अनुदान पर प्रजनन योग्य पेडीग्रिड मुर्रा सांड का प्रदाय योजना सभी वर्ग के लिए)
4. बैंक ऋण एवं अनुदान पर (10+1) बकरी इकाई का प्रदाय(योजना सभी वर्ग के लिए)
5. अनुदान के आधार पर नर बकरा प्रदाय योजना
6. अनुदान के आधार पर वराह (नर सूकर) प्रदाय (योजना केवल अनुसूचित जाति के हितग्राहियों के लिए)
7. अनुदान के आधार पर वराह त्रयी (सूकर त्रयी) का प्रदाय) (योजना केवल अनुसूचित जाति/जनजाति के हितग्राहियों के लिए)
8. अनुदान पर कुक्कुट इकाई का प्रदाय बिना लिंग भेद के 28 दिवसीय 40 रंगीन चूजों की बैकयार्ड इकाई
9. अनुदान के आधार पर वराह त्रयी (सूकर त्रयी) का प्रदाय) योजना केवल अनुसूचित जनजाति के हितग्राहियों के लिए)
10. अनुदान पर कडकनाथ चूजे का प्रदाय
11. आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन योजना
12. वत्स पालन प्रोत्साहन योजना
13. गौसेवक प्रशिक्षण (प्रारंभिक एवं रिफ्रेशर)
14. गोपाल पुरस्कार योजना (यह योजना सभी वर्ग के लिए)
15. पशुधन बीमा योजना
16. मैत्री योजना

पशुपालन व्यवसायमें वृद्धि एवं संवर्धन के लिए चलाई जा रही उक्त योजनाओं की विस्तृत जानकारी पशुपालन विभाग या इनकी होम बेवसाईट से प्राप्त की जा सकती है।

सावधानियां – पशुपालन व्यवसाय जीवित प्राणियों (पशुओं) का एक

व्यवसाय है इसलिये इस व्यवसाय में कुछ महत्वपूर्ण सावधानियों का धयान रखना अत्यंत आवश्यक है जिनका वर्णन निम्नानुसार है।

(i) पशुपालन व्यवसाय के लिए ऐसे स्थान का चयन किया जाना अत्यंत आवश्यक है जहां बारिश के समय में वर्षा जल एकत्रित नहीं होता हो।

(ii) पशुओं को रखने के स्थान पर नियमित साफ-सफाई करना अत्यंत आवश्यक है अन्यथा पशुओं में गंभीर बीमारी फैल सकती है तथा पशुधन की हानि का सामना करना पड़ सकता है।

(iii) पशुपालन व्यवसाय में सभी पशुओं का समय समय पर टीकाकरण स्वास्थ्य परीक्षण एवं आवश्यक दवाइयां पशुओं को देना अत्यंत आवश्यक होता है इस बात का विशेष धयान दिया जाना अत्यंत आवश्यक है।

(iv) पशुपालन व्यवसाय में सबसे बड़ी समस्या पशुओं के आहार की होती है इसलिए पशु आहार के भंडारण की उचित व्यवस्था किया जाना अत्यंत आवश्यक है।

(v) पशुओं के पीने के लिए साफ पानी की व्यवस्था करना भी अत्यंत आवश्यक होता है।

(vi) एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात यह भी है कि पशुपालन व्यवसाय से आसपास के क्षेत्र में गंदगी नहीं खेलना चाहिए अन्यथा इसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं

(vii) पशुओं को जहरीले जीव जंतु एवं कीटों से बचा कर रखना भी अत्यंत आवश्यक होता है।

उपयुक्त सावधानियों के अलावा भी आवश्यकता अनुसार परिस्थिति जन्य सावधानियों का धयान रखना अत्यंत आवश्यक होता है।

परिकल्पनाओं का परीक्षण – शोध अध्ययन की परिकल्पनाओं के परीक्षण के द्वारा किए गए शोध की सार्थकता सिद्ध की जाती है इसलिए परिकल्पनाओं का परीक्षण किया जाना अति आवश्यक होता है प्रस्तुत शोध अध्ययन की परिकल्पनाओं परीक्षण निम्नानुसार किया गया है।

प्रथम परिकल्पना– स्व- रोजगार के रूप में पशुपालन व्यवसाय एक बेहतर विकल्प है।

परीक्षण– प्रस्तुत शोध के गहन अध्ययन एवं विश्लेषण यह ज्ञात होताहै कि पशुपालन व्यवसाय एक अत्यंत ही लाभकारी एवं कम जोखिम वाला व्यवसाय है जिस आसानी से प्रारंभ कर स्वरोजगार स्थापित किया जा सकता है वर्तमान समय में बढ़ती बेरोजगारी एक विकराल समस्या बनी हुई है जिसके समाधान के लिए नव उद्यमियों द्वारा पशुपालन व्यवसाय को स्वरोजगार के रूप में आसानी से अपनाया जा सकता है।

द्वितीय परिकल्पना– पशुपालन व्यवसाय कम लागत में भी शुरू किया जा सकता है।

परीक्षण– पशुपालन व्यवसाय एक ऐसा व्यवसाय है जिसे कम से कम एक लाख रूपये या इससे भी कम लागत के साथ शुरू किया जा सकता है नव उद्यमियों द्वारा इस व्यवसाय की शुरुआत न्यूनतम लागत से करके धीरे-धीरे इसमें आवश्यकता अनुसार वृद्धि की जा सकती हैकम लागत के पशुपालन व्यवसाय के रूप में देशी मुर्गी पालन, बत्तख पालन, बकरी पालन आदि कार्य किया जा सकता है।

सुझाव– प्रस्तुत शोध अध्ययन के आधार पर अग्रलिखित सुझाव प्रस्तुत किये जाते हैं।

1. बेरोजगार व्यक्तियों को पशुपालन व्यवसाय के रूप में स्वरोजगार की स्थापना कर रोजगार प्राप्त करना चाहिए क्योंकि इस व्यापार में सफलता की अनेक संभावनाएं निहित है
2. पशुपालन व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए एवं पूर्व से इस व्यवसाय से जुड़े व्यक्तियों को सरकार द्वारा चलाई जा रही उपयुक्त योजनाओं का लाभ लेना चाहिए।
3. पशुपालन व्यवसाय की ओर नव उद्यमियों कोआकर्षित करने के लिए सरकार को व्यापक प्रचार-प्रसार करना चाहिए।

निष्कर्ष – प्रस्तुत शोध के गहन अध्ययन एवं विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकलता है कि वर्तमान परिदृश्य में पशुपालन व्यवसाय ने अपने परंपरागत रूप को विस्तारित करआधुनिक स्वरोजगार व्यवसाय का रूप धारण कर लिया है बढ़ती बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए आज अनेक नव उद्यमी पशुपालन व्यवसाय को स्वरोजगार के रूप में अपना रहें है सफलता की अपार संभावना संभावनाएं एवं जोखिम की कमी होने के कारण यह व्यवसाय नव उद्यमियों को अपनी और आकर्षित करता है। पशुपालन व्यवसाय के विस्तार एवं संवर्धन के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा भी अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं जिनका वर्णन प्रस्तुत शोध अध्ययन में किया गया है जिनका लाभ अपनी पात्रता अनुसार प्राप्त कर पशुपालन व्यवसाय को विस्तारित किया जा सकता है।पशुओं से प्राप्त होने वाले अनेक प्रकार के खाद्य पदार्थ तथा अपशिष्ट पदार्थो से प्राप्त उपजाऊ खाद आदि से लाभार्जन की अत्यधिक संभावना के कारण आज अनेक नए उद्यमी इस व्यवसाय को स्वरोजगार के रूप में अपना रहे है बढ़ती बेरोजगारी की समस्या के समाधान के विकल्प के रूप में भी पशुपालन व्यवसाय को अपनाया जा सकता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची:-

1. परिचालन मार्गदर्शिका, राष्ट्रीय पशुधन मिशन,भारत सरकार मत्स्य पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, जुलाई 2021
2. प्रशासकीय प्रतिवेदन वर्ष 2020-21,मध्यप्रदेश पशुपालन एवं डेयरी विभाग
3. म. प्र. राज्य पशुधन एंव कुक्कुट विकास निगम, मध्यप्रदेश,पशुधन विकास निति
4. पशुपालन एवं डेयरी विभाग की बेवसाईट - www.mpdah.gov.in
5. गोपालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड की बेवसाईट -www.gopalan board.mp.gov.in
6. www.vivacepanorama.com@animal&husbandry & in&india
7. www-janjwar.com@post@in&modi&raj&india&become&number&one&country&in&beef&e Ûport12825] 17 ebZ 2019

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
October to December 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVI

बाल अपचारिता संविधिक एवं न्यायिक दृष्टिकोण

डॉ. ज़ाकिर खाँन *

* सांदीपनि विधि महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – सामान्य आपराधिक विषयो के विपरित बाल अपराधों के विषय में विश्व के सभी धर्मो के प्राचीन धर्मग्रन्थो में किसी प्रकार का विशेष उल्लेख नही मिलता है, जिसका अर्थ स्पष्टत:यह लगाया जा सकता है कि प्राचीन समय में बाल अपराधो /बाल–वय द्वारा किये जाने वाले अपराधो / अपकृत्यो की संख्या अत्याधिक न्युन होती थी एवं जितने भी बाल अपराध होते थे उस हेतु बालक के माता–पिता /संरक्षक को दायी माना जाता था। पिछली दो तीन शताब्दियो में यूरोपियन देशो के साथ–साथ विश्व के लगभग सभी देशो में ओद्योगिकरण एवं शहरीकरण में वृद्धि होती रही, महगाई की मार से बचने हेतु पिता के साथ–साथ माता भी आय अर्जन हेतु घर से बाहर जाने लगी, संयुक्त परिवार के स्थान पर एकल परिवारो की संख्या एवं कल– कारखानो के आस–पास मजदूर बस्ती बढने, कारखानो में कम आयु के बच्चो द्वारा सहकर्मी दूसरे व्यस्को के साथ कार्य करने, उनसे कार्य सिखने के साथ–साथ बच्चो द्वारा अपने सहकर्मीयो के दुर्गुणो को /आपराधिक गुणो को भी ग्रहण किया जाने लगा। उक्त सभी बातो का परिणाम बाल अपराध (जिसे विधिक भाषा में अपराध से भिन्न बाल अपचार नाम दिया गया है) के रूप में अब एक बहुत बडी समस्या के रूप में सम्पूर्ण विश्व के समक्ष उपस्थित है।

विज्ञान की उन्नती के साथ–साथ मोबाईल का युग प्रारम्भ होते ही बाल अपराधो की /बाल अपराधियो की संख्या में बेहताशा वृद्धि होना आश्चर्य का विषय नही होना चाहिऐ, क्योकि किशोरावस्था में अपने आसपास की नही बल्कि सम्पूर्ण विश्व की हर विषय की जानकारी प्राप्त करने हेतु उसे केवल एक बटन ही तो दबाना है अर्थात एक क्लिक ही तो करना है। सभी धर्मशास्त्री,समाजशास्त्री,बुद्धिजीवी यह मानते है कि किशोरावस्था वह तैयार गीली मिटटी है जिसे मनचाहा रूप प्रदान किया जा सकता है। अपराध के क्षेत्र में इसे दुसरे रूप में यह कहा जा सकता है कि किशोरावस्थाा वहा गरम लोहा है जिसे किसी भी दिशा में मोडा जा सकता है। यदि वह गीली मिटटी या गरम लौहा परिवार के बुजुर्गो के या समाज के अच्छे लोगो के हाथ में रहेगा ता उससे जो बर्तन बनेगा वह सुसभ्य समाज का एक महत्वपूर्ण अंग का निर्माण करेगा या उस गरम लौहे से जो भी हथियार बनेगा वह समाज का, राष्ट्र का, सम्पूर्ण मानवता की रक्षा का कार्य भी कर सकेगा ।

बाल अपचारिता का अर्थ एवं परिभाषा– किशोर न्याय अधिनियम 1986 में शब्द 'किशोर अपचारी' प्रयुक्त किया गया है। धारा 2 (ड़) में इसकी परिभाषा इस प्रकार दी गई हैं।

'अपचारी किशोर से ऐसा किशोर अभिप्रेत है जिसके बारे में यह ठहराया गया हैं कि उसने अपराध किया हैं।'

किशोर–न्याय (बालको की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2000 में 'विधि विवादित किशोर' प्रयुक्त किया गया हैं। धारा 2 (ठ) में इसकी परिभाषा इस प्रकार की गई हैं।

'विधि–विवादित किशोर से वह किशोर अभिप्रेत है जिसके बारे में यह अभिकथित है कि उसने कोई अपराध किया हैं।' जिसे हम सामान्यत: आरोपी कहते है।

सेठना के अनुसार– 'बाल अपराध के अन्तर्गत किसी ऐसे बालक या तरूण के गलत कार्य आते हैं जो कि सम्बन्धित स्थान के कानून के द्वारा निर्दिष्ट आयु सीमा के अंतर्गत आता हो।[1]''

न्यूमेयर के अनुसार– 'एक बाल अपराधी निर्धारित आयु से कम आयु का वह व्यक्ति हैं जो समाज विरोधी कार्य करने का दोषी हैं और जिसका दुराचरण कानून का उल्लघंन हैं।'

इस प्रकार इन परिभाषाओं का सार यह हैं कि बाल अपराध से अभिप्राय बालको अथवा किशोरो के ऐसे कार्यो से हैं जो कर्तव्यों की उपेक्षा अथवा उल्लघंन की परिधि में आते हैं तथा जो बालकों के गलत कार्यो में सामान्यत: उदण्डता, शरारत, शैतानी, भिक्षावृति, दुर्व्यवहार आदि आते हैं।

बाल अपचारिता के कारण– वर्तमान में बाल अपचारिता ने एक विश्व–व्यापी समस्या का रूप धारण कर लिया हैं। किशोर अपचारिता के निवारण के लिये विभिन्न उपचारात्मक प्रयत्नों के बावजूद किशोरो में उद्धण्डता, हिंसा तथा कानून का उल्लघंन करने की प्रवृत्ति दिनो दिन बड़ती जा रही हैं। हाल ही के कुछ वर्षो में बाल आपचारिता में अपूर्व वृद्धि हुई हैं। किशोरो में बढ़ती हुई अपचारिता के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं – औद्योगीकरण, संयुक्त पारिवारिक विघटन, निर्धनता, अशिक्षा, मीडिया, फैशन–परस्ती, वैवाहिक संबंधो में शिथिलता, अनाथता, अपराधी क्षेत्र, मानसिक हीनता, बाल–श्रमिक तथा बाल अपराध, भगोड़ापन, यौन संबंधी आदतें, राजनीतिक संरक्षण, मोबाईल इंटरनेट।

बालकों के सम्बन्ध में विधिक एवं संवैधानिक प्रावधान– इस विश्व की सर्वाधिक मूल्यवान वस्तु मानव जीवन है और यह ईश्वर की देन हैं मानवों के कुछ ऐसे समूह है जो प्रकृति द्वारा अथवा रूढ़ियों के कारण निर्बल होते है– यथा बच्चें, महिलाएं, असक्षम व्यक्ति, प्रवासी कर्मचारी अथवा किसी विशिष्ट मूलवंश से सम्बन्धित व्यक्ति। इनके अधिकारों पर अतिक्रमण समाज के प्रबल वर्ग द्वारा समय–समय पर किया जाता रहा है। समाज में उनके

लिए स्थान सुरक्षित करवाने के उद्देश्य से ही हमारे संविधान में उनके लिए विशेष उपबन्ध किये गये है ताकि वह भी अन्य व्यक्तियों की तरह गरिमामय जीवन जी सके। ये ये उपबन्ध निम्नलिखित है – अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि 'राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता अथवा विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा।'

बालकों के लिए विशेष उपबन्ध

अनुच्छेद 15(3) के अनुसार – 'इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को स्त्रियों और बालकों के लिए कोई विशेष उपबन्ध करने से निवारित नही करेगी।'

अनुच्छेद 21(A)– संविधान के 86 वे संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा संविधान में अनुच्छेद 21 के पश्चात् एक नया अनुच्छेद 21(A) जोड़ा गया है जो यह उपबन्धित करता है कि 'राज्य ऐसी रीति से जैसा कि विधि बनाकर निर्धारित करें कि 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों के लिए नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबन्ध करेगा।'

अनुच्छेद 23(1) के अनुसार:

1. मानव का दुर्व्यवहार और बैगार तथा इसी प्रकार का अन्य बालश्रम प्रतिसिद्ध किया जाता है और इस उपबन्ध का काई भी उल्लंघन अपराध होगा जो विधि के अनुसार दण्डनीय होगा।

राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में बालकों की बालकों की स्थिति के लिए उपबन्ध– संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में महिलाओं एवं बालकों के लिए कई विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। यथा

अनुच्छेद 39(F) (4) – बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं दी जाये और बालकों एवं अल्पवय व्यक्तियों की शोषण से तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाए।

अनुच्छेद 45– राज्य बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का उपबन्ध करने का प्रयास करेगा।

इस प्रकार उपरोक्त नीति निर्देशक तत्वों में महिलाओं एवं बालकों के कल्याण के लिए कई अभिनव व्यवस्थाएं की गई है। न्यायालय द्वारा भी समय–समय पर इन नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वयित करने के सार्थक प्रयास किये गये है।

बालकों के प्रति मूल कर्त्तव्य– संविधान के 42 वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान के भाग 4 के पश्चात एक नया भाग4 (क) जोड़ा गया है। जिसके द्वारा पहली बार संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों को समाविष्ट किया गया है। नये अनुच्छेद 51(A) के अनुसार 6 वर्ष की आयु से 14 के की आयु के बालकों के माता पिता और प्रतिपाल्य के संरक्षकों का यह कर्त्तव्य होगा कि वे उन्हें शिक्षा का अवसर प्रदान करे।

सर्वोच्च न्यायालय और बाल अपचारिता:

शीला बर्से बनाम भारत संघ[1] के वाद में न्यायालय ने स्पष्ट निर्देश दिये कि तत्संबंध में संविधिक प्रावधानों के होते हुए भी, किशोर अपराधियों को जेल में नहीं रखा जाना चाहिए तथा किशोर न्याय का लाभ देकर उन्हें किशोरगृह या अन्य किसी सुधार संस्था में रखा जाए।

कच्छू बनाम हिमाचल प्रदेश[2] इसमें एक 13 साल के लड़के को 2 साल की लड़की के साथ बलात्कार के जूर्म में 4 साल का कठोर कारावास दिया गया था। उच्च न्यायालय ने इस निर्णय की पुष्टि की किन्तु उच्चतम न्यायालय ने कहा कि उसको सजा नहीं दी जाये क्योंकि यदि उसे कठोर दण्ड दिया जायेगा तो वह अन्य अपराधियों के साथ पुन: अपराधी बन जायेगा, अत: उसे सुधार गृह में भेजा जाना चाहिए।

गोपीनाथ घोष बनाम पश्चिम बंगाल राज्य[3] के वाद में उच्चतम न्यायालय ने विनिश्चित किया कि किशोर के प्रकरण में उसे जमानत पर छोड़ा जाना चाहिए जब तक कि किशोर न्याय बोर्ड को यह युक्तियुक्त आशंका न हो कि इसके परिणम स्वरूप उस पर विपरित प्रभाव न पड़े और वह अभ्यस्त अपराधियों की संगति में न पड़ जाय या उसे शारीरिक, मानसिक या नैतिक खतरा उत्पन्न न हो जाये। यदि जमानत मंजूर करना न्यायोचित न हो तो उसे संरक्षण गृह में भेजा जाना चाहिए।

बाल अपचारिता के नियंत्रण तथा सुधार हेतु किये गये प्रयत्न– अपचारी किशोरों के सुधार एवं पुनर्वास हेतु किशोर न्याय अधिनियम 1986 में अनेक प्रकार की संस्थाओं के गठन की व्यवस्था की गई थी। ठीक इसी प्रकार की व्यवस्था किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2000 में की गई हैं। अन्य देशों की विधियों में भी इस प्रकार की सुधार संस्थाओं का उल्लेख मिलता है।

बोर्स्टल संस्थायें – अपचारी किशोरों के सुधार एवं पुर्नवास के लिए स्थापित संस्थाओं में बोर्स्टल संस्थाओं का महत्वपूर्ण स्थान है। बोर्स्टल संस्थाओं में अपचारी किशोरों के सुधार एवं पुनर्वास के प्रयास किये जाते है। यहा पर उनके आवास, भोजन, शिक्षा, चिकित्सा, मनोरंजन आदि की समुचित व्यवस्था रहती है किशोरों को प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रयास यह किया जाता है कि बोर्स्टल संस्थाओं में रहकर अपचारी किशोर अनुशासित एवं अच्छे नागरिक बने।

प्रमाणित विद्यालय– निराश्रित एवं उपेक्षित बाल अपराधियों के सुधार की दिशा में प्रमाणित विद्यालयों का भी महत्वपूर्ण योगदान है। प्रमाणित विद्यालयों में ऐसे बाल अपराधियों को रखा जाता है। जिन्हें किशोर या बाल न्यायालय संस्थागत उपचार हेतु रखना आवश्यक समझता है। प्रमाणित विद्यालयों में आने से पूर्व ऐसे बाल एवं किशोर अपराधियों को रिमाण्ड गृह में रखा जाता है। प्रमाणित विद्यालयों को मुख्य उद्देश्य है–

1. बाल अपराधियों की शैक्षणिक आवश्यकताओं को तलाशना तथा उनकी पूर्ति के प्रयास करना।
2. उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना।
3. परिवार से जोड़े रखना तथा परिवार के साथ सामन्जस्य स्थापित करने का प्रयास करना ।
4. पुनर्वास, नौकरी अथवा व्यवसाय तलाशने में सहयोग करना।
5. अनुकूल सामाजिक वातावरण तैयार करने में मदद करना, आदि।

सम्प्रेक्षण गृह – किशोर न्याय अधिनियम 2000 की धारा 8 में 'सम्प्रेक्षण गृह' के बारे में प्रावधान किया गया है। सम्प्रेक्षण गृहों में ऐसे अपचारी किशोरों को रखा जाता हैं जो विचाराधीन होते हैं। प्रारम्भत: इन्हें आयु समूह के अनुसार सम्प्रेक्षण गृहों की 'रिसिप्शन यूनिट' में रखा जाता हैं सम्प्रेक्षण गृहों में किशोरों के पुनर्वास के प्रयासों के साथ–साथ उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़े जाने का प्रयास किया जाता हैं।

किशोर गृह– किशोर न्याय अधिनियम, 1986 की धारा 9 में किशोर गृहों के बारे में प्रावधान किया गया था। सन् 2000 के किशोर न्याय अधिनियम की धारा 34 में इसे बाल गृह नाम दिया गया। इन बाल गृहों में विचाराधीन किशोरों की समुचित देखरेख एवं संरक्षण का प्रबन्ध किया जाता हैं। बाद में ऐसे अपचारी किशोरों की शिक्षा–दीक्षा, प्रशिक्षण, विकास एवं पुर्नवास के

प्रयास किये जाते हैं।

विशेष गृह– सन 1986 के अधिनियम की धारा 10 एवं 200 के अधिनियम की धारा 9 में विशेष गृहों की व्यवस्था की गई है। इन विशेष गृहों में अपचारी किशोरों अर्थात विधि का उल्लघंन करने वाले किशोरो को रखा जाता हैं। यहां उनके आवास, भोजन, चिकित्सा, शिक्षा, पुनर्वास, सामाजिक सुरक्षा आदि के समूचित प्रबन्ध होते हैं। सामान्यत: इसमें ऐसे किशोरों को रखा जाता हैं जिन्हें अन्य संस्थाओं में नही रखा जा सकता हैं।

आश्रय गृह– किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2000 की धारा 37 आश्रय गृहों की स्थापना का प्रावधान करती हैं। यह आश्रय गृह अपचारी किशोरों के लिए अविलम्ब सहायता हेतु 'ड्राप इन सेन्टर्स' की तरह कार्य करेगें।

रिमाण्ड होम– रिमाण्ड होम एक ऐसी मध्यवर्ती सुधार संस्था हैं जहाँ बाल अपराधियों को गिरफ्तारी के पश्चात् एवं संस्थागत उपचार से पूर्व रखा जाता है। इस अवधि में ऐसे बाल अपराधियों के व्यक्तित्व तथा उनके सामाजिक व मनावैज्ञानिक पहलुओं का अध्ययन किया जाता हैं। रिमाण्ड होम मुख्यतह तीन प्रकार के होते हैं।

1. ऐसे रिमाण्ड होम जिनमें विचाराधीन बाल अपराधियों को रखा जाता हैं।
2. ऐसे रिमाण्ड होम अथवा बन्दीगृह जिनमें हत्या, बलात्कार जैसे गम्भीर अपराधो में लिप्त बाल अपराधियों को रखा जाता हैं।
3. ऐसे बहुउद्देशीय रिमाण्ड होम जिनमें बाल अपराधियों को सुधार, पुनर्वास एवं सर्वागीण विकास के लिए रखा जाता हैं।

निष्कर्ष – यहाँ यह उल्लेख कर देना पर्याप्त होगा कि अधिकांश किशोर परिस्थितिवश अपचारी बन जाते है न कि स्वेच्छा से। अत: यदि उन्हें प्रतिकूल परिस्थितियों तथा वातावरण से दूर रखा जाये या बचाया जा सकता हैं इस हेतु भारतीय किशोर न्याय प्रशासन में सामाजिक चिकित्सा पद्धति अपनायी जाना श्रेस्ठकर होगा। इसके अतिरिक्त किशोर न्याय अधिनियम के क्रियान्वयन पर आवश्यक निगरानी रखी जाना भी आवश्यक है ताकि इसके अधीन कार्यरत कार्यकर्ता एवं प्राधिकारी अपना दायित्व निष्ठापूर्वक निभाये। बाल अपचारिता के निवारण के लिए निम्नलिखित उपाय किये जा सकते हैं:–

1. बाल अपराधों के निवारण का पहला दायित्व माता–पिता का है। माता पिता केा चाहिए कि वे बालको को पूरा स्नेह एवं प्यार दें, उनके साथ सौतेला व्यवहार नहीं करें, उनकी न्यूनतम आवश्यकताओ को पूर्ण अवश्य करें, उनकी शिक्षा पर ध्यान दें, परिवार का वातावरण अच्छा रखें, उनके साथ मारपीट व गाली–गलोच नहीं करें।
2. बालकों को स्वस्थ मनोरंजन के साधन जुटाये जायें ताकि वे बाजारू साहित्य, अश्लील चलचित्र आदि से दूर रहे।
3. विद्यालयों में बालको को चरित्र निर्माण की नैतिक शिक्षा दी जाय, उन्हें सुसंस्कारित किया जाय तथा मानव धर्म के प्रति आस्था उत्पन्न की जाये।
4. परिवार की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ किया जाय। परिवार में अत्यधिक भीड़–भीड़ न हो, वातावरण अनैतिक एवं दूषित न हों।
5. अनाथ, उपेक्षित एवं अपचारी बालकों को सुधार गृहों में रखा जाये। वहाँ उनके आवास, भोजन,शिक्षा आदि के समुचित प्रबन्ध किये जायें। उन्हें सुधारने का अवसर प्रदान किया जायें।
6. उपेक्षित एवं अपचारी बालकों व किशोरों के पुनर्वास का प्रयास किया जाय, उन्हें रोजगारोन्मुखी शिक्षा दी जायें।
7. बालकों को राजनीतिक प्रदूषण (हड़ताल, घेराव, तोड़फोड़) आदि से दूर रखा जायें।
8. अपचारी बालकों को योग प्रशिक्षण दिया जाय ताकि उनकी एकाग्र शक्ति दृड़ हो व स्वच्छ मानसिक तथा शारीरिक विकास हो।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. डॉ. ना.वि. परांजपे : अपराधशास्त्र एवं दण्ड प्रशासन, सेन्ट्रल लॉ पब्लिकेशन्स, इलाहाबाद
2. डॉ. जयनारायण पाण्डे : भारत का संविधान, सेन्ट्रल लॉ एजेंसी, इलाहाबाद
3. डॉ. धर्मवीर महाजन : भारतीय समाज :मुद्दे एवं समस्याएं
4. हर्ष बिहारी श्रीवास्तव: किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, सेन्ट्रल लॉ पब्लिकेशन्स इलाहाबाद।

Footnotes:

1. M.J.Sethna, society and the criminial P-315
2. (1986) 3 S.C.C. 596
3. A.I.R. 1989 Patna 217
4. (1984) S.C.C.Cr.478

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
October to December 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVI

साइबर आंतकवाद विशेष संदर्भ- डाटा हैकिंग एण्ड ब्लैकमेल कारण एवं निवारण

डॉ. अश्विन लोया *

* नवसंवत विधि महाविद्यालय, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

शोध विधि

शोध समस्या चयन- वर्तमान में साइबर आंतकवाद से विश्व समुदाय जुझ रहा हैं इसलिये शोधार्थी ने शोध समस्या का चयन 'साइबर आंतकवाद:विशेष संदर्भ डाटा हैकिंग एण्ड ब्लैकमेल कारण एवं निवारण' किया हैं।

शोध तकनीक- शोधार्थी ने शोध तकनीक में सैद्धातिक मार्ग अपनाया हैं साइबर जगत के विद्धानो के लेख रिसर्च पेपर, पत्र पत्रिकाओं, पुस्तको को अपने शोध अध्ययन का आधार बनाया हैं।

उपकल्पना- शोधार्थी ने निम्न उपकल्पनाएँ सृजित की हैं-

1. साइबर आंतकवाद विश्व समुदाय के लिये सबसे बड़ा खतरा हैं।
2. विश्व व्यवस्था को डाटा हैकिंग से ध्वस्त किया जा सकता हैं।
3. डाटा हैकिंग कर ब्लैकमेल करना सफेद पोश अपराध का नया उदाहरण हैं।

उक्त कथनो को शोध के माध्यम से परीक्षण करना हैं।

शोध क्षेत्र- शोधार्थी ने अपने शोध को साइबर क्राइम विशेषज्ञो, लेखकों की पाठ्य पुस्तकों, समाचार पत्रों तक अपने शोध को सीमित रखा हैं।

विषय परिचय- दुनिया के सबसे बड़े साइबर हमले ने भारत और यूरोप समेत करीब 100 देशों को अपने चपेट में ले लिया। खबर मिली रही है कि भारत में तो कई एटीएम बंद करने का फैसला लिया हैं। प्राय: अति संवेदनशील एटीएम बंद किए गए हैं। इस ऐतिहासिक वैष्विक साइबर हमले की चपेट में ब्रिटेन, अमरीका, चीन, रूस, स्पेन, इटली वियतनाम जैसे देश हैं। 'रैनसमवेयर' साइबर हमले होने की बात आई। एक घंटे में 50 लाख ईमेल हैक करने की दर से वायरस ने करोड़ों कम्प्यूटरो की कार्य प्रणाली को ठप्प कर दिया हैं। इस हमले की भयावहता इससे समझी जा सकती हैं कि समय के साथ आकड़ो में अप्रत्याशित वृद्धि हो रही हैं। इस साइबर हमले को अनूठा माना जा रहा हैं क्योंकि इसमें 'रैनसमवेयर' को वार्म के काम्बिनेशन में प्रयोग लाया जा रहा हैं। इसका मतलब यह हैं कि एक कम्प्यूटर में शुरू हुआ संक्रमण स्वत: ही सारे नेटवर्क तक पहुँच जाता हैं। इसी कारण इस हमले की व्यापकता इतनी ज्यादा हैं। कैस्परस्की लेब के सुरक्षा अनुसंधानकर्ताओं ने शुरूआती कुछ घंटो में ही ब्रिटेन, रूस, युक्रेन, भारत, चीन, इटली और मिस्र समेत 99 देशो में 45 हजार से अधिक मामले दर्ज किये हैं। स्पेन में दूरसंचार कंपनी टेलीफोनिया समेत बड़ी कंपनियां इस हमले का शिकार हुई सबसे विध्वंसक हमले ब्रिटेन में दर्ज किये गये जहां कम्प्यूटर में डेटा पहुँच नही होने के कारण अस्पतालो एवं क्लीनिको को मजबूरन मरीजो को वापस भेजना पड़ा। दरअसल यहां मरीजो का पूरा स्वास्थ्य रिकार्ड, खून की रिपोर्ट, दवाईयाँ आदि कम्प्यूटरो से ही देखा जाता हैं लेकिन रैनसमवेयर हमले के बाद स्वास्थ्य सेवायें तहस नहस हो गई। इसके बाद हैंकरो ने अमरीकी अंतराष्ट्रीय कूरियर सेवा 'फेडेक्स' के सिस्टम को बंद कर दिया। जैसा कि मैने बताया रैनसमवेयर एक कम्प्यूटर वायरस हैं जो कम्प्यूटर फाईल को बर्बाद करने की धमकी देता हैं कि अगर अपनी फाईलो को बचाना हैं तो फीस चुकानी होगी।

यह वायरस कम्प्यूटर में मौजूद फाईलो और विडियों को डिक्रिप्ट कर सकता हैं महत्वपूर्ण बात यह हैं कि इसमें फिरौती चुकाने के लिये समय सीमा निर्धारित की जाती हैं यदि समय पर पैसा नही चुकाया जाता तो फिरौती की रकम बढ़ जाती हैं खराब या करप्ट हुये कम्प्यूटर को पुन: सुचारू करने के लिये 300-300 डालर तक की फिरौती मांगी जा रही हैं। कुछ पीड़ितो ने डिजिटल करेंसी बिटक्वाइन द्वारा भुगतान भी किया हैं लेकिन यह अब तक नही पता चला की साइबर हमलावरो को कितना भुगतान किया गया हैं? गौरतलब हैं कि बिटक्वाइन को हैकर फिरौती के तौर पर प्रयोग करते हैं ताकि उन्हें पकड़ा नही जा सके। दुनिया भर के देशो में हुये इस वैश्विक साइबर हमले के तार अमरीका की राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी के चोरी हुये उपकरण इंटरनल ब्लू को हथियार बनाकर हैकरो ने इस तरह का बड़ा साइबर हमला किया हैं। इंटरनल ब्लू नामक उपकरण को अमरीका ने आंतकियो और दुश्मनो द्वारा इस्तेमाल किये जाने वाले कम्प्यूटरो में सेंध लगाने के लिये विकसित किया था। इस हैकिंग उपकरण को 'शेडो ब्रोकर्स' नामक समूह ने लिक कर दिया था।

बीते 12 मई 2017 साइबर हमले में इस्तेमाल हुये फिरौती वायरस के कुछ हिस्से इस लिंक से मिलते जुलते हैं। यहा साइबर हमला विण्डोज कम्प्यूटरो में हो रहा हैं और खासकर उसमें जिनमें एक्सपी हैं। माइक्रोसाफ्ट ने इस ऑपरेटिंग सिस्टम का सपोर्ट पहले ही बंद कर दिया इसलिये अब माइक्रोसाफ्ट विण्डोज एक्सपी को प्रयोग करना किसी चुनौती से कम नही। माइक्रोसाफ्ट ने इस खामी को दूर करने के लिये एक पेच अपडेट किया था लेकिन हैकरो ने इसमें भी सेंध लगा दी। भारत में आंध्रप्रदेश पुलिस नेटवर्क पर प्रभाव पड़ा हैं। बीते 13 मई 2017 आंध्रप्रदेश के चितूर, गंटूर, विशाखापटनम और श्रीकाकूलम जिलो में पुलिस के कम्प्यूटर ठप्प पड़ गये। आंध्रप्रदेश पुलिस के अनुसार एप्पल आईओएस पर चलने वाले सिस्टम सुरक्षित हैं। इस मामले के मद्देनजर भारत सरकार की इण्डियन कम्प्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम ने

रिजर्व बैंक, शेयर बाजार आदि संवेदनशील संस्थाओं को अलर्ट जारी कर बताया हैं कि उन्हें क्या करना हैं और क्या नही। भारत में 70 फीसदी एटीएम में पुराने पड़ चुके विण्डोज एक्सपी हैं। जिसका पूरा नियंत्रण उन वेण्डरो पर होता हैं, जो बैंको को यह सिस्टम देते हैं। माइक्रोसाफ्ट ने पहले ही विण्डोज एक्सपी को सपोर्ट करना बंद कर दिया हैं इसलिये इन एटीएम के सिस्टम को अपग्रेड करना जरूरी हैं। इस साइबर हमले से यह स्पष्ट हैं कि विश्व समुदाय इंटरनेट साधनो का अधिकतम प्रयोग तो कर रहा हैं पर साइबर सुरक्षा पर अपेक्षानुसार जोर नही दे रहा हैं। ऐसे हमलो को रोकने के लिये विश्वव्यापी प्रयत्न होने चाहिए और इसे तत्काल किया जाना चाहिए। आज साइबर आंतकवाद की समस्या विश्व समुदाय के समक्ष गंभीर रूप से खड़ी हैं।

साइबर अटैक किसने किया? एक साफ्टवेयर को 14 अप्रैल को एक ग्रुप 'शेडो ब्रोकर्स' ने बनाया और इसे ऑनलाइन डाल दिया। दावा किया गया कि अमेरीकी की नेषनल सिक्योरिटी एजेंसी से साइबर अथियार चोरी किया गया।

उत्तर कोरिया से आया था रैसमवेयर– दुनियाभर में खलबली मचाने वाले रैंसमवेयर के साइबर हमले के पीछे उत्तर कोरिया का हाथ था। यह आशंका साइबर सुरक्षा कंपनी सिनटेक कोर्प और कैम्पस्काई और कैस्परस्काई लैब ने जताई हैं। उन्होंने कहा हैं इस मामले में जांच की जा रही है। दक्षिणकोरियाई साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों ने फिर हमला होने की चेतावनी जारी की हैं।

इस बीच, क्रीकहील टैक्नोलॉजीस ने कहा है कि भारत में रैसमवेयर हमले के 48000 मामले पकड़ में हैं। इनमें सबसे ज्यादा मामले पष्चिम बंगाल के हैं। सियोज की इंटरनेट सक्युरिटी फार्म हॉरो के निदेशक सिमोन चोई ने बताया कि हाल के साइबर हमले में इस्तेमाल कोड और उन पिछले हमलों में की गई समानताऐं देखी गई हैं, जिनका दोषी उत्तर कोरिया को बताया जा रहा हैं।

केवल विण्डोज पर ही अटैक क्यों?– वर्तमान वायरस ने केवल माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के विण्डोज ऑपरेटीग सिस्टम से चलने वाले सिस्टम पर ही अटैक किया हैं। इसके पीछे मुख्य कारण विण्डोज में चलने वाले एक्सएमपी प्रोटोकॉल का होना हैं। विण्डोज लाख सिक्युरिटी का दावा करें, किन्तु उसके ऐसे सिस्टम से चलने वाले कम्प्यूटर इससे बच गए हैं, क्योंकि वहां दूसरे प्रोटोकाल का उपयोग होता हैं।

भारत में सबसे ज्यादा खतरा– भारत में ऐसे वायरस अटैक और हैकिंग का सबसे ज्यादा खतरा हैं। हैकर्स और सिक्युरिटी विशेषज्ञों के अनुसार भारत की अधिकांश वेबसाइट और कप्यूटर सिस्टम में सिक्युरिटी का कोई सवाल ही नहीं हैं। इसे आसानी से भेदा जा सकता है यह बात आम लोगों तक ही नहीं बल्कि यह सरकारी संस्थानों तक भी जा सकती है। बीएसएफ, कैट, युनिवर्सिटीज, कलेक्टोरेट जैसे सरकारी विभाग और अन्य संस्थान खुद को अपडेट भी नही करते हैं।

पश्चिम बंगाल के बिजली मंत्री सोवनदेब चट्टोपाध्याय ने बताया कि बिजली विभाग के 30 केन्द्रों पर 504 कम्प्यूटर प्रभावित हुए। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि सूरी, बीरभूम जिले के नलहाटी और दार्जिलिंग जिलों के कम्प्यूटर प्रभावित हुए। केरल के पेलक्कड़ में दक्षिण रेल्वे डिविजन के 23 कम्प्यूटर प्रभावित हुए।

आंध्रप्रदेश राज्य चितूर, गुंटूर, विषाखापत्तन, श्रीकाकूलम जिलों में 18 पुलिस विभागों के कम्प्यूटर ठप्प पड़ गये।

ऐसे हमले पहले कब हुए?– सन् 2003 में याहू का डेटा चोरी हुआ था। करीब एक अरब अकाउंट्स से डाटा चोरी किया गया था। लेकिन दुनिया के 100 देशो में इस तरह के साइबर अटैक का पहला मामला हैं।

फिनलैंड की साइबर सिक्यूरिटी कंपनी एफ-सिक्योर के चीफ रिसर्च अफसर माइको हाइपोनेन के मुताबिक- रैनसमवेयर इतिहास का सबसे बड़ा साइबर अटैक हैं।

क्या है देश में अटैक के कारण:

- भारत में 95 प्रतिशत कम्प्यूटर विण्डोज ऑपरेटिंग सिस्टम से चलाऐं जाते हैं।
- भारत में 80 प्रतिशत से ज्यादा कम्प्यूटर पाइरेटड सॉफ्टवेयर से चलाए जाते है।
- कुल विण्डोज कम्प्यूटर सिस्टम में से 90 प्रतिशत विण्डोज-8 या उससे कम वाले वज़न में चल रहे हैं।
- वास्तव में ऐसे सिस्टम पर अटैक का ज्यादा खतरा हैं, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने उन्हें अपडेटैड पर उनका सपोर्ट बंद कर दिया हैं, जबकि हमारे यहाँ पर विण्डोज-8 व 7 तो छोड़िए अब भी लो विण्डोज एक्सपी पर काम कर रहे हैं।

इनके लिए है रैंसमवेयर जैसे वायरस का हमेशा खतरा:

- जो लोग अपने डाटा का बैकअप नही रखते हैं।
- जो लोग साइबर एज्युकेटेड नही हैं, वे अपने वाली लिंक या अन्य पर क्लिक कर उससे ओपन करते हैं।
- जो ऑन लाइन जागरूकता नहीं रखते हैं, जिससे कभी भी अटैक हो जाता हैं।
- जो अपने सॉफ्टवेयर लगातार अपडेट नही करते।
- जो साइबर सिक्युरिटी को प्रोटक्ट करने वाले सॉफ्टवेयर नही खरीदते हैं।
- जो अपनी ऑनलाइन सुरक्षा के लिए किस्मत पर भरोसा करते हैं।
- जिन्हें सुरक्षा के लिए एंटीवायरस पर ही भरोसा होता हैं, जबकि यह रैंसमवेयर जैसे वायरस के लिए अप्रभावी हैं।

इसलिए होते हैकिंग से ब्लैकमेल:

- हैकिंग के बाद डाटा में होने से उनका बिजनेस प्रभावित हो रहा है। लेनदारी कम होने व देनदारियां बढ़ने का खतरा होता हैं।
- बिजनेस में अकसर लोग सरकार या डिपार्टमेंट से 'छुपी हुई इंफर्मेशन' रखते हैं, जिनके सार्वजनिक होने से वह डरते हैं।
- डाटा का बैकअप नहीं रखते हैं, इसलिए ओरिजनल डाटा ही वापस चाहिए होता हैं।
- साइबर अपराधियों को पता है कि जिसके सिस्टम को हैक लिया गया हैं वह बिजनेस, लीगल, या सामाजिक प्रतिष्ठा के कारण कभी भी रिपोर्ट नहीं करेगें।
- पर्सनल इंफॉर्मेशन भी बिजनेस के साथ रखते हैं, जिससे उसके लीक होने का खतरा होता हैं।

शोध निष्कर्ष– 'रैनसमवेयर मालवेयर'

(अ) यह कम्प्यूटर वायरस है जो ई-मेल या किसी लिंक में कोडेड रहता हैं खोलने पर वायरस कोड सिस्टम में खुद ईस्टॉल हो जाता हैं।

(ब) वायरस 'ईक्रिप्टशन की' के जरिये सर्वर व सिस्टम फाईल को लॉक कर देता हैं और उन्हें बरबाद करने की धमकी देता है।

(स) 'ईक्रिप्टशन की' के बिना सर्वर और सिस्टम की फाईलो को खोला

नहीं जा सकता हैं।

(द) वायरस धमकी देता है कि फाइलों को बचाना है तो तय वक्त में फीस देनी होगी। नहीं तो वायरस ईमेल से और फैल जाएगा।

शोधार्थी ने शोध के पश्चात्:

1. प्रथम उपकल्पना का परिक्षण किया 'साइबर आंतकवाद, विश्व समुदाय के लिए सबसे बड़ा खतरा हैं।' इस उपकल्पना को परिक्षण किया जो पाया कि रैनसमवेंयर आलवेय से कुछ घंटो में दुनियाभर में 75000 साइबर हमले होने की बात आई। एक घण्टे में 50 लाख ई-मेल हैक करने की दर से वायरस ने करोड़ों कम्प्यूटरों की कार्यप्रणाली को ठप्प कर दिया। इस हमले की भयावहता इससे समझी जा सकती है इससे 'साईबर आंतकवाद विश्व समुदाय के लिए सबसे बड़ा खतरा हैं।' उपकल्पना सिद्ध पाई गई।

2. दूसरी उपकल्पना 'विश्व व्यवस्था को डाटा हैकिंग से ध्वस्त किया जा सकता हैं।' का परिक्षण किया तो ज्ञात हुआ कि भारत

पं.बंगाल	**बिजली विभाग**	**30 केंद्रो पर**	**504 कम्प्यूटर प्रभावित**
केरल के पलक्कड़ में डिवीजन	दक्षिण रेल्वे		23 कम्प्यूटर प्रभावित
आंध्रप्रदेश राज्य जिला-चितूर, गुंटूर, विशाखापटनम, श्रीकाकूलम आदि में	आंध्रप्रदेश पुलिस	18 पुलिस विभाग	25 प्रतिशत इंटरनेटवर्क 13 मई 2017 को ठप्प पड़ गए।
भारत में	रैंसमवेयर हमले के 48000 मामले पकड़ में आए	भारत, अमेरिका, रूस समेत 150 देशों में	2 लाख से ज्यादा कम्प्यूटर प्रभावित

उपरोक्त खतरनाक आंकड़ो से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता हैं कि 'विश्व व्यवस्था को डाटा हैकिंग से ध्वस्त किया जा सकता हैं। यह परिकल्पना भी सिद्ध हुई।

3. तीसरी उपकल्पना 'डाटा हैकिंग कर ब्लैकमेन करना व्हाईट कॉलर आफेंस का नया उदाहरण हैं।' का परिक्षण करने पर पाया गया कि

खराब या करप्ट हुए कम्प्यूटर को पुन: सुचारू करने के लिए 300-600 डॉलर तक की फिरौती मांगी जा रही हैं। कुछ पीड़ितो ने डिजिटल करेंसी विटक्वाइन द्वारा भुगतान भी किया है। भारत, रूस, अमेरीका समेत दुनिया भर के 100 से ज्यादा देशों में फिरौती के लिए इतिहास का सबसे बड़ा हमला हुआ हैं।

इससे स्पष्ट निष्कर्ष निकलता हैं कि डाटा हैकिंग कर ब्लैकमेल करना सिद्ध हुआ एवं सफेदपोष अपराध (व्हाईट कॉलर आफेंस) एक नया उदाहरण जुड़ गया हैं।

सुझाव- कैसे बचें डाटा हैकिंग से-

- अपने कम्प्यूटर पर अधिकृत या लाइसेंसी सॉफ्टवेयर का ही उपयोग करें।
- आने वाले अनजान ई-मेल या जोखिम पर क्लिक न करें।
- ऑनलाइन डाटा सिक्युरिटी के इंतजाम अपने सिस्टम पर रखें।
- अपने सिस्टम पर लेटेस्ट एंटी वायरस डालकर रखें।
- फायर वॉल जैसे सॉफ्टवेयर का प्रयोग करें।

हमेशा अपने डाटा का एक्सटरनल ड्राईव (पेन ड्राईव, फ्लैष ड्राईव, हार्डडिस्क आदि) में बैकअप करें।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. पत्र-पत्रिकाऐं, टी.वी. चैनल्स एवं पाठ्य पुस्तकें।
2. व्यक्तिगत शोध के आधार पर।

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
October to December 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVI

देश के आर्थिक विकास में ऑटोमोबाइल उद्योग का योगदान –एक समीक्षात्मक अध्ययन

गोरधन जाट* डॉ. केशव मणि शर्मा **

* शोधार्थी, विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन (म.प्र.) भारत
**प्राध्यापक, शासकीय माधव कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय उज्जैन (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – प्रस्तुत शोध अध्ययन में भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग द्वारा देश के आर्थिक विकास में दिए जा रहे महत्वपूर्ण योगदान के विभिन्न पहलुओं के आधार पर विश्लेषणात्मक अध्ययन किया गया है शोध अध्ययन से प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग द्वारा देश में संचालित सभी प्रकार के उद्योगों में सहायक की भूमिका के रूप में कार्य किया जाता है वर्तमान भारत में शायद ही ऐसा कोई क्षेत्र होगा जो ऑटोमोबाइल उद्योग की सेवाओं से अछूता रहा होगा आज प्रत्येक क्षेत्र में ऑटोमोबाइल उत्पादों के उपयोग से उन्नति एवं तरक्की हो रही है।

साथ ही ऑटोमोबाइल उद्योग के द्वारा देश के लाखो लोगो को रोजगार की प्राप्ति होती है देश के विभिन्न क्षेत्रो में अपने अपूरणीय योगदान के साथ –साथ भारत की जीडीपी में ऑटोमोबाइल उद्योग 7 प्रतिशत का योगदान देता है इस प्रकार प्रस्तुत शोध अध्ययन द्वारा हमारे देश के आर्थिक विकास में ऑटोमोबाइल उद्योग के योगदान का समीक्षात्मक तथा विश्लेष्णात्मक अध्ययन किया गया है।

शब्द कुंजी –उदारीकरण, जीडीपी, लाइसेंस, जीएसटी, क्षतिपूर्ति उपकर, आयात शुल्क अभियंता, आउटलेट, विनिर्माण, सेल्स, सर्विस, स्पेयर, डिजाइन, विपणन, ऑटोमोबाइल, महत्वपूर्ण, विश्लेषण, अर्थव्यवस्था, अपूरणीय व्यापकता, दृष्टिकोण, आदि।

प्रस्तावना – किसी भी देश के आर्थिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान उस देश के उद्योग एवं धंधों का रहता है इसमें भी विशेषकर ऐसे उद्योग जो कि अन्य सभी उद्योगों के संचालन में सहायक होते हैं उसका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण होता है ऑटोमोबाइल उद्योग ऐसा ही एक उद्योग है जो देश के सभी उद्योग एवं अन्य सभी क्षेत्रों के विकास में सहायता प्रदान करता है और देश की जीडीपी में 7 प्रतिशत से अधिक कायोगदान देता है भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग में आरम्भ से आज तक निरन्तर प्रगति होती आई है इसमें वे सभी कंपनियां शामिल है जो बस, ट्रक, कार, ट्रेक्टर,मोटर सायकल, स्कूटर, रक्षा वाहन आदि का विनिर्माण, विक्रय, विपणन का कार्य करती है इस क्षेत्र में कार्य करने वाली कंम्पनियों में मुख्य रूप से महिंद्रा एंड महिंद्रा, अशोक लीलैंड, टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी, हुंडई मोटर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, टाटा मोटर्स ,फॉक्सवैगन, रेनॉल्ट, हिंदुस्तान मोटर्स, फीयेट,बीएमडब्लू, फोर्ड, बजाज, ऑडी, जेपी मोटर्स, हौंडा कार्स आदि प्रमुख रूप से शामिल है।

शोध विषय का चयन एवं उद्देश्य – हमारा भारत देश तेजी से एवं निरंतर विकसित होता हुआ देश है और किसी भी राष्ट्र के संपूर्ण विकास में वहां के सभी क्षेत्रों का महत्वपूर्ण योगदान होता है किंतु सभी क्षेत्रों के विकास में सहायक एक अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्रहै औरवह है ऑटोमोबाइल उद्योग का क्षेत्र क्योंकि आज प्रत्येक क्षेत्र अपने क्रियाकलापों के संचालन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऑटोमोबाइल उत्पादों का प्रयोग करता हैऑटोमोबाइल उद्योग की व्यापकता एवं देश के आर्थिक विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान होने के कारण शोधकर्ता के द्वारा 'भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग एक समीक्षात्मक अध्ययन'को शोध विषय के रूप में चुना गया है।

उद्देश्य – प्रस्तुत शोध अध्ययन निम्नलिखित प्रमुख उद्देश्यों को धयान में रखकर किया गया है।

1. भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग का विश्लेषणात्मक अध्ययन करना।
2. भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग का भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान का अध्ययन करना।

शोध प्रविधि, समंको का संकलनतथा शोध क्षेत्र– किसी भी शोध कार्य को प्रभावी ढंग से पूर्ण करने के लिए प्राथमिक एवं द्वितीयक समंकों की आवश्यकता होती है जिनके विश्लेषण के आधार पर ही किसी शोध कार्य को विश्वसनीयता की कसौटी पर खरा परखा सकता है।

प्रस्तुत शोध अध्ययन को पूर्ण करने के लिए विश्लेषणात्मक शोध अध्ययन विधि का प्रयोग कर शोध विषय से संबंधित विभिन्न वेबसाइटों, प्रकाशित शोध पत्र, अप्रकाशित शोधकार्य, सर्वेक्षण रिपोर्ट, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, शासकीय एवं अशासकीय प्रकाशन आदि का अध्ययन एवं विश्लेषण कर प्राथमिक एवं द्वितीयक समंको का संकलन किया गया है प्रस्तुत शोध अध्ययन में भारत के ऑटोमोबाइल उद्योगका समीक्षात्मक अध्ययन किया गया है।

शोध परिकल्पना – प्रस्तुत शोध अध्ययन की निम्नलिखित परिकल्पनाएं है।

1. देश के आर्थिक विकास में ऑटोमोबाइल उद्योग का महत्वपूर्ण योगदान है।
2. भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग में देश के अनेक लोगों को रोजगार प्राप्त होता है।

भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग– भारत तेजी से विकसित होने वाला विश्व में जनसंख्या के दृष्टिकोण से दूसरा सबसे बड़ा देश है जहाँ प्रत्येक क्षेत्र के उद्योग धंधों ने तेजी से विकास किया है भारत में वर्ष 1940 के दशक में

ऑटोमोबाइल उद्योग की शुरुआत हुई थी सन 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सरकार एवं निजी क्षेत्र दोनों ने मिलकर ऑटोमोबाइल उद्योग के विकाश एवं विस्तार के लिए कार्य किया वावजूद इसके वर्ष 1950 और 1960 में इस क्षेत्र का धीमी गति से विकास हुआ वर्ष 1970 के बाद स्कूटर, ट्रेक्टर एवं व्यवसायिक वाहनों के विनिर्माण ने कुछ गति पकड़ी किन्तु लग्जरी कारों के विनिर्माण का कार्य अभी भी धीमी गति से चल रहा था वर्ष 1980 के दशक में उदारीकरण निति के परिणाम स्वरुप अनेक जापानी ऑटोमोबाइल कंपनियों ने भारत में अपनी विनिर्माण इकाइयाँ स्थापित कर मोटर सायकल एवं हल्के व्यावसायिक वाहनों का उत्पादन का कार्य पर प्रारम्भ किया भारतीय सरकार द्वारा वर्ष 1991 में शुरू हुए आर्थिक उदारीकरण और लाइसेंस राज के कमजोर होने सेभारतीय एवं अनेक राष्ट्रों की कार कम्पनियां भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग में उतरीं तब से आज तक लगातार ऑटोमोबाइल उद्योग में वृद्धि होती रही है।

वर्तमान में भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग अत्यंत विस्तृत एवं देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने वाला क्षेत्र बन गया है।

भारत में कार्यरत प्रमुखऑटोमोबाइल कंपनियां – भारत में कार्यरत ऑटोमोबाइल कंपनियों में मुख्य रूप से महिंद्रा एंड महिंद्रा, अशोक लीलैंड, टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी, हुंडई मोटर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, फॉक्सवैगन, रेनॉल्ट, हिंदुस्तान मोटर्स, फीयेट, बीएमडब्लू, फोर्ड, बजाज, ऑडी, जेपी मोटर्स, हौंडा कार्स आदि शामिल है।

उत्पादन विश्लेषण (वर्ष2015-16से 2020-21)- भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योगद्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 सेवित्तीय वर्ष2019-20तक निम्नलिखित सारणी अनुसार उत्पादों का उत्पादन किया है जिसके अवलोकन एवं विश्लेषण से यह ज्ञात होता है कि भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योगने विगत 5 वर्षो में निरंतर उत्पादन में वृद्धि की है।

सारणी -1 (अन्तिम पृष्ठ पर देखे)

घरेलू विक्रय प्रदर्शन – भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योगद्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 से वित्तीय वर्ष 2019-20तक निम्नलिखित सारणी अनुसार उत्पादों का घरेलू विक्रय किया गया है जिसके अवलोकन एवं विश्लेषण से यह ज्ञात होता है कि भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योगने विगत 5 वर्षो में निरंतर घरेलू विक्रय में वृद्धि दर्ज की है किन्तु वर्ष 2019-20 में कुछ गिरावट भी दर्ज की गई है।

सारणी -2 (अन्तिम पृष्ठ पर देखे)

ऑटोमोबाइल उद्योग पर लगने वाले कर – ऑटोमोबाइल उद्योग के विभिन्न उत्पादों पर भिन्न-भिन्नदरों से कर लगाया जाता है जिससे सरकार को राजस्व की प्राप्ति होती है और देश का आर्थिक विकास होता है हमारे देश ने 1 जुलाई2017 से वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को अपनाया है ऑटोमोबाइल उद्योग के विभिन्न उत्पादों पर पर लगनेवाले करों एवं उनकी दरों का विवरण निम्नानुसार सारणी -4, 5 एवं 6 में किया गया हैजिनका अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि ऑटोमोबाइल उद्योग से करों के रूप में सरकार को अत्यधिक राजस्व की प्राप्ति होती है।

सारणी -3 (अन्तिम पृष्ठ पर देखे)

सारणी -4 (अन्तिम पृष्ठ पर देखे)

सारणी -5 (अन्तिम पृष्ठ पर देखे)

ऑटोमोबाइल उद्योगमें रोजगार के अवसर – भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग में आरम्भ से लेकर आज तक निरंतर परिवर्तन एवं उन्नति होती आई है परिणाम स्वरूप ऑटोमोबाइल उद्योग में रोजगार के अवसरों में वृद्धि के साथ नए रोजगार भी सृजित हुए है वर्तमान में भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग में हेल्पर, से लेकर उच्च प्रशिक्षित प्रबन्धक,अभियंताओं, कार्यालयीन स्टाफ आदि के लिए रोजगार की अपार संभावनाएं एवं अवसर है।

भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग एक अत्यंत विस्तृत एवं व्यापक क्षेत्र है यह उद्योग जितना अधिक विस्तृत एवं व्यापक है उतना ही अधिक व्यवस्थित एवं विस्तृत नेटवर्क में फैला हुआ है ऑटोमोबाइल उद्योग के सेल्स एवं सर्विस आउटलेट छोटे- छोटे कस्बे से लेकर बड़े- बड़ेमहानगरों तक सुनियोजित ढंग से फैले हुए हैं जो छोटे शहरों से लेकर बड़े-बड़े महानगर तक के लोगों को बड़ी संख्या में रोजगार प्रदान करते हैं भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग के अंतर्गत इसके उप विभागो के रूप में विनिर्माण,सेल्स, सर्विस, स्पेयर और सेफ्टी आदि सम्मिलित है इन सभी उप विभागों सहित ऑटोमोबाइल उद्योग में लाखों लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार की प्राप्ति होती हैं

ऑटोमोबाइल उद्योग में रोजगार के अवसरों को मुखत: चार शाखाओं में बाटा जा सकता है-डिजाइन, विकास, विनिर्माण एवं विपणन।

डिजाइन शाखा के अंतर्गत ऑटोमोबाइल वाहनो या पुर्जों का खाका तैयार किया जाता है। विकास शाखा के अंतर्गत खाके का मूल्यांकन किया जाता हैं और विनिर्माण इंजीनियरों शाखा का संबंध वाहन के विनिर्माण या उत्पादन के साथ है तथा विपणन शाखा का कार्य विनिर्मित उत्पादों के विपणन एवं विक्रय का कार्य किया जाता है।इस प्रकार एक ऑटोमोबाइल उद्योग में चार प्रकार की शाखाओं में अपार रोजगार के अवसर होते है।

भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से देश के लगभग 37 मिलियन लोगों को रोजगार प्रदान करता है इस प्रकार यह क्षेत्र देश में सबसे ज्यादा रोजगार प्रदान करने वाले उद्योगों में से एक है।

परिकल्पना परीक्षण- किसी भी शोध कार्य का सबसे महत्वपूर्ण कार्य परिकल्पनाओं का निर्धारण एवं इनकी पुष्टि या परीक्षण करना होता है जिसके आधार पर ही शोध कार्य की सार्थकता सिद्ध मानी जाती है या यूं कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि शोध परिकल्पना एवं परिकल्पनाओंकी पुष्टि ही शोध कार्य की आत्मा होती है ।इसी बात को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तुत शोध कार्य की परी कल्पनाओं की परीक्षणकरना अत्यावश्यक हैइसलिए प्रस्तुत शोध कार्य की परिकल्पनाओं का परीक्षण निम्नानुसार किया गया है।

प्रस्तुत शोध की प्रथम परिकल्पना-देश के आर्थिक विकास में ऑटोमोबाइल उद्योग का महत्वपूर्ण योगदान है।

परीक्षण- प्रस्तुत शोध कार्य के गहन अध्ययन एवं विश्लेषण से यह ज्ञात हुआ है कि देश के आर्थिक विकास में ऑटोमोबाइल उद्योग का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है देश में संचालित समस्त आर्थिक क्रियाकलापों में ऑटोमोबाइल सेक्टर (उद्योग) का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहयोगात्मक संबंध है फिर चाहे वह देश के औद्योगिक विकास की बात हो या शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कृषि या व्यापार सभी क्षेत्रों में ऑटोमोबाइल उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पादों जैसे कि ऑटोमोबाइल व्यावसायिक एवं व्यक्तिगत वाहन आदि का प्रयोग किया जाता है जिनके उपयोग के बिना देश में उक्त किसी भी क्षेत्र का सुगम संचालन संभव नहीं है वही ऑटोमोबाइल उद्योग देश की अर्थव्यवस्था एवं जीडीपी में भी अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान देता है इन सभी तथ्यों को धयान में रखकर यह कहा जा सकता है कि देश के आर्थिक विकास में ऑटोमोबाइल उद्योग का महत्वपूर्ण योगदान है इस प्रकार हमारी पहली

परिकल्पना सत्य सिद्ध होती है।

प्रस्तुत शोध कार्य की द्वितीय परिकल्पना – भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग में देश के अनेक लोगों को रोजगार प्रदान करता है।

परीक्षण– प्रस्तुत शोध के अध्ययन एवं विश्लेषण से ज्ञात हुआ है कि भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग वृहत क्षेत्र में फैला हुआ एक अत्यंत व्यापक उद्योग है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से देश के लगभग 37 मिलियन लोगों को रोजगार प्रदान करता है इस उद्योग अंतर्गत प्रबंधन उत्पादन विपणन, विज्ञापन सेवा तथा तकनीक आदि क्षेत्र भी शामिल है जिनमें अशिक्षित से लेकर उच्चतम शिक्षित तथा अकुशल से लेकर उच्च कुशल तक सभी प्रकार के व्यक्तियों के लिए रोजगार के अपार अवसर विद्यमान है जहाँ वर्तमान में भारत के निम्न वर्ग से लेकर उच्च वर्ग तक के 37 मिलियन लोगों को रोजगार की प्राप्ति हो रही हैइस प्रकार प्रस्तुत शोधअध्ययन की हमारी यह परिकल्पना भी सत्य सिद्ध होती है ।

सुझाव – प्रस्तुत शोध अध्ययन के आधार पर निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किए जाते हैं

1. ऑटोमोबाइल सर्विस सेक्टर देश का एक बहुत बड़ा व्यापक क्षेत्र है जिसका देश के आर्थिक विकास में सीधा योगदान है सरकार को नवीन सरल योजनाएं बनाकर नए उद्यमियों को इस क्षेत्र की ओर आकर्षित करना चाहिए ।
2. रोजगार के क्षेत्र में बढ़ती प्रतियोगिताओं के युग में बेरोजगार युवाओं को ऑटोमोबाइल उद्योग में रोजगार तलाश करना चाहिए या इसे रोजगारके अवसर के रूप में अपनानाचाहिये ।

निष्कर्ष – प्रस्तुत शोध के गहनअध्ययन एवं विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकलता है कि भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग एक अत्यंत व्यापक क्षेत्र में फैला हुआ वृहद् उद्योगहै जो देश के आर्थिक विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान देता है ऑटोमोबाइल उद्योग के द्वारा उत्पादित ऑटोमोबाइल वाहनों से देश में सड़क मार्ग के द्वारा अन्य उद्योगों के लिए कच्चा एवं तैयार माल के साथ –साथ मानव संसाधानों का परिवहन किया जाता है जिससे देश का समग्र विकास होता है वही ऑटोमोबाइल उद्योग से सरकार को विभिन्न करों के रूप में करोड़ों रुपए के राजस्व की प्राप्ति होती है तथा देश के लाखों लोगों को रोजगार की प्राप्ति भी होती है इस प्रकार प्रस्तुत शोध अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है किऑटोमोबाइल उद्योग भारत के आर्थिक विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग,रोजगार समाचार, दिनांक 22.08.2012,
2. ऑटोमोबाइल उद्योग में रोजगार के असीम अवसर,इण्डिया हिंदी वाटर पोर्टल ।
3. पाटीदार पी.एल, नवीन शोध संसार, वर्ष 2016, अंक– I, पृष्ठ क्र. 84,
4. Annual Report 2019-20, Society of Indian Automobile Manufacturers
5. https://www.drishtiias.com/hindi/daily&updates/daily&news&vanalysis/why&is&the&auto&industry&facing&trouble

सारणी –1 : वित्तीय वर्ष 2015–16 से वित्तीय वर्ष 2020–21 तक भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग का उत्पादन विश्लेषण

Production of Indian Automobile Industry_FY_2015-16 To 2019-20.					
(Number of Vehicles)					
Category	**2015-16**	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20**
Passenger Cars	25,65,970	27,11,911	27,46,658	27,11,160	21,75,242
Utility Vehicles	7,17,809	9,09,555	10,93,346	10,99,780	11,24,973
Vans	1,81,266	1,80,204	1,80,263	2,17,531	1,33,798
Passenger Vehicles	34,65,045	38,01,670	40,20,267	40,28,471	34,34,013
M&HCVs	3,41,287	3,42,761	3,44,592	4,44,356	2,33,979
LCVs	4,45,405	4,67,492	5,50,856	6,68,049	5,18,043
Commercial Vehicles	7,86,692	8,10,253	8,95,448	11,12,405	7,52,022
Three Wheelers	9,34,104	7,83,721	10,22,181	12,68,833	11,33,858
Scooters	52,76,138	59,26,499	71,17,795	70,95,164	60,27,198
Motorcycles	1,28,16,203	1,30,88,208	1,51,67,481	1,64,99,424	1,43,59,418
Mopeds	7,37,886	9,19,032	8,69,562	9,05,189	6,49,678
Two Wheelers	1,88,30,227	1,99,33,739	2,31,54,838	2,44,99,777	2,10,36,294
Quadricycle*	531	1,584	1,713	5,388	6,095
Grand Total	**2,40,16,599**	**2,53,30,967**	**2,90,94,447**	**3,09,14,874**	**2,63,62,282**

स्त्रोत – सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मेन्युफेक्चरर्स की रिपोर्ट के अनुसार

सारणी –2: वर्ष 2015–16 से2020–21 तक भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग का घरेलू विक्रय विश्लेषण

Domestic Sales of Indian Automobile Industry_FY_2015-16 To 2019-20.					
(Number of Vehicles)					
Category	**2015-16**	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20**
Passenger Cars, Utility Vehicles, Vans	20,25,097 5,86,576 1,77,535	21,03,847 7,61,998 1,81,737	21,74,024 9,22,322 1,92,235	22,18,489 9,41,474 2,17,426	16,95,441 9,46,010 1,32,124
Passenger Vehicles	27,89,208	30,47,582	32,88,581	33,77,389	27,73,575
M&HCVs LCVs	3,02,397 3,83,307	3,02,567 4,11,515	3,40,781 5,16,135	3,90,732 6,16,579	2,24,806 4,92,882
Commercial Vehicles	6,85,704	7,14,082	8,56,916	10,07,311	7,17,688
ThreeWheelers	5,38,208	5,11,879	6,35,698	7,01,005	6,36,569
Scooters Motorcycles Mopeds	50,31,678 1,07,00,406 7,23,767	56,04,673 1,10,94,547 8,90,518	67,19,909 1,26,20,690 8,59,518	67,01,430 1,35,98,190 8,80,227	55,66,036 1,12,14,640 6,36,940
Total Two Wheelers	1,64,55,851	1,75,89,738	2,02,00,117	2,11,79,847	1,74,17,616
Quadricycle	-	-	-	627	942
Grand Total	**2,04,68,971**	**2,18,63,281**	**2,49,81,312**	**2,62,66,179**	**2,15,46,390**

स्त्रोत – सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मेन्युफेक्चरर्स की रिपोर्ट के अनुसार

सारणी –3 : वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) का विवरण

Sr.	Tax Type	Vehicle Category	GST Rate
1	GST	Passenger Vehicles (Petrol, Diesel, CNG, Electric Hybrid)/Commercial Vehicles/ Three-wheelers/Two-wheelers)	28%
2	GST	Electric Vehicles	5%

स्त्रोत – सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मेन्युफेक्चरर्स की रिपोर्ट के अनुसार

सारणी–4: क्षति पूर्ति उपकर (Compensation Cess) का विवरण

Sr.	Vehicle Category	Compensation Cess	Applied Duty
1	Passenger vehicles (petrol, CNG, LPG) <4m in length and <1200cc engine	1%	29%
2	Passenger vehicles (diesel) <4m in length and <1500cc engine	3%	31%
3	Mid-size PVs (>4m in length with <1501cc engine)	17%	45%
4	Large PVs (>4m in length with >1500cc engine)	20%	48%
5	SUVs (>4m in length with >>1500cc engine &>169mm ground clearance)	22%	50%
6	Hybrid vehicles (except small)	15%	43%
7	>350cc two-wheelers	3%	31%
8	10 – 13 seater public transport vehicles	15%	43%

स्त्रोत – सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मेन्युफेक्चरर्स की रिपोर्ट के अनुसार

सारणी –5: आयात शुल्क का विवरण

Sr.	Criteria / Applicability	Import Duty in %
1	Used car import	125
2	Cars CBUs whose CIF value is more than $ 40,000or Petrol Engine > 3000 CCor Diesel engine > 2500 CC	100
3	Cars CBUs whose CIF value is less than $ 40,000and Petrol Engine < 3000 CCand Diesel engine < 2500 CC	60
4	Two-wheeler CBUs	50
5	Commercial Vehicle CBUs (Trucks & Buses)	30
6	CKD containing engine or gearbox or transmission mechanism in pre-assembled form but not mounted on a chassis or a body assembly (Passenger Vehicles)	30
7	CKD containing engine or gearbox or transmission mechanism in pre-assembled form but not mounted on a chassis or a body assembly (Two-wheelers)	25
8	CKD containing engine or gearbox or transmission mechanism in pre-assembled form but not mounted on a chassis or a body assembly (Commercial Vehicles)	25
9	CKD containing engine, gearbox and transmission mechanism not in a pre-assembled condition	15

स्त्रोत – सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मेन्युफेक्चरर्स की रिपोर्ट के अनुसार

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
October to December 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVI

Long Journey for Little Feet: Forcibly Displaced Young Migrants and Refugees

Dr. Anukriti Mishra*

***Assistant Professor, School of Law, Amity University, Raipur (C.G.) INDIA**

Abstract - With nearly 80 million forcibly displaced persons across the world the issue has directly or indirectly affected every country. In this large number of refugees or internally displaced young migrants or children are especially vulnerable. The reasons for forcible displacement now include environmental displacement, internal conflict and violation of human rights along with the causes covered in refugee convention and 1967 protocol. Considering the massive scale of displacement the problems of displaced persons and the host states are manifold during pandemic COVID 19. The struggles of migrants and refugees for basic necessities like soap, water etc. and lack of other measures for preventing COVID 19 is potentially a disaster in making. The research paper has covered new problems being faced by displaced children during transit to reaching host state and even after that. Invisible hardships like change of role in family from child to bread winner, victim of human trafficking, loss of education amongst others are discussed in the paper.

Acknowledging it Global Compact of United Nations was forwarded to states involving non-governmental organizations and even private entity. The role of non-binding instrument focusing on child refugee and migrants is highlighted and conclusion and suggestion are provided.

Key words- forced displacement, children.

Introduction - The idea of leaving all that is known behind, safe and secure habitual place of residence is a heartbreaking task for a fully grown mature person, the impact of the same is magnified for young refugees.

The difficulty of displaced children starts from various reasons like conflicts, violation of human rights, natural disaster, discrimination, climate change, no access to services, education etc. Such forced movement can be with or without parents or guardian[1]. They are known as unaccompanied forcibly displaced, when a minor is travelling alone without caretaker.

The record of forcibly displaced has presented extremely daunting future. The forcibly displaced person's figures have increased to 1% of the global population. [2]

Forcibly displaced include refugees who have left their habitual place of residence and crossed the territorial boundary of their state due to fear of persecution. Another category belongs to Internally displaced persons (IDPs), those who have left their homes but are displaced within the boundaries of the state.

The certain reasons behind forced displacement are enumerated in the 1951 Convention Relating Status of Refugee considering post World War II. Currently insurgencies, armed conflicts, violation of human rights, climate change and terrorism are prominent reasons behind forcible displacement may it be other territory or within territory.

In this research the cause of children refugees or internally displaced persons (herein after young displaced) ranging from violation of human rights, recruitment in illegal outfits like gangs or terrorist groups, climate change environmental crisis like disasters, global warming and another children specific cause of flights being orphan is highlighted.

Journey - The hardships of young displaced child start from the journey itself. The plight of refugee involves long journey in really tough conditions can be through dessert, jungle, mountains or in unworthy boat. These conditions are way beyond their skill and training to handle such situation.

The young displaced are also vulnerable to physical abuse by adults or elders displaced children. Abduction, human trafficking, drug smuggler or prostitution rings leads to increasing figures of missing children.

Worldwide, 52 per cent of migrant children and over 90 per cent of displaced children live in low and middle-income countries where health systems have been overwhelmed and under capacity for protracted periods of time.[3] Hunger, loneliness, isolation or detention in centers leaves deep scars on the mind of young displaced. [4]

Hardship faced on reaching Host state: The plight of

young refugees continues even after reaching host state as most of them do not have proper documents like identity cards with them. The asylum seeker form and other documents requirement are not made considering children in mind. The language and formalities are scary for children and fear of being sent back make the young refugees fearful to approach authority. [5] Problem compounds when the minor is unaccompanied.

Currently the figures of internally displaced persons are consistently rising bow being more than refugees. 40 % of displaced persons are children. Nearly 80 **million**people around the world have been forced to flee their homes. Among them are nearly**26 million refugees**are**under the age of 18.**[6]

Hostile attitude of states: The host states have developed hostile attitude towards displaced, swelling numbers of displaced persons are a matter of concern. Host states on many occasions send back young displaced due to lack of document or other grounds.

Unreasonable demand on part of host states to provide the requisite document or plead asylum in different country from young displaced often leads to labeling them as undocumented, illegal or irregular' before sending back violating *jus cogen* principle of *non refoulement*. According to principle in international a person cannot be sent back to the place from where he fled due to fear of life and liberty. The countries coined the arrival of minor refugees as 'surge' or crisis and has becomes a ground to enforce policies to detain or deport the children or to stop their arrival in transit countries. Such intervention to stop the flows is already placed in EU and USA.[7]

For an unaccompanied refugee child complex immigration and legal system can be bewildering and many end-up spending months or years waiting for their fate decided whether to stay or deported.

Problems of young refugees get maximize as many times they become responsible for others in the family. The steep change in family structure creates burden for children. Instead of learning in schools they end up becoming bread winner for the other family members.[8]

Pandemic COVID 19: The Pandemic COVID 19 (herein after COVID) had affected almost each and every aspect of human life around the world. Due to unprecedented problem of Pandemic the national and international organizations have to divert their funds to tackle the urgent threat to life.

COVID has led to global recession and has negatively affected individual contribution for the cause for displaced persons assistant.

Since outbreak of COVID the host-states specifically heavily populated have prioritized their population over refugees for access testing facility or medical assistant. The refugee camps are generally established away from urban areas and hospital making their life more vulnerable Other difficulties like lock down the entire world is facing economic downturn exacerbating the problem of children on the move. They are on the edge and the fight to survive and receive basic necessity like food has become herculean task.[9]

The major issue that is faced by forcibly displaced during COVID is lack of access to water soap, medicines which are vital necessity for survival. To aggravate the problem the social distancing is not followed in refugee camps.

With increasing of number of COVID positive cases 167 countries have partially or fully closed their borders. 57 states have made no exception for asylum seekers. Many countries have returned or deported the children to country of origin due to COVID scares[10]

The pandemic COVID is being used as an excuse for hostile states to return children. Countries have returned children back to country of origin against *non refoulement* principle and risked their lives by exposing them to COVID, kidnapping and other forms of violence.[11]COVID does not discriminate but the states are struggling to provide basics to nationals or citizens conveniently forget about refugees and asylum seekers.

Legal aspects: The 1951 Convention is the primary convention governing status of refugees. Art 1 A (2) of convention does not specifically recognize children as separate category. The convention can be said as adult focused and was not age sensitive did not recognize fear from child's perspective.[12]

The children remained invisible for the world community for long time, later some attempts of recognition albeit non-binding was made. In 1930 administrative approach "Kider transport" to deal with child refugee was made[13]

Convention on Right of Child 1989 provides rights to children. Under Art 22 rights of child or young person who have left their country of origin to escape was persecution of war or natural disaster is recognized. Allow right to appropriate protection as to health, education and housing[14]Before New York Convention 2016 the rights of unaccompanied children were never acknowledged.

The plight of the children being forcibly displaced is acknowledged by world community and measures to assist the forcibly displace is enumerated in Global Compact 2018 (herein after Compact) a non binding have provided principles to include identification and referral of children, including unaccompanied and separated children, appropriate arrangements for best interest[15]Special help to child below 4 years is to be provided. Programmers taking into account specific vulnerability girls, boys and unaccompanied and separate children[16]

Further compact came with promote international legal obligations in relation to rights of child. The Compact was a step towards child sensitivity and uphold principles of child interest in all situations unaccompanied and separated children.

Over the years the pattern of forcibly displaced person

has changed, earlier it chiefly constituted of men but now young displaced are nearly claiming majority among displaced. According to 2018 data child refugee below 18 years of age population constituted 50% of total population of displaced. [17]Along with child refugee there is a significant increase in number of unaccompanied children refugees. The figures available are significantly underestimated.

Conclusion - The world is still struggling with pandemic and still vaccine cannot be administered to claim any kind of relief for the havoc it has left at its wake.The pandemic has left stalled everything however even now the forcible displacement is taking place due to environmental displacement, insurgency and terrorism.

The countries across the world have lockdown their borders are now hostile and not receiving any displaced person. The loss of production activities and economic depression had adversely affected all. The states are in dire need to uplift their economy and the funds for the vulnerable are now only focused on that. The various entities are unwilling to spare funds for forcibly displaced, leaving the children at the mercy of fate.

Refugee forums are dependent on various entities for support are left without funds as they are being diverted for other cause. Nevertheless, the life of vulnerable displaced specifically invisible majority is crucified.

The world community must acknowledge the young displaced persons without and prejudice or discriminations. The daunting fact that the young refugees constitute almost majority of refugees in the world bring the question for the future of new generation and world.

The young displaced must be given opportunity to develop their potential and built on their talents and utilized their energy and projects to make world a better place [18]

References :-

1. Children on move https://ecdpeace.org/work-content/children-move last visited 10-12-2020
2. Global trends Report 2020 https://www.unhcr.org/news/press/2020/6/5ee9db2e4/1-cent-humanity-displaced-unhcr-global-trends-report.html last visited 10-12-2020
3. 2020MIGRATION POLICY PRACTICE, Vol. X, Number 2, April–June https://www.unicef.org/media/68761/file last visited 9-12-2020
4. Kenneth E. Miller, A Perilous Journey: The Plight of Unaccompanied Minors
5. https://www.psychologytoday.com/us/blog/the-refugee-experience/201710/perilous-journey-the-plight-unaccompanied-minors last visited 9-12-2020
6. Forging strategic partnership how civic organization and lawyer helped unaccompanied children across English channel. Working paper series no.133 Page 4
7. Figures at glance https://www.unhcr.org/figures-at-a-glance.html last visited 9-12-2020
8. *Undocumented and unaccompanied: children of migration in the European Union and the United States*https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1369183X.2017.1404255 last visited 9-12-2020
9. Unique challenges facing refugee children, https://www.concernusa.org/story/refugee-children-unique-challenges/ 17.11.2020
10. Policy brief on people on the move, https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/sg_policy_brief_on_ people_on_the_move.pdf pg 14
11. Supra *note* 5pg 33
12. Inside look how covid 19 further endanger migrant kids, https://www.unicefusa.org/stories/inside-look-how-covid-19-further-endangers-migrant-kids-mexico/37904
13. Jason M. Pobjoy, Child in international refugee laws pg 3
14. Samantha Arnold, Children's Rights and Refugee Law Conceptualising Children Within the Refugee Convention · 2017 Pg 4
15. Ziba Vaghri and others ,Refugee and Asylum-Seeking Children: Interrupted Child Development and Unfulfilled Child Rights, pg 2
16. Global Compact 60 https://www.unhcr.org/5b3295167.pdf
17. See id 76
18. Global Trend 2018 https://www.unhcr.org/globaltrends2018/#:~:text=The%20global%20population%20of%2 0forcibly,violence%2C%20or%20human%20rights%20violations last visited. 17.11.2020
19. Supra note 17 , 77

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
October to December 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVI

A Study of Personal loan Product of State Bank of India

Amreen Khan* **Dr. Bhoj Raj Nalwaya****

*Research Scholar, School of Studies of Commerce, Vikram Unversity, Ujjain (M.P) INDIA
** Professor and Head (Commerce) Govt. Rajeev Ghandhi P.G, College, Mandsaur (M.P.) INDIA

Abstract - State Bank of India is the oldest and government owned corporation with its headquarter in Mumbai, Maharashtra. It covers one- third share bank sector. It is most trustworthy bank among the people. It offer personal loan to the general public. It is also known as unsecured loan and short term loan because it needs not required collateral securities and reason to disclose of requirement of loan. SBI offer five type of personal which all have different rates of interest. As a research collect the secondary data for research between 2018- 2021. I concluded that there is continuous increase demand of personal loan which are clearly shows in table. The requirement of personal loan with increasing rate of interest is also increase.

Introduction - State bank of India well knows name in banking system. It covers more than one- third market share of banking system and that why it's called elephant bank. It have 45 Croce customers all over because of it vast network. It has 22000 branches, 62617 ATM's and 71968 BC (Business Correspondents) outlet. It is also spread globally with 233 offices in 32 foreign countries. It mainly focuses on customers values. It offers a lot of product and service to the customer. Especially loan segment is very much popular among people because people have a blind trust on them. SBI offer unsecured loan for short term period which know as personal loan. It is generally a small amount for small and multi uses. It fulfills the immediate requirement of customer without discloser of reasons of loan. It will not require any collateral security for taking loan. This loan is believed on credit worthiness of applicant.

Features of personal loan are:

1. Unsecured loan: - it is important of personal that it will not require any collateral security for taking loan. This loan is believed on credit worthiness of applicant.
2. It is generally short in nature approx 1 year to 3 years
3. Personal loan is given for no specific reasons. "Personal loan given for a personal uses". It not describes any reason. It gives for multipurpose use.
4. It requires minimum documentation (paper work) in comparison to other loan.
5. A good repayment track record is mandatory.
6. In personal loan disbursement facility is fast in comparison to other loan
7. Quick loan and pre approved loan and online application of loan faculty are available in personal loan.

Objective of Research :

1. To know the SBI performance of personal product loan
2. To know the consumer perception about the unsecured personal loan of SBI Bank.
3. To study whether the customers are satisfied with their loan product of SBI
4. Analysis the consumer first preference of personal product toward bank.
5. To analysis the increase and decrease in p (personal) segment of SBI over the periods.

Scheme of Personal loan offered by SBI - SBI offer a comprehensive range of personal loan. Type of personal loan scheme (unsecured loan) offered by S.B.I

1. SBI Kavach personal loan- This personal loan started for contingence of Covid 19 treatment of self or family member who are found Covid positive on or after 1st April 2021.
2. SBI pension loan- This pension loan specially featured for pensioned persons. Retirement just got merrier with SBI pension loan. This fund for child marriage, trip, vacation, home renovation etc. it require minimum documentation and low processing fees.
3. SBI Xpress credit- This personal scheme offered by SBI only who have salaried account with SBI. This is offered for any reasons whether it is planned or unplanned get a quick approval and instant disbursal with minimum documentation. It is offered up to 20 lakhs with low interest rate.
4. Pre approved personal loan on YONO- YONO is mobile application for SBI customer for quick transfer, payment of bill, knowing balancing etc. this apps is launched November 2017. With number of customer and though schedule of them SBI give the birth of online platform for their customer to quickly assess their account without visiting their branches. YONO app provides

existing customer a pre approved personal loan facility.

5. SBI quick personal loans- This scheme is offered by SBI to those who are not maintaining salaried account with SBI. Generally this scheme is not required to be existing customer of SBI. This quick personal loan offered SBI to be open at all with minimum documentation.

Interest rate (see below)

Research Methodology- Research is a well- planned, designed in systematic manner. It involves data collection and analysis of data in systematic manner.

Data Collection –The secondary data of SBI from the annual report 2018 to 2021 shows the p segment means personal loan performance. The reports are clearly shows. The data explain that the demand and requirement of personal loan increased day by day.

S.	Year	Personal loan (in crore)
1.	2018	1,67,126
2.	2019	1,75,583
3.	2020	2,06,067
4.	2021	2,90,610

- Data is taken from the official website of SBI.

Conclusion and suggestive measure – The overall purpose of this study to find effectiveness of personal loan process and performance of SBI. The interest rates are shows increase trend and this data are also affected by Covid- 19 and personal loan requirement of people are increased. People more attract toward personal loan because it is unsecured in nature. It is easily available in comparison to other loan. It requires less of paper work. Thus personal loan are taken at increase trend by the customer specially SBI because it is trust worth bank for customers.

References: –

1. Annual Report of State Bank of India from 2018- 2021
2. C.R Kothari (2004). " Research Methodology (Method and Techniques) New Age International 2004
3. https://shodhgangotri.inflibnet.ac.in
4. https://www.onlinesbi.com
5. Danik Bhaskar ' 8 July 2021' " Increasing personal loan Demand due to Covid 19"
6. Amiya Kumar Bagchi (2006), "Evolution of the State Bank of India", Penguin/ Portfolio.

Interest rate

year	Kavach personal loan	pension loan	Xpress credit	Pre approved personal loan on YONO	quick personal loans
2018	-	9.3	10.3	9.6	10.85
2019	-	9.2	10.3	9.6	10.85
2020	8.5%	9.6	10.6	10.8	11.25
2021	8.5%	9.6	10.9	12.6	12.85

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
October to December 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVI

Yoga: An Ancient Approach for Health and Well-Being

Sachin Verma*

***Research Scholar, Janta Vedic College, Baraut, Baghpat (U.P.) INDIA**

Abstract - Yoga is the main part of ancient Indian culture. The benefits of yoga have been told in the Rigveda. Such a method was developed by the ancient Indian saints which is very useful for the human body and human welfare. Yoga is such a method through which people attain happiness, and prosperity by keeping their body healthy and disease free. The modern age is full of inequalities and complexities. In such a situation, man is not able to pay much attention to his body. Various types of diseases have made the human body their home. Human beings are stressed and worried today. Yoga is such a method that today people are adopting and making their body healthy and living on getting happiness and prosperity and well-being.
Keywords- Yoga,Health,Happiness,Prosperity,Well-being.

Introduction - The word Yoga derived from the Sanskrit word **YUJA,** which means To combine, Yoke or Bind Yoga combines soul and mind with the body Yoga does not consider Human body as a mere machine but as an obsolete combination of self (soul), mind and body. Yoga is a science of physical, mental and spiritual approach by which human beings can achieve harmonious development of health of the body and mind complex. Yoga is the science of life itself. Yoga accepts the life situation as we find it and suggests methods by which we can transcend human limitations. The Indian sage Patanjali is believed to have collated the practice of Yoga into the Yoga sutra nearly 2000 years ago. The sutra is a collection of 295 statements that serves as a philosophical guide book for the Yoga that is practiced today.

Yoga is a thousand-year-old Indian style of knowledge. Thousands of idols are still in authentic form in relation to this in the state of yoga. The word Yoga is mentioned many times in the Bhagavad Gita. Evidence of yoga has been found in some form or the other in Indus Valley, Vedic civilization and Buddhist and Jain philosophy. Among the famous texts of yoga, Yogasutra composed by Patanjali and Yoga Hanya composed by Vedavyas have special importance. The Yoga Sutra Vritti composed by Nagesh Bhatt is also famous.

The eight limbs of yoga are called Ashtanga, through which the eight dimensions are practiced simultaneously. Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Dharana, Dhyana, Pratyahara, Samadhi are considered to be the eight limbs of Yoga. Pranayama has special importance in yoga. Prana means life force and dimension means control over energy. That is, when prana is controlled by some special breathing techniques, it is called pranayama. There are three main types of Pranayama – Anulom-Vilom, Kapalbhati Pranayama and Bhramari Pranayama.

The air element is central to the existence of life. The breath is the bridge between the mind and the body. which connects the body and the senses. The sky element determines our mental health and the fire element determines our physical temperature. Whereas water carries the chromosomes of life while the earth holds this gross body, maintains it. Ultimately, the merging of these five elements is the completeness of the life-cycle. The balance in all these motivates the revival of life. Reincarnation is the beginning of this continuous process of creation. Here is the life story. A man is born a yogi. Human nature is yoga; So joining and connecting is the behaviour of life. That is the work of yoga. Yoga makes a person's behaviour balanced. Behaviour is directly related to a person's stress level and stress to our mental health. Yoga enhances skill development in us. To work with efficiency in a particular situation is also yoga. Innovation, forethought, skill and better communication - all these are the fruits of yoga. Right presentation of totality is yoga practice. The art of living, the practice of connecting body, mind and emotions with the universal energy, which systematically unites all the elements, is the true yoga-sadhana.Yoga is not a religion. The Yoga Sutra provides a framework for spatial growth and mastery over the physical and mental body (Yoga science: 2004 14-21). In Bhagavad Gita Lord Krishna explains to Arjun the meaning of Yoga as a deliverance from contact with pain and sorrow.

HEALTH - Health is a term that often eludes a comprehensive universal definition and is probably better represented by a series of definitions each relevant to a particular political and social context.

"A State of complete physical, mental, and social well-being not merely the absence of disease infirmity or injury" (WHO, 1946).

- Health is absence of illness.

"The nearest approach to health is a physical and mental state fairly free to discomfort and pain, which permits the person concerned to functions as effectively and as long as possible in the environment where chance/choice his placed from (Dubos, 1978)

"Health is a social and Political issue and above all a fundamental human right (People's charter for health, 2000).

"According to Indian philosophy, the universe consists of five gross elements – earth, water, fire, air and the ethereal part of sky and the same factors constitute the Basic elements of the body. However in a human body life does not depend only on these five bodily components but also on the presence of normally functioning sense organs and the mind and soul. Thus **sushruta** defined the healthy person as follows: he is the healthy man who possesses the balance of body hormones, proper function of all the body elements and who has the pleasant disposition of mind, soul and sense organs" (Valupa, 1975).

Health is a social, economic and political issue and above all a fundamental human right Inequality. Poverty, exploitation violence, and injustice are at the root of ill-health and the deaths of poor and marginalized people.

According to Ayurveda - A person whose doshas (Vata, Kapha and Pitta) are equal, fire is equal, seven metals are also equal, and stools are also equal, all the activities of the body are working equally, apart from this, the mind, all the senses and the soul are happy. That man is said to be healthy. Here 'sum' means 'balanced' (neither too much nor too little).

According to acharya Charak - The person whose flesh is in the metal of equivalence, whose physical formation is in equivalence, whose senses are strong without fatigue, who cannot be defeated by the force of diseases, whose power of equanimity is increased, whose body is hungry, thirsty, incense, power Whose body can tolerate exercise, whose digestive power (gastharagni) works in trance, whose old age comes only according to a certain time, in which the anabolic activities of meat etc. Charak is considered healthy.

According toKaashyap Sahinta - Desire to eat food, i.e., hunger is felt on time, food is properly digested, excreta and air are removed properly, there is lightness and energy in the body, the senses are happy, the mind is always in a happy state, happily Sleeps in the night, wakes up happily in Brahmamuhurta; If you get the benefits of strength, color and age, whose digestive fire is neither more nor less, if you have the above symptoms, then the person is healthy, otherwise he is sick.

Illness - Each society's definition of illness becomes institutionalized within its cultural patterns, so that one measure of social development is a culture's conception of In primitive societies illness was defined as an autonomous force or "being." such as an evil spirit, which attacked people and settled within their bodies in order to cause them pain or death During the Middle Ages illness came to be defined as a punishment for sins, and care of the sick was regarded as religious charity Today illness is defined as a state or condition of suffering as the result of a disease or sickness This definition is based upon the modern scientific view that an illness is an abnormal biological affliction or mental dis order with a cause, a characteristic train of symptoms, and a method of treatment.

WELL-BEING - The social, economic, cultural and physical environment in which people live their lives has a significant effect on their health and well-being. Although genetics and personal behaviour play a strong part in deterring and individual health, good health starts where we live, where we work, and learn and where we play.

A contented state of being happy, healthy and prosperous.Well-being can be described as the absence of physical illness, disease and mental distress.Well-being or wellness is a general term for the condition of an individual or group.

Well-being means that in some sense the individual's or group's condition is positive well-being refers to diverse and interconnected dimensions of physical, mental and social well being that extend beyond the traditional definition of health. It includes choices and activities aimed at achieving physical vitality, mental alacrity, social stratification, a sense of accomplishment and personal fulfillment.

Well-being is not just absence or disease and illness. It is a complete combination of a person's physical, mental, emotional and social factors. Well-being is strongly linked to happiness and life satisfaction.

Well-being is not just the absence of ill-being, but the presence of many positive states:

Healthy, trusting and safe relationships with family and peers. A sense of security and satisfaction with our field of study and work.High and positive energy levels to achieve all our goals.A clean, green and sustainable environment.Feelings like balance, confidence, optimism, happiness, love and joy.Feeling of well-being is fundamental to the overall health of an individual, enabling them to successfully overcome difficulties and achieve what they want out of life.

In this stage, we need such a science which can prove to be helpful in providing us physical and mental satisfaction. The only such science is 'Yoga'. Which can play an important role in providing us mental satisfaction with physical health and is playing various ancient texts, The glory of Yoga has been glorified in the epics, Vedas etc. Yoga is the biggest and most important gift to mankind of Vedic period, so in the present material age, the education of yoga is essential for attainment of health and mental

satisfaction. Man is a social animal in which he has to fulfil various needs by living in society. For which it is necessary for a person to be completely (physical and mental) healthy. In the absence of this human life will become just a normal animal life and material. For both these health benefits, man has to accept and adopt some such activities which can contribute in maintaining his health along with the education of righteousness.

In this stage, 'Yoga' appears to be an important and scientific method, by using which man will get both physical and mental peace. Yoga is being adopted today not only in India but all over the world including western countries, that is, western countries are also accepting it after testing it on the basis of scientific knowledge. It is a matter of pride for Indian culture. Therefore, today we have to adopt those activities which we know in the name of yoga asana etc. If you are able to provide such a qualified citizen to the land, then you can be physically and mentally healthy and can provide your maximum support in nation building and can make the new Indian tradition the highest place in the world.

Conclusion - Yoga is essential to change the mind-set of people to prioritize wellbeing and healthy living, especially during these pandemic days. It helps people become aware of what, why and how of an easily adoptable healthy lifestyle through an organized yet open source framework where anyone can pool in their skills, ideas and practices.

Yoga began during a time when the world needed it the most. Personally, I value mental health and mindfulness and believe that it plays a pivotal role in leading a life immersed in awareness aiding us to live our fullest potential. It has helped people pause, reflect, connect and like-minded people. It helped find joy in mayhem and find peace in the current turmoil. Various circles and practices have not only helped as an individual but also brought learnings as a facilitator. Yoga has brought many connections and learnings to peoples for which they are absolutely grateful.

References:-

1. Qadeer, Imrana, Kastari Sen and K.P. Mayar 2001:**Public Health and the Poverty of Reforms**, New Delhi, Sage Publications
2. Giddens, Anthony1992:**Human Societies**, U.K., Polity Press, pp. 306-320.
3. Ahluwalia, Aneeta 1974:**Sociology of Medicine**, A Trend Report in ICSSR, Vol. II, pp. 401-430.
4. Mao, John2003:"**Health Problems of the Aged : A Study in Dharampur District, Himachal Pradesh"**, **Man in India,** Vol. 83, Nos. 1&2, pp: 227-232.
5. Panday, G.D., V.R. Teikey & R.S. Tiwary1966: "Some Aspects of Health Seeking Behaviour in Birhors" **Man in India,** Vol. 79, Nos. 3&4, pp: 291-299.
6. Ranga, Sudhir2001:"Problems Towards Health and Family Welfare Programs in India", **IASSI Quarterly**, Vol. 19, No. 3, pp: 92-102.
7. Cockerham, W.C,1978:**Medical Sociology,** New Jersey, Prentice-Hall
8. Weiss, L. Gregory & Lynne, E. Lonnquist2000: **The Sociology of Health, Healing and Illness,** New Jersey, Prentice-Hall.
9. Sharma, R.D. & Hardeep Chahal2003: "Rural Health Care Services and Patient Satisfaction", **Journal of Rural Development,** Vol. 22, No. 3, pp: 363-790
10. Pullen, Paull R. and Seffens William S.2018: "Yoga for Heart Failure : A Review and Future Research", **International Journal of Yoga,** Vol. 11, No. 2, pp: 91-98.
11. Rocha, K.K.F.2012: "Improvement in Physiological and Psychological Parameters after 6 months of Yoga Practice", **Consciousness and Cognition,** Vol. 21, No. 2, pp: 843-850.
12. Harendran, Vivek2005:"Efficacy of Yoga on Pregnancy Outcome", **The Journal of Alternative and Complementary Medicine,** Vol. 11, No. 2, pp: 85-88.
13. Ross, Alyson and Thomas Sue 2010: "The Health Benefits of Yoga and Exercise : A Review of Comparison Studies", **The Journal of Alternative and Complementary,** Vol. 16, No. 1, pp: 1-8.
14. Glick, Steve2012: "Evaluation of Mental Health Benefits of Yoga in a Secondary School", **The Journal of Behavioral Health and Research,** Vol. 39, No. 1, pp: 80-90.
15. Carlson, Linda E. and Daroux Lisa M.2005: "A Pilot Study of Yoga for Breast Cancer Survivors : Physical and Psychological Benefits", **Psycho-Oncology,** Vol. 15, No. 10.
16. Streeter, Chrisc2010:"Effects of Yoga Versus Walking on Mood, Anxiety and Brain GABA Levels : A Randomized Controlled MRS Study", **The Journal of Alternative and Complementary Medicine,** Vol. 16, No. 11, pp: 126-131.
17. Manna, Indranil 2018:"Effects of Yoga Training on Body Composition and Oxidant – Antioxidant Status Among Health Male", **International Journal of Yoga,** Vol. 11, No. 2, pp: 105-110
18. Sweta, K.M. and Pandey Uma2018: "Effects of Mula Bandha Yoga in Mild Grade Pelvic Prolepses : A Randomized Controlled Trail", **International Journal of Yoga,** Vol. 11, No. 2, pp: 116-121.
19. Pradhan, Balaram Singh Amit and Nagendra H.R. 2018:"Effect of Yoga on Cardiovascular Variables of Hypertensive Patients : A Comparative Study", **Internat -ional Journal of Yoga,** Vol. 11, No. 2, pp: 170-174
20. Benum, Kristen and Urabel Karianne2018: "Effect of Yoga in Treatment of Eating Disorders", **International Journal of Yoga,** Vol. 11, No. 2, pp: 166-169
21. Mahajan, Aarti Sood, Tyagi Sanjay and Gupta S.K. 2018:"Effect of 6 months of Meditation on Blood Sugar, Glychosylated Hemoglobin and Insulin Levels in Patients of Coronary Artery Disease", **International Journal of Yoga,** Vol. 11, No. 2, pp: 122-128.

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
October to December 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVI

How to Make Consumers More Protective Through the Consumer Protection Act, 2019

Dr. Ashish Rawal*

***Assistant Professor, Navsmavat Law College, Ujjain (M.P.) INDIA**

Introduction - About three decades after consumer Act, 1986 has changed. It has been needs because of the change in business trends and practices in present scenario since with old act protection of consumer rights were not been possible. Three are so many new provisions have been introduced to protect consumer right more and more so that they could became more protective. The Act provide for protection of the interests of consumers and for the said purpose to establish authorities for timely and effective administration and settlement disputes for matters connected therewith or incidental thereto. The basic aim of the consumer protection act, 2019 to save the right of the consumers by establishing authorities for timely and effective administration and settlement of consumer disputes. The Consumer Protection Act, 2019 received the President's assent on 9 August 2019 which has replaced the Consumer Protection Act, 1986. The Act aims at protecting and strengthening the rights of the consumers by establishing authorities, imposing strict liabilities and penalties on product manufacturers, electronic service providers, misleading advertisers, and by providing additional settlement of consumer disputes .

Highlights of the Act -In this act a part of the definition has explained widely into 47 definitions some new rules and regulation of business has been introduced in this act, here are the main fact addresses of act studied here.

- The concept of consumer has been generalized to involve individuals in offline or on online purchases thorough electronic means or through teleshopping or direct sales or multi level marketing. A consumer is defined as a person who buys any good for consideration or makes use of a service ,it does not involve any individual who obtains a good for commercial purposes across all forms ,including ,offline and online, thought electronic media, teleshopping ,multi level marketing or direct sales. As per the act a person is called a consumer who takes advantage of the service and purchases any good for self use .it does not include anyone obtaining good or availing services without consideration.

Right of consumers

Six consumer rights has been defined in the act

i. be protected against the marketing of goods, products or services which are hazardous to life and property;
ii. be informed about the quality, quantity, potency, purity, standard and price of goods, products or services;
iii. be assured, wherever possible, access to a variety of goods, products or services at competitive prices;
iv. be heard and to be assured that consumers' interests will receive due consideration at appropriate fora;
v. seek redressal against unfair trade practice or restrictive trade practices or unscrupulous exploitation of consumers; and
vi. consumer awareness

Introduction of "e-commerce" and "electronic service provider"

The Act has inserted the definition of "e-commerce" which means buying or selling of goods or services including digital products over digital or electronic network [4]. Section 94 of the Act refers to the prevention of unfair trade practices in e-commerce and direct selling and also deals with protection of interest and rights of consumers.

Further, the Act has also introduced a vital concept of "electronic service provider" which is defined as a person who provides technologies or processes to enable a product seller to engage in advertising or selling goods or services to a consumer and includes any online marketplace or online auction sites [5]. Further, an electronic service provider is now included under the definition of a product seller [6]. These online marketplaces and auction sites can now be held in product liability action under the circumstances as stated in Section 86 of the Act.

Inclusion of the concepts relating to e-commerce along with the prescribed liabilities has broadened the scope of the Act. By including e-commerce within its purview, the Act seeks to protect the rights of the e-consumers and also enables them to proceed against the e-commerce websites in the event of any infringement or violation.

- **Central Consumer Protection Authority -** The Act introduces the Central Consumer Protection Authority (CCPA)was established with a view to regular matters,

misleading or false advertisement, unfair trade practices and enforcement of consumer right . the central government will appoint the members of the CCPA. by the central government. The CCPA is a regulatory authority and shall be empowered to impose penalties, recall goods, cause withdrawal of services, provide refunds[7] and investigate into matters. It shall also be responsible for protecting the rights of consumers as a class and shall further ensure that no person engages in unfair trade practices and that no misleading advertisements are made . The Act provides for establishing an investigation wing which shall be headed by the director general who shall be appointed by the central government for conducting investigations as per the order of the CCPA. Further, the Act also introduces electronic mode for filing complaint for unfair trade practices or false or misleading advertisements to the district collector, the commissioner of the regional office or the CCPA .

- **Misleading Advertisements -** The Act has defined the term" misleading advertisement" in relation to any product or service as, "an advertisement which falsely describes the product or service which gives a false guarantee and is likely to mislead the consumer as to the nature substance, quantity or quality of such product or service and conveys an express or implied representation which, if made by the manufacturer or seller or service provider, would constitute an unfair trade practice and shall also include information which is concealed deliberately" .

Appeal - An appeal to an order passed by the CCPA on this issue can be filed under the National Commission within a period of 30 days from the date of receipt of such order .

- **Consumer Dispute Redressal Commission -** The Act provides for setting up of a Consumer Dispute Redressal Commission (CDRC), which shall be set up at the district, state and national level (Commissions). The CDRC is empowered to resolve complaints with respect to unfair and restrictive trade practices, defective goods and services, overcharging and goods which are a hazardous to life and safety.
- **Enhanced pecuniary Jurisdiction of the CDRC -** The pecuniary jurisdiction of the Commissions has been enhanced in comparison with the Consumer Protection Act, 1986. The district commission now has the jurisdiction to entertain complaints where the value of the goods or services paid as consideration (Consideration) does not exceed INR1 crore .The state commission shall have the jurisdiction to entertain complaints where the Consideration exceeds INR1 crore but does not exceed INR10 crores and the national commission shall have the jurisdiction to entertain complaints where the Consideration paid exceeds INR10 crores . The jurisdiction in which the complaint is to be filed is now based on the value of the goods or services paid unlike in the earlier Act, where it was on value of the goods or services and the compensation, if any, claimed. Further, the Act has inserted a crucial aspect with respect to the jurisdiction of the district commission, i.e., Section 34(2)(d). This section categorically states that the complaint can now also be instituted in a district commission within the local limits of whose jurisdiction the complainant resides or personally works for gain, apart from filing in the jurisdiction where the other side actually or voluntarily resides, or carries on business, or has a branch office or personally works for gain.
- **Mediation -** The Act has introduced a new chapter on mediation as an alternate dispute resolution mechanism, in order to resolve the consumer dispute faster without having to approach the Commissions. The dispute can be resolved either in whole or in parts. Thus, in the event, the mediation is successful, the terms of such agreement shall be reduced into writing accordingly. Where the consumer dispute is settled only in part, the Commission, shall record the settlement of the issues which have been settled, and shall continue to hear the remaining issues involved in the dispute. In the event the mediation is not successful, the respective commission shall within seven days of the receipt of the settlement report, pass a suitable order and dispose the matter accordingly.
- **Product liability -** A key concept on "product liability" has been introduced by the Act wherein a product liability action may be brought by a complainant against a product manufacturer, product service provider or product seller, for any harm caused to the complainant on account of a defective product. The Act provides a breakup of the liabilities of the product manufacturer, product service provider and product seller and also circumstances under which they are not liable.
- **Offences and penalties -** The Act has introduced a separate set of penalties with respect to misleading advertisements, ranging from INR10 lakhs with an imprisonment for up to two years to INR50 lakhs) with an imprisonment for up to five years . Any failure to comply with the directions of the CCPA for recall of goods, withdrawal of services shall attract an imprisonment for a term which may extend to six months or with a fine which may extend to INR20 lakhs .

Conclusion - The Act is a welcome change in favor of the consumers. It provides them with clearly defined rights and dispute resolution process which may enable them to resolve their grievances on a fast-track basis. Online marketplaces and online auction sites, which have all throughout been included under the purview of an "aggregator", have also been included under the purview of this Act which will place more responsibility on them with respect to the goods and services being sold and provided by them. Apart from establishing authorities at district, state and national level for consumer disputes redressal, the Act also seeks to hold the product manufacturers liable along with the product service providers and product sellers where the rights of the consumer have been infringed due to defects or deficiency in the goods and services proved.

References:-

1. Consumer Protection Act, 2019 kanoon prakashan
2. Consumer Protection Act, 1986 kanoon prakashan
3. Law of Torts by R.K. bangia Allahabad Law Agency.
4. https//egazette.nic.in
5. https//consumeraffair.nic.in

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
October to December 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVI

Effects of Multimedia on teaching learning: A Review

Dr. Sapna Mishra*

***Principal, Mayadevi Institute of Advanced Education, Naghu Khedi, Dewas (M.P.) INDIA**

Introduction - The tern multimedia by definition means "more than one media". According to Hofsteller (2001), multimedia is the use of computer to present and combine text, graphics. audio and video with links and tools that let the user navigate, interact, create and communicate. In other words, multimedia is the combination of various digital media, into an integrated multi-sensory interactive application pr presentation to convey information to an audience. Butcher-Powell, 2005: Damodharan and Rangarajan, (2007). Other than that, interactive is also part of the elements that are required in order to complete interactive communication process through the use of multimedia Jamalludin and Zaidatun (2005).

Originally, a multimedia presentation did not have to be digital for example. Multimedia might have incorporated a slide show for visuals, a tape recorder for audio and an overhead projector for text. But as software and hardware became capable of and adept at handling more than one media, the term multimedia was coined to define computer software 'applications and presentations that utilized more than one media Shelly, Cashman, Gunter and Gunter (2006).

Importance of Multimedia - Basically, the teacher controls the instructional process, The content is delivered to the entire class and the teacher tends to emphasize factual knowledge. In other words, the teacher delivers the lecture content and the students listen to the lecture. Thus, the learning mode tends to be passive and the learners play little part in their learning process. It has been found in most schools and universities by many teachers and students that the conventional lecture approach in classroom is or limited effectiveness in both teaching and learning. In such a lecture, students assume a purely passive role and their concentration fades off after 15-20 minutes, Damodharan and Rangerajan (2007).

In order to solve the problem, multimedia can be effectively used for instructional purposes (Burden and Byrd, 1999). The use of multimedia in teaching and learning will not only maintain students' interest but also make them enjoy learning.

Furthermore, Carirncross and mannin (2001) pointed out multimedia has the potential to create high quality learning environments. The key elements of multimedia media, user control over the delivery of information, and interactivity can be used to enhance the learning process creating integrated learning environments.

Multimedia-based learning is becoming increasingly popular. While it has limitations and certainly should not be seen as a substitute for face to face interaction, it does have numerous advantages for both teachers and students. For example, the information contained on the internet is unlimited and evolving. It is up to date, inexpensive to obtain and searchable. It also reflects the views of many authors and sources of information. Multimedia can also be highly interactive and engaging through the use of animation. Audio and video files, games and online discussions. All these can be undertaken at any time and at any place and without the need for an outside workshop facilitator Fine J., (2009). As a result, multimedia becomes an imperative tool in teaching and learning process in order to equalize their competency and most importantly to maintain their interest in a classroom. Educational multimedia mostly deals with effects of a screen design. Learner control and navigation, use of feedback, student interactivity, Video and audio elements when developing an effective multimedia package Stemler L.K. (1997).

Synthesis of Multimedia Research - The studies presented in this paper represent a body of work outlining various effects of multimedia on education which can be categorized into two broad categories.

i. Studies related to Multimedia and Student Learning.
ii. Studies related to Multimedia and Teacher Efficiency.

i. Studies related to Multimedia and Student Learning - Muddu, V.M. (1978) studies the effectiveness of motion pictures as teaching aids and found that the sound pictures helped the above average students to comprahend the subject matter: learning in lesser time and better retention of what was lwasnt. Thatte, C.H. (1998) found that Audio-Visual method was found to be signficantly more effective than the traditional method in terms od achievement students. Khirwadkar, A. (1999) found that the software package developed by her for class XI students was found to be effective in terms of academic achievemts. Zyous. M.M. (1999) developed a computer assisted English

language progeam and found that it helped the students to learn language in a better way. Kewalramani, G. (2000) conducted a study in instructional and feedback use of television and found that instructions through lelevision was highly significant for the courses. nstruction in schools, The students were found to have favorable reaction to words the comuter assisted instructions (CAI). Shinde J. (2002) investigated effectiveness of multimedia CAL packahe and found that interactivity played major role in enhancing the achievement of the learners learning through CAL. Yadav, K. (2004) founds a sgnificant gain in terms of students achievement through IT-enabled instructional package developed by hi for english grammar. Desri, B.Y. (2004) developed a miltimedia peckage the multimedia approach. Hiralkumar, M.B. (2005) founds that CAL package develped for calss VIII students was effective in teaching sankrit.

Rathod, J. (2005) students in his experimental research held in 110 studnets of class VIII and founds that the developed IT based instructional package was effective for teaching english grammar. A qualitative study was conducated by Kelly, R.M. & Jones. L.L. (2007) to investigate the effect of molecular leavel animations on studuents explanation and reported that the studentshave found the animation usefl in learning. Keengwe, J. & Anyanwu, L.O. (2007) conducted a study to determine students perception of instuctional integration of computer technology to improve learning. A statistically significant relationship was found between the three predictior variables and the students perception of the effect of computer technology to improve learning. Cronje & Fouche. (2008) investigated the differences of mental models of learners and designers. The students were selected in a way that reflects three levels (i.e. weak. middle and good) for each gender. The results revealed considerable defferences between the mental modles of learners and designers. The free navigation of th multimedia learning progeam helps good students to accelerate their learning, while weak students are lost, Clements, D.H. (2002).

Kara, Y., & llyurt. Y.S. (2008) conducted an experimental study to investigate the effets of tutorial and edutainment design of instructional software progeam and found that using edutainment softwware program alone significantly changed studnets attitudes towards biology. Joush, W.N.H.W. & Jousoff, K. (2009) conducted a study to examine the use of multimedia in teaching and learning process and found that by having a mixed of multimedia tools in this process were able to change students negative mendset towards a subject. Kay (2009) aimed at finfing whether gender affects the use of an interactive classroom communication system. the result revealed the male studnets are more significantly prositive than their counterparts female students. Neo, M. & Neo T.K. (2009) studies the stuedents perceptions in usng a multimedia project that was embedded within a constrictivist-besed learning envirronment and found that students demonstrated positive attitudes and perceptions to deveop a multimedia project within this learning environment.

Owen, H: & Martin H. (2010) studied that how multimedia for education enhances outcomes and opportunitines for learners and practitioners engaged in open. Flexible and distance learning and found that multimedia can create quality connections for deep learning creativity and self-direction, Sankey, M.D., Birch, D. & Gardiner. M.W. (2011) conducted an experiment to measure the impact of multiple representations on learning outcomes, including students learning performance and engagement and found that students percevie learning resources to assist their comprehension, understanding and retenion of contents and to be more interesting and enjoyable to use. Papic, M. & Bester, Janez (2012) examined a study to increase the use of modem ICT in schools and to adopt the formal education system to the new era they found that existing ICT in education, introduced since the beginning of internet, did nor bring about desired changes and did not revolutionize the system as many anticipated.

ii. Studies related to Multimedia and Teacher Efficiency - Keairamani, G. (2000) conducted a study in instuctional and feedback use of television and found Goel, Tomar, Khirwadkar, Das and Joshi (2000) conducted a project implementing computer assisted that instructions thriugh television were highly significant for the courses. Yadav, S. (2000) found that software on alphabets and animals enhanced the achievement of class I students. Most of the leaner's were found to have positive reaction towards the software. Teachers welcomed the media integrated approach towards teaching-learning process. Muchal, M.K. (2001) studies the effectiveness do instructional strategies in general science and found that video lesson was more effective than printed lesson. Baylor, Amy L. & Donn. R. (2002) examined the impact of seven factors related to school technology on five dependent measures in the areas of teachers skills, teachers morale and perceived students learning and found that teachers incorporated technologies increased their own level of technical competence and morale. Vekaria., V.J. (2002) explored that the teachers and the learners were found to have positive reaction towards the video instruction program which was developed by the investigator. Demetriadis, S. et.al. (2003) studied Greek secondary school teachers attitudes towards the introduction of ICT in the curriculum. The findings showed that teachers were interested in using ICT to attain a betel professional profile.

Athaide, M. (2005) conducted a study to know the effective of the training program conducted by intel-india for secondary school teachers. She reported that teachers having high commitment to the professional use of computer technology were found to have higher level of application of the inlets training program for teaching their subjects than those having low or moderate levels of commitment. Suntisukwongchote, P. (2006) aimed to test

Fisboughs models of collaboration and investigated the use of email and the internet among science teachers. Findings revealed that most teachers rarely used the internet as a tool for their collaboration. Chanlin, L.J. et.al. (2006) investigated the factored that influence Taiwan teaches use f technology in creative teaching. The research based finding reflect that not only creative teaching environment and personal factors, influenced the integration of computer technology but also social and curricula factors surroundings, teaching and learning issues.

Bhardwaj, V. (2007) conducted a survey to investigate about ICT usage schools of India and found that the tevel of expertise od teachers in using various software and applications was write low. Hollinger etal. (2009) addressed the effects of using simulation to teach complex physiological models to 96 students & they found that the effectiveness of the designed simulator and the conventional text lessons are ewuivalent. Kamat & Shindes (2009) project was based on the results of a test on a number of interactive multimedia package for grade ito IV & concluded that interactive multimedia is much better than traditional educational methods. Gertner, R.T. (2011) conducted a study to examine the effects of of both e-reader devices and textbooks on comprehension and transfer learning. He found that readers of the e-text group were more easily able to identify with the material as it applied to other situations. Nassir, S. Alsmadi, I. Kabi, M.A. & Sharadgah, F. (2012) investigate the impact of utilizing multimedia technology is enhancing or not, the effectiveness of teaching students. And found that those methods can be effective especially for youngsters where they can be motivated by graphics and animations.

Conclusion - The use of multimedia technology has offered an alternative way of delivering instruction. Interactive multimedia learning is a process, rather than a technology , that places new learning potential into the hands of users. Based in this review of past research into the efficacy of multimedia instruction and the diversity of outcomes, there would appear to be ample opportunities for future researches to make significant contributions to the field, The overriding conclusion would be that pedagogy must drive educational technology usage rather than being driven by it. There may come disappointing and dismal mixed results with some studies indication improvement and a similar number of studied suggesting no improvement over conventional pedagogies. The problem is not with the new technology but with unrealistic great expectations of universal applicability of multimedia to all areas of the educational environment but gradually with adaptation and inclusion of new technology with the conventional ones a more effective and efficient pedagogical system may emerge.

Therefore, what is needed is research that examines the educational environment in which the new technologies frilled superior results and even more importantly to examine those environments where the new technologies wither show no improvement or underperformance over conventional pedagogies. this Will give educators ways to use the multimedia technologies more innovatively and productively.

References :-

1. Athaide, M (2005). A study of the effectiveness of the training program conducatted by Intel india for secondary school teachers. (Doctoral Dissertation, University of Mumbai).
2. Baylor, A.L. & Ritchie, D. (2002). What factors facilities teachers skill, teachers morale and perceived students learning in technology-using classroom. Computers and Education, 39 (4), 395-414.
3. Bhardwaj, V. (2007). ICT usage in 1000 schools of india.
4. Burden P.R. & Byrd, D.M. (1999). Methods for effective teaching (IInd Ed.). Needham heights MA:Allyn & Bacon.
5. Butcher-powell L.R. (2005). Teaching, Learning and multimedia. In S. Mishra & R.C. sharma (eds). Interactive multimedia in education and training. London:Idea group publishing.
6. Cairncross, S. & Mannion, M. (2001). “Interactive multimedia and learning:Realizing the benefits innovation in education and teaching international.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
October to December 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVI

Bio-based Fiber Reinforced Polymer Composites: Ecofriendly Materials

Dr. Avinash Dube* Dr. Kumud Dubey**

*S. N. Govt. P. G. College, Khandwa (M.P.) INDIA
** MLC Govt. Girls P. G. College Khandwa (M.P.) INDIA

Abstract - Fibers with natural origin are a renewable resource and have several advantages associated with them. They impart the composite high specific strength,stiffness and biodegradable. Natural fiber composites show better mechanical and other properties. Applications of these natural composites in various aspectsrequire attention due to their renewability and biodegradability concepts for a safe future of our society.
Key words-Fiber composites, polymer.

Introduction - Fiber is a class of material that is a continuous filament or discrete elongated pieces similar to the length of threads. The two main sources of natural fibers are plants and animals. The major components of plant fibers are cellulose microfibrils, lignin and hemicellulose. The main component of animal based fiber is protein. There has been a growing interest in utilizing fibers as reinforcement to produce composite materials. A typical composite material is a system of materials consisting of two or more material (mixed and bonded) on a macroscopic scale. The polymer composite materials are such materials which provide the ease of processing productivity and cost reduction.

Orientation, moisture absorption, impurities, volumefraction, interfacial adhesion properties etc. play an important role in the determination of mechanical properties of fiber composites. Due to research and development work in modification and treatment methods of natural fibers, utilization of natural fibers has observed a significant growth in various applications. Generally fibers with plants or animal origin used in textile fabric in apparel, home furnishing, paper, medical and hygienic supplies, mattress, carpet backing, insulation mats, tea bags, twin and ropes, brushes, horticultural products, veils etc.

The present study is made to analyze the properties of natural fiber polymer composites and their uses in various aspects because being with values of renewability and biodegradability these products are ecofriendly and must require for sustainable development.

General Characteristics of NFPCs - Natural fibers are obtained from different sources and differ in their structure, moisture content, cell dimensions, chemical composition and also with matrix interaction, so they show different characteristics. Natural fibers include a functional group named as hydroxyl group which make the fibers hydrophilic.Orientation, moisture absorption, impurities, volume fraction, interfacial adhesion properties etc. play an important role in the determination of mechanical properties of fiber composites. Mechanical properties of PLA(poly lactic acid), epoxy, PP(polypropylene) and polyster matrices can be affected by types of natural fibers.

Natural fiber composites show better mechanical properties than a pure matrix as when jute fibers are added in PLA (poly lactic acid) 75.8% of PLAs tensile strength was improved.Natural fibers are proficient material which can replace the existing synthetic fibers. Modification of material properties has done through chemical treatments of natural fibers which improve the adhesion between the fiber and enhance the mechanical properties of the composites.

Polymerization is the process of joining large number of synthetic molecules together to form a rigid structure. Fiber reinforced plastics have been fabricated by several methods depending upon the shape of components to be manufactured. Some important manufacturing processes are Hand layup, Spray layup, Compression molding, Filament winding and Injection winding.

Table 1.: Physico Mechanical Characteristics of natural Fibers

S.	Fiber	Density (g/cm^3)	Tensile Strength (MPa)	Youngs Modulus (GPa)
1	Cotton	1.51	400	12.00
2	Jute	1.46	400-800	10 -30
3	Hemp	1.48	550-900	70.00
4	Flax	1.40	88-1500	60-80
5	Coir	1.25	220	6.00
6	Ramie	1.50	500	44.00

7	Banana	1.35	355	33.80
8	Silk	1.30 – 1.38	650 -750	16.00
9	Sisal	1.16 – 1.50	511-635	9.40- 15.80
10	Bamboo		615 -862	35.45

Table 2:Tensile Properties of Natural fibers with various matrix:-

S.	Fibre	Matrix	Tensile strength (Mpa)	Tensile Modulus (Mpa)
1	Jute	Polyurethane	59.3	1300
2	Jute	Polyester	45.82	3700
3	Sisal	Polyester	47.10	12900
4	Coir	Polyester	20.40	
5	Hemp	Polyester	32.90	1421
6	Flax	Polyester	61.00	6300
7	Banana	Polyester	57.00	
8	Sisal	Polyester	65.50	1900
9	Bamboo	Polypropylene	26.00 to 41.40	950-1770
10	Bamboo	Polyvinyl Chloride	14.00 to 52.00	1120-3660
11	Bamboo	PLA (Poly Lactic Acid)	25.00 to 30.00	2340
12	Bamboo	Polystyrene	25.00 to 69.00	4000-5000
13	Bamboo	Polyester	30.9	3100

Improvement Modes: Chemical treatment of natural fibers results in a remarkable improvement of the NFPCs.In a review of chemical treatments of natural fibers it was found that treatment is an important factor that has to be considered when processing natural fibers.The fibers loose hydroxyl groups due to different chemical treatment thereby reducing the hydrophilic behavior of the fibers and causing enhancement in mechanical strength as well as dimensional stability of natural fiber reinforced polymer composites. Surface treatment of natural fibers enhanced fiber matrix interfacial bonding , for these purpose different chemicals were used such as alkali, silane, acrylation, benzoylation, maleated coupling agents , permanganate , acrylonitrile and acetylation grafting, stearic acid, peroxide, triazine, oleoyl chloride, sodium chloride etc.

It was observed that alkali treatment of banana and epoxy composites gave better properties.Chemical treatment with alkali , acetelation, stearic acid, peroxide and permagnate decrease the dielectric properties of composites due to decrease in hydrophilicity of the composites. The electrical properties of phenol-formaldehyde composites modified with banana fiber showed that the dielectric constant decreased with fiber loading and fiber treatment.The characteristics of natural fiber strengthened composites materials can be improved by joining it with manmade synthetic strands and making it hybrid polymer composite.

Applications: Cellulose, rice straw, rice husk, natural fiber, lignocellulose, paper sludge are renewable sources with many beneficial properties. These materials were used to manufacture composite products such as sound absorbing wooden construction materials, interior of bathrooms, wood decks, window frames, decorative trim, automotive panels. Fiber reinforced polymer composites are often used as structural components that are exposed to extremely high or low heats. These application includes automotive engine components, Aerospace and military products, electronic and circuit board components, oil and gas equipment.

The use of biocomposites makes the car lighter, renders greater resistance to heat, external impact and improves fuel capacity. By Volkswagen, a bioconcept car was configured as a racing car. The parts as the rear hatch, the driver's door and front lid have been produced by eco-friendly materials by compression molding.

Hybrid fibers are used to achieve optimal ratio between the performances and the costs of the fabric. Various chemical compositions, different weights and mechanical properties can be applied within the same fabrics. So a fabric can be designed in the required specification with low cast. Biobased polymer composites gained attention due to their renewability and biodegradability. The advantages are-

1. They contribute to the consumption of Carbon di oxide gas.
2. The amount of the Carbon di oxideemission from burning fibers at the end of their lives neutral.
3. The low abrasive nature of the fibers makes their processing easier and more recyclable .

Natural fiber polymer composites have greater specific stiffness and specific strength, more resistance to corrosion, better recyclability, large fatigue strength, lower life cycle costs, more impact absorption capacity and have lower toxicity.

Concluding Remark: The natural fibers are introduced to make the composites lighter, so there is an increase in the demand for the commercial use of natural fiber based composites in various sectors. Fiber reinforced polymer composites open up great material potential and form one of the emergent areas in material science that develop awareness for use in various applications with an ecofriendly way.

References :–

1. C.Faissal etal.(2021), Machining Behavior of natural fiber composites. Encyclopedia of materials: composites volume-3, pp 168-185, Science dirt.com.
2. Dai D and Fan M. Brunel University UK, (2014),Woodhead publishing limited, (Wood fibers as reinforcements in natural fiber composites structure, properties, processing and applications. Book- Natural fiber composites materials processes and properties Edited- Alma Hodcic and Robert shanks.

3. Mohammad L.etal. (2015),A Review on natural fiber Reinforcement polymer composites and its applications. International Journal of Polymer Science (Review Article)
4. Kabir MM.etal (2012), Chemical treatment on plant based natural fiber reinforced polymer composites, an overview composites part B.Engineering Vol.43 no.7 pp 2883-2892.http://dx.doi.org/10.1016/j.compositesb.2012.04.053
5. Quazi T. H. Shubra etal (2011), Mechanical properties of polypropylene composites: A Review Journal of Thermoplastic Composite Material, pp 1-30.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
October to December 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVI

Online Teaching-Learning:Challenges and Recommendations

Dr. Uma Shrivastava*

***Principal, Govt. College of Teacher Education, Dewas (M.P.) INDIA**

Abstract - The Covid19 Pandemic has suddenly impacted in various areas of world, and education is also one of the important areas. Due to corona virus pandemic schools and colleges across India have been closed since middle March 2020.

To continue the teaching learning process for the pupil teachers, other mode of teaching becomes very necessary. When no other option was available, education services of any level shift to new way of teaching learning namely- e-learning or online mode of teaching learning.

All Educational Institutes started online teaching and learning with unplanned and insufficient band width and with lack of preparation, without any training and mentality of the users. Due to these problems faculties and pupil teachers faced many challenges towards online teaching learning.

Present paper explores what kind of attitudes and challenges faced by faculties and pupil teachers during online teaching learning process.

The study involved 296 pupil teachers from five districts and all are government teachers.

In the present study faculties and pupil teachers from different district have been taken. The data was collected with the help of questionnaires constructed by investigator for challenges faced by them.

Major findings of the study revealed that about 79.9% of the pupil teachers are attending online classes for the first time. All involved faculty and learners faced problems like, lack of training, difficulty to assembling all the students for the online classes, technical problems, lack of appropriate devices and resources, lack of family co-operation, lack of internet facilities and connectivity, difficulty to cover the contents according to the syllabus. Major challenges faced by faculties is that pupil teachers do not follow up the learning process opportunity and do not taking it seriously during online classes. Although faculties have positive attitude towards online classes but due to lack of efficacy and training for on line mode of teaching, they feel traditional mode of teaching is better. The key recommendation suggested that faculties and pupil teachers must be equipped first and awareness training programmes on e-learning technology.

Key Words- Covid19, e-learning.

Introduction - Due to COVID-19 and its severe impact, world has taken it very sincerely. Government of many countries have decided to close the educational institutions to stay away children from the spread of COVID-19 pandemic. In this reference Indian government also declared lockdown and closed all educational institutions.

By the end of March 2020 over, 180 countries had closed their educational institutes. In the support of learners Indian Government also took action to continue their education remotely.

Therefore Government has decided an alternate way to continue the education in favour of learners, which is e-learning program. By this program digital education become a viable solution to fill classroom education. This kind of practice becomes a complete revolution in the history of education. Although it was not so easy to impart new method of teaching for learners as well as teachers, but new learning become more interesting and enjoyable. Using internet connectivity online teaching learning program provides great opportunity in this pandemic period. Digital learning also has many advantages like, learners can learn in their comfort zone, more engagement with no physical boundaries, it is cost effective also but some problems and challenges also faced by them.

Objectives:

1. To study online application used by faculties.
2. To study the usage of online learning by pupil teachers.
3. To study the challenges faced by pupil teachers and faculties during online teaching learning.

Method- In the present study investigator used descriptive survey method. The survey was conducted by the investigator personally to study the challenges faced by

faculties and pupil teachers during online teaching learning process.

Investigator prepared questionnaire for both pupil teachers and faculties. These questionnaires were implemented on both. After implementing data were collected personally. Then tabulating and analysed the data.

Sample- Total 296 pupil teachers (148-148 pupil teachers from both IInd and IVthsemester) from Govt. B.Ed. college Dewas have been taken. They all are Govt teachers from Primary, Middle, High and Higher Secondary. Both male and female pupil teachers from these districts have been taken. Pupil teachers are from 05 districts, Dewas, Indore, Dhar, Alirajpur and Jhabua.

Table 1: Sample for the study

S.	Category	IId Semester		IV Semester	
		Male %	Female %	Male %	Female %
1.	Primary School Teacher	43.33	38.66	40	40
2.	Middle School Teacher	10	8	9.3	9.3
3.	High School Teacher	-	-	-	-
4	Higher Secondary School Teachers	-	-	-	1.3

Statistical analysis - The obtain data were analysed by computing percentage.

Results and interpretation

Objective 1: To study online application used by faculties.

For this objective the survey was done regarding maximum platform used by faculties during online mode of teaching. To study this objective a research question framed and the responses as follows:

Table 2: Platform /Software used by faculties

Platform /Software used	Percentage of responses
WhatsApp	3%
Zoom	82%
Webex	9%
Microsoft team	6%

Above table shows that the maximum faculties 82% used Zoom platform for online teaching although they have not trained previously but they tried, by getting guidance from their colleagues, friends. 9% and 6% faculties also used Webex, Microsoft team simultaneously. Only 3% faculties sometimes used Whatsapp to send notes in pdf formats and sometimes make their own videos of the lessons and share these videos to the pupil teachers.

Objective 2: To study the usage of online learning by pupil teachers.

For this objective survey was done to find out the use of online learning by pupil teachers. There are six research questions were framed and their responses are as follows:

Table 3: The usage of online learning by pupil teachers

Statement of the question	Response	
	Yes	No
Would you like learn by online mode	89.6	10.4
Have you any previous experience to learn by online mode	20.1	79.9
Do you make preparation before joining the online class	45.6	54.4
Do you join the class daily	85.3	14.7
Do you join the full period	61.4	38.6
Do you join all the periods	52.1	47.9

According above table 89.6% pupil teachers like to learn by online mode whereas 85.3% join the class daily. Only 20.1% have previous experience and 45.6% make preparation before joining the online class. 61.4% pupil teachers are like to join full period whereas 52.1% are eager to attend are periods.

The findings of the survey show that 85.3% pupil teachers used online mode for learning.

Objective 3: To study the challenges faced by faculties and pupil teacher's during online teaching learning process.

1. To achieve this objective survey was done to find out the challenges faced by faculties and pupil teachers during online teaching learning process.
2. To study this objective framed research questions and obtained results are as follows:

Table 4.Challenges faced by Faculties

S.	Challenges	Never %	Some-times%	Always %
1.	Technical problems	15.2	55.9	28.9
2.	Lack of resources and materials	28.4	69.6	2.0
3.	Lack of time	65.8	26.1	8.1
4.	Lack of self confidence	84.9	11.3	3.8
5.	Lack of trainings	52.0	46.2	1.8
6.	Problems to online joining with pupil teachers	28.1	64.2	7.7
7.	Lack of Internet facilities	25.1	66.4	8.5
8.	Noise and other disturb ances during teaching learning process	35.8	50.5	13.7
9.	Lack of pupil teacher's Concentration	34.7	61.6	3.7
10.	Pupil teacher's disinterest during online classes	36.9	60.2	2.9
11.	Lack of evaluation of learning speed	31.0	64.5	4.5
12.	Lack of evaluation of writing work	9.3	11.1	79.6

Above table reveal that 15.2% faculty do not face any technical problems, whereas majority of the faculties (55.9%) sometimes faced this challenge and 28.9% always faced this problem. 28.4% faculties do not faced the

problem of resources and materials, but 69.6% reported this challenge is for sometimes, and only 2% mention it is always.

About lack of time 65.8% reported never, whereas 26.1% sometimes and 8.1 always reported. In reference to confidence level 84.9% faculties reported that they never lose their self-confidence, while 11.3% and 3.8% reported they lose their confidence for sometimes and always simultaneously.

Lack of training is not challenge for 52.0%, while 46.2% feels it is required for sometimes and only 1.8% always needed training. In reference to problems to online joining with pupil teachers, 64.2% faculties sometimes faced this problem and 7.7% faculties reported it as always, but rest of 28.1% do not face this challenge.

In reference to lack of internet facilities 25.1%faculties faced no problems, while 66.4% faced sometimes and rest of (8.5%) always faced problems. 13.7% faculties reported that they always faced noise and other disturbances during teaching learning process, while majority of(50.5%) faculties sometimes faced this problem, but 35.8% reported no problem regarding this reference. 3.7% faculties noticed lack of pupil teacher's concentration, whereas majority of (61.6%) noticed it is sometimes and 34.6% reported it's never.

According to 36.9% faculties pupil teachers never show disinterest during online classes, 60.2% faculties reported it is sometimes but only 2.9% faculties reported that pupil teachers always show disinterest during online classes.

During online classes only 4.5% faculties always found lack of evaluation of learning speed, 64.5% found it is sometimes but 31.0% faculties found it is never. Similarly 79.6% found lack of evaluation of writing work is always, 11.1% found it is sometimes and only 9.3% found it is never.

Table 5.Challenges faced by Pupil teachers

S.	Challenges	Never %	Some times%	Always %
1.	Technical problems	6.8%	70.3%	22.9%
2.	Lack of resources and materials	60.3%	21.3%	18.4%
3.	Lack of time	74.2%	15.9%	9.9%
4.	Lack of self confidence	48.7%	29.3%	23%
5.	Lack of trainings	1.0	2.0	97%
6.	Problems to online joining with faculties	33.1	15.2	51.7
7.	Lack of Internet facilities	37.7	13.1	49.2
8.	Noise and other distur bances during teaching learning process	39.1	14.2	46.7
9.	Mentally tired during continuous online classes	40.1	37.2	22.7
10.	Lack of concentration	35.9	61.2	2.9

According to above table only 6.8% pupil teachers do not face any technical problems, but majority of the pupil teachers (70.3%) sometimes faced this challenge and 22.9% always faced this problem. 60.3% pupil teachers mentioned that they do not faced the problems regarding resources and materials, but 21.3% reported that sometimes they faced this problem, and 18.4% mention that they always faced this problem.

In reference to lack of time 74.2% pupil teachers have no problems, whereas 15.9% have problems for sometimes and always having this problem reported by 9.9% pupil teachers. According to 48.7% pupil teachers, they never lose their self-confidence, while 29.3% and 23% pupil teachers reported problems for sometimes and always simultaneously.

About 97% pupil teachers said they always need training, 2% said they sometimes need and only 1% said they never need training during online classes. 33.1% pupil teachers said that they never faced problems to online joining with faculties, but 51.7% pupil teachers always faced this problem and 15.2% sometimes faced this problem.

Problems related to internet 37.7% pupil teachers never, 13.1% sometimes and 49.2% always faced this problem. During online teaching learning noise and disturbances never faced by 39.1% pupil teachers but 46.7% always faced the problem and 14.2% sometimes faced the problem.

During continuous online classes 40.9% pupil teachers reported they never mentally tired, 37.2% reported sometimes and 22.7% reported they feel always tired during the class. 35.9% pupil teachers reported they never lose their concentration while majority of them (61.2%) sometimes lose their concentration and only 2.9% always lose their concentration during online classes.

Major Findings and Conclusions :

1. In the survey it is found that 89.6% pupil teachers like to learn by online mode but due to lack of previous experience (79.9%), online learning become difficult for the pupil teachers.
2. It is found that majority of faculty and pupil teachers are first time use online classes and they are not too much familiar with software or apps, although these apps are freely available but sometimes they complaint the features of these apps are not supported for online teaching. Maximum 82% Zoom cloud app used by the users.
3. Survey also reveals that majority of faculty and pupil teachers do not feel lack of time and lack of confidence as a challenge to online teaching learning, which shows that they want to use technology in the class room.

But sometimes they face some challenges during online classes which are as follows-

Technical problems, lack of resources and materials, lack of training, lack of internet facilities, problems to online joining with each other, lack of concentration and noise and other disturbances.

Recommendations :

1. This study suggested that participants in online classes should be well equipped and they should have knowledge about resources and materials used by them.
2. For the awareness of e-learning it is recommended some long term and short term training should be arranged for improving the skill and knowledge.
   For intensive experience in e-learning practice following programme should be organised:

a. Seminars/workshop can be facilitated by experts for development of e-learning practices.
b. Also organised training programmes, which focuses on how to convert content to an electronic format, how to support and facilitate learners to use this platform for learning.
c. Trainings also focuses on the aspect related to online instruction design, multimedia production, making of power point, animation etc.

3. This study also recommends education stakeholders to strengthen factors which lead towards positive attitude and also to work out factor which lead to negative attitude.
4. In order to encourage online teaching learning Government/Educational institute should also adopt the policy to provide free internet and free digital gadgets to all education stockholders. The gadgets must have latest software updates and antivirus programs.
5. To improve smooth access of connectivity, high speed connectivity should be providing for all users.

References:-

1. Nachimuthu, K and Malathy, T (2020). Attitude towards ICT among B.Ed. Trainees. *Studies in Indian Place Names (SIPN),* 40(50), 4340-4347.
2. Nachimuthu, (2020), Student Teacher's attitude towards online learning during COVID-19, *International Journal of Advanced Science and Technology, Vol.29 No.6 (2020), pp 8745-8749.*
3. SeemaSareenDr., Anita NangiaDr. Online teaching during COVID19: Attitude and Challenges faced by School Teachers. *International Journal of Disaster Recovery and Business Continuity, Vol. 11, No. 1 (2020), pp. 3012-3018.*
4. https://en.unesco.org/covid19/educationresponse/consequences.Adverse consequences of School closure.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
October to December 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVI

Study of Road Rage in Udaipur City, Rajasthan

Dr. Sabiha Khan* Dr. Rashmi Singh**

*Assistant Professor, Department of Geography, Mohanlal Sukhadia University, Udaipur (Raj.) INDIA
** Assistant Professor, Department of Psychology, Mohanlal Sukhadia University, Udaipur (Raj.) INDIA

Abstract - A very great saying is that "Anger gets you into trouble, ego keeps you in trouble." Nowadays cases of road rage are increasing day by day as traffic congestion increases on inadequate road space. A road rage is the negative behavior of the motorists in a traffic situation, which includes rude gestures, physical threats and verbal insults. Dangerous driving methods are also adopted toward another driver or non-drivers in an effort to intimidate or release frustration. This Paper aims to study the road rage in the most congested areas of the city with mixed traffic types. For this research 180 samples have been taken from selected sites of the city for the study. The sampling method used for data collection was Purposive Random sampling. And the rage was measured by DAS scale given by Deffenbacher et al. The independent variables for the study taken were age group, gender and type of vehicle and each was divided into two subgroups. The finding shows significant effect of gender, age group on road rage whereas type of vehicle shows no significant effect on road rage.

Key Words- Road Rage, Stress.

Introduction - Udaipur city is well known as 'City of lakes' and 'Kashmir of Rajasthan'. Udaipur is a tourist city and famous worldwide as one of the most beautiful and romantic cities in the world. City is presently expanding towards the north-east and west along with National Highway No. 8 and National Highway No. 76 respectively. The current metro area population of Udaipur in 2021 is 580,000; Numbers of registered vehicles in Udaipur have been increased from 2, 90,567 in 2010-11 to 5, 71,350 in 2015-16.

Road rage occurs when a driver experiences extreme aggression or anger intending to create or cause physical harm. It is important to note that aggressive driving and road rage are not the same, although aggressive driving contributes to road rage. Road rage is extreme deliberate, unsafe driving that poses an immediate and significant risk to property or another driver. There are common behaviors included in road rage such as rude and inflammatory gestures, profanity hitting, bumping, sideswiping or ramming another vehicle.

Review of Literature:

Wang & Chen (2020) analyzed the road rage cases by illegal use of high beams. Data was obtained from the largest search engine of China named as Baidu (www.baidu.com) and 20 cases reported for the use of illegal high beams were analyzed using qualitative analytical methods. It was found that usually young men were highly involved in such cases. As some of them could not control their rage it resulted in further incidents like chasing other vehicles, scolding drivers, blocking the way of the offender.

Mina, Verma, Balhara, & Hasan (2014) performed a web-based pivot cross-sectional study where male participants between the age of 18-50 years residing in Delhi were randomly selected through Facebook and survey performa was sent via email to assess the road rage while driving among them. For the assessment semi-structured performa, life orientation test-revised (LOT-R) and driving anger scale (DAS) was used. LOT is a psychological instrument that assesses an individual's level of optimism whereas DAS measures the driver's anger level. The data collected was analyzed in SPSS by using ANOVA. It was concluded that road rage was observed least in the presence of policemen while highest in traffic obstruction scenarios. Also, while comparing the scoring of DAS scale it was found that Indians have more road rage than the citizens of US, UK and Australia. Hence in this study no difference was observed on the basis of driving as a profession or years of driving and correlation was found between anger and the external environmental factors.

Sagar, Mehta, & Chugh (2013) performed a descriptive study among the drivers of Delhi aged between 18-50 years. A semi-structured questionnaire was prepared consisting of the information related to driving experience, anger triggers and anger expressions in the past one year. The data collected was analyzed in SPSS and STATA using logistic regression analysis to find out the risk factors related to driving-related anger. This paper concluded that excessive honking, overtaking and playing loud music in one's car are some reasons associated with anger among

drivers which lead to traffic violations, accidents and physical health.

Wickens et. al. (2012) studied various demographic, general variables and risk related factors to assess self report driver aggression and found gender as a potential moderator in driving aggression with various income gaps, psychological distress and driving exposure.

Wickens et.al. (2011) studied the relation of aggressive driving with various age groups and found that the prevalence of the aggressive driving was highest in the younger age group which was 51 percent and middle age group was 37 percent and last is old age group that was 18 percent. It was found that aggression declines with the increasing age.

Burns & Katovich (2003) inspected three major newspapers circulated around eastern, central, and western areas of the United States with the articles consisting of words like road rage and aggressive driving from the duration of May 2, 1985 to May 1, 1999. Based on the articles, they classified road rage into two different categories- related to human behavior and another related to the structure of the environment and concluded that human behavior was responsible for road rage in 71.9% whereas in 28.1% cases external environment was the cause of road rage. Although this study has various limitations as many categories have the possibilities of overlapping like driver's behavior and driver's action.

Hennessy & Wiesenthal (2001) assessed the relationship between driving aggression and gender and found that the same levels of mild driving aggression in both gender groups but violence was more frequent among male drivers.

Objectives:

1. To study the significant effect of gender on road rage.
2. To study the significant effect of age group on road rage.
3. To study the significant effect of types of vehicles on road rage.

Hypothesis:

1. There is no significant effect of gender on road rage.
2. There is no significant effect of age group on road rage.
3. There is no significant effect of type of vehicle on road rage.

Methodology

Independent Variables

A. Age group

- 18- 30 years
- 31- above

B. Gender

- Male
- Female

C. Type of Vehicle

- Two Wheeler
- Four Wheeler

Dependent Variable

- Road Rage

Sampling - Total 240 samples were collected, 30 samples of each subgroup from the decided sites of the city. Purposive random sampling method was used for sample collection. The data were collected from the congested areas of the city having mixed traffic types such as from fatehpura, thokar chouraha, sevashram, udiapole.

Assessment Tool used - The questionnaire used for the data collected was DAS (Driver Anger Scale) short scale which was used to measure the anger dimension with potential value for research on accident prevention and health psychology. It correlates positively with intensity of anger and frequency of anger, aggression and risky behavior while driving, aggressive expression of driving anger, and general trait anger. Participants were told to imagine the situation that had just happened during their travel and rate the level of anger they would have experienced using a 1-5 likert scale (1= not at all and 5= very much). This questionnaire consists of 14 questions. The Higher scores will indicate greater driving rage.

Sample Design

2X2X2 Factorial Design

Groups	Type of Vehicle				Total
	Two Wheeler		Four Wheeler		
	18-30 years	31-60 years	18-30 years	31-60 years	
Male	30	30	30	30	120
Female	30	30	30	30	120
	60	60	60	60	240

Result and Discussion:

Descriptive Analysis (see in next page)

By seeing the table of descriptive analysis it can be seen that there is a slight difference found in means between age sub groups and types of vehicles driven by particular gender.

Like the type of vehicles driven by males with age group of 18- 30 years having little difference of means, which is 66 and 65.23 respectively and males with age group of 31-60 years having also few differences in means. This type of little difference is also found in vehicles driven by different age groups of females. But we can see that there is a clear difference found between the means of different age groups of both genders. Like mean of 18- 30 age group male was greater than 31- 60 age groups males in both types of vehicles driven and vice versa relation was found in different age groups of females. Here in case of female drivers the mean of the 31- 60 years group was greater than the mean of 18- 30 yrs.

Analysis of Variance (see in next page)

Three-way ANOVA was calculated to see the significant effect of gender on rage. The null hypothesis was rejected as it was found that there is a significant effect of gender on rage. As per the mean value (M= 54.42) males was found to have more road rage as compared to females (M=21.52)

It may be because of various reasons as they are more aggressive and tend to speed. Males are found to make more rude gestures or honk at other drivers as compared to females. They are found to be more alcoholic as compared to females. Males are having more personal and professional responsibilities. Males tend to have more traits of anger, anxiety, and impulsiveness and have a tendency to take more risks.

Likewise age groups show the significant effect on road rage. This can be found from the ANOVA table. From the mean value it is shown that the young age group that is 18-30 years has more roads rage as compared to the adult group that is 31- 60 years.

Young age groups face poor impulse control and decision making as they have less experiences as compared to adult groups and also have more risk taking behavior. According to Nemerovski "people become legal adults at 18 but in terms of brain development teenagers don't have access to normal full adult executive function for several more years."

According to AAA foundation for traffic safety showed that drivers between the ages of 25 to 39 years are most likely to exhibit road rage behavior.

Deffenbacher suggests that young males are the most likely to perpetrate road rage. These are the studies which favor the result of a research paper. Wickens et. al. (2012) resulted in the research that the prevalence of driver aggression in the current sample was slightly higher among males (38.5%) than females (32.9%), the difference was small.

There was no significant effect found between types of vehicles and rage. It may be because road rage is a behavioral aspect and a personality trait. It also differed with the differences with the environmental factors but as such type of vehicles does not play any significant role on road rage in this study.

There are many other environmental factors like crowded roads, inadequate space and management, mixed traffic type, and encroachments can boost the anger. There are some psychological factors like displaced anger, mood swings and high life stress that are also linked to road rage.

References:-

1. Borrelli, Lena (2021). "Road Rage statistics 2021" Retrieved from https://www.bankrate.com/insurance/car/road-rage-statistics/
2. Burns, R. G., & Katovich, M. A. (2003). Examining Road Rage / Aggressive Driving. *Environment and Behavior*, *35*(5), 621–636. https://doi.org/10.1177/0013916503254758
3. Hennessy, Dwight & Wiesenthal, David. (2001). Gender, Driver Aggression, and Driver Violence: An Applied Evaluation. *Sex Roles*. 44. 661-676. 10.1023/A:1012246213617.
4. J.L. Deffenbacher, E.R.Oetting, & R.S.Lynch, "Development of a driving anger scale", *Psychological Reports*, vol.74. No. 1, pp. 83-91, 1994.
5. J.L.Deffenbacher, M.E.Huff, R.S.Lynch, E.R.Oetting & N.F. Salvatore, "Characteristics and treatment of high anger drivers", *Journal of counseling psychology*, vol.47, no.1, pp. 5-17, 2000.
6. Mina, S., Verma, R., Balhara, Y., & Hasan, S. (2014). Road Rage: Prevalence Pattern and Web Based Survey Feasibility. *Hindawi Publishing Corporation*. https://www.hindawi.com/journals/psychiatry/2014/897493/
7. Sagar, R., Mehta, M., & Chugh, G. (2013). Road rage: An exploratory study on aggressive driving experience on Indian roads. *International Journal of Social Psychiatry*, *59*(4), 407–412. https://doi.org/10.1177/0020764011431547
8. Wang, Y., & Chen, Q. (2020). Case study of road rage incidents resulting from the illegal use of high beams. *Transportation Research Interdisciplinary Perspectives*,https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2590198220300956?via%3Dihub
9. Wickens, C. M., Mann, R. E., Stoduto, G., Butters, J. E., Ialomiteanu, A., & Smart, R. G. (2012). Does gender moderate the relationship between driver aggression and its risk factors? *Accident Analysis and Prevention*, 45, 10-18
10. Wickens, Christine & Mann, Robert & Stoduto, Gina & Ialomiteanu, Anca & Smart, Reginald. (2011). Age group differences in self-reported road rage perpetration and victimization. *Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour*. 14. 400-412. 10.1016/j.trf.2011.04.007.

Descriptive Analysis

Gender	Age group	Type of Vehicle	Mean	Std. Deviation	N
Male	18- 30 yrs.	Two Wheeler	66.00	3.84	30
		Four Wheeler	65.23	3.00	30
		Total	65.61	3.44	60
	31-60 yrs.	Two Wheeler	43.80	1.82	30
		Four Wheeler	42.66	1.26	30
		Total	43.23	1.66	60
	Total	Two Wheeler	54.90	11.58	60
		Four Wheeler	53.95	11.60	60
		Total	54.42	11.55	120
Female	18-30 yrs.	Two Wheeler	16.63	2.25	30
		Four Wheeler	16.46	2.02	30
		Total	16.55	2.12	60
	31-60 yrs.	Two Wheeler	26.73	2.03	30
		Four Wheeler	26.23	2.81	30
		Total	26.48	2.44	60
	Total	Two Wheeler	21.68	5.51	60
		Four Wheeler	21.35	5.49	60
		Total	21.51	5.48	120
Total	18-30 Yrs.	Two Wheeler	41.31	25.08	60
		Four Wheeler	40.85	24.72	60
		Total	41.08	24.80	120
	31-60 Yrs.	Two Wheeler	35.26	8.81	60
		Four Wheeler	34.45	8.56	60
		Total	34.85	8.66	120
	Total	Two Wheeler	38.29	18.96	120
		Four Wheeler	37.65	18.69	120
		Total	37.97	18.79	240

Analysis of Variance

Source	Type III sum of squares	df	Mean Square	F	Sig	Partial Squared
Corrected Model	83000.296[a]	7	11857.185	1899.114	<.001	.983
Intercept	346028.204	1	346028.204	55421.846	<.001	.996
Gender	64977.504	1	64977.504	10407.167	<.001	.978
Age- Group	2325.038	1	2325.038	372.391	<.001	.616
Type of vehicle	24.704	1	24.704	3.957	.048	.017
Gender*Age group*Type of Vehicle	.004	1	.004	.001	.979	.000
Age group* Type of Vehicle	1.837	1	1.837	.294	.588	.001
Gender*Type of Vehicle	5.704	1	5.704	.914	.340	.004
Gender* Age group	15665.504	1	15665.504	2509.076	<.001	.915
Error	1448.500	232	6.244			
Total	430477.000	240				
Corrected Total	84448.796	239				

a. R Squared = .983 (Adjusted R Squared = .982)

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
October to December 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVI

Analysis of Consumer Behavior and Marketing

Dr. Balmukund Baghel*

***Lecturer (Selection Grade) Mom Govt. Polytechnic College, Narsinghpur (M.P.) INDIA**

Abstract - This paper explores the analysis of consumer behavior and marketing The behavior displayed by consumers in the search, purchase, use, evaluation and disposal of products and services that will meet their needs. Consumer behavior is influenced by various factors like personal, environmental and decision making. And these factors can be helpful for marketers in their marketing. The vision of a successful business can be realized only when the businessman or entrepreneur is able to understand the consumer behavior correctly and formulate a sales strategy by giving top priority to the consumer.
Keyword- Consumer behavior, marketing, strategies, Factors.

Introduction - Business and consumer are complementary to each other, both cannot be seen in isolation. If one is separated then the other becomes incomplete. Where the most important requirement of the businessman after the establishment of the business is to attract the consumer to buy his product, to add more and more consumers to retain them, on the other hand the consumer is looking for such a product which will be useful for him. as well as available at a reasonable cost and which are easy to use and have the desired quality and satisfy him, those products should suit his fashion, interest. In other words, giving priority to the consumer is the means of survival of the business. The customer is also given the status of God, so it becomes necessary that the businessman should make or sell the goods keeping in mind his customer's interest, fashion demand, his need. And for this it is necessary that he understands the behavior of his consumer.

What is consumer behavior- Consumer behaviour is the study of individuals, groups, or organizations and all the activities associated with the purchase, use and disposal of goods and services. Consumer behaviour consists of how the consumer's emotions, attitudes and preferences affect buying behaviour. Consumer behaviour emerged in the 1940–1950s as a distinct sub-discipline of marketing, But in today's time it has become the most essential part of marketing, if you want to succeed as an entrepreneur or businessman, then first collect the necessary information for the behavior of your target customer, analyze them, then only move forward.

The study of consumer behaviour formally investigates individual qualities such as demographics, personality lifestyles, and behavioural variables (such as usage rates, usage occasion, loyalty, brand advocacy, and willingness to provide referrals), in an attempt to understand people's wants and consumption patterns. Consumer behaviour also investigates on the influences on the consumer, from social groups such as family, friends, sports, and reference groups, to society in general (brand-influencers, opinion leaders). Research has shown that predicting consumer behavior is a difficult task, as consumer behavior varies from person to person, even to marketing experts; However, new research methods, such as ethnography, consumer neuroscience, and the use of information technology tools such as machine learning, big data analysis, have simplified this task to some extent, and work is being done in this area day by day .

Consumer Behavior - Marketing Strategies - Marketing strategies are generally based on prevailing implicit beliefs about consumer behavior. Decisions based on clear assumptions and sound theory and research are more likely to be successful on the ground and in daily lifeGreater knowledge and experience of consumer behavior can be a significant competitive advantage when designing marketing strategies. Because planning is done, it can reduce the chances of wrong decisions and failure in the market to a great extent. Theories of consumer behavior are useful in many areas of marketing, some of which are listed below -

Analyzing Market Opportunity - Consumer behavior helps in identifying the unfulfilled needs and wants of consumers. This requires scanning the trends and conditions operating in the market area, customer's lifestyles, income levels and growing influences.

Target market selection - Scanning and evaluation of market opportunities helps in identifying different consumer segments with different and exceptional needs and

requirements. Learning to identify these groups, making buying decisions, enables the marketer to design products or services as per the requirements.

Illustration - Consumer studies show that many existing and potential shampoo users do not like bottle packing which is expensive but they want a shampoo pack that can be used once or twice and is less costly as Rs.1 or 02. Available in packs that can be used as per the requirement. Companies started working in this direction and 01 or 02 rupees pouches landed in the market and this strategy was successful and it got wide support from customers and companies increased shampoo sales, they got desired returns

Marketing mix decision - Once the unmet needs and wants of the consumer are identified, the marketer has to determine the exact mix of the four P's, i.e. product, price, place and promotion.

Promotion - Promotion is the most successful medium of influencing consumer behavior, advertising is the most successful medium to connect with the consumer, which includes using all the channels available in the market ranging from digital marketing, personal selling, sales promotion, promotion and direct marketing and sales

Marketers have to decide which would be the most popular and suitable method to reach the consumers effectively. Should it be advertising alone or should it be combined with sales promotion techniques? The company should know its target consumers, their location, their taste, interest, fashion, demand preferences and accordingly choose the medium keeping in mind the consumer which media they have access to, lifestyle etc.

FACTORS INFLUENCING THE CONSUMERS' BEHAVIOUR - Marketers need to know that what are the factors that influence consumer behavior the most and should prepare their strategy keeping this in mind, many factors affect consumer behavior, which is not possible to be bound within any limits, yet some commons Factors that should be taken into account in particular are -

Psychological Factors
Social Factors
Cultural Factors
Personal Factors
Economic Factors

1. Psychological Factors - If analyzed psychologically, there are some common things which affect every consumer like Motivation, Perception, Learning, Attitude and Belief.

i. Motivation -When a person is motivated enough, it influences the buying behaviour of the person. A person has many needs such as the social needs, basic needs, security needs, esteem needs and self-actualization needs. Out of all these needs, the basic needs and security needs take a position above all other needs. Hence basic needs and security needs have the power to motivate a consumer to buy products and services

ii. Perception -Consumer perception is a major factor when the consumer sees the advertisement of a product in television, newspaper, social media and the information he receives gives rise to an impression about the product in his mind. that influence consumer behavior. Hence consumer perception has a great influence on the buying decision of the consumers.

iii. Learning -When a person buys a product, using that product creates an image in his mind that how useful that product really is. Learning through experience comes over a period of time. A consumer's learning depends on skill and knowledge. While a skill can be acquired through practice, knowledge can only be acquired through experience.

iv. Attitude and Belief -Consumers have certain attitudes and beliefs that influence the purchase decisions of the consumer. Based on this approach, the consumer behaves in a particular way towards a product. This attitude plays an important role in defining the brand image of a product. Therefore, marketers try very hard to understand consumer attitudes to design their marketing campaigns.

2. Social Factors- Man is a social being, he spends his life in the midst of the society, which has to be maintained by all the relations, apart from this, there is harmony and harmony with many people of the society. So social factor definitely influences consumer behavior.

i. Family- Family plays an important role in shaping the buying behavior of an individual. A person develops preferences from childhood by watching his family buy the product and continues to buy the same product even when he grows up.

ii. Reference Groups- Reference group is a group of people with whom a person associates himself. Generally, all the people in the reference group have common buying behavior and influence each other.

iii. Roles and status- A person is influenced by the role that he holds in the society. If a person is in a high position, his buying behavior will be influenced largely by his status. A person who is a Chief Executive Officer in a company will buy according to his status while a staff or an employee of the same company will have different buying pattern.

3. Cultural Factors- Culture is an integral part of a person's life, which he adopts from childhood, whose effect is clearly visible on his personality, so culture also affects shopping. When a person comes from a particular community, then his behavior is related to that particular community. is highly influenced by the culture concerned. Some cultural factors are-

i. Cultural Factors have strong influence on consumer buyer behavior. Cultural Factors include the basic values, needs, wants, preferences, perceptions, and behaviors that are observed and learned by a consumer from their near family members and other important people around them.

ii. Sub Culture - Within a cultural group, there exists many subcultures. These subcultural groups share the same set

of beliefs and values. Subcultures can consist of people from different religion, caste, geographies and nationalities. These subcultures by itself form a customer segmen

iii. Social Class - Each and every society across the globe has form of social class. The social class is not just determined by the income, but also other factors such as the occupation, family background, education and residence location. Social class is important to predict the consumer behavior.

4. Personal Factors- Factors that are personal to the consumers influence their buying behavior. These personal factors differ from person to person, thereby producing different perceptions and consumer behavior.

Some of the personal factors are: Age, income. Occupation, life style,

5. Economic Factors- Consumer behavior has a lot to do with the economic situation because the more a person's sources of income, the more his purchasing power will be affected and he decides on that basis that he knows what to buy and what not.

i. Personal income -A lot depends on personal income, if the income of the person is so much that after fulfilling the basic needs, more money is left then definitely his purchasing power will increase but on the other hand he knows from his income only by meeting the needs of the household. And if he does not have extra money left, then in such a situation he will buy only the unavoidable things because his budget does not allow that he can go out of it.

ii. Family Income- Family income is the total income from all the members of a family. When more people are earning in the family, there is more income available for shopping basic needs and luxuries. Higher family income influences the people in the family to buy more. When there is a surplus income available for the family, the tendency is to buy more luxury items which otherwise a person might not have been able to buy.

iii. Consumer Credit - When a consumer is offered easy credit to purchase goods, it promotes higher spending. Sellers are making it easy for the consumers to avail credit in the form of credit cards, easy installments, bank loans, hire purchase, and many such other credit options. When there is higher credit available to consumers, the purchase of comfort and luxury items increases.

Conclusion - The vision of a successful business can be realized only when the businessman or entrepreneur is able to understand the consumer behavior correctly and formulate a sales strategy by giving top priority to the consumer and always travel to keep the customer engaged and engaged with his business. He should manufacture and sell products keeping in mind the satisfaction, interest, fashion, demand, taste, lifestyle of consumer, overall he should be customer oriented. He should keep making efforts to understand the customer behavior and should also do innovation keeping the customer at the center, Only then can he set the stage for success.

References:-

1. https://clootrack.com/knowledge_base/major-factors-influencing-consumer-behavior/
2. https://en.wikipedia.org/wiki/Consumer_behaviour
3. Kotler,. Ph., (2003). Marketing Insights from A to Z: 80 Concepts Every Manager Needs To Know. Hoboken, New Jersey,John Wiley & Sons
4. Kotler, Ph., Keller, K. L., (2015). Marketing Management 15th ed. Essex, England, Pearson Education Limited
5. https://www.moneycontrol.com/financials/brightcomgroup/results/consolidated-yearly/LGS#LGS
6. The Economic Times https://economictimes.indiatimes.com
7. https://money.bhaskar.com/

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
October to December 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVI

A Fixed Point Theorems For Probabilistic Densifying Mappings in Menger Spaces

Dr. D.K. Sagar*

*Department of Mathematics, Shri Sitaram Govt. Girls' P.G. College, Neemuch (M.P.) INDIA

Abstract - In this paper we establish a fixed point theorems for Probabilistic Densifying Mappings in complete menger Spaces.
AMS mathematic subject classification (2000): 47 H 10, 54 H 10, 54 H 25, 54 E 70
Keywords- Probabilistic Densifying Mappings in menger Spaces Fixed point.

Introduction - The Existence of a fixed point for Densifying mapping in metric space was first proved by furi and vignoli [6]. The concept of Probabilistic densifying of mapping was introduced for Bocsan [1] (cf [2]) and proved a fixed point theorems for such mappings subsequently, several fixed and common fixed point theorems for Probabilistic Densifying Mappings were established by Dimiri-Pant [5], E. Hadzic [7], Pant-Tiwari, Singh [9], Singh-Pant [11] and Tan [12].

In this paper we prove fixed point theorem for Probabilistic Densifying Mappings in a complete menger space which gives a Probabilistic verson of theorems 1 of Z-Liu [8] and also extends a result of change – Kim [4]

Preliminaries:

Definition 2.1 [11]: A Probabilistic metrics space (PM-space) is an ordered pair (X, F) consisting of a non empty set X and a mapping F from XxX to L, the collection of the distribution functions the value of F at (u, v) €XxX will be denote by $F_{u,v}$ and $F_{v,u}$ are assumed to satisfy the following conditions:

a) $F_{u,v}(x)=1$ for all $x>0$, iff $u=v$,
b) $F_{u,v}(x)=0$
c) $F_{u,v}=F_{v,u}$
d) if $F_{u,v}(x)=1$, $F_{v,w}(y)=1$

Then $F_{u,w}(x+y)=1$ for all u, v, w, € X

Every metric space (M,d) is PM-space

$F_{u,v}(x)=H(x-d(u,v))$ where H is a distribution defined by

$H(x) = \{0, x \leq 0\}$
$\quad\quad 1, x > 1$

Definition 2.2: A menger space is a triplet (X, F, T) where (X, F) is a pm- space the and t is the t term [12] such that $F_{u,w}(x+y) \geq T\{F_{u,v}(x), F_{v,w}(y)\}$ Hold for all u, v, w in X and x, y, ≥ 0

For to Topological preliminaries on menger spaces, schweizers-sklar [10] is an excellent reference thought this paper X stands for a menger space. Let A be non empty subset of X.

Definition 2.3 [1]: The function $D_A(.)$ defined by

$D_A(x) = \sup_{y<x} \{\inf_{v \in A} F_{u,v}(v)\}$

Is called the probabilistic diameter of A. A is bounded

If $\sup_{x \in R} D_A(x) = 1$

if $A \leq B$ then $D_A(.) \geq D_B(.)$.

if $f: X \to X$ and $x \in X$, then orbit of x defined by

$O(x) = \{x, f_x, f^2x, —\}$

Definition 2.4 [3]: For a probabilistic subset A of X, the function

$\alpha_A(x) = \sup\{€ \geq 0 / \exists$ a....Finite cover of A such that $D_s(x) \geq €$

For all $S \in A\}$

is called Kuratowski Function. The following properties of α_A are proved in (3).

(i) $\alpha_A(x) \in L$, the set of distribution functions
(ii) $\alpha_A(x) \geq D_A(x)$ for all $x \in R$,
(iii) if $\phi \neq A \subset B \subset X$ then $\alpha_A(x) \geq \alpha_B(x)$, $x \in R$
(iv) $\alpha_{A \cup B}(x) = \min\{\alpha_A(x), \alpha_B(x)\}$
(v) let A be the closure of A then $\alpha_A(x) = \alpha_{\bar{A}}(x)$
(vi) A probabilistic bounded subset of A of X is probabilistic pre compact iff $\alpha_A = H$.

Definition 2.5 [1]: Let X be a Menger space. A continuous mapping f of X in to X is called a probabilistic densifying mapping iff for every subset A of X such that $\alpha_A < H$ we have $\alpha_{f(A)} > \alpha_A$

Main Result:

Theorem 3.1: Let T be a continuous self map of a complete menger space X. suppose that there exist positive integers m, i, j such that

(1) T^m is probabilistic densifying and

(2) $F_{T^i p, T^j q}(x) > D_{\overline{o(p)} \cup \overline{o(q)}}(y)$

For y > x > o and for all p, q in X with $T^i p \neq T^j q$

Then T has a unique fixed point in X, morever and iteration $\{T^n p\}$ converges to the fixed point of T.

Proof

Let p be a fixed point of X.

Now

$\alpha\, o(p)(x) = \min\{\alpha_{p, Tp}, \ldots, {}_{Tp}{}^{m-1}(x)\ \alpha_{O(T^m p)}(x)$

$= \alpha_{O(T^m p)}(x)$

$= \alpha_{T^m o(p)}(x)$

$> \alpha_{o(p)}(x)$ using (1)

Which is absurd so $\alpha_{o(p)}(x) = H(x)$

Which is implies that

O (p) is pre compact. Since X is Complete, O(p) is compact.

By continuity of T, we conclude that

$T^{n+1}(\overline{o(p)}) < T^n(\overline{o(p)})$ for n=1,2,—

From the compactness of $\overline{o(p)}$

And the continuity of T, it follows that

$\{T^n\, o(p)\}$ has finite intersect property, so that

$$Y = \bigcap_{n=1}^{\infty} T^n(\overline{o(p)}) \text{ is a}$$

Non-empty compact closed subset of $\overline{o(p)}$

Now, on the lines of theorem 2.5 of [4], it follows that TY = Y. Further by using (2) compactness of Y, and using definition of probabilistic diameter, we get

Dy (x) = 1 for all x>0.

Therefore Y = {a} is a singleton

Hence α is Fixed Point if T.

To prove the uniqueness,

If possible let (b≠ a) be another fixed point if T,

Then from (2) we have

$F_{a,b}(y) > F_{a,b}(x)$

$= F_{T^i a, T^j b}(x)$

$> D_{o(a) \cup o(b)}(y)$

$= F_{a,b}(y)$

Since $T_a = a$, $T_b = b$

which is a contradiction. Thus a is the unique fixed point of T.

Since

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} T^n(o(p)) = Y = \{a\} \text{ and is a}$$

$T^n p \in T^n(o(p))$, then it is obvious from (2) that $T^n_p \rightarrow a$ for all p in X.

The following corollary is immediate.

Corollary 3.2: let T. be a continuous self map of a complete menger space X and T is probabilistic densifying such that

$F_{Tp,Tq}(x) > D_{o(p) \cup o(q)}(y)$

$y \ngtr x > 0$ and for all p,q in X,

p = q Then T has a unique fixed point in X.

Remark 3.3 : In the above theorem, if we take X as compact menger space and i=j=1 then we get Theorem 2.5 of [4] as a special case.

Remark 3.4 : A number of results may be obtained is the special case of theorem 3.1 in the metric and menger space.

References:-

1. Bocsan, Gh. (1974): on some fixed point theorem in probabilistic metric spaces. University Din. Timisoara Facult Destunte Ale Naturii, 24, 1-7.
2. Bocsan, Gh. (1974): on some fixed point theorem in random normed spaces, proc. 5th conference on probabilistic theory.
3. Bocsan, Gh. and constantin, Gh (1973), the Kuratowski Function and some application to probabilistic metric spaces Atti. Acad, Naz, Lincei, 55, 263-240.
4. Change, Jae II and Kim, ch. wook (1983) fixed points of generalized contraction mapping on menger spaces, J.Korean math. Soc, 19 (2), 135-141
5. Dimiri, R.C. and Pant, B.D. (2002): Fixed Point of probabilistic densifying mapping, journal nat. Phy. Sc.16 (1-2), 69-76
6. Furi, M. and Vignoli, A. (1969): Fixed point for densifying mappings, Rendi Acad. NaZ. Lincei, 465-467.
7. Hadzic, O. (1979): Fixed points theorem in probabilistic metric and random normed spaces. Math. Sem. Notes. Kobe Univ., 7, 261-270
8. Liu, Z. (1994): Fixed point theorems for densifying maps. Indian j. Math. 36(2), 147-150.
9. Pant, B.D., Tivari, B.M.L. and Singh S.L. (1983), Common fixed point theorem for Densifying mapp9ing in probabilistic metric spaces, Honam Math. J.5, 151-154.
10. Schweizer, B. and Sklar, A (1983), probabilistic metric spaces, North Hall and Series Newyork.
11. Singh, S.L. and Pant, B.D. (1983): A fixed point theorem for probabilistic densifying mappings, Ind. J Phy. Nat, sc.3, 21-25
12. Tan.D.H. (1981): on probabilistic densifying mapping, Rev. Roumaine Math. Pures Appl. 26, 1305-1317

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
October to December 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVI

Advantages and Future of Digital Marketing

Dr. Balmukund Baghel *

* **Lecturer (Selection Grade) MOM Govt. Polytechnic College, Narsinghpur (M.P.) INDIA**

Abstract - Social media has also emerged as a simple and cheap medium of information exchange. Along with the use of computer in education, health office, whether listening to music, watching television, reading news, shopping online, To get information about an item, information about the company making the item, seller's information to make online payment, everything is becoming available in the hands of the person on the Internet i.e. on mobile, he does not need to wander anywhere, just the application should be running. Internet marketing, also known as digital marketing, has become an important means of connecting customers and accessing information in the field of business. And want to share the information related to their business with the public through internet, website etc.
Keywords- Social media, digital marketing, mail, NSE and BSE, consumers, Product.

Introduction - The results of the concept of economic liberalization, privatization and globalization which started in the decade of 1991 are now being reflected in the ground very fast. Big changes are being seen in the field of information technology. There is hardly any area that is not using information technology, due to which the work has started getting done very fast, transparency has been promoted, people have started getting information faster and their life has become easier. Gradually, mobile technology is reaching the hands of every Indian living in India and being connected to the Internet, mobile technology is becoming a great tool of awareness. Now a person sitting in a remote area is exchanging messages with social media like Facebook, WhatsApp and is also slowly getting acquainted with the changes taking place in the global world and it takes a certain time to run these mediums. Also spends. Everyone is slowly joining this digital revolution. Social media has also emerged as a simple and cheap medium of information exchange. Along with the use of computer in education, health office, whether listening to music, watching television, reading news, shopping online, To get information about an item, information about the company making the item, seller's information to make online payment, everything is becoming available in the hands of the person on the Internet i.e. on mobile, he does not need to wander anywhere, just the application should be running. Internet marketing, also known as digital marketing, has become an important means of connecting customers and accessing information in the field of business. And want to share the information related to their business with the public through internet, website etc. And this is the beginning of digital marketing. Today market gurus are resorting to channels like Facebook, WhatsApp, Instagram, and YouTube for market research, consumer interest, fashion information, advertising of their products.

What is Digital Marketing?

Digital marketing includes all marketing efforts using electronic devices or the Internet. Businesses take advantage of digital channels such as search engines, social media, email and their websites to connect with current and potential customers. It is known as 'online marketing', 'internet marketing' or 'web marketing'. Digital marketing is defined by the use of multiple digital strategies and channels to connect with customers where they spend most of their time online. From the website to the online branding assets of the business – digital advertising, email marketing, online brochures, and beyond – there is a spectrum of strategies that fall under the umbrella of "digital marketing".

I. Example- How digital marketing works, it is important to understand it through an example, from this it will be understood that how digital marketing actually works in the ground like NSE AND BSE STOCK EXCHANGE in stock market a public limited company listed in India Is Brightcom Group. The Brightcom Group is a digital marketing company founded in 2000 and headquartered in Hyderabad, India with offices in US, Argentina, Brazil, Chile, Uruguay, Mexico, UK, France, Germany, Sweden, Ukraine, Serbia, Israel, China, India, and Australia, and with representatives or partners in Poland, and Italy

This company Brightcom Group consolidates Ad-tech, New Media and IoT based businesses across the globe, primarily in the digital eco-system. Clients include leading blue chip advertisers like Airtel, British Airways, Coca-Cola,

Hyundai Motors, ICICI Bank, ITC, ING, Lenovo, LIC, Maruti Suzuki, MTV, P&G, Qatar Airways, Samsung, Viacom, Sony, Star India, Vodafone , Titan, and Unilever. Publishers include Facebook, LinkedIn, MSN, Twitter, and Yahoo! Brightcom works with agencies like Havas Digital, JWT, Mediacom, Mindshare, Neo@Ogilvy, Ogilvy One, OMD, Satchi&Satchi, TBWA, and ZenithOptiMedia, to name a few.

The Brightcom consumer products division is focused on the IoT. COMPANY's LIFE product is dedicated to the future of communication and information management in which everyday objects will be connected to the Internet, also known as the "Internet of Things" (IoT).

There are many companies in the world including India that are working to provide services of digital marketing and generating good revenue. If we talk about Bright Com Group, then in the last five years, the company has generated a large amount of revenue. This is as follows -

YEARLY RESULTS OF BRIGHT COM GROUP (in Rs. Cr.)	MAR '21	MAR '20	MAR '19	MAR '18	MAR '17
Net Sales/ Income from operations	2,855.80	2,692.32	2,580.24	2,420.74	2,451.32

Source- https://www.moneycontrol.com/financials/brightcomgroup/results/consolidated-yearly/LGS#LGS

II. Digital Marketing Tactics- A digital marketer is a professional person or group of individuals who are fully aware of the modern tools and equipment of information technology, their reach and importance, using their experiences to help each digital marketing campaign achieve their broad goals. Does. And depending on the goals of their marketing strategy, marketers can support larger campaigns through the free and paid channels at their disposal. Suppose a company has to advertise its product which has just been launched in the market and also has to give information about other products made by the company, then it can give complete information by becoming a page in Facebook or for free service.

***search engine optimization-** the process of maximizing the number of visitors to a particular website by ensuring that the site appears high on the list of results returned by a search engine.

"the key to getting more traffic lies in integrating content with search engine optimization and social media marketing"

- **Social Media Marketing:** Social media marketing is the use of social media platforms and websites to promote a product or service. The channels you can use in social media marketing include Face book, Twitter, LinkedIn, Instagram, Snap chat, Pinterest, and Google+.
- **Content marketing**: Content marketing is a form of marketing focused on creating, publishing, and distributing content for a targeted audience online
- **Affiliate marketing:** Affiliate marketing is a type of performance-based marketing in which a business rewards one or more affiliates for each visitor or customer brought by the affiliate's own marketing efforts
- **Native advertising:** Native advertising, also called sponsored content, is a type of advertising that matches the form and function of the platform upon which it appears. In many cases it functions like an advertorial, and manifests as a video, article or editorial.
- **Marketing Automation:** Marketing automation refers to software platforms and technologies designed for marketing departments and organizations to more effectively market on multiple channels online and automate repetitive tasks.
- **Pay-Per-Click (PPC):** Pay-per-click is an internet advertising model used to drive traffic to websites, in which an advertiser pays a publisher when the ad is clicked. Pay-per-click is commonly associated with first-tier search engines.
- **Email Marketing:** Email marketing is the act of sending a commercial message, typically to a group of people, using email. In its broadest sense, every email sent to a potential or current customer could be considered email marketing. It involves using email to send advertisements, request business, or solicit sales or donations
- **Inbound Marketing:** Inbound marketing is **a** business methodology that attracts customers by creating valuable content and experiences tailored to them. While outbound marketing interrupts your audience with content they don't always want, inbound marketing forms connections they are looking for and solves problems they already have.
- **Online PR:** (E-PR, Digital PR) refers to the use of the internet to communicate with both potential and current customers in the public realm.

Advantages of Digital Marketing: With the changing times, it is necessary to change the business organizations, businessmen and all the institutions associated with the business world and they should definitely adopt digital marketing because it is the simplest. There is a cheap, modern means, the advantage is as follows –

I. Low cost - Marketing and advertising costs are one of the largest financial burdens that businesses have to bear. While large businesses do not have much trouble with marketing and advertising, but for small businesses, it is impossible or unbearable. The medium of digital platform is suitable and effective medium for such businesses. You can advertise on Facebook by creating a page for free

II. Huge return on investment- Nothing matters more to a business than the return on the investment it makes. Digital marketing offers a substantial return on small investments.

III. Easy to measure-The success or otherwise of a digital campaign can be easily traced. Compared to traditional

methods where you have to wait weeks or months to evaluate the veracity of a campaign, with a digital campaign you can know almost immediately whether an ad is performing or not.

IV. Easy to adjust- The knowledge of the performance of an ad will inform a business on how to proceed. For an ad campaign that is performing well, it is easy to invest more in it with just a click. But for an ad that is not delivering as expected, it can be adjusted accordingly or stopped altogether with ease.

V. TARGET AUDIENCE - If you have made a product for a particular age group, you want to include that attribute in the advertisement as Target Audience, then it is easily possible in digital marketing.

VI. Brand development - Businesses can use their digital platforms to build their company's brand and reputation. A well-developed website, a blog featuring quality and useful articles, a social media channel that is highly interactive are some of the ways by which a business can build its brand.

VII. Global reach – a website allows you to find new markets and trade globally for only a small investment.

VIII.Personalisation – if your customer database is linked to your website, then whenever someone visits the site, you can greet them with targeted offers. The more they buy from you, the more you can refine your customer profile and market effectively to them

IX. Social currency – digital marketing lets you create engaging campaigns using content marketing tactics. This content (images, videos, articles) can gain social currency - being passed from user to user and becoming viral.

X. Improved conversion rates – if you have a website, then your customers are only ever a few clicks away from making a purchase. Unlike other media which require people to get up and make a phone call, or go to a shop, digital marketing can be seamless and immediate.

Future of Digital Marketing: The widespread use of information technology in India has started from the last decade, in other words, information technology is just beginning in India and the first phase is going on now. Right now only the trailer is visible, the complete picture is yet to be made, so there is no doubt that there will be any hindrance in digital marketing, but this business is sure to grow at quadruple speed day by day. Applied in the industrial field 4.0 technology is yet to be fully realized, it is only just beginning to spark a revolutionary change in the field of digital marketing. Marketing is and will be beneficial

Conclusion- Digital marketing is currently becoming an essential part of business, as awareness is increasing, businessmen and entrepreneurs are adopting it because it is the cheapest, simple, easy medium that is connected to the mobile, which can be seen with a single click. Is. In conclusion, it can be said that digital marketing in India is still in its early stages and this field will see a revolutionary change in the next decade, which will provide support to the business and will prove to be a boon for the new-entrepreneurs. Digital marketing is beneficial and It will be beneficial, its future is very bright.

References:-

1. https://www.moneycontrol.com/financials/brightcomgroup/results/consolidated-yearly/LGS#LGS
2. https://www.nibusinessinfo.co.uk/content/advantages-and-disadvantages-digital-marketing
3. The Economic Times https://economictimes.indiatimes.com
4. https://money.bhaskar.com/
5. The Financial Express https://www.financialexpress.com
6. Bala M., Verma D." A Critical review of Digital Marketing," www.ijmrs.us,
7. Booms, B. H. and Bitner, M. J., 1981. Marketing strategies and organization structures for service firms. Marketing of services, 25(3), pp.47-52

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
October to December 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVI

Problems and Prospects of Tourism in Himachal Pradesh (A Case Study of Chamba District)

Dr. Satish Soni*

***Associate Profession, Govt. Degree College, Hamirpur (H.P.) INDIA**

Abstract - Tourism is being considered as an agent of social change bridging gaps among nations, regions and people helping them to open up. Himachal Pradesh is famous for its Himalayan Landscapes and popular hill stations. Chamba District is known for its various temples as well as some historic sites. In the present study an attempt is made to study the impact of tourism in the development of Chamba district of H.P. Tourism brings both positive and negative impact on tourist destinations. These impacts are analysed using data gathered from different stakeholders on the basis of their age, educational qualifications, level of incomes and occupation etc.
Keywords- Tourists, Attitudes, Tourism Impacts.

Introduction - Tourism is being considered as an agent of social change bridging gaps among nations, regions and people and helping them to open up. It is a promoter of development materials and spiritual both at macro and micro level. Modern transportation has removed the obstacles of distance enabling people to appreciate each other engage in the exchange of ideas and commerce. Tourism can help to overcome real prejudices and foster binds. Tourism can be a real force of world peace.

Tourism being a smokeless industry is now a multi-billion, multi sectoral and multi-dimensional activity in the Twenty first century tourism has reached upto space when a Russian rocket carried the space vehicle of Dennis Tito, an American Businessman and world first space tourist, to the space station. Time is not too far to carry tourists to moon and other planets in the specially punched vehicles.

Himachal Pradesh is famous for its Himalayan Landscapes and popular Hill Stations. Many outdoor activities such as rock climbing, mountain biking, paragliding, ice-skating and Heli-skiing are popular tourist attraction in Himachal Pradesh.

Chamba District is known for its various temples as well as some historic sites. It is one of the popular tourist sites of the state. The main attractions of Chamba District are Laxmi Narayan Temple, Champavati Temple, Chamunda Temple, Vajreshwari Temple, Basin Gopal Temple, Hari Rai Temple, Bhadrakali Temple, Vishnu Temple, Mani Mahesh Temple, Artha Gaya, Rang Mahal, Akhand Chandi Palace, Bhuri Singh Museum, Rock Garden, Art Gardent, Saroh, Saho, Kalatop, Khajjiar, Bakrola Hills, Panjpula Hills, Subhash Baoli, Jandiri Ghat.

Review Of Literature

Alick Mhizha et. al (2012) analysed the affects of tourism of culture in an around Victoria falls in Zimbawe. He analysed the seven factors which influence the impact of tourism in the locality and concluded that tourism does not have significantly higher negative impacts than positive impacts on the residents.

Abraham Pizam & Ady Milman (2014) analyse the social, cultural, political and environmental aspects on tourism industry and found that these factors are the way in which tourism is contributing to changes in value systems, individual behaviour, family relationships, collective life style, moral conduct, creative expressions, traditional ceremonies and community organization.

Manuel Rivera, Robertico Crores, Seung Hyun Lee (2016) studied the empirical relationship between tourism development and happiness from the perspective of locals in small island destination. The study proves insights into how residents assess their own happiness and how those assessments depart from traditional well-being indicators by examining the mediating relationships among both income and non-income factors. They concluded that tourism development and happiness are positively correlated.

AB Venkatesh, M. Suresh (2016) analyse the factors influencing Indian Tourism Promotion in social media. They found that consumers are engaged in social networks for tourism trips and sharing the travel experience is one of the most important factors that influence the success of tourism. They further stressed that tourist destination is the most key influencing factors for Indian tourism promotion in social media.

Hanaa Abdelaty (2016) analysed the impact of tourism

industry after the revolution in Egypt and Tunisia. He studied the economic and political impact on tourism in these countries. He found that tourism role remains positive in the economic growth and development of the areas.

Niccolo Comerio, Fernanda Strozzi (2018) studied the relationship between tourism and economic impact. He foundthat tourism plays positive role in the economic development of the country. He further stressed that tourism places should developed to attract the vast majority.

Maksim Godovykh, Jorge Ridderstaat (2020) studied that the impact of tourism arrivals on residents' health. They found that tourism arrivals negatively influence resident's health in short term but in long run tourism have positive impacts on resident's health.

Research Methodology - The present study has been undertaken to understand the perception of common people residing in different blocks of Chamba District of Himachal Pradesh about tourism. For this purpose primary and secondary data has been collected. The main objective of study is to analyse and evaluate the public opinion on tourism in the locality of Chamba District. A non probability convenience samples of 100 respondents has been collected to get the primary data for this analysis. Structured questionnaire was prepared to collect data. Only those respondents were asked for detail replies who agreed to participate in this survey. Questionnaire was framed on 4 point Likert Scale and secondary data has been collected from following sources:-

1. Annual reports of Himachal Pradesh Tourism Development Corporation.
2. Annual reports of Department of Tourism Himachal Pradesh.
3. Published and unpublished documents of Tourism Industry.
4. Available Literature of Tourism.

Statistical Method - The data collected has been presented in the tabular form and chi-square test was applied to check the impact of tourism. The following statistical tools are used:

(a)) Non-parametric test- Chi-Square Test is used

Sample Design for General Public and Tourist

Blocks	Panchayats	10%	Quota	Total
Chamba	43	4.3	4	16
Mehla	41	4.1	4	16
Tissa	40	4.1	4	16
Salooni	47	4.7	4	16
Bhatiyat	67	6.7	6	24
Bharmour	29	2.9	2	8
Pang	16	1.6	1	4
Total				**100**

(Source : Administration Report 2017-18 Panchayati Raj)

Objectives Of The Study:

1. To study the impact of tourism in the Development of Chamba District.
2. To study the negative impact of Tourism Development in Chamba District.
3. To give further conclusions and suggestions to make study more effective.

Significance Of The Study: The emerging changes and challenges in the field of tourism can no longer be dealt with isolation. Thus, it is necessary to adopt strategic approach through proper management functions of the various categories of administrative and field functionaries. In this study special emphasis has been taken to study the opinion of the respondents to get feedback in detail.

Hypothesis: Hypothesis is a tentative solution of problem. Keeping in view the objectives of study the following hypothesis has been developed. Chi-square test of independence applied to find the relationship between demographic variable with the pattern of use.

1. H_0 There is no significant relationship between demographic variables of tourists and pattern of use.
2. H_1 There is a significant relationship between demographic variables of tourists and pattern of use.
3. H_0 Opinion of public with respect of socio-cultural, impact is not equally distributed.
   H_1 Opinion of public regarding with respect of socio-cultural impact is not equally distributed.
3. H_0 Opinion of the public with respect to negative impact of tourism is equally distributed.
   H_1 Opinion of the public regarding negative impact of tourism is not equally distributed.

Table-1.1 (see in last page)

Table – 1.1 shows the opinion of General public regarding economic impact of Tourisms Development in the locality. It is evident from the table that tourism development has increased the standard of living, increased the per capital income, and provides better market for local market. "To high extent, to very high extent respectively as per the opinion of respondents viewed toward this impact of tourism. The value of Chi-square is significant at 1 percent level of significance. It shows that opinion of respondent's are not normally distributed and are distributed more towards higher side. It may therefore be concluded that tourism development has increased the standard of living, per capita income and provides better market for local production in the region. Regarding tourism development is a major source of foreign exchange and major source of income of locality a large number of respondents were not in favour this opinion. After applying chi-square test it is significant at 1 percent level of significance. It reveals that opinions of the respondents are not normally distributed and are distributed more lesser side. It may therefore be concluded that tourism development is not a major source of earning foreign exchange as well as major source of income of Himachal Pradesh. As for as regarding "Har Gaon ki Kahani" or Home stay scheme for development of tourism majority of respondent favoured this opinion to high extent and "To very high extent respectively. After applying chi-square test it is found significant at 1 percent level of

significance. It shows that opinion of respondents are not normally distributed and are distributed more higher side. It may therefore be concluded that Home stay plan or Har Gaon Ki Kahani are becoming a major source of income of the locality.

Table-1.2 (see in last page)

Table – 1.2 shows the opinion of respondent's regarding social impact of Tourism development. It is evident from the table that development of Tourism in the region has increase the level of education and social status of the respondent's "to high extent" and "to very high extent" respectively. After applying this Chi-square test it is found significant at 1 percent level. It shows the opinion of respondents are not normally distributed and distributed towards higher side. It may therefore be concluded that development of tourism in the region definitely increased the level of education and social status of respondent's positively. Regarding the generation of employment opportunities in the region, majority of respondents viewed that development of tourism has helped to increased the employment opportunities in the region "to very high extent" and "to high extent" respectively. After applying chi-square test it is significant at 1 percent level of significance which shows that opinion of respondent's are not normally distributed and distribution is towards higher side. It may therefore be concluded that tourism development has increased the employment opportunity to a great extent in the region.

Table-1.3 (see in last page)

Table – 1.3 shows the views of general public regarding impact of tourism on culture. A large number of respondents were satisfied " to high extent" and "to very high extent" that tourism development is helpful for preservation of cultural heritage, helpful to encourage to save the past traditions and to generate better understanding among different cultures. After applying chi-square test it is found significant at 1 percent level of significant which shows that opinions of respondents are not normally distributed and are more towards higher side thus it may be concluded that tourism development is helpful for preservation of cultural heritage, helpful to save the past tradition and helpful to generate better understanding among different culture.

Table-1.4 (see in last page)

It is evident from table 1.4 that majority of the respondents are satisfied "to high extent" that tourism development is helpful in developing health services. It is significant at 0.1 percent level of significance which shows that opinion of respondents are not equally distributed. It is distributed more towards higher side. Therefore, it can be concluded that tourism development is helpful for developing health services in the region. Regarding road facilities, telephonic facility entertainment facilities, majority of respondents were found satisfied "to very high extent" followed by "to high extent" respectively. After applying chi-square test it is found significant at 1 percent level of significance which further indicates that opinion of respondents are not normally distributed. It is distributed more towards higher side. It may therefore be concluded that tourism development has increased all facilities like road, entertainment, telecommunication and information facilities etc. The table further depicts that a large number of respondent's were found satisfied "to high extent" and "to very high extent respectively" that tourism development has helped in the overall development of the region. After applying chi-square test it is significant at 1 percent level of significance which shows that opinion of respondent are not normally distributed. Hence, it can be concluded that tourism development is helpful for overall development of region.

Table-1.5 (see in last page)

It is clear from the table –1.5 that the respondents were not found agree with the opinion that tourism has increased the drug abuse in concerned area, while apply chi-square it is found insignificant at percent level of significance which shows that opinion of respondents are not equally distributed. It is less towards higher side. Hence, it can be concluded that tourism has not increased the drug abuse. Similarly Tourism has not increased the prostitution as majority of respondents views negatively toward this factor of tourism. While applying Chi-square test it is insignificant at 1 percent level of significant which shows the opinion of respondents are not equally distributed. It is less towards higher side. Therefore, it can be concluded that tourism is responsible for prostitution. The table further depicts that majority of respondents viewed that tourism has not increased the pollution in concerned area. After applying chi-square test it is insignificant at 1 percent level of significance which shows the opinion of respondents are not equally distributed. It is less towards higher side. Therefore, it can be concluded that tourism is responsible for prostitution. The table further depicts that majority of the respondents viewed that tourism has not increased the pollution in concerned area. After applying chi-square test, it is insignificant at 1 percent level of significance while shows the opinion of respondents are not equally distributed. It is less towards higher side. Therefore, it can be concluded that tourism is not responsible for pollution. As for as regarding the loss of moral values majority of respondent's are "strongly agree" that tourism is responsible for loss of moral value, while applying chi-square test it is significant at 1 percent level of significance which shows opinion of respondents are equally distributed. It is more towards higher side. Thus it can be concluded that tourism is responsible for loss of moral values. Similarly tourism is also responsible for adoption of western culture in the areas the respondents were found "strongly agree" with this opinion. While applying chi-square test it is significant at 1 percent level of significance which shows opinion of respondents are not normally distributed. It is more towards higher side. Thus, it can be concluded that tourism

development is responsible for adoption of western culture in the locality. Regarding overcrowding and congestion majority of respondents were found "strongly agree" with this factor of tourism. While applying chi-square test it is significant at 1 percent level of significant which shows opinion of respondents are not normally distributed and more towards higher side. Thus, it may be concluded that tourism development has increased overcrowding and congestion in the locality. As regards crime rate tourism development is not responsible for the same because majority of respondents viewed towards this. After applying chi-square test it is insignificant at 1 percent level of significance which shows opinion of respondents are not normally distributed. It is more towards lesser side. Thus it may be concluded that tourism development is not responsible for increasing crime rate in the area under study. Regarding tourism encourages illegal practices majority of the respondents viewed negatively. After applying chi-square test it is insignificant at 1 percent level of significance. It sows that opinions of respondents are not normally distributed. It is more towards lesser side. Thus it may be concluded that tourism development is not responsible for illegal practices in the locality.

Conclusions:

1. The culture impact of tourism also analysed on the basis of the views of the respondents of different age groups, educational qualifications and level of income. It is found that tourism development is helpful for preservation of culture heritage, helpful to encourage the past traditions, and helpful to generate better understanding. It is also found that tourism development is not responsible for deterioration of culture values. After applying chi-square test it was found that opinion of respondents are not normally distributed and they are more toward higher side.
2. The economic impact of tourism also analysed on the basis of age, educational qualifications and level of income of respondents. The majority of the respondents supported the views that development of tourism has increased the standard of living, increased per capita income and provided better market of local product, source of income of foreign exchange. As regards rural tourism schemes such as "Har Ghar ki Kahani" or "Home Stay Plan", majority of the respondents viewed positively. After applying chi-square test it was found that opinion of respondents are not normally distributed and they are more forwards higher side.
3. The factors, relating to the infrastructure development consists of health services, road facilities, entertainment facilities, telecom facilities and informatic facilities. After analyzing these factors on the basis of age, educational qualifications and level of income, majority of the respondents were of the opinion that development of tourism in the locality has helped to increase health services, roads network, entertainment facilities, telecommunication network and information facilities. After applying chi-square test it was found that opinion of respondents were not normally distributed and they are more higher side.
4. As far as the social impact of tourism is concerned. The views of the respondents were analysed on the basis of employment opportunity, level of education education and social status. Majority of the respondents were of the opinion that tourism has contributed "to very high extent" and "to high extent" respectively to increase their education level, social status and more employment opportunities in the concerned area. Thus, it leads to the conclusion that tourism has played a significant role to generate the employment opportunity in concerned area which further developed their social status and education level.
5. The negative impact of tourism is analysed on the basis of respondents of different backgrounds. It includes age of the respondent's educational qualifications, and income level of respondents. The negative impact includes, drug abuse and alcoholism, prostitution, pollution, corruption, illegal practices like gambling, overcrowding and congestion, adoption of western culture. Majority of the respondents are supporting more strongly that tourism has increased, drug abuse, prostitution, pollution, corruption, illegal practices, overcrowding and congestion and adoption of western culture and increase in price of essential commodities. After applying chi-square test it was found that opinion of respondent's are not normally distributed and more towards lesser side.

Suggestions:

1. The tourism priorities and preferences are changing regularly in respect of attractions and facilities. Thus the concerned department should conduct regular survey on tourist behaviour to fulfill their expectations and satisfaction level. It will definitely helpful to sustaining tourism to compete at national as well as at international level.
2. In order to exploit tourist places properly, all the places of tourist attractions must be published at every level and tourist information centres must be well equipped with information about all the places of tourist interest.
3. In Chamba Distt. there are certain beautiful places, temples and other historical places, which are not still connected with road network. So the Department should make efforts to provide link roads to all such places so that tourists can visit all these places conveniently. Further number of deluxe buses and taxi services should be increased and regularized properly.
4. Package tour is an area which requires a special attention. A well organized tour is comparatively cheaper and offers immense opportunities to enjoy the diverse attraction in Chamba Distt. The various

concessions should be given to promote the tourists traffic inflow in Chamba Distt. It includes various incentives such as family concession, group concessions, stay concession, seasonal concession etc.

5. Private sector investment should be encouraged to boost the tourism industry in Chamba district. The Govt. should make a provision in the policy so that a part of profit should be invested by private players for the development of tourism in Chamba Distt. and priority should be given in employment for youth of Himachal Pradesh only.
6. Keeping in views the impact of tourism and its foreign exchange earnings financial contrast on tourism development should be taken into account in the light of potential for outside borrowings through FDI.
7. The adventure tourism and special interest tourism should also be promoted at international standard. It is also observed that tourists are not feeling secure during their visits for certain destinations. Therefore, it is suggested to ensure their safety factors adequately so that they can travel freely without any fees.
8. The negative impact of tourism is serious matter. It is observed that tourism development is responsible for the loss of moral value. Overcrowding and congestion. Therefore the Govt. as well as department is tourism should make time bound efforts to control and minimize all these negative aspects of tourism development. The Govt. of H.P. should make certain effective measure's or master plan to control the problem of overcrowding and congestion in Chamba Distt.

References:-

1. Aiims. P. Muhammed & Dr. Jagathyray V.P. Challenges faced by Kerala Tourism industry.
2. A.K. Bhatia "Tourism Development – Principal and Practices." New Delhi Sterling publisher Pvt. Ltd.
3. Mohanti Pragerti "Hotel Industries and Tourism in India" Ashish Publishing House, New Delhi 1992.
4. Pran Nath Seth "Successful Tourism Management" Sterling Publishers Pvt. Ltd. New Delhi. 1985.
5. Krishan Singh "The problem of Tourism Managemental in Uttar Pradesh, opportunities and challenges" Deep and Deep Publication, New Delhi. 1996.
6. Dr. S.V. Sudheer "Tourism problems and Prospects" CBH Publication 2009.
7. Mosih Sushil Handbook of Travel, Tourism and Hospitality Management, Published by Global India Publication, March, 2011.
8. Stephen Bable, Susan Horner "Contemporary Hospitality and Tourism Management issues in China and India published by Butterworth-Heinemann, 2007.
9. Kumar Dr. Arvind "Introduction of Travel & Tourism Management & Tourism Resources of India Walnet Publication .com 2021.
10. M.R. Dileep, Tourism Concepts, Theory and Practice. Published by I.K. International Publishing House Pvt. Ltd, 2018.
11. Philip Kotler, John. T. Bowen, Marketing for Hospitality and Tourism Pearson Publication, Delhi, 2018.

Journals:-

1. Asian Journal of Tourism and Hospitality Research Vol.5, No. 2, (2011)
2. Asia Pacific Journal of Tourism Research Volume 26, Issue 9 (2021).
3. South Asian Journal of Tourism and Hospitality Volume-I, Issue 1, (January, 2021).
4. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism Volume 20, No. 3, (2020).
5. International Journal of Hospitality Management Volume 98, Sept, 2020.
6. Journal of Hospital and Tourism Management Volume 47, June, 2021.
7. The International Journal of Human Resource Management, Volume 32, Issue 11, 2021.
8. Journal of Travel and Tourism Marketing Issue I-2, Volume 30, 2013
9. International Journal of Hospitality and Tourism Management in the Digital Age Volume, 5 Year 2021.
10. International Journal of Hospitality and Tourism studies Volume 2, No.1, June 2021.
11. Tourism policy 2005, Govt. of H.P., Department of Tourism and Civil Aviation.
12. Tourism Policy 2019, New Tourism policy for tourist in Shimla.
13. Pragati & Mohanty Industry and Tourism in Indian 2008.

Articles:

1. Guttertag D.A. (2009) The Possible Negative Impacts of Volunteer Tourism, International Journal of Tourism Research.
2. Creswell, J.W. (2013), Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches, Sage Publications.
3. Hundt Anna "Impact of Tourism Development on the Economy and Health of Third World Nations." Journal of Travel Medicine, Volume-3, No.1.
4. Michael D. Collins & Michelle Miller, "Tourism Perception of Destination Image, Safety and Aggressive Street Behaviour, 2019.
5. Simon Hudson et. al., "The Impact of Social Media on Consumer Decision Process: Implication for Tourism Marketing Volume, 30.

Table-1.1: Analysis of the views of General Public Regarding Economic Impact of Tourism Department

Description	To very	To High High extent	To Some Extent	Not Extent	Total at All	Chi -square
To what extent tourism development has increased your standard of living	16	54	20	10	100	45.58
To what extent tourism development is helpful in increasing your per capita income.	43	40	12	5	100	44.72
To what extent you think that tourism development provides better market for local product	30	38	22	10	100	17.12
To what extent you think that tourism development is a major source for carrying foreign exchange to H.P.	21	23	40	16	100	13.04
To what extent you think that tourism development is the main source of income of locality	20	23	40	17	100	13.72
To what extent you think rural tourism that “Har Gaon Ki Kahani” & “Home stay plan” is beneficial for Tourism. Development in the region.	10	42	31	17	100	24.56

Table-1.2: Analysis of the views of General Public Regarding Social Impact of Tourism Development

Description	To very	To High High extent	To Some Extent	Not Extent	Total at All	Chi -square
To what extent you think that development of Tourism has increased your level of education	29	41	17	13	100	19.20
To what extent development of tourism is helpful in generating more employment opportunities in your region	40	33	21	6	100	26.64
To what extent tourism development is helpful in developing your social status	23	41	19	17	100	14.40

Table-1.3: Analysis of the view of General Public Regarding Impact of Tourism on Culture

Description	To very	To High High extent	To Some Extent	Not Extent	Total at All	Chi -square
1.Do you agree that tourism development is helpful for preservation of cultural heritage, if yes to what extent	32	36	22	10	100	16.16
2.Do you think that tourism development is helpful to encourage to save the past traditions if yes to what extent	22	37	28	13	100	12.24
3.To what extent tourism development is helpful to generate better understanding among different culture.	35	25	22	18	100	6.12
4Do you feel that tourism development is responsible for deterioration of culture values.	12	30	37	11	100	35.76

Table-1.4: Analysis of the views of General Public Regarding Impact of Tourism on Infrastructure

Tourism Development is Helpful for increasing	To very High extent	To High Extent	To Some Extent	Not at All	Total	Chi-square
(a) Health Services	19	33	30	18	100	6.88
(b) Road Facilities	31	25	12	22	100	2.16
(c) Entertainment Facilities	33	37	16	14	100	16.36
(d) Telecom facilities	35	39	23	3	100	31.36
(e) Information Facilities	30	35	25	10	100	14.00
(f)Tourism Development has helped in the overall development	28	32	20	20	100	4.32

Table-1.5: Analysis of the views of General Public Regarding Negative Impact of Tourism Development

S.	Negative Impact	To High	To Some Extent	Not agree Extent	Total	Chi-square
1.	Do you think that tourism has increased drug abuse	30	48	22	100	9.69
2.	To what extent tourism has increased prostitution	20	42	38	100	8.06
3.	Do you think tourism has increased pollution	12	52	36	100	23.16
4	Tourism development is responsible for the loss of morale value	42	34	24	100	8.92
5	Tourism development is responsible for adoption of western culture in the areas	46	34	20	100	10.30
6	To what extent tourism development is responsible for overcrowding and congestion in the state	44	37	19	100	9.85
7	Tourism has increased the crime rate	19	33	48	100	12.76
8	Do you think tourism has increased illegal practices	22	33	45	100	8.02

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
October to December 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVI

Banking Frauds in India: An Analysis of Causes and Impact

Dr. Nandini Sengupta* **Navya Menon**** **Pranav Khandelwal*****

*Associate Professor (Economics) K.C. College, HSNC University, Mumbai (Mh.) INDIA
** Final Year Undergraduate Students (Economics) K.C. College, Mumbai (Mh.) INDIA
*** Final Year Undergraduate Students (Economics) K.C. College, Mumbai (Mh.) INDIA

Abstract - The Indian Banking industry has always been on the forefront of reforms and is considered a stable system despite the global upheavals and internal conundrums. However, the problem of banking frauds is a cause for concern. This paper analyses commercial banking frauds, its causes and impact on the Indian banking sector. The paper dives into breaking down the numbers about the relationship between banking frauds, non-performing assets (NPAs), profitability and bank advances which depicts a worrisome picture of the system. Apart from investigating the causes behind these frauds, the paper tries to steer the wheel towards a dialogue on the possible measures that the authorities and the system can implement to mitigate the impact of frauds on the economy, as well as improve the reputation of the banks.

Keywords- Banking Frauds, Non-performing Assets(NPA), Public Sector Banks, Private Sector banks, Gross Advances, Profitability.

Introduction - The banking system is an important institutional and functional vehicle for economic transformation. The Indian banking sector is a steadfast system which has emerged unscathed throughout various global disruptions and upheavals. Though the system has incorporated multiple changes and tackled innumerable challenges, one problem that it continues to face is the issue of frauds in the sector. This is a growing cause for concern for the regulators. *RBI defines a banking fraud as "a deliberate act of omission or commission by any person, carried out in the course of a banking transaction or in the books of accounts maintained manually or under computer system in banks, resulting into wrongful gain to any person for a temporary period or otherwise, with or without any monetary loss to the bank."*

This paper has the following objectives:

1. To introspect the extent and reasons behind frauds in the banking sector.
2. To analyse the impact on banking variables like gross advances, non-performing assets, bank profitability due to banking fraud.
3. To critically analyse the measures implemented.
4. To propose suggestions to mitigate banking frauds in India.

Review of Literature

There have been many studies highlighting the problem and causes of banking fraud in India. One of the principal reasons for the rise in banking frauds can be attributed to improper implementation of code of conduct, inadequate training, and punitive system. **A.Kaur (2020)** states that bank frauds are mainly advanced linked deceit and service linked deceit. Quite often the mortgaged asset in fraudulent cases tends to be overvalued which acts as a hindrance in the loan recovery process. **PWC and Assocham (2015)** touches upon the issue of fraudulent documentation, overvaluation and absence of collateral.**Soni and Soni (2013)** found that private and foreign sector banks have significantly more cyber frauds than PSB's. Some of the prominent forms of cyber-crimes are hacking, social engineering, debit or credit card skimming.Inadequate monitoring of the funds sanctioned often causes a problem of frauds in the banking system.

Analysis of Commercial Banking Frauds in India - Post liberalisation the number of bank frauds and the amount involved have increased significantly. **The Deloitte Indian Banking Survey III (2015**) throws up an interesting statistic, that the average time taken to uncover a fraud is about 12-24 months for small frauds of less than 100 crores while it takes as much as 63 months to uncover large amounts of fraud. The RBI has classified banking frauds in the following types:

a. Misappropriation and criminal breach of trust.
b. Fraudulent encashment.
c. Unauthorised credit facilities extended for reward or for illegal gratification.
d. Cash shortages.

e. Cheating and forgery.
f. Fraudulent transactions involving foreign exchange.

Table 1: Frauds in Indian Commercial Banks

Year	Amount Involved (Rs. million)	Percentage growth	Number of Frauds	Percentage growth
2013-14	10,093	14.2	4,302	1.5
2014-15	19,456	48.1	4,644	7.4
2015-16	18,698	-4.1	4,690	0.9
2016-17	23,928	21.9	5,071	7.5
2017-18	41,167	41.9	5,916	14.3
2018-19	71,543	42.5	6,801	13
2019-20	1,85,644	61.5	8707	21.9

Source: Trends and Progress Report, RBI various issues

Table.1 delineates that over the years the amount involved in frauds has shot up drastically, while the growth in number of frauds has increased consistently. The year 2013-14 reported a 14% growth in the amount involved in frauds and a 1.5% growth in the number which shot up by 61% and 22% respectively by 2019-20.Looking deeply into the different groups of banks like Public Sector Banks (PSB) Private Sector Banks (PVB) and foreign banks we find some interesting insights.

Figure 1: Amount of Frauds Bank Group-Wise

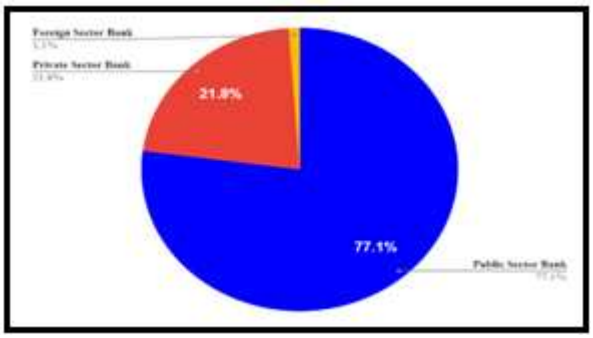

Source: Trends & Progress Report 2016-17 - 2020-21, RBI

Figure 2: Number of Frauds Bank Group-Wise

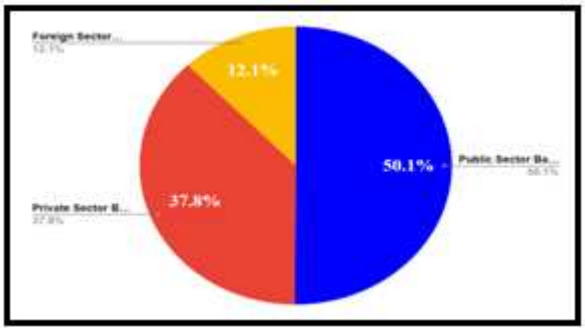

Source: Trends & Progress Report 2016-17 to 2020-21, RBI

It is evident from Figure 1 and Figure 2 that over the period 2016-2021, 50% of the number of frauds occurred in public sector banks (PSB) with the involvement of 77.1% of the amount. However, in case of both private and foreign banks the percentage share of the number of frauds (37.8% and 12.1% respectively) is more than the percentage share of the amount involved (21.8% and 1.1% respectively). This means that in these two sectors the average value of the frauds is less than that in PSBs. This indicates the very nature of fraud in the case of private and foreign banks. In these banks online/cyber/technology related frauds have a high frequency of occurrence which are associated with relatively low cost. (Singh et al 2016)

According to the RBI, there are different banking operations which have reported frauds over the years. These can be related to advances, card/internet, deposits, off-balance sheet, foreign exchange transactions, cash, cheques/demand drafts, inter-branch accounts, clearing and non-resident accounts etc. Of all these varied operations the maximum number and amount involved in frauds are related to advances or credit.

Figure3: Total number of Frauds according to Banking Operations

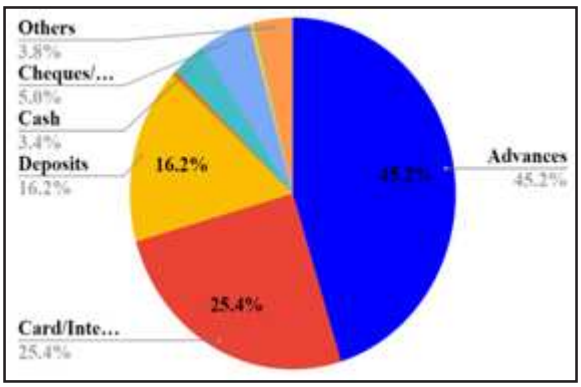

Source: Trends & Progress Report 2015-16 - 2019-20, RBI

Figure 4: Total Amount involved in frauds according to Banking Operations

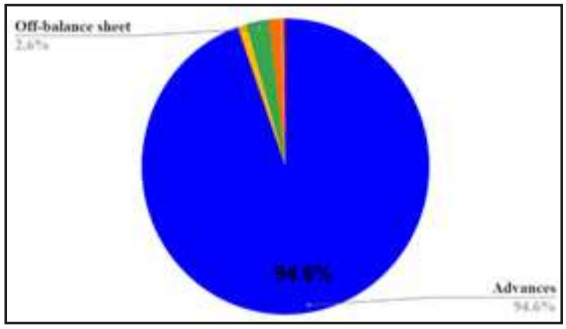

Source: Trends & Progress Report 2015-16 - 2019-20, RBI

Figure 3and Figure 4indicate that 48.7% of the total number of frauds that have occurred between 2015-2020 arise from advances involving 94.6% of the amount of frauds. Cybercrime has also significantly contributed 29.4% in the total number of frauds. Higher advance related frauds of above Rs 1 crore in PSBs and PVBs are witnessed because banks give loans for large and long gestation projects like infrastructure, power, or mining sectors. These facts are supported by our first regression analysis.

Table 2: Regression Analysisof Impact of Gross Bank Advances on amount involved in Bank Frauds

Null Hypothesis (H0)	Bank Gross Advances do not lead to Bank Frauds
R square	0.672466
Coefficient of the independent variable	0.008078
p value	0.000839

Considering Gross advances of banks as our independent variable and amount involved in bank frauds as the dependent variable we ran a regression for the period 1999-2000 to 2019-2020. The results suggest that there is a direct relation between bank advances and bank frauds as the coefficient value is positive ie. 0.0081.The output gives an R square value of 0.6725 which explains a 67% variability in the dependent variable i.e. bank frauds due to a change in the gross advances. However due to a low p value at 5% level of significance we reject the null hypothesis and conclude that bank advances have a significant effect on bank frauds.

Our second regression analysis finds out the impact of bank frauds on NPAs of commercial banks.The following Figure5 shows the increasing amount of bank frauds and the rising trend of NPAs. Although the amount involved in bank frauds is a small percentage of the amount of NPAs, the graph shows that as frauds increased the NPA also increased. Therewas a gradual increase in NPAs due to the global financial crisis and the external shocks in the system. **S.Pan(2020)** shows that the NPAs were on the rise due to the mix of aggressive and careless lending along with wilful loan default/frauds and ongoing economic slowdown resulted in rapid rise in bank NPAs. In 2015, the RBI conducted an Asset Quality Review(AQR) which led to an erosion of profitability of the commercial banks and a sudden spike in the NPAs in 2016. Since 2018 the trend has reversed but NPA levels continued to be very high.

Figure 5: Bank Frauds Amount and NPA

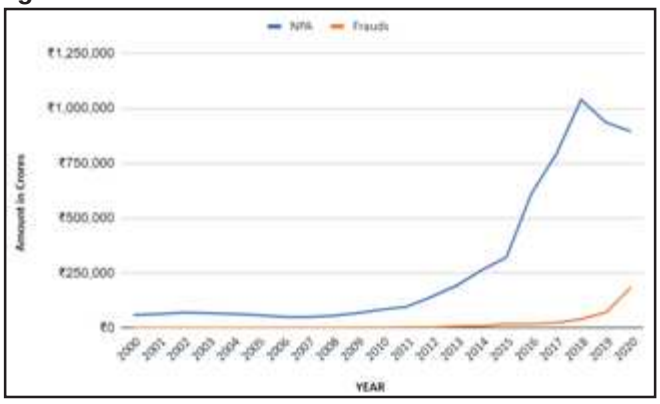

Source: Data Base of the Indian Economy 1999-2000 to 2019-20, RBI

Table 3: Regression Analysisof Impact of Bank Frauds on Non Performing Asset

Null Hypothesis (H0)	Bank Frauds do not lead to NPAs
R Square	0.511100821
Coefficient of the independent variable	5.819946503
p value	0.000270468

In order to analyse the impact of bank frauds on the NPA of banks we ran a regression for the period 1999-2000 to 2019- 2020. The result suggests that there is a direct relation between the two variables as the coefficient value of the independent variable is positive i.e 5.82. The output of the test proves that there is a relatively strong relationship between bank frauds and NPAs. The R square value of 0.511 suggests that 51% of variability in the NPAs can be explained by bank frauds. We reject the null hypothesis due to a low p value which is less than 5% level of significance. Thus, we conclude that bank frauds have a significant effect on NPAs.

Lastly, we analyse the impact of bank frauds on net profitability of banks. We chose the period 2008-09 to 2018-19. During these years the commercial banks started witnessing an increasing amount of frauds in each passing year. Figure 6 clearly brings out the fact that as bank frauds increased profitability of banks went in the southward direction.

Figure 6: Bank Frauds Amount and Profitability

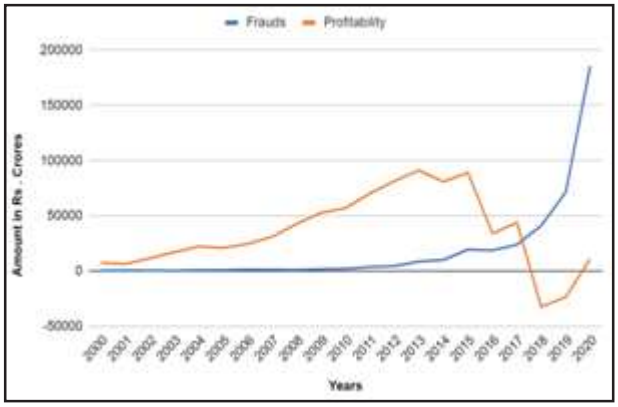

Source: Trends and Progress Report 1999-2000 to 2019-20, RBI

Table 4: Regression Analysis of Impact of Bank Frauds on Profitability of Banks

Null Hypothesis (H0)	Bank Frauds do not lead to loss of profitability
R Square	0.660130497
Coefficient of the independent variable	-1.63194284
P value	0.002372571

After running a regression of net profitability on the amount of bank frauds for the last 10 years we found that, there is an inverse relation between the two variables as the coefficient value is negative i.e -1.63. The output of the test shows a strong inverse relation between the variables. The output gives a R square value as 0.66 which shows that 66% variability in bank profitability can be explained by bank frauds. We reject the null hypothesis as p value is less

than 5% level of significance. Hence, we conclude that bank frauds significantly lead to a loss in profitability of the banks.

2. Measures Taken and Suggestions - The regulatory authorities have taken multiple steps in at improving the financial health of commercial banks in India like The Whistle-blower Act, Early Warning Signal (EWS) and Red Flagged Accounts (RFA), Central Fraud Registry, Central Vigilance Commission (CVC) and Central Fraud Monitoring Cell.This paper proposes three key suggestions

a. Employing Artificial Intelligence by the Indian Banking Sector by integrating their existing technology with Data mining, Pattern Recognition and Network Machines Learning. One of the applications of AI in the banking sector could be the use of **Behavioural analytics**using machine learning to understand and anticipate behaviors at a granular level across each aspect of a transaction.

b. Multiple Audits can be done to enable the auditor to express an opinion whether the financial statements are prepared, in all material respects, in accordance with an identified financial reporting framework.

c. 3 Ks of Fraud Analysis: The paper proposes an extension of the Know your customers (KYC) norms by adding the concept of KYO (Know Your Organisation) and Know Your Markets (KYM). Through KYO banks must analyse the history of the company extensively and through KYM (Know Your Markets) banks must analyse the markets or the sectors where their money is going to be invested. Such a practice might reduce the uncertainty that the future holds.

Due to the pandemic, there has been a surge in digitisation in the banking sector, which has further opened the doors for cybercrime. Thus keeping a close watch on cybercrime numbers is of paramount importance.Indian banks have shown resilience throughout the pandemic period and have maintained higher provisions throughout the crisis which makes them well equipped to absorb the shock. Stringent action by authorities along with finding means of fraud prevention and reduction is the only way forward to safeguard the credibility of Indian banks and give a face-lift to the banking sector of the country.

References:-

1. Bandhyopadhyay, T. (2020). "*Pandemonium- The Great Indian Banking Tragedy"* (1st ed.). Lotus Roli.
2. Bernard.A, Barreto.B, D'Silva.R, (May, 2019). *"Impact of Frauds on the Indian Banking Sector".* IJITEE, 8(7S2), Blue Eyes Intelligence Engineering and Science Publication.
3. Bhasin, M.L. (Feb, 2016), *" Integration of Technology to Combat Bank Frauds: Experience of a Developing Country"*. Research Gate, 23(2), Wulfenia.
4. Chakrabarty K. C. (July, 2013). "*Fraud in the banking sector – causes, concerns and cures"*. Accessed on: 15/02/2021, https://www.bis.org/review/r130730a.pdf.
5. Chari. A, Jain.L, Kulkarni.N (October, 2019). "*The Origins of India's NPA Crisis*". 2019-0https://indianeconomy.columbia.edu/sites/default/files/content/201904-Chari%20et%20al-NPA%20Crisis.pdf
6. Deloitte. (2015). *"India Banking Fraud Survey Edition III"*. Accessed on: 24/01/2021,https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/in/Documents/finance/in-finance-DeloitteIndiaBankingFraudSurveyIII-noexp.pdf
7. Deloitte. (2018). *"India Banking Fraud Survey Edition III"*. Accessed on: 24/01/2021https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/in/Documents/finance/in-finance-DeloitteIndiaBankingFraudSurveyIII-noexp.pdf
8. Gandhi.R. & RBI. (n.d.). "*Financial Frauds – Prevention: A Question of Knowing Somebody*"[Press release]. Speech, ASSOCHAM Financial Fraud Conference
9. Goel, S. (May,2017). "*The Insolvency and Bankruptcy Code, 2016: Problems &Challenges"*.IJIR, 3(5), ISSN: 2454-1362, Research Gate.
10. Gupta P. K., &Gupta S. (2015). "*Corporate frauds in India – perceptions and emerging Issues".* Journal of Financial Crime, 22(1), 79-103, Emerald Insights.
11. Kaliappan.M, (September, 2020). "*Status of NPAs & their Impact on the Public Sector Banks and the Economy in India"*, WJEF, 6(1), P-150-156, Premier Publishers.
12. Kaur, A. (2020), *"Banking fraud: A conceptual framework of dredging up various banking scams, causes and preventive role of law enforcement agencies"*. PJAEE, 17(6) , PAL.ARCH
13. Khanna. A, & Arora. B, (2009)." *A study to investigate the reasons for bank frauds and the implementation of preventive security controls in Indian banking industry"* , Int. Journal for business and applied management, 4(3).
14. Kundu. S. & Rao. N. (2014). *"Reasons Of Banking Fraud – A Case Of Indian Public Sector Banks"* , IJISMRD, 4(1), Trans Stellar.
15. Pan, Sunindita (April, 2020), *"Analysis of Frauds in Indian Banking Sector"* International Journal of Trend in Scientific Research and Development (ijtsrd), ISSN: 2456- 6470, Volume-4 Issue-3, pp.70-73.
16. PWC and Assocham. (June, 2016). "*Current fraud trends in the financial sector*". Accessedon:26/01/2021, https://www.pwc.in/assets/pdfs/publications/2015/current-fraud-trends-in-the-financial-sector.pdf.
17. Reserve Bank of India, "Trends and Progress Report" and 'Financial Stability Report", various issues.
18. Reserve Bank of India. (July, 2017). *"Master Directions on Frauds – Classification and Reporting by commercial banks and select FIs*
19. Sharma, N., & Sharma, D. (April, 2018). "*Rising Toll of Frauds in Banking: A Threat for the Indian Economy*" . JTMGE, 9(1), 71-88.
20. Singh, C.et al (March, 2016). "*Frauds in the Indian*

Banking Industry". IIMB,WP No: 505

21. Soni, R. R., &Soni, N. (June,2013). "*An Investigative Study of Banking Cyber Frauds with Special Reference to Private and Public Sector Banks*". Research Journal of Management 2(7), 22-27, International Science Congress Association.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
October to December 2021, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVI

Rise of Taliban and the State of Refugees

Garima Singh Parihar*

***Assistant Professor, B.K.S.N. Govt. PG College, Shajapur (M.P.) INDIA**

Abstract - At the dawn of August 15, 2021, when India was celebrating its 75thIndependence Day, a country not far from its land was on the verge of losing its glory, virtue and liberty. Afghanistan government was thrilled by the country's rebellion force, the Taliban with the fleeing of President Ashraf Ghani from the soils of Afghanistan after the United States had signed a peace agreement with the Taliban and decided to withdraw the US and NATO troops. The pictures and videos of people trying to leave Afghanistan thereafter are indicative of the state of turmoil and susceptibility that they are in. It has put the global community in question as to where the world is heading to? The Taliban claims on the almost entire territory have annulled the process of democratisation which already was in the embryonic stage. This article thus looks at the prospects and possibilities for a new refugee crisis from Afghanistan following the Taliban's takeover in 2021 and attempts to explore the factors both internal and external, responsible for it. The article also tracks the history of the refugee crisis and humanitarian issues arising from Afghanistan for nearly four decades now since the invasion of the Soviet Union in 1979.

Introduction - Afghanistan a nation at the gateway between Asia and Europe has been rightly known as the Graveyard of Empires. If one looks at the history of the nation, one notices that it did not happen the same always. The nation has a glorious past of valour and victory. Time and again it had been under domination by foreign invaders and internal and indigenous conflicting groups but managed to emerge victoriously. It was conquered by Darius I of Babylonia circa 500 B.C., Alexander the Great from Macedonia in 329B.C., followed by the invasion of Mahmud Ghazni in the 11th century and Genghis Khan in the 13th century. But only by 1870 when it was invaded by various Arab conquerors that Islam as the foundational value got established in the region. The nation showed its power and valour every time it was tested and even defeated the British in the British-Afghan War(1919-21) when was long seen as a buffer zone between the warring Britain and Russia. The era of the cold war decided the fate of Afghanistan in many ways. Since the 1950s Afghanistan looked towards the Soviet Union for economic and military assistance and eventually got distanced from the United States of America. The period thereafter was a period of democratic social and political reforms, women's rights, constitutional government and the rise of communism on Afghan soil. In retaliation to the rise of communism, conservative Islamic and ethnic groups namely, the guerrilla movement Mujahadeen was created. With this comes the dark phase of Afghanistan when the USSR invades Afghanistan on December 24, 1979. By this time the US had stopped all its aid to Afghanistan and various international players shaped Afghanistan internal politics.

History of Taliban - By the end of the 1990s, various other internal factions within Afghanistan have created in response to the growing Soviet regime and one among them was the Taliban.

The Taliban, which means "student" started as a faction of students with values of Islam and promised people necessary security and a country free from the corruption that was rampant in the then state. Only later in 1996, it emerges as a movement, as the backwash of the Afghan war since the new government couldn't establish peace and the country was fallen to assault, violence and sufferings at the hands of militias. The lamenting masses found some refuge in the ideas of the Taliban and was welcomed by them. But the subsequent repressive course adopted by the Taliban based on conservatism and orthodox values of the "sharia law" in the name of interpretation of Islam following a strict religious ideology with inputs of both Wahhabi puritanism and conservative Pashtun code, made it face significant resistance both from within and across the borders. Also, the militant wing of the Taliban is dominated by the extremist Haqqani network and its ideas. Apart from the Taliban being a mass violator of human rights, it was also being targeted by global powers especially the USA for giving shelter to terrorists like Osama Bin Laden, founder leader of the terrorist organisation Al Qaeda which was responsible for the 9/11 attacks on the USA. Thus, soon the Taliban was clamped down by the USA with the

deployment of NATO forces and US troops in early 2003 and once again the foundations of constitutional democracy on the lines of the USA were laid.

The Taliban however, never actually got vanished from the region and in the past two decades has only expanded its base and has got strengthened in terms of power and structure. This can be seen from the fact that the USA government made the Afghan Peace Treaty with the Taliban as an important player within it.

The Taliban group caused atrocities to all sections of societies with its hard-line policies since it first came to power. The policies included maintaining the stronghold of "Islam" in the region. Systemic destruction of non-Islamic relics and ideas was witnessed in the country. The destruction of Buddhist sites in Bamiyan is one such example. The women were denied even the most basic social and political rights including education and employment. The videos and images of public execution and harsh punishments inflicted for even baser crimes to both men and women still haunt the memories of people. The Tajiks, the Uzbek, the Hazara and various non- Pashtun ethnic communities in the north, west and central parts of the country were among the worst sufferers.

State of Refugees in Afghanistan - The return of Taliban and abrupt takeover in Afghanistan after nearly twenty years with the US and NATO forces moving out of the nation and the advent of a new wave of renewed fighting, reduced freedom or economic disaster is seen with apprehensions, fears, mistrust and has triggered profound concerns among the Afghans and the world community. Among many, one key concern that looms on the Afghans is an imminent refugee crisis. The 1951 Geneva Convention defined a refuge as someone who has a "fear of being persecuted for reasons of race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion, is outside the country of his nationality and is unable or owing to such fear, is unwilling to avail himself of the protection of that country". Afghanistan accounts for being the biggest producer of refugees in South Asia and only third in the world after Syria and Venezuela.

The humanitarian situation inside the state deteriorated in 2021 with significant consequences for all sections of society but most notably for the already vulnerable ones. Thus, more than 8 million refugees from Afghanistan are today displaced and dispersed in different corners of the world since the 1979 soviet invasion.

UNHCR data reveals that the current surge in refugees would increase the number of refugees already displaced within and beyond the national borders during the four decades of war. Already, approx. 2.2 million registered refugees have fled only to the neighbouring areas of Afghanistan namely Iran, Pakistan, Tajikistan, Uzbekistan and Turkmenistan. Also, more than a million refugees and asylum seekers have taken the routes to Europe with Turkey and Germany being the mainlands of refugee attraction. Within Europe, Germany hosts the largest number of Afghan nationals. Figures from the German Federal Statistical Office reveal that nearly 272,000 as of 2020, are being hosted by it.

Pakistan alone holds 59.9% of the total refugees of Central and South Asia followed by Iran with 33.3% of the total count.UNHCR has recorded 68,330 newly arriving Afghans who may require international protection to neighbouring countries since the start of the year, composed of 47% children and26% women in Iran and 50% children and 25% women in Pakistan. In Tajikistan, Afghan new arrivals are composed of 31% women and 40% children. [1]

Thus, the children constitute the worst sufferers of the crisis followed by women and men respectively. Also, the data reveals that the number of newly arrived Afghans in need of international protection to the neighbouring countries since January 1, 2021, has seen a spike and more than a million people have been displaced out of which nearly 82,000 have again fled to just three states namely Pakistan, Iran and Tajikistan. However, the UNHCR itself accepted that the real number of Afghans in need of Refugee protection is likely to be much more as a huge number goes unregistered.

Also, a further return of 5.3 million refugees has been registered in different phases but owing to the growing violence and instability in the nation a sharp decrease in the phenomenon can be noticed today.

Figure 1. Refugee Returns to Afghanistan, 2002-21

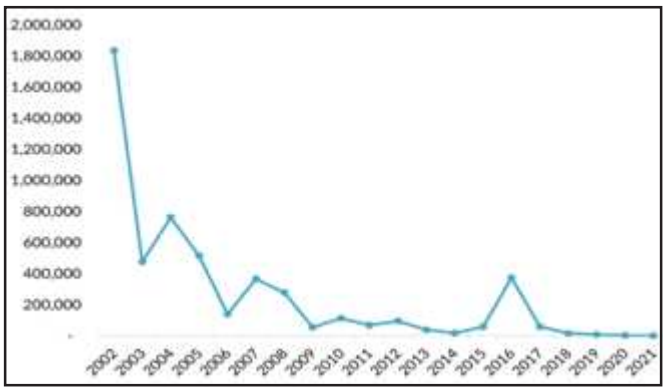

Note: Data for 2021 run through August 23.

***Source*:** UN High Commissioner for Refugees, "Operational Data Portal: Afghanistan Situation," updated August 23, 2021, available online.

Only 1,304 refugee returnees for the South Asian region have been registered so far in 2021. Though Pakistan's and Iran's land borders remain largely shut to Afghanistan after 2002, bi-directional movements are pertinent to those with valid visas, passports and grave medical ailments. Cross-border movement of more than 500 Afghan nationals a day across the Chaman-Spin Boldak, one of the mainland border crossing points between Afghanistan and Pakistan is discernible with its reopening on November 2, 2021. Afghans crossing the borders often lead a check by joint

existence through the flurry of the movement. In the same vein, a whopping number of more than 5000 migrants are reported in Iran, predominantly from irregular crossing arenas.

Amidst the spike in the cases of unwarranted deportation of Afghans, the UNHCR continues to exhort countries to keep the borders porous for the safe movement of the Afghans with its UNHCR's non-return advisory for Afghanistan. During the reporting period, UNHCR has observed an average daily deportation rate of 3,200 Afghans from Iran, 11 individuals have reportedly been deported from Tajikistan while 45 families remain at risk of deportation and about 1,800 individuals have been deported from Pakistan in September and October. [2]

Also, in line with the Joint Declaration on Migration Cooperation (JDMC**),** formed in 2021 by replacing the Joint Way Forward (JWF)agreement that was signed in 2016, more than 30,000 Afghans were deported from European Union between 2016 and 2020 from nearly 27 member states. Turkey has also managed to deport some 6000 Afghans deported in 2020.

Now, the likelihood of a new Afghan humanitarian crisis will be shaped by both internal and external factors. First and foremost, a lot will depend on how the Taliban carries forward the policies and structure of the newly made government. If an analysis of the leadership and structure is attempted, it can be noticed that the most hostile and conservative of the Taliban leaders have been given the top positions and most important portfolios. Thus, the apprehensions continue to exist but a lot will depend on the direction that the leadership takes. Somewhere even the Taliban has a sense of realisation that this time it is not going to be easy as even after 100 days of coming to power, it still struggles for recognition and cooperation of the international community. It is continuously striving for and getting indulged into bilateral and multilateral talks with many powers including India.

However, though the Taliban claims to be a changed government, the reality holds different when the group right after coming to power takes away equal rights of women and forces them to study only with fellow girls in Madarsa and only female teachers could impart them education; various restrictions with clothing have again been imposed, in retaliation to which women of Afghan nationality from all over the world hurled an online campaign where they were dressed up in colourful traditional Afghani attires with identity hashtags to criticise dress code imposed under the Taliban rule. Various videos today are available on multimedia where still the punishments are inflicted based on Sharia law and no constitutional value is taken heed of.

Also, if external factors are stated the refugee crisis cannot be handled without aid and assistance from the international community. Soon after the Taliban came to power all necessary aids from Europe and U.S. has been stopped. An imminent question is whether the withdrawal of American troops will lead to the abandoning of Afghanistan by the international community. It is now that Afghanistan stands in the dire need of funds and other humanitarian assistance for its catalytic sustenance but major financial institutions like International Monetary Fund and the World Bank have stalled financial aid to the nation. The suspension of financial help to Afghanistan by the desisting powers will further push the country into the abyss of penury. EU foreign policy chief Joseph Borrell said the Taliban must respect U.N. Security Council resolutions and human rights to earn access to some 1.2 billion euros ($1.4 billion) in development funds earmarked through 2024. [3]

Way forward - The pressing need is that necessary resources be provided to the refugees and the vulnerable sections. Various NGOs, international and regional organisations as the United Nations and its bodies as UNHCR, UNESCO are continuously striving through various programmes namely UNHCR's Persons with specific needs(PSN)program which is an integral part of the Operation's Protection and Solution Strategy.

Afghanistan and Afghan organizations' ongoing relationship with the international community can decide the new government's performance and ability to maintain control. External pressures, particularly from Afghanistan's neighbours, may limit civilians' ability to flee. Negotiations between the Taliban and opposition forces is the need of the hour as it could lead to an inclusive government.

The deported Afghans live in a vicious world of destitution and omittance following their return. Rampant poverty, unemployment and make every night a burden and every passing power a pain for the returned refugees. Pandemic has further escalated the already teeming helplessness, forcing the returnees to fall into the abysmal avenues of poverty and hunger.

To tie up the loose ends and reach a satisfying resolution it is important that talks between Taliban and the resisting forces as ISIS, ISIL, northern forces chart out a plan for the running of the country as much of the political stability would depend on that. It would bring peace and the number of fleeing people from the state could be lessened. Global actors as the European Union and the United States could contribute by providing economic and humanitarian support to Afghan organisations operating on the ground. The role of India who lacks an indigenous refugee policy and has huge strategic interests in Afghanistan will also be both important and interesting to witness.

Constitutional government, good governance and effective delivery of basic services could therefore help reinforce the new government its lost mandate. Attention needs to be given to both former refugees and other returned migrants, whose reintegration will be critical for Afghanistan's future. Diplomatic relations and deliberations would play an important role in this regard.

References:-

1. Taliban- political and religious faction, Afghanistan (2021) [Online] Available at https://www.britannica.com/topic/TalibanUNHCR Global Compact on Refugees (2019) [Online] available at https://globalcompactrefugees.org/article/afghanistan-refugee-situation
2. UNHCR Afghanistan (2021) [Online] available at https://data2.unhcr.org/en/country/afg
3. Nasrat Sayed, Fahim Sadat, and Hamayun Khan(2021) Will the Taliban's Takeover Lead to a New Refugee Crisis from Afghanistan? [Online] Available at https://www.migrationpolicy.org/article/taliban-takeover-new-refugee-crisis-afghanistan
4. A Historical Timeline of Afghanistan (2021) [Online] Available at A Historical Timeline of Afghanistan | PBS NewsHour

Websites:

1. https://www.migrationpolicy.org/article/taliban-takeover-new-refugee-crisis-afghanistan
2. https://www.migrationpolicy.org/article/taliban-takeover-new-refugee-crisis-afghanistan
3. https://www.migrationpolicy.org/article/taliban-takeover-new-refugee-crisis-afghanistan

****